ा माला, खंड 37, अंक 4

शुक्रवार, 5 दिसम्बर, 2003
14 अग्रहायण, 1925 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
(हिन्दी संस्करण)

चौदहवां सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

(खंड 37 में अंक 1 से 10 तक हैं)

ARL... LIBRARY
No. D 56
Date 8/4/04

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

शारदा प्रसाद
प्रधान मुख्य सम्पादक

विद्यासागर शर्मा
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

अजीत सिंह यादव
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 37, चौदहवां सत्र, 2003/1925 (शक)]

अंक 4, शुक्रवार, 5 दिसम्बर, 2003/14 अग्रहायण, 1925 (शक)

विषय	कॉलम
निधन संबंधी उल्लेख	1–3
अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी	
प्रश्न काल के निलंबन और स्थगन प्रस्ताव के बारे में सूचनाएं	3–20
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 61 से 63, 65, 67 और 68	20–48
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 64, 66 और 69 से 80	48–74
अतारांकित प्रश्न संख्या 602 से 814	74–403
सभा पटल पर रखे गए पत्र	403–417
रेल संबंधी स्थायी समिति	
की गई कार्यवाही संबंधी विवरण	417–418
गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति	418
(एक) 103वां से 106वां प्रतिवेदन	418
(दो) साक्ष्य	418
सभा का कार्य	419–420
समिति के लिए निर्वाचन	
लोक लेखा समिति	422–423
कार्य मंत्रणा समिति के छप्पनवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	423
सरकारी विधेयक–*पुर:स्थापित*	
(एक) कराधान निधि (संशोधन) विधेयक	423–424
(दो) राष्ट्रीय बाल आयोग विधेयक	425–427
कराधान विधि (संशोधन) अध्यादेश के बारे में विवरण	424
अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी	
स्थगन प्रस्ताव के बारे में सूचनाएं	428–429

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
नियम 193 के अधीन चर्चा	
रेलवे की भर्ती नीति के कारण असम और देश के कुछ अन्य भागों में हाल में हुई हिंसा की घटनाएं	430–490
श्री बसुदेव आचार्य	432–442
श्री कीर्ति झा आजाद	443–445
श्री पवन सिंह घाटोवार	445–451
श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव	451–457
श्री मोहन रावले	457–464
श्री रामजीलाल सुमन	464–466
श्री प्रभुनाथ सिंह	466–473
श्री बालकृष्ण चौहान	473–475
श्री राजेन गोहेन	475–480
श्री माधव राजवंशी	481–486
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव	486–490
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक	491–538
(एक) सरकारी सेवक (आस्तियों की घोषणा और अन्वेषण) विधयक - *पुरःस्थापित*	
श्री श्रीप्रकाश जायसवाल	491
(दो) संविधान (संशोधन) विधेयक – *वापस लिया गया* (अनुच्छेद 39 का संशोधन)	492–537
विचार करने के लिए प्रस्ताव	492
श्री अनादि साहू	492–497
श्री थावरचन्द गेहलोत	497–501
श्री शिवराज वि. पाटील	501–515
श्री वरकला राधाकृष्णन	515–520
श्री भर्तृहरि महताब	521–525
श्री बालकृष्ण चौहान	525–527
प्रो. रासा सिंह रावत	527–530
डा. साहिब सिंह वर्मा	530–533
श्री रामदास आठवले	533–537
(तीन) केरल उच्च न्यायालय (तिरूवनंतपुरम में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक-*विचाराधीन*	537–538
विचार करने के लिए प्रस्ताव	538
श्री कोडीकुनील सुरेश	538

लोक सभा

शुक्रवार, 5 दिसम्बर, 2003/14 अग्रहायण, 1925 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यो, मुझे सभा को अपने दो पूर्व साथियों, श्रीमती मार्जोरी गोडफ्रे और डा. कृपा सिंधु भोई के दुखद निधन की सूचना देनी है।

श्री के.पी. सिंह देव (ढेंकानाल): महोदय, नौवीं लोक सभा के सदस्य श्री ए.एन. सिंह देव का भी निधन हो गया है। इस बारे में मैंने आपको लिखित सूचना दी थी। श्री ए.एन. सिंह देव का निधन 1 दिसंबर, 2003 को हुआ था।

अध्यक्ष महोदय: हम इस मामले को कल लेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्रीमती मार्जोरी ग्रोडफ्रे वर्ष 1971 से 1977 तक पांचवीं लोक सभा की नामनिर्दिष्ट सदस्या थीं जिन्होंने आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व किया। श्रीमती गोडफ्रे ने इससे पहले आंध्र प्रदेश विधान सभा में 4 वर्ष के लिए नामनिर्दिष्ट सदस्य के रूप में काम किया।

श्रीमती गोडफ्रे व्यवसाय से एक शिक्षक और एक समर्पित शिक्षाविद् थीं उन्होंने आंग्ल भारतीय शिक्षा हेतु अंतर्राज्यीय बोर्ड में राज्य प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया। उन्होंने 17 वर्ष तक परीक्षा एवं चयन पर्यवेक्षक तथा गर्ल गाइड्स के सहायक आयुक्त के रूप में कार्य किया गया।

श्रीमती गोडफ्रे एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्त्ता थीं। वे अखिल भारतीय आंग्ल भारतीय एसोसिएशन के शासी निकाय की उपाध्यक्ष थीं। वे केन्द्रीय सामाजिक कल्याण सलाहकार बोर्ड, टी.बी. बोर्ड, डिवीजनल रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव कमेटी, गुंटकल डिवीजन और लेडीज आफ चैरिटी की भी सदस्या थीं। मानवता, विशेषकर निर्धन और पददलित लोगों की सेवा करने की इच्छा से प्रेरित होकर उन्होंने बेरोजगार लोगों को रोजगार दिलाने और गरीब लोगों को स्कूलों तथा अस्पतालों में दाखिला प्राप्त करने में सहायता की।

एक उत्साही खेल प्रेमी होने के कारण श्रीमती गोडफ्रे गिडनी क्लब और कैथोलिक क्लब हैदराबाद से सम्बद्ध रही।

श्रीमती मार्जोरी गोडफ्रे का 27 अक्तूबर, 2003 को हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में 84 वर्ष की आयु में निधन हुआ।

डा. कृपा सिंधु भोई वर्ष 1980 से 1989 और वर्ष 1991 से 1997 तक सातवीं, आठवीं, दसवीं और ग्यारहवीं लोक सभा के सदस्य थे और उन्होंने उड़ीसा के संबलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

डा. भोई वर्ष 1995 से 1996 तक मानव संसाधन विकास, शिक्षा विभाग के केन्द्रीय राज्य मंत्री थे।

इससे पूर्व डा. भोई वर्ष 1971 से 1973 और वर्ष 1974 से 1977 तक उड़ीसा विधान सभा के सदस्य थे। उन्होंने राज्य सरकार में 1972 से 1973 तक सामुदायिक विकास और पंचायती राज के राज्य मंत्री और 1974 से 1977 तक परिवहन, वाणिज्यक, खनन तथा भू-विज्ञान के केबिनेट मंत्री के रूप में कार्य किया।

डा. भोई एक समर्पित संसदविद् थे। वे कई अन्य संसदीय समितियों और इस्पात और कोयला मंत्रालयों की परामर्शदात्री समितियों के सदस्य के अतिरिक्त वर्ष 1994 से 1995 तक प्राक्कलन समिति के सभापति थे।

डा. भोई एक साहित्यकार भी थे। उन्होंने अनेक पुस्तकें, पुस्तिकाएं, राजनीतिक पत्रिकाएं और दैनिक गणबरा नामक दैनिक समाचार-पत्र भी प्रकाशित किया। उन्होंने कविताएं तथा सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर लेख भी लिखे।

डा. भोई एक विख्यात राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्त्ता थे। वे अनेक महामारियों और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान कल्याण कार्य से संबद्ध रहे। एक चिकित्सक होने के नाते डा. भोई विभिन्न चिकित्सा संस्थानों से संबद्ध रहे जिनमें उनका एक महत्वपूर्ण स्थान था। वे 1984 से 1989 तक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के शासी निकाय और चयन समिति के सदस्य थे।

डा. कृपा सिंधु भोई का निधन 61 वर्ष की आयु में थोड़े समय बीमार रहने के बाद 15 नवम्बर, 2003 को दिल्ली में हुआ।

हम अपने इन मित्रों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं तथा मैं अपनी ओर से और सभा की ओर से शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदनाएं प्रेषित करता हूं।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहेंगे।

अपराह्न 11.04 बजे

(तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर के लिए मौन खड़े रहे।)

पूर्वाह्न 11.06 बजे

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

प्रश्न काल के निलंबन और स्थगन प्रस्ताव के बारे में सूचनाएं

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, मैंने प्रश्न काल के निलंबन के बारे में एक सूचना दी है *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य): अध्यक्ष महोदय, यदि ये इसी प्रकार से राम मंदिर का विरोध करेंगे, तो इसका नतीजा इन्होंने हाल ही में हुए चार राज्यों के विधान सभा चुनावों में देख लिया। जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदय, कृपया मुझे बोलने की अनुमति प्रदान करें *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री कीर्ति झा आजाद (दरभंगा): अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं। इस प्रकार से यदि ये शोर करेंगे, तो प्रश्न-काल कैसे आरम्भ होगा। मेरा निवेदन है कि प्रश्न-काल को प्रारम्भ किया जाएगा। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री बनातवाला आप क्या कहना चाहते हैं? आपने मुझे स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। मैं जानना चाहता हूं कि आप क्या कहना चाहते हैं *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी): मिस्टर स्पीकर सर, मैंने यह नोटिस दिया है कि क्वश्चन आवर को सस्पेंड किया जाए और इसकी वजह बताने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। बाबरी मस्जिद की शहादत हुए 11 वर्ष हो चुके हैं। 6 दिसंबर, 1992 को इसकी शहादत हुई। सुप्रीम कोर्ट के आर्डर और कांस्टीट्यूशन की धज्जियां उड़ा दी गईं। *...(व्यवधान)*

جناب جی۔ایم۔ بنات والا (پوننانی): جناب اسپیکر صاحب، میں نے یہ نوٹس دیا ہے کہ وقفہ سوالات کو سسپینڈ کیا جائے اور اس کی وجہ بتانے کے لئے میں کھڑا ہوا ہوں۔ بابری مسجد کی شہادت ہوئے 11 سال ہو چکے ہیں۔ 6 دسمبر 1992 کو اسکی شہادت ہوئی۔ سپریم کورٹ کے آرڈر اور کانسٹی ٹیوشن کی دھجیاں اڑا دی گئیں۔...(مداخلت)

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): अध्यक्ष महोदय, 11 वर्ष से हर साल यही मुद्दा सदन में बार-बार उठाया जाता रहा है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): महोदय, कोई घटना 1992 में घटित हुई, लेकिन उस घटना को आज यहां उठाये जाने का क्या तात्पर्य है? *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठिए। मैंने श्री बनातवाला जी को बोलने के लिए कहा है। आप लोग बैठिए। मुझे उन्हें सुनने दीजिए।

श्री जी.एम. बनातवाला: सर, यह मंसूबा तैयार किया जा रहा है कि इस सदन में एक कानून पास कर लिया जाए और उस कानून के जरिए बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर तामीर कर दिया जाए। सर, हुकूमत को आगे आना होगा और इस बात को वाजे करना होगा कि मस्जिद की जगह मंदिर नहीं बनाया जाएगा। *...(व्यवधान)*

جناب جی۔ایم۔ بنات والا (پوننانی): سر، یہ منصوبہ تیار کیا جا رہا ہے کہ اس ہاؤس میں ایک قانون پاس کر لیا جائے اور اس قانون کے ذریعے بابری مسجد کی جگہ مندر تعمیر کر دیا جائے۔ سر، حکومت کو آگے آنا ہوگا اور اس بات کو واضح کرنا ہوگا کہ مسجد کی جگہ مندر نہیں بنایا جائے گا۔...(مداخلت)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री बनातवाला ने मुझे प्रश्न काल का निलंबन किये जाने के बारे में सूचना दी है। मैं यह जानना चाहता हूं कि

वह प्रश्न काल क्यों निलंबित करना चाहते हैं। बस। इस बारे में इससे अधिक और कुछ न बोलें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री रामजीलाल सुमन तथा श्री बसुदेव आचार्य से भी इसी तरह की सूचना प्राप्त हुई हैं। मैंने तर्क सुन लिए हैं और मैं प्रश्न काल के निलंबन के लिए अनुमति नहीं दे रहा हूं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, आप मुझे भी सुनिए।

अध्यक्ष महोदय: सुमन जी, जो उन्होंने कहा है, वही आपको कहना है। इस विषय पर प्रश्न काल का निलंबन स्वीकार नहीं किया जा सकता।

श्री राशिद अलवी (अमरोहा): सर, इस पर मेरा भी एडजर्नमेंट मोशन है।

अध्यक्ष महोदय: मैंने अभी एडजर्नमेंट मोशन पर रूलिंग नहीं दी है।

[अनुवाद]

प्रश्न काल का निलंबन करने संबंधी मुद्दे के बाद हम स्थगन प्रस्ताव के बारे में विचार करेंगे। इस समय मैं केवल प्रश्न काल का निलंबन किये जाने के बारे में कही जा रही बातों को ही सुन रहा हूं।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, कृपया मुझे बोलने की अनुमति दें। मैंने भी सूचना दी है। इस बारे में मेरा दृष्टिकोण भिन्न है। *...(व्यवधान)* कृपया मुझे अनुमति दें।

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: सर, रोजाना यदि इसी प्रकार से क्वश्चन आवर नहीं चलने दिया जायेगा, तो कैसे काम चलेगा *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: मैंने प्रश्न काल का निलंबन किये जाने के बारे में सूचना दी है *...(व्यवधान)* मैंने स्थगन प्रस्ताव की भी सूचना दी है *...(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): महोदय, मेरा अनुरोध है कि यह एक महत्वपूर्ण मामला है इसमें औपचारिकताओं में जाने की आवश्यकता नहीं है। यह एक ऐसा मामला है जिस पर हम अपनी राय व्यक्त करना चाहते हैं। इसलिए कृपया हमें इस पर बोलने की अनुमति प्रदान करें। *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): सरकार मामले को कमजोर करने के लिए सीबीआई का सहारा ले रही है। *...(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, बीजेपी, आरएसएस, शिवसेना, बजरंग दल तथा विश्व हिन्दू परिषद के उपद्रवी तत्वों ने बाबरी मस्जिद को ढहा दिया था *...(व्यवधान)* इस मामले में अभी तक मुख्य आरोपी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। उनमें से कुछ मंत्रिमंडल के सदस्य हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जायें। यह प्रश्न काल का निलंबन किये जाने के लिए उचित आधार नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य: मेरी यही मांग है कि आरोपी के विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: एक ही बात को बार-बार दोहराने से कोई फायदा नहीं।

श्री बसुदेव आचार्य: विगत में जो आरोप-पत्र दाखिल किया गया था *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह बहुत महत्वपूर्ण विषय नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य: यह सरकार केन्द्रीय जांच ब्यूरो पर आरोप-पत्र में बदलाव करने तथा एक आरोपित का नाम निकालने के लिए दबाव डाल रही है *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, *...(व्यवधान)*

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र): अध्यक्ष महोदय, मुझे भी कुछ बोलना है।

अध्यक्ष महोदय: आपका मेरे पास कोई नोटिस नहीं है।

श्री चन्द्रकांत खैरे: अध्यक्ष महोदय, चूंकि शिव सेना का नाम लिया जा रहा है इसलिए मैं शिव सेना के बारे में बोलना चाहता हूं। मुझे केवल एक मिनट का समय दीजिए।

अध्यक्ष महोदय: मेरे पास इनका नोटिस है।

...(व्यवधान)

श्री चन्द्रकांत खैरे: अध्यक्ष महोदय, शिवसेना के बारे में बोला गया है, इसलिए मुझे भी इस पर एक मिनट बोलना है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, वे अब मस्जिद गिराए जाने को सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: श्री बसुदेव आचार्य, कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य: हम चाहते हैं कि बाबरी मस्जिद गिराए जाने के लिए जिम्मेदार अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए। यह राष्ट्र की बदनामी का दिन था। 6 दिसम्बर राष्ट्र पर कलंक का दिन है। उन्होंने बाबरी मस्जिद को नहीं अपितु उन्होंने हमारे देश को धर्म निरपेक्षता के प्रतीक को गिराया है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आचार्य जी, कृपया आप बैठिए, नहीं तो सुमन जी को बोलने का मौका नहीं मिलेगा। सुमन जी, आप बोलिए।

...(व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, छः दिसम्बर का दिन *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आज छः दिसम्बर नहीं है, पांच दिसम्बर है।

...(व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, आप इन्हें बैठाइए, अन्यथा मैं बोल नहीं पाऊंगा। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, उस दिन देश की एकता को समाप्त करने का काम किया गया। *...(व्यवधान)* ये प्रतिक्रियावादी हैं और देश की एकता को समाप्त करना चाहते हैं। *...(व्यवधान)* इतना समय बीत जाने के बावजूद भी जो दोषी हैं, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की है। *...(व्यवधान)*

श्री चन्द्रकांत खैरे: अध्यक्ष महोदय, छः दिसम्बर को छुट्टी है, इसलिए हम भी इस पर बोलना चाहते हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने प्रश्न काल के निलंबन के लिए श्री बसुदेव आचार्य, श्री रामजीलाल सुमन और श्री जी.एम. बनातवाला के तर्क सुने और मैंने प्रश्न काल के निलंबन की सूचनाओं को अस्वीकृत कर दिया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अब मैंने स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं को लिया है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अनंत गुडे (अमरावती): अध्यक्ष महोदय, यह चर्चा का विषय कैसे हो सकता है, यह चर्चा का विषय नहीं है। हल साल छः दिसम्बर के लिए सदन में चर्चा होती है। *...(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, जब तक दोषियों को सजा नहीं मिल जाती, तब तक चर्चा होती रहेगी। *...(व्यवधान)* ये रोकने वाले कौन होते हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: सुमन जी, मैंने सोमनाथ जी को बोलने की इजाजत दी है, सोमनाथ जी, आप बोलिए।

...(व्यवधान)

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): अध्यक्ष महोदय, सारा देश जानता है, फिर भी ये गढ़े मुर्दे उखाड़ते हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, मेरी सभी से अपील है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, क्या ये इस देश के ठेकेदार हैं? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि प्रश्न काल जारी रखने के लिए मैंने श्री सोमनाथ चटर्जी को अनुमति दे दी है कि वह स्थगन प्रस्ताव के बारे में जो कुछ कहना चाहते हैं, कह सकते हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री चन्द्रकांत खैरे: अध्यक्ष महोदय, मुझे भी बोलना है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: खैरे जी, आप बैठ जाइए। सोमनाथ जी, आप बोलिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सभा के सभी पक्षों से अपील करता हूं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग कीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: जब स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी जाती है तो विषय-वस्तु पर ध्यान दिए बिना हमें बातें सुननी चाहिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: खैरे जी, आप पहले मेरी बात सुनिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: मुझे जिन्होंने एडजर्नमेंट मोशन का नोटिस दिया है, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि इसका विषय क्या है? उसके बाद मैं प्रश्न-काल शुरू करना चाहता हूं। सोमनाथ जी, आप बोलिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सभा के सभी पक्षों से अपील करता हूं कि कृपया इसे मात्र रोजमर्रा का मामला मत समझिए। यह एक सरल मामला नहीं है। प्रबल भावनाएं *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ: अध्यक्ष महोदय, बाबरी मस्जिद के नाम पर हिन्दू भावना के साथ कब तक खिलवाड़ होता रहेगा। पिछले 11 वर्षों से एकमात्र, एक ही मुद्दा बार-बार दिसम्बर महीने में सदन के अंदर गूंजता है। *...(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, क्या देश के अंदर अन्य समस्याएं नहीं हैं, और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। *...(व्यवधान)* उत्तर प्रदेश दंगों की चपेट में आया है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सदन के अन्दर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश की समस्या पर चर्चा न करके बार-बार बाबरी ढांचे की समस्या यहां सदन में उठाकर ये अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं। *...(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन: ये इस देश को तोड़ने का काम करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में साम्प्रदायिक तत्वों को कुचलने का काम हो रहा है। *...(व्यवधान)*

श्री चन्द्रकांत खैरे: साम्प्रदायिक दंगे कौन करवाता है, यह तो आपने देखा है। *...(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन: ये अनावश्यक रूप से टोका-टाकी करेंगे तो कैसे काम चलेगा। उत्तर प्रदेश में साम्प्रदायिक तत्वों को कुचलने का काम हो रहा है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब, कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: दो मिनट में मुझे प्रश्न काल पर आने दीजिए। कृपया मेरे साथ सहयोग कीजिए। यह केवल दो मिनट की बात है। वह इस पर अपना तर्क देना चाहते हैं और यदि मैं उनके तर्क से सहमत हुआ तो मैं इस स्थगन प्रस्ताव को अनुमति दे सकता हूं। अन्यथा, मैं कह सकता हूं कि स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। इसके बाद हम प्रश्न काल शुरू कर सकते हैं। यह सभी के हित में है कि मैं स्थगन प्रस्ताव पर निर्णय लूं।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रकांत खैरे: अध्यक्ष महोदय, आप हमें भी एक मिनट बोलने के लिए इजाजत दीजिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुझे अभी उनको सुनना है।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सभा के सभी पक्षों से अपील करता हूं कि वह इस तरफ से हमारी भावनाओं पर भी कुछ ध्यान दें।

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: 11 साल से ले रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मल्होत्रा जी, आप तो बहुत सीनियर मैम्बर हैं।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी: श्री वी.के. मल्होत्रा, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप हमारी भावनाओं को शांत नहीं कर पाए हैं।

अध्यक्ष महोदय: आप कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित कीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब आप कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

योगी अदित्यनाथ: जो मुद्दा समाप्त हो चुका है, वह मुद्दा ये उठाना चाहते हैं। 11 वर्षों से यहां एक ही मुद्दा गूंज रहा है, ये सदन में क्यों नहीं प्रस्ताव पारित करते हैं? ...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, इनका यही हाल रहा तो ये बोल नहीं पाएंगे। सोमनाथ चटर्जी जैसे सीनियर सदस्य की बात में अनावश्यक रूप से ये व्यवधान डाल रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब बहुत हो गया, आप बैठिये। एक मर्यादा होती है, आप मर्यादा में रहकर काम करिये। प्लीज बैठिये। अभी मैंने उनको बोलने की परमीशन दी है।

श्री रामजीलाल सुमन: उत्तर प्रदेश में साम्प्रदायिक तत्वों को ठीक करने का काम हो रहा है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप सदन का काम चलाना चाहते हैं न, तो आप ऐसी बात मत कीजिए।

[अनुवाद]

कृपया बैठ जाइए। आप सभा में व्यवधान उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। यह वांछनीय नहीं है। कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ: यहां उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर चर्चा होनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने इनको दो मिनट बोलने की इजाजत दी है, दो मिनट में वे अपनी बात पूरी करेंगे। आपके लिए वह अच्छी बात है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: सोमनाथ जी, आप मुझसे बात कीजिए।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी: माननीय अध्यक्ष महोदय, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब कोई महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता है तो यहां

व्यवधान शुरू हो जाता है। इस मुद्दे पर असहमति है और कौन इस बात से इन्कार कर रहा है। क्या इसके कारण मुझे भारत की संसद में कुछ कहने का अधिकार नहीं है? मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूं क्योंकि यहां ऐसा हो रहा है। हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय: कृपया जारी रखिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। अब कोई उनके भाषण में व्यवधान उत्पन्न नहीं करेगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति का उल्लेख करके, जिस पर इस सभा को चर्चा करने का कोई अधिकार नहीं है, इस मामले से ध्यान बंटाने का दुर्भाग्यपूर्ण प्रयास किया जा रहा है। वे इस मुद्दे पर और जटिलताएं पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मौजूदा कानून और व्यवस्था की स्थिति से संबंधित उत्तर प्रदेश के मामले को यहां कैसे उठाया जा सकता है?

हम इस मुद्दे को पुन: क्यों उठा रहे हैं? महोदय, हम 6 दिसम्बर, 1992 की घटनाओं से संबंधित मुद्दे को उठाते रहेंगे, जब तक कि *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप बोलिये, आपको रुकने की जरूरत नहीं है।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, मैं किस तरह बोल सकता हूं। मुझे बार-बार टोका जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय: मैं आपकी बात सुन रहा हूं। कृपया अपनी बात जारी रखिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, हम तब तक 6 दिसम्बर, 1992 की घटनाओं से संबंधित मुद्दे को उठाते रहेंगे जब तक कि हमारे मुताबिक अपराध करने वालों को उचित दण्ड नहीं दिया जाता और कार्यवाही नहीं की जाती। महोदय, हम इसे राष्ट्रीय कलंक का दिन मानते हैं और यह काला दिवस है *...(व्यवधान)*

श्री चन्द्रकांत खैरे: यह राष्ट्रीय कलंक किस तरह से है?

श्री सोमनाथ चटर्जी: माननीय अध्यक्ष महोदय, यह भारत के इतिहास में एक काला दिवस है, जबकि इस देश की गौरवपूर्व परम्परा है *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री श्याम बिहारी मिश्र (बिल्हौर): अध्यक्ष महोदय, आज का दिन भारत के लिए काला दिन नहीं है। *...(व्यवधान)* यह तो भारत के लिए गौरव का दिन है। *...(व्यवधान)* जब बाबरी मस्जिद का ढांचे को गिराया गया। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह ठीक बात नहीं है कि मेरे परमीशन देने के बावजूद भी आप किसी मैम्बर को बोलने न दें। इन्होंने तो अभी दो सेन्टेंसेस भी नहीं कहे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह ठीक नहीं है। आप सब बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

श्री चन्द्रकांत खैरे: अध्यक्ष महोदय, मुझे भी कुछ कहना है। *...(व्यवधान)*

योगी आदित्यनाथ: अध्यक्ष महोदय, सदन के अंदर मात्र एक मुद्दे को उठाया जा रहा है और उस बाबरी मस्जिद के लिए आंसू बहाए जा रहे हैं। *...(व्यवधान)* अगर उनको आंसू बहाने हैं तो अपने-अपने घरों में बैठकर उसे बहायें। *...(व्यवधान)* यहां पर बार-बार उस मुद्दे को उठाकर सदन का बहुमूल्य समय बर्बाद न करें। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी: अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष 6 दिसम्बर को शनिवार है और उस दिन सभा की कार्यवाही नहीं होगी क्योंकि उस दिन अवकाश है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री सोमनाथ चटर्जी जो कुछ कह रहे हैं, केवल वही सदन की कार्यवाही में सम्मिलित किया जाएगा और कुछ नहीं।

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, हमने आपको सूचना दी थी। हमने सभा के स्थगन संबंधी प्रस्ताव की सूचना दी थी क्योंकि आज कार्यदिवस है और कल अवकाश होगा।

जैसा कि मैंने कहा, इस सभा का एक बहुत बड़ा वर्ग इसे काला दिवस मानता है और यह एक राष्ट्रीय शर्म *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री चन्द्रकांत खैरे: वह ब्लैक डे कैसे हो सकता है? वह तो भगवा दिन है। ...*(व्यवधान)*

योगी आदित्यनाथ: 6 दिसम्बर का दिन भारत के लिए गौरव का प्रतीक है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी: मैं अपने इन मित्रों को हिन्दुत्व का एकमात्र संरक्षक नहीं मानता। विश्व में हिन्दुत्व के बहुत से अनुयायी हैं। हम हिन्दुओं के विरुद्ध नहीं हैं। हम हिन्दुत्व और 'जय श्री राम' के विरुद्ध भी नहीं हैं। ये क्या बात कर रहे हैं? क्या देश के प्रत्येक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करने का एकाधिकार इन्हीं के पास है?

महोदय, ये जिसे 'विवादित ढांचा' कहते हैं और हम उसे 'बाबरी मस्जिद' कहते हैं अपने आप नहीं गिरी थी। इसे पूर्व नियोजित ढंग से ढहाया गया था। इसके लिए षड्यंत्र किया गया था और लोग वहां एकत्रित हुए थे।

हम 6 दिसम्बर, 1992 को किये गए इस धर्मविरोधी कार्य की निन्दा करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय: श्री सोमनाथ चटर्जी, प्रश्न केवल यह है कि क्या यह मामला स्थगन प्रस्ताव का है।

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, मैं नहीं समझता कि इस देश की राजनीति में कटुता उत्पन्न करने वाला कोई अन्य गम्भीर मुद्दा है?

अध्यक्ष महोदय: इस संबंध में हाल ही में क्या कुछ हुआ है?

श्री सोमनाथ चटर्जी: इसके लिए किसी को भी सजा नहीं मिली है। उनके गुणगान किये जा रहे हैं। उनकी प्रशंसा की जा रही है। आज, सत्तापक्ष के लोग उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं।

हम सभा से इस मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव लेने का आग्रह करते हैं और आज कोई अन्य कार्य नहीं लिया जाना चाहिये।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: दासमुंशी जी, आप जरा ब्रीफ में बोलिये।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: खैरे जी, आप बहुत डिसिप्लिन्ड व्यक्ति हैं। अध्यक्ष महोदय ने मुझे पहले बोलने के लिए कहा है *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय, जो कुछ श्री सोमनाथ चटर्जी ने कहा, हम उससे पूरी तरह सहमत हैं। हाल ही की घटनाओं में—बाबरी मस्जिद के ढहाने की जिन लोगों ने प्रेरणा दी या जिन्होंने उसमें भाग लिया उन दोषियों के विरुद्ध जो मुकदमा चल रहा था—के मामले में सी.बी.आई. ने किस तरह दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की। एक मामले में बरी किये जाने के संबंध में सी.बी.आई. उच्च न्यायालय गयी है किन्तु एक अन्य मामले में, जहां दोषी को रायबरेली न्यायालय द्वारा बरी कर दिया गया था, उस मामले में सी.बी.आई. अपने मामले के बचाव में अभी उच्च न्यायालय में नहीं गयी है। इस तरह जानबूझकर के इस पूरे मामले को कमजोर बनाने की कोशिश और दोषियों को बचाने में लगे हैं। यह हाल ही में हुआ है और इसी कारण से हम चाहते हैं कि स्थगन प्रस्ताव की यह सूचना स्वीकृत की जाए।

सी.बी.आई. द्वारा अपने साथियों को बरी कराने के उद्देश्य से इनके द्वारा की जा रही इस जोड़-तोड़ की हम निन्दा करते हैं जिससे सी.बी.आई. को शर्मनाक स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। पहले, सी.बी.आई. को 'सेन्ट्रल ब्यूरो आफ इनवेस्टीगेशन' के रूप में जाना जाता था लेकिन अब उसे 'क्लियर बिफोर इन्वेस्टीगेशन' के रूप में जाना जाता है।

अध्यक्ष महोदय: मैंने स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं को अस्वीकृत किया है। कृपया आप बैठ जाइये। मैंने आपकी बात सुनी और स्थगन प्रस्ताव की सूचना को अस्वीकृत कर दिया है। अब हम प्रश्न काल शुरू करते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैंने निश्चय किया है कि हाल ही में इस संबंध में कुछ नहीं हुआ है और इसीलिए मैंने स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकृत किया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैंने निश्चय कर लिया है और इस पर पहले ही विनिर्णय दिया जा चुका है।

अब, प्रश्नकाल लिया जाए, श्री रामशेठ ठाकुर।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: रामशेठ ठाकुर जी, आप प्रश्न पूछिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इस मुद्दे के महत्व को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ सदस्यों को बोलने की अनुमति दी थी। हर सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

...(व्यवधान)

श्री जी.एम. बनातवाला: महोदय, कृपया अपने निर्णय पर पुन: विचार करें *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, बाबरी मस्जिद को ढहाए जाने के विरोध में हम सदन से बहिर्गमन *...(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.25 बजे

(इस समय, श्री प्रियरंजन दासमुंशी, श्री सोमनाथ चटर्जी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गये)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, हम भी वाक आउट करते हैं *...(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.26 बजे

(इस समय, श्री रामजीलाल सुमन और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए)

[हिन्दी]

श्री रामशेठ ठाकुर (कुलाबा): अध्यक्ष महोदय, जैसा कि हम सब जानते हैं *...(व्यवधान)*

श्री चन्द्रकांत खैरे: अध्यक्ष महोदय, हमें भी बोलना है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप इस विषय पर बोलना चाहते हैं।

श्री चन्द्रकांत खैरे: जी हां।

अध्यक्ष महोदय: मैंने इस विषय पर सबको बोलने की परमीशन नहीं दी है। मैं सबको परमीशन कैसे दे सकता हूं? 10-15 मिनट के लिए तो ठीक है लेकिन अब मुझे क्वश्चन आवर भी लेना है। प्लीज बैठिए।

...(व्यवधान)

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): 6 दिसम्बर का दिन देश के माथे पर काला इतिहास है। *...(व्यवधान)* यह दिन इतिहास में कलंक है। *...(व्यवधान)* हम दुनिया में सैकुलरिज्म का झंडा लहराते थे। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: रामशेठ जी, आप अपना प्रश्न पूछिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: इसके बाद रघुवंश जी जो कहेंगे, वह रिकार्ड में नहीं जाएगा।

पूर्वाह्न 11.27 बजे

(इस समय, डा. रघुवंश प्रसाद सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।)

अध्यक्ष महोदय: आप प्रश्न पूछिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम): महोदय, उन्होंने इस मुद्दे पर सभा से बहिर्गमन किया है। उन्हें सभा में इस मुद्दे को फिर से उठाने की आवश्यकता नहीं है। कृपया आप सदस्यों को बारी-बारी से इस मुद्दे पर बोलने की अनुमति दें और यह मुद्दा निपट जाएगा।

अध्यक्ष महोदय: क्या आप मुझे बता सकते हैं मैं किस नियम के अधीन उन्हें बोलने की अनुमति दूं।

श्री के. येरननायडू: उन्होंने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी और आपने उन्हें अपने मुद्दे उठाने की अनुमति दी थी।

अध्यक्ष महोदय: अगर वे चाहें तो व्यवस्था का प्रश्न उठा सकते हैं।

श्री के. येरननायडू: इस मुद्दे पर प्रत्येक राजनीतिक दल को अपने विचार व्यक्त करने चाहिये।

अध्यक्ष महोदय: इस पर किसी बहस की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर उनका व्यवस्था का कोई प्रश्न है तो मैं उसे उठाने की अनुमति देता हूं।

[हिन्दी]

क्या आपका प्वाइंट आफ आर्डर है?

श्री चन्द्रकांत खैरे: ये लोग राम मंदिर के बारे में राजनीति करते हैं। अयोध्या में प्रभु रामचन्द्र जी का मंदिर नहीं होगा तो कहां होगा। शिवसेना ने भी 11 अक्टूबर को बहुत बड़ा रामभक्त सम्मेलन किया था। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपका प्वाइंट आफ आर्डर क्या है?

श्री चन्द्रकांत खैरे: जो लोग राम मंदिर का मुद्दा उठाते हैं, हम कहना चाहते हैं कि राम मंदिर का निर्माण हो जाए ताकि इनकी सारी राजनीति खत्म हो जाए। ...*(व्यवधान)*

श्री अनंत गुढे: अध्यक्ष जी, मुझे भी कुछ कहना है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: गुढे जी, प्लीज बैठिए।

[अनुवाद]

श्री के. येरननायडू: महोदय, कृपया मुझे एक मिनट के लिए बोलने का समय दें।

अध्यक्ष महोदय: जब तक कि आपका कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

श्री के. येरननायडू: महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है। यह मामला उच्चतम न्यायालय में लम्बित है। इसे हर बार सदन में उठाये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप प्रश्न पूछिए।

[अनुवाद]

इस व्यवस्था के प्रश्न में कोई तथ्य नहीं है।

श्री के. येरननायडू: तेलगु देशम पार्टी न्यायालय के निर्णय का पालन करेगी। इस बीच यदि दोनों पक्ष आमने-सामने बैठकर मामले को सुलझा लेते हैं तो हर कोई इसकी प्रशंसा करेगा। अन्यथा हमें न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करनी होगी। यह मामला पूरी तरह न्याय-निर्णयाधीन है। अत: इसे सदन में उठाने का कोई अधिकार नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: हमने पहले ही प्रश्न काल शुरू कर दिया है?

श्री रामशेठ ठाकुर

पूर्वाह्न 11.29 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

कान्कुन में विश्व व्यापार संगठन की बैठक

*61. **श्री रामशेठ ठाकुर:**
श्री सुनील खां:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सितम्बर, 2003 में कान्कुन, मेक्सिको में आयोजित विश्व व्यापार संगठन की पांचवीं मंत्रीस्तरीय बैठक, बिना किसी सार्थक निर्णय के समाप्त हो गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) विकसित देशों और भारत के नेतृत्व में विकासशील देशों द्वारा चर्चा के लिए रखे गए मुद्दों का पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है;

(घ) विकसित देशों के विकासशील देशों के मुद्दों पर रखे और विकासशील देशों के विकसित देशों के मुद्दों पर क्या विचार थे;

(ङ) क्या चीन और अन्य विकासशील देशों ने कृषि और औषधियों के सस्ते आयात से संबंधित मुद्दों पर भारत के विचारों का पूरी तरह से समर्थन किया है;

(च) यदि हां, तो बैठक के कुल मिलाकर क्या परिणाम निकले; और

(छ) निर्धन देशों के हितों की रक्षा के संबंध में चीन सहित भारत और अन्य विकासशील देशों की अगली प्रतिक्रिया क्या है?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (छ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (छ) विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) का पांचवां मंत्रीस्तरीय सम्मेलन 10-14 सितम्बर, 2003 के दौरान कान्कुन, मैक्सिको में आयोजित किया गया था ताकि दोहा कार्यक्रम के अंतर्गत वार्ताओं में हुई प्रगति का जायजा लिया जा सके, आवश्यक राजनीतिक मार्गदर्शन प्रदान किया जा सके और यथाआवश्यक निर्णय लिए जा सकें। पांचवें मंत्रीस्तरीय सम्मेलन में स्पष्ट आम सहमति द्वारा चारों सिंगापुर मुद्दों अर्थात् व्यापार एवं निवेश; व्यापार एवं प्रतिस्पर्धा नीति, सरकारी खरीद में पारदर्शिता, और व्यापार सुविधा पर वार्ताओं के तौर-तरीकों के बारे में एक निर्णय लेना अपेक्षित था। सदस्यों के बीच भारी मतभेदों को ध्यान में रखते हुए उक्त सम्मेलन आवश्यक निर्णयों के बिना ही समाप्त हो गया।

अध्यक्ष, महापरिषद् तथा महानिदेशक, डब्ल्यूटीओ द्वारा अपनी खुद की जिम्मेवारी पर मंत्रिस्तरीय सम्मेलन को मंत्रिस्तरीय घोषणा-पत्र का एक मसौदा प्रस्तुत किया गया था। मंत्रीस्तरीय घोषणा-पत्र के इस मसौदे में अनेक देशों के विचारों को पर्याप्त रूप से दर्शाया नहीं गया था।

13 सितम्बर, 2003 को मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के अध्यक्ष ने घोषणा-पत्र का एक मसौदा प्रस्तुत किया जिसमें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के परिणाम के बारे में सदस्यों की आशाओं का पर्याप्त संतुलन उपलब्ध नहीं था।

कृषि के क्षेत्र में विकसित देशों की नीतियों के परिणामस्वरूप विकृतियों में सुधार करना एक प्रमुख मांग थी। ऐसी विकृतियों को दूर करने का प्रभाव पश्चतम होगा और इसलिए विकासशील देश बाजार पहुंच में महत्वपूर्ण परिवर्तनों की अपेक्षा करते थे। विकासशील देशों ने आयातों में वृद्धि के कुप्रभावों से निपटने और कुछेक ऐसे उत्पादों को विशेष उत्पादों के रूप में निर्दिष्ट करने, जिन पर टैरिफ में न्यून कमी लागू की जा सकेगी, के लिए विशेष रक्षोपाय तंत्र की ही अपेक्षा की थी।

सिंगापुर मुद्दों के संबंध में विकासशील देशों का दृष्टिकोण लिए जाने वाले दायित्वों के स्वरूप और उसकी मात्रा के बारे में स्पष्ट नहीं था। अत: विकासशील देशों ने यह महसूस किया कि इन मुद्दों पर स्पष्टीकरण की प्रक्रिया जारी रखनी होगी और उसे पूरा करना होगा। इसमें से कुछेक मुद्दों की परिणति विकासशील देशों के लिए विकास के मुद्दे पर पर्याप्त नीति की मनाही के रूप में हो सकती हैं।

जहां तक कार्यान्वयन के मुद्दों और विशेष/अलग प्रकार के व्यवहार के मुद्दों का संबंध है, शीघ्र समाधान हेतु विकासशील देशों की चिंताओं का पर्याप्त निवारण नहीं किया गया था। कपास से संबंधित मुद्दे के बारे में विकसित देशों ने ऐसी विकृतियों को दूर करने के बारे में कुछेक सदस्यों द्वारा सुझाई गई विशिष्ट कार्रवाई से ध्यान बांटने की मांग की जो मानव निर्मित फाइबर तथा वस्त्रों से संबंधित मुद्दों को शामिल करके कपास के व्यापार में विद्यमान हैं।

उन देशों के लिए औषधियों के प्रावधान से संबंधित मुद्दे के बारे में, जिनके पास ऐसी औषधियों के उत्पादन हेतु पर्याप्त विनिर्माण क्षमता नहीं है, जेनेवा स्थित डब्ल्यूटीओ की महापरिषद् ने 30 अगस्त, 2003 को एक निर्णय पारित करके इस मामले को निपटा दिया था।

ब्राजील, भारत, अर्जेंटीना, चीन और दक्षिण अफ्रीका की पहल पर 20 देशों के एक समूह का गठन किया गया था ताकि वे अमरीका और ईसी द्वारा विकासशील देशों से अधिक बाजार पहुंच की मांग करते हुए कृषि व्यापार प्रणाली में विकृति जारी रखने के प्रयास के प्रति असंतोष व्यक्त कर सकें। 16 देशों का एक अन्य समूह गठित किया गया था ताकि सिंगापुर मुद्दों पर विकासशील देशों की चिंताओं को उजागर किया जा सके। चीन इस 16 सदस्यीय समूह का एक भाग है।

उक्त मंत्रिस्तरीय सम्मेलन इस बात को स्वीकार करते हुए 14 सितम्बर, 2003 को समाप्त हो गया कि दोहा अधिदेश के तहत वार्ताओं के समापन की दिशा में कार्रवाई करने के लिए डब्ल्यूटीओ सदस्य देशों को समर्थ बनाने के प्रयोजनार्थ कुछेक प्रमुख क्षेत्रों में और अधिक कार्य करने की जरूरत है। महापरिषद् के घनिष्ठ समन्वय से डब्ल्यूटीओ की महापरिषद के अध्यक्ष से कहा गया है कि वे बकाया मुद्दों पर कार्य का समन्वय करें और 15 दिसम्बर, 2003 से पूर्व वरिष्ठ अधिकारी स्तर पर महापरिषद की एक बैठक बुलाएं ताकि वार्ताओं को सफलतापूर्वक एवं समय पर संपन्न किया जा सके।

भारत ने हमेशा ही नियम आधारित एवं निष्पक्ष बहु-पक्षीय व्यापार प्रणाली के सुचारू संचालन का समर्थन किया है। साथ ही साथ हम इस बात पर भी जोर देते आ रहे हैं कि यदि और अधिक प्रगति की आशा करनी है तो सभी डब्ल्यूटीओ सदस्यों को बहु-पक्षीय प्रक्रिया पुन: शुरू करने के प्रति वास्तविक प्रतिबद्धता प्रदर्शित करनी चाहिए। अनेक विकासशील देशों तथा अल्प विकसित देशों की चिंताओं को ध्यान में रखना होगा तथा दोहा अधिदेश में परिकल्पित ''विकास'' आयाम को वास्तविक रूप में बरकरार रखना होगा। कृषि डब्ल्यूटीओ में चल रही वार्ताओं में एक प्रमुख मुद्दा रहा है और यह महत्वपूर्ण है कि वार्ताएं इस ढंग से समाप्त की जाएं जिनसे न केवल संवर्धित बाजार पहुंच प्राप्त हो अपितु कृषि उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में व्याप्त विकृतियों एवं असमानताएं भी समाप्त हो जाएं। हमारे विचार से इसे विकासशील देशों की संवेदनशीलताओं की उपेक्षा किए बिना निर्णय लेने की ऐसी प्रक्रिया के जरिए प्राप्त किया जा सकता है जो पारदर्शी एवं समावेशी दोनों प्रकार की हो। इस संबंध में चीन सहित अनेक विकासशील देश हमारे दृष्टिकोण का समर्थन कर रहे हैं।

श्री रामशेठ ठाकुर: मेरा सवाल कानकुन परिषद के बारे में है। सीपीआई के साथ होने के कारण हमें भी जाना था लेकिन यह सवाल पूरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब जानते हैं कि डैवलपिंग कंट्रीज और डैवलप्ड कंट्रीज के बीच के गतिरोध

के कारण जो कानकुन मंत्री परिषद की बैठक हुई थी, वह बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई। यह बहुत खेद की बात है कि इतनी महत्वपूर्ण बैठक, जो डब्ल्यूटीओ के बारे में थी, वह ऐसी ही खत्म हो गई। डैवलप्ड कंट्रीज बहुत मनमानी कर रहे हैं। उनकी गलत नीतियों का शिकार डैवलपिंग कंट्रीज हो रही हैं। डैवलपिंग कंट्रीज बहुत असुरक्षित महसूस कर रही हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप प्रश्न पूछिए।

श्री रामशेठ ठाकुर: सवाल ऐसा है कि हमारे देश में कृषि क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है और कृषि क्षेत्र के लिए हम जो सब्सिडी देते हैं, डैवलपिंग कंट्रीज ज्यादा सब्सिडी देकर हम लोगों को सब्सिडी नहीं देनी चाहिए, ऐसा करके हम लोगों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। विश्व बाजार में हर तरह से डैवलपिंग कंट्रीज कैसे नहीं आएंगे, उनका माल कैसे नहीं पहुंचेगा, यह देखा जाता है। इसके कारण छोटे-मोटे किसान, उद्योग-धंधे करने वाले जो कारखानेदार हैं, उनको बड़ी दिक्कत आती है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि यह सब होते हुए डब्ल्यू.टी.ओ. के अध्यक्ष जो एजेंडा बनाते हैं, वे जो मसौदा बनाते हैं, उसमें डब्ल्यू.टी.ओ. में जो विकसित देश हैं, उनकी दादागिरी चलती है और उसके लिए हमारे मंत्री महोदय ने, हमारी भारत सरकार ने इसके बारे में इस बैठक में क्या यह सवाल उठाया कि आप जो चाहते हैं, वैसा ही नहीं होगा बल्कि विकासशील देशों के महत्व को और कृषि क्षेत्र को ज्यादा महत्व दिया जाएगा। दूसरी बात, इसके लिए 15 दिसम्बर तक ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: राम शेठ जी, आप प्रश्न क्यों नहीं पूछते हैं?

श्री रामशेठ ठाकुर: मैं यह जानना चाहता हूं कि भारत सरकार ने इसके बारे में वहां क्या सवाल उठाया? यह जो दबाव उनके ऊपर है, वह दूर करने के लिए भारत सरकार ने क्या-क्या सवाल उठाए और भाग 'बी' मेरा यह है कि 15 दिसम्बर, 2000 तक डब्ल्यू.टी.ओ. की महापरिषद ने जो वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक बुलाने का तय किया था जिसके तहत अधिवेशन के तहत जो वार्ताएं हुई थीं, उनको सफल बनाने के लिए, उचित कार्य करने के लिए बताया था। मैं यह जानना चाहता हूं कि 15 दिसम्बर तक होने वाली बैठक हुई या नहीं हुई और अगर हुई होगी तो उस बैठक में भारत सरकार ने क्या-क्या विषय जो हमारे देश के चिंताजनक विषय हैं, उनके ऊपर क्या-क्या चर्चा की और अगर नहीं हुई तो कब तक होने का विचार है?

अध्यक्ष महोदय: बाकी प्रश्न सप्लीमेंट्री में पूछिएगा।

श्री अरुण जेटली: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बधाई दूंगा कि उन्होंने इसे जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कहा कि देश के हित में इसकी चर्चा चाहिए और उसके लिए राजनैतिक दोस्ती से अपने आपको अलग कर लिया। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: क्योंकि वह मेरे जिले के हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री अरुण जेटली: जो माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछे हैं, उसके कई पहलू हैं। पहला पहलू उन्होंने यह कहा कि जो विकसित देश हैं, वे भारत के ऊपर सब्सिडी समाप्त करने और कृषि के क्षेत्र में दबाव डालते हैं। मैं यह स्पष्ट कर दूं कि किसी देश का भारत के ऊपर सब्सिडी को कम करने का या समाप्त करने का कोई दबाव नहीं है। जो सब्सिडी है, वह मूलत: दो प्रकार की होती है। एक को डौमैस्टिक सपोर्ट सब्सिडी हम कहते हैं कि जो विकसित देश अपने किसानों को देते हैं। दूसरी एक्सपोर्ट के ऊपर सब्सिडी देते हैं जो क्षमता के साथ जुड़ी हुई है। इन दोनों सब्सिडी में से भारत ये दोनों प्रकार की सब्सिडी नहीं देता है। इन दोनों सब्सिडी की वजह से कृषि का बाजार अपने आप में विकृत हो जाएगा जिसकी वजह से उसका प्रभाव हमारे किसानों के ऊपर पड़ता है। उसी को मद्देनजर रखते हुए भारत ने अन्य विकासशील देशों से बात करके, उसमें पहले करके 21 देशों का एक ऐसा ग्रुप बनाया था जिसको जी-21 के नाम से चर्चा होती रही है। उस ग्रुप ने इस सब्सिडी को कम करना और अंत में जाकर समाप्त करना इसके लिए बहुत बड़ा प्रयास कानकुन के अंदर किया था और उस ग्रुप को दुबारा 12 दिसम्बर को एक बार फिर ब्राजील के अंदर बैठक होने वाली है और उसके बाद जहां तक इंफार्मल बातचीत का सवाल है, अधिकारियों और सरकार के स्तर पर वह बातचीत चल रही है और 15 दिसम्बर को अधिकारी स्तर पर बातचीत जेनेवा के अंदर दुबारा होने वाली है। जहां तक जो सब्सिडी हम देते हैं, यह सब्सिडी डब्ल्यूटीओ की परिभाषा में दि-मिनिमम सब्सिडी के क्षेत्र में आती है। उसमें विकासशील देशों को दस फीसदी तक सब्सिडी देने का अधिकार है और जितनी सब्सिडी हम देते हैं, वह उस सीमा के भीतर है और वह परमिसिबल रहती है और उसे समाप्त करने की कहीं पर भी बातचीत नहीं आई है। हमारी आर्थिक क्षमता के ऊपर निर्भर करता है कि हम पूरी दे पाएं या केवल अधूरी दे पाएं, उसका डब्ल्यू.टी.ओ. या किसी देश से कोई संबंध नहीं है। उसका संबंध प्रत्यक्ष रूप से हमारी अपनी आर्थिक क्षमता के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है।

श्री रामशेठ ठाकुर: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी इसमें ठीक तरह से पार्ट निभा रहे हैं। फिर डब्ल्यूटीओ का एजेंडा जो तैयार किया जाता है और भारत सरकार की तरफ से उसमें जो सुझाव सुझाए जाते हैं या जो सुझाव एजेंडा के लिए भेजे जाते हैं, उसके पहले हमारे देश की जो राज्य सरकारें हैं उनकी राय लेना जरूरी था। हमारे देश में अलग-अलग राजकीय पार्टियां हैं और किसान भी छोटे-छोटे उद्योग-धंधे वाले हैं, उनकी सोच को जानना जरूरी था क्योंकि कृषि का क्षेत्र इससे प्रभावित होता है। अलग-अलग राज्यों में गेहूं, चावल या धान का उत्पादन होता है। इसलिए किसान अगर सुझाव दें तो अच्छा रहता—ऐसा मुझे लगता है। इसलिए उनके सुझाव ज्यादा जरूरी हैं। क्या सरकार ने उनके सुझाव लिये हैं? अगर लिये हैं तो अच्छा है अगर नहीं लिये तो क्यों नहीं लिये? आगे जो बैठक होनी है उससे पहले क्या माननीय मंत्री जी विभिन्न राजकीय पार्टियों से सुझाव मंगवायेंगे या उनके साथ डिस्कशन करेंगे? माननीय मंत्री जी की उस बारे में क्या नीति है, स्पष्ट करें?

श्री अरुण जेटली: अध्यक्ष जी, जब कभी मंत्री-स्तरीय सम्मेलन होता है या जब कभी ये विषय चर्चा के लिए आते हैं तो एजेंडा हमें ही तय करना नहीं होता। डब्ल्यूटीओ का एजेंडा सामूहिक रूप से सब देश मिलकर तय करते हैं। उसका सचिवालय उसमें एक रोल निभाता है। उसमें भारत का स्टेंड क्या होना चाहिए, हमारी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए, वहां जाकर हम उस स्टेंड को लेते हैं। उससे पूर्व जितने भी भारत के अंदर स्टेक-होल्डर्स हैं, उनसे बातचीत की जाती है, केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों से बातचीत की जाती है, जिनका उन विषयों के साथ संबंध रहता है। साथ ही राज्य सरकारों के सुझाव मंगवाए जाते हैं। इस बार कानकुन सम्मेलन से पहले हर एक राजनैतिक दल से, हर एक ट्रेड-यूनियन से, किसानों के संगठनों से, एनजीओज से तथा अर्थशास्त्रियों की अलग-अलग बैठकें बुलाकर, सबके साथ विस्तृत रूप से चर्चा करके और सबके सुझाव लेने के बाद, हम लोग वहां जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय: श्री सुनील खां जी नहीं हैं। श्री ए.सी. जोस।

[अनुवाद]

श्री ए.सी. जोस: यहां कृषि के बारे में बहुत कुछ बोला जाता है। मैं केरल से आता हूं। हमारी कृषि से संबंधित समस्याएं कुछ अलग हैं। हम रबड़ के मुख्य उत्पादक हैं। दुर्भाग्यवश रबड़ को एक कृषि उत्पाद नहीं समझा जाता और इसलिए वह इस क्षेत्र से बाहर है। हम सभी नकदी फसलें उगाते हैं। हम मसाले आदि भी उगाते हैं। हम सभी निर्यात-गुणवत्ता वाली सामग्री का उत्पादन करते हैं, पारंपरिक रूप से, बहुत पुराने समय से ही विभिन्न देशों को इनका निर्यात होता रहा है। विश्व व्यापार संगठन में चर्चा के दौरान भारत सरकार या उनके मंत्री ने मसालों, रबड़, नारियल आदि के निर्यात की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया है। इसके अतिरिक्त हमने श्रीलंका को बहुत सी रियायतें दी हैं। विभिन्न प्रकार की सामग्री, विभिन्न देशों से श्रीलंका आ रही है और वहां से शून्य शुल्क पर वह सामग्री भारत लाई जाती है, उदाहरण के लिए, लौंग और काली मिर्च के कारण गंभीर समस्या पैदा हो गई है और इसके परिणामस्वरूप हमारी सभी नकदी फसलों में हानि हो रही है।

मेरा माननीय मंत्री जी से यह प्रश्न है कि जहां तक विश्व व्यापार संगठन का संबंध है, क्या मंत्री महोदय रबड़ को कृषि क्षेत्र में लाने और इसे एक कृषि उत्पाद घोषित करने हेतु अधिक गंभीर होंगे? मंत्री महोदय, इलायची, काली मिर्च, लौंग, नारियल आदि सहित अन्य मसालों पर अलग-अलग विचार कर सकते हैं और इन वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु सौदेबाजी करने का प्रयास कर सकते हैं।

श्री अरुण जेटली: माननीय संसद सदस्य के पास भारत सरकार का इन मामलों में गंभीर होने पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है। जहां तक रबड़ का संबंध है, मैं इस तथ्य के प्रति बहुत सतर्क हूं कि केरल की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा इनके बागानों पर निर्भर है और यह मुद्दा हमारी जानकारी में है। इसके बारे में विभिन्न कदम उठाए गए हैं। जब भी चर्चा होती है तो विश्व व्यापार संगठन के समक्ष हमारे बागान मालिकों की चिंताओं को समुचित रूप से प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन मैं माननीय संसद सदस्य को बता दूं कि आज, जहां तक विशेष रूप से रबड़ का संबंध है, रबड़ के बाजार में बहुत विकास हुआ है जिसके परिणामस्वरूप हमारे रबड़ के मूल्य भी बहुत बेहतर हो गए हैं।

श्री ए.सी. जोस: इसे कृषि उत्पाद घोषित किए जाने के बारे में क्या कहना है?

श्री अरुण जेटली: इन मामलों को लिया जा रहा है। लेकिन ये निर्णय बहुपक्षीय स्तर पर लिए जाते हैं न कि भारत सरकार के स्तर पर। भारत सरकार इन मामलों पर अपनी चिंता व्यक्त करती है।

माननीय संसद सदस्य ने अन्य उत्पादों का उल्लेख किया है और यह भी कहा है कि कुछ उत्पादों का निर्यात हो रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में मैं यह बता दूं कि हमारा श्रीलंका के साथ मुक्त व्यापार समझौता है और श्रीलंका के साथ मुक्त व्यापार समझौता होने के बाद, जहां तक भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय व्यापार का संबंध है, उसमें भारी वृद्धि हुई है। यदि वह व्यापार की अत्यधिक मात्रा पर गौर कर रहे हैं तो श्रीलंका को हमारा निर्यात उनसे किए गए आयात से कई गुणा अधिक है। इसलिए, यदि द्विपक्षीय व्यापार में यदि बहुत सी वस्तुओं के मामले में हम लाभ की स्थिति में हैं तो हमारा द्विपक्षीय साझीदार भी कुछ वस्तुओं के मामले में लाभ की स्थिति में होगा। द्विपक्षीय व्यापार की यही प्रक्रिया है और माननीय संसद सदस्य इसे समझेंगे।

उपभोक्ता विवाद निवारण

*62. **श्री गंता श्रीनिवास राव:**
श्री अधीर चौधरी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उपभोक्ता विवादों के शीघ्र और आसान निवारण के लिए एक समिति गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या शीघ्र कार्रवाई न होने के कारण उपभोक्ता विवादों का निपटान कई वर्षों तक नहीं होता है;

(घ) यदि हां, तो राज्य-वार ऐसे कितने मामले हैं जो पिछले 3 वर्षों, 5 वर्षों और 10 वर्षों से भी अधिक समय से उपभोक्ता अदालतों में लंबित हैं; और

(ङ) ऐसे विवादों के कम समय में निपटान के लिए गठित समिति किस हद तक सफल होगी?

[हिन्दी]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) से (ङ) सरकार के पास उपभोक्ता विवादों के प्रतितोष के लिए न्यायिक शक्तियां देकर समिति गठित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, उपभोक्ता विवादों के तुरंत और सरल प्रतितोष के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर एक अर्धन्यायिक उपभोक्ता विवाद प्रतितोष तंत्र पहले ही स्थापित किया जा चुका है। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग जो अधिनियम की धारा 24(ख) के तहत मामलों के संस्थापन, निपटान और निलंबन की स्थिति की जानकारी करता है, ने सूचित किया है कि उपभोक्ता विवाद प्रतितोष एजेंसियों में उनके स्थापना काल से 21,65,510 मामले दायर किए जा चुके हैं जिनमें से 18,05,465 मामले (83.37%) उनके द्वारा पहले ही निपटाए जा चुके हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग से प्राप्त तीन वर्ष पांच वर्ष और दस वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों के अवधि-वार और राज्य-वार ब्यौरे अनुबंध के रूप में संलग्न हैं। यह उल्लेखनीय है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 को हाल ही में उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2002 के जरिए व्यापक रूप से संशोधित किया गया है जिसको 15 मार्च, 2003 से लागू किया जा चुका है। इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष एजेंसियों द्वारा शिकायतों के निपटान को सुकर बनाना, पतितोष एजेंसियों की क्षमता में वृद्धि करना, उनको अधिक शक्तियां देकर, मजबूत बनाना, उनके आदेशों को तेजी से लागू करना, प्रक्रिया को सरल बनाना तथा अधिनियम को अधिक कार्यात्मक और प्रभावशाली बनाने के लिए उसके कार्यक्षेत्र का विस्तार करना है। शिकायतों/अपीलों के तुरंत निपटान को सुकर बनाने के लिए किए गए कुछ महत्वपूर्ण संशोधनों में निम्नलिखित व्यवस्था भी शामिल है:-

1. राष्ट्रीय आयोग और राज्य आयोगों की अतिरिक्त पीठें सृजित करना तथा उनमें अतिरिक्त सदस्य नियुक्त करना;

2. राज्य आयोगों तथा राष्ट्रीय आयोग द्वारा सर्किट पीठें आयोजित करना;

3. शिकायतों को स्वीकार करने, नोटिस जारी करने तथा शिकायतों के साथ-साथ अपीलों के निपटान के लिए समय-सीमा निर्धारित करना;

4. बार-बार किए जाने वाले स्थगनों को टालने के लिए स्थगनों के लिए पैरामीटर निर्धारित करना;

5. सभी तीन स्तरों पर उपभोक्ता मंचों के वित्तीय कार्य क्षेत्र में पर्याप्त वृद्धि करना; और

6. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में वरिष्ठतम सदस्य को मंच की अध्यक्षता करने की शक्तियां प्रदान करना।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में संशोधन के अलावा केन्द्र सरकार उपभोक्ता मंचों के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए अनेक कदम उठाती रही है। कुछ महत्वपूर्ण कदम इस प्रकार हैं:-

1. उपभोक्ता मंचों के आधार-ढांचे को मजबूत बनाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को संबल प्रदान करने हेतु 1995-99 के दौरान उनको एकबारगी अनुदान के रूप में 61.80 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई;

2. उपभोक्ता मंचों के कार्यनिष्पादन की केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की बैठकों तथा राज्यों और उपभोक्ता मंचों के साथ आयोजित अन्य समीक्षा बैठकों में समय-समय पर समीक्षा की जाती है;

3. उपभोक्ता मंचों के सदस्यों/अध्यक्षों की कार्यकुशलता में वृद्धि करने के लिए भारतीय लोक प्रशासन संस्थान में उनको प्रशिक्षण दिया जाता है; और

4. 24.9.2003 को राष्ट्रीय आयोग की अतिरिक्त पीठ स्थापित की गई जिसके लिए आवश्यक कर्मचारीवृन्द की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा, राष्ट्रीय आयोग के प्रभावी कार्यकरण के लिए तथा आयोग को उपभोक्ता मंचों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखने में सक्षम बनाने के लिए भी अतिरिक्त जनशक्ति प्रदान की गई है।

अनुबंध

31.10.2003 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग और जिला मंचों में 3-5 वर्षों, 5-10 वर्षों और 10 वर्ष के अधिक समय से लम्बित मामलों को दर्शाने वाला विवरण

	3-5 वर्ष तक लम्बित मामले	5-10 वर्ष तक लम्बित मामले	10 वर्ष से अधिक समय से लम्बित मामले
राष्ट्रीय आयोग	3108	1237	8*

टिप्पणी: चार मामले माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा वापस भेज दिए गए, दो मामलों को माननीय उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय द्वारा अनिश्चितकाल तक स्थगित कर दिया और दो मामले स्टे के कारण उच्च न्यायालय में लम्बित थे और वे अब स्टे निरस्त हो जाने के बाद राष्ट्रीय आयोग के समक्ष हैं।

राज्य आयोग

क्र. सं.	राज्य का नाम	3-5 वर्ष तक लम्बित मामले	5-10 वर्ष तक लम्बित मामले	10 वर्ष से अधिक समय से लम्बित मामले	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	86	0	0	
2.	अरुणाचल प्रदेश	2	1	0	
3.	असम	486	309	30	
4.	बिहार	2958	748	5	
5.	छत्तीसगढ़	392	0	0	
6.	गोवा	268	4	0	
7.	गुजरात	3330	362	0	
8.	हरियाणा	1058	48	0	
9.	हिमाचल प्रदेश	23	0	0	
10.	जम्मू और कश्मीर	–	–	–	सूचना की प्रतीक्षा है
11.	झारखण्ड	0	0	0	
12.	कर्नाटक	236	75	0	
13.	केरल	1024	10	0	
14.	मध्य प्रदेश	632	36	0	
15.	महाराष्ट्र	3183	1208	1	
16.	मणिपुर	–	–	–	सूचना की प्रतीक्षा है
17.	मेघालय	2	4	0	

1	2	3	4	5	6
18.	मिजोरम	–	–	–	सूचना की प्रतीक्षा है
19.	नागालैंड	–	–	–	सूचना की प्रतीक्षा है
20.	उड़ीसा	1331	1546	0	
21.	पंजाब	230	0	0	
22.	राजस्थान	2375	5187	0	
23.	सिक्किम	0	0	0	
24.	तमिलनाडु	1540	177	2	
25.	त्रिपुरा	170	7	0	
26.	उत्तर प्रदेश	6056	13120	3671	
27.	उत्तरांचल	0	0	0	
28.	पश्चिम बंगाल	1026	148	1	
29.	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	
30.	चण्डीगढ़ प्रशासन	34	1	0	
31.	दादरा व नगर हवेली	1	0	0	दादरा व नगर हवेली और दमन व दीव साझा आयोग
32.	दमन व दीव	–	–	–	
33.	दिल्ली	1028	1055	87	
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	
35.	पांडिचेरी	1	0	0	
	योग	27472	24046	3797	

जिला मंच :

क्र. सं.	राज्य का नाम	3-5 वर्ष तक लम्बित मामले	5-10 वर्ष तक लम्बित मामले	10 वर्ष से अधिक समय से लम्बित मामले	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	2868	437	4	
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	सूचना की प्रतीक्षा है
3.	असम	615	922	309	

1	2	3	4	5	6
4.	बिहार	–	–	–	सूचना की प्रतीक्षा है
5.	छत्तीसगढ़	368	15	0	
6.	गोवा	802	27	0	
7.	गुजरात	11056	7047	89	
8.	हरियाणा	3950	156	0	
9.	हिमाचल प्रदेश	89	7	0	
10.	जम्मू और कश्मीर	–	–	–	सूचना की प्रतीक्षा है
11.	झारखण्ड	461	73	0	
12.	कर्नाटक	477	32	1	
13.	केरल	333	31	6	
14.	मध्य प्रदेश	2436	328	0	
15.	महाराष्ट्र	4745	1190	21	
16.	मणिपुर	–	–	–	सूचना की प्रतीक्षा है
17.	मेघालय	0	0	0	
18.	मिजोरम	–	–	–	सूचना की प्रतीक्षा है
19.	नागालैंड	–	–	–	सूचना की प्रतीक्षा है
20.	उड़ीसा	193	1	0	
21.	पंजाब	1	2	0	
22.	राजस्थान	2861	676	4	
23.	सिक्किम	0	0	0	
24.	तमिलनाडु	1158	120	19	
25.	त्रिपुरा	–	–	–	सूचना की प्रतीक्षा है
26.	उत्तर प्रदेश	14531	6964	260	सूचना की प्रतीक्षा है
27.	उत्तरांचल	703	0	0	
28.	पश्चिम बंगाल	39	5	0	
29.	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	
30.	चण्डीगढ़ प्रशासन	69	0	0	

1	2	3	4	5	6
31.	दादरा व नगर हवेली	16	0	0	दादर न नगर हवेली और
32.	दमन व दीव				दमन व दीव में साझा मंच
33.	दिल्ली	760	193	0	
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	
35.	पांडिचेरी	0	0	0	
	योग	48531	18226	713	

[अनुवाद]

श्री गंता श्रीनिवास राव: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार का विचार उपभोक्ता विवादों का शीघ्र और सरल निपटान करने हेतु एक समिति गठित करने का है। यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव: अध्यक्ष महोदय, कन्ज्यूमर फोरम के मामले में देश भर में थ्री-टियर अरेंजमेंट है-डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन। यह क्वासी जुडिशियल बाडी है। इसलिए केसेस की रिड्रैसल के लिए किसी तरह की कमेटी नहीं बनाई जा सकती है। मैं निश्चित तौर पर माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं, जैसा कि उन्होंने पूछा है, इस तरह की कोई कमेटी न बनाई जा सकती है और न बनाई है।

जहां तक सवाल कन्ज्यूमर फोरम का है, इस फोरम में 83 परसेंट केसेज का डिसपोजल हुआ है। दिक्कतें होने के बावजूद और क्वासी-जडिशियल बाडी होने के बावजूद इस तरह से काम कर रहे हैं, जिससे काम में विकास हो सके। इसका प्रमाण है कि इन अदालतों में 83 परसेंट केसेज का डिसपोजल हुआ है। पैंडिंग केसेज में बड़े पैमाने में कमी आई है और समस्या को ध्यान में रखते हुए कन्ज्यूमर प्रोटैक्शन एक्ट में तबदीली की गई है और टाइमिंग को ठीक किया गया है, जिससे काम इफैक्टिव तरीके से हो सके। इस दिशा में बहुत काम किया गया है।

[अनुवाद]

श्री गंता श्रीनिवास राव: महोदय, ऐसे मामलों की संख्या कितनी है जो उपभोक्ता न्यायालयों में तीन वर्ष, पांच वर्ष और 10 वर्ष से अधिक समय से लंबित हैं?

[हिन्दी]

श्री शरद यादव: अध्यक्ष महोदय, नेशनल फोरम में 7,765 केसेज पैंडिंग हैं। स्टेट कमीशन में 1,07,060 केसेज पैंडिंग हैं और डिस्ट्रिक्ट फोरम में 2,45,220 केसेज पैंडिंग हैं। इस तरह से कुल मिलाकर 3,60,045 केसेज पैंडिंग हैं। 21 लाख केसेज में 18 लाख केसेज का डिसपोजल हुआ है और पैंडिंग केसेज 3,60,045 है। निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि ये केसेज पैंडिंग हैं और इसीलिए इसी सदन में कन्ज्युमर प्रोटैक्शन एक्ट में मार्च, 2002 में तबदीली की गई। मैं यह भी मानता हूं कि पैंडिंग केसेज जो राज्यों के फोरम में चल रहे हैं, उनके पास फाइनेंशियल कन्स्ट्रैंट है। हम लोग अपनी सीमा में मदद करते हैं, लेकिन वह उतनी मदद नहीं है, जिससे वे सक्षम हो सकें। हम उसमें काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर मेरा मानना है कि अदालतें अच्छा काम कर रही हैं और उनको और सक्षम करना है। इसके लिए स्टेट गवर्नमैंट और हमारे मेल-जोल से काम ठीक से चल सकें, इस बारे में हम प्रयासरत हैं।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी के पास राज्यवार जो ब्यौरा है, उसके अनुसार आज बिहार में उपभोक्ताओं की स्थिति खराब है। क्या उन्हें इस बात की जानकारी है या नहीं कि सबसे ज्यादा वहां उपभोक्ताओं की खराब स्थिति है। क्या मंत्री महोदय बिहार के उपभोक्ताओं की स्थिति के बारे में जानकारी रखते हैं या नहीं? यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्रवाई करना चाहते हैं? इसके अलावा वहां कंज्यूमर कोर्ट्स में कितने मामले लम्बित हैं? वहां उपभोक्ताओं की इतनी बदतर स्थिति होने के कारण गरीब लोगों को न्याय नहीं मिलता है। इस बारे में मंत्री जी की क्या राय है?

श्री शरद यादव: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जानना चाहा है कि बिहार में कितने तरह के केसिज पैंडिंग हैं? वहां के

बारे में मेरे पास जो सूचना है, मैं उसकी जानकारी उन्हें देना चाहूंगा। बिहार में तीन से पांच बरस के जो केसिज हैं, वे 2998 हैं और पांच से दस वर्ष पहले के 262 केसिज हैं। केसिज पैंडिंग फार मोर दैन 10 इअर्स बिल्कुल नहीं हैं। जैसी दूसरे सूबों में हालत है, वैसी बिहार में है। महाराष्ट्र और हरियाणा में भी ऐसे बहुत से केसिज पैंडिंग हैं। इस मामले में मेरे पास जो सूचना है, उसके अनुसार ही मैं इसकी स्थिति बता रहा हूं।

[अनुवाद]

विदेशी बैंकों द्वारा अर्जित लाभ की राशि का प्रेषण

***63. श्री ए. ब्रह्मनैया:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने विदेशी बैंकों को आरबीआई की पूर्व अनुमति के बिना प्रत्येक तिमाही में अपने संबंधित देशों को अर्जित लाभ की राशि का प्रेषण करने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी बैंकों को इस तरह की नई छूट देने का क्या कारण है;

(ग) वर्ष 2002-2003 के दौरान विदेशी बैंकों द्वारा अर्जित बैंक-वार लाभ की कुल कितनी राशि का प्रेषण किया गया; और

(घ) देश की अर्थव्यवस्था पर इस तरह के प्रेषण से क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

वित्त मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) आवधिक विप्रेषण विदेशी बैंकों को विदेशी मुद्रा जोखिम को कम करने में सक्षम बनाता है और अपने शेयरधारकों को अंतरिम लाभांश का भुगतान करने में उनके प्रधान कार्यालयों को नकदी का प्रवाह प्रदान करता है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार सिर्फ निम्नलिखित नौ विदेशों बैंकों ने वर्ष 2002-03 के दौरान लाभ का विप्रेषण किया है:

(रुपए करोड़ में)

क्र.सं.	बैंक का नाम	विप्रेषित लाभ की राशि
1.	अरब बंगलादेश बैंक लि.	1.82
2.	बैंक आफ बेहरन एंड कुवैत बी.एस.सी.	4.90
3.	बर्कलेज बैंक पीएलसी	7.41
4.	सिटी बैंक एन.ए.	50.00
5.	ड्यूश बैंक एजी	54.73
6.	जेपी मोरगन चेज बैंक	11.81
7.	सोनाली बैंक	0.25
8.	स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक	259.12
9.	दि बैंक आफ टोक्यो-मित्सुबिशी, लि.	40.92

(घ) विदेशी बैंकों द्वारा लाभों के तिमाही विप्रेषण से अर्थव्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

श्री ए. ब्रह्मनैया: अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं माननीय मंत्री जी से विदेशी बैंकों द्वारा अर्जित लाभ को उनके देशों में विप्रेषण के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के बारे में जानना चाहता हूं।

श्री जसवंत सिंह: महोदय, मैं माननीय सदस्य से माफी चाहता हूं। मैं उनकी बात स्पष्ट रूप से नहीं सुन पाया। क्या माननीय सदस्य अपने प्रश्न को दोहरायेंगे।

अध्यक्ष महोदय: श्री ब्रह्मनैया, आप अपना प्रश्न फिर से पूछ सकते हैं।

श्री ए. ब्रह्मनैया: महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि विदेशी बैंकों द्वारा अर्जित लाभ को उनके देशों में विप्रेषण के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्या दिशानिर्देश निर्धारित किये गए हैं।

श्री जसवंत सिंह: महोदय, मैं समझता हूं कि इस प्रश्न का उत्तर पहले ही दिया जा चुका है।

श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या इस संबंध में कोई दिशानिर्देश हैं?

श्री जसवंत सिंह: इसका जवाब पहले ही दिया जा चुका है। यदि आप इसका जवाब देखेंगे तो पता चलेगा कि उन्हें विप्रेषण की अनुमति है। यह दिशानिर्देश हैं। लाभ के अलावा वे अन्य

किसी निधि का विप्रेषण नहीं कर सकते। दिशानिर्देश पहले से ही विद्यमान हैं और प्रत्येक कार्य दिशानिर्देशों के अनुसार ही किया जाता है।

अध्यक्ष महोदय: कोई विशिष्ट दिशानिर्देश नहीं हैं।

श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या लाभ के इस विप्रेषण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोई बुरा प्रभाव पड़ता है?

अध्यक्ष महोदय: क्या इसका कोई कुप्रभाव है?

श्री जसवंत सिंह: इसके बारे में भी लिखित उत्तर में एक वाक्य है। यह वाक्य एकदम सुस्पष्ट है। इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

सी.बी.ई.सी. की बकाया राशि

*65. **डा. सुशील कुमार इन्दौरा:**
डा. मन्दा जगन्नाथ:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 13 अगस्त, 2003 के ''इंडियन एक्सप्रेस'' में ''ड्यूस आफ सी.बी.ई.सी. एट रुपीज 14,222 करोर आन 53600-पेंडिंग कोर्ट केसिज'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) सरकार द्वारा बकाया राशि की वसूली और न्यायालय के मामलों के निपटान हेतु क्या कार्यप्रणाली अपनाई जाएगी; और

(घ) इन सभी मामलों को किस तारीख तक निपटा दिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) और (ख) जी, हां। दिनांक 31.10.2003 को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क देय लगभग 12814 करोड़ रु. है जिसमें जुर्माना शामिल है। इसी प्रकार 31.10.2003 को सीमा शुल्क देय लगभग 2917 करोड़ रु. है। उपर्युक्त दोनों करों में से 5978 करोड़ रु. की कुल राशि विभिन्न न्यायालय, अधिकरणों तथा आयुक्तों (अपील) द्वारा स्थगित की गई है।

(ग) और (घ) मुकदमेबाजी और बकायों की वसूली एक सतत् प्रक्रिया है। राजस्व बकायों की शीघ्र वसूली के लिए सभी प्रयास किए जाते हैं।

[हिन्दी]

डा. सुशील कुमार इन्दौरा: अध्यक्ष महोदय, मुझे एक बात की हैरानी है कि मेरा जो मूल प्रश्न था, वह उस तरह से नहीं आया। मेरा मूल प्रश्न डा. मन्दा जगन्नाथ से क्लब किया गया है। मुझे इस बात पर बड़ी हैरानी हो रही है। मेरा मूल प्रश्न था कि मेरी जानकारी में डायरेक्ट टैक्सों से संबंधित विवादों की बकाया राशि एक लाख 13 हजार करोड़ रुपये है। अगर सरकार यह राशि वसूल कर लेती है तो हमारा वार्षिक फिसकल घाटा पूरा हो जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से यह स्पष्टीकरण चाहता हूं कि सरकार ने हकीकत में इस राशि को वसूल करने के लिये किन-किन संस्थाओं, किन-किन कम्पनियों और व्यक्तिगत लोगों से वसूलना है, सरकार इसे वसूलने के लिये क्या प्रयास कर रही है?

श्री जसवंत सिंह: अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य की यह शिकायत है कि उनका जो मूल प्रश्न था, वह इस प्रश्न में समाहित कर लिया गया है।

डा. सुशील कुमार इन्दौरा: अध्यक्ष जी, वह ढंग से नहीं किया गया है।

श्री जसवंत सिंह: अगर ढंग से नहीं किया गया है तो इसमें मेरी गलती नहीं है।

डा. सुशील कुमार इन्दौरा: मैं माननीय अध्यक्ष जी की जानकारी में लाना चाहता था।

श्री जसवंत सिंह: मुझे प्रसन्नता है कि आपकी शिकायत मेरी तरफ नहीं है।

अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने डायरेक्ट टैक्सेज के बारे में पूछा है कि इसे वसूलने के लिये क्या प्रयास किये गये हैं। यह प्रश्न अपने आप में सी.बी.ई.सी. से संबंधित है। इस संबंध में हमने पूरा ब्यौरा दे दिया है। डायरेक्ट टैक्सेज के बारे में एक अन्य प्रश्न आ रहा है, माननीय सदस्य उसमें पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं।

डा. सुशील कुमार इन्दौरा: अध्यक्ष जी, मेरा पूछना है कि मेरे मूल प्रश्न का जवाब दिया जाये।

श्री जसवंत सिंह: अध्यक्ष जी, जब मूल प्रश्न आयेगा तो जवाब दूंगा, वह अभी इस प्रश्न में नहीं है।

डा. सुशील कुमार इन्दौरा: अध्यक्ष जी, मेरा मूल प्रश्न इसमें क्लब नहीं किया गया है।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी, माननीय सदस्य के मन में जो प्रश्न है, उसका उत्तर दीजिये।

श्री जसवंत सिंह: अध्यक्ष जी, मैं कोशिश करूंगा कि माननीय सदस्य की मन की भावना को पहचान कर फिर प्रश्न का उत्तर दूं।

डा. सुशील कुमार इन्दौरा: अध्यक्ष जी, बातों-बातों में मूल प्रश्न टाला गया है लेकिन सप्लीमेंटरी प्रश्न के तहत मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि डायरेक्ट टैक्सेज से संबंधित या उससे जो विवाद हैं, ऐसी 20 संस्थाओं या कम्पनियों के या व्यक्तिगत नाम बताये जायें जिन पर सब से ज्यादा पैसा बकाया है और जिसे वसूल किया जाना है। सरकार ने उसकी वसूली के लिये क्या समयबद्ध योजना बनाई है? यदि वह पैसा सरकार के पास आ जायेगा तो पूरे देश का फिसकल डेफिसिट पूरा हो जायेगा?

श्री जसवंत सिंह: अध्यक्ष जी, यदि माननीय सदस्य प्रश्न संख्या 69 का जवाब देखेंगे तो उन्हें इस संबंध में सारी सूचना मिल जायेगी। बाकी बातों के लिये मैं जवाब दे दूंगा, माननीय सदस्य तशरीफ रखें। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है कि सरकार ने क्या-क्या कदम उठाये हैं, उसका उत्तर इस प्रश्न के जवाब में तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि यह अपने आप में एक न्यायसंगत बात है कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्सेज की बकाया वसूली के लिये क्या कदम उठाये गये हैं और यह कहना कि इसकी वसूली से देश का फिसकल डैफिसिट पूरा जायेगा, मैं इस पर अपनी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। जैसा माननीय सदस्य जानते हैं कि पिछले बजट में हमने उसके सरलीकरण के लिये कई कदम उठाये हैं। अगर कमिश्नर लैवल पर स्टे 6 महीने से ज्यादा है, वह अपने आप वैकेट हो जायेगा। हमने नये 25 आर्डिनेंस निकाले हैं जिसके तहत डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सों की वसूली के लिये बैंचेज लगा रहे हैं। इनमें 15 बैंचेज डायरेक्ट टैक्सेज के लिये और 10 इनडायरेक्ट के लिये हैं। हमारा ऐसा अनुमान और अपेक्षा है कि टैक्सेज का बकाया काम जल्दी खत्म हो जायेगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न संख्या 66—श्री श्रीप्रकाश जायसवाल उपस्थित नहीं हैं।

प्रश्न संख्या 67—श्री जी.एस. बसवराज—उपस्थित नहीं है। श्री वाई.वी. राव।

अवसंरचना क्षेत्र का विकास

*67. **श्री वाई.वी. राव:**
श्री जी.एस. बसवराज:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा वर्ष 2003-2004 के लिए अवसंरचना क्षेत्र के उद्योगों के लिए विकास दर का लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया है;

(ख) अक्तूबर, 2003 तक कितनी विकास दर प्राप्त की गयी है;

(ग) वर्तमान वित्त वर्ष की पहली छमाही के लिए पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में उद्योग-वार, विकास दर क्या है;

(घ) क्या इस वित्त वर्ष के दौरान, विशेषकर जुलाई से अक्तूबर, 2003 के दौरान कुछ उद्योगों की विकास दर में कमी आई है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, कितनी विकास दर कम हुई है; और

(च) सरकार द्वारा इस वित्तीय वर्ष में विकास दर का लक्ष्य प्राप्त न करने वाले प्रमुख क्षेत्र के उद्योगों को प्रोत्साहन देने हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (च) एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग छः अवसंरचनात्मक उद्योगों, जिनमें कच्चा पेट्रोलियम, पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद, कोयला, विद्युत, सीमेंट और निर्मित स्टील शामिल हैं और जिनका भार औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक में 26.7 प्रतिशत है, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष की प्रथम छमाही के दौरान इन छः अवसंरचनात्मक उद्योगों का लक्ष्यों के प्रति कार्यनिष्पादन नीचे तालिका-1 में दिये गये अनुसार है। तालिका-2 में इन छः अवसंरचनात्मक उद्योगों की माह-वार वृद्धि दी गई है।

तालिका-1 : अप्रैल-सितंबर, 2003 के दौरान छः अवसंरचनात्मक उद्योगों का कार्यनिष्पादन

मद	इकाई	लक्ष्य		उत्पादन अप्रैल-सितम्बर		प्रतिशत भिन्नता
		2003-04	अप्रैल-सितम्बर 2003	2002	2003	वास्तविक अप्रैल-सितम्बर 2002
विद्युत	बिलियन इकाई (बीयू)	572.900	280.186	262.029	269.457	+2.8
कोयला	एम टी	345.05	155.60	151.15	157.51	+4.2
निर्मित स्टील	एम टी	37.055	18.395	16.551	17.845	+7.8
सीमेंट	एम टी	126.00	59.25	56.81	59.70	+5.1
कच्चा तेल	एम टी	33.500	16.225	16.538	16.303	−1.4
पेट्रोलियम रिफाइनरी	एम टी	116.760	57.369	55.537	58.917	+6.1

टिप्पणी : एम टी का अभिप्राय मिलियन टन है।

तालिका-2 : वर्ष 2003-04 के दौरान समग्र और छः अवसंरचनात्मक उद्योगों की माह-वार वृद्धि

अवधि	कच्चा पेट्रोलियम	पेट्रोलियम रिफाइनरी	विद्युत	कोयला	निर्मित स्टील	सीमेंट	समग्र
भार (%)	4.17	2.00	10.17	3.22	5.13	1.99	26.68
2003-04							
अप्रैल	-1.9	6.6	2.0	3.1	11.9	-2.9	3.9
मई	-5.3	-0.4	5.0	3.5	7.2	7.8	4.0
जून	1.0	4.8	4.8	4.5	4.6	9.5	4.7
जुलाई	0.4	7.5	-1.9	2.7	7.7	3.4	2.6
अगस्त	-2.8	7.1	0.9	3.5	9.4	5.7	3.8
सितंबर	0.0	11.0	5.0	4.9	7.8	7.2	5.9
अक्तूबर	2.7	0.1	1.6	-1.0	6.8	6.0	3.0

(ङ) और (च) सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार चालू वर्ष की प्रथम छमाही के दौरान इन छः अवसंरचनात्मक उद्योगों में निर्धारित लक्ष्यों के प्रति कमी का संबंध विद्युत और स्टील से है। विद्युत जनित्रण के संबंध में लक्ष्य की तुलना में कमी का कारण अपेक्षाकृत कम थर्मल (3.1 प्रतिशत) और हाइड्रो (10.2 प्रतिशत) विद्युत उत्पादन था। स्टील

के संबंध में लक्ष्य की तुलना में कमी का कारण भारतीय स्टील प्राधिकरण लि., वी.एस.पी. और अन्य उत्पादकों द्वारा अपेक्षाकृत क्रमश: 0.5 प्रतिशत, 1.7 प्रतिशत तथा 5.5 प्रतिशत कम उत्पादन था।

विगत दशक में अवसंरचनात्मक क्षेत्र में व्यापक नीतिगत निर्देशों को वर्ष 2003-04 के बजट में घोषित विशिष्ट पहलों से काफी समर्थन मिला है। इससे अभिनव वित्तीयन प्रणाली के जरिये अवसंरचना, मुख्यत: सड़कों, रेलवे, हवाईअड्डों और समुद्रपत्तनों को मुख्यत: बल मिला है। इन पहलों से अनेक प्रकार की मदों व सेवाओं पर अनुकूल प्रभाव तथा सीमेंट और स्टील जैसी निर्माण सामग्री पर विशेष प्रभाव पड़ने की संभावना है।

विद्युत अधिनियम, 2003 के पास होने के परिणामस्वरूप विद्युत के लिए प्रतिस्पर्धात्मक बाजार के लिए वैधानिक तन्त्र की व्यवस्था होती है तथा यह विद्युत क्षेत्र में विनियामक सुधारों में एक नींव पत्थर सिद्ध होता है। आशा है कि इससे अधिक विद्युत व्यापार हो पायेगा तथा जनित्रण की मौजूदा क्षमताओं का बढ़िया उपयोग हो पायेगा। कई राज्य वितरण के क्षेत्र में ढांचागत सुधारों में लगे हुए हैं। थर्मल जनित्रण को लाइसेंसमुक्त कर दिया गया है और अब थर्मल जनित्रण संयंत्र की स्थापना करने के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण से कोई स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। आन्तरिक (कैप्टिव) जनित्रण को नियंत्रणमुक्त कर दिया गया है। नये कानून में पारेषण क्षमता की उपलब्धता के अध्यधीन आन्तरिक जनित्रण संयंत्रों से पैदा की गई विद्युत का अन्तिम उपयोग करने वाले गंतव्यों तक बिना भेदभाव के खुली पहुंच भी मिल पायेगी। पारेषण में बिना भेदभाव के खुली पहुंच आरंभ की गई है। अन्त में, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत जनित्रण व वितरण करने के लिए विनियामक आयोग से लाइसेंस प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आशा है कि इनसे विद्युत चोरी में कमी आयेगी और लागत की वसूली में सुधार आयेगा तथा विद्युत की आपूर्ति व उपलब्धता पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ेगा।

कच्चे तेल के उत्पादन में सुधार लाने के इरादे से, आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लि. ने 10,000 करोड़ रुपये की अनुमानित निवेश लागत से 15 तेल के कुओं में संवर्द्धित तेल प्राप्ति/उन्नत तेल प्राप्ति आरंभ की हैं।

श्री वाई. वी. राव: महोदय, वर्ष 2003-2004 के बजट में अवसंरचना के विकास पर विशेष बल दिया गया है। बजट में घोषित उपायों से अवसंरचना क्षेत्र के उद्योगों के विकास को बढ़ावा देने में किस सीमा तक सहायता मिल रही है?

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने स्थिति की समीक्षा की है और यदि हां, तो क्या विकास की दर बढ़ाने के लिए नए उपायों का प्रस्ताव है।

श्री अरुण जेटली: महोदय, जहां तक अवसंरचना क्षेत्रों को बढ़ावा देने का संबंध है, बहुत से क्षेत्रों में सड़क और राजमार्गों के निर्माण संबंधी सघन गतिविधियां चल रही हैं। इसके साथ ही रेलवे, समुद्र पत्तन, हवाई अड्डे और सम्मेलन केन्द्रों में निवेश भी प्रस्तावित है।

जहां तक विद्युत क्षेत्र का संबंध है, उसमें संसद ने पहले ही विद्युत विधेयक की स्वीकृति दे दी है जिसके परिणामस्वरूप विद्युत क्षेत्र से नियंत्रण हटाने के बाद अब बहुत से कदम उठाये जा रहे है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि टेलीफोन, समुद्र पत्तन और राजमार्गों जैसे अन्य बहुत से क्षेत्रों के संबंध में वित्त मंत्री जी द्वारा अपने बजट भाषण में की गयी घोषणाओं के अनुरूप कदम उठाये जा रहे हैं। जहां तक अवसंरचना क्षेत्रों का संबंध है, सरकार इन क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है और इन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है।

श्री वाई. वी. राव: उत्तर में यह बताया गया है कि विद्युत चोरी और विद्युत लागत की वसूली उन कारणों में से दो कारण हैं जिनसे अवसंरचना क्षेत्र के विकास में कमी आती है। मैं सरकार द्वारा विद्युत आपूर्ति में सुधार लाने के लिए प्रस्तावित ठोस कदमों के बारे में जानना चाहता हूं ताकि औद्योगिक विकास प्रभावित न हो।

श्री अरुण जेटली: महोदय, मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य ने इस संबंध में पारित किये गए विद्युत विधेयक के प्रावधानों का विस्तृत अध्ययन किया होगा। इसमें विस्तार से बताया गया है कि विद्युत क्षेत्र में किस प्रकार बल दिया जाना है। तापीय विद्युत क्षेत्र पर से पहले ही नियंत्रण हटा लिया गया है।

जहां तक विद्युत क्षेत्र में संरचनात्मक सुधारों का संबंध है। इस विधेयक में इनका प्रस्ताव किया गया है। माननीय सदस्य ने जिन समस्याओं के बारे में बताया है वे विशेषकर वितरण के क्षेत्र में आती हैं। अतएव, अब बहुत से राज्यों ने विद्युत उत्पादन की विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन में उत्साह दिखाया है।

सरदार सिमरनजीत सिंह मान: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि पंजाब विश्व भर में सर्वोत्तम आलू के बीजों का उत्पादक है क्योंकि वहां इसके अनुकूल जलवायु है। लेकिन ये आलू अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और बंगलादेश को निर्यात नहीं किया जाते क्योंकि हमारे पास उन्हें निर्यात करने की कोई सुविधा नहीं है। ये देश यूरोपीय देशों जैसे हालैंड और अन्य देशों से दस गुने दामों पर आलू के बीज आयात करते हैं। इन देशों को आलू के बीजों के निर्यात के लिए माननीय मंत्री जी का क्या प्रस्ताव है।

श्री अरुण जेटली: आलू के बीज के मुद्दे का इस प्रश्न से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भी कतई संबंध नहीं है। यह प्रश्न, अवसंरचना क्षेत्र की परियोजनाओं तथा भारत सरकार की अवसंरचना क्षेत्र की विभिन्न परियोजनाओं को किस प्रकार बढ़ावा दिया जाए, के बारे में है।

फिर भी मैं माननीय सदस्य के इस प्रश्न का जवाब देना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने कृषि क्षेत्र पर विशेष बल दिया है। विशेषकर कृषि उत्पादों के निर्यात की सम्भावना में सुधार लाने में उदाहरणार्थ पिछले वर्ष कुल कृषि क्षेत्र और सामुद्रिक उत्पाद क्षेत्र में हमारा कुल निर्यात 31,000 करोड़ का रहा जो कि अब तक का अधिकतम है।

दो वर्ष पहले मेरे पूर्ववर्ती श्री मारन इस संबध में एक व्यापक नीति लाये थे विशेषकर कृषि निर्यात जोन स्थापित करने के संबंध में। इनमें से बहुत से कृषि निर्यात जोन देश के विभिन्न भागों में स्थापित किये गए हैं। इनकी स्थापना के उद्देश्यों में से एक इनका विशिष्ट क्षेत्रों जैसे आलू के बीजों और हमारे अतिरिक्त कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के अवसर के रूप में प्रयोग करना है।

सरदार सिमरनजीत सिंह मान: कृपया आलू के बीजों की ओर विशेष ध्यान दिया जाए।

संरचनात्मक समायोजन ऋण

*68. **श्री अनन्त नायक:**
श्री नरेश पुगलिया:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने विश्व बैंक से संरचनात्मक समायोजन ऋण प्राप्त करने हेतु केन्द्र सरकार से स्वीकृति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त राज्यों के अनुरोधों की वर्तमान स्थिति क्या है?

वित्त मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) **विश्व बैंक** से संरचनात्मक समायोजन ऋण (एसएएल) प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित राज्यों से प्राप्त हुए हैं:

कर्नाटक

आंध्र प्रदेश

उड़ीसा

पंजाब

महाराष्ट्र

तमिलनाडु

(ग) इन प्रस्तावों में से, चार राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा और तमिलनाडु से प्राप्त प्रस्तावों को सहायता हेतु विश्व बैंक को प्रस्तुत किया गया है। विश्व बैंक ने कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के संबंध में एसएएल प्रस्तावों का मूल्यांकन कर लिया है। चालू वर्ष के दौरान कर्नाटक के एसएएल प्रस्ताव पर विचार करना संभव नहीं होगा क्योंकि यह राज्य मध्यावधिक राजकोषीय सुधार कार्यक्रम (एमटीएफआरपी) के अंतर्गत लक्ष्यों को हासिल करने में असफल रहा है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा को संरचनात्मक समायोजन ऋण देने के प्रस्ताव पर कार्रवाई चल रही है।

श्री अनन्त नायक: उत्तर में बताये गये संरचनात्मक समायोजन ऋण प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार को क्या शर्तें पूरी करनी होंगी?

श्री जसवंत सिंह: महोदय, मैंने यदि माननीय सदस्य का प्रश्न सही तरीके से समझा है तो मेरे ख्याल से वह यह जानना चाहते हैं कि विश्व बैंक से संरचनात्मक ऋण का पात्र बनने के लिए राज्य सरकार को क्या मानदंड पूरे करने होंगे। यह एक बहुत उपयोगी सुविधा है जिसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। यह एक किस्त में ही प्राप्त होती है। यह बहुत लाभदायक है। यह आवश्यक न्यूनतम वित्तीय सुधार के पैकेज से जुड़ा होना चाहिए तथा आर्थिक उदारीकरण व सुधारों की ओर उन्मुख होना चाहिए। इसके ऐसे ही विभिन्न अन्य मानदंड हैं जो कि वास्तव में पूरे कार्यक्रम के ही भाग हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

विकास दर

*64. **डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति:**
श्री अजय सिंह चौटाला:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वित्त वर्ष के लिए कितनी विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और पहली छमाही के दौरान क्या उपलब्धि प्राप्त हुई;

(ख) क्या सरकार का दूसरी छमाही के लिए विकास दर लक्ष्य को कम करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा वर्ष 2003-2004 की शेष अवधि के दौरान बढ़ी हुई विकास दर प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) से (ग) विकास के लक्ष्य वार्षिक रूप से निर्धारित नहीं किये गये हैं। केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन ने चालू वर्ष की प्रथम तिमाही (अप्रैल-जून) में स्थिर मूल्यों पर उपादान लागत पर, विगत वर्ष की तुलनात्मक अवधि के दौरान 5.3 प्रतिशत की तुलना में 5.7 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है।

(घ) वर्ष 2003-04 के लिए केन्द्रीय बजट में सरकारी-निजी क्षेत्र की भागीदारी, निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहन देना और राजकोषीय समेकन के उद्देश्य से किए गए उपायों के माध्यम से कृषि, उद्योग और आधारभूत विकास के लिए बहुत सी पहलें प्रस्तावित की गई हैं। इन पहलों का अर्थव्यवस्था के विकास पर सकारात्मक प्रभाव होने की आशा है।

पुनर्निर्माण पैकेज कोष

*66. **श्री श्रीप्रकाश जायसवाल:** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश भर में राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों के पुनरुद्धार हेतु कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या सरकार का विचार एक वस्त्र क्षेत्र पुनर्निर्माण कोष गठित करने का है;

(घ) यदि हां, तो उपरोक्त कोष का प्रयोजन और उद्देश्य क्या है;

(ङ) इस कोष को कब तक गठित किए जाने की संभावना है; और

(च) इससे हथकरघा, हस्तशिल्प और विद्युतकरघा आदि जैसे वस्त्र क्षेत्र को कितना लाभ मिलने की संभावना है?

वस्त्र मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) और (ख) बीआईएफआर/सरकार द्वारा स्वीकृत पुनर्स्थापना योजनाओं के अनुसार 3,918.84 करोड़ रुपये की कुल लागत से एनटीसी की 53 अर्थक्षम मिलों का पुनरुद्धार किया जाना है और 66 गैर-अर्थक्षम मिलों को बंद किया जाना है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

* एकमुश्त भुगतान (ओटीएस) के तहत अभिरक्षित ऋणदाताओं की बकाया राशि का भुगतान करके, एनटीसी की सभी परिसम्पत्तियों को मुक्त कराया गया। सरकारी गारंटीयुक्त एनटीसी बांडों के माध्यम से 248 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।

* जिन कामगारों के वेतन में लंबे समय से संशोधन नहीं किया गया है और उन्हें अधिक लाभ की पेशकश करके वीआरएस योजना में संशोधन किया गया है। इससे औसत वीआरएस पैकेज बढ़कर लगभग 3 लाख रुपये हो गया है जो लगभग 75 महीनों के वेतन के बराबर है। एनटीसी बांडों के माध्यम से 1250 करोड़ रुपये एकत्रित किए गये हैं और इस राशि का उपयोग 61 मिलों में लगभग 30,153 कर्मचारियों को वीआरएस देने के लिए किया गया है।

* पुनरुद्धार के लिए प्रस्तावित 53 मिलों के लिए आधुनिकीकरण योजनाओं को अद्यतन किया गया है और मशीनों को खरीदने के लिए कदम उठाए गए हैं।

* पारदर्शी प्रक्रिया द्वारा 292.76 करोड़ रुपये मूल्य की बेशी परिसम्पत्तियों को बेच दिया गया है।

(ग) और (घ) अर्थक्षम/संभाव्य रूप से अर्थक्षम वस्त्र मिलों में रुग्णता को रोकने के लिए सरकार ने 9 सितंबर, 2003 को एक पैकेज की घोषणा की है जिसके तहत बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को बाहर से वाणिज्यिक ऋण लेने और रुपयों में आवधिक ऋण को सस्ती दरों पर विदेशी मुद्रा ऋण में परिवर्तित करने की अनुमति दी गई है जो इसके बदले में वस्त्र एककों के ऋण दायित्वों का पुनर्निर्माण करेंगे।

(ङ) यह योजना 15 सितंबर, 2003 से लागू हो गई है।

(च) यह योजना केवल संगठित क्षेत्र के लिए ही लागू है जिसकी न्यूनतम ऋण राशि 2 करोड़ रुपये है।

आयकर चूककर्त्ता

*69. **श्री हरिभाई चौधरी:**
श्री भान सिंह भौरा:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान 31 मार्च, 2003 तक एवं आज की स्थिति के अनुसार आयकर भुगतान में चूक करने वाले प्रथम बीस व्यक्ति और निगमित निकाय कौन-कौन से हैं;

(ख) क्या सरकार इन चूककर्त्ताओं से बकाया आयकर की वसूली करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो अब तक क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) दिनांक 31.3.2002, 31.3.2003 तथा 30.6.2003 की स्थिति के अनुसार अधिकतम बकाया मांग वाले बीस कर-निर्धारितियों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) बकाया आयकर की वसूली के लिए किए गए उपाय प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करते हैं। कर की वसूली आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII एवं द्वितीय अनुसूची में यथा उपबंधित तंत्र के माध्यम से की जा रही है।

(घ) इस सूची के अधिकांश कर-निर्धारिती अधिसूचित कर-निर्धारिती हैं जहां वसूली विशेष न्यायालयों के अनुमोदन के बाद ही सम्भव है। कुछ मामले औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) के पास लम्बित हैं जिनमें रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 की धारा 22 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए वसूली सम्भव नहीं हो पाई है। कुछ मामलों में किस्तों की स्वीकृति दी गई है अथवा आयकर प्राधिकारियों द्वारा या क्षेत्राधिकारिक आयकर अपीलीय न्यायाधिकरणों/ उच्च न्यायालय द्वारा मांग को स्थगित कर दिया गया है।

विवरण

क्रम सं.	अधिकतम बकाया मांग वाले कर-निर्धारितियों के नाम		
	31.3.2002 की स्थिति के अनुसार	31.3.2003 की स्थिति के अनुसार	30.6.2003 की स्थिति के अनुसार
1	2	3	4
1.	हर्षद एस. मेहता	हर्षद एस. मेहता	हर्षद एस. मेहता
2.	सहारा इंडिया फाइनेंशियल कार्पोरेशन लिमिटेड	ए.डी. नरोत्तम	ए.डी. नरोत्तम
3.	हितेन पी. दलाल	नार्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड	नार्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड
4.	सहारा इंडिया म्यूच्यूअल बेनिफिट कम्पनी लिमिटेड	हितेन पी. दलाल	हितेन पी. दलाल
5.	शा वालेस कम्पनी लिमिटेड	आई.डी.बी.आई.	श्रीमती ज्योति एच. मेहता
6.	भूपेन्द्र सी. दलाल	श्रीमती ज्योति एच. मेहता	आई.डी.बी.आई.
7.	मारुति उद्योग लिमिटेड	भूपेन्द्र सी. दलाल	भूपेन्द्र सी. दलाल

1	2	3	4
8.	अश्विन एस. मेहता	जी.टी.सी. इंडस्ट्रीज लिमिटेड	जी.टी.सी. इंडस्ट्रीज लिमिटेड
9.	श्रीमती ज्योति एच. मेहता	अश्विन एस. मेहता	अश्विन एस. मेहता
10.	एस. रामास्वामी	एस. रामास्वामी	एस. रामास्वामी
11.	सहारा इंडिया एयरलाइंस	मारुति उद्योग लिमिटेड	मारुति उद्योग लिमिटेड
12.	विदेश संचार निगम लिमिटेड	ट्राइम्फ इंटरनेशनल लिमिटेड	ट्राइम्फ इंटरनेशनल फाइनेंस (आई). लिमिटेड
13.	ग्रोमोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड	सहारा इंडिया फाइनेंशियल कार्पोरेशन लिमिटेड	सहारा इंडिया फाइनेंशियल कार्पोरेशन लिमिटेड
14.	जी.टी.सी. इंडस्ट्रीज लिमिटेड	आई.सी.आई.सी.आई. लिमिटेड	फर्स्ट ग्लोबल स्टाक ब्रोकिंग प्रा.लि.
15.	ट्रायम्फ इंटरनेशनल लिमिटेड	शा वालेस कम्पनी लिमिटेड	कासकेड होल्डिंग (प्रा.) लि.
16.	प्रीमियर आटोमोबाईल्स	ग्रोमोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट लि.	शा वालेस कम्पनी लिमिटेड
17.	मैक्स टेलीकाक वेन्चर्स लि.	रालेक्स होल्डिंग लि.	रालेक्स होल्डिंग लि.
18.	सुधीर एस. मेहता	गणपति एक्सपोर्टस लि.	ग्रोमोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट लि.
19.	यू.पी. फारेस्ट कार्पोरेशन लि.	ट्रायम्फ सिक्योरिटिज लि.	गणपति एक्सपोर्टस लि.
20.	नाल्को लि.	सहारा इंडिया म्यूच्युअल बेनिफिट कम्पनी लि.	सहारा इंडिया म्यूच्युअल बेनिफिट कम्पनी लि.

सीमेंट का उत्पादन

*70. **श्री चन्द्रनाथ सिंह:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सीमेंट का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या सीमेंट का वार्षिक उत्पादन मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है;

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा देश में सीमेंट की मांग और आपूर्ति के बीच अंतर को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार को हाल ही में सीमेंट के मूल्यों में हुई वृद्धि की जानकारी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा सीमेंट के मूल्यों में वृद्धि को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) और (ख) बड़े सीमेंट संयंत्रों के संबंध में, पिछले तीन वर्षों व चालू वर्ष के दौरान सीमेंट का उत्पादन और उसकी खपत नीचे दिए गए हैं:-

(मिलियन टन में)

वर्ष	स्थापित क्षमता	क्षमता उपयोग (%)	उत्पादन	खपत (घरेलू)	निर्यात
2000-01	1114.91	81	93.61	90.29	3.15
2001-02	129.76	79	102.40	99.01	3.38
2002-03	136.97	81	111.35	107.59	3.37
2003-04 अक्तूबर, 03 तक	141.88	80	66.05	63.85	1.88

(ग) ऊपर (क) और (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) से (च) सीमेंट एक पूर्णत: नियंत्रणमुक्त सामग्री है और इसके मूल्य मांग व आपूर्ति संबंधी बाजार की शक्तियों द्वारा निर्धारित होते हैं। सीमेंट के मूल्य निर्धारण में सरकार की कोई भूमिका नहीं है। तथापि, यह मूल्यों के रुझानों की निगरानी करती है। जैसा कि संलग्न विवरण में दिया है, नवंबर, 2002 से दिए गए प्रमुख खपत केन्द्रों में विद्यमान मूल्यों से पता चलता है कि अक्तूबर, 2003 की तुलना में नवंबर, 2003 के माह में कुछ प्रमुख खपत केन्द्रों में सीमेंट के मूल्यों में मामूली सी वृद्धि हुई है। तथापि नवंबर, 2003 और नवंबर, 2002 के महीनों में, प्रमुख खपत केन्द्रों में सीमेंट के मूल्य लगभग समान थे।

विवरण

क्षेत्र/केंद्र	नव. '02	दिस. '02	जन. '03	फर. '03	मार्च '03	अप्रै. '03	मई '03	जून '03	जुलाई '03	अग. '03	सित. '03	अक्तू. '03	नव. '03	औसत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
उत्तरी क्षेत्र														
दिल्ली	133	130	122	121	126	126	131	128	123	125	120	124	132	126
करनाल	137	135	130	128	128	129	133	133	130	131	127	131	137	131
चंडीगढ़	145	142	142	142	142	144	146	146	143	144	144	144	149	144
जयपुर	125	119	111	108	111	117	122	117	115	113	111	111	123	116
रोहतक	127	124	119	117	118	119	125	126	122	122	118	122	129	122
भटिंडा	143	139	139	139	139	144	141	141	140	141	141	141	146	141
लुधियाना	151	143	143	142	143	153	154	154	151	147	147	147	155	148
जम्मू	188	186	185	182	185	185	187	187	187	187	189	189	189	187
शिमला	157	155	155	154	157	160	159	158	154	153	153	153	153	155
पूर्वी क्षेत्र														
कोलकाता	153	53	153	151	153	156	156	156	156	154	154	154	154	154

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
पटना	136	136	131	128	138	143	143	138	138	137	137	130	131	136
भुवनेश्वर	141	140	141	141	145	146	145	148	145	145	140	128	130	141
गुवाहाटी	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172
मुजफ्फरपुर	138	138	133	127	136	143	144	143	138	137	136	133	139	137
सिलचर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
पश्चिमी क्षेत्र														
मुंबई	166	164	163	163	164	166	164	158	153	153	149	154	159	160
अहमदाबाद	131	136	136	130	131	132	132	126	121	118	113	113	105	125
नागपुर	122	124	117	120	120	119	117	122	118	118	111	124	129	120
पुणे	140	145	131	130	134	139	133	131	133	117	110	130	135	131
राजकोट	131	136	136	130	131	132	132	126	121	118	111	113	105	125
बड़ौदा	131	136	136	130	131	132	132	126	121	118	113	113	105	125
सूरत	131	136	136	130	131	132	132	126	121	118	113	113	105	125
दक्षिणी क्षेत्र														
चैन्नई	130	130	150	155	158	158	160	158	160	147	144	134	137	148
तिरूवनन्तपुरम	139	146	162	165	165	165	170	169	170	159	153	142	150	158
बंगलौर	145	145	145	145	150	150	160	159	155	147	144	140	142	148
हैदराबाद	135	135	135	135	125	125	121	113	106	99	95	101	118	119
कालीकट	144	148	162	165	165	165	170	169	170	159	153	142	150	159
विशाखापट्टनम	145	145	145	145	130	130	130	128	120	115	115	118	127	130
गोवा	143	149	141	137	145	141	157	155	145	138	124	131	133	141
केन्द्रीय क्षेत्र														
लखनऊ	125	121	119	122	124	132	136	129	122	123	117	118	118	124
मेरठ	130	128	125	125	125	131	135	133	129	126	124	126	131	128
फैजाबाद	118	115	115	115	120	129	136	128	121	120	112	117	118	120
बरेली	131	126	125	126	130	133	135	133	131	126	120	130	128	129
भोपाल	112	112	111	110	110	117	116	114	113	113	109	108	110	112

आवास ऋणों पर ब्याज दरें

*71. **श्री सुरेश रामराव जाधव:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ निजी/विदेशी बैंकों ने हाल ही में आवास ऋण की ब्याज दरों में भारी कटौती की घोषणा की है, जिससे अनैतिक युद्ध शुरू हो सकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार आवास ऋण की ब्याज दरों संबंधी कुछ मार्गनिर्देश जारी करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) सरकार को यह जानकारी है कि आवास ऋण पर ब्याज दरें बैंकों में प्रतिस्पर्धा के कारण गिर रही हैं।

(ख) से (घ) सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि उधारदाताओं के लिए उचित व्यवहार संहिता का पालन किया जाए, पूर्ण प्रकटन किया जाए और जिन लाभों का आश्वासन दिया गया है, उन्हें उधारकर्त्ताओं को उपलब्ध कराया जाए।

[हिन्दी]

चीनी मिलों को ऋण

*72. **योगी आदित्यनाथ:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्यों में चीनी मिलों के पुनरुद्धार हेतु चीनी विकास निधि से ऋण प्रदान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष का तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप मिलों का कितना पुनरुद्धार हुआ है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद यादव): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) औद्योगिक वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा मंजूर की गई पुनर्स्थापन योजना, जो क्रियान्वित की जा रही है, के अनुसार कर्नाटक में मैसर्स इंडिया शुगर्स एण्ड रिफाइनरीज लि., होसपेट, जिला बेल्लारी के संबंध में 7 अप्रैल, 2003 को 5.28 करोड़ रुपये का ऋण मंजूर किया गया है। चीनी उपक्रम ने यह ऋण अभी तक नहीं लिया है।

अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश संबंधी प्रक्रिया

*73. **श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह:**
श्री मानसिंह पटेल:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश संबंधी प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु प्रयास किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान अनिवासी भारतीयों से निवेश हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए और उन अनिवासी भारतीयों की संख्या कितनी है जिन्होंने वास्तव में निवेश किया है;

(घ) आधिकारिक तौर पर आवेदन करने के पश्चात् अनिवासी भारतीयों द्वारा अपने निवेश प्रस्तावों को वापस लेने के क्या कारण हैं; और

(ङ) उपर्युक्त कारणों से उत्पन्न समस्याओं को दूर करने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) और (ख) सरकार ने अप्रवासी भारतीयों द्वारा निवेश सहित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई.) के लिए एक उदार नीति शुरू की है जिसमें अधिकतर क्षेत्र स्वत: मार्ग के तहत एफ.डी.आई. के लिए खुले हैं जहां कोई पूर्व अनुमोदन अपेक्षित नहीं है और भारतीय रिजर्व बैंक को केवल निवेश की एक अधिसूचना की जानी होती है। ऐसे क्षेत्रों/कार्यकलापों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश संबंधी प्रस्तावों पर, जिनके लिए सरकार का अनुमोदन आवश्यक है, विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफ.आई.पी.बी.) के तंत्र के माध्यम से एक समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से विचार किया जाता है।

(ग) वर्ष 2001, 2002 और 2003 (अक्तूबर, 2003 तक) के दौरान सरकारी अनुमोदन के लिए अनिवासी भारतीयों से प्राप्त हुए निवेश संबंधी प्रस्तावों की संख्या क्रमश: 68, 57 और 53 है। अनिवासी भारतीय निवेशों के बारे में निवेशक-वार सूचना नहीं रखी जाती है।

(घ) और (ङ) निवेश के प्रस्तावों को सरकार के पास प्रस्तुत करना अथवा वापिस लेना निवेशकों के वाणिज्यिक विचारों पर निर्भर करता है। वापिस किए गए आवेदनों से संबंधित ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रम संख्या	आवेदक कंपनी	वापिस लेने के कारण
1.	यूनिसो ट्रेडिंग प्रा. लि.	आवेदन कोई कारण बताये बिना 05.09.2001 को वापिस ले लिया गया था।
2.	जागोवाल फूड्स प्रा. लि.	एफ.आई.पी.बी. द्वारा प्रस्ताव पर 19.12.2002 और 02.01.2003 को विचार किया गया था। आवेदक ने दिनांक 15.01.2003 को यह सूचित किया कि वे प्रस्ताव को वापिस ले रहे हैं, क्योंकि आवेदन पर कोई अनुमोदन/निर्णय प्राप्त नहीं हुआ है।
3.	एसप सोल्यूशन्स प्रा. लि.	आवेदक ने फिर से आवेदन करने के लिए दिनांक 14.05.2003 को प्रस्ताव वापिस ले लिया था।
4.	मेफेयर लिमिटेड	आवेदक ने दिनांक 13.10.2003 को यह अनुरोध किया था कि उच्च न्यायालय, मुंबई द्वारा समामेलन योजना का अनुमोदन कर दिए जाने के अनुसरण में आवेदक कंपनी का अपने समूह की एक कंपनी के साथ विलयन को ध्यान में रखते हुए उनके आवेदन की अनदेखी कर दी जाए।
5.	प्लेनेट आउटसोर्सिंग पार्क्स प्रा. लि.	कोई कारण बताये बिना आवेदन दिनांक 23.09.2003 को वापिस ले लिया गया था।

[अनुवाद]

निर्माण क्षेत्र में स्थानीय विशेषज्ञों को रोजगार

***74. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में अपनी निर्माण परियोजनाओं में स्थानीय विशेषज्ञों और कुशल श्रमिकों की नियुक्ति के संबंध में जेनरल एग्रीमेंट आन ट्रेड इन सर्विसेज (जी.ए.टी.एस.) और विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के अंतर्गत अन्य देशों द्वारा क्या प्रतिबद्धता की गई है;

(ख) भारत में ऐसी कंपनियों द्वारा विदेशी विशेषज्ञों की नियुक्ति को किस तरह से विनियमित किया जाता है;

(ग) क्या विदेशी कंपनियों द्वारा प्रतिबद्धताओं के उल्लंघन संबंधी कोई मामला अब तक प्रकाश में आया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) भारत में विदेशी निर्माण परियोजनाओं में स्थानीय विशेषज्ञों तथा कुशल कामगारों को रोजगार के संबंध में सामान्य सेवा व्यापार करार (गैट्स) के अंतर्गत प्रतिबद्धताएं विदेशों द्वारा नहीं की जा सकती। भातरीय बाजार में सेवा प्रदाताओं की विशिष्ट श्रेणियों की पहुंच की अनुमति अथवा उसकी मनाही केवल भारत द्वारा ही प्रदान की जा सकती है। गैट्स के अंतर्गत भारत की मौजूदा प्रतिबद्धताओं के अनुसार यह पहुंच केवल प्रबंधकों, कार्यकारियों और विशेषज्ञों के स्तर पर विदेशी विधिक व्यक्तियों के कर्मचारियों के लिए ही उपलब्ध हैं जिन्हें भारत में उक्त फर्म की किसी शाखा अथवा प्रतिनिधि कार्यालय अथवा उसके स्वामित्व अथवा नियंत्रणाधीन किसी भारतीय फर्म को अस्थाई अवधि के लिए स्थानांतरित किया जाता है।

(ख) भारत में विदेशी कंपनियों द्वारा विदेशी सेवा कार्मिकों की तैनाती अप्रवास प्राधिकरणों द्वारा रोजगार वीजा की स्वीकृति के अधीन होती है। ऐसे वीजा इस बात की पुष्टि होने के बाद ही प्रदान किए जाते हैं कि उक्त रोजगार वरिष्ठ स्तर पर अथवा कुशलता वाले पद के लिए है और यह कि किसी भारतीय फर्म के साथ संविदा का प्रमाण है।

(ग) से (ङ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय लघु वित्त कोष

*75. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने एक राष्ट्रीय लघु वित्त कोष गठित करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो इस कोष के क्या उद्देश्य हैं;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक का विचार बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र को ऋण देने में इस कोष का उपयोग नहीं करने का है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लघु वित्त कोष को किस तरह से प्राथमिकता क्षेत्र संबंधी ऋण नीतियों के अनुरूप बनाने का है?

वित्त मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश/विदेशी संस्थागत निवेश में कमी

*76. **श्री पी. राजेन्द्रन:**
श्री पी.एस. गढ़वी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान और आज तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) और विदेशी संस्थागत निवेश (एफआईआई) में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो कितनी कमी आई है;

(ग) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में कितनी कमी आई है; और

(घ) निकट भविष्य में देश में और अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (आंकड़े सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय परम्पराओं के अनुसार) और विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा किए गए निवेश के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

(मिलियन अमरीकी डालर)

	2000-2001	2001-2002	2002-2003
विदेशी प्रत्यक्ष निवेश	4029	6131	4660
विदेशी संस्थागत निवेशक	1847	1505	562.40

(ग) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान राज्य-वार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतप्रर्वाहों के ब्यौरे संलग्न विवरण I, II और III में दिए गए हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश राज्य-वार श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किए जा सकते क्योंकि ये निवेश पूंजी बाजारों में होते हैं।

(घ) सरकार ने उदार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति अपनाई है और एक लघु नकारात्मक सूची को छोड़कर, अधिकतर क्षेत्रकों को स्वत: मार्ग में रखा गया है। जबकि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का अंतप्रर्वाह मुख्यतया निवेशकों के वाणिज्यिक निर्णयों, वैश्विक बाजार स्थितियों जैसे कारकों पर निर्भर होता है, चालू वित्तीय वर्ष (2003-2004) के प्रथमार्ध में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रवाह वर्ष 2002-2003 की तदनुरूपी अवधि के दौरान 1604.16 अमरीकी डालर की तुलना में 1707.14 मिलियन अमरीकी डालर हैं।

विवरण I

दिनांक 01.04.2000 से 31.03.2001 तक अंतर्वाह का राज्य-वार (आरबीआई क्षेत्र-वार) ब्यौरा

(राशि मिलियन में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	अंतर्वाह		
		रुपए	अमरीकी डालर	कुल की प्रतिशतता
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	3054.65	70.08	2.95
2.	असम	3.50	0.08	0.00

1	2	3	4	5
3.	बिहार	0.50	0.01	0.00
4.	गुजरात	239.43	5.55	0.23
5.	कर्नाटक	6358.58	145.79	6.13
6.	केरल	534.68	12.33	0.52
7.	मध्य प्रदेश	34.96	0.81	0.03
8.	महाराष्ट्र	32448.46	748.16	31.30
9.	राजस्थान	25.28	0.57	0.02
10.	तमिलनाडु	3617.55	83.34	3.49
11.	पश्चिम बंगाल	375.94	8.54	0.36
12.	चण्डीगढ़	1632.20	37.96	1.57
13.	दादरा और नगर हवेली	2.00	0.05	0.00
14.	दिल्ली	36111.04	822.34	34.83
15.	गोवा	279.14	6.38	0.27
16.	पांडिचेरी	22.35	0.50	0.02
17.	अनिर्दिष्ट राज्य	18939.51	436.18	18.27
	जोड़	103679.78	2378.68	

नोट : राज्यवार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाह, आरबीआई, मुंबई द्वारा उपलब्ध कराए गए क्षेत्रवार अंतर्वाहों के अनुसार वर्गीकृत किए गए हैं।

विवरण II

दिनांक 01.04.2001 से 31.03.2002 तक अंतर्वाह का राज्य-वार (आरबीआई क्षेत्र-वार) ब्यौरा

(राशि मिलियन में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	अंतर्वाह		
		रुपए	अमरीकी डालर	कुल की प्रतिशतता
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	3380.89	73.86	1.83
2.	असम	55.80	1.16	0.03
3.	गुजरात	1086.57	24.14	0.59
4.	कर्नाटक	13483.59	296.30	7.29

1	2	3	4	5
5.	केरल	661.82	14.62	0.36
6.	मध्य प्रदेश	128.68	2.81	0.07
7.	महाराष्ट्र	51373.38	1103.16	27.79
8.	राजस्थान	52.28	1.16	0.03
9.	तमिलनाडु	13625.69	293.12	7.37
10.	पश्चिम बंगाल	872.39	18.84	0.47
11.	चण्डीगढ़	59.35	1.29	0.03
12.	दिल्ली	54601.68	1210.17	29.54
13.	गोवा	157.14	3.28	0.09
14.	पांडिचेरी	2970.33	66.01	1.61
15.	अनिर्दिष्ट राज्य	42353.18	917.76	22.91
	जोड़	184862.76	4027.69	

नोट : राज्यवार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाह, आरबीआई, मुंबई द्वारा उपलब्ध कराए गए क्षेत्रवार अंतर्वाहों के अनुसार वर्गीकृत किए गए हैं।

विवरण III

दिनांक 01.04.2002 से 31.03.2003 तक अंतर्वाह का राज्य-वार (आरबीआई क्षेत्र-वार) ब्यौरा

(राशि मिलियन में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	अंतर्वाह		
		रुपए	अमरीकी डालर	कुल की प्रतिशतता
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	2426.46	50.75	1.89
2.	असम	25.86	0.55	0.02
3.	गुजरात	5507.07	115.90	4.28
4.	कर्नाटक	9752.37	204.60	7.58
5.	केरल	674.51	14.14	0.52
6.	मध्य प्रदेश	58.32	1.21	0.05
7.	महाराष्ट्र	23664.04	494.20	18.39
8.	राजस्थान	12.20	0.26	0.01

1	2	3	4	5
9.	तमिलनाडु	9901.59	207.81	7.69
10.	पश्चिम बंगाल	1779.59	37.45	1.38
11.	चण्डीगढ़	8438.91	175.82	6.56
12.	दिल्ली	30622.24	639.29	23.79
13.	गोवा	1390.87	29.01	1.08
14.	पांडिचेरी	0.15	0.00	0.00
15.	अनिर्दिष्ट राज्य	34452.55	721.63	26.77
	जोड़	128706.72	2692.62	

नोट : राज्यवार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाह, आरबीआई, मुंबई द्वारा उपलब्ध कराए गए क्षेत्रवार अंतर्वाहों के अनुसार वर्गीकृत किए गए हैं।

विदेशी ऋण

*77. **श्री टी.एम. सेल्वागनपति:**
श्री तूफानी सरोज:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के दौरान भारत का विदेशी ऋण पांच बिलियन डालर और बढ़ गया है;

(ख) यदि हां, तो इस समय भारत पर कुल विदेशी ऋण का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त तिमाही के दौरान अल्पकालिक ऋण और विदेशी वाणिज्यिक ऋणों में भी वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा देश के ऋण भार को कम करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) से (घ) जी, हां। नवीनतम उपलब्ध सूचना के अनुसार भारत का विदेशी ऋण मार्च, 2003 के अंत में 104.6 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में जून, 2003 के अंत में 109.6 बिलियन अमरीकी डालर था।

अल्पावधि ऋण मार्च, 2003 के अंत में 4.6 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर जून, 2003 के अंत में 5.8 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। यह वृद्धि मुख्यत: तिमाही के दौरान भारत के आयातों में तेजी से उछाल आने के कारण अल्पावधि अनिवासी जमाओं और अल्पावधि व्यापार ऋणों में बढ़ोत्तरी के कारण हुई। उसी अवधि के दौरान वाणिज्यिक उधारों में मार्च, 2003 के अंत में 2.23 बिलियन अमरीकी डालर से मामूली बढ़कर जून, 2003 के अंत में 2.34 बिलियन अमरीकी डालर हो गए। यह वृद्धि मुख्यत: वाणिज्यिक बैंक ऋणों में वृद्धि के कारण हुई।

(ङ) सरकार एक विवेकपूर्ण विदेशी ऋण प्रबंधन नीति का पालन करती है जो रियायती और कम खर्चीले निधि स्रोतों, लम्बी अवधि की परिपक्वता की रूपरेखाओं, अल्पावधि ऋण भार के बढ़ने पर निगरानी रखने, उच्च लागत के ऋण को परिपक्वता से पहले समाप्त करने और ऋण-भिन्न पूंजी प्रवाहों के सृजन को प्रोत्साहन देने पर बल देती है। ऋण ग्रस्त होने के वर्गीकरण के अनुसार विश्व बैंक ने भारत को 1999 से कम-ऋण ग्रस्त श्रेणी में रखा है। विश्व के शीर्ष 15 ऋणी देशों में, भारत ने अपनी स्थिति में सुधार किया है, 1991 में तृतीय ऋणी से 2001 में इसकी स्थिति 9वीं हुई है।

लार्ड कृष्णा बैंक लिमिटेड में हवाला घोटाला

*78. **प्रो. ए.के. प्रेमाजम:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लार्ड कृष्णा बैंक लिमिटेड में 336 करोड़ रुपये के हवाला घोटाला की आंतरिक जांच का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या हवाला लेन-देन का मामला आरम्भ होने के तीन वर्ष बीत जाने के बाद भी केवल एक कनिष्ठ अधिकारी को ही निलंबित किया गया है;

(ग) क्या लार्ड कृष्णा बैंक के मुख्यालय के प्राधिकारी उक्त लेन-देन में भारतीय रिजर्व बैंक के विनियमों के उल्लंघन से अवगत नहीं थे;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) जांच को शीघ्र पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) सरकार द्वारा निकट भविष्य में ऐसी धोखाधड़ी वाले लेन-देन को रोकने हेतु क्या अन्य कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक की जांच से पता चला है कि कुछ लोगों द्वारा बैंकिंग माध्यमों का उपयोग लार्ड कृष्णा बैंक लि. की मुम्बई शाखा से केरल और कोयम्बतूर में विभिन्न स्थानों पर काफी अधिक मात्रा में रकम का अंतरण करने के लिए किया गया था। मुम्बई स्थित शाखाओं में रकम नकद जमा कराई गई थी और केरल एवं कोयम्बतूर में तार अंतरण द्वारा अंतरित की गई थी और तुरंत नकद रूप में आहरित कर ली गई थी। निधियों का काफी बड़ा हिस्सा अर्थात् 377.39 करोड़ रुपए में से 232.74 करोड़ रुपए लार्ड कृष्णा बैंक लिमिटेड की मुम्बई मुख्य शाखा से अंतरित किए गए थे। बैंक स्टाफ नकद अंतरणों के संबंध में अपने नियंत्रण अधिकारियों को सूचित करने में, जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के तहत अपेक्षित है, असफल रहा। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशों का उल्लंघन करने के लिए बैंक पर 5.00 लाख रुपए का दंड लगाया गया था। बैंक ने इस चूक के संबंध में दो अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है।

(च) ऐसे लेनदेनों की पुनरावृत्ति को रोकने के उद्देश्य से बैंकों को पुन: परामर्श दिया गया है कि वे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 16 अगस्त, 2002 को जारी किए गए अपने ग्राहक को जानिए संबंधी मार्गनिर्देशों की प्रति भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.आरबीआई.ओरआरजी.इन पर उपलब्ध है।

बैंकों की अप्रयोज्य आस्तियां

***79. श्री मोहन रावले:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान अप्रयोज्य आस्तियों के रूप में भारतीय स्टेट बैंक और सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंकों द्वारा बट्टे खाते में डाले गए ऋणों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या गत वित्तीय वर्ष में बट्टे खाते में डाला गया ऋण इससे पूर्व वर्ष की तुलना में अधिक है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन बैंकों द्वारा पूर्व के वर्ष की तुलना में पिछले वर्ष के दौरान वसूल की गई अप्रयोज्य आस्तियों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) से (घ) वर्ष 2001-02 तथा 2002-03 के लिए भारतीय स्टेट बैंक तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा बट्टे खाते डाले गए ऋण और की गई वसूलियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(रुपए करोड़ में)

बैंक	बट्टे खाते डाली गई राशि		की गई वसूलियां	
	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03
भारतीय स्टेट बैंक	2626.23	4071.39	4559.35	6668.35
सरकारी क्षेत्र के बैंक	6428.00	9448.00	14059.18	18730.15

अपने सुधरे हुए कार्यनिष्पादन के कारण बैंक अनुपयोज्य आस्तियों के लिए बढ़ा हुआ प्रावधान करने में सफल रहे हैं। इन प्रावधानों का उपयोग अनुपयोज्य आस्तियों को बट्टे खाते डालने तथा तुलन-पत्रों के परिमार्जन, कर-लाभ प्राप्त करने तथा अनुपयोज्य आस्तियों के स्तर को मान्य अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक लाने के लिए किया गया है। तथापि, इस प्रकार के बट्टे खाते तकनीकी प्रकार के हैं और बैंक बट्टे खाते वाले खातों से भी वसूली के अपने प्रयास जारी रखते हैं।

विश्व निवेश रिपोर्ट

***80. श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया:**
श्रीमती रेणूका चौधरी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व निवेश रिपोर्ट 2003 के अनुसार भारत की तुलना में चीन ने सात गुना अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) आकर्षित किया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2001 से 2003 के दौरान भारत और चीन को प्राप्त प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने चीन की तुलना में भारत में इतना कम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किए जाने के कारणों का अध्ययन किया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) से (ङ) विकासशील देशों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का प्रवाह वर्ष 2000 में 238 बिलियन अमरीकी डालर था जो वर्ष 2001 में कम होकर 205 बिलियन अमरीकी डालर हो गया तथा और कम होकर वर्ष 2002 में 190 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। तथापि, भारत में वर्ष 2002 में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का प्रवाह वैश्विक रुझानों के बावजूद कम नहीं हुआ।

संगत वर्षों के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्वाहों पर भारत के सरकारी आंकड़ों में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मानक परिभाषाओं के अनुसार पुनर्निवेशित अर्जन (विदेशी कंपनियों द्वारा), अंतर-कंपनी ऋण सौदे तथा विदेशी निवेशित फर्मों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेशकों द्वारा लिए गए विदेशी वाणिज्यिक ऋण शामिल नहीं थे। यह चीन के ठीक विपरीत है, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मानक पारिभाषिक शब्दावली का पालन करते हुए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सूचना देता रहा है।

इस तथ्य को देखते हुए कि स्वीकृत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष परिविधि की तुलना में भारत के आधिकारिक भारतीय रिजर्व बैंक के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश संबंधी आंकड़े योजनाबद्ध तरीके से अंतर्वाह को कम दर्शाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का अनुमान है कि वर्ष 2001 के दौरान भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का वास्तविक अंतर्वाह 5 बिलियन से 8 बिलियन अमरीकी डालर के बीच हो सकता है। इसके अतिरिक्त, वैश्विक विकास वित्त, 2002 के अनुसार 'राउंड ट्रिपिंग' (अर्थात हांगकांग से चीन में प्रवाह तथा विपर्ययेन) चीन के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लगभग 50 प्रतिशत भाग के लिए उत्तरदायी है। ये दोनों घटक भारत और चीन के बीच विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के आधिकारिक आंकड़ों की सही तुलना नहीं दर्शाते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने तुलनीयता के लिए भारत तथा चीन दोनों देशों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अंतर्वाहों के पुन: समायोजन हेतु प्रयास किया है। इस प्रयास के अनुसार, चीन के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का सकल घरेलू उत्पाद के प्रति अनुपात भारत से दुगुना है।

वर्ष 2003 के मध्य से, अनिगमित निकायों के पुनर्निवेशित अर्जन तथा इक्विटी पूंजी वार्षिक आधार पर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के आंकड़ों में शामिल की जा रही है। सरकार की उदार नीतियों से भविष्य में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रवाह के बढ़ने की आशा है।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951

602. श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने असम में बोडोलैंड सीमावर्ती क्षेत्र जिले के अंतर्गत आने वाले सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को संविधान के अनुच्छेद 330(ग) के उपबंधों के अंतर्गत लाने के उद्देश्य से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में संशोधन करने पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.सी. थामस): (क) से (ग) अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

वित्तीय संस्थाओं में निवेश

603. श्री त्रिलोचन कानूनगो: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष वित्तीय संस्थाओं का प्रयोजन-वार, संस्था-वार और राज्य-वार निवेश का ब्यौरा क्या है; और

(ख) कुछ राज्यों में कम निवेश का क्या कारण है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा तैयार की गई भारत में विकास बैंकिंग 2002-03 से संबंधित रिपोर्ट में यथा दी गई सूचना विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) निवेश संबंधी गतिविधि प्रत्याशित लाभप्रदता का कार्य है जो अन्य बातों के साथ आधारभूत विकास स्तर, बाजार से निकटता, कच्चे मामलों की उपलब्धता एवं राज्यों में समग्र नीति एवं नियामक व्यवस्था सहित कई कारकों से प्रभावित है। इन कारकों के कारण कुछ राज्यों में अन्य राज्यों की तुलना में कम निवेश होता है।

विवरण

क. वित्तीय संस्थाओं का संवितरण—उद्देश्य-वार

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	उद्देश्य	2000-01	2001-02	2002-03
1.	परियोजना वित्त	29027.7	20968.3	6086.2
2.	गैर परियोजना वित्त	34615.3	26261.0	13346.4
3.	पुनर्वित्त	6341.2	6396.4	9164.9
4.	बिल वित्त	1464.5	1072.8	764.2
5.	एनबीएफसी सहित वित्तीय संस्थाओं के शेयरों/बाण्डों के लिए ऋण एवं उसमें निवेश	588.1	612.5	208.7
6.	खुदरा वित्त	3463.7	7607.0	–
7.	गौण बाजार परिचालन	1001.0	971.8	1147.5

ख. वित्तीय संस्था-वार संवितरण

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	संस्था	2000-01	2001-02	2002-03
1.	आईडीबीआई	17473.6	11151.0	3924.2
2.	आईएफसीआई	2152.7	1096.9	1796.5
3.	आईसीआईसीआई	31664.5	25831.0	–
4.	आईआईबीआई	1709.8	1070.0	1091.9
5.	आईडीएससी	766.5	1506.1	949.3
6.	सिडबी	6441.4	5919.3	6789.4
7.	एक्जिम बैंक	2070.5	3869.2	6047.8
8.	नाबार्ड	1412.0	1897.0	2216.4

ग. वित्तीय संस्थाओं का संवितरण—राज्य-वार

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	2000-01	2001-02	2002-03
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	3368.2	3095.0	943.5
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.7	2.1	–

1	2	3	4	5
3.	असम	183.9	53.1	6.5
4.	बिहार	169.6	67.4	34.4
5.	छत्तीसगढ़	578.2	281.6	17.0
6.	दिल्ली	7339.2	4143.1	2293.8
7.	गोवा	219.9	82.4	39.8
8.	गुजरात	4261.7	3108.0	1391.2
9.	हरियाणा	1653.4	1621.6	368.7
10.	हिमाचल प्रदेश	551.7	557.7	67.3
11.	जम्मू-कश्मीर	183.8	366.0	67.0
12.	झारखण्ड	140.7	174.4	9.6
13.	कर्नाटक	4434.2	2828.0	1137.3
14.	केरल	734.8	781.3	351.8
15.	मध्य प्रदेश	1202.3	704.2	186.9
16.	महाराष्ट्र	15184.6	11962.1	3860.1
17.	मणिपुर	7.3	1.5	–
18.	मेघालय	5.4	14.4	4.4
19.	मिजोरम	2.1	0.8	–
20.	नागालैंड	5.8	2.5	–
21.	उड़ीसा	947.3	492.1	80.3
22.	पंजाब	1907.0	974.3	420.1
23.	राजस्थान	1629.4	827.8	266.4
24.	सिक्किम	54.9	7.3	0.2
25.	तमिलनाडु	4367.7	2543.3	1318.8
26.	त्रिपुरा	6.5	1.3	5.2
27.	उत्तरांचल	86.8	152.6	11.3
28.	उत्तर प्रदेश	2482.3	1353.5	418.0
29.	पश्चिम बंगाल	3454.6	1427.7	343.8

1	2	3	4	5
30.	संघ राज्य क्षेत्र	489.2	462.0	86.1
	(क) अंडमान एवं निकोबार	–	0.1	0.7
	(ख) चण्डीगढ़	198.5	316.6	36.0
	(ग) दादरा एवं नागर हवेली	160.4	84.5	36.3
	(घ) दमन एवं दीव	75.1	33.3	3.1
	(ङ) लक्षद्वीप	–	–	–
	(च) पांडिचेरी	55.2	27.5	10.0
31.	बहु राज्य/अन्य*	3775.1	7922.2	647.2

*आईसीआईसीआई, आईडीएफसी एवं सिडबी से संबंधित।

टिप्पणी: 3 मई, 2002 से आईसीआईसीआई बैंक लि. के साथ अपने दो अनुषंगियों के साथ आईसीआईसीआई के विलय हो जाने पर आईसीआईसीआई लि. (पूर्व डीएफआई) अब अस्तित्व में नहीं है। अत: आईसीआईसीआई वर्ष 2002-03 के लिए परिचालन आंकड़ा प्रदान नहीं करता।

सेनेगल के राष्ट्रपति की यात्रा

[हिन्दी]

604. श्री कालवा श्रीनिवासुलु: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेनेगल के राष्ट्रपति ने अपनी हाल की भारत यात्रा के दौरान अवस्थिति लाभ के कारण सेनेगल के बाजार का दोहन करने के लिए भारतीय निवेशकों को आमंत्रित किया है; और

(ख) यदि हां, तो सेनेगल को, विशेषकर चावल, कपास, यार्न और भेषजों, जिनकी उस देश में भारी मांग है, भारत से निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) और (ख) जी हां। सेनेगल के राष्ट्रपति ने यूएस के साथ सामीप्य के लाभ के कारण सेनेगल बाजार के दोहन के लिए भारतीय निवेशकों को आमंत्रित किया था। भारत सरकार सेनेगल को भारतीय निर्यातों को बढ़ाने के लिए उत्सुक है और यह देश सरकार के फोकस; अफ्रीका कार्यक्रम के अंतर्गत एक फोकस देश है। वित्त वर्ष 2002-2003 के दौरान सेनेगल को भारत का निर्यात 23.03 मिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 51.35 मिलियन अमरीकी डालर हो गया है जिसमें मुख्यत: चावल, रूई, यार्न और भेषजों के निर्यातों में वृद्धि के कारण 123% की वृद्धि हुई है।

आश्रम स्कूलों में कंप्यूटर केन्द्र

605. श्री चन्द्रकांत खैरे: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कितने आश्रम स्कूलों में कंप्यूटर केन्द्र चलाए जा रहे हैं और पिछले तीन वर्षों के दौरान उन पर कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ख) महाराष्ट्र में कितने आश्रम स्कूल और कंप्यूटर केन्द्र चलाए जा रहे हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) अनुसूचित जनजातियों के लिए आश्रम स्कूलों की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत जनजातीय कार्य मंत्रालय, राज्य सरकारों को 50:50 की भागीदारी के आधार पर निर्माण अनुदान प्रदान करता है। इन आश्रम स्कूलों में कंप्यूटर केन्द्रों के लिए कोई अनुदान प्रदान नहीं किया जाता।

(ख) अनुसूचित जनजातियों के लिए आश्रम स्कूलों की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत, इस योजना के प्रारंभ से लेकर अब तक, महाराष्ट्र राज्य सरकार को 183 आश्रम स्कूलों के लिए 333.04 लाख रुपए की धनराशि निर्मुक्त की गई है।

[अनुवाद]

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को लाभ/हानि

606. श्री बसुदेव आचार्य: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 मार्च, 2003 की स्थिति के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के वित्तीय परिणामों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के लिए कुल मिलाकर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रणाली के प्रचालन लाभ के संदर्भ में कितना लाभ हुआ;

(ग) घाटे वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के मामलों में घाटे के क्या कारण हैं; और

(घ) घाटे वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को मुनाफा कमाने वाले बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) 31 मार्च, 2003 की स्थिति के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के वित्तीय परिणामों का ब्यौरा निम्नांकित है:

(करोड़ रुपए)

स्वाधिकृत निधि	4619
जमा राशि	50098
उधार राशि	4799
निवेश	33063
बकाया अग्रिम	22158
जारी ऋण	12641
लाभ (156 आरआरबी)	734
हानि (40 आरआरबी)	215
निवल लाभ	519
संचित हानि	2752
नकदी जमा अनुपात	44.23
अनुपयोज्य आस्ति %	14.45
वसूली % (30 जून, 2002 की स्थिति के अनुसार)	71.52

(ख) गत तीन वर्षों के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कुल परिचालन लाभ निम्नमांकित है:

(करोड़ रुपए)

वर्ष	परिचालन लाभ
2001	730.18
2002	776.23
2003	709.48

(ग) घाटे में चल रहे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के मामले में घाटे के मुख्य कारण अल्प पूंजी आधार, उधार संबंधी विभाग की खराब गुणवत्ता, कमजोर वसूली स्तर एवं बढ़ती हुई अतिदेय राशियां, बढ़ती हुई प्रबंधन लागत एवं अल्प मार्जिन हैं।

(घ) घाटे में चल रहे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को लाभकारी बनाने के लिए उठाए गए कुछ कदम निम्नांकित हैं:

1. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अनुमति दी गई थी कि वे अपने घाटे में चल रही शाखाओं को धारणीय ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं के रूप में बनाने के उद्देश्य से अर्थक्षम रूप से अच्छे व्यावसायिक केन्द्रों पर पुनर्स्थापित करें।
2. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की घाटे में चल रही शाखाओं को सेवा क्षेत्र संबंधी अपने दायित्वों को कम किए बिना अनुषंगी चल कार्यालय में परिवर्तन करने की अनुमति दी गई है।
3. 187 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 2188 करोड़ रुपए की पुनर्पूंजीकरण सहायता दी गई।
4. स्विस विकास सहयोग के अंतर्गत संगठनात्मक विकास मध्यवर्ती (ओडीआई) के संचालन के प्रयोजन से 139 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पहचान की गई थी।
5. कर्मचारी के अंतर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पुनर्नियोजन की योजना को लागू किया गया था।
6. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में अनुपयोज्य आस्तियों की वसूली के लिए एकबारगी निपटान योजना को लागू किया गया।
7. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रोत्साहित किया गया है कि वे स्व-सहायता समूह के माध्यम से अधिक वित्त प्रदान करें जिसमें वसूली संबंधी कार्यनिष्पादन अच्छा है।

विदेशी लेखा फर्में

607. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंस्टिट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेट्स आफ इंडिया ने देश में कार्य कर रही भारतीय और विदेशी फर्मों की भूमिका विनिर्दिष्ट करने के बारे में विदेशी लेखा फर्मों के प्रचालन के संबंध में सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो इंस्टिट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेट्स आफ इंडिया द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

असम में जेबीआईसी का निवेश

608. **श्री एम.के. सुब्बा:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जापान बैंक फार इंटरनेशनल कारपोरेशन एजेंसी के शिष्टमंडल ने इस वर्ष अगस्त में असम की यात्रा की थी और राज्य में अवसंरचना सामाजिक विकास और विकास के अन्य क्षेत्रों में निवेश करने में रुचि प्रदर्शित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य के विकास में विशेषकर अवंसरचना विद्युत, सड़कों, पुलों और सामाजिक क्षेत्र में जापानी सहयोग प्राप्त करने के लिए इस एजेंसी के साथ कोई और बातचीत की है; और

(ग) इससे सहयोग की क्या संभावनाएं उत्पन्न हुई हैं और तत्संबंधी क्या परिणाम निकला?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

आयकर अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें

609. **श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिनांक 22 अगस्त, 2003 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4000 के उत्तर के अनुसार मुख्य आयुक्त और आयकर विभाग के आयुक्त की श्रेणी के अधिकारियों के विरुद्ध वर्ष 2003 में प्राप्त शिकायतों की जांच पूरी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) जी, हां। मुख्य आयकर आयुक्त से संबंधित दो मामलों और आयकर आयुक्त के आठ मामलों में शिकायतों की जांच के बाद इन्हें बन्द कर दिया गया है। आयुक्तों के दो मामलों में अनुशासनात्मक कार्यवाहियां आरंभ की गई हैं। मुख्य आयकर आयुक्त के दो मामलों में और आयकर आयुक्त के नौ मामलों में जांच चल रही है तथा जांच-रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात आवश्यक समझी जाने वाली कार्रवाई की जाएगी।

(ग) शिकायतों की जांच कर-निर्धारण अभिलेखों इत्यादि के संदर्भ में की जानी होती है जिसके लिए देश के विभिन्न स्थानों पर परिशीलन किए जाने की आवश्यकता होती है। चूंकि मुख्य आयकर आयुक्त तथा आयकर आयुक्त के कार्यों में अर्द्ध-न्यायिक कार्य शामिल हैं, इसलिए जांच के लिए गहन संवीक्षा एवं निष्पक्ष निर्णय की आवश्यकता होती है। इसमें समय लगता है। किसी नतीजे पर पहुंचने के बाद मामले को केन्द्रीय सतर्कता आयोग के पास उनकी सांविधिक सलाह के लिए भेजा जाता है।

[अनुवाद]

विदेशों में बैंकों की शाखाएं

610. **श्री परसुराम माझी:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी क्षेत्र के कौन-कौन से बैंकों ने विदेशों में अपनी शाखाएं खोली हैं;

(ख) किन-किन देशों में इन बैंकों ने अपनी शाखाएं खोली हैं;

(ग) इन बैंकों की उन देशों में कितनी शाखाएं हैं; और

(घ) उनका देश-वार, बैंक-वार और स्थान-वार स्थिति का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) से (घ) 1 मई, 2003 तक की स्थिति के अनुसार विदेशी केन्द्रों में स्थिति भारतीय बैंकों की देश-वार और बैंक-वार शाखाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गए हैं।

विवरण

1 मई, 2003 तक की स्थिति के अनुसार विदेशी केन्द्रों में भारतीय बैंकों का देश-वार ब्यौरा

देश का नाम	सरकारी क्षेत्र के बैंक								गैर-सरकारी बैंक	कुल
	भारतीय स्टेट बैंक	बैंक आफ इंडिया	बैंक आफ बड़ौदा	इंडियन बैंक	इंडियन ओवरसीज बैंक	यूको बैंक	केनरा बैंक	सिंडिकेट बैंक	भारत ओवरसीज बैंक	
श्रीलंका	2	–	–	2	2	–	–	–	–	6
यू.के.	3	6	7	–	–	–	1	1	–	18
यूएसए	4	2	1	–	–	–	–	–	–	7
जापान	2	2	–	–	–	–	–	–	–	4
मालदीव द्वीपसमूह	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
पश्चिम जर्मनी	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
बंगलादेश	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
बाहामास द्वीप (नसाऊ)	1	–	1	–	–	–	–	–	–	2
बेहरन	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
बेल्जियम	1	–	1	–	–	–	–	–	–	2
सिंगापुर	1	1	–	1	1	2	–	–	–	6
हांगकांग	1	2	–	–	2	2	–	–	–	7
कैमन द्वीपसमूह	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1
फ्रांस	1	1	–	–	–	–	–	–	–	2
चैनल द्वीपसमूह	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1
फिजी द्वीपसमूह	–	–	9	–	–	–	–	–	–	9
केन्या	–	2	–	–	–	–	–	–	–	2
मारीशस	–	–	8	–	–	–	–	–	–	8
यूएई	–	–	6	–	–	–	–	–	–	6
सेशेल्स	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1
दक्षिण अफ्रीका	1	–	1	–	–	–	–	–	–	2
दक्षिण कोरिया	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1
ओमान सल्तनत	–	–	3	–	–	–	–	–	–	3
थाईलैंड	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
कुल	21	18	38	3	6	4	1	1	1	93

अनिवासी भारतीयों द्वारा जमा की गई धनराशि

611. श्री वी.एम. सुधीरन: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में अनिवासी भारतीयों द्वारा भारत में राज्य-वार और वर्ष-वार वार्षिक कुल कितनी धनराशि भेजी गई है; और

(ख) प्रवासी भारतीयों द्वारा पिछले तीन वर्षों में केरल में वर्ष-वार वार्षिक कुल कितनी धनराशि भेजी गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सरकार का गैर-योजना व्यय

612. श्री प्रकाश वी. पाटील: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के गैर-योजना व्यय में तेजी से वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने अपने गैर-योजना व्यय में कुछ कटौती करने का निर्णय किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान आयोजना-भिन्न व्यय में वृद्धि सरकार के आयोजना व्यय में वृद्धि से कम है। वर्ष 2000-01 से 2002-03 (अनंतिम) तक आयोजना-भिन्न व्यय में 23.9 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई जबकि आयोजना व्यय में उसी अवधि में 35.6 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। वर्ष 2000-01 से 2002-03 की अवधि के दौरान आयोजना-भिन्न व्यय के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

(करोड़ रुपए)

	विवरण	वास्तविक आंकड़े 2000-01	वास्तविक आंकड़े 2001-02	वास्तविक आंकड़े 2002-03 (अनंतिम)
1.	ब्याज संदाय	99314	107460	115630
2.	रक्षा व्यय	49622	54266	55455
3.	सब्सिडी	26838	31207	40415
4.	राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अनुदान	14717	15327	14095
5.	अन्य आयोजना-भिन्न व्यय	52432	52999	75292
6.	जोड़-आयोजना-भिन्न व्यय	242923	261259	300887

(ग) और (घ) सरकार गैर-विकासात्मक व्यय को घटाने के लिए प्रतिबद्ध है। इन उपायों में वर्ष 2002-03 से 4 वर्षों की अवधि में कुल सिविलियन संख्या के 1 प्रतिशत तक नई भर्ती को सीमित करना, सब्सिडी को युक्तिसंगत बनाना नकदी प्रबंधन की शुरूआत करना आदि शामिल है।

जातियों को शामिल करना

613. श्री सनत कुमार मंडल: क्या **जनजातीय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय जनजातीय सूची में पश्चिम बंगाल से कितनी जातियों/उपजातियों/समूहों को शामिल किया गया है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को और अधिक जातियों/उपजातियों/उप समूहों को शामिल करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार से हाल ही में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर क्या कदम उठाए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) पश्चिम बंगाल की अनुसूचित जनजातियों की सूची में 40 जातियों/समूहों को शामिल किया गया है।

(ख) और (ग) पश्चिम बंगाल की अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने के लिए मंत्रालय में कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(घ) इन प्रस्तावों पर भारत सरकार द्वारा अनुमोदित प्रक्रियाओं के अनुसार कार्यवाही की गई है।

[हिन्दी]

कपड़ा मिलों का आधुनिकीकरण

614. **श्री शिवाजी माने:**
डा. मदन प्रसाद जायसवाल:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र और बिहार में कुछ कपड़ा मिलों का विदेशी सहायता से आधुनिकीकरण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी मिलें कौन-कौन सी हैं;

(ग) किन देशों और वित्तीय संस्थाओं ने आधुनिकीकरण हेतु धनराशि प्रदान की है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन संस्थाओं द्वारा उपर्युक्त राज्यों को राज्य-वार उपलब्ध कराई गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): (क) सरकार द्वारा कोई विदेशी सहायता नहीं दी जा रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

धनराशि का आवंटन

615. **डा. जसवंत सिंह यादव:** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एन.टी.सी. देश में कुछ कपड़ा मिलें चला रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान मिलवार प्रति वर्ष उन्हें कितना मुनाफा/घाटा हुआ;

(ग) क्या सरकार इसमें से कुछ घाटे वाली मिलों का पुनरुद्धार करने का विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन मिलों के कामगारों के हितों की रक्षा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) देश में एन.टी.सी. मिलों के नामों और पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष में हुए लाभ/हानि को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) सरकार ने सभी पुनरुद्धार योग्य मिलों का पुनरुद्धार करने और प्रभावित कर्मचारियों को वीआरएस देने के बाद गैर-पुनरुद्धार योग्य मिलों को बंद करने का निर्णय लिया है। बीआईएफआर/सरकार द्वारा स्वीकृत योजनाओं के अनुसार 53 अर्थक्षम मिलों का पुनरुद्धार किया जाना है और 66 गैर-पुनरुद्धार योग्य मिलों को बंद किया जाना है। सरकार ने मुआवजे की बढ़ी हुई राशि देने के उद्देश्य से बंद की जाने वाली मिलों के कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना में भी संशोधन किया है।

विवरण

राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड

2000-01 से 2002-03 की अवधि में मिल-वार लाभ (+)/घाटा(-)

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	मिल/सहायक कंपनी का नाम	2000-2001	2001-2002	2002-2003 (अनंतिम)
1	2	3	4	5
एनटीसी (डीपीआर) लि.				
पंजाब				
1.	दयालबाग स्पि. एंड विविंग मिल्स	7.46	-7.94	-17.00

1	2	3	4	5
2.	खरार टैक्सटाइल मिल्स	-5.77	-5.23	-5.53
3.	पानीपत वूलेन मिल्स	-8.83	-10.08	-10.75
4.	सूरज टैक्सटाइल मिल्स	-5.29	-5.26	-5.74
राजस्थान				
5.	एडवार्ड मिल्स	-5.43	-7.48	-6.89
6.	महालक्ष्मी मिल्स	-5.68	-5.86	-6.46
7.	श्री विजय काटन मिल्स	-4.91	-4.90	-5.24
8.	उदयपुर काटन मिल्स	-4.71	-5.78	-5.24
एनटीसी (मध्य प्रदेश) लि.				
छत्तीसगढ़				
9.	बंगाल नागपुर काटन मिल्स	-17.95	-8.89	-35.30
मध्य प्रदेश				
10.	बुरहानपुर ताप्ती मिल्स	-13.42	-5.40	-6.10
11.	हीरा मिल्स	-11.35	-0.69	-24.84
12.	इंदौर मालवा यूनाइटेड मिल्स	-18.16	-14.31	-41.29
13.	कल्याणमल मिल्स	-16.69	-10.81	-40.66
14.	न्यू भोपाल टैक्सटाइल मिल्स	-12.52	-4.81	-5.45
15.	स्वदेशी टैक्सटाइल मिल्स	-10.46	-2.81	-18.87
एनटीसी (उत्तर प्रदेश) लि.				
16.	अर्थटन मिल्स	-11.58	-12.67	-36.58
17.	बिजली काटन मिल्स	-2.54	-1.99	-5.31
18.	लक्ष्मीरतन काटन मिल्स	-14.71	-16.54	-37.65
19.	लार्ड कृष्णा टैक्सटाइल मिल्स	-7.65	-1.40	-19.13
20.	मूदूर मिल्स	-19.29	-9.17	-51.26
21.	न्यू विक्टोरिया मिल्स	-20.67	-7.11	-28.20
22.	रायबरेली टैक्सटाइल्स मिल्स	-2.44	-4.23	-6.84
23.	श्री विक्रम काटन मिल्स	-4.61	-4.94	-16.19

1	2	3	4	5
24.	स्वदेशी काटन मिल्स, मऊ	-4.94	-1.51	-5.07
25.	स्वदेशी काटन मिल्स, कानपुर	-20.81	-18.58	-46.05
26.	स्वदेशी काटन मिल्स, नैनी	-17.05	1.38	-14.18
एनटीसी (साऊथ महाराष्ट्र) लि.				
27.	अपोलो टैक्सटाइल्स मिल्स	-12.89	4.58	-15.83
28.	औरंगाबाद टैक्सटाइल्स मिल्स	-2.51	-1.50	-.248
29.	बारसी टैक्सटाइल्स मिल्स	-1.37	2.14	-1.14
30.	भारत टैक्सटाइल्स मिल्स	-13.26	-4.97	-14.38
31.	चालीसगांव टैक्सटाइल्स मिल्स	-5.79	-5.47	-7.08
32.	धूले टैक्सटाइल्स मिल्स	-7.11	-2.70	-8.89
33.	दिग्विजय टैक्सटाइल्स मिल्स	-17.70	-5.17	-19.11
34.	एलिफिंस्टन स्पि. एवं विविंग मिल्स	-12.22	-13.56	-14.04
35.	फिनले मिल्स	-15.68	-14.83	-18.21
36.	गोल्ड मोहर मिल्स	-12.74	-11.36	-14.05
37.	ज्यूपिटर टैक्सटाइल्स मिल्स	-17.36	12.06	-14.19
38.	मुंबई टैक्सटाइल्स मिल्स	-15.85	5.89	-14.59
39.	नान्देर टैक्सटाइल्स मिल्स	-8.11	-3.59	-7.56
40.	न्यू सिटी आफ बाम्बे मैन्यू. मिल्स	-12.39	-13.89	-15.36
41.	न्यू हिन्द टैक्सटाइल्स मिल्स	-17.14	3.00	-17.00
42.	पोद्दार प्रोसेसर	-7.78	-8.39	-9.26
43.	श्री मधुसूदन मिल्स	-8.41	-9.83	-10.13
एनटीसी (नार्थ महाराष्ट्र) लि.				
44.	इंडिया यूनाइटेड मिल्स नं. 1	-23.40	-16.67	-24.69
45.	इंडिया यूनाइटेड मिल्स नं. 2	-15.69	-11.12	-15.82
46 और 47.	इंडिया यूनाइटेड मिल्स नं. 3 और 4	-23.34	-19.51	-19.70
48.	इंडिया यूनाइटेड मिल्स नं. 5	-13.42	-5.77	-13.63
49.	इंडिया यूनाइटेड मिल्स डाइ वर्क्स	-11.03	-7.87	-12.15
50.	जैम मैन्यू. मिल्स	-9.39	-11.97	-10.97

1	2	3	4	5
51, 52, 53.	कोहिनूर मिल्स नं. 1, 2 और 3	-17.71	-19.58	-19.18
54.	पोद्दार मिल्स	-11.94	-13.93	-14.92
55.	माडल मिल्स	-21.20	-9.74	-20.32
56.	आर.बी.बी.ए. मिल्स	-9.13	-3.78	-9.08
57.	आर.एस.आर.जी. मिल्स	-6.99	-6.20	-9.86
58.	सावतराम रामप्रसाद मिल्स	-5.44	-2.29	-5.84
59.	श्री सीताराम मिल्स	-8.60	-10.18	-8.81
60.	टाटा मिल्स	-20.57	-21.99	-24.10
61.	विदर्भ मिल्स	-6.76	-6.15	-7.46
एनटीसी (गुजरात) लि.				
62.	अहमदाबाद ज्यूपिटर टैक्सटाइल्स	-17.10	-8.66	-17.63
63.	अहमदाबाद न्यू टैक्सटाइल्स मिल्स	-16.92	-8.89	-19.09
64.	हिमाद्री टैक्सटाइल्स मिल्स	-12.70	-3.53	-13.55
65.	जहांगीर टैक्सटाइल्स मिल्स	-21.07	-7.45	-21.34
66.	महालक्ष्मी टैक्सटाइल्स मिल्स	-13.20	-1.93	-13.98
67.	न्यू मानिकचौक टैक्सटाइल्स मिल्स	-14.89	-8.59	-12.94
68.	पेटलाड टैक्सटाइल्स मिल्स	-6.94	0.04	-5.88
69.	राजकोट टैक्सटाइल्स मिल्स	-6.06	-3.30	-4.97
70 और 71.	राजनगर टैक्सटाइल्स मिल्स	-19.59	-8.56	-20.51
72.	विरंगम टैक्सटाइल्स मिल्स	-12.30	-8.65	-10.60
एनटीपीसी (एपीकेकेएंडएम) लि.				
आंध्र प्रदेश				
73.	अदोनी काटन मिल्स	-1.91	-1.04	-4.56
74.	अनन्तपुर काटन मिल्स	-4.88	3.45	-4.08
75.	आजम जाही मिल्स	-8.71	3.59	-21.26
76.	नटराज स्पिनिंग मिल्स	-4.53	8.02	-3.51
77.	नेटहा स्पिनिंग व विविंग मिल्स	-2.15	-1.45	-4.20
78.	तिरूपति काटन मिल्स	-3.84	6.35	-2.85

1	2	3	4	5
कर्नाटक				
79.	एम.एस.के. मिल्स	-10.72	-2.47	-30.36
80.	मिनर्वा मिल्स	-14.03	-9.76	-27.76
81.	मैसूर स्पि. व मैन्यू. मिल्स	-8.59	-0.53	-8.83
82.	श्री याल्लमा काटन मिल्स	-5.17	7.90	-4.03
केरल				
83.	अलगप्पा टैक्सटाइल्स मिल्स	-4.58	2.12	-6.38
84.	कन्नूर स्पि. व विविंग मिल्स	0.37	-1.25	-0.17
85.	केरल लक्ष्मी मिल्स	-0.75	7.12	-3.20
86.	पार्वती मिल्स	-13.89	15.97	-10.18
87.	विजयमोहिनी मिल्स	-1.81	1.44	-2.86
पांडिचेरी		-6.63	-7.32	-8.23
88.	कन्नूर स्पि. व विविंग मिल्स	-0.76	3.88	-1.57
एनटीसी (टीएन और पी) लि.				
89.	बलरामवर्मा टैक्सटाइल्स मिल्स	-1.37	-2.41	-2.54
90.	कम्बोडिया मिल्स	-0.76	-4.55	-4.59
91.	कोयम्बटूर मुरूगन मिल्स	-2.16	-1.66	-1.51
92.	कृष्णावेनी टैक्सटाइल्स मिल्स	2.08	-1.56	-0.10
93.	ओम पराशक्ति मिल्स	-1.06	-2.56	0.07
94.	पंकज मिल्स	0.27	-3.57	-4.11
95.	पायनियर स्पिनर्स मिल्स	0.86	-2.22	-2.37
96.	श्री रंगाविलास एस. और डब्ल्यू. मिल्स	-0.21	-4.87	-4.38
97.	सोमासुन्दरम मिल्स	-2.33	-4.22	-2.58
98.	कालीस्वरर मिल्स 'बी' यूनिट	3.01	-3.98	-3.56
एनटीसी (एचसी) एनटीसी (टीएन और पी) द्वारा प्रबंधित				
तमिलनाडु				
99.	श्री शारदा मिल्स	-4.60	-5.98	-6.21
100.	कोयम्बटूर स्पि. और विविंग मिल्स	-12.94	-14.38	-17.04
101.	कालीस्वरर मिल्स 'ए' यूनिट	-10.78	-15.75	-10.56

1	2	3	4	5
पांडिचेरी				
102.	स्वदेशी काटन मिल्स	-8.35	-10.00	-7.12
103.	श्री भारती मिल्स	-5.99	-6.69	-7.92
एनटीसी (डब्ल्यूबीएबी और ओ) लि.				
असम				
104.	एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज	-4.63	-4.78	-2.49
बिहार				
105.	बिहार को-ओ. विवर्स स्पि. मिल्स	-3.55	-3.70	-3.29
106.	गया काटन और जूट मिल्स	-7.15	-7.23	बंद
उड़ीसा				
107.	उड़ीसा काटन मिल्स	-5.40	-5.28	-5.20
पश्चिम बंगाल				
108.	आरती काटन मिल्स	-4.91	-4.58	-3.96
109.	बंगाश्री काटन मिल्स	-3.94	-3.75	बंद
110.	बंगाल फाइन एस. एण्ड डब्ल्यू. मिल्स नं. 1	-9.01	-8.41	-3.17
111.	बंगाल फाइन एस. एण्ड डब्ल्यू. मिल्स नं. 2	-2.77	-2.69	बंद
112.	बंगाल लक्ष्मी काटन मिल्स	-10.56	-9.89	-3.75
113.	मनिंद्रा बी.टी. मिल्स	-7.51	-6.50	बंद
114.	ज्योति विविंग फैक्ट्री	-4.04	-4.81	बंद
115.	लक्ष्मी नारायण काटन मिल्स	-6.07	-5.36	-3.74
116.	रामपुरिया काटन मिल्स	-10.14	-9.77	-3.49
117.	सैंट्रल काटन मिल्स	-12.39	-13.40	बंद
118.	श्री महालक्ष्मी काटन मिल्स	-10.22	-11.35	बंद
119.	शोदेपुर काटन मिल्स	-3.35	-3.37	-3.37
		-1051.19	-623.29	-1313.15

अनुकम्पा के आधार पर नौकरी

616. श्री सुरेश चन्देल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय स्टेट बैंक के चंडीगढ़ जोन में श्रेणीवार अनुकम्पा के आधार पर कितने लोगों को नौकरी दी गई है;

(ख) उपर्युक्त जोन के भीतर आने वाली शाखाओं के सेवारत बैंक गार्डों की असामयिक मृत्यु के कारण अनुकम्पा के आधार पर बैंक गार्डों के कितने आश्रितों ने नौकरियों के लिए आवेदन किया है और उक्तावधि के दौरान बैंक द्वारा ऐसे कुल कितने मामले निरस्त किए गए;

(ग) क्या अनेक मामलों में उन आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नौकरियां प्रदान की गई हैं जिनकी पारिवारिक आय उन लोगों की तुलना में अधिक थी जिनके आवेदन-पत्र निरस्त कर दिए गए थे; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे कितने मामले हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय स्टेट बैंक के चण्डीगढ़ अंचल में जिन लोगों को अनुकम्पा के आधार पर नौकरी दी गई थी उनकी श्रेणी-वार संख्या निम्नलिखित है:

श्रेणी	संख्या
लिपिक	11
अधीनस्थ कर्मचारी	26

(ख) चण्डीगढ़ अंचल के भीतर बैंक गार्डों के 23 आश्रितों ने अनुकम्पा के आधार पर नौकरी के लिए आवेदन दिया था, जिनमें से 18 आवेदक पात्र नहीं पाए गए थे।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

617. श्री बीर सिंह महतो:
श्री अब्दुल रशीद शाहीन:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल और जम्मू और कश्मीर में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा कितनी धनराशि का ऋण प्रदान किया गया;

(ख) क्या इन बैंकों में व्यापक भ्रष्टाचार के कारण किसानों को वास्तविक लाभ नहीं मिल रहा है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में की गई समीक्षा का क्या परिणाम निकला; और

(घ) सरकार द्वारा इन बैंकों में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने और उनके कार्यनिष्पादन में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) पिछले दो वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल और जम्मू एवं कश्मीर में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा संवितरित कुल ऋण निम्नानुसार हैं:

(करोड़ रुपए)

	2001-2002	2002-2003
जम्मू एवं कश्मीर	55.04	75.98
पश्चिम बंगाल	537.77	675.82

(ख) से (घ) जम्मू एवं कश्मीर राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा जारी किए गए ऋणों की राशि 2000-2001 के दौरान 42.93 करोड़ रुपए से बढ़कर 2002-03 के दौरान 75.98 करोड़ रुपए हो गई। इसी प्रकार पश्चिम बंगाल राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा जारी किए गए ऋणों की राशि 2000-2001 के दौरान 403.18 करोड़ रुपए से बढ़कर 2002-03 के दौरान 675.82 करोड़ रुपए हो गई। इन राज्यों में ऋणों एवं अग्रिमों में सतत वृद्धि से पता चलता है कि किसानों को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का लाभ निरंतर मिल रहा है। ऋणों की मंजूरी के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों के विरुद्ध जनता/किसानों द्वारा की गई शिकायतों/लगाए गए भ्रष्टाचार आदि के आरोपों की जांच करने और सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए प्रणालियां एवं प्रक्रियाएं स्थापित की गई हैं।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यकरण में और सुधार करने के लिए निम्नलिखित उपाय भी किए गए हैं:-

(1) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यनिष्पादन में योजनाबद्ध तरीके से सुधार करने के लिए वार्षिक आधार पर विकास कार्य योजना और समझौता ज्ञापन की शुरूआत तथा आय की पहचान, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान संबंधी

मानदण्डों को शामिल करते हुए विवेकपूर्ण मानदण्डों की शुरूआत;

(2) कारबार संबंधी पोर्टफोलियो और गतिविधियों का विविधीकरण;

(3) हानि उठाने वाली शाखाओं के स्थान परिवर्तन एवं विलय सहित शाखा नेटवर्क का युक्तिकरण;

(4) ब्याज दर ढांचे का अविनियमन;

(5) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रबंधन में प्रायोजक बैंकों की अधिक भूमिका; तथा

(6) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों का कौशल उन्नयन।

[अनुवाद]

एस.जी.आर.वाई. के अंतर्गत खाद्यान्न की दर

618. श्री किरीट सोमैया: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को महाराष्ट्र सरकार सहित विभिन्न राज्यों से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों हेतु खाद्यान्न की दर से कम सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत बेचे जाने वाले/वितरित किए जाने वाले खाद्यान्न की दरें निर्धारित करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

सूती कपड़े का उत्पादन

619. श्री ए. नरेन्द्र: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कितने सूती कपड़े का उत्पादन किया गया;

(ख) क्या पूर्वोक्त अवधि के दौरान इसके उत्पादन में अत्यधिक कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा कमी के ऐसे रुझान को रोकने और सूती कपड़े के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): (क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सूती वस्त्रों का उत्पादन निम्न अनुसार है:

उत्पादन वर्ष	उत्पादन (मिलियन वर्ग मीटर में)
2000-01	19718
2001-02	19769
2002-03	19300

(ख) और (ग) किसी भी मद का उत्पादन उसकी मांग पर आधारित होता है। वर्ष 2001-02 में उत्पादन में 51 मिलियन वर्ग मीटर की वृद्धि हुई लेकिन वर्ष 2002-03 में 469 मिलियन वर्ग मीटर की गिरावट आई जिसे तेज गिरावट नहीं माना जा सकता है।

(घ) वस्त्र उद्योग की उन्नति और विकास के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

(1) वस्त्र क्षेत्र के आधुनिकीकरण तथा उन्नयन को सुगम बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) शुरू करना।

(2) केन्द्रीय बजट 2003-04 में फाईबरों, यार्न, फैब्रिकों/मेड अप्स और सिले-सिलाए परिधानों पर उत्पाद शुल्क के एक साथ सुव्यवस्थीकरण सहित समग्र वस्त्र मूल्य श्रृंखला में सेनवैट श्रृंखला का पूरा होना।

(3) अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी वाली विशिष्ट वस्त्र मशीनों पर 5% के आयात शुल्क की रिआयती दर।

(4) लघु उद्योग क्षेत्र से बुनन सिलेसिलाए परिधानों का अनारक्षण।

(5) परिधानों के उत्पादन और निर्यात के लिए अपैरल पार्कों का विकास।

(6) कपास के उत्पादन और गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए कपास प्रौद्योगिकी मिशन शुरू करना।

(7) इस क्षेत्र में कुछ अपवादों के साथ स्वचालित मार्ग के माध्यम से सौ-प्रतिशत तक विदेशी इक्विटी सहभागिता की अनुमति प्रदान करना।

(8) कुछ वस्त्र उत्पादों के लिए डीईपीबी दरों का सुव्यवस्थीकरण।

(9) वर्ष 2004 तक विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में 50,000 शटलरहित करघों को शामिल करने और 2.5 लाख विद्युतकरघों को आधुनिक बनाने के लिए एक कार्यक्रम भी शुरू किया गया है।

(10) 2.00 करोड़ रुपये और उससे अधिक के ऋण वाले संभावित रूप से अर्थक्षम वस्त्र एककों के ऋणों दायित्वों का पुनर्निर्माण करने के लिए एक पैकेज की घोषणा।

रबड़ का निर्यात

620. श्री टी. गोविन्दन: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रबड़ बोर्ड ने रबड़ का निर्यात बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विगत तीन वर्षों में रबड़ का वर्ष-वार कितना निर्यात हुआ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) जी हां। सरकार/रबड़ बोर्ड ने प्राकृतिक रबड़ के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अनेक उपाय किए हैं जिनमें प्राकृतिक रबड़ के निर्यातकों को गुणवत्ता का स्तर बढ़ाने, प्रमाणित करने, परिवहन इत्यादि के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना, विदेशी निर्यात बाजारों का पता लगाना, व्यापार शिष्टमंडलों को भेजना, व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी करना शामिल हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक के दौरान निर्यात की गई रबड़ की कुल मात्रा निम्नांकित हैं:-

वर्ष	निर्यात (टनों में)
2000-2001	13,356
2001-2002	6,995
2002-2003	55,310

एशियाई विकास बैंक की सुधार रणनीतियां

621. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत अर्थव्यवस्था के पांच महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुधार रणनीति तैयार करने के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ सहयोग करने वाला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एशियाई विकास बैंक से इस बारे में कोई विचार-विमर्श किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इस प्रयोजन से कौन सी विस्तृत रणनीति तैयार की गई है; और

(ङ) एशियाई विकास बैंक की सहायता से सुधार के लिए किन क्षेत्रों का चयन किया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) से (ङ) एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के वर्ष 2003 से 2006 के "कन्ट्री स्ट्रैटजी एण्ड प्रोग्राम (सीएसपी), जिसके संबंध में भारत सरकार के साथ संयुक्त रूप से निर्णय लिया गया है, में इस अवधि के दौरान प्रस्तावित एडीबी सहायता के लिए परिवहन, ऊर्जा, शहरी आधारभूत ढांचा, वित्तीय, कृषि एवं राष्ट्रीय संसाधन क्षेत्रों की पहचान की गई है।

आयकर संग्रहण

622. श्री अमर राय प्रधान: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आयकर विभाग ने पिछले तीन वर्षों के दौरान सर्किल-वार कितना आयकर संगृहीत किया है; और

(ख) आयकर विभाग ने सिक्किम के आयकरदाताओं से कितनी आयकर राशि संगृहीत की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) गत तीन वित्तीय वर्षों 2000-2001, 2001-2002 और 2002-2003 के दौरान आयकर विभाग द्वारा आयकर के रूप में एकत्र की गई धनराशि क्रमश: 30702.48 करोड़ रुपए, 30996.98 करोड़ रुपए तथा 35005.03 करोड़ रुपए है। यह सूचना मुख्य आयुक्त क्षेत्रवार संकलित की जाती है तथा न कि परिमंडलवार। ऐसे ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) आयकर विभाग द्वारा सिक्किम के आयकरदाताओं से आयकर के रूप में एकत्र की गई राशि वित्तीय वर्ष 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003 के लिए क्रमश: 1.0 करोड़ रुपए, 2.75 करोड़ रुपए, तथा 4.56 करोड़ रुपए है।

विवरण

गत तीन वित्त वर्षों के दौरान आयकर विभाग द्वारा एकत्र किया गया आयकर

(करोड़ रुपये में)

मुख्य आयकर आयुक्त क्षेत्र	2000-01	2001-02	2002-03
1	2	3	4
अहमदाबाद	1964.64	1725.21	1964.06
बंगलौर	2582.87	2630.38	2928.00

1	2	3	4
भोपाल/रायपुर	789.59	999.36	828.56
मुम्बई	7389.24	7049.90	8613.45
कोलकाता	1788.65	1799.22	1950.39
कोचीन	635.23	683.76	765.24
हैदराबाद	1429.63	1627.28	1630.26
जयपुर	637.09	654.00	681.99
चेन्नई	2629.01	2830.79	2935.50
दिल्ली	4190.79	4022.22	5126.86
चंडीगढ़/पंचकुला	1568.75	1789.27	1967.14
कानपुर	398.08	414.35	410.83
मेरठ	459.21	435.75	555.16
लखनऊ	678.43	677.92	768.06
पुणे/नागपुर	2219.60	2194.07	2300.26
पटना/रांची	572.63	731.98	806.60
गुवाहाटी	544.13	379.65	437.20
भुवनेश्वर	242.91	351.87	335.47
योग	30702.48	30996.98	35005.03

राहत उपाय के रूप में खाद्यान्न का आबंटन

623. **श्री वरकला राधाकृष्णन:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार ने विभिन्न राज्य सरकारों को सूखा/बाढ़ से निपटने के लिए राहत के रूप में विगत वर्ष और आज की तिथि तक कितना खाद्यान्न आबंटित किया है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने विदेशों को विगत तीन वर्षों के दौरान मानवीय सहायता के रूप में खाद्यान्न उपलब्ध कराया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद यादव): (क) ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) इसका ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण I

केन्द्र सरकार द्वारा 2002-03 और 2003-04 के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों को सूखा/बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए राहत सामग्री के रूप में किए गए खाद्यान्नों का आवंटन

(मात्रा लाख टन में)

क्र.सं.	राज्य	2002-03	2003-04 (आज की तारीख के अनुसार)
1.	आंध्र प्रदेश	20.00	13.20
2.	बिहार	0.25	–
3.	छत्तीसगढ़	3.29	2.38
4.	गुजरात	1.48	1.58
5.	हरियाणा	0.25	–
6.	हिमाचल प्रदेश	0.85	–
7.	झारखंड	0.40	–
8.	कर्नाटक	5.30	3.55
9.	केरल	0.52	–
10.	मध्य प्रदेश	4.17	4.74
11.	महाराष्ट्र	1.16	1.66
12.	उड़ीसा	4.00	5.22
13.	राजस्थान	18.98	13.06
14.	तमिलनाडु	1.25	3.75
15.	उत्तर प्रदेश	2.00	–
16.	उत्तरांचल	0.50	–
	जोड़	64.40	49.14

विवरण II

पिछले तीन वर्षों के दौरान मानवीय सहायता के लिए विदेशों को उपलब्ध कराए गए खाद्यान्न

क्र.सं.	देश	खाद्यान्न सहायता की मात्रा	तारीख
1.	श्रीलंका	3,00,000 टन (गेहूं)	03.07.2002 को समझौते पर हस्ताक्षर हुए
2.	कम्बोडिया	10,200 टन (चावल)	विदेश मंत्रालय के पत्र दिनांक 13.9.2002 के संदर्भ में राज्य व्यापार निगम के माध्यम से मानवीय सहायता के रूप में चावल का डोनेशन
3.	अमेरिका	750 टन गेहूं और 250 टन चावल (निर्यात मूल्य पर)	निदांक 18.01.2002 को भारतीय खाद्य निगम को निर्देश जारी किए गए
4.	अफगानिस्तान	1 मिलियन टन गेहूं की सहायता का वादा। शक्तिप्रद बिस्कुट के रूप में भेजा गया। (क) पहली खेप-9526 टन शक्तिप्रद बिस्कुट भेजे गए। (ख) दूसरी खेप-7496 टन शक्तिप्रद बिस्कुट।	विदेश मंत्रालय का पत्र दिनांक 29.11.2001
5.	जाम्बिया	2250 टन चावल निर्यात मूल्य पर	विदेश मंत्रालय का पत्र दिनांक 13.01.2003
6.	इथियोपिया	10,000 टन गेहूं	विदेश मंत्रालय का पत्र दिनांक 27.01.2003
7.	तजाकिस्तान	गेहूं—4536.50 टन चावल—राज्य व्यापार निगम के माध्यम से 1376 टन	विदेश मत्रालय का पत्र दिनांक 9.4.2002
8.	कम्बोडिया	राज्य व्यापार निगम के माध्यम से 10,200 टन चावल निर्मुक्त किए गए	विदेश मंत्रालय का पत्र दिनांक 13.09.2002
9.	दजी बूटी	गेहूं-2500 टन चावल-1912 टन	तारीख उपलब्ध नहीं।
10.	आइवरी कोस्ट	चावल-5100 टन	तारीख उपलब्ध नहीं।
11.	जिम्बाबवे	चावल-45300 टन	तारीख उपलब्ध नहीं।
12.	म्यांमार	गेहूं-10,000 टन	विदेश मंत्रालय का पत्र दिनांक 14.07.2003

तिरूवनन्तपुरम में उच्च न्यायालय की पीठ

624. श्री कोडीकुनील सुरेश: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव केरल उच्च न्यायालय की खंडपीठ तिरूवनंतपुरम में स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.सी. थामस): (क) से (ग) केरल सरकार से तिरूवनंतपुरम में उच्च न्यायालय

की न्यायपीठ की स्थापना करने के संबंध में केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से कोई पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है और इस प्रकार केंद्रीय सरकार के लिए इस विषय में कोई कार्रवाई करना संभव नहीं है।

एकीकृत गृह ऋण ग्राम विकास योजना

625. श्री अकबर अली खांदोकर: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एकीकृत गृह ऋण ग्राम विकास योजना का विस्तार पूरे देश में किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अंतर्गत देश के प्रत्येक राज्य में कितने गांवों को शामिल किया गया है; और

(ग) इस योजना के अंतर्गत विगत तीन वर्षों में संवितरित राशि का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक राज्य में कितनी उपलब्धि हासिल हुई है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): (क) एकीकृत हथकरघा ग्राम विकास योजना (आई.एच.वी.डी.) केन्द्रीय सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही थी न कि एकीकृत गृह ऋण ग्राम विकास योजना। आई.एच.वी.डी. योजना 1991-92 में शुरू की गई थी तथा 1.4.1997 तक चली। तथापि, स्वीकृत परियोजनाओं के तहत प्रतिबद्ध देय राशि अभी तक दी जा रही है।

(ख) योजना के तहत शामिल किए गए गांवों का ब्यौरा राज्यवार इस प्रकार है:

क्र.सं.	राज्य का नाम	शामिल किए गए गांव
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	46
2.	असम	49
3.	बिहार	2
4.	छत्तीसगढ़	6
5.	गुजरात	5
6.	हिमाचल प्रदेश	1
7.	कर्नाटक	3
8.	केरल	10
9.	मध्य प्रदेश	5
10.	महाराष्ट्र	2
11.	मणिपुर	14
12.	मेघालय	2
13.	मिजोरम	3
14.	उड़ीसा	18
15.	राजस्थान	2
16.	तमिलनाडु	13
17.	त्रिपुरा	9
18.	उत्तर प्रदेश	15
19.	पश्चिम बंगाल	3
	कुल	208

(ग) जैसा कि स्वीकृत परियोजनाओं का कार्यान्वयन विभिन्न स्तर पर है तथा बुनकरों को दिए जाने वाले लाभ भी केवल पूरक एवं संचयी किस्म के हैं, योजना के तहत हासिल किए गए उपलब्धि के बारे में बताना कठिन है। पिछले तीन वर्षों के दौरान योजना के तहत दी गई राशि का ब्यौरा इस प्रकार है:-

क्र.सं.	वर्ष	राज्य का नाम	राशि (रुपये लाख में)
1.	2000-01	आंध्र प्रदेश	129.00
2.		मध्य प्रदेश	10.00
3.		तमिलनाडु	63.00
4.	2001-02	केरल	71.07
5.		मणिपुर	2.00
6.		त्रिपुरा	10.50
7.		उत्तर प्रदेश	6.00
8.	2002-03	आंध्र प्रदेश	17.50
		उत्तर प्रदेश	9.00
	कुल		318.07

निर्धनता उन्मूलन के लिए विश्व बैंक से ऋण

626. **श्री इकबाल अहमद सरडगी:**
श्री चाडा सुरेश रेड्डी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने धनी देशों से वर्ष 2015 तक विश्व के निर्धनता उन्मूलन के लिए अधिक अथवा दुगुनी सहायता राशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या विश्व बैंक प्रमुख ने यह निर्दिष्ट किया है कि एशियाई और अफ्रीकी देशों को धन की अधिक आवश्यकता है;

(ग) यदि हां, तो विश्व बैंक एशियाई और अफ्रीकी देशों को निर्धनता उन्मूलन हेतु कितनी ऋण राशि उपलब्ध कराने के लिए सहमत है;

(घ) क्या भारत इससे लाभान्वित हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो विश्व बैंक ने भारत, बांग्लादेश और वियतनाम को कितना ऋण दिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) विश्व बैंक विकसित देशों द्वारा अधिक सहायता दिए जाने, विकासशील देशों में बेहतर नीतियों और इस सहायता का अधिक कारगर उपयोग किए जाने की जरूरत पर बल देता रहा है ताकि वर्ष 2015 तक ''सहस्राब्दि विकास लक्ष्य'' जिनमें गरीबी उन्मूलन भी शामिल है, हासिल किए जा सकें।

(ख) बैंक ने मुख्यतया अपेक्षाकृत उचित नीतियों वाले कम आय वाले ऐसे देशों पर ध्यान देने पर जोर दिया है जो प्रमुख रूप से उप-सहारा अफ्रीका और एशिया क्षेत्र में स्थित हैं।

(ग) से (ङ) बैंक वर्ष 2003 के दौरान, गरीबी उन्मूलन सहित विभिन्न विकास कार्यक्रमों के लिए 18.5 बिलियन अमरीकी डालर की ऋण वचनबद्धताएं की गई थीं जिनमें दक्षिण एशिया और उप-सहारा देशों का हिस्सा क्रमश: 16% और 20% था। भारत, वियतनाम और बांग्लादेश को की गई कुल ऋण वचनबद्धताएं क्रमश: 1.5, 0.293 और 0.154 बिलियन अमरीकी डालर की थीं।

[हिन्दी]

ग्रेनाइट का निर्यात

627. **श्री ब्रह्मानंद मंडल:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विगत तीन वर्षों में ग्रेनाइट निर्यात किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ग्रेनाइट के निर्यात से पिछले तीन वर्षों में वर्ष-वार कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) से (ग) सरकार ग्रेनाइट का निर्यात नहीं करती है। तथापि, पिछले तीन वर्षों में भारत से ग्रेनाइट के निर्यात से प्राप्त कुल निर्यात आय निम्नलिखित है:-

वर्ष	निर्यात (मिलियन अमरीकी डालर में)
2000-01	428.40
2001-02	429.20
2002-03	510.40

(स्रोत: केपेक्सिल)

[अनुवाद]

आर्थिक सुधार

628. **श्री प्रबोध पण्डा:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आर्थिक सुधार और संबंधित मामलों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य मंत्रियों की कोई बैठक की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार ने इस बारे में राज्यों को क्या निदेश जारी किए हैं; और

(घ) राज्य सरकारों की इन पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) से (घ) आर्थिक सुधारों का कार्यान्वयन एक सतत और चल रही प्रक्रिया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ बैठकें और चर्चाएं आदि शामिल हैं। ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों का अनुपालन

करते हुए राज्य सरकारों को मध्यावधिक राजकोषीय सुधार कार्यक्रम (एमटीएफआरपी) तैयार करने को कहा गया था। एमटीएफआरपी के लक्ष्यों में राजकोषीय समेकन, विद्युत क्षेत्र में सुधार, सार्वजनिक क्षेत्र की पुनर्संरचना और बजटीय वर्गीकरण और प्रक्रियाओं में पारदर्शिता शामिल हैं। एमटीएफआरपी के तहत मानिटरिंग समिति ने अब तक 23 राज्यों के राजकोषीय सुधार कार्यक्रम को अनुमोदित कर दिया है।

सीमा शुल्क अभिकर्ता अनुज्ञप्ति विनियम

629. **श्री कमल नाथ:**
श्रीमती श्यामा सिंह:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार निर्यात और आयात को बढ़ावा देने के लिए प्रचालन को सरल और कारगर बनाने के लिए सीमा शुल्क गृह अभिकर्ता अनुज्ञप्ति विनियम को संशोधित करने पर तत्परता से विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को सीमा शुल्क विनियमों में संशोधन के बारे में बहुत से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) से (घ) यह सच है कि सरकार सीमा शुल्क गृह अभिकर्ता अनुज्ञप्ति विनियम, 1984 (न कि नियमावली) के संशोधन पर तत्परता से विचार कर रही है ताकि सीमा शुल्क गृह अभिकर्ता व्यावसायिक रूप से अपना कार्य निष्पादन कर सके जिससे व्यापार करने में सुविधा होगी और लेन-देन लागतों में कमी आएगी। इस संबंध में सीमा शुल्क गृह अभिकर्ता संघ और उनके राष्ट्रीय परिसंघों से अभ्यावेदन भी प्राप्त हुए हैं। संपूर्ण भारत के सीमा शुल्क आयुक्तों से भी मत प्राप्त हुए हैं। उपर्युक्त विनियमों के संशोधनों को अंतिम रूप देने के समय इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जाएगा।

[हिन्दी]

इंडिया और इजराइल के बीच व्यापार

630. **श्री माणिकराव होडल्या गावित:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और इजराइल के बीच चालू वर्ष में व्यापार बढ़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अप्रैल से नवम्बर, 2003 की अवधि में विगत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में निर्यात में कितनी वृद्धि हुई है; और

(घ) इस वृद्धि में किन कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) से (घ) व्यापार से संबंधित नवीनतम उपलब्ध सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल-जुलाई, 2003 की अवधि के दौरान भारत एवं इजराइल के बीच कुल व्यापार पिछले वर्ष की इसी अवधि में हुए 405.10 मिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 408.73 मिलियन अमरीकी डालर का हुआ था, जिसमें लगभग 1% की मामूली वृद्धि प्रदर्शित होती है। चालू वर्ष के कुल कारोबार में रत्न एवं आभूषण औषधि, भेषज एवं परिष्कृत रसायन, प्लास्टिक तथा लिनोलियम उत्पाद, मशीनरी तथा उपकरण, इलेक्ट्रानिक वस्तुओं, भौतिक स्वरूप में कम्प्यूटर साफ्टवेयर इत्यादि जैसी वस्तुओं के व्यापार का योगदान रहा है।

[अनुवाद]

लेवी चीनी का मूल्य

631. **श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली दुकानों पर बेची जा रही लेवी चीनी के मूल्य को इस योजना के तहत उपलब्ध अन्य खाद्यान्न के मूल्यों के सामान ही कम करने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस पर क्या कार्रवाई की है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) से (ग) गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सरकारों ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन बेची जाने वाली लेवी चीनी के मूल्य को कम करने का अनुरोध किया है। यह मांग स्वीकार

नहीं की गयी है क्योंकि सार्वजनिक विवरण प्रणाली के अधीन खुदरा निर्गम मूल्य में किसी प्रकार की कमी करने से केंद्र सरकार पर राजसहायता का भार और बढ़ जाएगा।

[हिन्दी]

सर्व स्वास्थ्य बीमा योजना

632. श्री राधा मोहन सिंह: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दुर्बल वर्गों के लिए स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ''सर्व स्वास्थ्य बीमा योजना'' शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इस योजना में आज की तिथि तक राज्य-वार कितने व्यक्तियों/परिवारों को शामिल किया गया है और इस बीमा योजना में कितने व्यक्तियों को चिकित्सकीय प्रतिपूर्ति मिली है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) जी, हां।

(ख) परिवार के किसी भी सदस्य के अस्पताल में भर्ती होने पर उसके चिकित्सा खर्च के 30,000 रुपए तक की प्रतिपूर्ति की व्यवस्था पालिसी में मुहैया कराई गई है, परिवार के प्रमुख आय अर्जक की दुर्घटना में मृत्यु होने पर 25,000 रुपए का मृत्यु बीमा कवच और जब परिवार के प्रमुख आय अर्जक को अस्पताल में दाखिल कराया गया हो उससे तीन दिन की प्रतीक्षा अवधि के पश्चात् 50 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम 15 दिन के लिए परिवार के प्रमुख आय अर्जक की कमाई की हानि होने के कारण मुआवजा भी दिया जाता है। पालिसी के अंतर्गत प्रीमियम की दर एक व्यक्ति के लिए एक रुपया प्रतिदिन (अर्थात् प्रतिवर्ष 365 रुपए), पति/पत्नी और बच्चों सहित पांच सदस्यों तक के सीमित परिवार के लिए 1.50 रुपया प्रतिदिन और सात सदस्यों वाले सम्पूर्ण परिवार को जिसमें आश्रित माता-पिता भी शामिल हों, 2 रुपए प्रतिदिन है। इस स्कीम के अंतर्गत ''गरीबी रेखा से नीचे'' निर्वाह करने वाले परिवारों के लिए 100 रुपए प्रति परिवार प्रतिवर्ष के वार्षिक प्रीमियम पर आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है।

(ग) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

सर्व स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत किया गया कवरेज

28.11.2003 को स्थिति

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	शामिल किए गए परिवार (संख्या)	शामिल किए गए व्यक्ति (संख्या)	सूचित किए गए दावे (संख्या)
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	27165	98116	11
अरुणाचल प्रदेश	63	209	0
असम	7938	24867	1
बिहार	2822	7849	0
छत्तीसगढ़	1516	5849	0
चण्डीगढ़	1889	3218	0
दिल्ली	2586	7032	1
गोवा	173	285	0

1	2	3	4
गुजरात	19448	66264	4
हरियाणा	3346	8338	2
हिमाचल प्रदेश	1050	2540	0
जम्मू-कश्मीर	1000	1592	0
झारखंड	397	1172	0
कर्नाटक	16022	43167	3
केरल	16579	46270	1
मध्य प्रदेश	9377	30659	4
महाराष्ट्र	54456	149334	21
मणिपुर	184	815	0
मेघालय	200	540	0
मिजोरम	78	256	0
नागालैंड	63	183	0
उड़ीसा	808	2674	0
पाण्डिचेरी	457	1020	0
पंजाब	15250	39007	9
राजस्थान	28405	98048	8
तमिलनाडु	26581	65112	1
त्रिपुरा	439	894	0
उत्तरांचल	829	2023	0
उत्तर प्रदेश	9362	21106	0
पश्चिम बंगाल	1359	4161	0
दमन	32	117	0
सिक्किम	23	35	0
जोड़	249897	732752	66

[अनुवाद]

आईटीपीओ में आमूल-चूल परिवर्तन

633. श्री के.ई. कृष्णमूर्ति: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश के व्यवसाय-परिदृश्य की वर्तमान जरूरतों को पूरा करने के लिए इंडिया ट्रेड प्रोमोशन आर्गेनाइजेशन में आमूल-चूल परिवर्तन करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्रगति मैदान के प्रदर्शनी हालों, जिन्हें पिछले 30 वर्ष की अवधि में बनाया गया है, का एक चरणबद्ध ढंग से आधुनिकीकरण करने का प्रस्ताव है। व्यापार और उद्योग की बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा करने के लिए आधारभूत संरचना और सार्वजनिक सुविधाओं में वृद्धि करने का भी प्रस्ताव है। तदनुसार, मेलों और प्रदर्शनियों के लिए व्यापार और उद्योग की अपेक्षित जरूरत के मद्देनजर नई सुविधाओं की आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने के लिए व्यवहार्यता अध्ययन करने की कार्रवाई शुरू की गई है। इस उद्देश्य के लिए अब तक कोई निधि इंगित नहीं की गई है।

फलोत्पादकों पर फलों का आयात का प्रभाव

634. श्री अब्दुल रशीद शाहीन: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फलोत्पादकों पर, विशेषकर जम्मू और कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश के फलोत्पादकों पर खुली सामान्य लाइसेंस नीति के तहत सेब और अन्य फलों के आयात की अनुमति के कारण दुष्प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस दुष्प्रभाव के मूल्यांकन के लिए कोई सर्वेक्षण अथवा अध्ययन किया गया अथवा कराने का प्रस्ताव है; और

(ग) सरकार सेब और अन्य फलों के निर्यात को बढ़ाने के लिए उन्हें क्या सुविधाएं दे रही है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) और (ख) सेब पर आयात प्रतिबंधों को आर्थिक उदारीकरण की नीति के अनुसार और हमारी अंतर्राष्ट्रीय वचनबद्धताओं के अनुरूप हटाया गया है। तथापि, आयातों पर मात्रात्मक प्रतिबंधों की समाप्ति के बाद वर्ष 2000-2001 के दौरान सेब के आयातों पर सीमाशुल्क को 35% से बढ़ाकर 50% की अधिकतम वचनबद्ध दर पर लाया गया है। इसके अलावा सेब सहित सभी प्राथमिक कृषि उत्पादों के आयात को पौध, फल, बीज (भारत में आयात) आदेश, 1989 के अनुसार कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले आयात परमिट के अधीन रखा गया है।

(ग) सरकार ने निर्यात हेतु सेब उद्योग के समग्र विकास के लिए जम्मू एवं कश्मीर में एक कृषि निर्यात जोन के सृजन को अनुमोदित किया है। पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल में समेकित बागवानी विकास हेतु एक प्रौद्योगिकी मिशन को कार्यान्वित किया जा रहा है। फलों एवं सब्जियों के प्रसंस्करण के संवर्धन हेतु और बाजार अवसंरचना सुविधाओं के विकास हेतु सहायता भी प्रदान की जा रही है। सरकार द्वारा क्रेता-विक्रेता बैठकों के आयोजन, अंतर्राष्ट्रीय मेलों एवं प्रदर्शनियों में भागीदारी, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर एकीकृत कार्गो हैंडलिंग और शीतागार सुविधाओं की स्थापना आदि जैसी विभिन्न योजनाओं के जरिए सेब सहित अन्य फलों के निर्यात को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।

[हिन्दी]

गेहूं/चावल का निर्यात

635. श्री नवल किशोर राय:
डा. सुशील कुमार इन्दौरा:
श्री रामजी लाल सुमन:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय खाद्य निगम की आर्थिक लागत से कम मूल्य पर पिछले वर्ष गेहूं और चावल का निर्यात किया है;

(ख) यदि हां, तो आर्थिक लागत और वर्ष 2000-01, 2001-02 और 2002-03 के दौरान वर्ष-वार दी गई राजसहायता का ब्यौरा क्या है और कुल कितना निर्यात किया गया; और

(ग) निजी निर्यातकों की इसमें कितनी भागीदारी थी?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) निर्यातकों को निर्यात के लिए केन्द्रीय पूल से चावल और गेहूं की खुला बाजार बिक्री योजना मूल्यों पर पेशकश की जाती है। निर्यातकों को सुपुर्दगी उपरान्त और विश्व व्यापार संगठन के अनुसार अन्य खर्चों की अनुमति दी जाती है।

(ख) और (ग) 2000-2001, 2001-2002 और 2002-2003 वर्षों के दौरान सरकार द्वारा रिलीज की गई राजसहायता की राशियों सहित निर्यात के लिए उठाई गई गेहूं और चावल की मात्रा निम्नानुसार हैं:-

वर्ष	निर्यात के लिए उठाई गई मात्रा (टन में)	भारतीय खाद्य निगम को रिलीज की गई राजसहायता की राशि (करोड़ रुपये में)
गेहूं		
2000-2001	2043440	1213.00
2001-2002	3964531	531.90
2002-2003	6793273	1949.18
चावल		
2000-2001	42108	शून्य
2001-2002	2349868	836.47
2002-2003	8071.502	3793.51

किसान क्रेडिट कार्ड

636. **डा. रघुवंश प्रसाद सिंह:**
श्री वीरेन्द्र कुमार:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज तक राज्य-वार कितने किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं;

(ख) इन कार्डों के जरिए किसानों को आज तक राज्य-वार कितनी धनराशि दी गई है;

(ग) आज तक किसान क्रेडिट कार्ड के लिए कितने आवेदन लंबित हैं; और

(घ) लंबित आवेदनों को निपटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 30 सितम्बर, 2003 तक बैंकिंग क्षेत्र द्वारा जारी किए गए किसान क्रेडिट कार्डों की संख्या और योजना के प्रारम्भ से इन कार्डों के माध्यम से किसानों को मंजूर की गई ऋण सीमा का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) नाबार्ड की आंकड़ा सूचना प्रणाली से किसान क्रेडिट कार्डों के लंबित आवेदनों की राज्य-वार संख्या से संबंधित सूचना प्राप्त नहीं होती है। तथापि, 31.3.2004 तक सभी पात्र किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने का लक्ष्य है।

विवरण

बैंकों द्वारा जारी किए गए किसान क्रेडिट कार्डों की संख्या और प्रारम्भ से मंजूर की गई राशि का राज्य-वार ब्यौरा (30 सितम्बर, 2003 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	जारी कार्ड	मंजूर की गई राशि (लाख रुपए)
1	2	3	4
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1853	199
2.	आंध्र प्रदेश	5781951	958164

1	2	3	4
3.	अरुणाचल प्रदेश	2561	274
4.	असम	66373	7449
5.	बिहार	818833	117628
6.	चंडीगढ़	5	1
7.	छत्तीसगढ़	391217	110594
8.	दादरा और नागर हवेली	5	7
9.	दमन और दीव	0	0
10.	गोवा	5079	5580
11.	गुजरात	1543626	572987
12.	हरियाणा	1312501	592664
13.	हिमाचल प्रदेश	92736	20651
14.	जम्मू और कश्मीर	36022	5911
15.	झारखण्ड	178203	21266
16.	कर्नाटक	2150838	674738
17.	केरल	1202436	240595
18.	लक्षद्वीप	132	33
19.	मध्य प्रदेश	1683644	534858
20.	महाराष्ट्र	3683530	1118032
21.	मणिपुर	2256	280
22.	मेघालय	6241	639
23.	मिजोरम	2620	134
24.	नागालैण्ड	1414	73
25.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	2403	1165
26.	उड़ीसा	1941932	291885
27.	पांडिचेरी	15962	3746
28.	पंजाब	1320143	646695
29.	राजस्थान	2154339	653117
30.	सिक्किम	1412	155
31.	तमिलनाडु	2435079	471963
32.	त्रिपुरा	8958	926
33.	उत्तर प्रदेश	6388486	1089846
34.	उत्तरांचल	232455	43335
35.	पश्चिम बंगाल	669262	95851
	कुल	3,41,34517	8282510

[अनुवाद]

वनस्पति तेल का उत्पादन

637. श्री बी.के. पार्थसारथी: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान खाद्य तेलों का श्रेणी-वार, राज्य-वार और वर्ष-वार कितना उत्पादन हुआ;

(ख) देश में उक्त किस्मों के खाद्य तेलों की कितनी मांग है;

(ग) क्या खाद्य तेलों की यह आपूर्ति मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में उपचारात्मक उपाय क्या हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) और (ख) खाद्य तेलों के उत्पादन और मांग के संबंध में श्रेणीवार और राज्यवार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं क्योंकि तिलहनों/तेलों के अंतर्राज्यीय संचलन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। विगत तीन वर्षों के दौरान खाद्य तेलों का उत्पादन निम्नानुसार रहा है:-

वर्ष	खाद्य तेलों का उत्पादन
2000-2001	54.99
2001-2002	62.00
2002-2003	48.86

(ग) जी, नहीं।

(घ) इस संबंध में उठाए गए कुछ कदम निम्नानुसार हैं:-

(1) खाद्य तेलों (नारियल को छोड़कर) के आयात को खुले सामान्य लाइसेंस के तहत अनुमति दी जाती है।

(2) तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए तिलहनों, दालों, खजूर तेल और मक्के की एकीकृत योजना है।

एडीबी और विश्व बैंक ऋण

638. श्री जे.एस. बराड़: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एडीबी और विश्व बैंक के 2.6 बिलियम अमरीकी डालर के ऋण को समय-पूर्व चुकता करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्षों में देय ब्याज से कितनी बचत होगी; और

(ग) भारत में उच्च लागत वाली सामाजिक और आर्थिक परियोजनाओं के लिए विदेशी सहायता के संबंध में सरकार का रुख क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) से (ग) अपनी विवेकपूर्ण ऋण प्रबंधन नीति के एक भाग के रूप में भारत सरकार ने 2002-2003 में विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक को 2.8 बिलियन अमरीकी डालर की राशि की अधिक मूल्य वाली विदेशी मुद्रा ऋणों की अदायगी परिपक्वता से पहले कर दी है। वर्ष 2003-04 के दौरान सरकार ने 1.4 बिलियन अमरीकी डालर की राशि उच्च मूल्य वाले विश्व बैंक ऋण की पूर्व अदायगी की है। इसके अलावा, चालू वित्तीय वर्ष में, द्विपक्षीय ऋण की 0.59 बिलियन अमरीकी डालर की राशि का भी पूर्व भुगतान किया गया है। बहुपक्षीय विकास संस्थाओं और कुछ द्विपक्षीय दाताओं से प्राप्त होने वाली रियायती विदेशी सहायता सामाजिक और आर्थिक परियोजनाओं में सार्वजनिक निवेश के लिए घरेलू संसाधनों के अनुपूरक का काम करती है।

डीजीएस एण्ड डी के अधिकारियों के खिलाफ जांच

639. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों में और चालू वर्ष में आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय के किसी अधिकारी के खिलाफ केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो अथवा किसी अन्य जांच एजेंसी ने जांच की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और जांच की स्थिति क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) जी, हां। तीन वर्षों (2000, 2001 और 2002) के दौरान और चालू वर्ष अर्थात् 2003 (नवम्बर, 2003 तक) के दौरान सीबीआई ने सात मामलों में जांच की है जिनमें पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय (डीजीएस एण्ड डी) के चार अधिकारी शामिल है।

(ख) दो मामलों में जांच पूरी हो गई है और शेष पांच मामलों में संबंधित एजेन्सियों से जांच रिपोर्टें प्रतीक्षित हैं। मामलों के ब्यौरे और इन अधिकारियों के विरुद्ध जांच की स्थिति नीचे दी गई है।

वर्ष	मामले का ब्यौरा	अधिकारी का पदनाम
1	2	3
2000	सीबीआई की रिपोर्ट के परिणामों के आधार पर विभागीय जांच की गई थी। जांच अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है जो विचाराधीन है। सीबीआई ने माननीय उच्च न्यायालय, बंगलौर में आपराधिक याचिका दायर की है जो अंतिम सुनवाई के लिए लंबित है।	सहायक निदेशक (गु.आ.)
	सीबीआई शिलांग द्वारा इस मामले की जांच की जा रही है। सीबीआई से विस्तृत रिपोर्ट प्रतीक्षित है। सीबीआई को इस मामले में शीघ्रता करने के लिए स्मरण कराया गया है।	डीजीएस एण्ड डी के किसी खास अधिकारी को अभिज्ञात नहीं किया गया है।

1	2	3
2001	राजस्थान पुलिस और सीबीआई द्वारा घटिया सामग्री के निरीक्षण के संबंधित एक मामले की जांच की जा रही है।	सहायक निदेशक (गु.आ.)
	सीबीआई, मुम्बई द्वारा दूरसंचार विभाग को घटिया एचडीपी पाइपों की आपूर्ति से संबंधित एक मामले की जांच की जा रही है।	डीजीएस एण्ड डी के किसी खास अधिकारी को अभिज्ञात नहीं किया
2002	सीबीआई की रिपोर्ट और सीवीसी की सिफारिश के आधार पर विभागीय जांच शुरू की गई है। आरोप पत्र जारी किया गया है।	सहायक निदेशक (गु.आ.)
	सीबीआई, कोलकाता द्वारा घटिया सामग्री की आपूर्ति से संबंधित मामले की जांच की जा रही है।	सहायक निदेशक (गु.आ.)
2003	सीबीआई, चण्डीगढ़ और पंजाब पुलिस द्वारा पंजाब सरकार को आपूर्ति किए गए एचडीपी पाइपों के निरीक्षण में अनियमितताओं से संबंधित एक मामले की जांच की जा रही है।	डीजीएस एण्ड डी के किसी खास अधिकारी को अभिज्ञात नहीं किया।

मतदाता पहचान-पत्र

640. श्रीमती प्रभा रावः क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत एक वर्ष के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता पहचान-पत्र जारी करने में कोई प्रगति हुई है;

(ख) निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य-वार अब तक कितने प्रतिशत मतदाताओं को पहचान-पत्र जारी किए गए;

(ग) इस पर राज्य-वार कुल कितना खर्च किया गया;

(घ) कब तक सभी मतदाताओं को ऐसे पहचान-पत्र जारी किए जाने और इसके उपयोग को अनिवार्य बनाए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या मतदाता पहचान-पत्रों को बनाने के लिए फोटोग्राफ खींचने के कार्य में लगी एजेंसियां पूरी तरह असफल हैं और वे किसी व्यक्ति की वास्तविकता को नहीं दर्शाती हैं; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि केवल उन्हीं सक्षम एजेंसियों को इस कार्य में लगाया जाए जो चुनावी मतदाता पहचान-पत्रों के लिए बहतर फोटोग्राफ खींच सकें?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.सी. थामस): (क) से (च) अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

गारंटी शुल्क की वसूली

641. श्री रघुनाथ झाः क्या **वित्त मंत्री** गारंटी शुल्क की वसूली के बारे में 24.8.2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4947 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार 31 मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार बकाए गारंटी शुल्क का केवल 0.33 फीसदी ही वसूल कर सकी है;

(ख) यदि हां, तो इतनी कम राशि की वसूली के क्या कारण हैं और पूरी राशि की कब तक वसूली की जाएगी;

(ग) आज की स्थिति के अनुसार अभी कुल कितनी गारंटी शुल्क की वसूली की जानी है; और

(घ) इसकी शीघ्र वसूली के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) से (ग) समय-समय पर जारी परिपत्रों के आधार पर गारंटी शुल्क लगाया तथा वसूल किया जा रहा है। कई मामलों में गारंटी आदेशों के लागू होने से पूर्व की अवधियों से संबंधित है तथा इसलिए इस पर शुल्क के भुगतान से छूट होगी। कतिपय अन्य मामलों में सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की पुनर्संरचना के भाग के रूप में गारंटी शुल्क न लगाने का निर्णय लिया है। अन्य मामलों में, गारंटी शुल्क रियायतों को भी प्रदान किया गया है।

(घ) गारंटी शुल्क से प्राप्त प्राप्तियों का सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा अनुवीक्षण किया जाता है। प्रभावी मौजूदा आदेशों के अनुसार गारंटी शुल्क का भुगतान गारंटी की तिथि को तथा उसके बाद प्रति वर्ष 1 अप्रैल को किया जाएगा।

नागालैंड के युवकों को नौकरियां

642. श्री के.ए. सांगतम: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधानमंत्री द्वारा उनकी हाल ही की नागालैंड यात्रा के दौरान की गई घोषणा के अनुसार केन्द्र सरकार ने नागालैंड में 25,000 युवकों को उपयुक्त नौकरियां देने के लिए 100 करोड़ रुपए के उपयोग की गई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

शुगर फ्री प्रोडक्ट

643. श्री राम विलास पासवान: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा देश में शुगर फ्री प्रोडक्ट का कोई वैज्ञानिक अध्ययन कराया गया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इसमें कोई हानिकारक तत्व तो नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा वहां क्या कार्यवाही की गई है जहां ऐसे उत्पाद हानिकारक पाए जाते हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद यादव): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 'शुगर फ्री' उत्पादों में कृत्रिम 'स्वीटनर' होते हैं। खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के उपबंधों के अधीन विशिष्ट कृत्रिम 'स्वीटनर्स' का उपयोग और बिक्री विशिष्ट खाद्य पदार्थों के मामले में उपयुक्त 'लेबलिंग' के साथ इसकी अधिकतम सीमा तय करते हुए सीमित है। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अधीन खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के उपबंधों का उल्लंघन दण्डनीय है।

कर्नाटक में उच्च न्यायालय की खंडपीठ

644. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राज्य के उत्तरी भाग में कर्नाटक उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या कर्नाटक सरकार ने केंद्र सरकार को इस संबंध में कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ग) यदि हां, तो उस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.सी. थामस): (क) से (ग) कर्नाटक सरकार से, उत्तरी कर्नाटक में उच्च न्यायालय की न्यायपीठ की स्थापना करने के संबंध में कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से कोई पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है अत: केंद्रीय सरकार के लिए इस विषय में कोई विनिश्चय करना संभव नहीं हो सका है।

वेतनमान

645. श्री अजय चक्रवर्ती:
श्री बसुदेव आचार्य:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार को राष्ट्रीय वस्त्र निगम के मिल कामगारों के लिए चार महीनों के भीतर एक संशोधित मजदूरी पैकेज तैयार करने का निर्देश दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) एनटीसी मिलों में कार्यरत लिपिकीय स्टाक निगम कार्यालयों में कार्यरत आईडीए/सीडीए वेतनमानों में लिपिकीय स्टाफ के समान वेतन का दावा कर रहा था और उन्होंने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की थी। माननीय उच्चतम न्यायालय ने 1996 की सिविल अपील सं. 14572 में दिनांक 14.10.2003 के

अपने आदेश द्वारा बताया कि यह टिप्पणी करते हुए कि वेतनमानों में समानता संभव नहीं है, सरकार को अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्देश दिया है कि मिलों में कार्यरत स्टाफ और सब-स्टाफ को दी जाने वाली राहत की मात्रा के संबंध में, यदि आवश्यक हो, तो एक विशेषज्ञ की सहायता लेने के बाद चार माह के भीतर निर्णय लिया जाए।

सरकार ने एनटीसी से कहा है कि वह उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुरूप याचिकाकर्त्ताओं से परामर्श करके और निर्धारित समय-सीमा के भीतर एक प्रस्ताव पेश करे।

एसबीआई की शाखाएं

646. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक में भारतीय स्टेट बैंक की कितनी शाखाएं हैं;

(ख) राज्य में अब तक कितनी शाखाओं का कंप्यूटरीकरण किया गया है;

(ग) शेष शाखाओं का कब तक कंप्यूटरीकरण किया जा रहा है; और

(घ) इस मामले में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) कर्नाटक में भारतीय स्टेट बैंक की 312 शाखाएं हैं जिनमें से सभी कंप्यूटरीकृत हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

गायब कंपनियां

647. श्री राम जीवन सिंह:
श्री टी.टी.वी. दिनाकरन:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुंबई शेयर बाजार में सूचीबद्ध तकरीबन 60 फीसदी कंपनियां अज्ञात श्रेणी की सूची में हैं और उनकी विश्वसनीयता संदेहास्पद है तथा अनेक कंपनियों को गायब हो जाने वाली कंपनियों के रूप में चिन्हित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितनी राशि अंतर्ग्रस्त है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां

648. श्री अनिल बसु: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पांच अग्रणी गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों ने विभिन्न तर्कों पर अपने जमाकर्त्ताओं को उनकी बड़ी राशि का भुगतान नहीं किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस संबंध में कोई जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा चूककर्त्ता इन गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से जमाकर्त्ताओं की राशि वसूलने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) सरकार को इस बात की जानकारी है कि 10 करोड़ रु. या उससे अधिक की सार्वजनिक जमाराशियों वाले चौदह गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, जिनके पास कुल 1615.04 करोड़ रु. की सार्वजनिक जमाराशियां हैं, सार्वजनिक जमाराशियों की वापसी अदायगी में चूक कर रही हैं।

(ग) से (ङ) व्यापक विनियामक ढांचा तैयार किया गया है जिसका उद्देश्य जमाकर्त्ताओं के हितों की रक्षा करना तथा यह सुनिश्चित करना है कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां सही प्रकार से कार्य करें। विनियामक ढांचे में, अन्य बातों के साथ-साथ, अनिवार्य पंजीकरण, चल आस्तियों का रख-रखाव, निवल लाभ के कम से कम 20 प्रतिशत का आरक्षित निधियों में अंतरण तथा भारतीय रिजर्व बैंक को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को निदेश जारी करने की शक्तियां प्रदान करना शामिल है। भारतीय रिजर्व बैंक विभिन्न चूकों और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन जारी निदेशों के उल्लंघन के लिए दोषी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के विरुद्ध विभिन्न प्रकार की कार्रवाई करता है। सरकार ने 13 दिसम्बर, 2000 को लोक सभा में वित्तीय कंपनी विनियम विधेयक, 2000 पेश किया है। माननीय लोक सभा अध्यक्ष ने इस

विधेयक को स्थायी वित्त समिति को भेज दिया है। स्थायी वित्त समिति ने 30 जून, 2003 को माननीय लोक सभा अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। सरकार द्वारा इस रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

महिला समृद्धि योजना

649. श्री राजनारायण पासी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने महिलाओं की बेहतरी के लिए ''महिला समृद्धि'' शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान शुरू की गई ऐसी अन्य योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा राज्यवार कितना ऋण मुहैया कराया गया और यह ऋण किस ब्याज दर से किया गया?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने महिलाओं के उत्थान के लिए योजनाओं को लागू किया है। सरकारी क्षेत्र के अधिकांश बैंकों की ऐसी कुछ योजनाओं के ब्यौरे निम्नांकित हैं:

बैंक का नाम	योजना का नाम	योजना की प्रमुख विशेषताएं
1	2	3
बैंक आफ इंडिया	प्रियदर्शनी योजना	इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को लघु उद्योग, ग्राम्य एवं कुटीर उद्योग की स्थापना के लिए सहायता दी जाती है। बैंक महिलाओं के लिए 2 लाख रु. से अधिक की सीमा के लिए ब्याज दर में 1% की छूट दे रहा है।
बैंक आफ बड़ौदा	गुजरात में दुग्ध व्यवसाय हेतु ग्रामीण महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष योजना	इस योजान के तहत कई महिला लाभार्थियों ने वित्तीय सहायता प्राप्त की है।
सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	कल्याणी	यह योजना महिला उद्यमियों के उत्थान के लिए तथा विभिन्न क्रियाकलापों में संलग्न महिलाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए है।
ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	ओरियंटल महिला विकास योजना	इस योजना में रियायती शर्त पर महिला उद्यमियों की ऋण आवश्यकता शामिल है। इसमें 2 लाख रु. से अधिक एवं 10 लाख रु. तक के ऋण के लिए ब्याज दर में 2% की छूट एवं 10 लाख रु. से अधिक के ऋण पर ब्याज में 1% की छूट शामिल है।
भारतीय स्टेट बैंक	दी श्री शक्ति पैकेज स्कीम	इस योजना के तहत प्रवर्तकों के मार्जिन एवं ब्याज दर में छूट दी गई है। इस योजना का लक्ष्य इच्छुक महिलाओं को उद्यम संबंधी दक्षता प्रदान करना तथा रियायती शर्तों पर ऋण पैकेज देना है।
सिंडिकेट बैंक	पिग्मी डिपाजिट स्कीम	यह एक दैनिक बचत योजना है जिसमें महिला उद्यमियों का एक बड़ा भाग शामिल हैं।

1	2	3
यूनियन बैंक आफ इंडिया	विकलांग महिला विकास योजना	इस योजना में विकलांग महिलाओं को अपने व्यवसाय को शुरू करने के लिए वित्त पोषण करने संबंधी उल्लेख है। शारीरिक रूप से विकलांग महिलाओं की पहचान की जाती है तथा स्थानीय रूप से उपयुक्त व्यवसाय को शुरू करने के लिए उनकी क्षमता को सुनिश्चित किया जाता है। किसी भी उत्पादन कार्य के शुरूआती विस्तार के लिए 25.000 रु. की वित्तीय सहायता दी जाती है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक के पास संस्वीकृत ऋण राशि एवं उस पर प्रभारित ब्याज दर संबंधी सूचना नहीं है क्योंकि बैंक के पास इन योजनाओं को लागू किए जाने संबंधी आंकड़े नहीं होते हैं।

[अनुवाद]

यूरोपीय संघ से विवाद

650. **श्री रघुराज सिंह शाक्य:**
श्री नरेश पुगलिया:
श्रीमती श्यामा सिंह:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूरोपीय संघ ने भारत से वस्त्र संबंधी मदों के आयात पर रोक लगाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

बंद चाय बागानों के लिए पुनरुद्धार पैकेज

651. **श्री के.पी. सिंह देव:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास विभिन्न राज्यों में बंद पड़े चाय बागानों के प्रभावित कामगारों के लिए कोई पुनरुद्धार पैकेज लाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या वह पुनरुद्धार पैकेज तैयार कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पुनरुद्धार पैकेज को क्रियान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (घ) देश में बंद पड़े चाय बागानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार ने पश्चिम बंगाल, केरल, असम तथा त्रिपुरा राज्य में ऐसे बागानों का गहन अध्ययन करने तथा उनकी कार्यक्षमता और पुनरुद्धार के उपायों के पैकेज का सुझाव देने के लिए विशेषज्ञ समितियों को नियुक्त किया था। इन समितियों की रिपोर्टों के अनुसार इन सम्पदाओं के पुनरुद्धार के लिए इनकी फैक्ट्रियों और बागानों में पर्याप्त निवेश करने की आवश्यकता होगी। ऐसे बागानों का पता लगाने के लिए जिनके कार्यक्षम होने की संभावना है और उसके लिए एक पुनरुद्धार पैकेज तैयार करने हेतु वाणिज्य विभाग तथा चाय बोर्ड द्वारा बंद पड़े चाय बागानों के संवर्धकों तथा उनके बैंकरों के साथ बैठकें की गई थीं। संभावित रूप से कार्यक्षम समझे जाने वाले बागानों के पुनरुद्धार के लिए किसी वित्तीय पैकेज में उनके संवर्धकों, पूरे खाते की पुनर्संरचना के साथ ऋणाधार प्रतिभूतियों पर और ऋण देने वाले संनंधित बैंकों द्वारा अंशदान देने और केन्द्र सरकार से सहायता, जो ब्याज सब्सिडी के रूप में होगी और अधिकतम 5% तक सीमित होगी, देने की आवश्यकता पड़ेगी। इसे एक विशेष निधि से पूरा किया जाएगा जिसकी स्थापना सरकार द्वारा चाय बागान क्षेत्र के विकास, आधुनिकीकरण और पुनर्स्थापना के लिए की गई है।

ऋण के भारी बोझ से दबे देशों को ऋण से राहत

652. **श्री रतनलाल कटारिया:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ऋण के भारी बोझ से दबे कुछ गरीब देशों को ऋण से राहत देने और कुछ दक्षिण अफ्रीकी देशों को समर्थन देने का है;

(ख) यदि हां, तो इन देशों का ब्यौरा क्या है जिन्हें ऋण से राहत और अन्य समर्थन दिए गए हैं; और

(ग) देश-वार कितनी राशि माफ की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारत सरकार की पूर्ववर्ती ऋण श्रृंखला से संबंधित भारी ऋण ग्रस्त सात गरीब देशों (एचआईपीसीएस) को दिए गए ऋण की बकाया देयताओं को बट्टे खाते डाले जाने का प्रस्ताव है। देशवार बकाया देयताओं की राशि निम्नानुसार है:-

देश का नाम	बकाया देयता
तंजानिया	37.30 करोड़ रुपए
मोजाम्बिक	19.91 करोड़ रुपए
जांबिया	13.40 करोड़ रुपए
युगांडा	5.332 मिलियन अमरीकी डालर
घाना	0.01 करोड़ रुपए
निकरागुआ	22.02 करोड़ रुपए
गुयाना	2.78 करोड़ रुपए

एसबीआई कर्मचारियों के लिए चिकित्सा राहत योजना

653. श्री पवन कुमार बंसल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अपने कर्मचारियों को दी जाने वाली चिकित्सा लाभ योजना के स्थान पर कोई योजना लाई गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और नई योजना का ब्यौरा तथा इन दोनों योजनाओं में क्या अंतर है;

(ग) क्या इस नई योजना में कर्मचारियों के अंशदान पहले से ज्यादा है; और

(घ) यदि हां, तो इससे कर्मचारियों के वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि उसने अपने (सेवारत) कर्मचारियों के लिए उपलब्ध चिकित्सा लाभ योजना में कोई परिवर्तन नहीं किया है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

आरबीआई के लिए वीआरएस

654. श्री वीरेन्द्र कुमार: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने कर्मचारियों के लिए आप्शनल अर्ली रिटायरमेंट स्कीम शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो ओईआरएस के तहत इसके कर्मचारियों को क्या लाभ दिए जा रहे हैं;

(ग) ऐसी योजनाओं को शुरू करने के मुख्य कारण क्या हैं; और

(घ) इस योजना पर आरबीआई के कर्मचारियों की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) जी, हां।

(ख) जो कर्मचारी वैकल्पिक पूर्व सेवानिवृत्ति योजना (ओईआरएस) के तहत सेवानिवृत्त होते हैं, वे सामान्य सेवानिवृत्ति-लाभों तथा पेंशन एवं उपदान के अतिरिक्त 60 दिन के वेतन के बराबर अनुग्रह राशि तथा सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष एवं छह माह से अधिक के उसके अंश के लिए महंगाई भत्ते अथवा वेतन तथा अधिवर्षिता की तारीख तक शेष रही सेवा के लिए महंगाई भत्ते, जो भी कम हो, के पात्र हैं।

(ग) बैंक ने स्टाफ संख्या को युक्तियुक्त बनाने के उद्देश्य से ओईआरएस प्रारम्भ की है।

(घ) योजना 31.12.2003 को समाप्त होगी। अभी तक 3491 कर्मचारियों ने ओईआरएस के तहत अपने आवेदन प्रस्तुत किए हैं।

परिसमापन संबंधी लंबित मामले

655. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक: क्या **वित्त मंत्री** परिसमापन संबंधी लंबित मामले के बारे में 22.3.2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3918 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 658 कम्पनियों में ऐसी कितनी कम्पनियां हैं जिनके संदर्भ में सरकारी परिसमापकों ने मुम्बई उच्च न्यायालय के समक्ष लेनदारों की सूची प्रस्तुत की है;

(ख) इन कम्पनियों से, विशेषकर मैसर्स वेस्टर्न पेक्स (इंडिया) लिमिटेड से, विभिन्न दावेदारों के दावों के निपटान के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) देश में कंपनियों के परिसमापन के सभी लंबित मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) अप्रैल, 2001 से, इन 658 कंपनियों में से 27 कंपनियों के बारे में लेनदारों (वर्कमेन सहित) की सूची शासकीय समापक द्वारा उच्च न्यायालय को प्रस्तुत कर दी गई है।

(ख) मैसर्स वेस्टर्न पेक्स (इंडिया) लिमिटेड के बारे में:

(1) पाण्डुरंग कालोनी के परिसर को उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 5.2.1999 के आदेश के अनुसरण में श्रीमती नलिनी एस. कुलकर्णी को सौंप दिया गया था।

(2) वेस्टर्न हाऊस लेन सं. 5 प्रभारत रोड पूणे के परिसर को उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसरण में मैसर्स थ्री ए एन्टरप्राइजेज तथा मैसर्स गाडगिल इन्वेस्टमेंट प्रा.लि. को सौंप दिया गया था।

(3) 55,12,081 रु. की कुल प्राप्तियों में से शासकीय समापक ने मैसर्स थ्री ए एन्टरप्राइजेज को 9,44,936 रु. तथा मैसर्स गाडगिल इन्वेस्टमेंट को 17,18,065 रु. के मुआवजे का भुगतान कर दिया है। इसके अतिरिक्त शासकीय समापक ने कंपनी के परिसर की सुरक्षा करने के लिए सुरक्षा प्रभार के रूप में मैसर्स भगवती एलाइड सर्विसेज को 7,53,856 रु. का भुगतान कर दिया है।

(4) शासकीय समापक ने वर्कमेन से 13,23,235 रु. की कुल राशि तथा जमाराशि और शेयर धारकों से दावों के 26 दावे प्राप्त किये हैं। आज तक शासकीय समापक के पास लगभग 20 लाख रु. की शेष राशि उपलब्ध है।

(ग) दिसंबर, 2002 में संसद द्वारा पारित कंपनी (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2002 में राष्ट्रीय कंपनी विधि ट्रिब्यूनल और समापन के मामलों सहित कंपनी के मामलों के शीघ्र निपटान की आपत्तियों सहित दिवालियापन संबंधी एक नई शासन व्यवस्था की स्थापना का प्रावधान है।

[हिन्दी]

नाबार्ड का कार्यनिष्पादन

656. श्री महेश्वर सिंह: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों, विशेषकर हिमाचल प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के कार्यनिष्पादन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य परियोजनाओं के कार्यान्वयन में पाई गई कमियों, यदि कोई हों, का ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत दो वर्षों के दौरान संस्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और ये अवस्थित हैं तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा राज्यों में विशेषकर हिमाचल प्रदेश में संस्वीकृत/अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या कितनी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के क्रियाकलापों की सतत आधार पर निगरानी की जाती है। इसके निदेशक बोर्ड, जिसमें अन्य लोगों के साथ-साथ, वित्त मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा भारतीय रिजर्व बैंक के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हैं, द्वारा इसके कार्यों की गहन समीक्षा की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक का केन्द्रीय निदेशक बोर्ड भी नाबार्ड के क्रियाकलापों की प्रत्येक वर्ष पुनरीक्षा करता है। नाबार्ड के क्रियाकलापों की वार्षिक समीक्षा इस संस्था की वार्षिक रिपोर्ट सहित संसद के पटल पर भी रखी जाती है।

पिछले तीन वर्षों में हिमाचल प्रदेश राज्य सहित राज्य सरकारों को दी गई राज्य-वार पुनर्वित्त सहायता और दिए गए ऋणों के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) नाबार्ड ने सूचित किया है कि ग्रामीण आधारिक विकास निधि (आरआईडीएफ) के तहत परियोजनाओं के कार्यान्वयन में पाई गई कमियों में, अन्य बातों के साथ-साथ, अपर्याप्त बजटीय प्रावधान, कार्यान्वयन में धीमी प्रगति, परियोजना पूरी होने संबंधी रिपोर्टों का प्राप्त न होना, भूमि अधिग्रहण में विलम्ब, आहरणों का कम स्तर, अनुमोदित प्राक्कलनों से हटना, अपर्याप्त निगरानी, आदि शामिल हैं।

(घ) पिछले दो वर्षों के दौरान पूरी की गई आरआईडीएफ परियोजनाओं के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गये हैं। पिछले दो वर्ष के दौरान हिमाचल प्रदेश में नाबार्ड द्वारा मंजूर/अनुमोदित आरआईडीएफ परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण-III में दिए गये हैं।

विवरण I

वर्ष 2000-2001, 2001-2002 और 2002-2003 के दौरान राज्यों को नाबार्ड की पुनर्वित्त सहायता का ब्योरा

(लाख रुपए में)

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2000-2001		2001-2002		2002-2003	
		लक्ष्य	अधिकतम बकाया/ आहरण	लक्ष्य	अधिकतम बकाया/ आहरण	लक्ष्य	अधिकतम बकाया/ आहरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	327	322	273	306	450	405
2.	आंध्र प्रदेश	285794	235766	270514	246539	591756	270642
3.	अरुणाचल प्रदेश	9630	3504	7228	3764	18991	3805
4.	असम	12572	13049	4858	10392	52502	10974
5.	बिहार	27693	26436	30638	19953	55927	15978
6.	चंडीगढ़	12	12	9	9	625	625
7.	छत्तीसगढ़	–	–	24031	19074	76544	16695
8.	दादरा और नगर हवेली	67	67	14	14	9	9
9.	दमन और दीव	–	–	–	–	–	–
10.	गोवा	3631	2006	3489	3157	8597	2179
11.	गुजरात	135594	79128	124603	87020	258045	91934
12.	हरियाणा	145989	135271	165568	147733	248915	151130
13.	हिमाचल प्रदेश	22889	19863	30918	24662	100237	32084
14.	जम्मू-कश्मीर	19728	10822	25896	18956	86980	19100
15.	झारखंड	–	–	4695	4675	25779	4035
16.	कर्नाटक	155380	135440	163937	131375	318263	150931
17.	केरल	83240	51870	95028	77177	169636	66698
18.	लक्षद्वीप	9	9	9	9	0	0
19.	मध्य प्रदेश	141496	110715	146366	126551	312744	124682
20.	महाराष्ट्र	141902	125887	163887	131375	318263	150931
21.	मणिपुर	1020	187	155	55	1571	542
22.	मेघालय	4358	2655	2791	2903	13273	2382

1	2	3	4	5	6	7	8
23.	मिजोरम	1042	1814	1681	2336	8550	3418
24.	नागालैंड	6510	1295	389	1471	8992	1026
25.	रा.रा. क्षेत्र दिल्ली	669	669	627	627	681	679
26.	उड़ीसा	83565	79833	100972	90288	203763	91496
27.	पांडिचेरी	930	877	932	932	1098	1098
28.	पंजाब	132320	111738	128026	120194	242377	137589
29.	राजस्थान	123325	106932	147493	116781	301536	118030
30.	सिक्किम	740	1079	883	1596	4868	848
31.	तमिलनाडु	163708	135528	180020	146408	340029	156490
32.	त्रिपुरा	7860	3565	1599	1964	16944	3706
33.	उत्तर प्रदेश	189037	184373	208782	201262	489788	195540
34.	उत्तरांचल	–	–	8165	2778	24651	9513
35.	पश्चिम बंगाल	82264	65511	98919	72197	285240	82717
	कुल	1983301	1646222	2140214	1811933	4632706	1860677

विवरण II

गत दो वर्षों के दौरान संस्वीकृत ग्रामीण आधारिक विकास निधि (आरआईडीएफ) परियोजनाओं के राज्य-वार ब्यौरे

(करोड़ रुपए)

क्र. संख्या	राज्य	2001-02		2002-03	
		परियोजनाओं की संख्या	संस्वीकृत राशि	परियोजनाओं की संख्या	संस्वीकृत राशि
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	2882	627.28	2266	909.56
2.	अरुणाचल प्रदेश	5	69.41	–	–
3.	असम	–	–	36	76.23
4.	बिहार	178	78.76	4491	218.93
5.	छत्तीसगढ़	87	84.42	218	281.30
6.	गोवा	69	15.79	2	16.10

1	2	3	4	5	6
7.	गुजरात	2793	40.90	8	283.82
8.	हरियाणा	251	227.95	206	270.87
9.	हिमाचल प्रदेश	396	174.51	739	196.85
10.	जम्मू-कश्मीर	2039	216.80	131	175.64
11.	कर्नाटक	5842	236.77	737	246.49
12.	केरल	296	191.76	259	196.55
13.	मध्य प्रदेश	102	311.89	132	575.23
14.	महाराष्ट्र	1272	529.73	963	443.09
15.	मेघालय	28	18.30	21	19.39
16.	मिजोरम	9	7.33	7	2.00
17.	नागालैंड	1	0.95	15	6.68
18.	उड़ीसा	148	153.25	395	246.83
19.	पंजाब	715	240.26	536	210.17
20.	राजस्थान	1637	435.12	2230	346.75
21.	सिक्किम	45	5.48	171	4.89
22.	तमिलनाडु	775	353.55	978	388.13
23.	त्रिपुरा	15400	6.79	53	50.13
24.	उत्तर प्रदेश	1802	338.50	607	322.71
25.	उत्तरांचल	6	53.96	174	75.43
26.	पश्चिम बंगाल	4087	474.41	7076	520.73
	कुल	40865	4893.87	22461	6084.50

विवरण III

हिमाचल प्रदेश-आरआईडीएफ-VII (2001-02) के तहत संस्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा

(लाख रुपए)

परियोजना का नाम	क्रियाकलाप	जिला	क्षमता (हेक्टर/कि.मी./मी.)	नाबार्ड ऋण	राज्य सरकार का अंशदान
1	2	3	4	5	6
हिमाचल प्रदेश					
इल्लामा मट्टन सिंह रियर	ग्रामीण सड़क	हमीरपुर	7	131.71	0.00

1	2	3	4	5	6
झारेट घानेटा डूंग पी	ग्रामीण सड़क	कांगड़ा	20	102.89	0.00
वीर पालमपुर	ग्रामीण सड़क	कांगड़ा	25	142.20	0.00
रहेन होरी देवी हालटीबा	ग्रामीण सड़क	कांगड़ा	11	109.81	0.00
सेन गुजरा रा रोपुरु	ग्रामीण सड़क	मंडी	9	111.76	6.45
पंथी थाची रोड	ग्रामीण सड़क	मंडी	15	180.03	0.00
अहम ढासई	ग्रामीण सड़क	मंडी	12	124.74	0.00
मेहली रोगी	ग्रामीण सड़क	शिमला	22	313.86	3.27
ब्रोन मारवाड़ी बादसाली रोड	ग्रामीण सड़क	उना	264	130.36	14.49
झिंकारी नल्लाह	ग्रामीण पूल	हमीरपुर	30	5.22	0.58
खेडा नल्लाह	डब्ल्यूएसएम	हमीरपुर	15	1.86	0.21
पांडवी नल्लाह	डब्ल्यूएसएम	हमीरपुर	20	2.07	0.23
रसोला नल्लाह	डब्ल्यूएसएम	हमीरपुर	19	1.88	0.21
कत्यानी नल्लाह	डब्ल्यूएसएम	हमीरपुर	16	2.07	0.23
डूग नल्लाह	डब्ल्यूएसएम	हमीरपुर	45	2.53	0.28
रेन्झोल नल्लाह	डब्ल्यूएसएम	हमीरपुर	16	1.91	0.21
जिहनोअ/एमनेड नल्लाह	डब्ल्यूएसएम	हमीरपुर	25	2.59	0.29
सेरा नल्लाह	डब्ल्यूएसएम	हमीरपुर	18	1.69	0.19
सलवीन नल्लाह	डब्ल्यूएसएम	हमीरपुर	17	4.14	0.46
बुधपीन नल्लाह	डब्ल्यूएसएम	हमीरपुर	16	2.95	0.33
प्लासी नल्लाह	डब्ल्यूएसएम	हमीरपुर	18	1.33	0.15
झरलोग नल्लाह	डब्ल्यूएसएम	हमीरपुर	15	1.37	0.15
लडसौर नल्लाह	डब्ल्यूएसएम	हमीरपुर	15	1.46	0.16
नादान नल्लाह	डब्ल्यूएसएम	हमीरपुर	16	2.47	0.27
खनसान नल्लाह	डब्ल्यूएसएम	हमीरपुर	16	2.02	0.22

1	2	3	4	5	6
बधर नल्लाह	डब्ल्यूएसएम	हमीरपुर	18	1.75	0.19
पंजोर नल्लाह	डब्ल्यूएसएम	हमीरपुर	25	4.14	0.46
सिमनई नल्लाह	डब्ल्यूएसएम	हमीरपुर	17	1.82	0.20
बेलोंग नल्लाह	डब्ल्यूएसएम	हमीरपुर	16	2.18	0.24
पपलाट नल्लाह	डब्ल्यूएसएम	हमीरपुर	19	3.01	0.33
जरोल नल्लाह	डब्ल्यूएसएम	हमीरपुर	16	2.11	0.23
लिन्डी नल्लाह	डब्ल्यूएसएम	हमीरपुर	35	3.60	0.40
गरसर नल्लाह	डब्ल्यूएसएम	हमीरपुर	16	1.28	0.14
भूखर नल्लाह	डब्ल्यूएसएम	हमीरपुर	17	1.12	0.12
उखालोन नल्लाह	डब्ल्यूएसएम	हमीरपुर	33	3.08	0.34
भौर नल्लाह	डब्ल्यूएसएम	हमीरपुर	16	1.93	0.21
लूधर ननवीन नल्लाह	डब्ल्यूएसएम	हमीरपुर	36	4.52	0.50
कोट चमकारदा नल्लाह	डब्ल्यूएसएम	हमीरपुर	40	3.96	0.44
बेरी ब्रमन्ना नल्लाह	डब्ल्यूएसएम	हमीरपुर	16	2.20	0.24
जख्योल नल्लाह	डब्ल्यूएसएम	हमीरपुर	20	3.24	0.36
बदोह नल्लाह	डब्ल्यूएसएम	हमीरपुर	17	2.34	0.26
लंडोर नल्लाह	डब्ल्यूएसएम	हमीरपुर	16	3.87	0.43
समीर	डब्ल्यूएसएम	हमीरपुर	15	1.96	0.22
सांगरा	डब्ल्यूएसएम	हमीरपुर	30	3.96	0.44
खांसी	डब्ल्यूएसएम	हमीरपुर	32	2.88	0.32
भराया	डब्ल्यूएसएम	हमीरपुर	34	2.90	0.32
डुंगरी	डब्ल्यूएसएम	हमीरपुर	18	4.77	0.53
टकोटा	डब्ल्यूएसएम	हमीरपुर	17	4.49	0.50
लूडार	डब्ल्यूएसएम	हमीरपुर	25	5.67	0.63
जार	डब्ल्यूएसएम	हमीरपुर	20	5.94	0.66
बेरी ब्रम्हणा	डब्ल्यूएसएम	हमीरपुर	1	7.13	0.79
कल्लार कोह	डब्ल्यूएसएम	हमीरपुर	140	10.80	1.20

1	2	3	4	5	6
बतरन मंगला नल्लाह	डब्ल्यूएसएम	हमीरपुर	79	4.90	0.55
बीरू नल्लाह	डब्ल्यूएसएम	हमीरपुर	37	3.46	0.39
रोपा नल्लाह	डब्ल्यूएसएम	हमीरपुर	116	4.68	0.52
पूलवाह नल्लाह	डब्ल्यूएसएम	हमीरपुर	31	4.59	0.51
हांडू/मांडू नल्लाह	डब्ल्यूएसएम	हमीरपुर	74	4.90	0.55
बैनवाला नल्लाह	डब्ल्यूएसएम	हमीरपुर	174	9.58	1.07
राजनौब नल्लाह	डब्ल्यूएसएम	हमीरपुर	80	5.58	0.62
क्योंगल नल्लाह	डब्ल्यूएसएम	हमीरपुर	104	8.37	0.93
गोहरपथ नल्लाह	डब्ल्यूएसएम	हमीरपुर	115	7.92	0.88
धांडा नल्लाह	डब्ल्यूएसएम	हमीरपुर	111	6.84	0.76
क्योर/पंग नल्लाह	डब्ल्यूएसएम	हमीरपुर	112	5.94	0.68
मैरन-बसोल नल्लाह	डब्ल्यूएसएम	हमीरपुर	22	3.42	0.38
बरी गर्दुन नल्लाह	डब्ल्यूएसएम	हमीरपुर	40	4.81	0.54
त्रंगवल्ल नल्लाह	डब्ल्यूएसएम	हमीरपुर	48	6.05	0.67
नरेहा नल्लाह	डब्ल्यूएसएम	हमीरपुर	50	5.76	0.64
खाटला/चंकल नल्लाह	डब्ल्यूएसएम	हमीरपुर	65	5.04	0.56
अमरोह	डब्ल्यूएसएम	हमीरपुर	85	6.30	0.70
दुग नल्लाह	डब्ल्यूएसएम	हमीरपुर	18	1.35	0.15
कुसाद नल्लाह	डब्ल्यूएसएम	हमीरपुर	287	7.81	0.87
बओरू नल्लाह	डब्ल्यूएसएम	हमीरपुर	323	11.97	1.33
चुर्दुगा नल्लाह	डब्ल्यूएसएम	हमीरपुर	174	7.56	0.84
घोरू नल्लाह	डब्ल्यूएसएम	हमीरपुर	36	5.15	0.57
चुकरीका नल्लाह	डब्ल्यूएसएम	हमीरपुर	63	4.68	0.52
बालासी नल्लाह	डब्ल्यूएसएम	हमीरपुर	164	8.19	0.91
बाल्का नल्लाह	डब्ल्यूएसएम	हमीरपुर	35	4.14	0.46
जरोर का नल्लाह	डब्ल्यूएसएम	हमीरपुर	72	6.75	0.75
लालरी नल्लाह	डब्ल्यूएसएम	हमीरपुर	97	8.37	0.93

1	2	3	4	5	6
रालनी नल्लाह	डब्ल्यूएसएम	हमीरपुर	68	6.21	0.69
पूलकोह	डब्ल्यूएसएम	हमीरपुर	51	6.39	0.71
कुथेराबुला	डब्ल्यूएसएम	हमीरपुर	48	6.66	0.74
दुधाना लोहिया	डब्ल्यूएसएम	हमीरपुर	21	4.90	0.54
बादन नल्लाह	डब्ल्यूएसएम	हमीरपुर	26	2.97	0.33
जिलालरी नल्लाह	डब्ल्यूएसएम	हमीरपुर	32	5.76	0.64
चुपान नल्लाह	डब्ल्यूएसएम	हमीरपुर	29	3.87	0.43
दलचेरा नल्लाह	डब्ल्यूएसएम	हमीरपुर	97	7.92	0.88
कोटला नल्लाह	डब्ल्यूएसएम	हमीरपुर	200	14.04	1.56
धुम्मा नल्लाह	डब्ल्यूएसएम	हमीरपुर	128	14.58	1.62
चुखारियर नल्लाह	डब्ल्यूएसएम	हमीरपुर	59	7.38	0.82
धरगोटी नल्लाह	डब्ल्यूएसएम	हमीरपुर	41	6.66	0.74
जाजेरी नल्लाह	डब्ल्यूएसएम	हमीरपुर	212	18.11	2.01
राल्ली नल्लाह	डब्ल्यूएसएम	हमीरपुर	454	27.00	3.00
बिहारो नल्लाह	डब्ल्यूएसएम	हमीरपुर	139	13.86	1.54
नहरल 1 एवं 2	डब्ल्यूएसएम	हमीरपुर	213	18.27	2.03
नंदडरू नल्लाह	डब्ल्यूएसएम	हमीरपुर	204	19.80	2.20
दंडरू नल्लाह	डब्ल्यूएसएम	हमीरपुर	36	6.21	0.69
परियाली नल्लाह	डब्ल्यूएसएम	हमीरपुर	104	10.26	1.14
बैंक दा कोह	डब्ल्यूएसएम	हमीरपुर	90	9.27	1.03
सलासी खाद	डब्ल्यूएसएम	हमीरपुर	81	7.92	0.88
टिपलू का नल्लाह	डब्ल्यूएसएम	हमीरपुर	31	3.51	0.39
बालाह रख नल्लाह	डब्ल्यूएसएम	हमीरपुर	29	4.82	0.54
आमद का नल्लाह	डब्ल्यूएसएम	हमीरपुर	78	10.98	1.22
कुंडा डा एवं ला नल्लाह	डब्ल्यूएसएम	हमीरपुर	36	7.83	0.87
बेली नल्लाह	डब्ल्यूएसएम	हमीरपुर	22	3.96	0.44
आडु हे नल्लाह	डब्ल्यूएसएम	हमीरपुर	26	5.49	0.61

1	2	3	4	5	6
हांडू/मजूरी डा नल्लाह	डब्ल्यूएसएम	हमीरपुर	35	8.01	0.89
संगरेल नल्लाह	डब्ल्यूएसएम	हमीरपुर	20	4.77	0.53
नेला नल्लाह	डब्ल्यूएसएम	हमीरपुर	19	5.83	0.86
चौकी नल्लाह	डब्ल्यूएसएम	हमीरपुर	16	3.87	0.43
बोलेका नल्लाह	डब्ल्यूएसएम	हमीरपुर	32	6.66	0.74
बारा/चोला रोपा नल्लाह	डब्ल्यूएसएम	हमीरपुर	44	6.03	0.67
चोकरी नल्लाह	डब्ल्यूएसएम	हमीरपुर	18	4.66	0.52
बट्टे डे नल्लाह	डब्ल्यूएसएम	हमीरपुर	17	3.64	0.40
खूभन डे नल्लाह	डब्ल्यूएसएम	हमीरपुर	42	9.09	1.01
ढग खाद नल्लाह	डब्ल्यूएसएम	हमीरपुर	125	13.95	1.55
नेन नल्लाह	डब्ल्यूएसएम	हमीरपुर	35	9.07	1.01
कैरोट नल्लाह	डब्ल्यूएसएम	हमीरपुर	19	1.97	0.22
भगोल नल्लाह	डब्ल्यूएसएम	हमीरपुर	40	6.70	0.75
नलही नल्लाह	डब्ल्यूएसएम	हमीरपुर	38	5.45	0.61
टिकर नल्लाह	डब्ल्यूएसएम	हमीरपुर	35	4.54	0.50
करनाट नल्लाह	डब्ल्यूएसएम	हमीरपुर	25	3.59	0.40
बनाल नल्लाह	डब्ल्यूएसएम	हमीरपुर	28	4.90	0.55
पुराना नल्लाह	डब्ल्यूएसएम	हमीरपुर	28	3.29	0.37
बघेरा नल्लाह	डब्ल्यूएसएम	हमीरपुर	31	5.65	0.63
दधाला नल्लाह	डब्ल्यूएसएम	हमीरपुर	35	4.70	0.52
जंगल नल्लाह	डब्ल्यूएसएम	हमीरपुर	25	4.34	0.48
खेडी नल्लाह	डब्ल्यूएसएम	हमीरपुर	33	4.23	0.47
खीका	डब्ल्यूएसएम	हमीरपुर	40	10.44	1.16
थाली सनाव	डब्ल्यूएसएम	हमीरपुर	20	5.31	0.59
लागदेवी	डब्ल्यूएसएम	हमीरपुर	30	5.13	0.57
बकनेर	सिटी इन्फो	हमीरपुर	35	3.78	0.42
नानौट	एफवी	हमीरपुर	36	3.89	0.43

1	2	3	4	5	6
चेरियन दी धार	रू. रोड	हमीरपुर	50	5.08	0.56
उत्पूर	रू. रोड	हमीरपुर	40	5.38	0.60
पुराली	रू. रोड	हमीरपुर	25	4.01	0.44
भरारा	रू. रोड	हमीरपुर	20	2.93	0.33
रोपा	रू. रोड	हमीरपुर	40	4.85	0.52
छबुतरा	रू. रोड	हमीरपुर	40	3.76	0.42
गुहार	रू. रोड	हमीरपुर	35	1.71	0.19
सुहाल	रू. रोड	हमीरपुर	40	10.44	1.16
अंदरेली	रू. रोड	हमीरपुर	35	1.78	0.20
ई ॐ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट	रू. रोड	हमीरपुर	–	389.70	43.30
स्वरी बाड अभिरक्षण	रू. रोड		746	2,699.69	99.96
झुंगादेवी रोड	रू. रोड		8	96.00	0.00
लहद लम्बा गोव रोड	रू. रोड		9	128.00	0.00
विलम्बबान कल्टा रोड	रू. रोड		4	49.00	0.00
गडी गिंगल रोड	रू. रोड		7	90.00	0.00
खगाली रोड	रू. रोड		8	94.00	0.00
कोटी बंगास्वार रोड	रू. रोड		4	47.00	0.00
कौलन वाला भुद रोड	रू. रोड		13	69.00	0.00
सहारन चंडीगढ़ रोड	रू. रोड		14	99.00	0.00
बरौती वाला गुलान रोड	रू. रोड		10	97.00	0.00
बसंतपुर गंबेरपुर रोड	रू. रोड		18	95.00	0.00
कांडा लाखी कुटीर रोड	रू. रोड		11	108.78	1.22
सोलन जौनजी धारजा सड़क	ग्रामीण सड़क	सोलन	10	110.00	0.00
धर्मशाला सड़क की शाखा	ग्रामीण सड़क	कांगड़ा	218	306.00	34.00
कफोता कोटी सड़क की शाखा	ग्रामीण सड़क	सिरमोर	95	324.90	36.10
सिरसा नदी की शाखा	ग्रामीण सड़क	सोलन	346	684.90	78.10
बर्ती सी का शेष कार्य	ग्रामीण सड़क	बिलासपुर	7	105.30	11.70
कुथी जु का शेष कार्य	ग्रामीण सड़क	बिलासपुर	20	108.90	12.10

1	2	3	4	5	6
कुथेरा का शेष कार्य	ग्रामीण सड़क	बिलासपुर	27	117.80	13.10
रखालो का शेष कार्य	ग्रामीण सड़क	चम्बा	8	85.00	0.00
जनग्रीह का शेष कार्य	ग्रामीण सड़क	चम्बा	10	76.00	0.00
द्रमन का शेष कार्य	ग्रामीण सड़क	चम्बा	8	133.00	0.00
सिहंत का शेष कार्य	ग्रामीण सड़क	चम्बा	5	77.64	0.36
चुरि बी का शेष कार्य	ग्रामीण सड़क	चम्बा	5	108.00	0.00
चौवारी का शेष कार्य	ग्रामीण सड़क	चम्बा	6	101.00	0.00
मसरूण का शेष कार्य	ग्रामीण सड़क	चम्बा	13	97.00	0.00
एफ सड़क का शेष कार्य	ग्रामीण सड़क	हमीरपुर	15	110.00	0.00
भोरण का शेष कार्य	ग्रामीण सड़क	हमीरपुर	9	120.33	7.67
पनियाली का शेष कार्य	ग्रामीण सड़क	हमीरपुर	9	108.00	0.00
चौरी का शेष कार्य	ग्रामीण सड़क	हमीरपुर	12	105.00	0.00
रंगस का शेष कार्य	ग्रामीण सड़क	हमीरपुर	13	84.00	0.00
झणिया का शेष कार्य	ग्रामीण सड़क	हमीरपुर	10	111.60	6.40
दहु-सीएच का शेष कार्य	ग्रामीण सड़क	हमीरपुर	8	122.00	0.00
धर्मशाला से सड़क तक	ग्रामीण सड़क	कांगड़ा	13	98.00	0.00
रानी तल का शेष कार्य	ग्रामीण सड़क	कांगड़ा	23	125.00	0.00
सिवर बल्लाह जार से सड़क का शेष कार्य	ग्रामीण सड़क	कांगड़ा	12	118.17	0.83
धमील का शेष कार्य	ग्रामीण सड़क	कांगड़ा	7	84.00	0.00
चौबू का शेष कार्य	ग्रामीण सड़क	कांगड़ा	9	109.00	0.00
पणिहर का शेष कार्य	ग्रामीण सड़क	कांगड़ा	10	102.00	0.00
मंद मी का शेष कार्य	ग्रामीण सड़क	कांगड़ा	9	102.00	0.00
नलीयन का शेष कार्य	ग्रामीण सड़क	कांगड़ा	6	103.03	5.97
एम/टी लूहिरी दलाश चौवन सड़क	ग्रामीण सड़क	कुलू	29	382.00	0.00
गुरकोथा-चौकी झौरा-धा	ग्रामीण सड़क	मंडी	9	98.10	10.90
तलीयार पिंगला थरोटा	ग्रामीण सड़क	मंडी	18	127.00	0.00
दुर्गापू का शेष कार्य	ग्रामीण सड़क	मंडी	11	128.00	0.00

1	2	3	4	5	6
का तंडा-पोकली सड़क (0/0)	ग्रामीण सड़क	मंडी	5	84.45	7.55
बदाद का शेष कार्य	ग्रामीण सड़क	मंडी	15	120.00	0.00
रिसा मा का शेष कार्य	ग्रामीण सड़क	मंडी	9	118.00	0.00
एम/टी और का शेष कार्य	ग्रामीण सड़क	शिमला	12	161.00	0.00
तरहन से सैनस खाद रोड	ग्रामीण सड़क	शिमला	12	133.00	0.00
राजगढ़ का शेष कार्य	ग्रामीण सड़क	सिरमोर	7	116.00	0.00
पल्लार का शेष कार्य	ग्रामीण सड़क	सिरमोर	7	108.00	0.00
जमता रा का शेष कार्य	ग्रामीण सड़क	सिरमोर	15	123.00	0.00
कफोता कोट का शेष कार्य	ग्रामीण सड़क	सिरमोर	12	89.00	0.00
भोजनगर बल्घाट चक्की का शेष कार्य	ग्रामीण सड़क	सोलन	10	108.00	0.00
सलोग्रा का शेष कार्य	ग्रामीण सड़क	सोलन	8	104.40	11.60
भात की का शेष कार्य	ग्रामीण सड़क	सोलन	7	106.00	0.00
विस्तार और यूना-बी का एम/टी	ग्रामीण सड़क	उना	17	249.30	27.70
खज्जनाल पर आरसीसी पुल	ग्रामीण सड़क	कांगड़ा	43	32.40	3.60
ग्रेल केएच पर आरसीसी पुल	ग्रामीण सड़क	कांगड़ा	40	36.00	4.00
214 मीटर स्वेन डबल ला	ग्रामीण सड़क	मंडी	214	702.90	78.10
ब्रीज एक्ट परेल आन चाम	ग्रामीण सड़क	चम्बा	86	300.60	33.40
72 मीटर सिंगल लेन प्री-एसटीआर	ग्रामीण सड़क	सोलन	72	107.10	11.90
छलांग	लघु सिंचाई	चम्बा	13	5.35	0.60
जिन्नो	लघु सिंचाई	चम्बा	8	3.32	0.38
डांग्डी	लघु सिंचाई	चम्बा	10	5.18	0.59
तलगरी	लघु सिंचाई	चम्बा	6	2.62	0.30
तरग्रोन	लघु सिंचाई	चम्बा	7	3.15	0.36
लेहाल	लघु सिंचाई	चम्बा	7	2.93	0.34
पाल चकोकी	लघु सिंचाई	चम्बा	10	4.65	0.53

1	2	3	4	5	6
गोहनाना	लघु सिंचाई	चम्बा	9	3.06	0.35
बरोटी	लघु सिंचाई	चम्बा	10	4.16	0.47
कथाला	लघु सिंचाई	चम्बा	10	4.28	0.47
बग्गी	लघु सिंचाई	हमीरपुर	5	1.49	0.16
भारमल	लघु सिंचाई	हमीरपुर	5	1.11	0.12
बारी-बटराहन	लघु सिंचाई	हमीरपुर	15	3.74	0.42
अकर्ना	लघु सिंचाई	हमीरपुर	8	2.16	0.24
री	लघु सिंचाई	हमीरपुर	5	1.11	0.12
सच-मछी भवन	लघु सिंचाई	कांगड़ा	35	16.07	1.79
संबल	लघु सिंचाई	कांगड़ा	25	11.59	1.29
लाखमण्डल	लघु सिंचाई	कांगड़ा	21	6.68	0.74
राज पेलवान	लघु सिंचाई	कांगड़ा	77	9.00	1.00
टिम्बाल-II	लघु सिंचाई	कांगड़ा	10	2.88	0.32
चनौर खास	लघु सिंचाई	कांगड़ा	16	4.86	0.54
सकोह	लघु सिंचाई	कांगड़ा	15	4.51	0.50
जोकू कुहाल	लघु सिंचाई	कांगड़ा	25	7.67	0.85
दुगियारी	लघु सिंचाई	कांगड़ा	25	7.20	0.80
राजुल कुहाल	लघु सिंचाई	कांगड़ा	40	5.40	0.80
संजवन	लघु सिंचाई	कांगड़ा	12	3.64	0.40
नागल	लघु सिंचाई	कांगड़ा	8	2.85	0.32
थोडा भालू	लघु सिंचाई	कांगड़ा	12	4.35	0.48
रेल पट्टी/भलाख	लघु सिंचाई	कांगड़ा	14	5.29	0.59
चाम्बी	लघु सिंचाई	कांगड़ा	8	3.07	0.34
बस्सा	लघु सिंचाई	कांगड़ा	18	6.62	0.73
खरोथ	लघु सिंचाई	कांगड़ा	19	5.80	0.84
भोल	लघु सिंचाई	कांगड़ा	12	4.37	0.48
लुधियार	लघु सिंचाई	कांगड़ा	18	6.62	0.73

1	2	3	4	5	6
जोल नेल्लश (जाट बेल)	लघु सिंचाई	कांगड़ा	25	7.88	0.87
चत्ता	लघु सिंचाई	कांगड़ा	16	7.84	0.87
मठ बाली कुहाल	लघु सिंचाई	कांगड़ा	25	7.66	0.85
दराती	लघु सिंचाई	कांगड़ा	21	6.84	0.76
पंजाला	लघु सिंचाई	कांगड़ा	15	8.15	0.91
नागल कुहाल	लघु सिंचाई	कांगड़ा	30	9.00	1.00
धनोती चारूइन-गारलोन	लघु सिंचाई	कांगड़ा	25	5.85	0.65
बुहला कोहला	लघु सिंचाई	कांगड़ा	25	7.68	0.85
नरवाणा सैराथाणा फेज-1	लघु सिंचाई	कांगड़ा	26	8.10	0.90
सामलेट/हाथी धर	लघु सिंचाई	कांगड़ा	15	5.81	0.65
चतेरू	लघु सिंचाई	कांगड़ा	15	4.60	0.51
ककरेन	लघु सिंचाई	कांगड़ा	16	4.31	0.48
रूंबाले दा पेल/रेपर	लघु सिंचाई	कांगड़ा	12	3.56	0.39
बांदी करयाला	लघु सिंचाई	कांगड़ा	25	7.70	0.85
सुधेर-II/सुधेर	लघु सिंचाई	कांगड़ा	30	9.33	1.04
सेहोल	लघु सिंचाई	कांगड़ा	17	4.55	0.50
नरवाणा	लघु सिंचाई	कांगड़ा	20	6.30	0.70
बालेहर	लघु सिंचाई	कांगड़ा	18	5.75	0.64
भलोआ	लघु सिंचाई	कांगड़ा	8	2.88	0.32
सहूरा	लघु सिंचाई	कांगड़ा	30	7.58	0.84
धनग	लघु सिंचाई	कांगड़ा	70	8.94	0.99
मलारी (बर्दोत)	लघु सिंचाई	कांगड़ा	10	3.34	0.37
घाना	लघु सिंचाई	कांगड़ा	28	6.87	0.76
खडलाला कुहल	लघु सिंचाई	कांगड़ा	25	6.68	0.74
अतारा/रित	लघु सिंचाई	कांगड़ा	10	3.46	0.38
उपरी वाया गांव में निहोल	लघु सिंचाई	कांगड़ा	30	9.60	1.07
मनभारी	लघु सिंचाई	कांगड़ा	18	6.62	0.73
गागर हार	लघु सिंचाई	कांगड़ा	17	6.48	0.72

1	2	3	4	5	6
दहकुलारा एवं बलखोल	लघु सिंचाई	कांगड़ा	25	9.33	1.04
खबल लखनाहार	लघु सिंचाई	कांगड़ा	7	2.54	0.28
एलियो	लघु सिंचाई	कुल्लू	43	13.50	1.50
परसा	लघु सिंचाई	कुल्लू	12	4.41	0.49
सुमराखाद-जौन	लघु सिंचाई	कुल्लू	38	16.47	1.83
मिहर	लघु सिंचाई	कुल्लू	16	6.08	0.68
चम्बा रोपा	लघु सिंचाई	कुल्लू	25	7.50	0.83
स्वाद	लघु सिंचाई	कुल्लू	12	5.21	0.58
शेगली	लघु सिंचाई	मण्डी	25	10.13	1.12
किगस	लघु सिंचाई	मण्डी	20	8.10	0.90
तरोह	लघु सिंचाई	मण्डी	11	3.47	0.38
सकरा	लघु सिंचाई	मण्डी	30	10.80	1.20
थथारी चंदानी	लघु सिंचाई	मण्डी	48	10.92	1.21
नवलाया	लघु सिंचाई	मण्डी	20	7.56	0.84
भनवद	लघु सिंचाई	मण्डी	20	5.56	0.62
भरनाल	लघु सिंचाई	मण्डी	10	2.93	0.32
बाग (टोर)	लघु सिंचाई	मण्डी	20	6.11	0.68
बेहाद	लघु सिंचाई	मण्डी	11	3.24	0.36
पिंगला कटवांडी	लघु सिंचाई	मण्डी	15	6.68	0.74
चौकी	लघु सिंचाई	मण्डी	13	3.88	0.43
टिकरी	लघु सिंचाई	मण्डी	48	14.82	1.65
नवानी	लघु सिंचाई	मण्डी	14	4.57	0.51
कुंदेख	लघु सिंचाई	मण्डी	24	7.12	0.79
कंडयोल	लघु सिंचाई	मण्डी	11	3.25	0.36
स्मालिया	लघु सिंचाई	मण्डी	10	3.32	0.37
बग्गी बनोला	लघु सिंचाई	मण्डी	10	2.59	0.29
दामेहर	लघु सिंचाई	मण्डी	46	15.10	1.68

1	2	3	4	5	6
रोपारी	लघु सिंचाई	मण्डी	15	3.93	0.44
खोखारा	लघु सिंचाई	मण्डी	12	3.78	0.42
पत्रन	लघु सिंचाई	मण्डी	13	4.31	0.48
गुईन जाजर	लघु सिंचाई	मण्डी	10	3.92	0.44
निहार-सरोनी	लघु सिंचाई	मण्डी	13	3.36	0.37
नरव-हरेऊ	लघु सिंचाई	शिमला	10	3.74	0.41
सईंज	लघु सिंचाई	शिमला	12	3.79	0.42
खब्बल	लघु सिंचाई	शिमला	42	17.38	1.93
धरारा	लघु सिंचाई	शिमला	19	4.84	0.54
न्योति के लिए पसाढ़	लघु सिंचाई	शिमला	10	3.62	0.40
बागना	लघु सिंचाई	शिमला	35	14.30	1.59
तारा-सीमा	लघु सिंचाई	शिमला	10	4.13	0.46
केपू	लघु सिंचाई	शिमला	16	7.01	0.78
कून	लघु सिंचाई	शिमला	20	7.20	0.80
धनत	लघु सिंचाई	शिमला	10	4.05	0.45
कंडा	लघु सिंचाई	शिमला	50	7.54	1.95
मामवी पुजारिल	लघु सिंचाई	शिमला	25	8.49	0.94
रेहल-खनल एंड जमोग	लघु सिंचाई	शिमला	12	4.32	0.48
कडियाली	लघु सिंचाई	शिमला	10	3.60	0.40
भूत	लघु सिंचाई	शिमला	40	15.55	1.73
निचला तुबोर	लघु सिंचाई	सिरमौर	22	9.74	1.08
पवमनाल	लघु सिंचाई	सिरमौर	21	9.16	1.02
फोहरर	लघु सिंचाई	सिरमौर	24	10.80	1.20
नगर संख्या-2	लघु सिंचाई	सिरमौर	16	7.89	0.88
नगर संख्या-1	लघु सिंचाई	सिरमौर	20	6.89	0.77
पिपनोर	लघु सिंचाई	सिरमौर	30	12.38	1.38
बाग	लघु सिंचाई	सिरमौर	20	8.10	0.90

1	2	3	4	5	6
जलचा मझहनल	लघु सिंचाई	सिरमौर	13	6.13	0.68
टिक्कर	लघु सिंचाई	सोलन	18	7.24	0.80
ब्रिंगल (कोहला)	लघु सिंचाई	सोलन	6	1.92	0.21
बारोग	लघु सिंचाई	सोलन	8	1.49	0.17
बेहंदु	लघु सिंचाई	सोलन	31	7.45	0.83
बालम पथरी/छडोग	लघु सिंचाई	सोलन	13	4.08	0.46
धोलार	लघु सिंचाई	सोलन	14	1.94	0.22
कनवरिया	लघु सिंचाई	सोलन	10	1.84	0.20
कोटला लियान	लघु सिंचाई	सोलन	45	6.68	0.74
कोटि	लघु सिंचाई	सोलन	8	2.21	0.24
सलुमनी	लघु सिंचाई	सोलन	10	2.99	0.33
भगरा खाद	लघु सिंचाई	सोलन	6	1.92	0.21
गहर	लघु सिंचाई	सोलन	10	2.91	0.32
बदु (पोखतु)	लघु सिंचाई	सोलन	6	1.79	0.20
पट्टा पंजल	लघु सिंचाई	सोलन	10	3.12	0.35
टकरोटा	लघु सिंचाई	सोलन	16	5.05	0.56
चिरगडा	लघु सिंचाई	सोलन	10	3.15	0.35
जातौन	लघु सिंचाई	सोलन	8	2.57	0.28
बिसा	लघु सिंचाई	सोलन	12	3.29	0.37
हाल्दा	लघु सिंचाई	सोलन	12	3.78	0.42
डिडू एवं घरनू	लघु सिंचाई	सोलन	14	4.14	0.46
दादोग	लघु सिंचाई	सोलन	11	2.14	0.24
किन्नू	लघु सिंचाई	ऊना	12	3.17	0.35
दुहल भटवाला	लघु सिंचाई	ऊना	8	2.13	0.24
बेहर (लोहारा लोअर)	लघु सिंचाई	ऊना	6	1.73	0.19
सलोह बेरी	लघु सिंचाई	ऊना	20	4.44	0.49
लोहारा लोअर (छपरोलन)	लघु सिंचाई	ऊना	8	2.08	0.23

1	2	3	4	5	6
जोह	लघु सिंचाई	ऊना	50	8.04	0.89
बधमना	लघु सिंचाई	ऊना	12	3.91	0.48
घनघरात	लघु सिंचाई	ऊना	13	3.65	0.40
रोतन वाला	लघु सिंचाई	सोलन	22	9.90	1.10
एफआईएस पगनाखड	लघु सिंचाई	मण्डी	177	15.39	0.00
टीडब्ल्यूओईएल-1	लघु सिंचाई	ऊना	32	23.27	2.59
टीडब्ल्यू भंजल	लघु सिंचाई	ऊना	32	24.07	2.69
टीडब्ल्यू-20 सं. नरपुर क्षेत्र	लघु सिंचाई	कांगड़ा	706	396.32	44.03
टीडब्ल्यू-10 हरिजन बस्ती	लघु सिंचाई	कांगड़ा	54	33.17	0.00
टीडब्ल्यू भोलजागीर	लघु सिंचाई	कांगड़ा	30	20.36	2.26
टीडब्ल्यू-20 सं. छत्तर-3	लघु सिंचाई	कांगड़ा	47	21.85	0.00
टीडब्ल्यू-20 सं. सुखारी	लघु सिंचाई	कांगड़ा	47	21.85	0.00
10 सं. टीडब्ल्यू जरल-1	लघु सिंचाई	मण्डी	31	16.59	0.00
10 सं. टीडब्ल्यू जगहन	लघु सिंचाई	मण्डी	21	18.47	0.00
टीडब्ल्यू कोटला कुंझल	लघु सिंचाई	सोलन	13	7.19	0.80
टीडब्ल्यू बेहली मस्तानपुर	लघु सिंचाई	सोलन	45	11.33	0.00
टीडब्ल्यू मानपुरा कुहलन	लघु सिंचाई	सोलन	25	16.64	1.85
टीडब्ल्यू चक्कन-3	लघु सिंचाई	सोलन	33	12.51	1.39
कश्मीर (कश्मीया)	लघु सिंचाई	हमीरपुर	30	24.30	2.70
रोहिलीयन पट्टू	लघु सिंचाई	हमीरपुर	15	12.37	1.38
भद्रोयाणा	लघु सिंचाई	हमीरपुर	33	28.95	3.2
मंगरोट संडरोल	लघु सिंचाई	बिलासपुर	328	158.95	17.66
हवानी खुबन	लघु सिंचाई	बिलासपुर	18	8.89	1.00
टीडब्ल्यू बरूना	ग्रामीण पेयजल	सोलन	–	45.41	0.00
टीडब्ल्यू जोगोन	ग्रामीण पेयजल	सोलन	–	49.09	0.00
टीडब्ल्यू दत्तवाल	ग्रामीण पेयजल	सोलन	–	51.79	0.00
टीडब्ल्यू राजपुरा	ग्रामीण पेयजल	सोलन	–	16.37	0.00

1	2	3	4	5	6
टीडब्ल्यू सतीवाला	ग्रामीण पेयजल	सोलन	–	31.90	0.00
टीडब्ल्यू कोंडूनारान्यापुर	ग्रामीण पेयजल	सोलन	–	32.92	0.00
एलडब्ल्यूएसएस ऊपरी/ निचला धोगी	ग्रामीण पेयजल	ऊना	–	15.19	0.00
डब्ल्यूएसएस कस्बा-कोटिया	ग्रामीण पेयजल	कांगड़ा	–	82.32	9.15
डब्ल्यूएसएस कियरवान	ग्रामीण पेयजल	कांगड़ा	–	24.40	2.71
नैनीखड चुआन रोड	ग्रामीण सड़क	चम्बा	16	104.00	0.00
नागबारी-शिमला टीका रोड	ग्रामीण सड़क	कांगड़ा	25	179.00	0.00
शाहपुर जवाली रोड	ग्रामीण सड़क	कांगड़ा	6	71.00	0.00
नागरी-हांगलो रोड	ग्रामीण सड़क	कांगड़ा	4	33.00	0.00
मंडी गणपति कुनकतर रोड	ग्रामीण सड़क	मण्डी	18	130.00	0.00
जगोती नल्ला ए रोड	ग्रामीण सड़क	शिमला	7	80.00	0.00
फिडुज डबास रोड	ग्रामीण सड़क	शिमला	31	270.00	0.00
खप्पर नल्ला के ऊपर पुल	ग्रामीण सड़क	कांगड़ा	69	79.20	8.80
दमन नल्ला के ऊपर पुल	ग्रामीण सड़क	कांगड़ा	40	88.40	7.60
बथुखड के ऊपर पुल	ग्रामीण सड़क	कांगड़ा	55	87.30	9.70
सतलुज नदी के ऊपर पुल	ग्रामीण सड़क	शिमला	80	237.64	0.00
मनकपुर खंड के ऊपर 3 पुल	ग्रामीण सड़क	सोलन	62	52.20	5.80
काजवे ओवर बेहर जस	ग्रामीण सड़क	ऊना	78	63.90	7.10
				17451.11	873.33

हिमाचल प्रदेश-आरआईडीएफ-VII (2002-03) के तहत मंजूर परियोजनाओं के ब्यौरे

(रुपये लाख में)

परियोजना का नाम	क्रियाकलाप	जिला	क्षमता (हेक्टर/कि.मी./मी.)	नाबार्ड ऋण	राज्य सरकार का अंशदान
1	2	3	4	5	6
जोतलू भाटला	लघु सिंचाई	शिमला	13	7.02	0.78
ओडी गढ़ से नेरी	लघु सिंचाई	शिमला	121	44.03	4.89
करंगला	लघु सिंचाई	शिमला	35	21.28	2.37

1	2	3	4	5	6
पनजी	लघु सिंचाई	सोलन	8	5.36	0.59
गनकेसर काना बजनल	लघु सिंचाई	सोलन	17	9.33	1.04
बसोल्दा इन जीपी धुलारा	लघु सिंचाई	चम्बा	8	3.82	0.42
मोचका कांगड़ा कुहल	लघु सिंचाई	कुल्लू	175	41.93	4.66
बागीपुल नोर लंज	लघु सिंचाई	कुल्लू	124	50.78	0.00
मामल से गिरजानू	लघु सिंचाई	मण्डी	34	1.99	0.22
दुल बनार चोंत औहल	लघु सिंचाई	मण्डी	57	29.12	3.24
एफआईएस से ग्राम मलवाना	लघु सिंचाई	मण्डी	14	3.07	0.34
पतघर	लघु सिंचाई	शिमला	12	11.16	1.24
जगहेद	लघु सिंचाई	सोलन	29	26.29	2.92
लारेच	लघु सिंचाई	सोलन	34	32.90	3.66
रूगरा कनेर	लघु सिंचाई	सोलन	65	67.81	7.53
देवलन सुकारा पार्लो	लघु सिंचाई	सिरमौर	27	24.55	2.73
खोदरी-मजरी	लघु सिंचाई	सिरमौर	77	14.72	1.64
अदियान, महरूवाला, भूध, चो	लघु सिंचाई	सिरमौर	80	79.02	8.78
खादरी	लघु सिंचाई	सिरमौर	27	2.53	0.28
भवाय	लघु सिंचाई	सिरमौर	41	38.30	4.26
कुरिया	लघु सिंचाई	हमीरपुर	30	16.68	1.85
छतोली जौरे एएमबी	लघु सिंचाई	हमीरपुर	45	30.56	3.40
त्रिपाले	लघु सिंचाई	कांगड़ा	140	98.95	10.99
जंदोर	लघु सिंचाई	कांगड़ा	47	30.60	3.40
भरोली	लघु सिंचाई	कांगड़ा	291	44.84	4.98
टियारा बैदी	लघु सिंचाई	कांगड़ा	185	44.76	4.97
रतवाह कंधेरी	लघु सिंचाई	कुल्लू	41	30.47	3.39
थराश	लघु सिंचाई	कुल्लू	53	44.37	4.93
सिल बालह गदियारा	लघु सिंचाई	मण्डी	45	48.34	5.37
भदरकालीन्यू प्रोजेक्ट	लघु सिंचाई	ऊना	25	23.12	2.57

1	2	3	4	5	6
नंगल जरियालान	लघु सिंचाई	ऊना	30	26.88	2.99
थथाल-1, 2 एंड 3	लघु सिंचाई	ऊना	105	75.34	8.37
अंधोरा-1 एंड 2	लघु सिंचाई	ऊना	70	50.52	5.61
अबादा बराना	लघु सिंचाई	ऊना	36	29.07	3.23
2 सं. टी/डब्ल्यूएस ससान एंड तोरू	लघु सिंचाई	कांगड़ा	58	43.72	4.86
कुमसू मथेरवाल	ग्रामीण पेयजल	शिमला	0	14.83	0.00
एलडब्ल्यूएसएस सरिल बसेच	ग्रामीण पेयजल	सिरमौर	0	5.45	0.60
डब्ल्यूएसएस साधनाघाट	ग्रामीण पेयजल	सिरमौर	0	19.95	2.22
डब्ल्यूएसएस ग्राम मुनिदिच (टीएम)	ग्रामीण पेयजल	सिरमौर	0	5.00	0.57
डब्ल्यूएसएस बंदर (बीएजी)	ग्रामीण पेयजल	सिरमौर	0	35.52	3.95
राजभन मुगलोंवाला कर्ता	ग्रामीण पेयजल	सिरमौर	0	65.35	7.27
एलडब्ल्यूएसएस गुलाबगढ़	ग्रामीण पेयजल	सिरमौर	0	41.43	4.60
एलडब्ल्यूएसएस मेहली फेज-II	ग्रामीण पेयजल	सोलन	0	50.45	5.60
एलडब्ल्यूएसएस दमरोग	ग्रामीण पेयजल	सोलन	0	29.18	3.24
डब्ल्यूएसएस दिल्लावाली लबाना	ग्रामीण पेयजल	सोलन	0	157.28	17.47
एलडब्ल्यूएसएस समोह से भजरौन	ग्रामीण पेयजल	बिलासपुर	0	48.21	5.36
एलडब्ल्यूएसएस पंयाली सरेरी	ग्रामीण पेयजल	हमीरपुर	0	36.00	4.00
एलडब्ल्यूएसएस बल्द्वारा	ग्रामीण पेयजल	मण्डी	0	91.14	10.13
डब्ल्यूएसएस खर्रौं भरारू	ग्रामीण पेयजल	मण्डी	0	44.85	4.99
एलडब्ल्यूएसएस जोहाद सरोआ	ग्रामीण पेयजल	मण्डी	0	20.00	2.22
डब्ल्यूएसएस वाशिशात	आर.डी. वाटर	कुल्लू	0	17.13	1.90
डब्ल्यूएसएस बोश दशाल रांगडी-सी	आर.डी. वाटर	कुल्लू	0	24.73	2.75
डब्ल्यूएसएस घोर दौर लंरकल	आर.डी. वाटर	कुल्लू	0	21.29	2.37
डब्ल्यूएसएस चौइल जूली	आर.डी. वाटर	कुल्लू	0	44.45	4.94
डब्ल्यूएसएस भप्पू राजा-की-खाशा	आर.डी. वाटर	कांगड़ा	0	80.87	8.99

1	2	3	4	5	6
एलडब्ल्यूएसएस संदा बारी	आर.डी. वाटर	कांगड़ा	0	128.82	14.31
एलडब्ल्यूएसएस जंबल (टी/डब्ल्यू)	आर.डी. वाटर	कांगड़ा	0	22.87	2.54
डब्ल्यूएसएस पीसी हैबिटेशन	आर.डी. वाटर	कांगड़ा	0	44.82	4.98
डब्ल्यूएसएस दधूंब एवं धनोतू	आर.डी. वाटर	कांगड़ा	0	57.08	6.34
डब्ल्यूएसएस विलशारून घूरूथा	आर.डी. वाटर	कांगड़ा	0	28.73	3.19
डब्ल्यूएसएस सिद्धपुर एवं फतेहपुर	आर.डी. वाटर	कांगड़ा	0	41.49	4.61
एलडब्ल्यूएसएस धमेटा आर.डी. वाटर	आर.डी. वाटर	कांगड़ा	0	44.92	4.99
एलडब्ल्यूएस आर.डी. वाटर एस खटियार आर.डी. वाटर	आर.डी. वाटर	कांगड़ा	0	68.43	7.60
डब्ल्यूएसएस ओईएल टटेहरा (टी/डब्ल्यू)	आर.डी. वाटर	ऊना	0	45.63	5.07
डब्ल्यूएसएस नांगल खुर्द (टी/डब्ल्यू)	आर.डी. वाटर	ऊना	0	29.15	3.24
एलडब्ल्यूएसएस बढ़ेहरा (टी/डब्ल्यू)	आर.डी. वाटर	ऊना	0	70.75	7.86
डब्ल्यूएसएस बहडाला बाजार	आर.डी. वाटर	ऊना	0	21.31	2.37
डब्ल्यूएसएस भरमानी कालोनी दुर्ग	आर.डी. वाटर	ऊना	0	68.81	7.64
डब्ल्यूएसएस कमला त्रियु	आर.डी. वाटर	चंबा	0	25.99	2.89
डब्ल्यूएसएस ईड कहलो क्यानी	आर.डी. वाटर	चंबा	0	17.90	1.99
नरेल कालवी धर्मपुर	ग्रामीण सड़क	शिमला	4	85.43	0.00
ददाधु बेचार-का-बाग	ग्रामीण सड़क	सिरमौर	10	128.44	0.00
ओहार कोहना वाया ऋषिकेश	ग्रामीण सड़क	बिलासपुर	12	93.60	10.40
बारा से जिहान	ग्रामीण सड़क	हमीरपुर	7	108.36	8.45
पलाही से महलरू	ग्रामीण सड़क	मंडी	3	130.20	8.01
धानू मसर बनोल	ग्रामीण सड़क	मंडी	5	95.40	10.60
तातापानी शकरा सड़क	ग्रामीण सड़क	चंबा	10	122.00	0.00
होलनूग्राला मोटरेबल सड़क	ग्रामीण सड़क	चंबा	2	108.90	12.10

1	2	3	4	5	6
चोरी भरीरी सड़क	ग्रामीण सड़क	कांगड़ा	8	214.00	0.00
गोरपुर चामोखा सड़क	ग्रामीण सड़क	कांगड़ा	13	162.66	0.00
ऊना लोअर सकोह-दरी	ग्रामीण सड़क	ऊना	8	123.47	4.38
ऊना जजो सड़क	ग्रामीण सड़क	ऊना	12	144.90	16.10
जलाल नदी-जमता बागथान	ग्रामीण सड़क	सिरमौर	50	43.46	4.83
जामुनीवाला खाला सड़क 1/345	ग्रामीण सड़क	सिरमौर	50	73.45	0.00
कहरीयान पर भेदखान	ग्रामीण सड़क	कांगड़ा	51	84.42	9.38
दखोडा-सुधंगल खान	ग्रामीण सड़क	कांगड़ा	25	30.21	3.36
थोरा के निकट जजबार खाद	ग्रामीण सड़क	कांगड़ा	215	171.15	3.18
चांदपुर से डाली सड़क बाया एम	ग्रामीण सड़क	बिलासपुर	5	101.83	11.31
राजपुरा सिल्ला चरण मोर	ग्रामीण सड़क	बिलासपुर	5	106.48	11.83
रोहल खाद घंडालविन	ग्रामीण सड़क	बिलासपुर	13	166.00	0.00
नबाबी चम्यानू जूकेन बा	ग्रामीण सड़क	मंडी	8	95.72	2.84
पोर धनवाल मस्यानी बी	ग्रामीण सड़क	मंडी	8	100.71	0.40
धर्मपुर से संनधोले सड़क	ग्रामीण सड़क	मंडी	17	127.30	0.00
जागी सिद्धी सड़क (3/5)	ग्रामीण सड़क	चंबा	5	104.84	0.00
चंबा कोहारी चिलबंग्लो	ग्रामीण सड़क	चंबा	4	74.65	0.00
राजसू जसोरगढ़ बेयोल	ग्रामीण सड़क	चंबा	4	68.23	0.00
चांधघर मंगल हलेर हर	ग्रामीण सड़क	कांगड़ा	18	122.10	0.00
जांग से बेहरू	ग्रामीण सड़क	कांगड़ा	7	87.40	5.01
चघेरा काडी सरूत रो	ग्रामीण सड़क	कांगड़ा	5	129.57	0.00
गंगाथ घोला सड़क (2/200)	ग्रामीण सड़क	कांगड़ा	7	50.30	0.00
रेहन होरी देवी हातिल बा	ग्रामीण सड़क	कांगड़ा	10	130.76	0.00
छुघेरा-चंद्रोत सड़क	ग्रामीण सड़क	कांगड़ा	4	85.50	9.50
धामीन-खरिया सड़क	ग्रामीण सड़क	कांगड़ा	7	99.60	0.00
देहिया जखीरा मौरबर सड़क	ग्रामीण सड़क	ऊना	8	122.64	0.00
लिंक रोड पंगी से थोपेन	ग्रामीण सड़क	किन्नौर	6	93.60	10.40
करछम से सपनी सड़क	ग्रामीण सड़क	किन्नौर	8	113.50	0.00

1	2	3	4	5	6
बाल पुलबहल सराय सड़क	ग्रामीण सड़क	शिमला	9	121.00	0.00
लिंक रोड किम्मू घाट-चक्की	ग्रामीण सड़क	सोलन	8	116.59	3.41
चेनाब नदी पर पुल	ग्रामीण पुल	लहुल एवं स्पिट	110	114.61	12.73
खलारा नल पर पुल	ग्रामीण पुल	कुल्लू	32	135.90	15.10
कश्मीरपुर खाद पर पुल	ग्रामीण पुल	सोलन	81	90.00	10.00
मोहिन-कोटलू (0/0-8/375) सड़क	ग्रामीण सड़क	हमीरपुर	8	114.50	0.00
धर्मयाना रिया रेहनी सड़क	ग्रामीण सड़क	हमीरपुर	9	115.65	0.00
मंसदर जोल सप्पर सड़क	ग्रामीण सड़क	हमीरपुर	11	115.00	0.00
पट्टा-टियालन-दा-घाट सड़क	ग्रामीण सड़क	हमीरपुर	5	114.65	2.74
मेर से महल सड़क	ग्रामीण सड़क	हमीरपुर	9	109.63	0.00
छदिया कुनबिन एल सड़क	ग्रामीण सड़क	हमीरपुर	11	133.62	0.00
रोपड़ी जनाहन-चकमोह सड़क	ग्रामीण सड़क	हमीरपुर	11	114.63	0.00
सलपर सेरी के-फेज-1	ग्रामीण सड़क	मंडी	8	135.00	0.00
सल्लपर बंटवारा सड़क	ग्रामीण सड़क	मंडी	6	118.90	13.21
लोहाना-कुलानी वाया बंदला	ग्रामीण सड़क	कांगड़ा	13	144.02	6.35
VIII चारगढ़-कानपुर सड़क	ग्रामीण सड़क	ऊना	5	33.72	3.75
बंदपुर-बलवल सड़क	ग्रामीण सड़क	ऊना	20	113.91	0.00
एस.के. तराहन कुपवी सड़क	ग्रामीण सड़क	शिमला	9	236.76	7.96
देवीधर धनसल सड़क	ग्रामीण सड़क	शिमला	6	110.10	0.00
जनेद खाद पर पुल	ग्रामीण पुल	कांगड़ा	60	85.37	9.49
विद्यालय की इमारतों का निर्माण	माध्यमिक विद्यालय	बिलासपुर	-	236.07	26.23
विद्यालय की इमारतों का निर्माण	माध्यमिक विद्यालय	हमीरपुर	-	236.07	26.23
विद्यालय की इमारतों का निर्माण	माध्यमिक विद्यालय	चंबा	-	239.94	26.68
विद्यालय की इमारतों का निर्माण	माध्यमिक विद्यालय	कांगड़ा	-	321.21	35.69
विद्यालय की इमारतों का निर्माण	माध्यमिक विद्यालय	कुल्लू	-	236.07	26.23
विद्यालय की इमारतों का निर्माण	माध्यमिक विद्यालय	मंडी	-	313.47	34.83
विद्यालय की इमारतों का निर्माण	माध्यमिक विद्यालय	शिमला	-	317.34	35.26

1	2	3	4	5	6
विद्यालय की इमारतों का निर्माण	माध्यमिक विद्यालय	सोलन	–	239.94	26.66
विद्यालय की इमारतों का निर्माण	माध्यमिक विद्यालय	सिरमौर	–	236.07	26.23
विद्यालय की इमारतों का निर्माण	माध्यमिक विद्यालय	ऊना	0	236.07	26.23
एलडब्ल्यूएसएस झमरारीया	आर.डी. वाटर	बिलासपुर	–	13.32	1.48
एलडब्ल्यूएसएस महराल दखयोरा	आर.डी. वाटर	हमीरपुर	–	67.14	7.46
डब्ल्यूएसएस रक्कर मझरना	आर.डी. वाटर	कांगड़ा	–	40.84	30.04
डब्ल्यूएसएस कडवारी	आर.डी. वाटर	कांगड़ा	–	14.62	28.98
एलडब्ल्यूएसएस कोटला लहरी भटवारा	आर.डी. वाटर	कांगड़ा	–	21.48	80.34
ग्राम भयोल कुठे को एल डब्ल्यू एस एस	आर.डी. वाटर	बिलासपुर	–	30.85	3.43
एलडब्ल्यूएसएस शिरडी साईं बाबा	आर.डी. वाटर	हमीरपुर	–	4.73	0.53
एलडब्ल्यूएसएस जोगीपुर नटेहर	आर.डी. वाटर	कांगड़ा	–	21.91	49.31
डब्ल्यूएसएस घुघर टाडा	आर.डी. वाटर	कांगड़ा	–	47.69	6.30
एलडब्ल्यूएसएस घर बोडल	आर.डी. वाटर	कांगड़ा	0	16.37	31.82
डब्ल्यूएसएस ऊपरली दरी एवं बरोली	आर.डी. वाटर	कांगड़ा	–	16.10	28.25
डब्ल्यूएसएस चिर भयोटू	आर.डी. वाटर	मंडी	–	5.00	0.55
एलडब्ल्यूएसएस मकान संधा	आर.डी. वाटर	मंडी	0	35.89	3.99
एलडब्ल्यूएसएस चंबी भरार	आर.डी. वाटर	मंडी	–	62.29	6.92
एलडब्ल्यूएसएस नेरी चिमनू	आर.डी. वाटर	मंडी	–	27.43	3.05
ब्रंगल पर शेष कार्य	ग्रामीण सड़क	चंबा	11	186.15	20.68
समोली पारसा लोअर कोटी सी	ग्रामीण सड़क	शिमला	7	106.43	0.00
पटसारी मतासा नंदकारी जेएच	ग्रामीण सड़क	शिमला	7	118.58	0.00
ग्राम सलोका सड़क (0/0 से)	ग्रामीण सड़क	शिमला	3	42.80	0.00
बनोटी सेल पहल (11/19)	ग्रामीण सड़क	शिमला	6	116.02	0.00
बनोटी/दिदघुटी	ग्रामीण सड़क	शिमला	12	114.30	0.00

1	2	3	4	5	6
पिपलु भियांबी सड़क (0/0 से)	ग्रामीण सड़क	ऊना	6	98.08	10.90
जोल अम्बेडा जोल कोखेरा सड़क	ग्रामीण सड़क	ऊना	6	119.15	0.00
चामा भावल संग्रह सड़क	ग्रामीण सड़क	सिरमोर	8	133.43	7.27
शिलाय नया लता संतरा	ग्रामीण सड़क	सिरमोर	8	119.00	0.00
कुनिहार बैंज की हट्टी	ग्रामीण सड़क	सोलन	15	134.12	0.00
बीर खाद पर पुल	ग्रामीण पुल	बिलासपुर	92	107.46	0.00
बीर खाद पर पुल	ग्रामीण पुल	बिलासपुर	110	197.14	21.91
खंगल खाद पर पुल	ग्रामीण पुल	मंडी	34	45.78	5.09
देहर खाद पर पुल	ग्रामीण पुल	चंबा	68	136.27	15.14
नयांगली नल पर पुल	ग्रामीण पुल	कांगड़ा	20	33.76	3.75
दादा खाद पर पुल	ग्रामीण पुल	कांगड़ा	153	71.58	0.00
सुखद खाद पर पुल	ग्रामीण पुल	कांगड़ा	90	83.73	7.08
चार नं. कौजवे दौलतपुर	ग्रामीण पुल	ऊना	504	155.31	0.00
रेनसरी खाद पर पुल	ग्रामीण पुल	ऊना	93	87.58	9.73
अदीयन खैला पर पुल	ग्रामीण पुल	सिरमोर	90	70.12	7.79
चेनाब नदी पर पुल	लघु सिंचाई	लाहोल एवं स्पीती	68	172.80	19.20
चेनाब नदी पर पुल	लघु सिंचाई	लाहोल एवं स्पीती	68	172.80	19.20
बध्णु	लघु सिंचाई	मंडी	16	12.39	1.38
छपरोहल बंधु	लघु सिंचाई	मंडी	93	44.83	4.98
अनुप दरबेहर	लघु सिंचाई	मंडी	47	13.98	1.55
रोरी कोरी	लघु सिंचाई	कांगड़ा	43	31.48	3.50
दिवान चंद कोहल	लघु सिंचाई	कांगड़ा	289	33.42	3.71
बनायक बहोत	लघु सिंचाई	मंडी	45	38.01	4.22
कलौद	लघु सिंचाई	मंडी	104	71.40	7.93
धरार प्राहु	लघु सिंचाई	बिलासपुर	58	53.72	5.97
रक्कर कालोनी में टीडब्ल्यू 2	लघु सिंचाई	ऊना	56	58.45	8.49
अपर रोरा टीडब्ल्यू 5	लघु सिंचाई	ऊना	84	87.28	9.70

1	2	3	4	5	6
टीडब्ल्यू बरेरा धतवारा	लघु सिंचाई	ऊना	26	27.58	3.07
टीडब्ल्यू तलवाली एवं कतली	लघु सिंचाई	मंडी	68	44.82	4.98
पातेहपुर क्षेत्र में 10 टीडब्ल्यू	लघु सिंचाई	कांगड़ा	74	52.63	5.85
हरनोता गुरियल में 10 टीडब्ल्यू	लघु सिंचाई	कांगड़ा	74	52.25	5.81
दून क्षेत्र में ट्यूबवेल	लघु सिंचाई	सोलन	200	254.03	28.22
टीडब्ल्यू णाना 1 एवं 2	लघु सिंचाई	सोलन	50	62.14	3.36
देहराईन ग्राम	लघु सिंचाई	कांगड़ा	26	29.59	3.29
टीकरी	ग्रामीण सड़क	चम्बा	11	12.77	1.42
खाद कल्याणा कुन का सड़क	ग्रामीण सड़क	मंडी	4	116.10	12.90
नाला करकोह कलाग सड़क	ग्रामीण सड़क	मंडी	10	124.20	0.00
थलकट से कलाहनी सड़क	ग्रामीण सड़क	मंडी	7	102.20	11.36
कटेरू सड़क पर सड़क	ग्रामीण सड़क	मंडी	3	124.85	0.00
सहेल संगलेहर जी सड़क	ग्रामीण सड़क	मंडी	6	93.60	10.40
टीकर मलवाना साई सड़क	ग्रामीण सड़क	मंडी	10	98.47	4.53
ग्राम सिसयाल से लिंक रोड	ग्रामीण सड़क	कुल्लू	7	108.90	1.10
दोहरा नाला से कल्स डी	ग्रामीण सड़क	कुल्लू	8	101.70	11.30
छरोरू नाला भरयन सड़क	ग्रामीण सड़क	कुल्लू	7	109.16	12.13
हमारा मोहाद चमदेरा सड़क	ग्रामीण सड़क	कांगड़ा	11	177.64	12.38
खटाई होली डोला सड़क	ग्रामीण सड़क	कांगड़ा	7	105.00	0.00
बाढ़ के रास्ते बल्लाह से जुगेहार	ग्रामीण सड़क	कांगड़ा	8	178.36	13.83
बनखंडा महता ब्रस उप्र	ग्रामीण सड़क	कांगड़ा	12	137.80	0.00
बीर बरोत सड़क (10/405 से)	ग्रामीण सड़क	कांगड़ा	22	165.14	17.36
श्वास्द कार से लिंक रोड	ग्रामीण सड़क	कुल्लू	4	109.35	3.65
दलेद-बाघेर सड़क (0/0 टी)	ग्रामीण सड़क	मंडी	5	124.91	13.88
हल कूकू नाला बेदर भ	ग्रामीण सड़क	शिमला	6	71.81	0.00
महरायन-भरान-हिनू सड़क	ग्रामीण सड़क	शिमला	4	50.00	0.00
कोहबाग से बाशा सड़क (0/0)	ग्रामीण सड़क	सोलन	12	152.59	16.95

1	2	3	4	5	6
कुरूसी नल पर पुल	ग्रामीण पुल	चंबा	58	94.06	9.94
लिहल खाद पर पुल	ग्रामीण पुल	चंबा	28	39.35	0.00
कादेद खाद पर पुल	ग्रामीण पुल	चंबा	40	67.53	2.17
राजेन्दु नल पर पुल	ग्रामीण पुल	चंबा	40	70.20	1.40
लपलाना के पर आरसीसी पुल	ग्रामीण पुल	कांगड़ा	40	38.23	4.03
जे पर आर सी सी टी-बीम पुल	ग्रामीण पुल	कांगड़ा	20	27.03	3.00
दारून खादर पर पुल	ग्रामीण पुल	कांगड़ा	30	31.36	3.48
मजुही खाद पर पुल	ग्रामीण पुल	कांगड़ा	150	50.00	0.00
आवा खाद पर पुल	ग्रामीण पुल	कांगड़ा	40	58.89	6.53
भगान खाद पर पुल	ग्रामीण पुल	कांगड़ा	25	16.46	0.00
दनेल खाद पर पुल	ग्रामीण पुल	कांगड़ा	20	17.91	0.00
पुन खाद पर पुल	ग्रामीण पुल	कांगड़ा	25	34.22	0.00
रेहन खाद पर पुल	ग्रामीण पुल	कांगड़ा	96	54.61	6.67
सेतु नाला पर पुल	ग्रामीण पुल	कांगड़ा	25	22.94	0.00
अलेओ नाला पर पुल	ग्रामीण पुल	कुल्लू	87	337.50	37.50
कुरूपन खाद पर पुल	ग्रामीण पुल	कुल्लू	30	45.41	0.00
अरघतली खाद पर पुल	ग्रामीण पुल	मंडी	21	24.17	0.84
अरनोदी खाद पर पुल	ग्रामीण पुल	मंडी	34	47.54	2.18
बरोगड़ा खाद पर पुल	ग्रामीण पुल	मंडी	20	11.32	0.00
घरल्ला खाद पर पुल	ग्रामीण पुल	मंडी	40	16.05	0.00
मोनार्ब नाला पर पुल	ग्रामीण पुल	मंडी	30	20.00	0.00
नल खाद पर पुल	ग्रामीण पुल	मंडी	25	18.58	1.95
पेटू नाला पर पुल	ग्रामीण पुल	मंडी	20	20.49	0.00
बीना खाद पर पुल	ग्रामीण पुल	मंडी	40	18.90	0.00
उह्ल नदी परपुल	ग्रामीण पुल	मंडी	85	163.67	18.19
बाग नाला पर पुल	ग्रामीण पुल	शिमला	20	21.29	0.00
देवीघर खाद पर पुल	ग्रामीण पुल	शिमला	18	26.68	0.00

1	2	3	4	5	6
झिन्ना खाद पर पुल	ग्रामीण पुल	शिमला	22	25.08	0.00
मझोटी खाद पर पुल	ग्रामीण पुल	शिमला	40	71.98	8.00
पटल खाद पर पुल	ग्रामीण पुल	शिमला	22	9.83	0.00
पटल खाद पर पुल	ग्रामीण पुल	शिमला	30	26.37	0.00
स्पीतिया नदी पर पुल	ग्रामीण पुल	लाहौल एवं स्पीति	75	144.05	16.01
शमता खाद पर पुल	ग्रामीण पुल	शिमला	20	13.21	1.47
सनन घाट पर पुल	ग्रामीण पुल	शिमला	27	48.37	4.54
भगोली नाला पर पुल	ग्रामीण पुल	शिमला	17	33.30	0.00
मिल्लाहा खाद पर पुल	ग्रामीण पुल	सिरमौर	22	30.31	0.00
बुद्धर नाला पर पुल	ग्रामीण पुल	ऊना	20	14.21	0.00
जोगीपंगा खाद पर पुल	ग्रामीण पुल	ऊना	37	11.11	0.00
				19685.37	1617.00

कश्मीर में हवाला धन

657. **श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:**
श्री सुन्दर लाल तिवारी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 9 सितम्बर, 2003 के 'राष्ट्रीय सहारा' में ''पुंछ के सरहदी गांवों में सिर चढ़ कर बोल रहा है हवाला का पैसा'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस हवाला धन का उपभोग, आतंकवादियों द्वारा स्थानीय लोगों को अवैध कार्यों में लगाने और नागरिकता प्राप्त करने हेतु संपत्ति खरीदने इत्यादि में किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसे रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं और इसके क्या परिणाम निकले;

(घ) क्या देश के अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों को इस प्रकार हवाला धन प्राप्त हो रहा है और क्या सरकार ने इस संबंध में जांच भी की है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) जी हां। संदर्भित समाचार मद दिनांक 18 सितम्बर, 2003 के समाचार-पत्र 'राष्ट्रीय सहारा' में आया था।

(ख) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु निर्धारित प्रशुल्क

658. **श्री मोइनुल हसन:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुट-निरपेक्ष और अन्य विकासशील देशों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु कोई मानक प्रशुल्क निर्धारित है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) जी नहीं, गुट-निरपेक्ष और अन्य विकासशील देशों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु कोई एक समान मानक प्रशुल्क निर्धारित नहीं किए गए हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की आईपीओ

659. श्री चन्द्र भूषण सिंह: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को इनिशियल पब्लिक आफरिंग के साथ पूंजी बाजार में उतरने के लिए कहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

निर्यात लक्ष्य

660. श्री ए. वेंकटेश नायक:
श्री चिंतामन वनगा:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2002-2003 के दौरान 15 बिलियन का निर्यात लक्ष्य निर्धारित किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इसे कितना प्राप्त किया है;

(घ) वर्ष 2003-2004 हेतु निर्धारित निर्यात लक्ष्य क्या है;

(ङ) अब तक इसमें कितनी उपलब्धि प्राप्त की गई है; और

(च) वर्ष 2003-2004 के लिए इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु निर्यातकों को कौन सी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): (क) से (ग) वर्ष 2002-2003 में वस्त्र निर्यात का लक्ष्य 13.0 बिलियन अमरीकी डालर निर्धारित किया गया था, हालांकि निर्यात संवर्द्धन परिषद को 15.0 बिलियन अमरीकी डालर का लक्ष्य दिया गया था। वाणिज्यिक आसूचना व सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2002-2003 के दौरान वस्त्र निर्यात 11.84 बिलियन अमरीकी डालर मूल्य के हुए जिसका अभिप्राय यह है कि वर्ष 2002-2003 के दौरान 91.1 प्रतिशत वार्षिक निर्यात लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है।

(घ) और (ङ) वर्ष 2003-04 के दौरान वस्त्र उत्पादों के निर्यात के लिए 13.5 बिलियन अमरीकी डालर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वाणिज्यिक आसूचना व सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) के अद्यतन उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अप्रैल-जुलाई, 2003 की अवधि के दौरान वस्त्र निर्यात 3.7 बिलियन अमरीकी डालर के हुए जिसका अभिप्राय यह है कि पहले चार महीनों के दौरान 27.4 प्रतिशत का वार्षिक निर्यात लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है।

(च) सरकार वर्ष 2003-2004 के लिए निर्यात लक्ष्य प्राप्त करने के वास्ते निर्यातकों को अनेक सुविधाएं प्रदान कर रही है। कुछ महत्वपूर्ण सुविधाएं नीचे दी गई हैं:-

(1) सरकार ने लघु उद्योग क्षेत्र से सिले-सिलाए परिधानों के बुनाई क्षेत्र को अनारक्षित कर दिया है। इसने निटिंग क्षेत्र के लिए लघु उद्योग क्षेत्र के निवेश की सीमा भी बढ़ा कर 5 करोड़ रु. कर दी है।

(2) इस क्षेत्र के आधुनिकीकरण और उन्नयन को सुगम बनाने के लिए दिनांक 1.4.1999 से प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) लागू कर दी गई है।

(3) टीयूएफएस के अंतर्गत शामिल बुनाई, प्रसंस्करण और परिधान मशीनों को 50 प्रतिशत की दर पर बढ़े हुए मूल्यह्रास की सुविधा प्रदान की गयी है। राजकोषीय नीतिगत उपायों से मशीनों की लागत भी कम कर दी गई है। इससे आधुनिकीकरण को और प्रोत्साहन मिलेगा।

(4) फ्रैब्रिक उत्पादन के प्रतिस्पर्धी बनाने की दृष्टि से शटलरहित करघों पर सीमा शुल्क को 15 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।

(5) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट), इसकी 6 शाखाएं और अपैरल प्रशिक्षण व डिजाइन केन्द्र (एटीडीसी), डिजाइन, व्यापारीकरण व विपणन के क्षेत्र में वस्त्र उद्योग विशेषकर अपैरल की कुशल मानव शक्ति संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के विभिन्न पाठ्यक्रम/कार्यक्रम चला रहे हैं।

(6) पारि-परीक्षण प्रयोगशालाओं के माध्यम से सुविधाएं तैयार की गई हैं ताकि निर्यातक आयातक देशों की आवश्यकताओं के अनुरूप वस्त्र उत्पादों का पूर्व-परीक्षण करवा सकें।

(7) सरकार ने विकास संभावित केन्द्रों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अपैरल विनिर्माण एककों के गठन पर बल देने और निर्यात को गति देने के लिए अपैरल पार्क निर्यात योजना नामक एक केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना शुरू की है।

(8) प्रमुख वस्त्र केन्द्रों में आधारभूत सुविधाओं को उन्नत बनाने के लिए वस्त्र इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास केन्द्र योजना (टीसीआईडीएस) शुरू की गई है।

[हिन्दी]

स्वर्ण का आयात

661. कुंवर अखिलेश सिंह: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अन्य देशों से स्वर्ण का आयात करने से संबंधित नियम क्या हैं;

(ख) स्वर्ण का निर्यात किस अभिकरण के माध्यम से किया जा सकता है और उक्त आयात की अनुमति प्रदान करने वाला निर्दिष्ट प्राधिकारी कौन है;

(ग) क्या मिनरल एंड मेटल्स ट्रेडिंग कारपोरेशन ने यूनियन बैंक आफ स्विट्जरलैंड को स्वर्ण का आयात करने की अनुमति दी थी;

(घ) यदि हां, तो आयातित स्वर्ण की मात्रा कितनी है और उक्त सौदे में कितने लोग संलिप्त है; और

(ङ) उपर्युक्त स्वर्ण आयात सौदे के संबंध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया था और वर्तमान में उक्त सौदे की वास्तविक स्थिति क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) सोने का आयात सरकार की एग्जिम नीति (अध्याय-2 एवं 4) के अनुसार विनियमित किया जाता है।

(ख) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, भारत सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक ऐसे निर्दिष्ट प्राधिकरण हैं जो विनिर्दिष्ट एजेन्सियों को निर्यातकों तथा भारत में घरेलू बाजार को आपूर्ति हेतु सोने का आयात करने की अनुमति प्रदान कर सकते हैं। इस समय ऐसी 17 एजेंसियां है जिन्हें सोने के आयात की अनुमति प्रदान की गई है। इन 17 एजेंसियों में से 13 बैंक है और शेष 4 इस प्रकार है:-

(1) एमएमटीसी लिमिटेड

(2) हस्तशिल्प एवं हथकरघा निर्यात निगम (एचएचईसी)

(3) राज्य व्यापार निगम (एसटीसी)

(4) पीईसी लिमिटेड

मांग/आपूर्ति की स्थिति के आधार पर एमएमटीसी द्वारा साख-पत्रों पर लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन के अन्य सदस्यों से भी आयातों की व्यवस्था की जाती है।

(ग) से (ङ) 2000-01 से 2002-03 तक के तीन वर्षों के दौरान एमएमटीसी द्वारा आयातित 214.33 टन सोने में से लगभग 68 टन सोने का आयात यूनियन बैंक आफ स्विट्जरलैंड से किया गया था।

एमएमटीसी द्वारा सोने के आयात के लिए यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड के चयन तथा इस सौदे में शामिल व्यक्तियों से संबंधित जांच सीबीआई को सौंपी गई है।

[अनुवाद]

जूट मिलों का आधुनिकीकरण

662. श्री रूपचन्द मुर्मू: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में स्थित जूट मिलों का आधुनिकीकरण करने की योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने जूट मिलों के आधुनिकीकरण के लिए पूंजी सब्सिडी में वृद्धि की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार ने 01 अप्रैल, 1999 से प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टी यू एफ एस) शुरू की है। टी यू एफ योजना

के तहत, पटसन मिलों सहित वस्त्र मिलें अपने इकाईयों के आधुनिकीकरण के लिए स्वीकृत परियोजनाओं पर पहचान की गयी वित्तीय संस्थाओं द्वारा वास्तविक रूप में लगाए गए ब्याज पर 5% प्रतिपूर्ति पाने की हकदार हैं। इसके अलावा पटसन विनिर्माण विकास परिषद (जे एम डी सी) कोलकाता जो वस्त्र मंत्रालय के तत्वावधान में एक सांविधिक संगठन है, देश में पटसन मिलों को आधुनिक बनाने के लिए 8 जुलाई, 2002 से ''पटसन उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए जे एम डी सी प्रोत्साहन योजना'' नामक योजना चला रहा है। इस योजना में पटसन मिलों के आधुनिकीकरण/उन्नयन के प्रति उपकर का भुगतान करने वाली किसी पटसन इकाई द्वारा मशीनरी की खरीद के लिए किसी निवेश पर 15% की दर से प्रोत्साहन दिए जाने का प्रावधान है। हालांकि, पटसन मिलों को जे एम डी सी योजना अथवा टी यू एफ योजना के तहत दिए जाने वाले लाभों में से कोई एक लाभ होने की अनुमति दी गयी है।

(ग) जी, हां।

(घ) 19 सितंबर, 2003 से ''पटसन उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए जे एम डी सी प्रोत्साहन योजना'' के अधीन सब्सिडी कम से कम 3 महीने के लिए उपकर के भुगतान के पश्चात् अपर्याप्त पटसन प्रसंस्करण सुविधाओं वाले पटसन उत्पादक क्षेत्रों से संबंधित नए स्थानों में नई आधुनिक पटसन मिलों की स्थापना के लिए बढ़ाकर 20% कर दी गई है।

परिधान (एपारेल) पार्क

663. श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में परिधान (एपारेल) पार्कों के गठन हेतु केन्द्र सरकार से वित्तीय सहायता का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अनुरोध पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) कितने पार्कों को गठित किए जाने की मंजूरी प्रदान की गई है और उन स्थानों का ब्यौरा क्या है जहां इनका गठन किया जा रहा है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्गी एन. रामचन्द्रन): (क) से (ग) आंध्र प्रदेश राज्य सरकार से 'निर्यात के लिए अपैरल पार्क योजना' के तहत 27.53 करोड़ रु. (भूमि की लागत सहित) की परियोजना लागत से विशाखापत्तनम में और 26.63 करोड़ रु. की परियोजना लागत से कुप्पम में अपैरल पार्क स्थापित करने के लिए दो परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। योजना के दिशा-निर्देशों के तहत गठित परियोजना अनुमोदन समिति ने विशाखापत्तनम में एक अपैरल पार्क स्थापित करने के लिए परियोजना प्रस्ताव पर सिद्धांततः मंजूरी दे दी है। परियोजना अनुमोदन समिति ने यह भी निर्णय लिया है कि कुप्पम में अपैरल पार्कों की स्थापना के लिए परियोजना प्रस्ताव को विशाखापत्तनम में पहले ही स्वीकृत अपैरल पार्क परियोजना को क्रियान्वित करने में प्राप्त सफलता का मूल्यांकन करने के पश्चात् बाद में किसी उपयुक्त चरण में विचारार्थ उठाया जाए।

(घ) इस योजना के प्रारंभ से, ट्रोनिका सिटी व कानपुर (उ.प्र.), सूरत (गुजरात), तिरूवनंतपुरम (केरल), विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश), लुधियाना (पंजाब), बेंगलूर (कर्नाटक), तिरूपुर व कांचीपुरम (तमिलनाडु), एसइजेड इंदौर (मध्य प्रदेश) और महल (जयपुर, राजस्थान) में अपैरल पार्कों की स्थापना हेतु ग्यारह परियोजना प्रस्ताव स्वीकृत कर दिए गए हैं।

अन्य देशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं

664. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:
श्री गुथा सुकेन्द्र रेड्डी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में अन्य देशों से सहायता प्राप्त चालू परियोजनाओं की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) इन परियोजनाओं में राज्यवार कुल कितनी धनराशि अन्तर्ग्रस्त है; और

(ग) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान विदेशी वित्तीय संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता की परियोजनावार और विदेशी वित्तीय संस्थावार धनराशि कितनी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) देश के विभिन्न राज्यों में कार्यान्वित की जा रही राज्य क्षेत्र में विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं की संख्या और उनमें लगायी गई राशि संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान विदेशी वित्तीय संस्थाओं द्वारा मुहैया करायी गई वित्तीय सहायता के परियोजना वार ब्यौरे वित्त मंत्रालय की वेबसाइट www.finmib.nic.in/caaa पर उपलब्ध हैं।

विवरण

(आंकड़े मिलियन में)

राज्य	परियोजनाओं की संख्या	ऋण/अनुदान राशि											
		अमरीकी डालर	एसडीआर	जापानी येन	यूरो	ब्रिटिश पाउंड	भारतीय रुपया	नार्वेजियन क्रोनर	डेनिश क्रोनर	स्विस फ्रांक	नीदरलैंड गिल्डर	स्वीडिश क्रोनर	कनाडियन डालर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
आंध्र प्रदेश	28	1038.20	571.45	22449.00	73.68	197.34	–	–	–	–	–	–	–
असम	1	–	81.00	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
बिहार	1	0.60	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
गुजरात	19	1107.56	367.65	22806.00	117.69	–	550.81	–	–	–	–	–	–
हरियाणा	6	3.76	9.65	–	48.50	–	–	–	–	–	–	–	–
हिमाचल प्रदेश	4	–	–	226.81	–	9.08	–	24.00	–	–	–	–	–
कर्नाटक	26	596.58	278.00	44420.00	54.24	23.39	–	–	239.00	–	–	–	–
केरल	13	515.00	78.90	17109.00	60.21	11.47	–	–	–	–	–	–	–
मध्य प्रदेश	10	380.00	84.20	20277.00	–	–	–	–	138.58	–	–	–	–
महाराष्ट्र	19	581.10	81.47	302.76	128.30	16.46	–	–	–	–	–	–	–
मणिपुर	2	–	–	3962.00	8.74	–	–	–	–	–	–	–	–
मेघालय	1	–	–	1700.00	–	–	–	–	–	–	–	–	–
बहुराज्य	21	273.07	760.65	88.30	22.90	–	–	–	17.49	12.50	0.80	–	–
उड़ीसा	22	240.65	251.60	7760.00	44.22	138.20	–	40.00	89.89	–	–	13.50	–
पंजाब	2	0.45	–	5054.00	–	–	–	–	–	–	–	–	–
पांडिचेरी	1	–	–	–	6.65	–	–	–	–	–	–	–	–
राजस्थान	20	432.75	243.50	16981.70	215.08	17.14	18.85	–	–	–	–	80.00	14.99
सिक्किम	1	–	–	–	3.66	–	–	–	–	–	–	–	–
तमिलनाडु	14	185.50	161.00	13324.00	149.20	–	–	–	195.95	–	–	60.00	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
उत्तर प्रदेश	14	647.50	356.00	0.00	60.43	15.09	-	-	-	-	-	-	-
उत्तरांचल	1	-	-	-	22.50	-	-	-	-	-	-	-	-
पश्चिम बंगाल	23	433.47		- 126976.86	78.43	45.24	-	-	-	-	-	-	-

आयकर अपील प्राधिकरण

665. श्री विनय कुमार सोराके: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि विवादों में फंसी हुई है, क्योंकि आयकर अपील प्राधिकरण अपनी विद्यमान संख्या में इन मामलों का निपटान करने में असमर्थ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार बकाया मामलों को निपटाने हेतु अतिरिक्त आयकर अपील अधिकरणों को गठित करने का है;

(ग) क्या वर्ष 1990 के दशक के आरंभिक वर्षों में शुरू किए गए राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर न्यायालयों के गठन को पुनर्जीवित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.सी. थामस): (क) तारीख 1.9.2003 को आयकर अपील अधिकरण के समक्ष विवादित आयकर की बकाया रकम 28,94,102 (लाख में) रुपए है।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

वस्त्र उद्योग की स्थापना

666. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बिहार से औद्योगिक पिछड़ेपन को दूर करने हेतु बिहार में नए वस्त्र उद्योग का कोई उपक्रम गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसकी स्थापना किन स्थानों पर किए जाने की संभावना है और कार्य के कब तक आरंभ होने की संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): (क) केंद्र सरकार का बिहार सहित देश में नए वस्त्र उद्योग का कोई उपक्रम गठित करने का कोई विचार नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता

667. कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनी राम शांडिल्य: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने लघु उद्योगों हेतु वित्तपोषण को बढ़ावा देने के लिए उपाय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आज की तिथि के अनुसार इसकी क्या स्थिति है;

(ग) क्या उक्त वित्तपोषण में कतिपय अवरोध हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) से (ङ) लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण प्रवाह बढ़ाना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार ने, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित उपाय किए हैं:

(1) बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि लघु उद्योग क्षेत्र को उधार दी गई उनकी कुल निधियों

का कम से कम 40% उन एककों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए जो संयंत्र एवं मशीनरी में 5 लाख रु. तक निवेश करते हों; और 20% उन एककों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए जो 5 लाख एवं 25 लाख रु. तक संयंत्र एवं मशीनरी पर निवेश करते हों। इस प्रकार लघु उद्योग क्षेत्र के लिए निश्चित की गई निधियों का 60% अत्यंत लघु क्षेत्र में छोटे एककों को दिया जाना चाहिए।

(2) गवर्नर द्वारा घोषित वर्ष 2003-04 की मौद्रिक एवं ऋण नीति की मध्यावधि पुनरीक्षा में, बैंकों को सलाह दी गई है कि लघु उद्योग क्षेत्र के एककों के पिछले कार्यनिष्पादन के अच्छे रिकार्ड और वित्तीय स्थिति के आधार पर ऋणों के लिए सम्पार्श्विक अपेक्षा संवितरण का मौजूदा स्तर 15 लाख रु. से बढ़ाकर 25 लाख रु. कर दिया जाए।

(3) बैंकों को सलाह दी गई है कि संमिश्र ऋण सीमा को 25 लाख रु. से बढ़ाकर 50 लाख रु. कर दिया जाए।

(4) बैंकों से कहा गया है कि प्रत्येक जिले में कम से कम एक विशिष्ट लघु उद्योग शाखा खोलें। इसके अतिरिक्त, बैंकों को लघु उद्योग क्षेत्र के लिए अपनी अग्रिम राशि का 60% या अधिक रखने वाली अपनी सामान्य बैंकिंग शाखाओं को विशिष्ट लघु उद्योग शाखाओं के रूप में वर्गीकृत करने की अनुमति दे दी गई है, ताकि उन्हें इस पूरे क्षेत्र को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए और अधिक विशिष्ट लघु उद्योग शाखाएं खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

(5) सिडबी द्वारा लघु उद्योगों के लिए नई ऋण गारंटी योजना शुरू करने से 25 लाख रु. तक के सम्पार्श्विक मुक्त ऋण इस योजना के तहत गारंटी हेतु शामिल कर लिए जाते हैं।

(6) स्थायी सलाहकार समिति की बैठकों में लिए गए निर्णयों के अनुसार, बैंकों से कहा गया है कि पिछले वर्षों की उपलब्धि एवं निवल बैंक ऋण की वृद्धि में समग्र प्रवृत्तियों की तुलना में लघु उद्योग क्षेत्र को अग्रिम राशि में वृद्धि हेतु स्वयं निर्धारित लक्ष्य बनाएं।

(7) माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा वर्ष 2003-04 के केन्द्रीय बजट में की गई घोषणा के अनुसार भारतीय बैंक संघ को पहले ही सलाह दी गई है कि प्रतिभूति अग्रिम राशि के लिए अपनी मूल उधार दर (पीएलआर) के 2% ऊपर एवं नीचे की ब्याज दर सीमा अपनाएं। अलग-अलग बैंक अपने संबंधित बोर्डों के अनुमोदन से भारतीय बैंक संघ द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन करेंगे। बैंकों से यह भी कहा गया है कि 50,000/- रु. तक 50,000/- रु. और 2,00,000/- रु. के बीच तथा 2,00,000/- रु. से अधिक तक के ऋणों के लिए ब्याज दर के तीन स्तर अपनाने की जांच करें।

बैंकों को सलाह दी गई है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी सभी नीतिगत उपायों/निर्देशों का अनुपालन करें।

प्लास्टिक के थैलों में खाद्यान्नों का भंडारण

668. श्री पी. कुमारासामी: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्यान्नों के भंडारण में प्लास्टिक के थैलों की उपयुक्तता का अध्ययन करने के लिए गठित इंडियन ग्रेन स्टोरेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, हापुड़ ने सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) थैलों में भंडारित खाद्यान्नों की शेल्फ-लाइफ कितनी है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय अनाज संचयन प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान, हापुड़ ने अपने अल्पकालिक अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर सुझाव दिया है कि खाद्यान्नों के भंडारण के लिए एंटी स्लिप पी.पी./एच.डी.पी.ई. बोरियों का उपयोग चरणबद्ध ढंग से खाद्यान्नों के भंडारण के लिए किया जा सकता है।

(ग) पी.पी./एच.डी.पी.ई. बोरियों में भंडारित खाद्यान्नों की शेल्फ लाइफ का भारतीय अनाज संचयन प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान, हापुड़ द्वारा दिए जाने वाले प्रस्तावित खाद्यान्नों के भंडारण के लिए पी.पी./एच.डी.पी.ई. बोरियों के दीर्घकालिक अध्ययन के पूरा होने के बाद ही पता चल सकेगा।

समुद्री उत्पादों हेतु नई प्रौद्योगिकी

669. श्री प्रियरंजन दासमुंशी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समुद्री उत्पाद भारत की निर्यात संवृद्धि में अत्यधिक योगदान दे रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को मछली को समुचित तापमान स्तर में रखने, निर्यात हेतु कंटेनर तथा त्वरित सुपुर्दगी प्रणाली के लिए अवसंरचनात्मक सहायता के लिए विश्व के संबंधित देशों में समुद्री उत्पाद के क्षेत्र में अपनाई गई नई प्रौद्योगिकियों की जानकारी है;

(ग) यदि हां, तो क्या भारतीय समुद्री उत्पाद उत्पादकों एवं निर्यातकों के पास इस प्रकार की अवसंरचनात्मक सुविधायें हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) भारत के कुल निर्यात में समुद्री उत्पादों के निर्यात का हिस्सा लगभग 2.7 प्रतिशत है। वर्ष 2002-03 के दौरान समुद्री उत्पादों का निर्यात 1424.90 मिलियन अमरीकी डालर का हुआ जिसमें पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में 13.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्शित होती है।

(ख) जी, हां।

(ग) से (ङ) सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए जा रहे हैं जिनमें गुणवत्ता मानकों का कारगर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उत्पादन, भंडारण और परिवहन के सभी चरणों में समुद्री खाद्य के स्वच्छतापूर्ण हैंडलिंग हेतु अनिवार्य अपेक्षाएं निर्धारित करना; रसायनों एवं भारी धातुओं का अधिकतम अनुमत्य स्तर निर्धारित करना; समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा) और भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी) द्वारा प्रसंस्करण एककों की निगरानी करना ताकि अपेक्षित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके; स्वच्छता एवं गुणवत्ता के अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए प्रसंस्करण सुविधाओं के उन्नयन हेतु समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी योजनाएं; रोगों के प्रकोप की रोकथाम हेतु प्रबंधन की ठोस पद्धतियां अपनाने के लिए जलकृषकों को प्रशिक्षण प्रदान करना शामिल है।

स्टाक एक्सचेंजों की सूची से हटाई गई कंपनियां

670. श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान और आज की तिथि तक उन कंपनियों के नामों का ब्यौरा क्या है जिन्हें विभिन्न स्टाक एक्सचेंजों की सूची से हटाया गया है;

(ख) क्या सूची से हटाई गई कंपनियों द्वारा निवेशकों की शिकायतों का समाधान किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

विद्युतकरघा क्षेत्र की बिगड़ती स्थिति

671. श्रीमती रानी नरह:
श्री एम.के. सुब्बा:
डा. जसवंतसिंह यादव:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में, विशेषकर असम राज्य में विद्युतकरघा उद्योग की बिगड़ती स्थिति की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या असम सरकार ने विद्युतकरघा उद्योग के पुनरोद्धार और इसके कायाकल्प हेतु किसी केंद्रीय सहायता का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो देश के विशेषकर असम राज्य के विद्युतकरघा क्षेत्र का कायाकल्प करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): (क) से (घ) असम में स्थित विद्युतकरघा क्षेत्र सहित देश का विकेन्द्रीकृत विद्युतकरघा क्षेत्र, जो उद्योग की कपड़े की आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कई कमजोरियों से जूझ रहा है जिनमें निम्नलिखित भी शामिल हैं:-

* प्रौद्योगिकीय अप्रचलन,
* एककों का लघु आकार,
* निम्न मानव संसाधन विकास कौशल और खराब गुणवत्ता संबंधी जागरूकता, और
* अच्छी कोटि की विद्युत आपूर्ति की अपर्याप्त उपलब्धता।

सरकार को असम सहित देश के विभिन्न भागों से विद्युतकरघा उद्योग के लिए केन्द्रीय सहायता के वास्ते अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं। विद्युतकरघा उद्योग में विकास को सुकर बनाने के लिए की गई कई पहलों, जो असम के लिए भी उपलब्ध हैं, में निम्नलिखित शामिल हैं:-

(1) केंद्र सरकार ने बेहतर कार्य-परिवेश तैयार करने तथा उच्च उत्पादकता प्राप्त करने के लिए विद्युतकरघा समूह कार्यशाला के लिए सहायता तथा समूह बीमा योजना प्रदान कर प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के क्षेत्र को बढ़ाकर विद्युतकरघा उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए केन्द्रीय बजट 2003-04 में एक विद्युतकरघा पैकेज की घोषणा की है। यह पैकेज पूरी तरह लागू किया गया है।

(2) सरकार ने विद्युतकरघा सेवा केन्द्रों का आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण शुरू किया है। इन सेवा केन्द्रों की स्थापना प्रशिक्षण, परीक्षण, परियोजना की तैयारी आदि की तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के लिए की गई है।

(3) लघु विद्युतकरघा एकक नए डिजायनों का मूल्यांकन और उत्पाद विकास इनपुट्स द्वारा फैब्रिक का उन्नयन कर सकें इसके लिए कंप्यूटर सहायित डिजाइन केन्द्रों की स्थापना की गई है।

(4) विकेंद्रीकृत विद्युतकरघा क्षेत्र में 50,000 शटल रहित करघों और 2.50 लाख अर्धस्वचालित और स्वचालित करघों को शामिल करने के लिए एक कार्यक्रम की घोषणा की गई है।

(5) प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) के तहत प्रोत्साहन उपलब्ध कराए गए हैं जिससे विद्युतकरघा मालिक या तो 20% अपफ्रंट पूंजी संबद्ध सब्सिडी लेकर या उसके द्वारा लिए गए ऋण पर 5% ब्याज की प्रतिपूर्ति प्राप्त कर उधार पूंजी की लागत को घटा सकता है।

(6) शटल रहित करघों पर आयात शुल्क कम कर दिया गया है और स्वदेशी स्वचालित करघों को उत्पादन शुल्क की छूट दे दी गई है। टीयूएफएस के तहत संस्थापित बुनाई मशीनरी पर 50% की दर पर बढ़े हुए मूल्य ह्रास के लाभ दिए गए है।

(7) विद्युतकरघा निर्यातों को प्रोत्साहित करने के लिए विद्युतकरघा निर्यात हकदारी (पीईई) कोटा प्रदान किया गया है।

दवा कंपनियों के लिए पृथक निर्यात संवर्धन परिषद

672. डा. बलिराम: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दवा कंपनियों के लिए पृथक निर्यात संवर्धन परिषद का गठन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस निर्यात संवर्धन परिषद का मुख्यालय कहां स्थित है; और

(ग) यह परिषद कब तक कार्य करना आरंभ करेगी?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) से (ग) वाणिज्य विभाग ने अलग से भेषज निर्यात संवर्धन परिषद (फार्मेक्सिल) की स्थापना हेतु अनंतिम रूप से अनुमोदन प्रदान किया है। भेषज क्षेत्र में औद्योगिक एसोसिएशनों के साथ विचार-विमर्श करने के बाद, यह निर्णय लिया गया है कि परिषद का मुख्यालय मुम्बई में और उसका एक क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद में होगा। प्रस्तावित परिषद द्वारा 1 अप्रैल, 2004 से कार्य शुरू करने की संभावना है।

विदेशी मुद्रा भंडार

673. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक माह के अंत में भारतीय रिजर्व बैंक के पास कितना विदेशी मुद्रा भण्डार था;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान रुपए के मूल्य को स्थिर बनाए रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने कितनी बार डालरों की खरीद की;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान देश को विदेशी मुद्रा का बड़ा अंशदान किस से प्राप्त हुआ और इसकी मात्रा कितनी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) पिछले दो वर्षों के प्रत्येक महीने के अंत में विदेशी मुद्रा भंडार (मिलियन अमरीकी डालर में) का ब्यौरा संलग्न विवरण I में दिया गया है।

(ख) घरेलू विदेशी मुद्रा बाजार में भारतीय रिजर्व बैंक के संचालन एक नियत लक्ष्य अथवा पूर्व घोषित लक्ष्य अथवा किसी

सीमा के बिना विनिमय दरों की सावधानीपूर्वक मानिटरिंग और प्रबंधन के उद्देश्य से मार्गनिर्देशित होते हैं। विदेशी मुद्रा बाजार में व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक घरेलू विदेशी मुद्रा बाजार में अमरीकी डालर का क्रय-विक्रय करता है। भारतीय रिजर्व बैंक के क्रय-विक्रय संचालनों की मात्रा और आवृत्ति बाजार की स्थितियों पर निर्भर करती हैं। कुछ अवसरों पर जब बाजार की स्थिति अस्थिर हो, तो उस समय भारतीय रिजर्व बैंक एक से अधिक अवसरों पर काम करेगा और अन्य कुछ अवसरों पर जब बाजार की स्थितियां व्यवस्थित हो तो उस अवसर पर भारतीय रिजर्व बैंक अमरीकी डालर का क्रय विक्रय बिल्कुल नहीं करेगा। स्थापित मानकों के अनुसार विदेशी मुद्रा बाजार में भारतीय रिजर्व बैंक के विक्रय/क्रय की मात्रा एक एकीकृत स्तर पर एक महीने के समय अंतराल पर प्रकट की जाती है।

(ग) विगत दो वर्षों के दौरान के विदेशी मुद्रा भण्डार में प्रमुख अंशदानों का ब्यौरा संलग्न विवरण II में दिया गया है।

विवरण I

भारत का मासिक विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडार (मिलियन अमरीकी डालर में)

	एसडीआर	स्वर्ण	एफसीए	कुल भंडार
1	2	3	4	5
2002-2003				
अप्रैल	12	3,131	52,107	55,250
मई	9	3,249	52,890	56,148
जून	10	3,330	54,703	58,043
जुलाई	9	3,248	56,704	59,961
अगस्त	10	3,208	58,273	61,491
सितम्बर	10	3,300	59,663	62,973
अक्तूबर	10	3,278	61,225	65,513
नवम्बर	7	3,303	63,621	66,931
दिसम्बर	7	3,444	66,994	70,445
जनवरी	7	3,688	69,888	73,583
फरवरी	4	3,725	69,148	72,877
मार्च	4	3,534	71,890	75,428
2003-04				
अप्रैल	4	3,389	74,253	77,646
मई	1	3,673	77,932	81,606
जून	1	3,698	78,546	82,245
जुलाई	5	3,628	80,949	84,582
अगस्त	3	3,720	82,624	86,347

1	2	3	4	5
सितम्बर	4	3,919	87,213	91,136
अक्तूबर	4	3,920	88,674	92,598
नवम्बर 21	3	3,920	91,450	95,373

विवरण II

विदेशी प्रारक्षित मुद्रा भंडार में वृद्धि के स्रोत

(बिलियन अमरीकी डालर)

1.	चालू खाता शेष	4.14	0.4
2.	पूंजी खाता (निवल)	12.84	1.3
	क. विदेशी निवेश	4.6	1.1
	ख. बैंकिंग पूंजी	8.4	0.7
	ग. अल्पावधि ऋण	1	0.2
	घ. विदेशी वाणिज्यिक उधार	-2.3	-0.7
	ङ. पूंजी खाते में अन्य मदें	1.1	1
3.	मूल्य परिवर्तन	3.8	2.0
4.	कुल (1+2+3)	20.8	3.7

*नगण्य

विस्फोटक सामग्रियों का भंडारण एवं वहन

674. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश भर में उत्खनन सहित विभिन्न प्रयोजनों हेतु विस्फोटक सामग्री के भंडारण और वहन का निगरानी करने की कोई क्रियाविधि है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) विस्फोटक सामग्री के गलत हाथों में पड़ने से रोकने हेतु भारतीय विस्फोटक अधिनियम में उपयुक्त संशोधन करने हेतु सरकार द्वारा क्या नए कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) विस्फोटकों का भंडारण और परिवहन विस्फोटक नियम 1983 के अंतर्गत विनियमित होते हैं, जो विस्फोटक विभाग द्वारा क्रियान्वित किये जाते हैं। विस्फोटक नियमावली 1983 के नियम 32 के अनुसार "कोई भी व्यक्ति विस्फोटकों का परिवहन नहीं कर सकता है, केवल इन नियमों के अधीन और मंजूर किये गये लाइसेंस की शर्तों के अनुसार ही इनका परिवहन किया जा सकता है।" विस्फोटक नियमावली 1983 के नियम 113 के अनुसार "कोई भी व्यक्ति किसी भी विस्फोटक को धारण अथवा विक्रय अथवा उसका उपयोग नहीं कर सकता है, केवल इन नियमों के अधीन और मंजूर किये गये लाइसेंस की शर्तों के अनुसार ही ऐसा किया जा सकता है।" लाइसेंस की शर्त के अनुसार प्रत्येक लाइसेंसधारी को प्रत्येक महीने के अंत में एक रिटर्न फार्म सं. 36 में लाइसेंस दाता प्राधिकारियों और नवीकरण प्राधिकारियों को भर कर भेजनी होती है जिसमें विस्फोटकों की प्राप्ति और निर्गमन दर्शाना होता है जिसे आगामी महीने की 10 तारीख तक उपर्युक्त प्राधिकारियों के पास पहुंचाना होता है।

विस्फोटक नियमावली 1983 के नियम 179 के अधीन, मुख्य विस्फोटक नियंत्रक के अतिरिक्त स्थानीय जिला तथा पुलिस प्राधिकारी और मुख्य खनन निरीक्षक को भी ऐसे किसी स्थान में जाने, उसका निरीक्षण करने और जांच करने का अधिकार दिया गया है जहां पर इन नियमों के तहत मंजूर किये गये लाइसेंस के अधीन कोई विस्फोटक बनाया जा रहा हो, प्रयोग हो रहा हो, रखा गया हो, विक्रय, परिवहन, निर्यात तथा आयात किया गया हो। इन अधिकारियों को जहां पर उन्हें, उक्त अधिनियम अथवा नियमों के किसी भी उपबंध का उल्लंघन किया गया, प्रतीत होता हो, ऐसे विस्फोटक और उससे संबंधित दस्तावेजों को जब्त करने, रोकने और उसे हटाने का पूरा अधिकार दिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

(घ) सरकार ने कुओं की खुदाई में प्रयोग के लिए कम्प्रेशर लगे मोटर ट्रक/ट्रैक्टर में विस्फोटक धारण व वहन करने के लिए एक विशेष लाइसेंस की शुरूआत की है। लाइसेंसधारी को कुओं की खुदाई संबंधी प्रक्रिया में विस्फोटकों की खरीद व इस्तेमाल करने के रिकार्ड रखने होते हैं और जिला मजिस्ट्रेट को इनकी निगरानी करनी होती है। विस्फोटक विभाग ने विस्फोटकों को ले जाने वाले प्रत्येक विस्फोटक वाहन में दो सशस्त्र गार्ड नियोजित करने के आदेश भी जारी किये हैं।

चावल का निर्यात

675. श्री बसुदेव आचार्य: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय खाद्य निगम द्वारा चावल के निर्यात में हुई करोड़ों रुपये की कथित अनियमितता के आरोप की जांच के आदेश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई/किए जाने का प्रस्ताव है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) से (ङ) सरकार ने चावल के निर्यात में कथित अनियमितताओं की जांच के आदेश दिए थे और अंतिम जांच रिपोर्ट अभी तक प्रस्तुत नहीं की गई है।

राज्य वित्त निगम

676. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बकाया ऋणों में 2 प्रतिशत की कमी करके तथा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा दिए गए ऋण की ब्याज दर में 2 प्रतिशत की छूट देकर राज्य वित्त निगम को पुनर्जीवित करने का है;

(ख) यदि हां, तो वे राज्य वित्त निगम कौन-कौन से हैं जिन्हें प्रस्तावित सहायता दी जानी है और इससे इन वित्तीय निगमों की वित्तीय स्थिति में कितना सुधार होने की संभावना है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में सिडबी द्वारा इन वित्तीय निगमों को कुल कितना ऋण उपलब्ध कराया गया; और

(घ) राज्य वित्तीय निगमों द्वारा लघु उद्योगों को दिए गए ऋण की वसूली हेतु क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) राज्य वित्तीय निगमों (एसएफसी) के कार्यकलाप का पुनरुद्धार करने के उद्देश्य से सरकार ने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) से परामर्श कर राज्य वित्तीय निगमों के लिए एक वित्तीय पैकेज तैयार किया है। इस पैकेज में उल्लेख है कि वे राज्य वित्तीय निगम निम्नांकित राहतों/रियायतों के लिए पात्र होंगे, जिनका संबंधित राज्य सरकारों के साथ-साथ सिडबी के साथ समझौता ज्ञापन होगा:

(1) बकाया पुनर्वित्त/ऋण सहायता में 2 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज दर में कमी।

(2) सभी भावी पुनर्वित्त/ऋण सहायता के लिए ब्याज दर में 2% की कटौती; और

(3) विद्यमान देय राशि के पुनर्भुगतान के लिए एक वर्ष का अधिस्थगन।

(ख) सिडबी ने सूचित किया है कि अब तक कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं केरल के राज्य वित्तीय निगमों ने संबंधित राज्य सरकारों के साथ-साथ सिडबी के साथ समझौता ज्ञापन किया है। पश्चिम बंगाल एवं राजस्थान के राज्य वित्तीय निगमों ने भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की अपनी इच्छा जतायी है।

ऐसी आशा की जाती है कि राज्य वित्तीय निगमों के लिए सिडबी के पुनर्वित्त संविभाग के उपर्युक्त पुनर्निर्धारण से उनकी अर्थक्षमता एवं समग्र कार्य में सुधार होगा।

(ग) गत तीन वर्षों के लिए उपर्युक्त राज्य वित्तीय निगमों के लिए सिडबी द्वारा प्रदत्त ऋण की स्थिति निम्नांकित है:

(करोड़ रु. में)

एपीएसएफसी का नाम	संवितरण		
	वित्तीय वर्ष 2001	वित्तीय वर्ष 2002	वित्तीय वर्ष 2003
एपीएसएफसी	115.00	95.00	105.00
केएफसी	79.00	70.00	16.30
केएसएफसी	193.42	148.46	141.58
आरएफसी	72.36	50.00	50.00
डब्ल्यूबीएफसी	16.69	32.87	18.16

(घ) राज्य वित्तीय निगम ऋण की वसूली के लिए अन्य उपायों के साथ निम्नांकित उपाय करते रहते हैं:

(1) उनके द्वारा सहायता प्राप्त आर्थिक रूप से सक्षम ऋण लघु उद्योग इकाई की राहत एवं रियायत के लिए आवश्यकता आधारित पैकेज।

(2) राज्य वित्तीय निगम अपनी बकाया राशियों की वसूली के लिए अन्य सभी उपायों से कोई अपेक्षित परिणाम नहीं निकलने पर राज्य वित्तीय निगम अधिनियम की धारा 30 से 32छ के तहत कानूनी सहारा लेने तथा धारा 29 के तहत इकाईयों को जब्त करने की कार्रवाई करते रहते हैं; तथा

(3) एकबारगी निपटान।

[हिन्दी]

खाद्यान्न का आबंटन

677. **श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह:**
श्री मानसिंह पटेल:
श्री हरिभाई चौधरी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003 और अप्रैल, 2003 से नवम्बर, 2003 की अवधि के दौरान राज्य-वार विशेषकर राजस्थान को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कितनी मात्रा में गेहूं, चावल और चीनी का आबंटन किया गया;

(ख) क्या सरकार को कतिपय राज्यों से चीनी, चावल और गेहूं का और अधिक आबंटन करने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त अवधि के दौरान राज्यों को आबंटित खाद्यान्न की गुणवत्ता घटिया थी;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद यादव): (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैण्ड और सिक्किम की राज्य सरकारों ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन और चावल तथा गेहूं आवंटित करने के लिए अनुरोध किया है।

(घ) से (च) कुछ राज्य सरकारों ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन "चमकहीन" गेहूं की खराब गुणवत्ता के बारे में शिकायत की है। जहां तक पौषणिक तत्वों का संबंध है, चमकहीन गेहूं ठोस गेहूं के समतुल्य होता है। चमकहीन गेहूं के प्रति राज्य सरकारों की अनिच्छा को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों को इसकी आपूर्ति 6 अगस्त, 2002 से बंद कर दी गयी थी। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं के अधीन वितरित करने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम मानदण्डों के अनुरूप अच्छी गुणवत्ता का खाद्यान्न ही जारी किया जाता है।

विवरण

चावल

वर्ष 2000-01, 2001-02, 2002-03 और 2003-04 (अप्रैल-नवम्बर, 2003) के दौरान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन चावल के राज्य-वार आबंटन

(लाख टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटन			
		2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	31.793	31.535	38.194	25.463
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.887	0.959	1.045	0.611
3.	असम	7.887	8.545	12.757	8.504
4.	बिहार	8.374	7.861	19.873	13.149
5.	छत्तीसगढ़	1.264	4.520	11.920	7.964
6.	दिल्ली	1.633	1.756	3.603	2.210
7.	गोवा	0.491	0.503	0.905	0.593
8.	गुजरात	5.595	4.630	13.099	8.543
9.	हरियाणा	0.000	0.000	0.000	0.000

1	2	3	4	5	6
10.	हिमाचल प्रदेश	0.987	2.509	3.483	2.528
11.	जम्मू-कश्मीर	2.629	2.847	4.756	3.423
12.	झारखण्ड	0.822	2.890	5.621	4.700
13.	कर्नाटक	14.853	11.575	27.079	18.053
14.	केरल	17.465	18.219	20.136	13.424
15.	मध्य प्रदेश	5.775	4.111	12.402	5.177
16.	महाराष्ट्र	7.901	10.877	27.201	17.402
17.	मणिपुर	0.655	0.714	0.843	0.562
18.	मेघालय	2.248	1.621	1.141	0.761
19.	मिजोरम	0.957	1.013	0.655	0.387
20.	नागालैण्ड	1.220	1.300	0.928	0.568
21.	उड़ीसा	9.946	10.402	27.118	16.615
22.	पंजाब	0.202	0.214	0.892	0.000
23.	राजस्थान	0.331	0.169	0.833	0.523
24.	सिक्किम	0.926	0.480	0.552	0.278
25.	तमिलनाडु	15.829	18.472	57.843	38.069
26.	त्रिपुरा	1.649	1.801	2.820	1.863
27.	उत्तर प्रदेश	8.734	9.454	41.028	24.783
28.	उत्तरांचल	0.248	0.868	2.711	1.653
29.	पश्चिम बंगाल	8.748	10.152	17.609	10.586
30.	अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.318	0.325	0.345	0.230
31.	चंडीगढ़	0.025	0.027	0.132	0.085
32.	दादर और नागर हवेली	0.051	0.058	0.109	0.072
33.	दमन और दीव	0.019	0.021	0.096	0.063
34.	लक्षद्वीप	0.065	0.066	0.052	0.025
35.	पांडिचेरी	0.386	0.273	0.824	0.314
	जोड़	160.912	170.763	358.605	229.181

गेहूं

वर्ष 2000-01, 2001-02, 2002-03 और 2003-04 (अप्रैल-नवम्बर, 2003) के दौरान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन गेहूं के राज्य-वार आबंटन

(लाख टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटन			
		2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	0.960	0.960	1.537	1.024
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.082	0.089	0.107	0.066
3.	असम	1.236	1.236	4.830	1.400
4.	बिहार	12.562	13.591	29.684	19.723
5.	छत्तीसगढ़	0.421	1.287	5.542	3.677
6.	दिल्ली	5.117	5.178	9.144	5.579
7.	गोवा	0.232	0.237	0.453	0.302
8.	गुजरात	9.193	10.383	24.478	15.977
9.	हरियाणा	1.846	2.185	14.567	8.866
10.	हिमाचल प्रदेश	1.068	1.221	2.150	1.490
11.	जम्मू-कश्मीर	1.238	1.309	2.249	1.585
12.	झारखण्ड	1.234	4.334	6.228	3.322
13.	कर्नाटक	3.631	2.894	6.770	4.513
14.	केरल	4.526	4.526	4.479	2.986
15.	मध्य प्रदेश	8.148	9.395	30.652	21.991
16.	महाराष्ट्र	14.651	20.415	50.378	32.232
17.	मणिपुर	0.205	0.205	0.178	0.118
18.	मेघालय	0.120	0.120	0.068	0.052
19.	मिजोरम	0.151	0.121	0.113	0.081
20.	नागालैण्ड	0.230	0.250	0.328	0.278
21.	उड़ीसा	1.023	0.000	2.700	0.278
22.	पंजाब	1.076	1.341	17.403	11.132

1	2	3	4	5	6
23.	राजस्थान	12.519	14.126	38.799	24.306
24.	सिक्किम	0.012	0.012	0.023	0.016
25.	तमिलनाडु	0.000	0.000	1.000	0.800
26.	त्रिपुरा	0.154	0.154	0.236	0.158
27.	उत्तर प्रदेश	17.986	20.325	81.119	48.415
28.	उत्तरांचल	0.170	0.576	3.547	1.965
29.	पश्चिम बंगाल	13.549	12.543	44.964	30.079
30.	अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.098	0.102	0.111	0.074
31.	चंडीगढ़	0.155	0.170	0.756	0.482
32.	दादर और नागर हवेली	0.013	0.016	0.030	0.020
33.	दमन और दीव	0.007	0.009	0.021	0.011
34.	लक्षद्वीप	0.005	0.005	0.005	0.003
35.	पांडिचेरी	0.062	0.002	0.035	0.008
	जोड़	113.680	129.318	384.682	245.133

चीनी

वर्ष 2000-01, 2001-02, 2002-03 और 2003-04 (अप्रैल-नवम्बर, 2003) के दौरान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन चीनी के राज्य-वार आबंटन

(लाख टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटन			
		2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
1	2	3	4	5	6
	प्रत्यक्ष आवंटी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र				
1.	आंध्र प्रदेश	335140	131508	131508	77784
2.	बिहार	457445	261246	261246	98615
3.	झारखण्ड	16447	88478	88478	36720
4.	चंडीगढ़	2917	968	968	609
5.	दादर और नगर हवेली	890	604	604	391

1	2	3	4	5	6
6.	दिल्ली	148991	35952	35952	17796
7.	गोवा	6190	1740	1740	1035
8.	दमन और दीव	624	156	156	100
9.	गुजरात	203441	79848	79848	40006
10.	हरियाणा	84525	33668	33668	16804
11.	हिमाचल प्रदेश	54060	57592	57592	38192
12.	कर्नाटक	209653	114332	114332	74438
13.	केरल	128996	56436	56436	24824
14.	मध्य प्रदेश	354406	160338	160338	80051
15.	छत्तीसगढ़	11037	58170	58170	29109
16.	महाराष्ट्र	393668	219532	219532	92350
17.	उड़ीसा	169637	111944	111944	26975
18.	पांडिचेरी	6844	3092	3092	2032
19.	पंजाब	95197	21404	21404	13472
20.	राजस्थान	234144	98288	98288	41628
21.	तमिलनाडु	273283	143420	143420	93350
22.	उत्तर प्रदेश	776528	426464	426464	205681
23.	उत्तरांचल	12848	73960	73960	48655
24.	पश्चिम बंगाल	347666	184636	184636	92492
	भारतीय खाद्य निगम द्वारा प्रचालित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र				
25.	अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह	4622	4816	4816	3196
26.	अरुणाचल प्रदेश	9850	10196	10196	6766
27.	असम	213864	225836	225836	148868
28.	जम्मू-कश्मीर	82692	85280	85280	56130
29.	लक्षद्वीप	1372	1424	1424	942
30.	मणिपुर	20824	21572	21572	14312
31.	मेघालय	20118	20848	20848	13832
32.	मिजोरम	7860	8148	8148	5354

1	2	3	4	5	6
33.	नागालैण्ड	13886	14404	14404	9516
34.	सिक्किम	4622	4792	4792	3178
35.	त्रिपुरा	31256	32368	32368	21478

[अनुवाद]

वस्त्र निर्यात

678. **श्री मानसिंह पटेल:**
श्री राम टहल चौधरी:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कुल औद्योगिक उत्पादन का 15 प्रतिशत उत्पादन वस्त्र क्षेत्र में होता है जबकि समग्र निर्यात में इस क्षेत्र का हिस्सा 30 प्रतिशत है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उत्पादन और निर्यात के बीच के अन्तर को कम करने के लिए उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) अद्यतन उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1999-2000 में वस्त्र विनिर्माण का अंशदान सकल घरेलू उत्पादन (विनिर्माण) का 13.3% था। इसी अवधि में समग्र निर्यात की तुलना में वस्त्र निर्यात का अंशदान 28.6% था।

(ग) और (घ) घरेलू और विदेशी बाजारों के लिए वस्त्र मदों का उत्पादन और निर्यात बढ़ाने की आवश्यकता है। सरकार द्वारा वस्त्र क्षेत्र में उत्पादन और निर्यात बढ़ाने के लिए किए गए कुछ महत्वपूर्ण उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

- वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) शुरू करना।
- महत्वपूर्ण वस्त्र केन्द्रों में आधारभूत सुविधाओं को उन्नत बनाने के लिए वस्त्र इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास केंद्र योजना शुरू करना।
- बुनाई क्षमताओं का आधुनिकीकरण करने के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के एक भाग के रूप में एक कार्यक्रम शुरू करना।
- वस्त्र क्षेत्र में विशिष्ट रियायतों के साथ स्वचालित मार्ग के माध्यम से 100% तक विदेशी इक्विटी सहभागिता की अनुमति प्रदान करना।
- निरंतर बजटों में घोषणाएं करना जिनका उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ प्रौद्योगिकीय उन्नयन के लिए जटिल मशीनों की लागत घटाने और प्रतिस्पर्द्धात्मकता को प्रोत्साहन देने के लिए वस्त्र क्षेत्र में शुल्क ढांचे को और अधिक युक्तिसंगत बनाना है।
- कपास की उत्पादकता बढ़ाने और उसकी गुणवत्ता अंतर्राष्ट्रीय मानकों तक बढ़ाने के लिए कपास प्रौद्योगिकी मिशन शुरू करना।
- लघु उद्योग क्षेत्र से बूवन सिलेसिलाए परिधानों का अनारक्षण।
- अपैरल पार्कों की स्थापना करना और उनमें विश्व व्यापार में क्लोदिंग के विकास और उसकी प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ाने के लिए आधारभूत सुविधाएं प्रदान करना।

उड़ीसा में संग्रहित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

679. **श्री अनन्त नायक: क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा राज्य से कुल कितना केन्द्रीय उत्पाद शुल्क संग्रहित किया गया;

(ख) इन वर्षों के दौरान राजस्व वसूली में अन्य पूर्वी राज्यों का कार्य निष्पादन कैसा रहा;

(ग) क्या इन वर्षों में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अपवंचन के मामलों में वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा राज्य से संग्रहित किए गए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क* की राशि निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपये)

वर्ष	उड़ीसा राज्य से संग्रहित किए गए उत्पाद शुल्क की राशि
2000-2001	924.36
2001-2002	842.27
2002-2003	1002.29

* अन्य विभागों द्वारा लगाए गए उपकर को छोड़कर।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उत्पाद शुल्क के राजस्व वसूली में अन्य पूर्वी राज्यों का कार्य निष्पादन निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपये)

वर्ष	पश्चिमी बंगाल*	उत्तर पूर्वी राज्य$
2000-2001	3434.38	1498.93
2001-2002	3502.63	1219.60
2002-2003	4360.11	1492.20

*सिक्किम तथा अण्डमान व निकोबार संघ शासित क्षेत्र के राजस्व को शामिल करते हुए।

$असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा तथा अरुणाचल प्रदेश राज्य शामिल हैं।

नोट: उपर्युक्त आंकड़े अनंतिम एवं विभागीय रिकार्ड के अनुसार है।

(ग) आयुक्तालयों एवं डी जी सी आई द्वारा उड़ीसा राज्य में वर्ष 2000-2001, 2001-2002 तथा 2002-2003 के दौरान केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अपवंचन के क्रमश: 58, 67 और 30 मामलों की पहचान की गई है। यह इस बात का द्योतक है कि इन वर्षों में उड़ीसा राज्य में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अपवंचन के मामलों में वृद्धि नहीं हुई है।

(घ) उपर्युक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो का कार्यकरण

680. श्री मोहन रावले: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो की स्थापना कर दी गई है और यह स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ब्यूरो द्वारा अपनी स्थापना से अब तक कितने आर्थिक अपराधों की जांच की गई है; और

(घ) ब्यूरो द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो का गठन जुलाई, 1985 में किया गया था जिसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक अपराधों की जांच-पड़ताल तथा आर्थिक कानूनों के प्रवर्तन से संबंधित विभिन्न एजेंसियों के आसूचना एकत्र करने से संबंधित क्रियाकलापों में समन्वय स्थापित करना और उन्हें सुदृढ़ बनाना है। ब्यूरो राजस्व विभाग के अंतर्गत कार्य करता है।

(ग) और (घ) एक आसूचना संगठन होने के कारण, केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो सामान्यतया आर्थिक अपराधों की जांच-पड़ताल नहीं करता है लेकिन आर्थिक अपराधों से संबंधित आसूचना निविष्टियों की छानबीन करता है और इसे संबंधित एजेंसियों को जांच-पड़ताल हेतु भेजता है।

तम्बाकू नीलामी केन्द्र

681. श्री त्रिलोचन कानूनगो: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में सामान्य और अर्थ-सुवासित वर्जीनिया तम्बाकू का राज्य-वार उत्पादन कितना है;

(ख) क्या देश में वर्जीनिया तम्बाकू की खेती में उड़ीसा में स्थित रायगढ़ का स्थान तीसरा है;

(ग) यदि हां, तो क्या रायगढ़ में वर्जीनिया तम्बाकू का नीलामी केन्द्र खोला गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त नीलामी केन्द्र कब तक खोले जाने की संभावना है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक

के दौरान फिलर तथा अर्द्ध-सुवासित फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया (एफ सी वी) तम्बाकू का राज्य-वार उत्पादन निम्नानुसार है:-

(मात्रा मिलियन किग्रा में)

वर्ष	आंध्र प्रदेश	उड़ीसा	महाराष्ट्र	कर्नाटक
2000-01*	1.27 +* 1.25	* 0.72	-	41.98
2001-02	88.72 +* 30.87	* 0.26	0.11	57.68
2002-03	91.33 +* 35.42	* 0.44	0.03	63.26

*अर्द्ध सुवासित तम्बाकू
*फसल अवकाश वर्ष

(ख) जी, हां।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) रायगढ़ में कुल एफ सी वी तम्बाकू उत्पादन लगभग 0.44 मिलियन किग्रा. है। यह देश में कुल एफ सी वी तम्बाकू उत्पादन का लगभग 0.23 प्रतिशत है। इतनी कम मात्रा के विपणन के लिए अलग नीलामी मंच को व्यवहार्य नहीं समझा गया है। इस क्षेत्र के अधिकांश उपजकर्त्ताओं ने भी तम्बाकू बोर्ड से आंध्र प्रदेश के नादर्न लाइट सायल्स (एन एल एस) क्षेत्र में अपने उत्पाद का विपणन करने की अनुमति मांगी है।

[हिन्दी]

आवश्यक वस्तुओं का वितरण

682. **श्री बीर सिंह महतो:**
डा. मदन प्रसाद जायसवाल:
श्री मानसिंह पटेल:
श्री हरि भाई चौधरी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्यों में आवश्यक वस्तुओं के वितरण के मानदण्ड क्या हैं;

(ख) क्या हाल ही में इस संबंध में कोई विसंगति पाई गई है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (ग) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के अधीन चलाई जाती है, जिसमें सम्पूर्ण भारत में उचित दर दुकानों के विशाल नेटवर्क के माध्यम से लाभार्थियों को खाद्यान्नों का वितरण करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्नों का आवंटन योजना आयोग के गरीबी अनुमानों (1993-94), जिन्हें 1.3.2000 की स्थिति के अनुसार महापंजीयक के आबादी अनुमानों पर अद्यतन किया गया है, कें अनुसार बिना किसी अपवाद के केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है। कुछ राज्यों ने परिवारों की अनुमानित संख्या से अधिक राशन कार्ड जारी किए हुए हैं। तथापि, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्नों का आवंटन प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए योजना आयोग के गरीबी अनुमानों अथवा उनके द्वारा वास्तव में जारी किए गए राशन कार्डों की संख्या, जो भी कम हो, के आधार पर किया जाता है। आवंटन का यह मानदण्ड अकेले किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए बदला नहीं जा सकता है।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में लम्बित परियोजना

683. **श्री चन्द्रकांत खैरे:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वित्तीय संकट होने के बावजूद महाराष्ट्र ने अग्रणी निवेशक लक्ष्य प्राप्ति के अपने परम्परागत नेतृत्व को बरकरार रखा है और सितम्बर, 2003 की स्थिति के अनुसार राज्य का बकाया परियोजना निवेश 2,10,026 करोड़ रुपए था; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की बकाया परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) जी, हां। अगस्त, 1991 से सितम्बर, 2003 के बीच औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (आई.ई.एम.) दर्ज करने तथा आशय-पत्र प्रदान किए जाने के माध्यम से महाराष्ट्र में प्रस्तावित विनिवेश 233511 करोड़ रुपए (आई.ई.एम.) तथा 12764 करोड़ रुपए (एल.ओ.आई.) कुल मिलाकर 246275 करोड़ रुपए थे जो कि देश में अधिकतम थे।

(ख) इस अवधि के दौरान महाराष्ट्र में प्रस्तावित परियोजनाओं की कुल संख्या 10102 (आई.ई.एम.) तथा 551 (एल.ओ.आई.) थी।

अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) के लिए भारतीय स्टेट बैंक की योजनाएं

684. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी:
श्री दलपत सिंह परस्ते:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक ने अनिवासी भारतीयों के लिए एक सीमित अवधि हेतु दो वैयक्तिक जमा योजनाएं शुरू की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन दो योजनाओं के अंतर्गत जमा हेतु निर्धारित की गई न्यूनतम राशि क्या हैं; और

(घ) अनिवासी भारतीयों ने शुरू की गई इन दो योजनाओं के प्रति क्या प्रतिक्रिया दर्शायी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) से (ग) जी, हां। भारतीय स्टेट बैंक 24.9.2003 से ''प्रवासी वैभव'' एवं ''प्रवासी समृद्धि'' नाम से दो योजनाएं शुरू की हैं। इन दोनों योजनाओं के ब्यौरे निम्नांकित है:

(1) ''प्रवासी वैभव'' तत्वत: पूर्वता प्राप्त वायदा ठेके के साथ 1 वर्ष के लिए एनआईई निक्षेप है, जो बैंक को यूएस डालर में परिपक्वता आय के भुगतान के समर्थ बनाता है। 1 वर्ष के लिए एनआरई जमाराशि दर से वायदा ठेका लागत को कम करने के बाद जो राशि है, वह इस निक्षेप पर प्राप्त आय होती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रवासी भारतीयों की ओर से उनके निक्षेपों के बदले वायदा ठेका को दर्ज करने की अनुमति दी है।

(2) मुम्बई (एसईईपीजेड), बहरीन, सिंगापुर एवं नसाऊ स्थित बैंक की समुद्रपारीय बैंकिंग इकाई पर 1, 2 एवं 3 वर्षों की अवधि के लिए यूएस डालर, यूरो एवं जीबीपी में ''प्रवासी समृद्धि'' निक्षेप की सुविधा प्रदान की गयी।

(3) ''प्रवासी समृद्धि'' निक्षेप योजना पर दी जाने वाली ब्याज की दर विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) निक्षेपों पर दी जाने वाली ब्याज की दर से थोड़ी अधिक है।

(4) अप्रवासी भारतीयों को दोनों निक्षेपों के बदले ऋण की सुविधा दी गई।

(5) ''प्रवासी वैभव'' योजना के अंतर्गत निक्षेप के लिए न्यूनतम राशि 10,000 यूएस डालर है। ''प्रवासी समृद्धि'' के मामले में न्यूनतम राशि 5000 यूएस डालर/5000 जीबीपी/5000 यूरो थी।

(घ) 24.9.2003 से इन योजनाओं को शुरू करने के बाद बैंक ने ''प्रवासी समृद्धि'' एवं ''प्रभावी वैभव'' योजनाओं के अंतर्गत क्रमश: 293.70 करोड़ एवं 18.14 करोड़ रुपए जुटाये हैं।

स्टाक बाजार में कार्यरत विदेशी संस्थागत निवेशक

685. श्री वरकला राधाकृष्णन: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय स्टाक बाजार में कार्यरत विदेशी संस्थागत निवेशकों की कुल संख्या कितनी है और विभिन्न स्टाक एक्सचेंजों में उनका लेन-देन कैसा है; और

(ख) सरकार द्वारा इन विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सूचित किया है कि 28 नवम्बर, 2003 की स्थिति के अनुसार इसके पास 515 विदेशी संस्थागत निवेशक पंजीकृत थे। विदेशी संस्थागत निवेशक मुख्यतया स्टाक एक्सचेंज, मुंबई और नेशनल स्टाक एक्सचेंज के माध्यम से कारबार करते हैं।

(ख) विदेशी संस्थागत निवेशकों और उनके उप-खातों का पंजीकरण और विनियमन सेबी द्वारा सेबी (विदेशी संस्थागत निवेशक) विनियम, 1995 के अंतर्गत किया जाता है जो नवम्बर, 1995 में अधिसूचित किए गए थे। कोई भी विदेशी संस्थागत निवेशक प्राथमिक और द्वितीयक बाजारों में प्रतिभूतियों में निवेश कर सकता है जिनमें कंपनियों के शेयर, डिबेंचर और वारंट, भारतीय यूनिट ट्रस्ट सहित घरेलू म्यूचुअल फंडों द्वारा जारी स्कीमों के यूनिट, राजकोषीय हुंडियों सहित दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों, मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में व्यापारित व्युत्पाद और वाणिज्यिक दस्तावेज शामिल हैं।

भारत में नकदी बाजार और व्युत्पाद बाजार में विदेशी संस्थागत निवेशकों का उद्भासन सेबी द्वारा समय-समय पर अधिसूचित/विनिर्दिष्ट सीमाओं के अध्यधीन होता है।

अंडरलाईंग भारतीय प्रतिभूतियों संबंधी सभी अपतटीय व्युत्पाद लिखतों के निर्गम के बारे में विदेशी संस्थागत निवेशकों/उप-खातों द्वारा सूचना उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने के लिए अगस्त, 2003 में विदेशी संस्थागत निवेशक विनियम संशोधित किए गए थे।

कृषि ऋण पर छूट

686. डा. जसवंतसिंह यादव: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार किसानों को 2 लाख रुपये तक के कृषि ऋण पर भारी छूट देने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और मानदंड क्या है; और

(ग) इससे कितने किसानों को लाभ मिलने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) इस स्थिति में प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

कारीगरों को क्रेडिट कार्ड

687. श्री रामशेठ ठाकुर: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर कारीगरों को क्रेडिट कार्ड जारी करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए क्या मानदंड अपनाया गया है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) जी, हां।

(ख) कार्ड जारी करने के लिए अपनाए जा रहे मानदंड निम्नलिखित हैं:

- स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड (एससीसी) योजना में कृषीतर क्षेत्रों के छोटे उधारकर्त्ताओं के समस्त वर्गों को शामिल किया जाएगा जिनमें छोटे कारीगर, हथकरघा बुनकर, सेवा क्षेत्र, मछुआरे, स्व-नियोजित व्यक्ति, रिक्शा वाले एवं अन्य सूक्ष्म उद्यमी आते हैं।
- योजना के तहत ऋण की नियत सामान्य सीमा 25,000 रु. है परन्तु योग्य मामलों में बैंक उच्चतर सीमा पर विचार कर सकता है। इस सुविधा में उपभोग आवश्यकताओं के लिए एक यथोचित घटक भी शामिल किया जा सकता है।
- स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड 5 वर्ष के लिए मान्य है तथा खाते के सन्तोषजनक परिचालन के अध्यधीन वार्षिक आधार पर नवीकरणीय है।
- योजना के तहत हिताधिकारियों को एक लेमिनेटिड क्रेडिट कार्ड तथा एक पास बुक जारी की जाएगी जो एक पहचान पत्र का कार्य करेगी तथा इसके साथ-साथ सतत आधार पर लेनदेन दर्ज करने में मदद देगी।
- योजना के तहत हिताधिकारी स्वत: ही उस सामूहिक बीमा में कवर हो जाएंगे जिसमें प्रीमियर बैंक एवं हिताधिकारी समान रूप से देंगे।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 26.9.2003 के अपने परिपत्र तथा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ने दिनांक 22.9.2003 के अपने परिपत्र के द्वारा पहले से ही सभी वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों को देश में स्व-रोजगार क्रेडिट कार्ड योजना का क्रियान्वयन करने के लिए अनुदेश जारी कर दिए हैं।

पाटनरोधी नीतियों की समीक्षा

688. श्री अधीर चौधरी:
श्रीमती श्यामा सिंह:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वार्षिक आधार पर पाटनरोधी नीतियों की समीक्षा के लिए चीन के साथ एक द्विपक्षीय करार पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने गत कुछ वर्षों में चीनी उत्पादों के विरुद्ध कई पाटनरोधी आरोप लगाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो नए करार से दोनों देशों के बीच पाटनरोधी मामलों को किस सीमा तक सीमित किया जा सकेगा?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय (डी जी ए डी), भारत गणराज्य के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय तथा चीन जनवादी गणराज्य वाणिज्य मंत्रालय के ब्यूरो आफ फेयर ट्रेड फार इम्पोर्ट्स एंड

एक्सपोर्ट्स के बीच विचार-विमर्श तंत्र स्थापित करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। इस प्रस्ताव में व्यापार उपचार के क्षेत्र, विशेषकर पाटनरोधी तथा प्रतिसंतुलनकारी शुल्क संबंधी उपायों के क्षेत्र में सूचना के आदान-प्रदान तथा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विचार-विमर्श करने की परिकल्पना की गयी है।

(ग) 1992 से पाटनरोधी तथा संबद्ध शुल्क महानिदेशालय ने 166 मामले शुरू किए हैं। इन 166 मामलों में से 70 मामलों में चीन के निर्यातक शामिल हैं।

(घ) डी जी ए डी तथा चीन जनवादी गणराज्य के वाणिज्य मंत्रालय के बीच प्रस्तावित विचार-विमर्श तंत्र से पाटनरोधी मामले प्रभावित नहीं होंगे। प्रस्ताव यह है कि पार्टियों के जांच करने के तरीके पर विचार-विमर्श किया जाए और तकनीकी सूचना का आदान-प्रदान किया जाए तथा व्यापार बचाव संबंधी उपायों से संबंधित नियम लागू किए जाएं। प्राधिकारी अलग-अलग ऐसे मामले प्रस्तुत कर सकते हैं जिन पर पहले ही निर्णय लिया जा चुका है लेकिन वे विधिक रूप से स्थापित प्रक्रियागत तथा वास्तविक ढांचे अथवा चल रही जांचों की प्रक्रिया में बाधा नहीं डालेंगे।

विदेशी वाणिज्यिक ऋण

689. **श्री ए. ब्रह्मनैया:**
श्री अम्बरीश:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विदेशी वाणिज्यिक ऋण नीति की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे बदलने के क्या कारण हैं;

(ग) नई नीति पूर्ववर्ती नीति से किस प्रकार भिन्न है; और

(घ) नई विदेशी वाणिज्यिक ऋण नीति का भारतीय रुपए की कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) हाल के महीनों में घटित घटनाओं की पृष्ठभूमि में, विद्यमान विदेशी वाणिज्यिक उधार नीति में अस्थायी अवधि के लिए अगली समीक्षा तक निम्नांकित संशोधन करना आवश्यक हो गया है:

(1) सभी विदेशी वाणिज्यिक उधार, ऋण जुटायी जाने वाली संबंधित मुद्रा के लिए अगले छ: महीनों के लिबोर में संशोधित अधिकतम स्प्रैड अथवा न्यूनतम (मानदंडों), जैसा भी मामला होगा, के अधीन होंगे:

परियोजना का प्रकार	विद्यमान (सभी लागत में)	नयी (सभी लागत में)
सामान्य परियोजनाएं	300	150
आधारभूत ढांचा	400	250
दीर्घावधिक	450	300

(2) स्वत: अनुमोदित मार्ग के अंतर्गत रुपया व्यय की पूर्ति के लिए विदेशी वाणिज्यिक उधार का तब तक बचाव किया जाएगा, जब तक कि शामिल न किए गए विदेशी मुद्रा प्राप्तियों के रूप में नैसर्गिक बचाव नहीं है और जिसे प्राधिकृत डीलरों द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। विदेशी वाणिज्यिक उधार दिशा-निर्देशों के अंतर्गत अनिवार्य बचाव की कोई शर्त नहीं थी।

(3) 50 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक के विदेशी वाणिज्यिक उधारों की अनुमति केवल निम्नांकित अंत: प्रयोगों के लिए होगी (क) उपकरण की आयात का वित्त पोषण (ख) आधारभूत ढांचा परियोजनाओं की विदेशी विनिमय आवश्यकताएं/पुरानी विदेशी वाणिज्यिक उधार दिशा-निर्देशों के अंतर्गत पूंजी बाजार में निवेश को छोड़कर कोई अंतिम उपयोग प्रतिबंध नहीं था।

(4) किसी भी वित्तीय बिचौलिए (नामश: बैंक, डी.एफ.आई., अथवा एन.बी.एफ.सी.) को विदेशी वाणिज्यिक उधार जुटाने अथवा गारंटी प्रदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तथापि, यह कपड़ा तथा इस्पात पुनर्संरचना पैकेजों पर लागू नहीं होगा, जिसकी घोषणा भारतीय रिजर्व बैंक के अंतर्गत पूंजी बाजार में निवेश को छोड़कर कोई अंतिम उपयोग प्रतिबंध नहीं था।

(5) उपयोग के लंबित रहने पर विदेशी वाणिज्यिक उधार को विदेश में रखे जाने की आवश्यकता होगी। पुराने विदेशी वाणिज्यिक उधार दिशानिर्देशों के अंतर्गत जुटाए गए विदेशी वाणिज्यिक उधार का शीघ्रतापूर्वक उपयोग किए जाने/देश में लाए जाने की अपेक्षा की जाती थी।

(घ) नयी विदेशी वाणिज्यिक उधार नीति का भारतीय रुपए की प्रवृत्ति पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा।

परियोजना कार्यालय स्थापित करने संबंधी मानदंड

690. **डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति:**
श्री राम मोहन गाड्डे:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने हाल ही में देश में विदेशी कंपनियों द्वारा परियोजना कार्यालय स्थापित करने हेतु मानदंडों को बदलने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) भारत में परियोजना कार्यालयों की स्थापना की प्रक्रियाविधियों को पात्रता मानदंड पूरे करने वाली विदेशी कंपनियों को सामान्य अनुमति देने के लिए आशोधित किया गया है।

चाय उद्योग और चाय कृषकों के बीच विवाद

691. **श्री रामदास आठवले:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चाय-कृषकों और चाय-उद्योग के बीच कोई विवाद है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने समस्या को हल करने के लिए कोई फार्मूला सुझाया और प्रस्तुत किया है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त फार्मूले का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) भारतीय चाय उद्योग इस समय ऐसी स्थिति का सामना कर रहा है जिसमें चाय की निरंतर गिरती हुई कीमतों के साथ-साथ उत्पादन की उच्च लागत के कारण चाय बागानों की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और चाय के लघु उत्पादक भी अपनी हरी पत्ती की कम कीमत प्राप्त कर रहे हैं। लघु उत्पादक यह महसूस करते हैं कि उन्हें उनकी हरी पत्ती की उचित कीमत नहीं मिलती है जबकि क्रीत पत्ती फैक्टरियों का विचार यह है कि बेहतर कीमतें प्राप्त करने के लिए लघु उत्पादकों द्वारा आपूर्ति की गई हरी पत्ती की गुणवत्ता में सुधार लाने की जरूरत है।

(ग) और (घ) चाय की प्राथमिक विपणन प्रणाली में अधिक पारदर्शिता की व्यवस्था करने के लिए सरकार ने चाय विपणन नियंत्रण आदेश, 2003 अधिसूचित किया है और नीलामी नियमों में परिवर्तनों से संबंधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं। लघु उत्पादकों द्वारा फैक्टरियों को आपूर्ति की गई हरी पत्ती की उचित कीमत उपलब्ध कराने के लिए विनिर्माताओं एवं लघु चाय उत्पादकों के बीच कीमत भागीदारी फार्मूला निर्धारित करने हेतु टी एम सी ओ 2003 में एक प्रावधान समाविष्ट किया गया है। कीमत भागीदारी फार्मूले में देश के विभिन्न चाय उत्पादकों में प्रचलित लागत संबंधी मानदंडों और निर्मित चाय आउटटर्न प्रतिशत को ध्यान में रखा जाएगा।

निफ्ट को विश्वविद्यालय का दर्जा

692. **श्री श्रीप्रकाश जायसवाल:** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान को मानद विश्वविद्यालय का दर्जा देने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) निफ्ट को कब तक मानद विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया जाएगा?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) निफ्ट को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का स्तर प्रदान करने के लिए एक प्रस्ताव, जिससे स्वाभाविक रूप से मानद विश्वविद्यालय का स्तर मिल जाता है, निफ्ट द्वारा शुरू किया गया है।

(ग) यह प्रक्रिया कब तक पूरी होगी इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

भारतीय खाद्य निगम के गोदामों का आधुनिकीकरण

693. **श्री जी.एस. बसवराज:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय खाद्य निगम के गोदामों को कम्प्यूटर नेटवर्क से जोड़कर आधुनिक बनाने हेतु 100 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय खाद्य निगम गोदामों के आधुनिकीकरण के लिए राज्य-वार कितनी निधि का वितरण तथा उपयोग किया गया?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) से (ग) सरकार ने भारतीय खाद्य निगम में खाद्यान्न प्रबंधन के लिए एकीकृत सूचना प्रणाली की परियोजना का 97.66 करोड़ रुपये की लागत पर अनुमोदन किया है, जिसे भारतीय खाद्य निगम के डिपु, फील्ड कार्यालयों और मुख्यालय के कंप्यूटरीकरण और नेटवर्किंग के लिए तीन चरणों में क्रियान्वित किया जाना है।

वित्तीय वर्ष 2003-04 के दौरान 12 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है, जिसमें से 5.97 करोड़ रुपए भारतीय खाद्य निगम द्वारा पहले ही हार्डवेयर, सिस्टम साफ्टवेयर आदि की खरीदारी करने के लिए नेशनल इंफोरमैटिक्स सैंटर सर्विस इंकोरपोरेटिड के लिए रिलीज कर दिए गए हैं। इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार निधियां आवंटित नहीं की जाती हैं।

पूंजी बाजार में हेराफेरी हेतु कारपोरेट में सांठगांठ

694. श्री हरिभाई चौधरी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कंपनी कार्य विभाग के पास पूंजी बाजार में कारपोरेट द्वारा गठजोड़ कर हेराफेरी की जांच तथा निरीक्षण हेतु पर्याप्त ढांचा नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कंपनी कार्य विभाग द्वारा इस प्रकार के षडयंत्र से पूंजी बाजार को सुरक्षित रखने हेतु कौन-कौन से कदम उठाए गये हैं?

वित्त मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) और (ख) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि सेबी अधिनियम के उपबंधों और कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 55क के अंतर्गत पूंजी बाजार का संचालन सेबी का दायित्व है।

(ग) कंपनी अधिनियम, 1956 में पहले से ही (1) कंपनी द्वारा अपने या धारित कंपनी के शेयरों की खरीद पर रोक (धारा 77), (2) लेखापरीक्षा समिति (धारा 292क) और (3) निगमित निकायों को ऋण देने और कंपनी द्वारा अन्य कंपनी के शेयरों आदि की खरीद पर रोक (धारा 370 और 372) जैसे सुरक्षा उपाय मौजूद है। कतिपय अतिरिक्त सुरक्षा उपाय कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2003 में प्रस्तावित किए गए हैं।

पद्मिनी टेक्नोलाजी लिमिटेड पर सीबीआई का छापा

695. श्री चन्द्रनाथ सिंह:
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीबीआई ने पद्मिनी टेक्नोलोजी लिमिटेड द्वारा फर्जी शेयरों को जारी करने के संबंध में अनेक स्थानों पर छापे मारे हैं;

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों का ब्यौरा क्या है जहां छापे मारे गए हैं; और

(ग) जब्त सामान और गिरफ्तार लोगों का ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) जी, हां।

(ख) मुंबई, दिल्ली और कोलकाता में कुछ स्थानों पर छापे मारे गए थे।

(ग) तलाशी के दौरान अधिमानी शेयरों के फर्जी आबंटन और उनके भुगतान से संबंधित कुछ संगत दस्तावेज जब्त किए गए हैं। इस मामले में अभी तक किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया है।

मिस्र के साथ व्यापार

696. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2002-2003 में मिस्र के साथ व्यापार 771 मिलियन अमरीकी डालर था;

(ख) क्या मिस्र से हमारा आयात हमारे निर्यात के मुकाबले ज्यादा है;

(ग) यदि हां, तो क्या मिस्र को चाय और गेहूं के अधिक निर्यात हेतु कोई प्रयास किये गये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या चाय बोर्ड ने मिस्र में अपनी उपस्थिति में बढ़ोत्तरी की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) सरकारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2002-2003 में मिस्र के साथ भारत का व्यापार, कच्चे तेल

के आयातों को छोड़कर, 524.74 मिलियन अमरीकी डालर का रहा था।

(ख) वर्ष 2002-2003 के दौरान मिस्र से गैर तेल मदों का आयात 226.57 मिलियन अमरीकी डालर का हुआ था जबकि उक्त देश को 298.17 मिलियन अमरीकी डालर का निर्यात किया गया था।

(ग) से (च) वर्ष 2002-2003 के दौरान मिस्र को चाय का निर्यात पिछले वर्ष के दौरान हुए 0.52 मिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 0.84 मिलियन अमरीकी डालर का हुआ था जिसमें 60.7 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित होती है। मिस्र भारत से गेहूं का आयात नहीं कर रहा है। उक्त देश में गेहूं के बाजार का पता लगाने के लिए अब प्रयास किए जा रहे हैं।

भारतीय खाद्य निगम के कामगारों को नियमित करना

697. श्री पी. राजेन्द्रन: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम द्वारा ठेका कामगारों के नियमित रूप से स्थापित करने की योजना के अंतर्गत सर पर माल ढोने वाले कामगारों तथा आनुषंगिक कामगारों को नियमित करने/विभागीय बनाने हेतु कार्रवाई की है;

(ख) यदि हां, तो एच.एल.डब्ल्यू. की संख्या सहित वर्तमान में डी.पी.एस. के अंतर्गत राज्य-वार कितने आनुषंगिक कामगार हैं;

(ग) क्या सर पर माल ढोने वाले कामगारों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं के संबंध में संसद सदस्य अथवा केरल के व्यापार संघों से कोई याचिका/ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) भारतीय खाद्य निगम के कुछ डिपुओं में ठेका श्रम प्रणाली का उत्सादन करने का निर्णय लिए जाने के परिणामस्वरूप श्रमिकों को भारतीय खाद्य निगम की आवश्यकताओं के अनुसार समय-समय पर ही सीधे भुगतान की प्रणाली के अधीन नियमित किया गया है।

(ख) फिलहाल, सम्पूर्ण देश में भारतीय खाद्य निगम के डिपुओं में सीधे भुगतान की प्रणाली के अधीन लगभग 24943 हैंडलिंग श्रमिक और लगभग 7923 सहायक श्रमिक कार्य कर रहे हैं। विवरण के अनुसार ब्यौरे)।

(ग) जी, हां। केरल क्षेत्र में वेस्ट हिल (कालीकट), मावेलिकाड़ा और छल्लाकुड़ी के अधिसूचित डिपुओं में सीधे भुगतान की प्रणाली के अधिशेष श्रमिकों का उपयोग करने की बजाय पूर्व ठेकेदार के श्रमिकों को नियमित करने के लिए माननीय संसद सदस्यों/केरल में ट्रेड यूनियनों से याचिकाएं/ज्ञापन प्राप्त हुए हैं।

(घ) श्रम मंत्रालय की दिनांक 12.11.2001 की अधिसूचना, कि भारतीय खाद्य निगम को सामान्यत: केरल क्षेत्र में वेस्ट हिल (कालीकट), मावेलिकाड़ा और छल्लाकुड़ी के अधिसूचित डिपुओं में ठेका श्रमिकों को नियमित करने की बजाय क्षेत्र में मौजूद अधिशेष श्रमिकों का उपयोग करना चाहिए, का क्रियान्वयन करने के लिए सरकार के निर्णय के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के प्रबंधन द्वारा कार्रवाई की गई है। यह निर्णय सेल आदि के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 30.8.2001 के इस निर्णय को ध्यान में रखते हुए लिया गया है कि ठेका श्रम नियोजन को निषेध करने के लिए उपयुक्त सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करने के बावजूद ठेका श्रमिकों का स्थापना में स्वत: नियमित होने का अधिकार नहीं है।

विवरण

भारतीय खाद्य निगम में सीधे भुगतान प्रणाली के तहत राज्य-वार सिर पर माल ढोने वाले कामगारों व सहायक कामगारों की संख्या

राज्य/क्षेत्र का नाम	कामगारों की संख्या	
	सिर पर माल ढोने वाले कामगार	सहायक कामगार
1	2	3
दिल्ली	164	107
जम्मू-कश्मीर	551	68
पंजाब	11336	3113
उत्तर प्रदेश	2051	710
उत्तरांचल	263	112
आंध्र प्रदेश	2419	721
केरल	1924	687
कर्नाटक	519	182
तमिलनाडु	1191	596

1	2	3
गुजरात	67	50
महाराष्ट्र	385	207
मध्य प्रदेश	517	219
छत्तीसगढ़ (रायपुर)	594	335
बिहार	117	29
झारखंड (रांची)	129	34
उड़ीसा	400	179
पश्चिम बंगाल	1517	427
असम	753	427
उत्तर-पूर्वी सीमांत	46	0
जोड़	24943	7923

प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष

698. श्री भानसिंह भौराः क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार व्यावसायिक बैंकों के माध्यम से देश के अनेक वस्त्र एककों को उनकी वर्तमान प्रौद्योगिकी को उन्नत बनाने के लिए ऋण उपलब्ध करा रही है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष ऋण सुविधा का लाभ उठाने वाले ऐसे एककों का ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वित्त-वर्ष के दौरान ऐसे ऋण के लिए लम्बित आवेदनों की राज्य-वार संख्या क्या है; और

(घ) इसे कब तक निपटाए जाने की उम्मीद है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): (क) जी, हां। 01.04.99 से 31.03.2007 तक लागू प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) के तहत, वाणिज्यिक बैंक और वित्तीय संस्थाएं (एफआईज) देश में विभिन्न वस्त्र इकाइयों को उनकी मौजूदा प्रौद्योगिकी का उन्नयन और नई इकाइयों की स्थापना के लिए ऋण प्रदान कर रही हैं।

(ख) जिन इकाइयों ने पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान ऋण सुविधाओं का लाभ उठाया है, उनकी संख्या नीचे दी गई है:-

(करोड़ रु. में)

दौरान	प्राप्ति		स्वीकृत		संवितरित	
	आवेदनों की सं.	परियोजना लागत	आवेदनों की सं.	राशि	आवेदनों की सं.	राशि
2000-2001	719	6296	616	2090	494	1863
2001-2002	472	1900	444	630	401	804
2002-2003	494	1835	456	839	411	931

(ग) और (घ) टीयूएफएस के तहत, ऋण के लिए आवेदन पत्र बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्राप्त किए जाते हैं जो ऋण स्वीकृत करने के पूर्व अपने विवेकपूर्ण मानदंड लागू करते हैं। इन आवेदन पत्रों की जांच यह देखने के लिए भी की जाती है कि वे इस योजना के अनुरूप हैं अथवा नहीं। इसलिए, किसी निर्धारित समय पर आवेदन-पत्रों की जांच विभिन्न स्तरों पर तब तक होती है जब तक उन्हें अंतिम रूप से स्वीकृत अथवा अस्वीकृत नहीं कर दिया जाता। आवेदन पत्रों को यथासंभव शीघ्र निपटा दिया जाता है। आवेदन पत्रों के शीघ्र निपटान सहित योजना की मानीटरिंग करने के लिए वस्त्र आयुक्त की अध्यक्षता में वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, मुंबई में एक तकनीकी सलाहकार और मानीटरिंग समिति (टीएएमसी) है।

शुल्क पर विश्व बैंक का सुझाव

699. श्री टी.एम. सेल्वागनपतिः क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने भारत को आसियान देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता में शामिल होने से पूर्व शुल्क तथा गैर-शुल्क बाधाओं को दूर करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए गए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

उड़ीसा में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

700. **श्री परसुराम माझी:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में कोरापुट, बोलानगीर और कालाहांडी जिलों में कार्य कर रहे ग्रामीण बैंकों के नाम क्या हैं;

(ख) इन बैंकों द्वारा पहचान किए गए जिलों में किसानों की मुख्य आवश्यकताएं क्या हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की योजनाएं/कार्यक्रम क्या हैं जिनसे उन जिलों में किसानों को सहायता मिली हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) कोरापुट पंचवटी ग्राम्य बैंक, बोलनगीर आंचलिक ग्राम्य बैंक एवं कालाहांडी आंचलिक ग्राम्य बैंक के अंतर्गत उड़ीसा के क्रमश: कोरापुट, बोलनगीर और कालाहांडी जिले शामिल हैं।

(ख) इन बैंकों द्वारा पहचान किए गए उन जिलों में किसानों की मुख्य आवश्यकताएं कृषि ऋण, उपभोग ऋण, आवास ऋण, लघु व्यवसाय वित्त, कुटीर और ग्रामोद्योग, अतिरिक्त सिंचाई सुविधाओं का सृजन, जल संरक्षण, कृषि संसाधन इकाइयां, देरी गतिविधि आदि हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान, किसानों के लाभ के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने कृषि एवं इससे संबंधित गतिविधियों, ग्रामीण कारीगर एवं अन्य उद्योग, लघु व्यवसाय, कुटीर एवं ग्रामोद्योग, सिंचाई सुविधाओं, देश के भीतरी भागों में मत्स्य पालन, डेरी गतिविधि, ट्रैक्टरों की खरीद, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना और सरकार द्वारा प्रायोजित अन्य कार्यक्रमों से संबंधित योजनाओं एवं कार्यक्रमों का वित्तपोषण किया है।

भारतीय रिजर्व बैंक की ऋण नीति

701. **श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया:**
श्री के.ई. कृष्णमूर्ति:
श्री जे.एस. बराड़:
श्रीमती प्रभा राव:
कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनीराम शांडिल्य:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में मौद्रिक तथा ऋण नीति, 2003-04 की मध्यावधि समीक्षा की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो उसकी विशिष्टताएं क्या हैं;

(ग) पूर्व तथा नई ऋण नीति में क्या अंतर है;

(घ) जमाकर्त्ताओं और बैंकों पर ब्याज दर में लगातार कटौती का क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ङ) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक ने 3 नवम्बर, 2003 को मुद्रा एवं ऋण नीति की मध्यावधि समीक्षा घोषित की।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वर्ष की शेष अवधि के लिए अप्रैल, 2003 की वार्षिक नीति विवरण में घोषित मुद्रा नीति की समग्र अवस्थिति को जारी रखने का प्रस्ताव किया है। नीति उपायों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

(1) बैंक दर 6.0 प्रतिशत पर स्थिर रखना,

(2) नकद प्रारक्षित दर 4.5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखना,

(3) कृषि और लघु क्षेत्रों को ऋण प्रदान करने वाले उपायों को सुधारना,

(4) ऋण को बढ़ाने के लिए लघु-वित्तीय संरचना में समग्र लचीलापन और कार्यविधियों का सरलीकरण,

(5) बैंकों के बीच मांग/नोटिस मुद्रा बाजार की ओर नया कदम बढ़ाना,

(6) निर्यात आय की वसूलियों में निर्यातकों को छूट दी गयी है और कलेंडर वर्ष में उनके निर्यात आय के 10 प्रतिशत तक अधिदेयताओं को बट्टे खाते डालने,

(7) भारतीय बैंक संघों को संचालनात्मक अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए एक मुख्य उधार दर बेंचमार्क पर बैंकों को सलाह देना है।

(घ) और (ङ) जमा दरों पर कमी ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) को अपने कुल संचालन लागत को कम करने में मदद की है। इसके परिणामस्वरूप, कुल परिसंपत्तियों के लाभ संचालन के दर में वर्ष 2000-01 में 1.5 प्रतिशत से वर्ष 2001-02 में 1.9 प्रतिशत और फिर वर्ष, 2002-2003 में 2.4 प्रतिशत सुधार हुआ है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जमा दरों में सतत कमी भारत की मुद्रा दर और सापेक्ष ब्याज दर में सामान्य गिरावट

की प्रवृत्ति के अनुरूप है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमाराशियों ने 23 मार्च, 2001 की स्थिति के 9,62,618 से 22 मार्च, 2002 की स्थिति के 11,03,360 करोड़ रुपए से 21 मार्च, 2003 की स्थिति के 12,80,853 करोड़ रुपए से और फिर 31 अक्तूबर, 2003 की स्थिति में 13,91,209 करोड़ रुपए तक निरन्तर वृद्धि दर्ज की गयी है।

आयकर लोकपाल

702. **श्री के.ई. कृष्णमूर्ति:**
श्री राधा मोहन सिंह:
डा. अशोक पटेल:
श्री नरेश पुगलिया:
श्री पदमसेन चौधरी:
कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनीराम शांडिल्य:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार करदाताओं की व्यक्तिगत शिकायतों को दूर करने तथा कर प्रशासन की गुणवत्ता को सुधारने हेतु एक आयकर लोकपाल की स्थापना करने पर सहमत हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके कब तक प्रभावी होने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) से (ग) जी हां। आय-कर ओमबड्समैन की संस्था की स्थापना के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। वर्तमान में इस संबंध में कोई निर्धारित समय-सीमा बता पाना संभव नहीं है।

चुनाव सुधार

703. **श्री इकबाल अहमद सरडगी:** क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चुनाव सुधार, स्वतंत्र उम्मीदवारों के लिए सुरक्षा जमा में वृद्धि तथा वित्तीय स्वायत्ता हेतु निर्वाचन आयोग की मांग समेत चार-सूत्रीय एजैंडें पर सहमति बनाने के लिए अक्तूबर, 2003 में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इन मुद्दों पर सर्व सम्मति बनी है;

(ग) क्या बैठक के बाद कोई ठोस फार्मूला बना है; और

(घ) यदि हां, तो चुनाव सुधारों के कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.सी. थामस): (क) जी, हां। सरकार द्वारा 29.10.2003 को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में निम्नलिखित चार मुद्दों पर चर्चा की गई थी:-

(1) राज्य सभा के निर्वाचनों के लिए खुली मतदान पद्धति।

(2) निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाए जाने के मामले में वही संरक्षण, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उपलब्ध है, प्रदान करने के लिए संविधान का संशोधन।

(3) यह उपबंध करने के लिए कि निर्वाचन आयुक्तों को संदेय वेतन, भत्ते और पेंशन तथा निर्वाचन आयोग के प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होंगे, एक विधान का अधिनियमन।

(4) संसदीय और विधान सभा निर्वाचन लड़ने के संबंध में प्रतिभूति निक्षेप को बढ़ाया जाना।

(ख) जी नहीं। तथापि, राज्य सभा निर्वाचनों के लिए खुली मतदान पद्धति आरंभ करने पर, राजनीतिक दलों को उनके अपने-अपने सदस्यों के मतपत्रों का, मतपेटी में डाले जाने के समय और मतगणना पूरी हो जाने के पश्चात् विनिर्दिष्ट समय के भीतर भी निरीक्षण करने के लिए (संबंधित अभ्यर्थियों या निर्वाचन अभिकर्त्ताओं के माध्यम से या अन्यथा) प्राधिकृत करने के लिए निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 में उपयुक्त उपबंध सम्मिलित करने के संबंध में व्यापक रूप से आम सहमति थी।

(ग) और (घ) सरकार ने राज्य सभा के निर्वाचन में खुली मतदान पद्धति आरंभ करने के पक्ष में विनिश्चय किया है। जहां तक अन्य मुद्दों का संबंध है, उन पर सरकार द्वारा निर्वाचन विधियों के सुधार की प्रक्रिया के भाग के रूप में समुचित समय पर राजनीतिक दलों के साथ चर्चा की जा सकती है। तथापि, यह एक सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और इस संबंध में कोई समय-सीमा नहीं बताई जा सकती है।

परिसीमन आयोग

704. **डा. रघुवंश प्रसाद सिंह:** क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या परिसीमन आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन वर्ष 2004 में देय अगले आम चुनावों के पहले पूरा कर लिये जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.सी. थामस): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) परिसीमन आयोग ने यह सूचित किया है कि चूंकि 2001 की जनगणना के अंतिम आंकड़े अभी प्रकाशित किए जाने हैं, अत: आगामी लोक सभा साधारण निर्वाचनों के लिए, जो साधारणतया वर्ष 2004 की अंतिम तिमाही में नियत हैं, समय पर सभी राज्यों के संबंध में परिसीमन का कार्य पूरा करना संभव नहीं हो सकेगा।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

चीनी सामानों का आयात

705. **श्री बी.के. पार्थसारथी:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि देश में चीनी सामानों का संग्रहण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या चीनी सामान का आयात, आयात नीति और कर प्रणाली के अनुसार किया जा रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने इस समस्या पर चीन की सरकार के साथ कोई वार्ता की थी; और

(घ) यदि हां, तो इस वार्ता का क्या परिणाम रहा?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) और (ख) सरकार को देश में चीनी वस्तुओं के संवर्धित आयात की जानकारी है। आयात की अनुमति मौजूदा आयात नीति के अनुसार तथा लागू सीमा शुल्क के भुगतान के पश्चात् ही प्रदान की जाती है। तथापि, चीन से वस्तुओं के पाटन के संबंध में घरेलू उद्योग से प्राप्त याचिकाओं के आधार पर पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय ने अब तक चीन के निर्यातकों से संबंधित 70 पाटनरोधी जांच शुरू की हैं। इन मामलों की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है:-

ऐसे मामले, जिनमें डी जी ए डी द्वारा अंतिम जांच परिणाम जारी किए गए हैं	–	58
ऐसे मामले, जिनमें प्रारंभिक जांच परिणाम जारी किए गए हैं तथा अनंतिम शुल्क लगाया गया है	–	6
प्रारंभिक जांच परिणाम हेतु जांचाधीन मामले	–	3
शुरू किए गए किन्तु बंद किए गए मामले	–	3

(ग) और (घ) पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय (डी जी ए डी), भारत गणराज्य के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय तथा चीन जनवादी गणराज्य के वाणिज्य मंत्रालय के ब्यूरो आफ फेयर ट्रेड फार इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स के बीच एक विचार-विमर्श तंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। इस प्रस्ताव में विचार-विमर्श करने तथा जांच करने के लिए पार्टियों के अलग-अलग तरीकों की तकनीकी सूचना का आदान-प्रदान करने तथा व्यापार बचाव के उपायों से संबंधित नियमों को लागू करने की परिकल्पना की गई है। प्राधिकारी ऐसे अलग-अलग मामले प्रस्तुत कर सकते हैं, जिन पर पहले ही निर्णय लिया जा चुका है, परंतु वे विधिक रूप से स्थापित प्रक्रियागत तथा वास्तविक ढांचे अथवा चल रही जांचों की प्रक्रिया में बाधा नहीं डालेंगे।

औषधियों के लिए उत्पाद पेटेंट प्रणाली

706. **श्रीमती रेणूका चौधरी:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्पाद पेटेंट प्रणाली को स्वीकार करने के क्या कारण हैं;

(ख) इस परिवर्तन के कारण हमारे लाभ और हानि का ब्यौरा क्या है;

(ग) जब उत्पाद पेटेंट प्रणाली आरंभ होगी तो औषधि के मूल्यों पर उसके संभावित प्रभाव क्या होंगे;

(घ) सरकार के चिकित्सा लागत को नियंत्रित करने की योजनाएं क्या हैं; और

(ङ) भारतीय कम्पनियों द्वारा कितने उत्पाद पेटेंट दायर किए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (घ) भारत, विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की स्थापना के समझौते का हस्ताक्षरकर्त्ता देश है। डब्ल्यू.टी.ओ. समझौते में, अन्य बातों के साथ-साथ, एक 'बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं का समझौता (ट्रिप्स)' भी शामिल है, जिसके तहत यह अपेक्षित कि सदस्य देश 'बौद्धिक संपदा पर अपने कानूनों को, ट्रिप्स समझौते के तहत उनके दायित्वों के अनुरूप बनाएं। पेटेंट कानून, ट्रिप्स समझौते के तत्वों में से एक है। भारत के संबंध में, इस समझौते में अन्य बातों के साथ-साथ पेटेंट संबंधी दायित्वों का पालन करने के लिए एक तीन-चरणों वाली समय-सीमा की व्यवस्था है। भारत ने पहले ही उन दायित्वों को पूरा कर लिया है जो 1 जनवरी, 1995 तथा 1 जनवरी, 2000 से प्रभावी हुए थे। दायित्वों का अगला चरण 1 जनवरी, 2005 से लागू होगा, जिसके लिए औषधों (ड्रग्स) से संबंधित आविष्कारों के क्षेत्रों में उत्पाद पेटेंट व्यवस्था शुरू करना आवश्यक है।

पेटेंट अधिनियम, 1970 में दवाओं के मूल्यनिर्धारण तथा उनकी उपलब्धता से जुड़े मुद्दों को देखने के लिए सुरक्षोपायों के एक व्यापक सेट की व्यवस्था है। इन उपबंधों की हाल ही में संयुक्त संसदीय समिति द्वारा विस्तृत समीक्षा की गई थी, जिसने पेटेंट (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1999 की जांच की तथा राष्ट्रीय व जन-हित की जरूरतों/चिंताओं के प्रति एक उपयुक्त समय पर तथा दक्ष प्रतिक्रिया के लिए प्रभावी लोच की व्यवस्था की, विशेषकर जन स्वास्थ्य तथा पोषण से संबंधित जरूरतों/चिंताओं के मामले में। इन संशोधनों को 26 जून, 2002 के पेटेंट संशोधन अधिनियम, 2002 के रूप में अधिसूचित किया गया था। जन स्वास्थ्य की चिंताओं का ध्यान रखने के लिए भारतीय पेटेंट कानून में किए गए सुरक्षोपाय ये हैं:- अनिवार्य लाइसेंसीकरण, सरकारी प्रयोग, समानांतर आयात तथा पेटेंट अधिकारों का अधिग्रहण एवं निरस्त करना। इन उपायों का उद्देश्य यह है कि दवाओं सहित, पेटेंट के दायरे में आने वाले उत्पादों की उपलब्धता उचित मूल्यों पर सुनिश्चित की जा सके। पेटेंट कानून में निहित उपायों के अतिरिक्त भारत में उचित मूल्यों पर औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक औषध मूल्य नियंत्रण प्रणाली भी मौजूद है। इसके अलावा, लगभग सभी जरूरी औषध, पेटेंट संरक्षण के दायरे से बाहर हैं और पेटेंट संरक्षण के तहत आने वाली जरूरी औषधों के लिए, अधिकांश मामलों में विकल्प उपलब्ध हैं।

(ङ) ट्रिप्स समझौते के तहत 1 जनवरी, 1995 से प्रभावी संक्रमणकालीन दायित्वों को पूरा करने के लिए, भारत ने उत्पाद पेटेंट व्यवस्था की शुरूआत किए जाने तक दवाओं के क्षेत्र में उत्पाद पेटेंट आवेदनों की प्राप्ति तथा उन्हें रख जाने की व्यवस्था की है। ये आवेदन एक ''मेलबाक्स'' में रखे गए हैं और इन्हें जांच हेतु 1 जनवरी, 1995 से ही लिया जाएगा।

पटसन क्षेत्र में यू.एन.डी.पी. सहायता

707. श्री ए. नरेन्द्र: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पटसन उत्पादों के प्रसंस्करण में विकास हेतु यू.एन.डी.पी. की सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष और 2003-2004 में इस सहायता से कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं और आवंटित यू.एन.डी.पी. सहायता और पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य को जारी धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पटसन क्षेत्र के विकास हेतु कुछ और अधिक प्रभावी योजनाएं शुरू की हैं/शुरू करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो उक्तावधि के दौरान इस संबंध में राज्य-वार और योजना-वार कितना वित्तीय प्रावधान किया गया है; और

(ङ) इन योजनाओं के कार्यान्वयन से प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार ने एक परियोजना को अनुमोदित कर दिया है जिसमें वर्ष 1999-2000 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.) के देश सहयोगी ढांचा-1 (सी सी एफ-1) के फाइबर एवं हस्तशिल्प कार्यक्रम (एफ एच ए पी) के तहत वित्तीय एवं तकनीकी सहायता शामिल हैं। निम्नलिखित तालिका में

सी सी एफ-1 के एफ एच ए पी के तहत उप-परियोजनाएं दी गई हैं जो पटसन उत्पादों के प्रसंस्करण के विकास के साथ-साथ वर्ष-वार आवंटन तथा वर्ष 2000-2001 से 2003-04 तक जारी निधियों से संबंधित हैं।

(लाख रुपए में)

परियोजना शीर्षक	2000-01		2001-02		2002-03		2003-04	
	आवंटित	जारी की गई	आवंटित	जारी की गई	आवंटित	जारी की गई	आवंटित	जारी की गई
किसानों की बेहतरी	13.00	13.00	12.00	12.00	12.00	12.00	–	–
नीतिगत विपणन योजना	25.56	25.56	44.00	44.00	–	–	–	–
एचआरडी कामगार प्रशिक्षण	40.00	40.00	12.00	12.00	5.00	5.00	2.00	2.00
गैर-सरकारी संगठनों को सहायता	104.00	104.00	17.50	17.50	81.12	81.12	–	–
पटसन को गलाने के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण	–	–	5.00	5.00	5.00	5.00	7.60	4.00
प्रौद्योगिकियों का वाणिज्यिकरण	6.00	6.00	–	–	–	–	–	–
पटसन उद्यमी सहायता योजना	29.56	29.56	144.56	144.56	4.04	4.04	1.84	–
गुणवत्ता का आश्वासन	49.50	49.50	19.50	19.50	25.00	25.00	33.75	–
मशीनरी विकास	–	–	–	–	70.93	70.93	60.00	18.17
विपणन योजना का कार्यान्वयन	25.56	25.56	44.00	44.00	–	–	–	–

(ग) जी, हां। वर्ष 1999-2000 से सी सी एफ-1 की एफ एच ए पी के अतिरिक्त वस्त्र मंत्रालय ने पटसन क्षेत्र के विकास के लिए निम्नलिखित योजनाएं आरंभ की हैं:-

(1) पटसन सेवा केन्द्र योजना (जे एस सी)

(2) पटसन कच्चा माल बैंक योजना (जे आर एम बी)

(3) विपणन सहायता योजना (एम एस एस)

(4) डिजाइन/उत्पाद विकास योजना (डी डी एस)

(5) बिक्री केंद्र योजना

(6) वित्तीय सहायता: (क) सूक्ष्म वित्त योजना (ख) पूंजी सब्सिडी योजना

(7) बाह्य बाजार सहायता योजना

(8) पटसन उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए पटसन विनिर्माण विकास परिषद प्रोत्साहन योजना।

(घ) उपर्युक्त (ग) में उल्लिखित योजनाओं के संबंध में वित्तीय प्रावधान संलग्न विवरण I में दिए गए हैं।

(ङ) इन योजनाओं के तहत प्राप्त वास्तविक उपलब्धियां संलग्न विवरण II में दी गई हैं।

विवरण I

भारत सरकार की योजनाओं की वित्तीय स्थिति

एनसीजेडी योजनाएं

रुपए/लाख

राज्य	पटसन सेवा केंद्र योजना				
	पिछले 3 वर्षों में उपयोग की गई राशि			2003-04 के लिए बजटीय प्रावधान	सितम्बर '03 तक उपयोग की गई राशि
	2000-01	2001-02	2002-03		
आंध्र प्रदेश	8.18	6.97	15.92	36.00	10.22
असम	38.14	43.50	38.45	36.00	23.63
बिहार	–	–	–	22.00	19.66
दिल्ली	19.32	12.62	16.69	15.90	13.15
कर्नाटक	–	–	5.57	14.40	11.07
मध्य प्रदेश	25.42	2.97	15.47	15.90	3.46
महाराष्ट्र	–	–	–	15.90	3.59
उड़ीसा	10.37	9.25	12.41	10.90	9.87
राजस्थान	–	–	2.83	4.60	2.00
सिक्किम	–	–	2.52	4.60	3.00
तमिलनाडु	25.57	18.20	28.23	31.00	26.55
त्रिपुरा	20.36	12.73	13.22	16.90	8.71
उत्तर प्रदेश	2.09	15.70	14.93	16.90	11.30
पश्चिम बंगाल	42.12	22.67	26.86	34.00	7.14
	0.84	6.90	2.67	–	–
	194.41	151.51	195.77	275.00	153.55

राज्य	पटसन कच्चा माल बैंक योजना				
	पिछले 3 वर्षों में उपयोग की गई राशि			2003-04 के लिए बजटीय प्रावधान	सितम्बर '03 तक उपयोग की गई राशि
	2000-01	2001-02	2002-03		
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	8.13	8.11	10.16	23.05	3.86
असम	1.22	–	0.75	3.29	0.29

1	2	3	4	5	6
बिहार	–	–	–	3.29	–
दिल्ली	2.05	4.52	2.21	3.29	0.84
गुजरात	–	–	–	3.29	–
हरियाणा	0.84	–	1.23	3.29	0.47
जम्मू-कश्मीर	–	–	–	1.69	–
कर्नाटक	–	–	–	3.29	–
मध्य प्रदेश	–	–	–	1.69	–
महाराष्ट्र	1.98	2.46	2.75	3.29	1.05
मणिपुर	–	–	–	1.18	–
उड़ीसा	–	–	–	3.29	–
पंजाब	5.03	3.89	3.68	3.29	1.40
तमिलनाडु	0.14	0.66	0.44	3.29	0.17
उत्तर प्रदेश	5.86	4.57	2.18	9.83	0.81
पश्चिम बंगाल	8.77	30.95	29.27	24.66	11.16
संबद्ध व्यय	0.89	0.86	3.23	–	–
	34.91	55.61	55.90	95.00	20.05

राज्य	बाजार सहायता योजना				
	पिछले 3 वर्षों में उपयोग की गई राशि			2003-04 के लिए बजटीय प्रावधान	सितम्बर '03 तक उपयोग की गई राशि
	2000-01	2001-02	2002-03		
1	2	3	4	5	6
असम	5.86	6.67	14.90	16.37	6.03
बिहार	–	–	–	3.00	2.00
दिल्ली	12.54	11.75	11.98	15.57	8.90
गोवा	–	–	0.50	1.65	1.12
गुजरात	–	–	–	1.50	0.95
हरियाणा	–	–	3.60	4.68	–

1	2	3	4	5	6
जम्मू-कश्मीर	–	–	1.20	1.56	–
मध्य प्रदेश	–	–	–	3.00	2.14
महाराष्ट्र	–	2.15	11.20	11.56	5.63
मेघालय	–	–	2.16	2.81	–
पंजाब	–	–	2.20	2.86	–
राजस्थान	–	–	4.18	5.43	0.90
उत्तर प्रदेश	–	–	3.92	5.10	2.15
पश्चिम बंगाल	12.88	8.33	13.95	16.41	5.19
संबद्ध व्यय	–	–	0.72	–	–
	31.28	28.90	70.51	91.50	35.04

राज्य	डिजाइन विकास योजना				
	पिछले 3 वर्षों में उपयोग की गई राशि			2003-04 के लिए बजटीय प्रावधान	सितम्बर '03 तक उपयोग की गई राशि
	2000-01	2001-02	2002-03		
असम	–	–	6.95	10.08	3.05
आंध्र प्रदेश	–	–	4.23	6.12	–
बिहार	–	–	–	–	4.00
दिल्ली	–	–	3.90	5.66	3.40
महाराष्ट्र	–	–	10.81	15.67	–
मेघालय	–	–	–	–	–
पंजाब	–	–	–	–	–
राजस्थान	–	–	–	–	–
उत्तर प्रदेश	–	–	4.66	6.76	1.28
तमिलनाडु	–	–	5.11	7.41	2.68
त्रिपुरा	–	–	1.10	1.60	–
पश्चिम बंगाल	6.37	8.09	5.90	8.70	4.50
संबद्ध व्यय	–	–	–	–	–
	6.37	8.09	42.66	62.00	18.91

राज्य	पर्यटन उद्यमी सहायता योजना			
	पिछले 3 वर्षों में उपयोग की गई राशि			2003-04
	2000-01	2001-02	2002-03	
असम	–	–	23.00	–
आंध्र प्रदेश	10	35.52	55.00	25.96
गुजरात	–	–	50.00	–
हिमाचल प्रदेश	1.50	–	–	–
हरियाणा	–	–	2.50	–
महाराष्ट्र	–	25.00	–	–
उड़ीसा	3.60	–	–	–
पांडिचेरी	7.50	–	–	–
तमिलनाडु	–	50.00	–	–
पश्चिम बंगाल	51.52	89.56	39.92	10
	74.12	200.08	170.42	35.96

	जे एम डी सी योजना			
	निर्यात बाजार सहायता योजना (इ एम ए)			
	पिछले तीन वर्षों में खर्च की गई राशि			2003-04
	2000-01	2001-02	2002-03	
विभिन्न राज्यों से भारतीय निर्यातकों एवं जे एम डी सी द्वारा वितरित की गई इ एम ए की स्थिति	1937.75	1381.17	2210.24	–
राज्य	आधुनिकीकरण के लिए जे एम डी सी प्रोत्साहन योजना			
				2003-04*
आंध्र प्रदेश	–	–	–	11.53
उत्तर प्रदेश	–	–	–	5.54
			कुल	17.06

*योजना 2003 में शुरू हुई

विवरण II

9वीं एवं 10वीं योजना के दौरान भारत सरकार की योजनाओं का वास्तविक निष्पादन

योजना का नाम	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04 (सितम्बर, तक)
पटसन सेवा केन्द्र योजना							
प्रशिक्षण कार्यक्रम	37	62	82	167	136	211	103
कार्यशाला एवं प्रदर्शन	42	32	40	25	2	–	4
प्रशिक्षित लाभार्थी	4500	6098	5650	5238	3011	5275	2575
प्रशिक्षित रोजगारों की सं.	1885	2439	2260	2462	1313	2479	715
पटसन यार्न बैंक योजना							
यार्न बिक्री (मीट्रिक टन में)	843	1300	1500	1543	1336	1125	344
लेमिनेटेड फैब्रिक की बिक्री (1000 मी. में)	67	170	230	267	1656.8	1797.7	473.7
लाभार्थियों की सं.	24	18	950	998	1345	1462	2437
डिजाइन विकास योजना							
जागरूकता कार्यशाला	3	10	8	26	27	34	–
नयी डिजाइन विकास	132	150	345	259	157	311	–
लाभार्थियों की सहायता	189	235	265	514	579	670	–
डिजाइन का वाणिज्यिकरण	40	37	65	67	114	102	–
बाजार सहायता योजना							
प्रदर्शनी एवं क्रेता-बिक्रेता बैठक	5	43	24	35	45	28	9
सहायता की गई एककों की सं.	114	415	235	360	414	285	107
प्रति कार्यक्रम औसत बिक्री (लाख रु. में)	1.00	0.95	0.80	0.90	1.70	2.95	3.02
पटसन उद्यमी सहायता योजना							
सहायता की गई एककों की सं.	19	18	6	14	7	8	–
अनुमानित रोजगार	970	1165	240	200	280	920	–
एनजीओ सहायता योजना							
सहायता की गई एककों की सं.	60	50	4	43	23	46	–
अनुमानित लाभार्थियों की सं.	3300	300	240	1995	605	1380	–

एन सी जे डी-यू एन डी पी योजनाओं के तहत वास्तविक निष्पादन

परियोजना	कार्यान्वयन एजेंसी	संचयी उपलब्धि
किसानों की बेहतरी	साउथ इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन	653 किसानों द्वारा 95 मी. टन फाइबर की पैदावार 120 एकड़ जमीन में जेआरसी-321 के 600 बीज बहुगुणन किया। 3 मूल्यवर्धित उत्पाद विकसित किए गए (क) अग्निरोधी किचन के लिए उफोलस्ट्री (ख) पटसन के बीजों का प्रयोग करते हुए टेबल मेट/फ्लोर मैट (ग) पटसन एक्रेलिक स्वेटर। 1 कूंच बिहार में पटसन संवर्द्धन केन्द्र की स्थापना 2, उपकरण स्थापित।
नीतिगत विपणन योजना	पटसन विनिर्माण विकास परिषद	1 प्रतिनिधि विदेश दौरा, 5 विदेशी मेले, जूट इंडिया, 2002 का आयोजन, पटसन के मिश्रित तकनीकी वस्त्र पर 1 और पटसन जैव वस्त्र पर 4 तकनीकी कार्यशालाएं
एच आर डी कामगार प्रा. लि.	पटसन प्रौद्योगिकी संस्थान	9 प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना। 2 भाषाओं में 1 प्रशिक्षण मौड्यूल। 2 भाषाओं में 8 प्रशिक्षण मैन्यूअल छापे गए। 10,884 कामगारों, 255 पर्यवेक्षकों और 30 मास्टर प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया गया।
गैर-सरकारी संगठनों को सहायता	राष्ट्रीय पटसन विविधीकृत केन्द्र	25 कार्यशालाएं आयोजित हुई, 119 एन जी ओ स्वीकृत (168 लाख रुपए), 4167 व्यक्तियों को रोजगार दिया।
पटसन को गलाने के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण	ग्रेगोर मेंडल बायोटेक्नोलाजीकल रिसर्च एंड एक्सटेंशन फाउंडेशन	चूंकि यह एक पूरी तरह अनुसंधान व विकास गतिविधि है, अभी लाभ होना है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार योग्य उत्पादों के विकास के लिए सड़े हुए एन्जाइम्स का प्रयोग करते हुए अच्छी और उन्नत गुणवत्ता की फसल की पैदावार था। इस नए प्रोटोकाल किसानों को जागरूक बनाने के लिए कार्यशाला का आयोजन
प्रौद्योगिकियों का वाणिज्यिक	राष्ट्रीय पटसन विविधीकृत केन्द्र	6 कार्यशालाएं आयोजित
पटसन उद्यमी सहायता	राष्ट्रीय पटसन विविधीकृत केन्द्र	एन सी जे डी कार्प्स फंड से 7 एककों को निधियां प्रदान की गई।
गुणवत्ता का आश्वासन	भारतीय पटसन उद्योग अनुसंधान संघ	1145 नमूनों का परीक्षण किया गया। पटसन और ब्लेंडेड यार्न (शार्ट स्टेपल) के लिए मानदंड बनाए गए, 9 परीक्षण उपकरण विकसित किए।
मशीनरी विकास	राष्ट्रीय पटसन विविधीकृत केन्द्र	6 स्वदेशी मशीनों के लिए विकास कार्य निम्नानुसार जारी है:- 1. ट्रांसफर मेकेनिज्म के साथ कंबाइंड ब्रेकर कम फिनिसर कार्ड 2. ड्राहैड और केन चेंज के साथ ब्रेकर कम फिनिसर कार्ड 3. शटललैस करघा 4. उच्च गति वाले फ्लायर/रिंग कताई मशीन 5. उच्च गति वाले फ्लायर फ्रेम 6. स्वचालित पटसन बैग बनाने की मशीन

जे एम डी सी - बाह्य बाजार सहायता योजना के तहत वास्तविक निष्पादन

इ एम ए योजना के क्रियान्वयन से पटसन सामानों की हैसियन, सैकिंग और यार्न जैसी प्रमुख मदों के निर्यात पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। खाद्य कपड़ा/थैले, पटसन के जैव वस्त्र जैसे कुछ नए निर्यात योग्य पटसन उत्पादों ने भी प्रभावकारी निष्पादन दर्शाया है। इसके अलावा, प्रमुख संघटकों के रूप में फ्लोर कवरिंग्स और शापिंग थैलों के साथ पटसन विविधीकृत उत्पादों के निर्यात ने विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2002-03 के दौरान अप्रत्याशित वृद्धि दर्शायी है। पिछले पांच वर्षों से भारत से पटसन सामानों के निर्यात निष्पादन संबंधी निम्नलिखित तालिका इस तथ्य को सही साबित करेगी:

मात्रा : हजार मी. ट.
मूल्य : रु./मिलियन

वर्ष	मात्रा	मूल्य
1998-99	171.0	5822.60
1999-2000	147.1	5518.18
2000-2001	187.0	6912.20
2001-2002	148.2	6133.22
2002-03	226.00	9133.21

आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय में ठेके संबंधी जांच

708. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय की नियमावली के अध्याय 8 के अनुसार निविदाओं की दरों को अंतिम रूप देने से पूर्व ठेके संबंधी जांच को जारी करने के लिए सभी मानदंडों का कार्यान्वयन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इंडियन ट्रेड जर्नल/मासिक समाचार पत्र/क्षेत्रीय कार्यालयों के सूचना पट्ट में ठेके संबंधी जांच कार्य कम से कम 60 दिन पहले प्रकाशित न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) यदि नहीं, तो नए प्रवेशकों/नए आपूर्तिकर्त्ताओं को भागीदारी के समान मौके दिए जाने को किस तरीके से सुनिश्चित किया जा रहा है जिससे पात्रता संबंधी मानदंड को पूरा करने के लिए उन्हें ठेके के खोले जाने की तिथि से पूर्व पंजीकृत किया जा सके;

(घ) क्या गैर पंजीकरण ठेके संबंधी जांच तकनीकी पूछताछ की सूचना न मिलने के कारण ठेके खोला जाना स्थगित करने के लिए कोई शिकायत/अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो गत वर्ष और विगत दो वर्षों के दौरान कितनी शिकायतें/अनुरोध प्राप्त किए हैं और इच्छुक भागीदारों के अनुरोध पर निविदा जांच को कितनी बार स्थगित किया गया है; और

(च) निपटान और आपूर्ति महानिदेशालय के केन्द्रीय प्रापण एजेंसी होने के नाते देश भर की सभी इच्छुक यूनिटों को ठेके संबंधी जांच को प्रसारित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) जी, हां।

(ख) सभी विज्ञापित निविदा पूछताछों का प्रकाशन आई टी जे में किया जाता है जैसा कि डी जी एस एण्ड डी मैनुअल के प्रावधानों में निर्धारित किया गया है। विज्ञापित निविदा पूछताछों के लिए निविदाओं को प्रस्तुत करने के लिए अनुमत समय सीमा छः सप्ताह से कम नहीं होती है। इसके अतिरिक्त, डी जी एस एण्ड डी निविदा नोटिसों को डी जी एस एण्ड डी की बेवसाइट http://dgsnd.nic.in में भी डाला जाता है। निविदा नोटिस मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालयों के सूचना पट्टों पर भी लगाए जाते हैं और डी जी एस एण्ड डी के मासिक बुलेटिनों में प्रकाशित किए जाते हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) विभिन्न कारणों से समयवृद्धि संबंधी अनुरोध/शिकायतें प्राप्त हुई हैं और अलग-अलग मामलों में गुण-दोष के आधार पर कार्रवाई की गई है।

(च) डी जी एस एण्ड डी की वेबसाइट पर दी गई सूचना के अलावा, डी जी एस एण्ड डी ऐसे मासिक बुलेटिन भी प्रकाशित करता है जिनमें प्रदत्त दर संविदा, निविदा नोटिस, नीतियों/क्रियाविधियों में परिवर्तन और अन्य घटनाक्रम अधिसूचित किए जाते हैं। डी जी एस एण्ड डी द्वारा दर संविदाओं पर स्टोरों की वार्षिक निर्देशिका भी प्रकाशित की जाती है।

कच्चे पामोलीन का आयात

709. **श्रीमती प्रभा राव:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कच्चे पामोलीन के आयात के लिए ऐसे नए मार्ग निदेश तैयार किए हैं जिसमें यह उपबंध किया गया है कि इसकी सम्पत्ति मूल्य 2 प्रतिशत और कार्बोनोइड मूल्य प्रति किलो 500-2500 मिलि. ग्राम होगा और ऐसा न होने पर आयातक को परिष्कृत तेल पर लागू प्रयोज्य आयात शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा आयातित परिष्कृत तेल और तेल की अन्य किस्मों पर आयात शुल्क की विभिन्न दरें क्या है;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप कच्चे पामोलीन का आयात प्रतिकूल रूप से प्रभावित है; और

(घ) गत छह महीने के दौरान कितने कच्चे तेल का आयात किया गया है और सरकार का विचार संशोधित दिशानिर्देशों के आलोक में आगे निर्यात को किस तरह से नियमित करने का है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग ने 1 अगस्त, 2003 को एक अधिसूचना सं. 120/230-सी यू एस जारी किया है जिसमें कच्चे पाम आयल/कच्चे पामोलीन की स्पष्ट परिभाषा दी गयी है। इसमें कच्चे पाम आयल/कच्चे पामोलीन में न्यूनतम 2 प्रतिशत एसिड वैल्यू और 500-2500 मिलिग्राम/कि.ग्रा. कैरोटिनायड का कुल स्तर विनिर्दिष्ट है। कच्चे पाम आयल/कच्चे पामोलीन पर सीमा शुल्क की लागू दर यथामूल्य 65 प्रतिशत है। यदि परिष्कृत न किए गए तेल से उक्त विनिर्दिष्टताएं पूरी नहीं होती हैं तो शुल्क की दर 70 प्रतिशत बेसिक होगी जो कि वही है जो परिष्कृत तेल के लिए विनिर्दिष्ट दर है।

(ख) कच्चे/परिष्कृत पाम आयल/पामोलिन की विभिन्न किस्मों पर शुल्क की दरें निम्नानुसार है:-

विवरण	वर्गीकरण	शुल्क की दर (मूल + अतिरिक्त + विशेष)
कच्चा पाम आयल	15111000	65 + शून्य + शून्य
आर बी डी पाम आयल	15119010	70% + 1 रुपए/किग्रा. + शून्य
अन्य पाम आयल	15119090	70% + शून्य + शून्य
कच्चा पामोलिन	15111000	65% + शून्य + शून्य
आर बी डी पामोलिन	15119020	70% + 1 रुपए/किग्रा. + शून्य
अन्य पामोलिन	15119090	70% + शून्य + शून्य

(ग) आयात की मात्रा शुल्क की दर से ही नहीं बल्कि मांग और आपूर्ति की स्थिति के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वस्तु की कीमत द्वारा भी प्रभावित होती है।

(घ) दिनांक 31.10.2003 को समाप्त पिछली छमाही की अवधि के दौरान आयातित कच्चे पाम आयल तथा कच्चे पामोलिन की कुल मात्रा 22 लाख मी. टन (लगभग) है।

सकल घरेलू उत्पाद का पुनरीक्षित अनुमान

710. **श्री कालवा श्रीनिवासुलु:**
श्री अजय चक्रवर्ती:
श्री सुकदेव पासवान:
श्री मंजय लाल:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संशोधित प्राक्कलनों में गत वर्ष सकल घरेलू उत्पाद में मात्र 4.3 प्रतिशत वृद्धि को दर्शाया गया है;

(ख) यदि हां, तो मध्यम स्तर के कार्य निष्पादन के क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि दसवीं योजनावधि के दौरान 8 प्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सिफारिश हेतु कृतिक बल का गठन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जारी किए गए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के संशोधित अनुमानों के

अनुसार, उत्पादन लागत पर स्थिर मूल्य पर सकल घरेलू उत्पादन की वृद्धि दर वर्ष 2001-02 के 5.6 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2002-03 में 4.3 प्रतिशत है। वृद्धि में कमी मुख्यत: कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों में हुई सूखे की स्थितियों की वजह से हुई है। उद्योग और सेवा क्षेत्रों में वृद्धि क्रमश: 6.0 प्रतिशत, 7.1 प्रतिशत थीं।

(ग) और (घ) जी, नहीं। योजना आयोग से प्राप्त सूचना के अनुसार 8 प्रतिशत वृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सिफारिशें बनाने हेतु कोई कार्य बल की व्यवस्था नहीं की है।

बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा फेरा का उल्लंघन

711. श्री रघुनाथ झा: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारतीय रिजर्व बैंक से आवश्यक अनुमति प्राप्त किए बिना भारत में कार्यरत अपने कर्मचारियों के वेतन और परिलब्धियों का अन्य देशों में भुगतान करने के लिए फेरा के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किये गये थे;

(ख) यदि हां, तो क्या बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने कारण बताओ नोटिस का उत्तर दे दिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) जी, हां। प्रवर्तन निदेशालय ने उन 18 बहुराष्ट्रीय कंपनियों को नोटिस जारी किए हैं, जो अपने कर्मचारियों को, जो भारत के निवासी थे, विदेशी मुद्रा में वेतन/अधिलब्धियों के भुगतान के संबंध में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए पाई गई थीं।

(ख) और (ग) कंपनियों द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण न्यायनिर्णयन कार्यवाहियों का ही हिस्सा हैं, जो अर्ध-न्यायिक प्रकृति के हैं। पांच बहुराष्ट्रीय कंपनियों के संबंध में शास्ति लगाकर न्यायनिर्णयन कार्यवाहियां पूरी कर ली गई हैं।

खाद्यान्न राजसहायता

712. श्री गंता श्रीनिवास राव: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में वर्ष-वार कुल कितनी धनराशि खाद्यान्न राजसहायता के रूप में व्यय की गई है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान गरीबों के लिए वर्ष-वार, श्रेणी-वार और राज्य-वार खाद्यान्न राजसहायता पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गई है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) पिछले 3 वर्षों के दौरान भारत सरकार द्वारा वर्ष-वार रिलीज की गई खाद्य राजसहायता की कुल राशि निम्नानुसार है--

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	राशि
2000-01	12010.00
2001-02	17494.00
2002-03	24176.45

(ख) गरीबों के लिए राजसहायता लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अंत्योदय अन्न योजना की गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के अधीन रिलीज की जाती है, जिसके वर्ष-वार और श्रेणी-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। विभिन्न योजनाओं के लिए केंद्रीय पूल से वितरित किए जाने वाले खाद्यान्नों के लिए राज्य-वार राजसहायता रिलीज नहीं की जाती है।

विवरण

(करोड़ रुपये में)

श्रेणी	2000-2001	2001-2002	2002-2003
1	2	3	4
गरीबी रेखा से नीचे	4446.18	5086.41	6336.21
अंत्योदय अन्न योजना	0.00	1130.66	2640.95
गरीबी रेखा से ऊपर	0.00	457.90	923.90
काम के बदले अनाज कार्यक्रम	113.97	1799.03	56.35

1	2	3	4
मध्याह्न भोजन योजना	374.13	1130.51	1221.14
रक्षा	10.76	23.12	27.04
खुली बिक्री	120.55	616.10	1206.23
निर्यात	1213.00	1368.37	5742.69
बकाया	1498.66	0.00	0.00
अन्य	0.00	0.00	48.84
बफर अग्रनयन लागत	4232.75	5881.90	5973.10
जोड़	12010.00	17494.00	24176.45

भारत-बंग्लादेश मुक्त व्यापार समझौता

713. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और बंग्लादेश ने मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान भारत और बंग्लादेश के बीच अनुमानत: कुल कितना व्यापार हुआ;

(घ) क्या श्रीलंका के साथ हमारा मुक्त व्यापार समझौता उत्साहवर्द्धक रहा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) भारत का विचार किन-किन पड़ोसी देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते करने का है; और

(छ) इन देशों की प्रतिक्रिया क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) भारत ने बंग्लादेश के साथ किसी द्विपक्षीय मुक्त व्यापार करार को अंतिम रूप नहीं दिया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत और बंग्लादेश के बीच कुल व्यापार निम्नानुसार रहा है:

वर्ष	कुल द्विपक्षीय व्यापार (करोड़ रुपये में)
2002-2003	5991.57
2001-2002	5061.52
2000-2001	4639.46

(स्रोत : डी जी सी आई एंड एस)

(घ) और (ङ) भारत ने दिसम्बर 1998 में श्रीलंका के साथ वस्तु संबंधी मुक्त व्यापार करार (एफ टी ए) पर हस्ताक्षर किए थे। तब से दोनों पक्षों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में निम्नानुसार सकारात्मक वृद्धि देखी गई है:-

वर्ष	कुल व्यापार (करोड़ रुपये)	पिछले वर्ष की तुलना में % वृद्धि
1998-1999	1997.52	-
1999-2000	2355.15	17.92
2000-2001	3130.07	15.82
2001-2002	3330.19	4.55
2002-2003	4896.67	21.60

एफ टी ए पर हस्ताक्षर होने के बाद भारतीय निवेशकों ने श्रीलंका में निवेश करने में गहरी रुचि भी दिखाई है और भारत श्रीलंका में निवेश करने वाला एक अग्रणी देश बन गया है।

(च) और (छ) दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) के राष्ट्रों, जिनमें बंग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल है, ने दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है। बी आई एम एस टी-ई सी (बंग्लादेश, भारत म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड - आर्थिक सहयोग) नामक एक अन्य क्षेत्रीय समूह का उद्देश्य भी एक मुक्त व्यापार क्षेत्र का विकास करना है।

[हिन्दी]

केन्द्र/राज्य सरकार पर ऋण भार

714. श्री ब्रह्मानन्द मंडल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्र और राज्य सरकार के कुल बाजार ऋण में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई और गत तीन वर्षों के दौरान तथा जुलाई, 2003 तक इसकी कुल धनराशि कितनी थी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष में 28 नवम्बर, 2003 तक के लिए केन्द्रीय और राज्य सरकारों के कुल बाजार ऋण को निम्न तालिका में दिया गया है:-

(राशि करोड़ रुपए में)

सकल ऋण	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
			(28 नवम्बर, 2003 तक)	
केंद्रीय सरकार	1,15,183	1,33,801	1,51,126	1,08,035
	(15.61)	(16.16)	(14.66)	
राज्य सरकार	13,300	18,707	30,853*	38,752*
	(7.03)	(40.65)	(64.93)	
जोड़	1,28,483	1,52,508	1,81,979	1,46,787
	(13.36)	(18.70)	(19.32)	

* भारत सरकार के साथ ऋण विनिमय के लिए बढ़ाए गए 10,000 करोड़ रुपए शामिल हैं।

** भारत सरकार के साथ ऋण विनिमय के लिए बढ़ाए गए 23,000 करोड़ रुपए शामिल हैं।

टिप्पणी: कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष में बढ़े प्रतिशत जो दर्शाते हैं।

(स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक)

[अनुवाद]

चाय उत्पादकों के लिए गुणवत्ता उन्नयन योजना

715. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चाय उत्पादकों के लिए गुणवत्ता उन्नयन और उत्पाद विविधिकरण योजना आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) चाय के उत्पादन और निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या प्रोत्साहन उपाय किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी, हां।

(ख) इस योजना में चाय प्रसंस्करण/सम्मिश्रण तथा पैकेजिंग मशीनरी प्राप्त करने के लिए वास्तविक लागत के 25 प्रतिशत की दर से वित्तीय सहायता का प्रावधान है जो प्रति चाय फैक्टरी अधिकतम 25 लाख रुपए होगी। उसमें गुणवत्ता कार्बनिक चाय प्रमाणन की लागत के एक हिस्से की पूर्ति के लिए भी प्रावधान है। इस योजना में देश में उत्पादित चाय की गुणवत्ता का उन्नयन करने के लिए छोटे उत्पादकों तथा विनिर्माताओं के मध्य गुणवत्ता जागरूकता कार्यक्रम चलाने का भी प्रावधान है।

(ग) चाय बोर्ड ने देश में उत्पादित चाय की उत्पादकता, गुणवत्ता तथा विपणनीया का संवर्धन करने के लिए 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अनेक विकासात्मक योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है। पुनर्रोपण, प्रतिस्थापन रोपण, पुनर्नवीकरण छंटाई, रिक्त स्थानों की भराई, सिंचाई सुविधाओं के सृजन आदि जैसे प्रमुख बागान क्रियाकलापों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। भारतीय चाय के निर्यातों को बढ़ाने के लिए हैंडलिंग, पैकेजिंग, परिवहन/भाड़ा प्रभार तथा मूल्य संवर्धन की लागत के एक हिस्से की पूर्ति हेतु चाय निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने में अलावा चाय बोर्ड सवंर्धनात्मक अभियान भी चला रहा है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेंलों में भागीदारी कर रहा है।

आदिवासी सहकारी समितियां

716. श्री के.पी. सिंह देव: क्या **जनजातीय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्यों में आदिवासी सहकारी समितियों की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार विशेषकर उड़ीसा के संबंध में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का इन समितियों को सुदृढ़ करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा और अन्य राज्यों में इन आदिवासी सहकारी समितियों को सक्रिय करने के लिए कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है और चालू वित्तीय वर्ष में कितनी सहायता दिए जाने का प्रस्ताव है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) और (ख) नीचे दिए गए राज्यों ने राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगमों की स्थापना की है, जो अपने-अपने राज्यों में पंजीकृत समितियां हैं:

क्र.सं.	राज्य	निगम का नाम
1.	आंध्र प्रदेश	गिरिजन सहकारी निगम (जीसीसी)
2.	गुजरात	गुजरात राज्य वन विकास निगम लि.
3.	मणिपुर	मणिपुर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निगम लि.
4.	राजस्थान	राजस्थान जनजातीय क्षेत्र विकास सहकारी संघ लि.
5.	झारखंड	झारखंड राज्य जनजातीय सहकारी विकास निगम लि.
6.	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश लघु वन उपज, व्यापार एवं विकास सहकारी संघ
7.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगम लि.
8.	त्रिपुरा	त्रिपुरा एपेक्स विपणन सहकारी सोसायटी लि.
9.	केरल	केरल राज्य सहकारी विपणन संघ लि.
10.	उड़ीसा	उड़ीसा जनजातीय विकास सहकारी निगम लि.
11.	मेघालय	मेघालय राज्य सहकारी विपणन एवं उपभोक्ता संघ लि. (एमईसीओएफईडी)
12.	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल जनजातीय विकास सहकारी निगम लि.

(ग) और (घ) इन निगमों को, राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगमों को केन्द्रीय क्षेत्र की सहायता अनुदान की योजना के अंतर्गत मुख्यत: लघु वन उत्पाद के प्रापण के लिए निधियां उपलब्ध कराई जाती हैं। केन्द्रीय सरकार, इन निगमों को लघु वन उत्पादों के व्यापार के लिए अंश पूंजी के संवर्धन के लिए अनुदान देती है। इस योजना के अंतर्गत आबंटन राज्य-वार नहीं अपितु आवश्यकता के आधार पर किया जाता है। चालू वित्त वर्ष अर्थात् 2003-04 के लिए इस योजना के अधीन बजट आबंटन 18.00 करोड़ रुपए का है। इन निगमों को उनके राज्यों के माध्यम से पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्मुक्त की गई निधियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

(लाख रुपए)

क्र.सं.	राज्य का नाम	वर्ष	निर्मुक्त राशि
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	2000-2001	150.00
		2001-2002	520.00
		2002-2003	480.00
2.	गुजरात	2000-2001	150.00
		2001-2002	–
		2002-2003	–
3.	केरल	2000-2001	–
		2001-2002	–
		2002-2003	225.00
4.	मेघालय	2000-2001	–
		2001-2002	47.00
		2002-2003	100.00
5.	उड़ीसा	2000-2001	192.00
		2001-2002	200.00
		2002-2003	400.00

1	2	3	4
6.	राजस्थान	2000-2001	–
		2001-2002	251.61
		2002-2003	119.37
7.	महाराष्ट्र	2000-2001	350.00
		2001-2002	200.00
		2002-2003	–
8.	त्रिपुरा	2000-2001	–
		2001-2002	62.06
		2002-2003	122.00
9.	पश्चिम बंगाल	2000-2001	–
		2001-2002	–
		2002-2003	53.63

शेयर बाजार में निवेश

717. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पूंजी बाजार को पुनर्जीवित करने की इच्छा जताई है, और वह यह चाहती है कि लोग बैंकों में धन जमा करने के बजाय इसे शेयर बाजार में लगाएं;

(ख) यदि हां, तो क्या नेशनल सिक्यूरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड और 'सेबी' शेयर बाजार में कार्यकलापों को बढ़ावा देने की इस नीति का अनुकरण निवेशक के पोर्टफोलियो को धारण करने के अनावश्यक व्यय में कमी के उद्देश्य से कर रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) सरकार ने गतिशील पूंजी बाजार की आवश्यकता पर बल दिया है।

(ख) और (ग) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (सेबी) तथा नेशनल सिक्यूरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) निरंतर प्रयास करते रहते हैं तथा निवेशकों के पोर्टफोलियों को धारण करने की लागत को न्यूनतम रखते हैं। यद्यपि निपेक्षागरों द्वारा प्रशुल्क प्रभार एक वाणिज्यिक मुद्दा है, सेबी ने एनएसडीएल को सलाह दी थी कि वे शुल्क व प्रभारों की संरचना की समीक्षा करें। एनएसडीएल ने मई, 2002 से प्रशुल्क संरचना संशोधित की है।

वर्ष 2002-2003 के दौरान एनएसडीएल ने अपने प्रभार दो बार कम किए हैं। फरवरी, 2002 में घोषित 15 प्रति डेबिट अनुदेश निपटान शुल्क पहली मई, 2002 से कम करके 10 रुपए कर दिया गया था। इसी प्रकार, फरवरी, 2002 में घोषित प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति पहचान संख्या के अंतर्गत धारित प्रतिभूतियों के लिए प्रतिमाह 0.75 रुपए का अभिरक्षा शुल्क 1 अक्तूबर, 2002 से घटाकर 0.50 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया था।

[हिन्दी]

भारतीय रुपये की स्थिति

718. श्री रतन लाल कटारिया: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत कुछ सप्ताहों में भारतीय रुपया मजबूत हुआ है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन महीनों में प्रत्येक महीने के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) रुपये के मूल्य में इस वृद्धि का देश के आयात और निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(घ) क्या देश को इसके आर्थिक रूप से लाभ हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) जबकि हाल ही में अमरीकी डालर की तुलना में रुपए के मूल्य में वृद्धि हई है तो यूरो, पाउण्ड स्टेर्लिंग और जापानी येन जैसी अन्य मुद्राओं की तुलना में उसमें गिरावट आयी। विगत तीन महीनों के दौरान प्रमुख मुद्राओं की तुलना में रुपए में हुई साप्ताहिक प्रवृत्ति का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) भारतीय निर्यात में रुपए के मूल्य में पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान 22.2 प्रतिशत की तुलना में अप्रैल-सितम्बर, 2003 के दौरान 4.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी। इस अवधि के दौरान अर्थात् अप्रैल-सितम्बर, 2003 में भारत का आयात वर्ष 2002 के 13.1 प्रतिशत की तुलना में 15.8 प्रतिशत बढ़ गया।

(घ) और (ङ) रुपए का सुदृढ़ीकरण अर्थव्यवस्था के सुधरे हुए संकेतक के रूप में प्रतिबिम्बित हुआ है।

विवरण

प्रमुख मुद्राओं के लिए भारतीय रुपए की समाप्त साप्ताहिक दरें

(रुपए प्रति विदेशी मुद्रा)

समाप्त सप्ताह	अमरीकी डालर	पाउण्ड स्टर्लिंग	यूरो	येन
सितम्बर, 03				
5	45.93	72.82	50.30	39.32
12	45.77	72.98	51.16	39.09
19	45.94	74.22	51.69	39.83
26	45.87	76.12	52.66	40.90
अक्तूबर, 03				
3	45.46	75.94	53.16	41.05
10	45.39	75.43	53.14	41.64
17	45.34	75.91	52.54	41.27
24	45.33	76.86	53.53	41.28
31	45.32	76.83	52.67	41.59
नवम्बर, 03				
7	45.29	75.51	51.70	41.11
14	45.35	76.62	53.43	41.92
21	45.89	78.04	54.59	42.10
28	45.94	78.79	54.77	42.03

[अनुवाद]

बौद्धिक सम्पदा की निगरानी सूची

719. श्री पवन कुमार बंसल: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राज्य अमरीका ने **बौद्धिक** सम्पदा पर जारी एक विशेष रिपोर्ट में अपनी प्राथमिकता निगरानी सूची में भारत को शामिल किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके **क्या** कारण **हैं** और भारत के लिए इसके क्या परिणाम होंगे; और

(ग) इस पर भारत की क्या प्रतिक्रिया है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) यू एस व्यापार अधिनियम 1974 (19 यू एस सी 2242) जिसे आम तौर पर ''स्पेशल 301'' के रूप में जाना जाता है, के प्रावधानों के अंतर्गत संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि (यू एस टी आर) के कार्यालय के लिए ऐसे देशों का पता लगाना आवश्यक है जो बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के पर्याप्त और प्रभावी संरक्षण के लिए अथवा संयुक्त राज्य में उचित और न्यायसंगत बाजार पहुंच के लिए मनाही करते हैं। संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि तदनुसार यह निर्धारित करते हैं कि क्या किसी देश को ''प्राथमिकता प्राप्त देश'' (पी एफ सी) अथवा ''प्राथमिकता निगरानी सूची'' (पी डब्ल्यू एल) अथवा ''निगरानी सूची'' (डब्ल्यू एल) के अधीन रखा जाना चाहिए। यू एस टी आर द्वारा जारी, 2003 के लिए वार्षिक विशेष 301 रिपोर्ट के अनुसार भारत को 10 अन्य देशों अर्थात् अर्जेंटीना, बामहास, ब्राजील, यूरोपीय संघ, इंडोनेशिया, लेबनान, फिलीपीन्स, पौलेंड, रूस और ताईवान के साथ प्राथमिकता निगरानी सूची (पी डब्ल्यू एल) में रखा गया है। भारत को 1995 से पी डब्ल्यू एल में शामिल किया गया है।

(ख) और (ग) यू एस टी आर के लिए ''प्राथमिकता वाले दूसरे देश'' के अंतर्गत सूचीबद्ध देशों के विरुद्ध ही कार्रवाई करना अनिवार्य है और वह भी संबंधित देशों की सरकारों के साथ परामर्श करने के पश्चात्। इस प्रकार वर्ष 2003 के लिए वार्षिक विशेष 301 रिपोर्ट के भारतीय उद्योग के लिए कोई तुरंत गंभीर निहितार्थ मालूम नहीं होते हैं।

करों का संग्रहण

720. श्री वाई.वी. राव:
श्री प्रकाश वी. पाटील:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्यक्ष कर संग्रहण ने अब तक प्रत्यक्ष कर संग्रहण द्वारा 8 प्रतिशत की तुलना में 20 प्रतिशत वृद्धि दर्शायी है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्यक्ष करों के कम संग्रहण के क्या कारण हैं;

(ग) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर के लिए कितना संग्रहण लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(घ) क्या इन लक्ष्यों को प्राप्त कर लिए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) 30.10.2003 की स्थिति के अनुसार पिछले वर्ष की समनुरूपी अवधि के संग्रहण की तुलना में प्रत्यक्ष करों ने 18.6% की वृद्धि दर्शाई है जबकि अप्रत्यक्ष करों के संबंध में 9.56% की वृद्धि हुई है।

(ख) प्रत्यक्षकरों के साथ अप्रत्यक्ष करों की वृद्धि की तुलना करना संभव नहीं है क्योंकि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का विस्तार विनिर्माण क्षेत्र तक ही सीमित है, सेवा कर विशिष्ट सेवाओं पर लगाया जाता है और सीमा शुल्क सामान के आयात से ही वसूल किया जाता है। दूसरी ओर प्रत्यक्ष करों के अंतर्गत सभी क्षेत्र आते हैं जो अप्रत्यक्ष करों के अंतर्गत आ भी सकते हैं अथवा नहीं भी आ सकते।

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान निम्नलिखित राशि का लक्ष्य निर्धारित किया गया है:

प्रत्यक्ष कर	95714 करोड़ रुपए
अप्रत्यक्ष कर	154861 करोड़ रुपए

(घ) और (ङ) प्रत्यक्ष करों के लक्ष्य प्राप्त कर लिए जाने की संभावना है। अप्रत्यक्ष करों के लिए लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

शराब की कंपनियों द्वारा टी.डी.एस.

721. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:
श्री सुन्दरलाल तिवारी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 9 सितम्बर, 2003 के ''दैनिक जागरण'' में ''शराब कम्पनियां आखिर क्यों दें टी.डी.एस. इनकी बात और है'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान वेतनभोगी वर्ग, शराब कम्पनियों और बड़े उद्योगों से अलग-अलग प्राप्त राजस्व का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा बड़े शराब उद्योगों से प्राप्त किए जाने वाले राजस्व को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और तत्संबंधी क्या परिणाम निकले?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) जी, हां।

(ख) वित्त अधिनियम, 2003 द्वारा धारा 206ग में संशोधन किया गया था ताकि भारत में निर्मित विदेशी शराब को इसके दायरे में लाया जा सके। स्रोत पर कर संग्रहण के उद्ग्रहण को अनिश्चित काल के लिए स्थगित नहीं किया गया था। 8 सितम्बर, 2003 को प्रख्यापित कराधान कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा धारा 206ग के प्रावधानों में कुछ परिवर्तन किए गए थे। और अब मानवीय उपभोग के लिए अल्कोहलयुक्त शराब के मामले में, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ भारत में निर्मित विदेशी शराब शामिल है, कर एकत्र किया जाना है।

(ग) वेतनभोगी वर्ग, शराब कम्पनियों तथा बड़े उद्योगों से प्राप्त राजस्व के ब्यौरे क्षेत्रवार अलग से नहीं रखे जाते हैं। सम्पूर्ण देश में फैले क्षेत्रीय कार्यालय से वांछित सूचना के संग्रहण और संकलन में पर्याप्त समय और प्रयास लगेगा, जो प्राप्त किए जाने वाले वांछित उद्देश्यों के अनुरूप नहीं होगा।

(घ) शराब उद्योग से राजस्व में वृद्धि करने के लिए धारा 206ग में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं:

(1) भारत में निर्मित विदेशी शराब को स्रोत पर कर संग्रहण के प्रावधानों के दायरे में लाया गया है; तथा

(2) अब अन्तिम स्तर जहां माल का क्रय व्यक्तिगत उपभोग के लिए किया जाता है, को छोड़कर बिक्री के प्रत्येक स्तर पर क्रेताओं के स्रोत पर कर संगृहीत किया जाएगा।

रेशम उद्योग में महिलाएं

722. कुंवर अखिलेश सिंह: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्तमान में रेशम उद्योग में महिलाएं कार्यरत हैं;

(ख) इसमें कामगारों का कुल प्रतिशत कितना है;

(ग) किस स्थान पर महिलाएं सर्वाधिक कार्यरत हैं;

(घ) क्या रेशम उद्योग में कार्यरत महिलाओं की दशा दयनीय है और उनको मिलने वाली चिकित्सा और अन्य सुविधाएं बंद कर दी गई हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इन महिला कामगारों की हाल सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): (क) से (ग) रेशम उद्योग में लगभग 21.85 लाख महिलाओं के रोजगाररत होने का अनुमान है जो रेशम उद्योग में कामगारों की कुल संख्या का लगभग 39% है। अधिकतर महिलाओं के कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और असम में कीटपालन और रीलिंग में रोजगाररत होने की सूचना है।

(घ) उद्योग में महिला कामगारों की कार्य की स्थितियां राज्य सरकार के श्रम कानूनों/नियमों तथा विनियमों द्वारा नियंत्रित होती हैं।

(ङ) और (च) रेशम रीलिंग के कार्य में लगी हुई महिलाएं परम्परागत और अप्रचलित उपस्करों पर कार्य करती हैं। उनकी कार्य-दशा और उनकी उत्पादकता में सुधार लाने के लिए केंद्रीय रेशम बोर्ड ने शहतूती रेशम के लिए मल्टी एंड रीलिंग मशीनों, गैर-शहतूती रेशम क्षेत्र के लिए मोटरीकृत-सह-पैडल से प्रचालित रीलिंग-सह-ट्विस्टिंग मशीनों और हाट एयर ड्रायरों जैसी कम लागत की रीलिंग प्रौद्योगिकियों का विकास किया है और उन्हें लोकप्रिय बनाया जा रहा है जिससे थकावट को कम करके उनकी कार्य दशा में सुधार होता है और धूम्र-रहित वातावरण, बना रहता है और पपूए की गंध भी कम हो जाती है।

[अनुवाद]

गेहूं का निर्यात

723. **श्री रूपचन्द मुर्मू:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पाकिस्तान को गेहूं का निर्यात किया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान पाकिस्तान को कितने गेहूं का निर्यात किया गया है; और

(ग) इससे कितनी विदेशी मुद्रा का अर्जन हुआ है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) पिछले 3 वर्षों के दौरान सरकारी खाते पर पाकिस्तान को गेहूं का कोई निर्यात नहीं किया गया था।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

फल और सब्जियों का निर्यात

724. **श्री किरीट सोमैया:**
श्री रामशेठ ठाकुर:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एयर इंडिया द्वारा शीत गृह प्रभार में हाल की अत्यधिक वृद्धि से मुम्बई और देश के अन्य भागों से फल और सब्जियों के निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ताजी सब्जी और फल निर्यातक संघ ने इसका कड़ा विरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा प्राप्त अभ्यावेदन का ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(च) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(छ) क्या "एपीडा" ने भी सरकार की प्रतिक्रिया का समर्थन किया है; और

(ज) यदि हां, तो मामले की वर्तमान स्थिति क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) और (ख) दिनांक 17 सितम्बर 2003 को छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सहार, मुम्बई में माडर्न पैरिशेबल कार्गो सेंटर के प्रचालन के पश्चात् एयर इंडिया द्वारा उद्गृहित 4/- रु. प्रति कि.ग्रा. के हैंडलिंग प्रभारों को कुछेक एयरलाइनों द्वारा निर्यातकों पर डाल दिया गया था। इसके विरोधस्वरूप ताजे फल एवं सब्जी निर्यातक संघ (वाफा) के सदस्यों द्वारा मुम्बई हवाई अड्डे से कुछ दिनों के लिए निर्यात बंद कर दिया गया था।

(ग) और (घ) जी, हां। ताजे फल एवं सब्जी निर्यातक संघ ने इस आशय का अभ्यावेदन दिया था कि एयरलाइनें वाणिज्यिक प्रबंधक एयर इंडिया द्वारा निर्यातकों को दिए गए इस आश्वासन के बावजूद कि टर्मिनल भण्डारण एवं प्रसंस्करण प्रभारों के रूप में उद्गृहित 0.65 रु. किग्रा के अलावा कोई अतिरिक्त प्रभार नहीं लगाया जाएगा, नए कार्गो सेंटर के प्रयोग करने के लिए देय अतिरिक्त प्रभार के लिए 4 रु. कि.ग्रा. का भुगतान न करने पर अपने माल को न उतारने के लिए निर्यातकों पर दबाव डाल रही हैं। इसके आलोक में, 4 रु. कि.ग्रा. के अतिरिक्त प्रभार को समाप्त कर दिया जाए।

(ङ) 4 रु. प्रति कि.ग्रा. का विवादास्पद प्रभार निर्यातकों पर लगाया जाने वाला प्रभार नहीं है, बल्कि यह प्रभार हैंडलिंग प्रभारों के रूप में एयर इंडिया द्वारा एयरलाइनों पर लगाया जाता है। एयरलाइनों और निर्यातकों के बीच संवाद के अंतर को समाप्त किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(च) एयरलाइनों के साथ लम्बे विचार-विमर्श के पश्चात् यह निर्णय किया गया था कि एयर इंडिया लागत में कमी लाने की दृष्टि से एयरलाइनों के साथ एक पृथक बैठक करेगा।

(छ) जी, हां।

(ज) वर्तमान में यह समस्या उन निर्यातकों के साथ प्रतीत होती है जो अपने कार्गो का प्रेषण उन एयरलाइनों के जरिए करते हैं जिनका संचालन एयर इंडिया द्वारा परंपरागत रूप से नहीं किया जाता है और इस समस्या का समाधान निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस मुद्दे पर एयर इंडिया के अधिकारी निर्यातकों के साथ विचार-विमर्श कर रहे हैं।

जाली नोटों की आमद

725. श्री प्रबोध पण्डा: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी में जाली नोटों की आमद जारी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऐसे कितने जाली नोट जब्त किए गए;

(ग) क्या से सभी जारी नोट 1000 और 500 रुपए मूल्य वर्ग के है;

(घ) क्या ऐसे जाली नोट विभिन्न बैंकों और कम्पनियों से प्राप्त हुए थे;

(ङ) यदि हां, तो इन बैंकों और कंपनियों का ब्यौरा क्या है;

(च) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कितने मामले दर्ज किए गए और कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया;

(छ) क्या ये नोट भारत में अथवा किसी अन्य देश में छापे गए हैं; और

(ज) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसे व्यापार को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली द्वारा पता लगाए गए जाली करेंसी नोटों का ब्यौरा इस प्रकार हैं-

(अप्रैल-मार्च)

	2000-01	2001-02	2002-03	अप्रैल 03 से अक्तूबर 03
अदद की संख्या	10064	20881	33360	10382
मूल्य रुपए में	30,81,340	15,08,490	65,91,430	63,52,330

(ग) जी, नहीं। अन्य कम मूल्यवर्ग के जाली नोटों का भी पता लगाया गया है।

(घ) से (च) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पता लगाए गए जाली नोटों में मुद्रा तिजोरी प्रेषणों से उनके काउंटरों और उनके अधिकतर क्षेत्र में आने वाली बैंक शाखाओं से प्राप्त जाली नोट भी शामिल हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक नई दिल्ली द्वारा पुलिस के पास दर्ज किए मामलों की संख्या इस प्रकार है:

वर्ष (अप्रैल-मार्च)	पुलिस के पास दर्ज किए गए मामलों की संख्या
2000-2001	4,811
2001-2002	13,590
2002-2003	32,195
अक्तूबर, 2003 तक	8,797

(छ) जाली मुद्रा स्थानीय जालसाजों द्वारा तथा विदेशी एजेंसियां, जो भारत में वायु, स्थल और समुद्र मार्गों के माध्यम से जाली भारतीय करेंसी नोटों का तस्करी व्यापार करते हैं, के द्वारा परिचालन में डाला जाता है।

(ज) इस संबंध में सुधारात्मक उपाय इस प्रकार हैं: जाली मुद्रा की तस्करी को रोकने के लिए सीमा सुरक्षा बल/सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा चौकसी बढ़ाना; एकमात्र नकली करेंसी नोटों की जांच करने के लिए ही केन्द्रीय जांच ब्यूरो में एक विशेष यूनिट की स्थापना करना; उच्च मूल्यवर्ग के नोटों में विशेष सुरक्षा लक्षणों को शामिल करना; जनहित के लिए भारतीय बैंक नोटों में उपलब्ध सुरक्षा पहचान के संबंध में प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया के जरिए सूचना प्रसारित करना। उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के अनुसार भारतीय बैंक नोटों में अतिरिक्त सुरक्षा लक्षणों को शामिल करने की सिफारिश की गई है, जिनसे नकली नोट बनाना बहुत ही कठिन हो जाएगा।

एडीबी और आईएफसी द्वारा भारतीय बाजार से निधियां जुटाना

726. **श्री विनय कुमार सोराके:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत एशियाई विकास बैंक और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम जैसे बहुआयामी निकायों को ऋण प्रतिभूतियों के माध्यम से भारतीय बाजार से निधियां जुटाने की अनुमति देने पर विचार कर रहा है;

(ख) क्या सरकार का प्रस्ताव इन निकायों के लिए इस प्रकार जुटाई गई निधियों का भारत के भीतर उपयोग करना अनिवार्य बनाने का है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) भारत सरकार ने एशियाई विकास बैंक (एडीबी), अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (आईबीआरडी) तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी) को ऋण प्रतिभूतियों के माध्यम से भारतीय बाजार से धन जुटाने के लिए अनुमति प्रदान कर दी है। इन संगठनों द्वारा जुटाई गई धनराशि को भारतीय बाजारों में उपयोग में लाया जाएगा। तथापि, उन्हें कुछ शर्तों के अधीन, विदेशी मुद्रा के विनिमय के लिए भी अनुमति दे दी गई है।

(ग) और (घ) रुपया बांड निर्गम के लिए कुछ शर्तें इस प्रकार से हैं: 10 वर्ष की न्यूनतम परिपक्वता अवधि, बांड पर अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किए गए बांडों के समतुल्य 20% जोखिम-भारिता की शर्त लागू होगी, निर्धारित शर्तों के अधीन कर की वसूली तथा अदायगी से छूट, प्रत्येक निर्गम के लिए विशिष्ट समाशोधन, निर्धारित वार्षिक अधिकतम सीमा के भीतर बांड की पुन: आवर्ति हेतु अनुमति, भारत में कार्यरत बाजार के सम पक्षों के साथ रुपया निधियों को विदेशी मुद्रा में विनिमय करने की अनुमति, निर्धारित शर्तों के अधीन बांड की आय के विनिमय की अनुमति, पृथक देशी ऋण पात्रता निर्धारण से छूट, एनएसई/बीएसई पर सूचीकरण।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति

727. **कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनी राम शांडिल्य:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विद्यमान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति की समीक्षा करने का निर्णय लिया है और उसका प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) पर नई नीति की घोषणा करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) नई नीति की कब तक घोषणा किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या नई नीति से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की परियोजनाओं को लागू करने में सामने आने वाली समस्याओं तथा कठिनाईयों का पर्याप्त रूप से समाधान हो जाएगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) से (ङ) सरकार ने एक उदार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति लागू की है तथा एक लघु नकारात्मक सूची को छोड़कर अधिकांश क्षेत्र स्वचालित मार्ग के अंतर्गत रखे गए है। विदेशी प्रत्यक्ष नीति की सतत् आधार पर समीक्षा की जाती है। समीक्षा करने वाले प्राधिकारी इक्विटी कैप, प्रवेश मार्ग तथा क्षेत्रीय मार्गनिर्देश सहित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के विभिन्न पहलुओं पर विचार करते हैं।

आंध्र प्रदेश को नाबार्ड ऋण

728. **श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) को आंध्र प्रदेश सरकार से ऋण के लिए कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) नाबार्ड द्वारा उन परियोजनाओं हेतु परियोजना-वार कितना ऋण प्रदान किया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) पिछले तीन वर्ष के दौरान राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) को आंध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के ब्यौरे और उन प्रस्तावों पर नाबार्ड द्वारा ग्रामीण आधारिक विकास निधि (आरआईडीएफ) के तहत मंजूर ऋण के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गये हैं।

विवरण

वर्ष 2000-01, 2001-02 एवं 2002-03 के दौरान नाबार्ड द्वारा ग्रामीण आधारिक विकास निधि (आरआईडीएफ) के अंतर्गत आंध्र प्रदेश को दी गई परियोजना-वार संस्वीकृति का ब्यौरा

(करोड़ रुपए में)

उद्देश्य	2000-01 (आरआईडीएफ-6)		2001-02 (आरआईडीएफ-7)		2002-03 (आरआईडीएफ-8)	
	परियोजनाओं की संख्या	संस्वीकृत राशि	परियोजनाओं की संख्या	संस्वीकृत राशि	परियोजनाओं की संख्या	संस्वीकृत राशि
बड़ी सिंचाई	1	15.48	–	–	–	–
मध्यम सिंचाई	2	91.36	–	–	1	21.31
लघु सिंचाई	24	33.06	1827	82.14	24	51.29
लिफ्ट सिंचाई	11	9.61	21	51.02	16	13.49
ग्रामीण जल आपूर्ति	8	45.11	528	195.98	7	79.34
सड़क	123	109.43	233	184.03	292	282.59
पुल	32	44.10	39	44.18	35	51.43
जल-विभाजक विकास	1234	123.94	–	–	–	–
मृदा एवं नमी संरक्षण	185	51.98	235	69.93	2716	371.81
संयुक्त वन प्रबंधन	689	39.00	–	–	565	14.29
जल-निकास	–	–	–	–	1	24.00
कुल	2309	563.07	2883	627.28	3647	909.55

चाय और काफी का भविष्य

729. **श्री प्रियरंजन दासमुंशी:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 2007 अर्थात् दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक काफी और चाय के निर्यात का भविष्य कैसा है;

(ख) क्या घरेलू उपभोग तथा भारत में चाय और काफी का खुला निर्यात करने के संबंध में डब्ल्यू टी ओ व्यवस्था की आवश्यकता का आकलन करने के पश्चात् मूल्यवर्धित वस्तुओं के निर्यात पर विचार किया जा सकता है;

(ग) क्या दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक चाय और काफी की घरेलू आवश्यकता पूरी होने के बाद निर्यात हेतु पर्याप्त अधिशेष रह सकता है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा मूल्यों और निर्यात लाभ के संबंध में चाय और काफी दोनों के उत्पादकों के हितों की रक्षा हेतु क्या रणनीति बनाई जा रही है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष अर्थात् 2006-07 के लिए काफी और चाय का निर्यात लक्ष्य क्रमश: 3.3 लाख टन और 270 मिलियन किग्रा. निर्धारित किया गया है।

(ख) भारत में चाय और काफी की घरेलू खपत और डब्ल्यू टी ओ की खुली आयात प्रणाली की अपेक्षा का मूल्यांकन करने के पश्चात् सरकार मूल्य वर्धित रूप में काफी और चाय के निर्यात पर जोर दे रही है। वस्तुत: भारत से इंसटेंट/धुलनशील काफी, विशिष्टायुक्त काफी और ग्राउण्ड एवं रोस्टेड काफी तथा उपभोक्ता पैकों चाय, चाय बैग, इंसटेंट चाय और फ्लेवर युक्त चाय का पहले से ही निर्यात किया जा रहा है।

(ग) जी, हां।

(घ) काफी और चाय बोर्ड अनेक विकासात्मक स्कीमें लागू कर रहे हैं जिनके अंतर्गत काफी और चाय क्षेत्रों को विभिन्न प्रकार की वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है।

मौजूदा कम कीमत की स्थिति के कारण भारतीय काफी/चाय उत्पादकों के सामने आ रही समस्याओं से चिंतित होकर भारत सरकार ने काफी/चाय क्षेत्र के लाभार्थ अनेक कदम उठाए हैं जिनमें चाय/काफी उत्पादकों द्वारा वाणिज्य बैंकों से लिए गए ऋणों का भुगतान संबंधी कार्यक्रम पुन: निर्धारित करने/पुनर्गठन करना, वित्तीय संस्थानों से लिए गए कार्यशील पूंजी ऋणों पर लघु काफी उत्पादकों को ब्याज में 5% की राहत और बड़े काफी उत्पादकों को 3% की राहत प्रदान करना, चाय और काफी की घरेलू खपत बढ़ाने के लिए अभियान चलाना और चाय, काफी, प्राकृतिक रबड़ और तम्बाकू के लघु उत्पादकों के लाभार्थ एक कीमत स्थिरीकरण निधि की स्थापना करना शामिल है। चाय के मामले में सरकार ने इस क्षेत्र के विकास, आधुनिकीकरण और पुनरुद्धार के लिए एक विशेष निधि की स्थापना भी की है। इसके अतिरिक्त सरकार ने चाय विपणन नियंत्रण आदेश, 2003 अधिसूचित किया है और चाय के लिए अधिक पारदर्शी कीमत प्राप्ति तंत्र की व्यवस्था हेतु नीलामी नियमों में परिवर्तनों से संबंधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

इसके अलावा, चाय और काफी का निर्यात बढ़ाने और निर्यात आय को अधिकतम बनाने के लिए, चाय और काफी बोर्ड निजी सलाहकारों के जरिए तैयार की गई मध्यावधि निर्यात नीतियां लागू कर रहे हैं। चाय और काफी के अधिक निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए इन वस्तुओं के निर्यातकों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किए जा रहे हैं। इस उद्देश्य के लिए बोर्ड प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी आयोजनों में भाग लेने के अलावा प्रमुख विदेशी बाजारों में संवर्धनात्मक अभियान भी चला रहे हैं।

लघु उद्योगों को बैंक ऋण

730. **श्री वीरेन्द्र कुमार:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में लघु उद्योग इकाइयों को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा कितना ऋण दिया गया; और

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान प्रत्येक बैंक द्वारा प्रत्येक इकाई से कितनी राशि वसूली की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) मार्च, 2001 को समाप्त पिछले तीन वर्षों के लिए (भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध अद्यतन आंकड़े) मध्य प्रदेश राज्य में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की बहियों में लघु औद्योगिक इकाइयों में नाम बकाया ऋण की कुल राशि निम्नानुसार हैं।

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	खातों की संख्या (लाख में)	बकाया राशि
मार्च, 1999	1183.25	1636.43
मार्च, 2000	1023.06	1832.98
मार्च, 2001	853.63	1708.79

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान प्रत्येक बैंक द्वारा लघु औद्योगिक इकाईयों से वसूल की गई राशि से संबंधित आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एकत्र नहीं किए जाते हैं।

[हिन्दी]

भारतीय रिजर्व बैंक की आय

731. **श्री तूफानी सरोज:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक की कुल आय में चालू वर्ष में गिरावट हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गिरावट के क्या कारण है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) जी हां, भारतीय रिजर्व बैंक की कुल

आय में पिछले वर्ष की तुलना में वित्तीय वर्ष 2002-03 (1 जुलाई से 30 जून तक) के दौरान गिरावट आई है:

ब्यौरा निम्नलिखित है:

(करोड़ रुपए में)

विवरण	2002-03	2001-02
कुल आय	23185.64	24690.34
निवल आय	15561.41	16866.39
कुल व्यय	6723.41	6542.39
निपटान योग्य निवल आय	8838.00	10324.00

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक के घरेलू स्रोतों से होने वाली आय में गिरावट घरेलू आस्तियों में गिरावट और निम्न ब्याज दर के कारण हुई थीं। विदेशी स्रोतों से होने वाली आय में गिरावट अंतर्राष्ट्रीय ब्याज दरों में गिरावट के कारण हुई थी।

[अनुवाद]

बैंकों को हुआ लाभ/घाटा

732. **श्री पी.डी. एलानगोवन:**
श्री अकबर अली खांदोकर:
श्री प्रकाश वी. पाटील:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के प्रत्येक बैंक को कितना लाभ/घाटा हुआ;

(ख) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के बहुत से बैंकों ने संकट की ओर इशारा किया है;

(ग) यदि हां, तो इन बैंकों की रुग्णता के लिए जिम्मेदार कारकों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान इन बैंकों के सरकारी प्रतिनिधित्व द्वारा कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है और इसे संभव बनाने हेतु क्या अन्य प्रशासनिक कदम उठाये गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के 27 बैंकों में से प्रत्येक बैंक द्वारा अर्जित निवल लाभ संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) इंडियन बैंक एवं देना बैंक को छोड़कर सरकारी क्षेत्र के अन्य सभी बैंकों ने गत तीन वर्षों के दौरान लाभ दर्ज किया था। इंडियन बैंक एवं देना बैंक के कार्य निष्पादन में भी वर्ष 2001-02 से आमूल परिवर्तन हुआ था क्योंकि उन्होंने निवल लाभ दर्ज किया है।

(ग) (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

(घ) इंडियन बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक/सरकार द्वारा अनुमोदित एक तीन वर्षीय पुनर्निर्धारण योजना (2002-2003) के तहत रखा गया था। बैंक ने पुनर्निर्धारण योजना के अंतर्गत प्राय: सभी लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्य किया तथा मार्च, 2002 से सुधार शुरू कर दिया। इसके अतिरिक्त, पुनर्निर्धारण योजना के भाग के रूप में बैंक को सरकार द्वारा 2070.00 करोड़ रुपये (मार्च 2002 में संस्वीकृत 1300.00 करोड़ रुपये तथा फरवरी, 2003 में 770.00 करोड़ रुपये) की सीमा तक पुनर्पूंजीकृत किया गया था।

विवरण

वर्ष 2000-2001, 2001-2002 एवं 2002-2003 के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों का निवल लाभ

(करोड़ रुपए में)

बैंक का नाम	2000-2001 निवल लाभ	2001-2002 निवल लाभ	2002-2003 निवल लाभ
1	2	3	4
इलाहाबाद बैंक	40	80	166
आंध्रा बैंक	121	202	403

1	2	3	4
बैंक आफ बड़ौदा	275	546	773
बैंक आफ इंडिया	252	509	851
बैंक आफ महाराष्ट्र	45	145	222
केनरा बैंक	285	741	1019
सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	46	163	306
कारपोरेशन बैंक	262	308	416
देना बैंक	-266	11	114
इंडियन बैंक	-274	33	189
इंडियन ओवरसीज बैंक	116	230	416
ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	203	321	457
पंजाब नेशनल बैंक	464	562	842
पंजाब एंड सिंध बैंक	13	23	4
सिंडिकेट बैंक	235	251	344
यूनियन बैंक आफ इंडिया	155	314	553
यूको बैंक	33	165	207
यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	19	119	305
विजया बैंक	71	131	197
कुल	2095	4856	7784
स्टेट बैंक समूह			
भारतीय स्टेट बैंक	1604	2432	3105
स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	105	165	203
स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	150	226	301
स्टेट बैंक आफ इंदौर	64	125	200
स्टेट बैंक आफ मैसूर	26	66	116
स्टेट बैंक आफ पटियाला	161	233	322
स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	14	82	93
स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	97	121	171
कुल	2222	3449	4340
कुल योग	4317	8305	12124

बी.आई.एफ.आर. द्वारा सुनवाई

733. श्री ए. वेंकटेश नायक: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बी.आई.एफ.आर. सभी महानगरों में अपनी सुनवाई आयोजित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो बी.आई.एफ.आर. ने इन शहरों में विशेषकर कोलकाता में किस तारीख से अपनी सुनवाई शुरू की है; और

(ग) बी.आई.एफ.आर. द्वारा सभी राज्यों की राजधानियों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में अपनी सुनवाई आयोजित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर. सभी महानगरों) और अहमदाबाद, बंगलौर, हैदराबाद, त्रिवेन्द्रम आदि जैसे कुछ अन्य प्रमुख शहरों में अपनी सुनवाइयां आयोजित कर रहा है।

(ख) वर्ष 1988 से औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड अपनी सुनवाइयां राज्यों की राजधानियों में करता रहा है। कोलकाता में सुनवाई सर्वप्रथम 14 से 18 नवम्बर, 1988 तक आयोजित की गई थी।

(ग) राज्यों की राजधानियों और संघ राज्य क्षेत्रों में सुनवाइयां कार्यभार, संबंधित राज्य सरकारों के अनुरोधों, प्रशासनिक सुविधा और लम्बी दूरी की यात्रा करने में पार्टियों को होने वाले कठिनाई के आधार पर आयोजित की जाती हैं।

भारतीय जीवन बीमा निगम के वित्तीय परिणाम

734. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम ने वर्ष 2002-2003 के लिए वित्तीय परिणामों की घोषणा कर दी है;

(ख) यदि हां, तो एलआईसी द्वारा कितना अधिशेष दर्ज किया गया और पालिसीधारकों के लिए कितना बोनस घोषित किया गया और सरकार को कितना लाभांश जारी किया गया;

(ग) क्या एलआईसी द्वारा अपने पालिसी धारकों के लिए घोषित किया गया बोनस पूर्व वर्ष के दौरान घोषित बोनस से थोड़ा सा कम है; और

(घ) यदि हां, तो विशेषकर तब जबकि वित्तीय परिणाम पूर्व वर्ष के मुकाबले बेहतर दर्शाये गए हैं, इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा वर्ष 2002-2003 के लिए घोषित कुल अधिशेष राशि 9,767.11 करोड़ रुपए है। इसमें से बोनस के रूप में पालिसीधारकों को 9273.81 करोड़ रुपए और भारत सरकार को अधिशेष भाग के रूप में 488.10 करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई है। 5.20 करोड़ रुपए की राशि अविनियोजित अधिशेष के रूप में अग्रेनीत की गई है।

(ग) जी, हां।

(घ) हालांकि कुल अधिशेष आय में वृद्धि हुई है, फिर भी, ब्याज दरों में गिरावट आने के कारण जीवन निधि पर होने वाली अधिप्राप्ति में कटौती हुई है। इसलिए, जीवन बीमा निगम द्वारा वर्ष 2002-2003 के लिए बोनस दलों को कम किया गया था क्योंकि पिछले वर्ष की अपेक्षा इसे अधिक पालिसीधारकों में वितरित किया जाना था।

उच्चतम न्यायालय के निर्देश

735. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन: क्या **विधि और न्याय मंत्री** 22 अगस्त, 2003 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3991 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जानकारी एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसे सभा पटल पर कब रखे जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.सी. थामस): (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही तुरंत सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग (डीएफआईडी) की सहायता

736. श्री अनन्त नायक: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग (डीएफआईडी) से निधि ऋण सहायता प्राप्त कर रहे हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य को कितनी ऋण सहायता प्राप्त हुई;

(ग) उन राज्यों द्वारा किस प्रयोजनार्थ डीएफआईडी निधि/सहायता प्राप्त की गई; और

(घ) उन राज्यों द्वारा कितनी निधि का उपयोग किया गया?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) से (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान यूनाइटेड किंगडम की सरकार के अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग द्वारा प्रदत्त सहायता प्राप्त करने वाले राज्य हैं–आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, राजस्थान और पश्चिम बंगाल। पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इन राज्यों द्वारा प्राप्त तथा प्रयुक्त सहायता नीचे दी गई है:-

(करोड़ रुपए)

राज्य का नाम	2000-2001	2001-2002	2002-2003
आंध्र प्रदेश	76.03	503.78	169.17
हिमाचल प्रदेश	1.52	2.36	0.00
कर्नाटक	0.00	0.00	6.31
केरल	11.78	20.04	0.00
उड़ीसा	2.80	15.51	263.67
राजस्थान	32.52	55.17	69.38
पश्चिम बंगाल	33.35	46.77	58.34

उपरोक्त सहायता इन राज्यों द्वारा मुख्यतया शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पर्यावरण एवं वन, ग्रामीण विकास, शहरी गरीबी, ऊर्जा दक्षता एवं आर्थिक सुधारों से संबंधित विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए प्राप्त तथा प्रयुक्त की गई थी।

सिडबी और ओरियंटल बैंक आफ कामर्स के बीच समझौता ज्ञापन

737. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने ओरियंटल बैंक आफ कामर्स के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो किए गए समझौता ज्ञापन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने 10वीं योजना अवधि के दौरान लघु उद्योगों के लिए आवधिक ऋण की आवश्यकता का अनुमान लगाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा 10वीं योजना अवधि के दौरान लघु उद्योगों के लिये आवधिक ऋण हेतु आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए क्या व्यवस्था की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (एसआईडीबीआई) एवं ओरियंटल बैंक आफ कामर्स (ओबीसी) द्वारा 16 सितम्बर, 2003 को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:-

(1) ओबीसी एवं एसआईडीबीआई दोनों एसएसआई/एसएमई, सेवाक्षेत्र एवं अवसंरचना के लिए संयुक्त रूप से वित्तपोषित की जाने वाली लाभदायक परियोजनाओं को पहचानेंगे।

(2) सामान्यतया 50 लाख रुपये एवं इससे अधिक की परियोजना लागत वाली इकाईयों पर संयुक्त वित्तपोषण के लिए विचार किया जा सकता है। मीयादी ऋण 50:50 के आधार पर दो उधारदाताओं में बांटा जाएगा तथा ओबीसी इकाईयों की पूर्ण आवश्यकता आधारित कार्यशील पूंजी अपेक्षाओं को पूरा करेगी।

(3) एसआईडीबीआई एवं ओबीसी का मीयादी ऋण से सृजित सभी प्रतिभूतियों एवं सावधि ऋण के लिए प्राप्त अन्य किसी प्रतिभूति पर समरूप प्रभार होगा।

(ग) और (घ) योजना आयोग द्वारा गठित लघु उद्योग (एसएसआई), संबंधी कार्यदल ने इस धारणा पर कि विद्यमान नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, दसवीं योजना अवधि के दौरान दीर्घावधि ऋण के लिए 63,357 करोड़ रुपये तक की निधियों की आवश्यकता का अनुमान लगाया है।

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि लघु उद्योग क्षेत्र की दीर्घावधि एवं अल्पावधि दोनों ऋणों की आवश्यकताएं पर्याप्त रूप से पूरी हों, सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित नीतिगत पहलें की गई हैं:-

(1) कार्यशील पूंजी ऋण (वार्षिक अनुमानित कुल लेनदेन के न्यूनतम 20% आधार पर परिकलित) को 4 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये करना;

(2) समिश्र ऋण सीमा 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये करना;

(3) राष्ट्रीय ईक्विटी निधि (एनईएफ) योजना के तहत परियोजना लागत सीमा 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये करना;

(4) पिछला अच्छा कार्य निष्पादन रिकार्ड रखने वाली इकाईयों को 25 लाख रुपये तक का समर्थक बढ़ाकर 50 लाख रुपये कराना;

(5) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा लघु उद्योग इकाईयों के लिए अपनी मूल उधार दर (पीएलआर) से 2% ऊपर एवं नीचे की ब्याज दर सीमा अपनाना तथा बैंकों को यह सलाह दी गई है कि वे पिछले वर्ष की उपलब्धि एवं निवल बैंक ऋण की वृद्धि में समग्र प्रवृत्तियों की तुलना में लघु उद्योग क्षेत्र को अग्रिमों में वृद्धि के लिए स्व नियत लक्ष्य निर्धारित करें।

[हिन्दी]

क्रेडिट कार्ड

738. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि कतिपय गैर-सरकारी बैंक और क्रेडिट कार्ड कंपनियां आवासीय पते और अन्य पहचान प्रमाणों की जांच किए बिना ही क्रेडिट कार्ड जारी कर रही हैं और उसका आतंकवादी गतिविधियों में दुरुपयोग किया रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में गैर-सरकारी बैंकों तथा क्रेडिट कार्ड कंपनियों को कोई निर्देश जारी किए है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

निर्यातकों के समक्ष चुनौतियां

739. श्री रामशेठ ठाकुर:
श्री अम्बरीश:
श्री वी. वेत्रिसेलवन:
श्री अशोक ना. मोहोल:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय निर्यातकों को विश्व बाजार में बहुत चुनौतियों और कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या 2007 तक विश्व व्यापार में एक प्रतिशत की हिस्सेदारी प्राप्त करने का उद्देश्य कठिन हो गया है;

(ग) यदि हां, तो हमारे निर्यातकों के समक्ष प्रमुख चुनौतियां क्या हैं;

(घ) विश्व बाजार में हमारे निर्यातकों को और प्रतिस्पर्धा बनाने हेतु आयात-निर्यात नीति में पहले से विनिर्दिष्ट प्रोत्साहनों के अतिरिक्त उन्हें दिए जाने वाले प्रस्तावित प्रोत्साहनों/सहायताओं का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को इस संबंध में भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ से भी कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(च) यदि हां, तो उसमें दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(छ) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) से (घ) 1 अप्रैल, 2002 से 31 मार्च, 2007 की अवधि के लिए निर्यात एवं आयात नीति के प्रमुख उद्देश्यों में से एक उद्देश्य विश्व पण्य वस्तु व्यापार का कम से कम 1% हिस्सा प्राप्त करने के लिए निर्यात में सतत् वृद्धि को सुकर बनाना है। यह अनुमान लगाया गया है कि इस नीति की अवधि के अंत तक इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत के निर्यातों में प्रत्येक वर्ष डालर के रूप में न्यूनतम 12% की वृद्धि प्राप्त करनी होगी। वर्ष 2002-03 के दौरान निर्यातों में 20.3% की वृद्धि दर्ज की गयी थी। अनंतिम अनुमानों के अनुसार इस विस्तारित आधार में निर्यातों में वृद्धि दर अप्रैल-अक्तूबर, 2003 अवधि के दौरान पूर्ववर्ती वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 8.44% रही है। भारत से सतत् आधार पर निर्यातों में उच्च वृद्धि दर प्राप्त करना निश्चित रूप से एक चुनौती है जिसके लिए सरकार एक्जिम नीति में अनेक पहलें एवं सुविधाकारी उपाय कर रही है। इस प्रकार की पहलों की पूर्ति विभिन्न अन्य उपायों जैसे बजटीय प्रक्रिया द्वारा वित्तीय व्यवस्था के जरिए की जाती है।

(ङ) से (छ) एक्जिम नीति एवं प्रक्रियाओं को अंतिम रूप प्रदान करते समय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने फिओ समेत

विभिन्न व्यापार निकायों के जरिए भारतीय निर्यातकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया है। इस प्रकार के विचार-विमर्श के दौरान अथवा अन्यथा प्राप्त सुझावों पर पांच वर्षीय एक्जिम नीति के व्यापक ढांचे के भीतर वार्षिक एक्जिम नीतियां बनाते समय उचित विचार किया जाता है।

[अनुवाद]

उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि

740. **श्री अधीर चौधरी:**
श्री अजय चक्रवर्ती:
श्री नरेश पुगलिया:
श्रीमती श्यामा सिंह:
श्री के.पी. सिंह देव:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या में वृद्धि करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी उच्च न्यायालय-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उन न्यायाधीशों की नियुक्ति के पश्चात् कुल कितना प्रशासनिक खर्च होने की संभावना है; और

(घ) विभिन्न उच्च न्यायालयों में लम्बित मामलों का बैकलाग समाप्त करने पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.सी. थामस): (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) व्यय की पूर्ति संबंधित राज्य सरकारों द्वारा, जहां उच्च न्यायालय स्थित है, की जानी है। इस प्रकार, संघ सरकार द्वारा व्यय में वृद्धि के बारे में कोई ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं।

(घ) उच्च न्यायालयों में अतिरिक्त पद सृजित किए जाने का प्रस्ताव इस बात को ध्यान में रखकर किया गया है कि 31.12.2002 को दो वर्षों से अधिक समय से लंबित मुख्य मामलों को आगामी तीन वर्षों के भीतर निपटा दिया जाएगा।

विवरण

क्र.सं.	उच्च न्यायालय	न्यायाधीश पद-संख्या में प्रस्तावित वृद्धि
1.	कलकत्ता	13
2.	छत्तीसगढ़	02
3.	दिल्ली	03
4.	गुवाहाटी	08
5.	हिमाचल प्रदेश	01
6.	केरल	11
7.	मध्य प्रदेश	13
8.	मद्रास	05
9.	उड़ीसा	11
10.	पटना	12
11.	पंजाब और हरियाणा	13
12.	उत्तरांचल	02
	योग	94

बाहर के चैकों का समाशोधन

741. **श्री ए. ब्रह्मनैया:**
श्री मोइनुल हसन:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बाहर के चैकों के समाशोधन और संबंधित खातों में जमा होने में न्यूनतम 15 दिन लगते हैं और बैंक इसके लिए कमीशन तथा डाक प्रभार भी वसूल करते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आंध्र प्रदेश जैसे दूरवर्ती स्थानों तथा दिल्ली के बीच जमा चैक के समाशोधन करने में बैंकों द्वारा 15 दिन की अनिवार्यता के क्या कारण है; और

(ग) सरकार द्वारा मद सुनिश्चित करने के लिए कि शहर के चैकों में इतना लम्बा समय न लगे, बैंकों में इलेक्ट्रानिक ट्रांसेक्शन प्रणाली शुरू करने हेतु क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया

है कि एमआईसीआर चैक समाशोधन प्रणाली वाले चार महानगरों के बीच स्थानीय/बाहरी चैकों को प्राप्त करने की समय सीमा के संबंध में बैंकों को जारी मार्गनिर्देशों के अनुसार, सप्ताह के किसी भी दिन आहरित चैक अगले सप्ताह के उसी दिन तक अवश्य जमा हो जाने चाहिए उदाहरणार्थ सोमवार से अगले सोमवार तक। इसके अतिरिक्त, 100 बैंक कार्यालयों से अधिक वाली राज्यों की राजधानियों और अन्य केन्द्रों के संबंध में ग्राहकों के खाते में 10 दिन के भीतर जमा हो जाना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी सूचित किया है कि बैंक इसके लिए कमीशन और डाक प्रभार लेने के संबंध में स्वतंत्र है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वर्ष 1996 में शुरू की गई इलैक्ट्रानिक निधि अंतरण (ईएफटी) प्रणाली और अप्रैल 2003 में शुरू की गई विशेष ईएफटी प्रणाली से प्रेषण हेतु समय घटकर एक दिन हो गया है।

राष्ट्रीय वेतन नीति

742. **डा. मन्दा जगन्नाथ:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल में केन्द्र सरकार से प्रत्येक वर्ष कर्मचारियों के वेतन और अन्य स्थापना संबंधी बढ़ते व्यय को सीमित करने के उद्देश्य से सभी राज्यों में सरकारी कर्मचारियों हेतु समान वेतन ढांचा के लिए राष्ट्रीय वेतन नीति तैयार करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या ग्यारहवें वित्त आयोग ने इस संबंध में सुझाव दिए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी, हां। अध्याय 3, पैरा 3.57(क) (6) में ग्यारहवें वित्त आयोग ने यह विचार व्यक्त किया कि "आवधिक वेतन पुनरीक्षण से उत्पन्न केन्द्रीय और राज्यों के बजटों को झटकों से बचाने के लिए यह वांछनीय है कि पूरे देश में सरकारी कर्मचारियों के वेतन और परिलब्धियों की एक राष्ट्रीय नीति बनाई जाए.....।"

(ङ) सरकार ने सुझावों को नोट कर लिया है।

औद्योगिक अवसंरचना (समूह) उन्नयन योजना

743. **श्री श्रीप्रकाश जायसवाल:**
श्री सुकदेव पासवान:
श्री मंजय लाल:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान औद्योगिक अवसंरचना (समूह) उन्नयन योजना (आईआईयूएस) के क्रियान्वयन की योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश में ऐसे समूहों हेतु स्थान की पहचान की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार बिहार के अटरिया और समस्तीपुर जैसे कुछ और जिलों में औद्योगिक समूह स्थापित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा घरेलू उद्योग को वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक बनाने को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी, हां। सरकार ने एक नयी योजना स्कीम अर्थात् औद्योगिक अवसंरचना (समूह) उन्नयन योजना (आईआईयूएस) का अनुमोदन किया है जिसे दसवीं पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वित किया जाना है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। उक्त योजना के तहत विकास के लिए हाथ में लिए जाने वाले समूहों के स्थापना-स्थलों की पहचान नहीं की गयी है। अन्तर-मंत्रालयीय शीर्ष समिति द्वारा विकास के लिए स्थापना-स्थलों को योजना अधिसूचित किये जाने के बाद ही अभिज्ञात और अनुमोदित किया जायेगा।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। भारत सरकार के पास बिहार के अटरिया और समस्तीपुर जैसे जिलों में नये औद्योगिक समूहों की

स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। यथा अनुमोदित औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना (आईआईयूएस) के अधीन ऐसे मौजूदा औद्योगिक स्थापना-स्थलों की औद्योगिक अवंसरचना को उन्नत बनाने का प्रस्ताव है जिनका तुलनात्मक लाभ है और जिनमें विकास की संभावना है जिससे भारतीय उद्योगों की प्रतिस्पर्धा क्षमता में वृद्धि हो सके।

(च) सरकार ने स्वदेशी उद्योग को विश्वव्यापी रूप से प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए अनेक नीतिगत उपाय किये हैं। उन उपायों का उद्देश्य सामान्यत: भारतीय उद्योग प्रतिस्पर्धा क्षमता में सुधार करना और औद्योगिक क्षेत्र में निवेश को बढ़ाना है। सरकार द्वारा किये गये उपायों में ये शामिल हैं:- औद्योगिक अवसंरचना आधार में सुधार, विनिर्माणकारी प्रौद्योगिकी का उन्नयन, सीमेंट, लुगदी तथा कागज और विद्युत वस्तुओं सहित इंजीनियरिंग वस्तुओं से संबंधित उद्योगों में दीर्घकालिक सतत् विकास को सुनिश्चित करने के लिए रणनीतियां बनाने हेतु इन उद्योगों पर औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा किये गये क्षेत्रीय अध्ययन, प्रमुख क्षेत्रों में निर्यात के लिए उत्पादन बढ़ाने हेतु क्षेत्रवार रणनीतियां, लघु उद्योग सूची से 75 मदों का अनारक्षण, उत्पाद शुल्क को त्रिस्तरीय तक लाकर युक्तिसंगत बनाना, सीमा शुल्क में कमी, पूंजीगत वस्तुओं का 25 प्रतिशत के स्थान पर 5 प्रतिशत आयात, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) अन्तर्वाहों को प्रोत्साहित करना, स्टाक मार्केट के प्रति दृष्टिकोण में सुधार करना, निर्यात को अधिकतम करने के लिए प्रोत्साहन देना, ब्याज दरों को कम करके तरलता बढ़ाने और विद्युत क्षेत्र में व्यापक सुधार करने में सुविधा के लिए विद्युत विधेयक, 2003 को लागू करना आदि।

[हिन्दी]

सकल घरेलू उत्पाद

744. श्री जी.एस. बसवराज:
प्रो. ए.के. प्रेमाजम:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1991 से 2002 की अवधि के लिए देश के सकल घरेलू उत्पाद का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान 1980 के दशक में प्राप्त वृद्धि दर की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद व वृद्धि दर में गिरावट आयी हैं;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1981 से 1990 की अवधि में सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का तुलनात्मक आंकड़ा क्या है;

(घ) क्या सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर में गिरावट आर्थिक सुधार नीति की विफलता को दर्शा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार वर्तमान आर्थिक नीतियों की समीक्षा सहित व्यापक उपायों पर विचार कर रही हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) वर्ष 1990-01 से 2002-03 तक की अवधि के लिए स्थिर मूल्यों पर उपादान लागत पर सकल घरेलू उत्पाद की वर्ष-वार दर निम्नलिखित है:-

वर्ष	उपदान लागत पर (समग्र) (स्थिर मूल्यों पर) सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि प्रतिशत
1990-91	5.6
1991-92	1.3
1992-93	5.1
1993-94	5.9
1994-95	7.3
1995-96	7.3
1996-97	7.8
1997-98	4.8
1998-99	6.5
1999-2000	6.1
2000-01 (अ.)	4.4
2001-02 (त्व.)	5.6
2002-03 (सं.)	4.3

(ख) वर्ष 1992-93 से 2002-03 की अवधि के लिए औसत वृद्धि दरें आर्थिक सुधार उपाय किए जाने के पश्चात् वर्ष 1980-81 से 1989-90 की अवधि की 5.8 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर की तुलना में 5.9 प्रतिशत हैं।

(ग) वर्ष 1980-81 से 1989-90 तक की अवधि के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दरें उपादान लागत पर स्थिर मूल्यों पर निम्नलिखित हैं-

वर्ष	उपदान लागत पर (समग्र) (स्थिर मूल्यों पर) सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि प्रतिशत
1980-81	7.2
1981-82	6.0
1982-83	3.1
1983-84	7.7
1984-85	4.3
1985-86	4.5
1986-87	4.3
1987-88	3.8
1988-89	10.5
1989-90	6.7

(घ) से (च) वर्ष 1991 से सरकार ने व्यापार, उद्योग, वित्तीय क्षेत्र इत्यादि में इनकी क्षमता बढ़ाने, भारतीय उद्योगों की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा और समग्र विकास प्रक्रिया को गतिमान बनाए रखने के लिए आर्थिक सुधार जारी रखा है। आर्थिक सुधार एक सतत प्रक्रिया है। वर्ष 2003-04 के लिए केन्द्रीय बजट में निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से जनता के पास राशि को बढ़ाकर आधारभूत विकास करना, निजी निवेश को प्रोत्साहित करना और राजकोषीय समेकन के उद्देश्य जैसी बहुत सी पहलें प्रस्तावित की गई हैं। इन पहलों का अर्थव्यवस्था के विकास पर सकारात्मक प्रभाव होने की आशा है।

स्वर्ण पर हालमार्क

745. **श्री चन्द्रनाथ सिंह:**
श्रीमती निवेदिता माने:
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वर्ण की शुद्धता सुनिश्चित करने हेतु हालमार्क प्रणाली के क्रियान्वयन के उद्देश्य से गठित समिति ने सरकार को अपनी सिफारिशें सौंप दी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो उपर्युक्त समिति द्वारा सरकार को कब तक अपनी रिपोर्ट सौंपे जाने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है। समिति की दो बैठकें 22 सितम्बर, 2003 तथा हाल ही में 28 नवम्बर, 2003 को आयोजित की जा चुकी हैं।

[अनुवाद]

अशोध्य ऋण

746. **श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह:**
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उन मामलों का ब्यौरा क्या है जिनमें ऋण वसूली न्यायाधिकरण द्वारा आईडीबीआई और आईएफसीआई जैसे बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा दी गयी प्रति गारंटी को पूरा करने तथा केन्द्र/राज्य सरकारों द्वारा बकाया ऋणों को लौटाने में विफल रहने पर सरकारी संपत्ति की कुर्की का आदेश दिया गया; और

(ख) इन मामलों की वर्तमान स्थिति क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कालीन उद्योग

747. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की भारतीय कालीन उत्पादों के लिए आवश्यक डिजाइन प्रौद्योगिकी और अन्य बुनियादी सहायता देने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी योजनाओं के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए निजी कालीन उत्पादक इकाइयां किस प्रकार आवेदन कर सकती हैं;

(घ) क्या संबद्ध एजेंसियों दक्षिणी राज्यों में कालीन उत्पादकों को सहायता देने के विषय में उत्साहित नहीं है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) जी, हां। सरकार कालीन बुनकरों सहित देश में शिल्पकारों की सहायता के लिए विभिन्न योजनाएं लागू करती है। इन योजनाओं में शामिल हैं: डिजाइन और प्रौद्योगिकी उन्नयन, प्रशिक्षण एवं विस्तार, अनुसंधान एवं विकास और हाल ही में चालू की गई ''बाबा साहेब अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना'' (एएचवीवाई) जिसका उद्देश्य प्रभावी सदस्य भागीदारी एवं पारस्परिक सहयोग के सिद्धांतों पर चुनिन्दा कारीगर समूहों को व्यावसायिक रूप से व्यवस्थित और आत्मनिर्भर उद्यमियों के रूप में विकसित करते हुए कारीगर समूह का सतत् विकास करना है।

इसके अतिरिक्त भदोही में एक भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान की भी स्थापना की गई है ताकि कालीन उद्योग को मानव संसाधन विकास, अनुसंधान एवं विकास तथा सामान्य सुविधा केन्द्र की सेवाएं मुहैया कराई जा सके। यूएनडीपी से सहायता प्राप्त कालीन परियोजना के अंतर्गत विभिन्न अभिकरणों को, नए डिजाइनों का विकास करने, औजारों, करघे एवं उपस्करों का विकास, प्राकृतिक रंजकों का संवर्धन, आईआईसीटी, भदोही के सुदृढ़ीकरण के लिए तथा कालीन निर्यात संवर्धन परिषद (सीईपीसी) नई दिल्ली द्वारा घरेलू/अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में भागीदारी के लिए सहायता मुहैया कराई गई है।

(ग) केन्द्रीय राज्य हस्तशिल्प निगमों, कोहैण्डस, शीर्ष समितियों, समिति अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत गैर-सरकारी संगठनों, किसी अन्य सांविधिक अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत ट्रस्ट एवं अन्य संगठनों को योजना के मार्गदर्शकों के अनुसार वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाती है।

(घ) और (ङ) कालीन निर्यात संवर्धन परिषद (सीईपीसी) एवं भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान, भदोही (आईआईसीटी) दक्षिण क्षेत्र सहित देश में कालीन उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करते है।

भारत-बांग्लादेश व्यापार संबंध का विस्तार

748. श्री परसुराम माझी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत-बांग्लादेश व्यापार संबंध किन क्षेत्रों में स्थापित हुए हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार भारत-बांग्लादेश व्यापार संबंध का विस्तार करने का है;

(ग) यदि हां, तो इसके किन नए क्षेत्रों की पहचान की गयी है; और

(घ) भारत-बांग्ला व्यापार को बढ़ाने के लिए दोनों देशों के बीच किये गये व्यापार समझौतों का ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) से (घ) बंगलादेश सहित सभी देशों के साथ व्यापार और वाणिज्य का विकास करना सरकार की नीति है। इस आशय के साथ सीमा शुल्क प्रक्रियाओं में सहयोग के उपाय, बुनियादी संरचना सुविधाओं में सुधार और संयुक्त उद्यमों के संवर्धन तथा यातायात और व्यापार के सुचारू प्रवाह के लिए अन्य संबंधित मुद्दों पर उच्च स्तरीय द्विपक्षीय परामर्शों के दौरान समय-समय पर विचार किया जाता है और समीक्षा की जाती है।

भारत और बंगलादेश के बीच दिनांक 4.10.1980 को तीन वर्ष की अवधि के लिए एक द्विपक्षीय व्यापार करार पर हस्ताक्षर किए गए थे जिसमें परस्पर सहमति द्वारा इसे तीन वर्ष के लिए बढ़ाने का प्रावधान है बशर्ते ऐसे संशोधनों पर सहमति हो जाएं। यह करार इस समय 3 दिसम्बर 2003 तक वैध है। 4 दिसम्बर 2003 के बाद 3 जून, 2004 तक इसका समय बढ़ाने से संबंधित मामला बंगलादेश की सरकार के साथ उठाया जा रहा है। इस करार में व्यापार और आर्थिक सहयोग का विस्तार करने, जलमार्गों, रेलमार्गों और सड़कमार्गों के प्रयोग के लिए आपस में लाभदायक व्यवस्था करने, दूसरे देश के सीमा क्षेत्र के जरिए एक देश में दो स्थानों के बीच माल के आवागमन मार्ग, व्यवसाय और व्यापार शिष्टमंडलों को बुलाने और भेजने तथा वर्ष में न्यूनतम एक बार करार की कार्य प्रणाली की समीक्षा करने के लिए विचार-विमर्श करने का प्रावधान है।

एशियन बांड फंड

749. श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या थाई प्रधान मंत्री की पहल पर एक एशियन बांड फंड का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके प्रमुख उद्देश्य क्या हैं;

(ग) इस फंड में भारतीय योगदान कितना है; और

(घ) इस महाद्वीप के विकास के लिए क्या योजनाएं बनाई गई हैं और सदस्य देशों के आपसी लाभ के लिए इस फंड के संचालन की जिम्मेदारी किस एजेंसी को सौंपी गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) से (घ) एशिया में एशियाई बांड बाजारों के विकास के लिए एक अभियान चला हुआ है। यदि एशिया की सरकारी प्रारक्षित निधियों का एशियाई परिसंपत्तियों में निवेश किया जा सके तो यह एशिया में निवेश व विकास के वित्तपोषण में सहायता करेगा और एशियाई बांड बाजार के विकास को भी सुकर बनाएगा। एशियाई सहोयग वार्ता के सदस्यों के भागीदारी से एशियाई बांड निधि के सृजन के प्रस्ताव को अभी मूर्त रूप लेना है।

विकास और सुधार सुविधा कार्यक्रम

750. **श्री इकबाल अहमद सरडगी:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2002-03 के लिए बजट में विकास और सुधार सुविधा कार्यक्रम की घोषणा की गई थी ताकि राज्यों द्वारा ऐसे सुधार किए जाएं जिससे विकास हो;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने पूरे देश में 132 ऐसे जिलों की पहचान की है जिन्हें केन्द्र द्वारा धनराशि उपलब्ध करायी जाएगी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए हैं;

(घ) राज्यों द्वारा अब तक राज्य-वार कुल कितनी राशि जारी की गई है; और

(ङ) इन पिछड़े क्षेत्रों में अब तक क्रियान्वित की गई योजनाओं की संख्या कितनी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) वर्ष 2002-03 के दौरान, 25 जिलों के संबंध में जिला योजनाओं को अनुमोदित किया गया था। तथापि, इन जिलों के लिए निधियों को जारी नहीं किया जा सका, क्योंकि इस स्कीम की रूपरेखा को सरकार द्वारा वर्ष 2003-04 के दौरान अनुमोदित किया गया है। तदन्तर, 25 जिलों में प्रत्येक के लिए 7.50 करोड़ रुपए की पहली किस्त (वार्षिक आबंटन का 50 प्रतिशत) को सितम्बर, 2003 में जारी किया गया है। 25 जिलों के अतिरिक्त, चालू वर्ष के दौरान, इस स्कीम के अंतर्गत वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 16 जिलों सहित 41 और जिलों को शामिल किया जा रहा है। अगले वर्ष से शेष जिलों को इस स्कीम के अंतर्गत शामिल किया जाएगा।

(घ) ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

(ङ) इस स्कीम के अंतर्गत राज्यों को निधियां केवल सितम्बर, 2003 माह में उपलब्ध कराई गई हैं।

विवरण

प्रायोगिक चरण में शामिल 25 जिलों को जारी विशेष केन्द्रीय सहायता की पहली किस्त

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	जिलों की संख्या	विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत जारी पहली किस्त
1.	आंध्र प्रदेश	2	15.00
2.	छत्तीसगढ़	2	15.00
3.	गुजरात	1	7.50
4.	झारखंड	3	22.50
5.	कर्नाटक	1	7.50
6.	केरल	1	7.50
7.	मध्य प्रदेश	3	22.50
8.	महाराष्ट्र	2	15.00
9.	राजस्थान	2	15.00
10.	तमिलनाडु	1	7.50
11.	उत्तर प्रदेश	5	37.50
12.	पश्चिम बंगाल	2	15.00

[हिन्दी]

बिहार के विरुद्ध बकाया ऋण

751. **डा. रघुवंश प्रसाद सिंह:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार बिहार राज्य के विरुद्ध कुल बकाया ऋण कितना है;

(ख) बिहार राज्य द्वारा ऋणों पर मूलधन और ब्याज के भुगतान के लिए प्रति वर्ष कितनी धनराशि उपलब्ध करानी होगी;

(ग) क्या बिहार को अपने राजस्व का भारी हिस्सा ऋणों को लौटाने में देना पड़ता है;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार द्वारा बिहार राज्य को ऋणों से मुक्ति दिलाने की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) 31.10.2003 को यथाविद्यमान स्थिति के अनुसार बिहार सरकार पर वित्त मंत्रालय का बकाया ऋण 10935.81 करोड़ रुपए है

(ख) बिहार सरकार को 2003-04 के दौरान वित्त मंत्रालय के बकाया ऋणों के मूलधन और ब्याज के लिए 2058.81 करोड़ रुपए की राशि लौटानी है।

(ग) बिहार सरकार के ऋण की पुनर्अदायगी और ब्याज के भुगतान की देनदारियां उसकी कुल राजस्व प्राप्तियों का औसतन 29 प्रतिशत बैठती है।

(घ) और (ङ) राज्यों के ऋण भार को कम करने में उनको मदद करने के लिए भारत सरकार ने एक ऋण विनिमय स्कीम निरूपित की है। यह स्कीम राज्यों को भारत सरकार से पहले किए गए महंगे ऋणों को मौजूद कम कूपन वाली लघु बचतों और खुले बाजार से ऋण लेकर समय से पूर्व लौटाने में सक्षम बनाती है। इस स्कीम के अंतर्गत, 2002-03 और 2003-04 (अप्रैल-अक्तूबर, 03) के दौरान भारत सरकार का राज्य सरकार पर उच्च लागत वाला बकाया ऋण जो 2074.60 करोड़ रुपए था, का विनिमय लघु बचत ऋणों और खुले बाजार से अतिरिक्त उधार से किया गया था।

[अनुवाद]

आईडीबीआई के चूककर्त्ता

752. श्री बी.के. पार्थसारथी:
श्री गुनापाटी रामैया:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत छह महीनों के दौरान भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने अपने कई चूककर्त्ताओं को नोटिस जारी किया है;

(ख) क्या कुछ चूककर्त्ताओं ने आईडीबीआई से अपने बकाया के निपटान हेतु संपर्क किया है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे चूककर्त्ताओं की संख्या कितनी है;

(घ) क्या बैंक के साथ कुछ देयों को निपटाया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) जी, हां। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) ने सूचित किया है कि आईडीबीआई ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत पिछले छः महीनों के दौरान (अर्थात् 1 अप्रैल, 2003 से 30 सितम्बर, 2003) तक चूक करने वाले 24 ऋणकर्त्ताओं को नोटिस जारी किए हैं।

(ख) और (ग) 24 ऋणकर्त्ताओं में से 11 ऋणकर्त्ता देय राशि के निपटान हेतु ठोस प्रस्तावों सहित आईडीबीआई से मिले हैं।

(घ) और (ङ) एक बारगी निपटान (ओटीएस) योजना के तहत कुल 53.37 करोड़ रु. की देय राशि वाले तीन मामले निपटाए गए थे जिनमें 32.03 करोड़ रु. की निश्चित क्रिस्टेलाइज्ड राशि अंतर्ग्रस्त थी।

भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा परीक्षण

753. श्रीमती रेणूका चौधरी: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बोतलबंद पेय जल के भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा कितनी बार परीक्षण किए जाते हैं;

(ख) चालू वर्ष के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा स्वीकृत प्रयोगशालाओं के माध्यम से इन परीक्षणों की लागत कितनी है; और

(ग) बोतलबंद पेयजल की शुद्धता सुनिश्चित करने में ऐसी जांच कहां तक सहायक होती है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) पैकेज में रखे पेयजल के लिए आई एस : 14543 : 1998 विनिर्देशों में 51 परीक्षण विनिर्दिष्ट हैं।

(ख) सभी परीक्षणों के लिए परीक्षण प्रभार 12,800 रुपए है।

(ग) पैकेज में रखे पेयजल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सूक्ष्म जैविकीय अपेक्षाओं, कीटनाशी अवशिष्टों, आर्गनोलेप्टिक और फिजिकल पैरामीटरों, अधिक मात्रा में अवांछनीय तत्वों से संबंधित सामान्य पैरामीटरों तथा विषैले तत्वों से संबंधित पैरामीटरों और रेडियो एक्टिव अवशेषों से संबंधित पैरामीटरों को कवर करते हुए विभिन्न परीक्षण शामिल किए गए हैं।

जनजातियों के लिए योजनाएं

754. श्री ए. नरेन्द्र: क्या **जनजातीय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए बनी योजनाओं की जनजाति बहुत क्षेत्रों में प्रभावी क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जनजातीय लोग उनके लिए बनी योजनाओं और कार्यक्रमों से अवगत नहीं हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा जनजातीय लोगों को उनके विकास के लिए चलाई जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों से अवगत कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) और (ख) जनजातीय कार्य मंत्रालय अपनी केन्द्रीय क्षेत्र तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र कारगर बनाने के लिए, जनजातीय कार्य मंत्रालय विशेष योजनाओं के संबंध में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से पत्र-व्यवहार करता है। इसके अतिरिक्त, योजना के कार्यान्वयन संबंधी पहलुओं पर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के संबंधित सचिवों के साथ बैठकों के दौरान विचार-विमर्श भी किए जाते हैं। तथापि, किसी क्षेत्र से विशेष अभ्यावेदनों के प्राप्त होने पर, इन्हें समाधान के लिए संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ उठाया जाता है।

इसके अतिरिक्त, जनजातीय कार्य मंत्रालय निम्नलिखित कार्रवाई के माध्यम से योजनाओं का शीघ्र तथा प्रभावी कार्यान्वयन भी सुनिश्चित करता है:-

(1) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान की स्वीकृति प्राप्त प्रस्तावों की विस्तृत जांच के आधार पर की जाती है।

(2) नई निर्मुक्तियां किए जाने से पूर्व विगत निर्मुक्तियों के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्रों पर बल दिया जाता है।

(3) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से आवधिक प्रगति रिपोर्टें प्राप्त की जाती हैं जिनके अंतर्गत योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति, शामिल किए गए लाभग्राहियों तथा अन्य संबंधित सूचना/आंकड़ों को दर्शाया जाता है।

(4) मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति का आकलन करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का दौरा करते हैं।

(5) योजनाओं के कार्यान्वयन का पता लगाने के लिए विषय के प्रभारी राज्य सचिवों की बैठक बुलाई जाती है।

(6) गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित योजनाओं के मामले में निधियों की निर्मुक्ति गैर-सरकारी संगठन की प्रतिष्ठा, विगत निष्पादन आदि के मूल्यांकन के बाद की जाती है। आवधिक प्रगति रिपोर्टों के अतिरिक्त, गैर-सरकारी संगठनों से वार्षिक लेखे तथा अंकेक्षित रिपोर्टें एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के प्रस्तुतीकरण की अपेक्षा की जाती है जिनके आधार पर निधियों की आगे निर्मुक्ति की जाती है। गैर-सरकारी संगठनों का निरीक्षण राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारियों तथा अन्य प्राधिकरणों एवं केन्द्र सरकार के अधिकारियों द्वारा भी किया जाता है।

(ग) और (घ) सभी राज्य सरकारों को योजनाओं, अनुदान आदि की निर्मुक्ति को शासित करने वाले दिशा-निर्देशों की प्रतियां उपलब्ध करा दी गई हैं और उनसे इन योजनाओं का प्रचुर प्रचार करने का अनुरोध किया गया है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय की इन योजनाओं का विवरण मंत्रालय की वेबसाइट (डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू. ट्राइबल.निक.इन.) पर भी उपलब्ध है। मंत्रालय ने अधिकारियों के साथ-साथ लोगों के मध्य परिचालित करने हेतु इन योजनाओं की एक हैंडबुक भी प्रकाशित की है।

बाजरे की खरीद

755. श्रीमती प्रभा राव: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा वर्ष-वार और राज्य-वार बाजरे की कितनी खरीद की गयी;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के लिए सरकार द्वारा बाजरे की खरीद हेतु कितना न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया गया है; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बाजरे की खरीद के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) पिछले 3 वर्षों के दौरान सरकार द्वारा वसूल किए गए बाजरे की राज्यवार मात्रा नीचे दी गई है:-

(मात्रा टन में)

राज्य	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04 (2.12.03 की स्थिति के अनुसार)
आंध्र प्रदेश	-	-	-	2144
गुजरात	-	45867	-	-
हरियाणा	-	-	-	199121
कर्नाटक	4514	-	-	-
मध्य प्रदेश	7405	10339	-	-
महाराष्ट्र	10510	6075	4	49
राजस्थान	-	33982	-	37723
जोड़	22429	96263	4	239037

(ख) सरकार ने खरीफ विपणन मौसम, 2003-04 के दौरान वसूल किए जाने वाले उचित औसत किस्म के मोटे अनाज (बाजरा) का न्यूनतम समर्थन मूल्य 505 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है।

(ग) किसानों द्वारा निर्दिष्ट केंद्रों पर बिक्री के लिए पेश किए गए विहित विनिर्दिष्टियों के अनुरूप मोटे अनाज (बाजरा) सहित सभी खाद्यान्न भारतीय खाद्य निगम/राज्य वसूली एजेंसियों द्वारा खरीदा जाता है। किसान समर्थन मूल्यों पर भारतीय खाद्य निगम/राज्य एजेंसियों को अथवा खुले बाजार में, जहां भी उन्हें लाभकारी हो, अपना उत्पाद बेचने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इस प्रकार मोटे अनाज (बाजरा) की वसूली के लिए ऐसा कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का प्रायोजक बैंकों के साथ विलय

756. श्री बसुदेव आचार्य: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कुछ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रायोजक बैंकों के साथ विलय करने का एक प्रस्ताव रखा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने मान्यता प्राप्त ग्रामीण बैंकों के प्रायोजक बैंक की भूमिका निभाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक स्वतंत्र शीर्ष प्राधिकरण की स्थापना की संभावना का पता लगाया है;

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) से (ङ) सरकार द्वारा प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की समीक्षा करने तथा इनमें संशोधनों का सुझाव देने के लिए श्री एम.वी.एस. चलपतिराव की अध्यक्षता में एक कार्य दल का गठन किया गया था। समिति ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्निर्धारण के संबंध में व्यापक सिफारिशें की हैं तथा अन्य बातों के साथ-साथ पूंजी विन्यास, स्वामित्व पैटर्न आदि में परिवर्तन करने का सुझाव दिया है। कार्यदल की सिफारिशों पर अन्य शेयरधारियों अर्थात् राज्य सरकारों एवं प्रायोजक बैंकों से परामर्श करके विचार किया जा रहा है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की दीर्घावधि लाभप्रदता, ग्रामीण ऋण वितरण में उनकी प्रासंगिकता, अपेक्षित

पूंजी विन्यास तथा बेहतर एवं प्रभावी प्रबंधन में इन सिफारिशों की विस्तृत जांच अपेक्षित होगी। इन महत्वपूर्ण मामलों पर निर्णय लेने के लिए भारतीय बैंक संघ (प्रायोजक बैंक), भारतीय रिजर्व बैंक तथा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के साथ वर्तमान में विचार-विमर्श किया जा रहा है तथा इस स्तर पर इस संबंध में विचार-विमर्श में अंतिम निर्णय नहीं लिया है।

पटसन निर्यात परिषद

757. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पटसन निर्यात परिषद की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी परिषद की स्थापना के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है;

(ग) क्या परिषद पटसन तथा पटसन उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा दे पाएगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): (क) वस्त्र मंत्रालय पटसन निर्यात परिषद की स्थापना करने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है।

(ख) से (घ) प्रस्तावित पटसन निर्यात परिषद की स्थापना के पीछे मुख्य उद्देश्य हैं: मौजूदा बाजारों को बनाए रखना, उनमें सुधार लाना और पटसन विनिर्माण के लिए नए बाजारों का विकास करना तथा भारत से बाहर ऐसे विनिर्माण की मांग के अनुरूप निर्यात विपणन रणनीति बनाना।

गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां

758. श्री के.पी. सिंह देव: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कार्यरत गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों की संख्या कितनी है;

(ख) उड़ीसा राज्य में कितनी गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां कार्यरत हैं;

(ग) उक्त राज्य में ये गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां किन क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं;

(घ) इन गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों द्वारा इस राज्य में क्या गतिविधियां की गयी हैं;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत उक्त राज्य में निजी व्यक्तियों/सरकारी संगठनों और गैर-सरकारी संगठनों को इन कंपनियों द्वारा दी गयी ऋण सहायता का ब्यौरा क्या है;

(च) इन कंपनियों द्वारा अन्य राज्यों में कितना ऋण वितरित किया गया है; और

(छ) इनका राज्य-वार और वर्ष-वार अलग-अलग ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उन्होंने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं का कारबार करने के लिए आज की तारीख के अनुसार 13909 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान किया है। इनमें से, केवल 686 कंपनियों को सार्वजनिक जमाराशियां स्वीकार/धारित करने की अनुमति प्रदान की गई है।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने उड़ीसा में स्थित 16 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी किया है और वे उड़ीसा राज्य में कार्यरत हैं। उनके नाम नीचे दिए गए हैं:

''क'' श्रेणी (सार्वजनिक जमाराशियां धारित करने वाली)

1. माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड

''ख'' श्रेणी (जो जमाराशियां स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत नहीं हैं)

1. मिश्रा फाइनेंशियल सर्विस लि.
2. मधुकन फाइनेंशियल सर्विस लि.
3. प्राइम कैपिटल मार्किट्स लि.
4. ईस्ट कोस्ट ट्रेडफिन लि.
5. श्रेयांश मरकन्टाइल प्रा. लि.
6. सीता सिन्थेटिक्स एंड ट्रर्फ्स लि.
7. राजपथ फाइनेंशियल सर्विस प्रा. लि.
8. दी इन्ड्रस्ट्रीयल प्रोमोशन एंड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ उड़ीसा लि.

9. तृष्णा ट्रेडफिन लि.
10. साहेबृम्का प्रोजेक्ट्स लि.
11. वेद व्यास फा. प्रा. लि.
12. श्री लीजिंग एंड फा. लि.
13. रोहिणी मरकन्टाइल प्रा. लि.
14. मधुकन फा. प्रा. लि.
15. मंगल प्रदीप फा. एंड इन्वेस्टमेंट (इंडिया) लि.

(ग) इन गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के परिचालन-क्षेत्र निम्नानुसार हैं:

(1)	माइक्रो फाइनेंस लि.	उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र
(2)	''ख'' श्रेणी की अन्य कंपनियां	उड़ीसा

(घ) इन गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा शुरू की गई गतिविधियां:

(1)	माइक्रो फाइनेंस लि.	क. सार्वजनिक जमाराशियां स्वीकार करना
		ख. केवल जमाधारकों को ऋण मंजूर करना और
		ग. निवेश करना (सरकारी प्रतिभूतियों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के पास सावधि जमाराशियों में)
(2)	''ख'' श्रेणी की अन्य कंपनियां	क. ऋण मंजूर करना
		ख. निवेश करना और
		ग. किराया खरीद और पट्टे की गतिविधियां

(ङ) से (छ) माइक्रो फाइनेंस लि. द्वारा सावधि जमाराशियों के बदले जमाधारकों को मंजूर किए गए ऋणों की योजना के अंतर्गत पिछले 3 वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में व्यक्तियों को प्रदान की गई ऋण सहायता का ब्यौरा नीचे दिया गया है। कंपनी ने सरकारी संगठन और गैर-सरकारी संगठनों को कोई सहायता प्रदान नहीं की है।

(राशि लाख रुपए में)

कंपनी का नाम	राज्य	वर्ष	व्यक्तियों को प्रदान की गई ऋण सहायता (रु.)
1	2	3	4
माइक्रो फा. लि.	उड़ीसा	2000-01	118.8
		2001-02	167.0
		2002-03	255.6
	आंध्र प्रदेश	2000-01	2.0
		2001-02	4.2
		2002-03	1.4
	बिहार	2000-01	–

1	2	3	4
		2001-02	1.7
		2002-03	2.8
	छत्तीसगढ़	2000-01	10.0
		2001-02	8.7
		2002-03	11.2
	दिल्ली	2000-01	–
		2001-02	0.6
		2002-03	4.9
	गोवा	2000-01	–
		2001-02	3.3
		2002-03	5.4
	गुजरात	2000-01	21.5
		2001-02	105.1
		2002-03	98.7
	झारखंड	2000-01	–
		2001-02	–
		2002-03	–
	महाराष्ट्र	2000-01	18.3
		2001-02	21.5
		2002-03	17.2

''ख'' श्रेणी के संबंध में उपर्युक्त सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि वे इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक को कोई विवरणी प्रस्तुत नहीं करते हैं।

चीनी के कोटे में कमी

759. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने अगस्त, 2003 से राज्यों के चीनी के मासिक कोटा को कम करने का निर्णय लिया है;

(ख) क्या ऐसे निर्णय के कारण गुजरात सहित देश के कई भागों में चीनी की कृत्रिम कमी हो गयी है और इसकी कीमत 250 रुपये प्रति क्विंटल तक हो गयी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार खुले बाजार में चीनी की कीमतों को नीचे लाने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) से (च) चीनी के उत्पादन, चीनी की आवश्यकता/मांग, गुड़ और खंडसारी जैसे वैकल्पिक मीठाकारकों की उपलब्धता, बाजार में चीनी के मूल्यों की प्रवृत्ति आदि को ध्यान में रखते हुए गैर-लेवी चीनी का मासिक कोटा निर्धारित किया जाता है। अगस्त, 2002 से दिसम्बर, 2002 के दौरान मासवार रिलीज की गई गैर-लेवी चीनी की कुल मात्रा की तुलना में अगस्त, 2003 से दिसम्बर, 2003 तक मासवार रिलीज की गई गैर-लेवी चीनी की कुल मात्रा निम्नानुसार है:-

मास	रिलीज किया गया गैर-लेवी चीनी का कोटा (मात्रा लाख टन में)	
	2003	2002
अगस्त	9.50	9.75
सितम्बर	10.45	9.75
अक्तबूर	12.65	11.50
नवम्बर	10.50	10.50
दिसम्बर	10.00	10.00
जोड़	53.10	51.50

नवम्बर, 2003 मास के दौरान चीनी के मूल्य 1200-1400 रुपये प्रति क्विंटल के रेंज में थे जबकि 2002 के इसी मास के दौरान चीनी के मूल्य 1160-1340 रुपये प्रति क्विंटल के रेंज में थे। ऊपर उल्लिखित तथ्यों के अतिरिक्त, उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर चीनी की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए लेवी चीनी का मासिक कोटा निर्धारित किया जाता है।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के लिए पुनरुद्धार योजना

760. श्री वाई.वी. राव: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पास महत्वाकांक्षी पुनरुद्धार योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या योजना में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का अन्य बैंकों के साथ विलय भी सम्मिलित है;

(घ) यदि हां, तो कौन से बैंकों का विलय किए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या प्रस्ताव को स्वीकृति दी जा चुकी है; और

(च) यदि नहीं, तो इसे कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) से (च) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (उपक्रमों का अंतरण एवं निरसन) विधेयक, 2002 को लोक सभा के चालू सत्र में पेश किया जा रहा है। इस विधेयक में आई डी बी आई को निगमित किए जाने के प्रस्ताव को प्रभावी बनाने और बनने वाली निगमित कम्पनी को बैंकिंग कारोबार करने की अनुमति देने के प्रावधान हैं।

खाद्य तेल का निर्यात

761. डा. जसवंतसिंह यादव: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान खाद्य तेल के निर्यात में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके निर्यात से वर्ष-वार कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) से (ग) खाद्य तेल निर्यात की महत्वपूर्ण वस्तु नहीं है। खाद्य तेलों के निर्यात से संबंधित आंकड़े संकलित नहीं किए जाते हैं।

विदेश में बैंक शाखाएं

762. श्री प्रबोध पण्डा: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ देश अपने यहां भारतीय बैंकों की शाखाएं खोलने की अनुमति नहीं देते हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे देशों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या ऐसे देशों ने भारत में अपने बैंक खोले हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने किन परिस्थितियों में इन बैंकों को अनुमति दी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि ईरानी कानून मुक्त व्यापार क्षेत्र के अलावा ईरान में विदेशी बैंकों (भारतीय बैंकों सहित) को शाखाएं खोलने की अनुमति नहीं देता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

अर्मेनिया के साथ व्यापार

763. कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनीराम शांडिल्य: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारत और अर्मेनिया के बीच कितना व्यापार हुआ है;

(ख) क्या भारत और अर्मेनिया ने अपने आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए हाल ही में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस समझौते को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत और अर्मेनिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार की मात्रा निम्नानुसार हैं:-

(करोड़ रु. में)

वर्ष	निर्यात	आयात	कुल
2000-2001	6.40	2.40	8.80
2001-2002	6.27	2.16	8.43
2002-2003	12.05	0.78	12.83

स्रोत : डी जी सी आई एण्ड एस, कोलकाता

(ख) और (ग) भारत और अर्मेनिया ने अपने आर्थिक संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए हाल ही में निम्नलिखित करारों पर हस्ताक्षर किए हैं:-

(1) मई, 2003 में हस्ताक्षरित द्विपक्षीय निवेश संवर्धन एवं संरक्षण करार।

(2) अक्तूबर, 2003 में हस्ताक्षरित आय संबंधी कर के बारे में दोहरे कराधान को रोकने और वित्तीय अपवंचन रोकथाम के लिए समझौता।

(घ) ये करार संबंधित करारों में परिकल्पित औपचारिकताओं को पूरा करने पर लागू होंगे।

[अनुवाद]

निजी बैंकों के माध्यम से ऋण

764. श्री भर्तृहरि महताब: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने निजी बैंकों को सरकार के गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के अंतर्गत ऋण देने का निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर निजी बैंकों की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों को निदेश दिया है कि वे निवल बैंक ऋण का 40% प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का 10% कमजोर वर्गों, जिसमें गरीबी उन्मूलन के सभी कार्यक्रमों के तहत लाभार्थी शामिल हैं, को दें। गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक भी प्रधान मंत्री रोजगार योजना के तहत ऋण देते हैं। गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने मार्च, 2003 (अद्यतन उपलब्ध) की स्थिति के अनुसार 2.26 लाख आवेदकों को 1461 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है।

भारतीय जीवन बीमा निगम के अंशकालिक कर्मचारी

765. श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिनांक 31 मार्च, 2003 के अनुसार भारतीय जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों की श्रेणी-वार संख्या कितनी है:

(ख) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम ने कुछ अंशकालिक कर्मचारियों की भी नियुक्ति की है;

(ग) यदि हां, तो उन्हें कब से नियुक्त किया गया है और आज की स्थिति के अनुसार उनकी संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार का उनकी सेवाओं को नियमित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) दिनांक 31.3.2003 की स्थिति के अनुसार भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की श्रेणी-वार कर्मचारी संख्या निम्नानुसार है:

श्रेणी 1 कर्मचारी	17564
श्रेणी 2 कर्मचारी	19457
श्रेणी 3 कर्मचारी	73295
श्रेणी 4 कर्मचारी	6822
जोड़	1,17,138

(ख) जी, हां।

(ग) से (ङ) जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि नेशनल ट्रिब्यूनल बाम्बे (मुम्बई) 1985 का 1, दिनांक 17.4.1986 के निर्णय के बाद, दि. 31.3.2003 की स्थिति के अनुसार अंशकालिक कर्मचारियों की संख्या 2197 है। ये अंशकालिक कर्मचारी नियमित सेवा-आधार पर हैं।

मध्य प्रदेश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

766. श्री वीरेन्द्र कुमार: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या इनमें से अधिकांश बैंकों में कर्मचारियों की संख्या कम है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन ग्रामीण बैंकों में रिक्त पदों को भरने तथा पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों को तैनात करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) मध्य प्रदेश में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के नाम निम्नानुसार हैं:

1. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, होशंगाबाद
2. रीवा सिधी ग्रामीण बैंक
3. बुंदेलखंड ग्रामीण बैंक
4. शारदा ग्रामीण बैंक
5. झाबुआ धार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
6. शिवपुरी गुना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
7. दमोह पन्ना सागर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
8. देवास शाजापुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
9. निमाड़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
10. मण्डला बालाघाट क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
11. छिंदवाड़ा सिओनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
12. राजगढ़ सिहोर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
13. शहडोल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
14. रतलाम मंदसौर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
15. चम्बल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
16. महाकौशल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
17. इंदौर उज्जैन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
18. ग्वालियर दतिया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
19. विदिशा भोपाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

(ख) और (ग) 1 जुलाई, 2001 से शुरू किए गए जनशक्ति मानदंडों के अनुसार, मध्य प्रदेश के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में कुल 253 कर्मचारी अधिक हैं और केवल पांच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में 78 कर्मचारियों की कमी है।

(घ) सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में अधिक/कम स्टाफ की स्थिति को नियंत्रित करने के उद्देश्य से कर्मचारियों के अंतर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पुनर्नियोजन की योजना शुरू की है।

[हिन्दी]

सामान्य बीमा निगम कंपनियों का लाभ

767. श्री तूफानी सरोज: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के "शुद्ध लाभ" में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) शुद्ध लाभ में गिरावट के क्या कारण हैं; और

(घ) इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) वर्ष 2001-02 के दौरान तीन कंपनियों के निवल लाभ में गत वर्ष की तुलना में गिरावट हुई थी। तथापि, वर्ष 2002-03 के दौरान चारों कंपनियों ने निवल लाभ में वृद्धि दर्ज की है। गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र की चारों साधारण बीमा कंपनियों द्वारा अर्जित किया गया निवल लाभ निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए)

कंपनी का नाम	2000-01	2001-02	2002-03
नेशनल	86.77	(-)94.34	135.65
न्यू इंडिया	173.54	142.00	255.81
ओरियन्टल	74.18	(-)235.48	107.36
यूनाइटेड इंडिया	8.15	153.39	170.99

(ग) वर्ष 2001-02 में निवल लाभ में हुई हानि अथवा गिरावट के मुख्य कारण थे- अग्नि टैरिफ में अत्यधिक कमी, मोटर तीसरा पक्ष पोर्टफोलियो में घाटा और प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि गुजरात में भूकंप और देश के अनेक भागों में बाढ़ इत्यादि।

(घ) सरकारी क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों ने हानियों में कमी लाने के लिए अनेक उपाय किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ ये भी शामिल हैं-बेहतर हामीदारी पद्धतियां, दावा नियंत्रण संबंधी उपाय, लोक अदालतों और समझौता समितियों जैसे वैकल्पिक मंचों के जरिए मोटर तीसरा पक्ष दावों का निपटान, प्रबंधन व्ययों पर नियंत्रण रखना इत्यादि।

[अनुवाद]

विदेशी वाणिज्यिक ऋण

768. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ भारतीय कंपनियों ने विदेशी वाणिज्यिक ऋणों के माध्यम से धनराशि जुटाने के लिए सरकार को अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कंपनियों के नाम क्या हैं और प्रत्येक कंपनी द्वारा विदेशी वाणिज्यिक ऋणों के माध्यम से कितनी राशि जुटाई जाएगी;

(ग) क्या सरकार ने इन कंपनियों के प्रस्तावों पर विचार किया है; और

(घ) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) से (घ) विदेशी वाणिज्यिक उधार संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार 100 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक के प्रस्तावों पर सरकार द्वारा विचार किया जाता है। विदेशी वाणिज्यिक उधार प्रस्तावों की जांच विदेशी वाणिज्यिक उधार दिशा-निर्देशों के शर्तों के आधार पर की जाती है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार को प्रस्तुत किए गए विदेशी वाणिज्यिक उधार प्रस्तावों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्रम सं.	उधारकर्त्ता का नाम	ऋण की राशि (मिलियन)	स्थिति
1	2	3	4
1.	मेसर्स डायनमिक लाजिस्टिक्स	अमेरिकी डालर 101	अस्वीकृत
2.	मेसर्स गौरी वैद्यनाथ ट्रस्ट लि.	अमेरिकी डालर 175	अस्वीकृत
3.	मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लि.	अमेरिकी डालर 250	अस्वीकृत
4.	मेसर्स हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनैंस कारपोरेशन लि.	अमेरिकी डालर 200	अनुमोदित

1	2	3	4
5.	मेसर्स इण्डस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कारपो. आफ इंडिया लिमिटेड	अमेरिकी डालर 300	अनुमोदित
6.	मेसर्स इण्डो कनाडियन पेपर्स लि.	अमेरिकी डालर 142	अस्वीकृत
7.	मेसर्स पेट्रोकान इण्डिया लि.	अमेरिकी डालर 160	अस्वीकृत
8.	मेसर्स नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लि.	अमेरिकी डालर 200	जांच के अधीन
9.	मेसर्स एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक आफ इण्डिया	अमेरिकी डालर 300	जांच के अधीन
10.	मेसर्स नेशनल बैंक फार एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट	अमेरिकी डालर 300	अस्वीकृत
11.	मेसर्स इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक आफ इंडिया	अमेरिकी डालर 500	जांच के अधीन
12.	मेसर्स भारती सेल्युलर	अमेरिकी डालर 416	जांच के अधीन
13.	मेसर्स एस्सार स्टील लि.	अमेरिकी डालर 500	जांच के अधीन
14.	मेसर्स रिलायन्स इण्डस्ट्रीज लि.	अमेरिकी डालर 750	दिनांक 01.03.2002 के अनुमोदन को नवीकृत किया गया
15.	मेसर्स हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनैंस कारपोरेशन लि.	24.24 करोड़ रुपए के समतुल्य अमेरिकी डालर	दिनांक 06.09.2002 के अनुमोदन को नवीकृत किया गया
16.	पंजाब नेशनल बैंक	अमेरिकी डालर 215	जांच के अधीन
17.	मेसर्स दिवान रबर इण्डस्ट्रीज	अमेरिकी डालर 100	अस्वीकृत
18.	मेसर्स के.एस.ई.बी.	अमेरिकी डालर 100	अस्वीकृत
19.	मेसर्स वी.एस.आर.एस. केमिकल्स	अमेरिकी डालर 50,000	अस्वीकृत

[हिन्दी]

खाद्यान्न भंडार

769. **श्री रामशेठ ठाकुर:**
श्री नवल किशोर राय:
श्री रामजीलाल सुमन:
श्री मानसिंह पटेल:
डा. मदन प्रसाद जायसवाल:
श्री ए. वेंकटेश नायक:
श्री अशोक ना. मोहोल:
श्री टी.टी.वी. दिनाकरन:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार देश में खाद्यान्न का कितना भंडार है;

(ख) क्या वर्ष 2003-04 के दौरान खाद्यान्न के भंडार में गिरावट दर्ज की गई है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान श्रेणी-वार और वर्ष-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका मूल्यों पर क्या प्रभाव रहा है;

(घ) क्या खाद्यान्न की कुछ मात्रा मानव उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी खाद्यान्न का मूल्य कितना है और वार्षिक आधार पर इसके रख-रखाव पर कितना खर्च आता है;

(च) खाद्यान्न को नष्ट होने से रोकने के लिए अपनाए गए नवीनतम उपाय क्या हैं; और

(छ) अतिरिक्त खाद्यान्न के बेहतर उपयोग के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/जाने वाले हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद यादव): (क) 1.11.2003 की स्थिति के अनुसार चावल और गेहूं का स्टाक (56.59 लाख टन चावल और 164.13 लाख टन गेहूं) 220.72 लाख टन था।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान (पहली अप्रैल की स्थिति के अनुसार) गेहूं और चावल का स्टाक निम्नानुसार है:

(लाख टन में)

वर्ष	चावल	गेहूं
2001-02	231.91	215.04
2002-03	249.12	260.39
2003-04	171.57	156.45

चूंकि केंद्रीय पूल में खाद्यान्नों की वसूली करना एक सतत् प्रक्रिया है और पर्याप्त मात्रा की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है, इसलिए केंद्रीय पूल के स्टाक में गिरावट होने का मूल्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(घ) और (ङ) जी, हां। पहली नवम्बर, 2003 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के पास क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों का 93,294 टन स्टाक था। इसका मूल्य 37,31,54,298 रुपये (अनंतिम) है। इसके रखरखाव पर होने वाला खर्च औसतन 1258 रुपये प्रति टन प्रतिवर्ष (लगभग) है।

(च) भंडारण में स्टाक का परिरक्षण करने और खाद्यान्नों में क्षति को रोकने के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा किए गए उपाय संलग्न विवरण I पर दिए गए हैं।

(छ) बफर मानदण्डों से अधिक खाद्यान्नों का उपयोग करने के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा किए गए उपाय संलग्न विवरण II में दिए गए हैं।

विवरण I

भंडारण में स्टाक का परिरक्षण करने और खाद्यान्नों में क्षति को रोकने के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा किए गए उपाय

(1) खाद्यान्नों के भंडारण के लिए वैज्ञानिक तर्ज पर अपने स्वयं के गोदामों का निर्माण करना।

(2) खुले में कवर और प्लिंथ के भंडारण में खाद्यान्नों के भंडारण के लिए पर्याप्त डनेज और प्लिंथ का प्रावधान करना, जिसमें खाद्यान्नों को कम घनत्व की काली वाटरप्रूफ विशेष रूप से तैयार की गई पालीथीन से ढककर नायलान की रस्सियों/जालों से बांधा जाता है।

(3) देयता प्राप्त और प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा स्टाक/गोदामों का नियमित आवधिक निरीक्षण किया जाना।

(4) स्टाक का नियमित रूप से रोग निरोधी और रोगहर उपचार करना।

(5) नियमित रूप से जन्तुबाधा नियंत्रण उपाय करना।

(6) यथा संभव सीमा तक "प्रथम आमद, प्रथम निर्गम" प्रक्रिया को क्रियान्वित करना ताकि स्टाक को लंबी अवधि तक रखने से बचा जा सके।

(7) एक स्थान से दूसरे स्थान तक खाद्यान्नों का संचलन सुरक्षित साधनों अर्थात् ढके हुए वैगनों आदि में करना।

(8) मानसून पूर्व प्रधूमन करना।

(9) डनेज सामग्री में सुधार करना।

विवरण II

बफर मानदण्डों से अधिक खाद्यान्नों का उपयोग करने के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा किए गए उपाय

(1) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन जारी की जाने वाली मात्रा 1.4.2002 से 25 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह से बढ़ाकर 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह कर दिया गया।

(2) गेहूं और चावल की खुला बाजार बिक्री भारतीय खाद्य निगम की मौजूदा उच्च स्तरीय समिति द्वारा तय किए जाने वाले मूल्यों पर बिना किसी मात्रात्मक प्रतिबंध के की जा रही है।

(3) मध्याह्न भोजन योजना, गेहूं आधारित पोषाहार कार्यक्रम, अन्नपूर्णा, कल्याण संस्थाओं/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रावासों की योजना आदि जैसी विभिन्न कल्याण योजनाओं के अधीन खाद्यान्न गरीबी रेखा से नीचे के मूल्यों पर आवंटित किए जा रहे हैं।

(4) अंत्योदय अन्न योजना के अधीन गेहूं और चावल क्रमश: 2 रुपये प्रति किलोग्राम और 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से आवंटित किए जा रहे हैं।

(5) सभी कल्याण संस्थाओं और छात्रावासों के लिए दी जाने वाली मात्रा एक समान रूप से 15 कि.ग्रा. प्रति व्यक्ति प्रति माह की दर से निर्धारित करना और गरीबी रेखा से नीचे के केंद्रीय निर्गम मूल्यों पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को गरीबी रेखा से नीचे के आवंटन के 5 प्रतिशत के समतुल्य अतिरिक्त आवंटन करना।

(6) चावल, गेहूं और गेहूं उत्पादों का निर्यात बिना किसी मात्रात्मक प्रतिबंध के इस शर्त के अध्यधीन जारी रखना कि केंद्रीय पूल में स्टाक 31.3.2004 तक किसी भी समय 243 लाख टन के बफर स्टाक (100 लाख टन चावल और 143 लाख टन गेहूं) से कम नहीं होगा।

(7) 31.3.2004 तक मामला दर मामला आधार पर तय की जाने वाली शर्तों पर अन्य देशों से खाद्यान्नों के रूप में काउंटर व्यापार करना और/अथवा उन्हें जिन्स सहायता देना।

[अनुवाद]

चेक समाशोधन की नई प्रणाली

770. **श्री ए. ब्रह्मनैया:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने तत्काल बैंक निपटान सेटलमेंट्स को सुविधाजनक बनाने के लिए 'रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट्स (आर टी जी एस)' नामक चेक समाशोधन की नई प्रणाली आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय रिजर्व बैंक की आर जी टी एस प्रणाली का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रणाली को किस तारीख से आरंभ किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) भुगतान प्रणाली सुधार के अंतर्गत निपटान जोखिम कम करने तथा प्रणालीगत जोखिमों को दूर करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अंतर बैंक निधि अंतरण संबंधी ''रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट (आरटीजीएस)'' प्रणाली लागू कर रहा है। आर टी जी एस प्रणाली इलेक्ट्रानिक एवं संदेश आधारित ऋण अंतरण प्रणाली होगी जो तत्काल प्रकृति के बैंक निपटान कार्य को सुकर बनाएगी। यह निपटान अलग-अलग लेन-देन के लिए सकल आधार पर होगा। यह निपटान अंतिम और अपरिवर्तनीय होगा। इस प्रणाली में चेकों का प्रयोग नहीं किया जाएगा।

(ग) आर टी जी एस प्रणाली को जनवरी-जुलाई, 2004 की अवधि के दौरान चरणों में क्रियान्वित किया जाएगा।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमाओं में छूट

771. **श्री श्रीप्रकाश जायसवाल:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा में छूट दी गई है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जहां विदेशी फर्में पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी गठित कर सकती हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार विदेशी फर्मों को अपने स्थानीय भागीदार से अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिए बिना नए उद्यम स्थापित करने की अनुमति देने के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नियमों में संशोधन करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नियमों में संशोधन करने के क्या कारण हैं;

(ङ) विदेशी कंपनियों को अपने स्थानीय भागीदार से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लिए बिना नए उपक्रम स्थापित करने की अनुमति कब तक दी जाएगी; और

(च) अनापत्ति प्रमाणपत्र न देकर वास्तविक चिन्ता का विषय उठाने वाली भारतीय कंपनियों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाएंगे?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) से (च) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति की सतत् आधार पर समीक्षा की जाती है। इसके लिए इक्विटी उच्चतम सीमा, प्रविष्टि मार्ग और क्षेत्रक निर्देशों सहित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया जाता है। वर्तमान में, भारत में स्वत: मार्ग के अंतर्गत पूर्ववर्ती उद्यम/सहबद्धता वाले विदेशी/तकनीकी सहयोगों के ''अनुमोदन'' से संबंधित मार्गनिर्देशों में परिवर्तन संबंधी कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

[हिन्दी]

क्रेडिट इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड

772. **श्री जी.एस. बसवराज:** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार वस्त्र इकाइयों के लिए ''क्रेडिट इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड'' का गठन करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका गठन कब तक किए जाने की संभावना है;

(ग) वर्ष 2003-04 के दौरान किए जाने वाले वस्त्र निर्यात और आयात की कुल मात्रा के संबंध में निर्धारित लक्ष्य क्या हैं; और

(घ) क्या सरकार वस्त्र के उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से मशीनें संस्थापित करने पर विचार कर रही है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वस्त्र आयात के लिए लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। तथापि, वर्ष 2003-04 के दौरान वस्त्र उत्पादों के निर्यात का लक्ष्य 13.5 बिलियन अमरीकी डालर निर्धारित किया गया है।

(घ) सरकार का अपने स्तर पर मशीनें स्थापित करने का कोई इरादा नहीं है लेकिन प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना, अपैरल पार्क योजना आदि के तहत आधुनिकीकरण और विस्तार करने के लिए निजी उद्यमियों को प्रोत्साहित कर रही है।

[अनुवाद]

पौधारोपण प्रचालनों का पुनर्गठन

773. **श्री अनन्त नायक:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या टी बोर्ड के पास अपने पौधारोपण प्रचालनों का पुनर्गठन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या ''ग्रीन लीफ'' के उत्पादन में वृद्धि पर कोई जोर दिया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पौधारोपण प्रचालन के पुनर्गठन में सम्मिलित अन्य कार्यक्रम क्या हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ङ) चाय बोर्ड का अपना कोई बगान नहीं है और इसलिए अपने बगान प्रचालनों का पुनर्गठन करने का प्रश्न नहीं उठता है। तथापि, चाय बोर्ड 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अनेक विकास स्कीमों का कार्यान्वयन कर रहा है, जिनके अंतर्गत क्षेत्र के विस्तार के बजायश्य मौजूदा क्षेत्र से उत्पादित चाय की उत्पादकता एवं गुणवत्ता में सुधार करने पर जोर दिया जा रहा है। ऐसा चाय की वर्तमान मांग एवं आपूर्ति के बीच संतुलन बनाए रखने के मद्देनजर किया गया है। भारतीय चाय की विपणनीयता में सुधार करने तथा निर्यातकों को बढ़ावा देने के अलावा, चाय उद्योग को आवश्यक अनुसंधान एवं विकास सहायता प्रदान करने पर भी जोर दिया जा रहा है।

कंपनियों द्वारा जमाराशियों का भुगतान न किया जाना

774. **श्री चन्द्रनाथ सिंह:** क्या **वित्त मंत्री** कंपनियों द्वारा जमाराशियों का भुगतान न किए जाने के बारे में 23 मार्च, 2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4046 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) शेष छह चूककर्त्ता कंपनियों में जनता द्वारा निवेश की गई राशि को लौटाने के संबंध में कंपनी-वार वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) वर्तमान में प्रत्येक चूककर्त्ता कंपनी के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त किए गए विशेष अधिकारियों का विवरण क्या है; और

(ग) वर्ष 1998 में दिए गए कंपनी ला बोर्ड के आदेशानुसार जनता की देय राशि शीघ्र लौटाया जाना सुनिश्चित करने के लिए अन्य क्या ठोस उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

हस्तनिर्मित कालीनों का निर्यात

775. **श्री सुरेश रामराव जाधव:**
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने का विशेष ध्यान रखते हुए हस्तनिर्मित कालीनों के निर्यात में बड़ी मात्रा में वृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु समयबद्ध कार्य योजना तैयार करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) उक्त योजना के कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): (क) से (ग) कालीन निर्यात संवर्धन परिषद (सीईपीसी) रोजगार अवसरों की वृद्धि पर विशिष्ट बल देते हुए हस्तनिर्मित कालीनों के निर्यात में क्वाण्टम वृद्धि प्राप्त करने के लिए एक वार्षिक कार्यकारी योजना तैयार करती है। सरकार हस्तनिर्मित कालीनों के निर्यात में वृद्धि के प्रयोजनार्थ निर्यात संवर्धन कार्यकलापों के विभिन्न उपायों के लिए कालीन निर्यात संवर्धन परिषद को वित्तीय सहायता मुहैया कराती है। इन उपायों में ये शामिल हैं: क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन; विदेशों में प्रचार; डिजाइन विकास; निर्यात विपणन एवं पैकेजिंग इत्यादि पर कार्यशालाओं का आयोजन; विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भाग लेना; विदेशों में बिक्री-सह-अध्ययन दलों को प्रायोजित करना तथा प्रतिवर्ष नई दिल्ली में कार्पेट एक्सपो (आटम एवं स्प्रिंग) का आयोजन।

चीनी पर उपकर

776. **श्री टी.टी.वी. दिनाकरन:**
श्री नवल किशोर राय:
डा. सुशील कुमार इन्दौरा:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले 2 वर्षों में चीनी पर कितना उपकर वसूल किया गया है;

(ख) क्या सरकार ने चीनी पर उपकर को 14 रु. प्रति क्विन्टल से बढ़ाकर 20 रु. प्रति क्विन्टल कर दिया है;

(ग) इस बढ़ोत्तरी के परिणामस्वरूप चालू वर्ष के दौरान चीनी विकास निधि को कितनी अनुमानित धनराशि प्राप्त होने की सम्भावना है;

(घ) क्या सरकार ने इस निधि से व्यय होने वाले मदों में कुछ परिवर्तन किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) वर्ष 2003-04 के दौरान सरकार ने इस निधि से चीनी विकास हेतु कितनी धनराशि आवंटित की है;

(छ) क्या सरकार को इन निधियों के दुरुपयोग किए जाने की कोई सूचना मिली है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) पिछले 2 वर्षों के दौरान एकत्र किए गए चीनी संबंधी उपकर की राशि निम्नानुसार है:-

(करोड़ रुपये में)

2001-02	324.94
2002-03	336.80
जोड़	661.74

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 और चीनी विकास निधि (संशोधन) अधिनियम, 2002 में विहित प्रक्रिया के अनुसार निधि खर्च की जाती है। चीनी विकास निधि (संशोधन) अधिनियम, 2002 के बाद निधि खर्च करने के संबंध में कोई और परिवर्तन नहीं किया गया है।

(च) बजट अनुमान 2003-04 में इस प्रयोजन के लिए 20 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है।

(छ) और (ज) इन निधियों के दुरुपयोग की सूचना सरकार के ध्यान में नहीं लाई गई है।

हस्तनिर्मित कालीन

777. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार हाथ से बनी कालीनों का एक विश्व मंच स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस मंच के उद्देश्य क्या हैं और कितने देशों को इसमें शामिल किये जाने का प्रस्ताव है;

(घ) कितने देशों को इसमें शामिल किया जाएगा; और

(ङ) यह हमारे कालीन उद्योग के लिए किस प्रकार से सहायक होगा?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

इस्पात का निर्यात

778. श्री परसुराम माझी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2002-03 और 2003-04 के दौरान अब तक भारत द्वारा इस्पात का कुल कितना और कितने रुपयों के मूल्य का निर्यात किया गया है;

(ख) वर्तमान में किन देशों को इसका निर्यात किया जा रहा है;

(ग) कौन-सी कंपनियां चीन को इस्पात का निर्यात कर रही हैं;

(घ) क्या वर्ष 2002-03 और 2003-04 के दौरान कुछ कम्पनियों ने अपना इस्पात निर्यात घटा दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो किस हद तक और इसके क्या कारण हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) वर्ष 2002-03 और अप्रैल-जुलाई 2003 की अवधि के दौरान प्राथमिक एवं अर्ध-परिष्कृत लौह एवं इस्पात, और लौह एवं इस्पात की बार/राड इत्यादि का निर्यात निम्नानुसार रहा है:-

(मूल्य: करोड़ रुपए में)
(मात्रा हजार टन में)

मद	2002-03*		अप्रैल-जुलाई 2003*	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
प्राथमिक एवं अर्ध-परिष्कृत लौह एवं इस्पात	4420	7597	1509	2976
लौह एवं इस्पात की बार/राड इत्यादि	294	1107	96	381
कुल	4714	8704	1605	3357

*(अनंतिम)
स्रोत: डी जी सी आई एंड एस

(ख) वर्तमान में जिन प्रमुख देशों को इस्पात का निर्यात किया जा रहा है, वे हैं चीन, अमरीका, यू.ए.इ., बांग्लादेश, इण्डोनेशिया, ताईवान, हांगकांग, इटली, थाइलैण्ड, नेपाल, श्रीलंका, सऊदी अरब, स्पेन, इथोपिया, ईरान, वियतनाम, नाइजीरिया, मलेशिया, बेल्जियम, म्यांमार, कोरिया, गणराज्य, फिलीपींस, सिंगापुर और यूनान।

(ग) चीन को इस्पात के प्रमुख निर्यातकों में शामिल हैं भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि., उत्तम गाल्वा स्टील लि., एस्सार स्टील, जिंदल विजयनगर स्टील लि., टाटा स्टील एण्ड मुकंद लि.।

(घ) और (ङ) किसी भी निर्यातक ने चीन को इस्पात के अपने निर्यात में कमी आने की सूचना नहीं दी है।

केन्द्र और राज्यों का राजकोषीय घाटा

779. श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया:
श्री के. येरननायडु:
श्री प्रियरंजन दासमुंशी:
श्री मोइनुल हसन:
श्री दलपत सिंह परस्ते:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ पब्लिक फाइनान्स एंड पालिसी द्वारा आयोजित सेमिनार को संबोधित करते समय 12वें वित्त आयोग के सभापति द्वारा दिए गए वक्तव्य तथा 20 सितम्बर, 2003 को दुबई में विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री मि. निकोलस स्टर्न द्वारा दिए गए वक्तव्य की ओर भी आकर्षित किया गया है जिसमें उन्होंने भारत में केन्द्र और राज्य सरकारों के बढ़ते राजकोषीय घाटे पर चिन्ता व्यक्त की है और इसे कम करने हेतु कठोर कदम उठाए जाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2001-02 और वर्ष 2002-03 के दौरान केन्द्र और राज्य सरकारों का कुल राजकोषीय घाटा कितना

रहा है और वर्ष 2003-04 हेतु अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना है;

(ग) इसे व्यापक रूप से कम करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं और उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या अधिकांश राज्यों को पूंजी बाहर के बाजार (आउटसाइड मार्केट बारोविंग्स) से लेने को कहा गया है; और

(ङ) यदि हां, तो प्रत्येक मामले में किस हद तक यह अनुमति दी गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) जी, हां। सरकार को बारहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष द्वारा राष्ट्रीय लोक वित्त तथा नीति संस्थान द्वारा आयोजित संगोष्ठी के उद्‌बोधन के समय दिए गए वक्तव्य की जानकारी है।

(ख) केन्द्र तथा राज्य सरकारों का राजकोषीय घाटा निम्नलिखित है:-

	राजकोषीय घाटा (करोड़ रुपए)		सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात (प्रतिशत)	
वर्ष	केन्द्र	राज्य	केन्द्र	राज्य
2001-02 (सं.अ.)	131721	103732	5.74	4.52
2002-03 (ब.अ.)	135524	98965	5.53	4.04
2003-04 (ब.अ.)	153637	*उपलब्ध नहीं है	5.06	*उपलब्ध नहीं है

*उपलब्ध नहीं है

(ग) राजकोषीय दायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 को अधिनियमित कर दिया गया है। इसमें केन्द्र सरकार को सरकारी उधारों, ऋण तथा घाटे के संबंध में सीमाएं निर्धारित करने का आदेश दिया गया है। विशेष रूप से, इसमें केन्द्र सरकार द्वारा 31 मार्च, 2008 तक राजस्व घाटे को समाप्त करने की व्यवस्था है। कई राज्य सरकारों ने बेहतर राजकोषीय विवेक अपनाने हेतु रूपरेखा निर्धारित करने के लिए कदम उठाए हैं। इसके साथ ही, राजकोषीय समेकन की दिशा में राज्य सरकारों के प्रयासों का सहायता प्रदान करने हेतु, भारत सरकार ने "राज्यों की राजकोषीय सुधार सुविधा (2000-01 से 2004-05)" भी तैयार की है। इस सुविधा में राज्यों को राजकोषीय सुधारों का कार्य हाथ में लेने हेतु प्रोत्साहन प्रदान करने की व्यवस्था है ताकि मध्यावधि राजकोषीय सुधार कार्यक्रम (एमटीएफआरपी) के अंतर्गत प्रति वर्ष 5 प्रतिशत तक राजस्व घाटा घटाया जा सके। भारत सरकार राज्य सरकारों के साथ एमटीएफआरपी के भाग के रूप में उनके उधार कार्यक्रम को सीमित करते हुए ऋण को धारणीय स्तर पर लाने का भी प्रयास करती है। भारत सरकार ने अव्यवहार्य परियोजनाओं के संबंध में राज्य गारंटी प्रदान करने हेतु प्रक्रिया को सरल एवं कारगर बनाने के अतिरिक्त राज्य सरकार को ब्याज लागत घटाने हेतु ऋण अदला-बदली कार्यक्रम भी प्रारंभ किया है। भारत सरकार ने राजकोषीय तथा संरचनात्मक सुधारों हेतु बहुपक्षीय संस्थागत निधिपोषण हेतु कुछ राज्य सरकारों को सहायता भी प्रदान की है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं।

राज्यों में वित्तीय संकट

780. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य सरकारों के वित्त संकट की वजह से सरकार के आंतरिक ऋण की स्थिति खराब हो गई है;

(ख) यदि हां, तो राज्यों में वित्तीय संकट होने के क्या मुख्य कारण हैं;

(ग) क्या वित्तीय सुधार को द्रुत गति से अपनाने वाले राज्यों तथा वित्तीय सुधार को न अपनाने वाले राज्यों के बीच बड़ा अंतर है;

(घ) यदि हां, तो राज्यों से अपनी विकास दर किस हद तक बढ़ाने के लिए कहा गया है;

(ङ) क्या इस संबंध में राज्यों को कोई निदेश जारी किए गए हैं; और

(च) यदि हां, तो राज्यों को वित्तीय संकट से उबारने हेतु सरकार का क्या अन्य कदम उठाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) राजकोषीय घाटा बढ़ने से राज्यों का औसत ऋण बढ़ गया है। राज्यों के ऋण-सकल घरेलू उत्पाद का औसत जो मार्च, 2001 के अंत तक 23.7 प्रतिशत था, के बढ़कर मार्च, 2003 तक 26.7 प्रतिशत हो जाने का अनुमान है।

(ख) अपर्याप्त राजस्व प्राप्तियां, वेतन, पेंशन, ब्याज और विद्युत क्षेत्र जैसी मदों पर बढ़ता हुआ खर्च राज्यों द्वारा झेले जा रहे वित्तीय संकट के मुख्य कारण हैं।

(ग) 2002-03 के दौरान राजस्व प्राप्तियां की प्रतिशतता के रूप में घाटा/अधिशेष दर्शाता है कि वित्तीय सुधार को अपनाने वाले और न अपनाने वाले राज्यों के बीच बहुत अंतर है।

(घ) भारत सरकार ने वित्तीय समेकन और ऋण स्थायित्वता के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य वित्तीय सुधार सुविधा (2000-01 से 2004-05) का सृजन किया है ताकि विकास दर बढ़ सके। राज्यों के माध्यम आवधिक राजकोषीय सुधार कार्यक्रम (एम.टी.एफ.आर.पी.) के तहत राजस्व संवर्धन और व्यय को कम करने के लिए कई उपाय किए गए हैं। इसका उद्देश्य विवेकपूर्ण सीमाओं में राज्यों द्वारा वार्षिक उधार को सीमित करना है। अब तक 23 राज्यों ने अपने मध्यम आवधिक राजकोषीय सुधार कार्यक्रम (एम.टी.एफ.आर.पी.) तैयार कर लिए हैं।

(ङ) राजकोषीय सुधार सुविधा हेतु मार्गनिर्देश फरवरी, 2001 में जारी किए गए थे।

(च) भारत सरकार ने राजकोषीय सुधार परिदृश्य के अनुरूप राज्यों के उधार कार्यक्रमों को कारगर बनाने के लिए राज्य सरकारों के साथ बातचीत की है। भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 293(3) के अंतर्गत विशेष प्रयोजन वाले साधनों (एस.पी.वीज) के जरिए उधार हेतु प्रतिभूतियां मुहैया कराने के लिए प्रक्रिया को कारगर एवं सुदृढ़ किया है। राज्य राजकोषीय सुधार सुविधा (2000-01 से 2004-05) के तहत राज्यों को अन्य सुधार प्रोत्साहनों, जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों हेतु स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का आकार कम करना एवं ऋण की पुनर्संरचना करना शामिल है, हेतु सहायता भी दी जाएगी ताकि राज्य अपने वित्तीय संकट से उबर सकें।

राष्ट्रीय कर अधिकरण

781. **श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी:**
श्री बी.के. पार्थसारथी:
श्री गुनापाटी रामैया:
श्री ब्रह्मानन्द मंडल:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उच्च न्यायालयों में लम्बित मामलों की संख्या कम करने हेतु राष्ट्रीय कर अधिकरण स्थापित करने के किसी प्रस्ताव को मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो इस अधिकरण के कार्यकरण का ब्यौरा क्या है;

(ग) यह अधिकरण उच्च न्यायालयों के भार को किस हद तक कम करेगा; और

(घ) इस कर अधिकरण हेतु कौन-से मुख्य क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) जी, हां। एक राष्ट्रीय कर अधिकरण का गठन किये जाने के लिए दिनांक 16 अक्तूबर, 2003 को राष्ट्रपति जी द्वारा राष्ट्रीय कर अधिकरण अध्यादेश, 2003 प्रख्यापित किया गया है।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय कर अधिकरण की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:-

(1) आयकर अपीलीय अधिकरण और सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपीलें राष्ट्रीय कर अधिकरण के समक्ष दायर की जाएंगी, जहां विधि संबंधी व्यापक प्रश्न शामिल हो।

(2) राष्ट्रीय कर अधिकरण के आदेश के विरुद्ध कोई अपील उच्चतम न्यायालय के समक्ष दायर की जाएगी।

(3) खंडपीठ के दो सदस्यों के बीच मतभेद की स्थिति में, मामले की सुनवाई अध्यक्ष द्वारा अथवा अध्यक्ष द्वारा नामित किसी तीसरे सदस्य द्वारा की जाएगी तथा बहुमत द्वारा इस पर निर्णय लिया जाएगा।

(4) दो खंडपीठों के बीच मतभेद की स्थिति में, एक पांच-सदस्यीय विशेष खंडपीठ गठित की जाएगी।

(5) प्रत्यक्ष करों एवं अप्रत्यक्ष करों के तहत सभी अपीलें एवं सदर्भ जो उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित हैं, राष्ट्रीय कर अधिकरण को स्थानांतरित किए जाएंगे।

(6) आरंभ में, पूरे देश में प्रत्यक्ष कर से संबंधित मामलों के लिए 15 खंडपीठ और अप्रत्यक्ष कर से संबंधित मामलों के लिए 10 खंडपीठ होंगे। प्रत्येक खंडपीठ में दो सदस्य होंगे जिनमें से एक न्यायिक सदस्य और दूसरा तकनीकी सदस्य होगा।

बोतलबंद पानी हेतु आई.एस.आई. मार्क

782. श्रीमती रेणूका चौधरी: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बोतलबंद पानी हेतु आई.एस.आई. मार्क को कब से अनिवार्य बनाया गया है;

(ख) उन विनिर्माताओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें इस प्रयोजनार्थ लाइसेंस प्राप्त हुए हैं;

(ग) क्या सरकार को इसके दुरुपयोग की कोई शिकायतें मिली हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर क्या कार्रवाई की गयी है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) पैकेज में रखे प्राकृतिक खनिज जल तथा पैकेज में रखे पेयजल को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी की गई राजपत्र अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 759(अ) तथा सा.का.नि. 760(अ) के जरिए दिनांक 20 मार्च, 2003 से भारतीय मानक ब्यूरो की अनिवार्य प्रमाणन स्कीम के अंतर्गत लाया गया है।

(ख) भारतीय मानक ब्यूरो ने अब तक पैकेज में रखे पेयजल के लिए 997 तथा पैकेज में रखे प्राकृतिक खनिज जल के लिए 8 लाइसेंस मंजूर किए हैं।

(ग) से (ङ) जी, हां। विगत तीन वर्षों के दौरान भारतीय मानक ब्यूरो के मानक चिह्न के दुरुपयोग के लिए रजिस्टर्ड शिकायतों तथा उन पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

	2001-02	2001-02	2002-03 (31 अक्तूबर, 2003 तक)
कुल रजिस्टर्ड शिकायतें	7	7	18
आयोजित तलाशियों तथा जब्तियों की संख्या	6	2	18
परिणाम			
(1) चलाए गए अभियोजन	2	2	–
(2) जिनकी छानबीन/जांच की जा रही है।	–	3	18
(3) बंद किए गए मामले	5	2	–

पाकिस्तान को गेहूं का निर्यात

783. श्रीमती प्रभा राव: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में पाकिस्तानी व्यापार शिष्टमंडल ने भारत का दौरा किया था और भारत से दो लाख टन गेहूं खरीदने में अपनी अभिरुचि दिखायी थी;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने पाकिस्तानी शिष्टमंडल के अनुरोध पर ध्यान दिया है;

(ग) यदि हां, तो इस पर क्या निर्णय लिया गया है;

(घ) क्या पाकिस्तान को नियमित रूप से भारतीय गेहूं का निर्यात करने हेतु पाकिस्तान सरकार से आगे कोई बातचीत हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) से (ङ) भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल परिसंघ (फिक्की), नई दिल्ली ने 7 और 8 जुलाई, 2003 को नई दिल्ली में भारत-पाकिस्तान वाणिज्य एवं उद्योग मंडल की तीसरी बैठक आयोजित की थी जिसमें पाकिस्तानी व्यावसायिक शिष्टमंडल के 100 सदस्यों ने भाग लिया था। तथापि, इस बैठक में भारत से गेहूं का आयात करने के लिए पाकिस्तान का कोई अनुरोध विचार-विमर्श के लिए प्राप्त नहीं हुआ था।

राज्य वित्त निगम

784. श्री बसुदेव आचार्य: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुप्ता समिति ने 30 जनवरी, 2001 की अपनी रिपोर्ट में राज्य वित्त निगम के प्रचालनात्मक वित्तीय और संगठनात्मक पुनर्गठन हेतु सिफारिशें की हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस रिपोर्ट पर तत्काल कार्रवाई करने हेतु इसे सभी राज्य सरकारों को परिचालित किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो गुप्ता समिति की रिपोर्ट पर कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) जी, हां।

(ख) इन सिफारिशों पर तत्काल कार्रवाई करने के लिए रिपोर्ट को विभिन्न राज्य वित्तीय निगमों (एसएफसी) को भेजा गया था परिचालनात्मक और संगठनात्मक पुनर्गठन जैसे किसी वित्तीय सहयोग को शामिल न करें।

(ग) हाल ही में विभिन्न राज्यों में लघु उद्योग क्षेत्र के लिए विशेष रूप से राज्य वित्तीय निगमों के महत्व को ध्यान में रखते हुए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) से परामर्श करके सरकार ने राज्य वित्तीय निगमों के पुनरूज्जीवन के लिए वित्तीय पैकेज तैयार किया है। इस पैकेज में यह परिकल्पना की गई है कि जो भी राज्य वित्तीय निगम सिडबी के साथ-साथ अपने-अपने राज्य सरकारों के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते हैं, वे निम्नलिखित राहतों/रियायतों के पात्र होंगे:

(1) बकाया पुनर्वित्त/ऋण सहायता पर ब्याज दर में 2 प्रतिशत वार्षिक की कमी/कटौती।

(2) भविष्य में दिए जाने वाले सभी पुनर्वित्त/ऋण सहायता के लिए ब्याज दर में 2 प्रतिशत की छूट।

(3) विद्यमान देयराशियों की वापसी अदायगी के लिए एक वर्ष का अधिस्थगन।

स्व-सहायता समूह को ऋण

785. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों में स्थापित पंजाब नेशनल बैंक की शाखाओं की संख्या कितनी है;

(ख) उन स्व-सहायता समूहों (एस.एच.जी.) की राज्य-वार संख्या कितनी है जिन्होंने पंजाब नेशनल बैंक से ऋण लिया है; और

(ग) पंजाब नेशनल बैंक ने विभिन्न राज्यों में स्व-सहायता समूहों को सहायता देने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) पंजाब नेशनल बैंक (पी एन बी) ने सूचित किया है कि दिनांक 31.10.2003 तक की स्थिति के अनुसार विभिन्न राज्यों में उनकी 3992 शाखाएं हैं।

(ख) जिन स्व-सहायता समूहों (एस एच जी) ने पंजाब नेशनल बैंक से ऋण लिया है, उनकी राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) विभिन्न राज्यों में स्व-सहायता समूहों को सहायता देने के लिए पंजाब नेशनल बैंक द्वारा किए गए उपाय निम्नलिखित हैं:

(क) स्व-सहायता समूहों को दिए गए ऋण पर ब्याज दर कम कर दी गई है।

(ख) स्व-सहायता समूह (एस एच जी) वित्त पोषण के तहत सर्वोत्तम कार्य निष्पादन वाली शाखा को प्रेरित एवं प्रोत्साहित करने के लिए एक पी एन बी योजना बनाई गई है जिसका नाम एस एच जी पुरस्कार योजना है।

(ग) इसकी शाखाओं के प्रभारी पदधारियों को नियमित प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

(घ) क्षेत्रीय कार्यकर्त्ताओं से कहा गया है कि वे एस एच जी वित्त पोषण संबंधी केन्द्रीकरण हेतु 4-5 शाखाओं की पहचान करें।

(ङ) एस एच जी के तहत योजनाओं के ब्यौरों का उल्लेख करते हुए पैम्फलेट मुद्रित करके इसके सभी कार्यालयों में परिचालित किए गए हैं।

(च) बैंक ने पंजाब और बिहार राज्यों में कृषि वित्त निगम लि. को यह कार्य सौंपा है, ताकि बैंक द्वारा अपनाए जाने हेतु विभिन्न कार्य नीतियों का सुझाव दिया जा सके।

(छ) किसान गोष्ठियां आयोजित की जा रही हैं, शाखाओं का क्षेत्रीय दौरा किया जा रहा है और क्षेत्रीय कार्यकर्त्ताओं को सलाह दी गई है कि वे स्व-सहायता समूह बनाने और बैंक के साथ उनके अधिकाधिक संबंध बनाने हेतु ग्राम पंचायतों और गैर-सरकारी संगठनों की सहायता लें।

विवरण

क्रमांक	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	ऋण लेने वाले स्व-सहायता समूहों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	601
2.	असम	325
3.	बिहार	1248
4.	छत्तीसगढ़	164
5.	दिल्ली	4
6.	गुजरात	61
7.	हरियाणा	847
8.	हिमाचल प्रदेश	2537
9.	जम्मू-कश्मीर	29
10.	झारखण्ड	35
11.	कर्नाटक	45
12.	केरल	221
13.	मध्य प्रदेश	450
14.	महाराष्ट्र	80
15.	मेघालय	4
16.	उड़ीसा	542
17.	पंजाब	350
18.	राजस्थान	724
19.	तमिलनाडु	714
20.	उत्तर प्रदेश	3099
21.	उत्तरांचल	500
22.	पश्चिम बंगाल	1227
	कुल	13,805

उद्योगों को करावकाश

786. श्री के.पी. सिंह देव: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कुछ विशेष श्रेणी के राज्यों में उद्योगों को करावकाश प्रदान किया है;

(ख) यदि हां, तो उन विशेष श्रेणी के राज्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन राज्यों को दिए गए करावकाश का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) जी, हां।

(ख) पूर्वोत्तर राज्य, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल राज्य विशेष श्रेणी के राज्य है।

(ग) पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए घोषित नई औद्योगिक नीति के अनुसार आयकर अधिनियम में कतिपय अधिसूचित क्षेत्रों में स्थापित अथवा इन राज्यों में विशिष्ट महत्व वाले क्षेत्र के क्रियाकलापों में लगे नए उद्योगों के साथ-साथ मौजूदा उपक्रमों के लिए उनके व्यापक विस्तार पर दस वर्ष के लिए कर की कटौती का प्रावधान किया गया है।

नयी परिसम्पत्ति पुनर्गठन कम्पनियां

787. श्री वाई.वी. राव: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्तमान में विद्यमान भारतीय परिसम्पत्ति पुनर्गठन कम्पनी (ए.आर.सी.) के अलावा तीन और परिसम्पत्ति पुनर्गठन कम्पनियों की स्थापना किए जाने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इतनी परिसम्पत्ति पुनर्गठन कम्पनियों को स्थापित किए जाने का औचित्य क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि पंजीकरण के लिए उन्हें अब तक प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन कंपनियों से पंद्रह आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। इन आवेदनों की छंटनी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस प्रयोजन के लिए गठित एक बाह्य सलाहकार समिति की मदद से की जा रही है। इस समिति में बैंकिंग, विधि एवं लेखा क्षेत्र के विशिष्ट व्यक्ति शामिल हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने ऐसेट रिकंस्ट्रक्सन कंपनी (भारत) लिमिटेड (अर्सिल) जिसका पंजीकृत कार्यालय मुम्बई में है तथा ऐसेट केयर इंटरप्राइज लि. जिसका पंजीकृत कार्यालय नई दिल्ली में है, को पंजीकृत किया है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

788. डा. जसवंतसिंह यादव: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले छह महीनों के दौरान विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड द्वारा स्वीकृत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की क्षेत्रवार संख्या कितनी है;

(ख) इसमें कितनी धनराशि अंतर्ग्रस्त है;

(ग) विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड के पास स्वीकृति हेतु लंबित मामलों की संख्या कितनी है;

(घ) मामलों के निपटान में विलंब होने के क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) अप्रैल-सितम्बर, 2003 की अवधि के दौरान 3024.67 करोड़ रुपए की राशि के कुल 408 प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रस्ताव, विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए गए हैं। इन अनुमोदनों का क्षेत्र-वार ब्यौरा औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा प्रकाशित मासिक एसआईए न्यूजलैटर में उपलब्ध है, जो सभी प्रमुख प्रतिष्ठानों में परिचालित किया जाता है।

(ग) से (ङ) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रस्तावों पर विचार करना एक सतत् प्रक्रिया है। सभी अपेक्षित दस्तावेजों के साथ अनुसमर्थित होने पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रस्ताव एक समयबद्ध तरीके से पूरे किए जाते हैं।

विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड की स्थापना

789. श्री प्रबोध पण्डा: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने हेतु अपने स्वयं के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश संवर्द्धन बोर्डों की स्थापना की है;

(ख) क्या सरकार विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड की स्थापना हेतु राज्य को सहायता उपलब्ध कराती है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) से (ग) केन्द्र सरकार के स्तर पर विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए प्रस्ताव अनुमोदित करता है जो भारतीय रिजर्व बैंक के स्वत: मार्ग के अंतर्गत नहीं आता। राज्य सरकारों को विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अनुमोदन की शक्तियां नहीं हैं। तथापि, राज्य में तरजीही गंतव्य के रूप में विदेशी निवेश का संवर्द्धन राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है जिनमें से अनेक राज्यों ने इस प्रयोजनार्थ विभिन्न संवर्द्धनात्मक एजेंसियों का गठन किया है।

विकास परियोजना हेतु धनराशि

790. श्री भर्तृहरि महताब: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा चलायी जा रही वर्तमान विभिन्न विकास परियोजनाओं के विकास हेतु निधियां आवंटित की हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में केन्द्रीय सहायता प्राप्त विभिन्न योजनाओं हेतु आवंटित और वितरित निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं हेतु आवंटित धन का पूर्णरूपेण उपयोग किया जा चुका है; और

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में केन्द्र से सहायता-प्राप्त विभिन्न योजनाओं के लिए आवंटित तथा विकसित की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। जिन परियोजनाओं के लिए निधियां जारी की गई थीं, वे क्रियान्वयनाधीन हैं जैसा कि प्राप्त आवर्ती प्रगति रिपोर्टों से देखा जा सकता है।

विवरण

क्रम सं.	राज्य का नाम	योजना का नाम	जारी की गई निधियों के ब्यौरे (करोड़ रुपये में)				प्रयुक्त की गई निधियां
			2000-2001	2001-2002	2002-2003	कुल	
1.	आंध्र प्रदेश	(1) विकास केन्द्र योजना	शून्य	शून्य	1.10	1.10	1.10
		(2) निर्यात अवस्थापनापरक तथा संबद्ध कार्यकलापों (ए.एस.आई.डी.ई.) को विकसित करने के लिए राज्यों को सहायता	शून्य	शून्य	12.00	12.00*	–
2.	छत्तीसगढ़	(1) विकास केन्द्र योजना	शून्य	शून्य	1.10	1.10	1.10
		(2) निर्यात अवस्थापनापरक तथा संबद्ध कार्यकलापों (ए.एस.आई.डी.ई.) को विकसित करने के लिए राज्यों को सहायता	शून्य	2.00	4.00	6.00*	–
3.	झारखंड	(1) विकास केन्द्र योजना	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	–
		(2) निर्यात अवस्थापनापरक तथा संबद्ध कार्यकलापों (ए.एस.आई.डी.ई.) को विकसित करने के लिए राज्यों को सहायता	शून्य	2.00	4.00	6.00*	–
4.	उड़ीसा	(1) विकास केन्द्र योजना	शून्य	4.50	2.40	6.90	6.90
		(2) महत्वपूर्ण अवस्थापनापरक शेष योजना (सी आई बी)**	1.80	शून्य	शून्य	1.80	0.9621
		(3) निर्यात अवस्थापनापरक तथा संबद्ध कार्यकलापों (ए.एस.आई.डी.ई.) को विकसित करने के लिए राज्यों को सहायता	शून्य	शून्य	4.50	4.50*	–

*उपयोगिता प्रतीक्षित

**मार्च, 2002 से ए.एस.आई.डी.ई. के साथ दिया।

[हिन्दी]

भारतीय स्टेट बैंक की सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी

791. श्री तूफानी सरोज: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक का विचार सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कंपनी की स्थापना का उद्देश्य क्या है;

(ग) भारतीय स्टेट बैंक द्वारा यह कंपनी आरंभ करने पर कितनी धनराशि खर्च किये जाने की संभावना है;

(घ) क्या इस प्रस्तावित कंपनी की स्थापना उपक्रम के रूप में किये जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो उन अन्य कंपनियों का ब्यौरा क्या है जो इस कंपनी का एक भाग होंगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) जी, हां। भारतीय स्टेट बैंक एक प्रतिष्ठित सूचना प्रौद्योगिकी कम्पनी के साथ संयुक्त उद्यम (जे.वी.) की योजना बना रहा है।

(ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों को प्रौद्योगिकी लाभ की वजह से विदेशी एवं गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों से अधिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। इस प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने के उद्देश्य से, यह आवश्यक है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों में प्रौद्योगिकी के स्तर को उनके प्रतिस्पर्धियों के समकक्ष लाने के लिए प्रयत्नों को तेज किया जाए।

भारतीय स्टेट बैंक के लिए उसके विशाल शाखा नेटवर्क की वजह से, जिसमें से कुछ देश के अत्यधिक दूरदराज क्षेत्रों में है, यह चुनौती काफी बड़ी है। इन शाखाओं की नेटवर्किंग और उपकरणों के रखरखाव के लिए पर्याप्त प्रयत्न की आवश्यकता होगी। इसके लिए कोई आंतरिक प्रयत्न न केवल जटिल होगा बल्कि समय खपाने वाला भी होगा। इन सभी को प्राप्त करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक में आंतरिक क्षमता का अभाव है। संयुक्त उद्यम (जे.वी.) कंपनी को ऐसे माध्यम के रूप में देखा जा रहा है, जो बैंक के वर्तमान और भावी प्रौद्योगिकी पहलों को आगे बढ़ाएगा। यथा समय, कंपनी देश के अंदर और निकटवर्ती एवं दूरस्थ भौगोलिक क्षेत्रों में बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक से पृथक व्यावसायिक गतिविधियों को भी हाथ में लेगी।

(ग) संयुक्त उद्यम का गठन बिल्कुल प्रारंभिक चरण में है। इक्विटी अंशदान के बारे में निर्णय कंपनी की वित्तीय संरचना और इक्विटी सहभागिता की मात्रा, जिसके लिए भागीदार सहमत होगा, के आधार पर संभावित भागीदार के साथ परामर्श करके लिया जाएगा।

(घ) जी, नहीं। प्रस्तावित कंपनी संयुक्त उद्यम भागीदारी होगी।

(ङ) भारतीय स्टेट बैंक संयुक्त उद्यम संबंधी सहयोग के लिए उपयुक्त भागीदार की पहचान कर रहा है।

[अनुवाद]

बेनामी लेन-देन (निषेध) अधिनियम, 1988

792. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बेनामी लेन-देन के बहुत सारे मामले हुए हैं और क्या सरकार का विचार बेनामी लेन-देन (निषेध) अधिनियम, 1988 के अंतर्गत कठोर नियम बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने बेनामी लेन-देन वाले क्षेत्रों को जांच की है और ऐसे लेन-देन में लिप्त लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस अधिनियम के अंतर्गत संशोधित नियमों को अंतिम रूप प्रदान कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) यद्यपि इस बात की जानकारी है कि बहुत सारे बेनामी लेन-देन हो रहे हैं परंतु इस अधिनियम के अंतर्गत प्रशासनिक प्रक्रियाओं को निर्धारित करने वाले आवश्यक नियमों के अभाव में बेनामी लेन-देन (निषेध) अधिनियम, 1988 के अंतर्गत कोई भी मामला दर्ज नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी, नहीं। विधि मंत्रालय ने बेनामी लेन-देन (निषेध) अधिनियम, 1988 में गंभीर कानूनी खामियों का उल्लेख किया है जिसके कारण इस अधिनियम को लागू किए जाने संबंधी नियम नहीं बनाए गए हैं।

एल.आई.सी. व्यवसाय

793. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2002-2003 के दौरान एल.आई.सी. के नये व्यापार प्रीमियम का बाजार हिस्सा 92.15% से घटकर वित्त वर्ष 2003-2004 की पहली छमाही के लिए 89.05% रह गया है;

(ख) यदि हां, तो एल.आई.सी. के नये प्रीमियम का बाजार हिस्से में 3% की महत्वपूर्ण गिरावट के क्या कारण हैं;

(ग) एल.आई.सी. के नये बीमा प्रीमियम में इस गिरावट का दीर्घकालिक प्रभाव क्या होगा; और

(घ) एल.आई.सी. द्वारा अपने बाजार हिस्से की इस गिरावट को रोकने के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय जीवन बीमा निगम (एल.आई.सी.) ने सूचित किया है कि नए प्रीमियम में समग्र बाजार के हिस्से में कमी का आंशिक कारण एकल प्रीमियम योजनाओं में नकारात्मक वृद्धि होना है। इसके अतिरिक्त, ह्रासमान ब्याज दरों की प्रवृत्ति के कारण, कुछ मौजूदा योजनाओं को वापिस लेना पड़ा तथा समय-समय पर निजी बीमा कंपनियों ने इस वर्ष अपना कारोबार शुरू किया है तथा इस क्षेत्र में नई कंपनियों के आ जाने के परिणामस्वरूप निजी कंपनियों के बाजार-हिस्से में वृद्धि हुई है।

(ग) एल.आई.सी. को आशा है कि बाजार में स्थिरता आएगी तथा एल.आई.सी. द्वारा अपनाई गई नई कार्यनीतियों के कारण इसके नए बीमा प्रीमियम पर कोई दीर्घावधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(घ) एल.आई.सी. ने सूचित किया है कि वे अपने बिक्री कर्मचारियों को और बेहतर प्रशिक्षण देकर तथा जनसाधारण का बीमा करने हेतु नए उत्पाद तैयार करके अपनी विपणन शाखा को मजबूत बना रहे हैं। वे यह भी प्रयास कर रहे हैं कि वे अपने उत्पादों तथा सेवाओं के प्रस्तुतीकरण हेतु नियमित प्रचार करने के साथ-साथ जोरदार विपणन संबंध पहलों के जरिए प्रत्येक खंड में कारोबार संबंधी संभावना का दोहन कर सकें।

मुक्त व्यापार के लिए आसियान देशों के साथ संबंध

794. श्री जी.एस. बसवराज: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने एसोसिएशन आफ साउथ ईस्ट नेशन्स (आसियान) के साथ व्यापक आर्थिक सहयोग से संबंधित एक समझौते प्रपत्र पर हस्ताक्षर किए हैं जिससे दस वर्ष की समय-सीमा के भीतर मुक्त व्यापार क्षेत्र का मार्ग प्रशस्त हो जायेगा;

(ख) यदि हां, तो क्या चीन ने भी आसियान देशों के साथ तीन वर्ष के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ग) यदि हां, तो भारतीय समझौता चीनी समझौते से कितना अलग है; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप भारत कितना लाभान्वित होगा?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) जी, हां। भारत ने 8 अक्तूबर, 2003 को बाली, इंडोनेशिया में आसियान के साथ एक कार्य ढांचा करार पर हस्ताक्षर किए है जिसमें आसियान-भारत क्षेत्रीय व्यापार और निवेश क्षेत्र (आरटीआईए) स्थापित करने के लिए वार्ताएं शुरू करने के लिए सहमति हुई है जिसमें वस्तुओं से आरंभ करके एक मुक्त व्यापार क्षेत्र (एफटीए) निर्धारित करने की परिकल्पना की गई है जिसका बाद में सेवाओं और निवेशों में व्यापार तक विस्तार किया जाएगा। कार्य ढांचा करार में वर्ष 2016 तक भारत और आसियान के बीच वस्तुओं में मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निश्चय किया गया है।

(ख) चीन ने नवम्बर, 2002 में फ्नोम पेन्ह कंबोडिया में आसियान के साथ व्यापक आर्थिक सहयोग के संबंध में मुक्त व्यापार करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं जिसमें दस वर्ष की समय-सीमा के भीतर वस्तुओं में मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निश्चय किया गया है।

(ग) दोनों समझौतों के बीच मुख्य अंतरों का संक्षिप्त रूप से इस प्रकार उल्लेख किया जा सकता है:-

(1) हालांकि भारत और आसियान के बीच वस्तुओं में मुक्त व्यापार क्षेत्र वर्ष 2016 तक बनाया जाएगा जबकि चीन द्वारा यह कार्य 2015 तक किया जाएगा।

(2) भारत और आसियान के बीच सेवाओं और निवेश में मुक्त व्यापार क्षेत्र के लिए वार्ताएं 2005 में शुरू होंगी और 2007 तक समाप्त हो जाएंगी और सेवाओं के क्षेत्रों की पहचान, उदारीकरण आदि को कार्यान्वयन के लिए बाद में अंतिम रूप दिया जाएगा। तथापि आसियान और चीन के बीच कार्य ढांचा करार में सेवाओं और निवेश में वार्ताओं को शुरूआत का समय निर्धारित (वर्ष 2003) किया गया है। परंतु इन वार्ताओं को समाप्त करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं है।

(3) भारत और आसियान के बीच आर्थिक सहयोग के अभिज्ञात क्षेत्रों में व्यापार की सुविधा देने के उपाय, सहयोग के क्षेत्र और व्यापार और निवेश संवर्धन के उपाय शामिल हैं तथा चीन के साथ किए गए करार से अधिक निदर्शी हैं।

(4) भारत के साथ किए गए कार्य ढांचा करार में शीघ्र फलदायी कार्यक्रम (ईएचपी) के अंतर्गत सूचीबद्ध उत्पादों के संबंध में टैरिफ रियायतों के आदान-प्रदान का प्रावधान है। इन उत्पादों से संबंधित टैरिफ रियायतों का आदान-प्रदान 1 नवम्बर, 2004 से शुरू होगा और उत्पादों को निम्नलिखित तरीके से श्रेणीबद्ध किया गया है:-

(क) 105 मदों 6 अंकीय एचएस स्तर पर) की सामान्य सूची जिन पर टैरिफ रियायतों का आदान-प्रदान किया जाएगा। भारत और आसियान 6 (ब्रुनेई दारूस्सलाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपीन्स, सिंगापुर तथा थाइलैंड) के मध्य तीन वर्षों के पश्चात् टैरिफ समाप्त कर दिए

जाएंगे। भारत इन मदों पर कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और विएतनाम के लिए तीन वर्ष के भीतर टैरिफ हटा देगा जबकि यह देश भारत के लिए यह कार्य छह वर्ष में करेंगे।

(ख) 111 मदों (वही 6 अंकीय एचएस स्तर पर) की सूची जिन पर भारत, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और विएतनाम के लिए तीन वर्ष के भीतर एकपक्षीय टैरिफ रियायतें प्रदान करेगा। इन मदों पर टैरिफों को तीन वर्ष में समाप्त कर दिया जाएगा।

उक्त दो श्रेणियों में शामिल मदों में उत्पादों की व्यापक श्रृंखला अर्थात् अकार्बनिक और कार्बनिक रसायन, काष्ठ और काष्ठ उत्पाद, कागज और कागज के बोर्ड, मशीनें और उपकरण, अपरिष्कृत चर्म और खालें फुटवियर आदि शामिल हैं।

चीन के मामले में शीघ्र फलदायी कार्यक्रम के अंतर्गत केवल कृषि उत्पाद (जीवित मवेशी, मांस और खाद्य मांस, ओफल, मत्स्य, डेरी उत्पाद, अन्य पशु उत्पाद, सजीव पेड़, खाद्य सब्जियां और खाद्य फल तथा गिरियां) शामिल हैं। इसमें उक्त कृषि उत्पादों से मदों की अलगाव सूची का भी निर्धारण किया गया है जिन पर रियायतें उपलब्ध नहीं हैं।

(5) भारत के साथ ईएचपी के अंतर्गत सहयोग के कुछ क्षेत्रों का पता लगाया गया है ताकि इन क्षेत्रों में फास्ट ट्रैक के आधार पर सहयोग किया जा सके। आसियान और चीन के बीच कार्य ढांचा करार में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। भारत और आसियान के बीच कार्य ढांचा करार में यह निर्धारित किया गया है कि कोई आसियान सदस्य करार के कार्यान्वयन में अपनी सहभागिता स्थगित कर सकता है बशर्ते करार पर हस्ताक्षर करने की तारीख से 12 महीने के भीतर दूसरे पक्षकारों को एक अधिसूचना दी जाए। संबंधित पक्षकार इस करार के कार्यान्वयन में उन्हीं शर्तों पर किसी बाद की तारीख को इस करार के कार्यान्वयन में भाग लेगा जिसमें ऐसी सहभागिता के समय अन्य पक्षकारों द्वारा की जाने वाली और वचनबद्धताएं शामिल हो सकती हैं। आसियान और चीन के बीच कार्य ढांचा करार में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

(घ) एक आरटीआईए की प्रस्तावित स्थापना लाभ के अनेक घटकों द्वारा की गई है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

(1) आसियान-भारत के सम्मिलित बाजार में 1.5 बिलियन जनसंख्या है, लगभग 900 बिलियन अमरीकी डालर का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी), और 700 बिलियन अमरीकी डालर की राशि का सकल व्यापार है। बाजार के बड़े आकार से आपूर्ति और मांग दोनों परिप्रेक्ष्यों से मात्रा और व्याप्ति का लाभ प्राप्त करने के लिए अत्यधिक अवसर प्राप्त होते हैं।

(2) आसियान और भारत के व्यापार ढांचे के विश्लेषण से पर्याप्त व्यापार संपूरकता मालूम होती है जिसमें व्यापार के विस्तार की गुंजाइश निहित है। आसियान और भारत के द्विपक्षीय व्यापार में विषम निर्यात ढांचे से विविधीकरण के जरिए व्यापार विस्तार की काफी गुंजाइश मालूम होती है जबकि उनके कुल निर्यात ढांचे पूरी तरह से विविध हैं।

(3) व्यापार और निवेश की बाधाओं को समाप्त करने के परिणामस्वरूप होने वाली प्रतिस्पर्धा से अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता की ओर घरेलू उत्पादक प्रेरित होंगे।

(4) आरटीआईए बनाने से भारत को आसियान से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्राप्त होने की आशा है और इसी के साथ बहुत से बड़े भारतीय निगमों को अवसर सुलभ होंगे जो अब निर्यातों की अपेक्षा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के जरिए बाजार पहुंच पर ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं।

(5) सहयोग के लिए प्राथमिकता के क्षेत्रों का पता लगा लिया गया है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ पर्यटन, बुनियादी संरचना, भेषज, शिक्षा और मानव संसाधन विकास, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जनसंपर्क और मनोरंजन आदि शामिल हैं जिनमें भारत और आसियान के बीच तकनीकी सहयोग के जरिए क्षेत्रीय विकास होगा।

घाटे में चल रही जूट और वस्त्र इकाइयां

795. श्री अनन्त नायक: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में जूट और वस्त्र की अलाभकारी इकाइयों की पहचान कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) घाटा होने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या इन इकाइयों की सहायता करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) देश में अलाभप्रद पटसन और वस्त्र इकाइयों की पहचान करने के लिए कोई अध्ययन नहीं किया गया है। हालांकि

30 पटसन मिलों और 324 वस्त्र मिलों के मामले उनकी रुग्णता के कारण बीआईएफआर को भेजे गए हैं। बीआईएफआर को भेजे गए राज्य-वार पटसन और वस्त्र मिलों के मामले को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) इन पटसन और वस्त्र मिलों द्वारा घाटा उठाए जाने के प्रमुख कारण कच्चे माल के उत्पादन में अस्थिरता, निम्न क्षमता, अपेक्षाकृत उच्च श्रम और विद्युत लागत, अप्रचलित मशीनरी एवं प्रौद्योगिकी रहे हैं।

(घ) और (ङ) सरकार ऐसी नीति व्यवस्था विकसित करना चाहती है जो भारत में वस्त्र और पटसन उद्योग के विकास को सुगम बनाती हो। इसने रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनरुद्धार के लिए अनेक कदम उठाए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देश, रुग्ण इकाइयों का स्वस्थ इकाइयों में मिलेगा, रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम के अंतर्गत औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) का गठन आदि शामिल है। भारतीय रिजर्व बैंक समय-समय पर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करता रहा है जिसमें औद्योगिक पुनर्वासन के सभी क्षेत्रों अर्थात् प्रारंभिक चरण में औद्योगिक रुग्णता का पता लगाने, रुग्ण/कमजोर इकाइयों की पहचान करना, फिर इकाइयों का व्यवहार्यता-अध्ययन करना और फिर केवल अर्थक्षम इकाइयों को राहत और रियायत प्रदान करना, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं और स्वयं बैंकों में समन्वय, संवर्धक के अंशदान के लिए मानदंड तय करना, ऋण का पुनर्भुगतान/पुनःसूचीबद्ध करने के लिए बढ़ी हुई अवधि, दंडात्मक ब्याज दर/चक्रवृद्धि ब्याज को परिवर्तित करना और माफ करना आदि शामिल किया गया है।

15 सितंबर, 2003 से, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में भारत सरकार ने संगठित क्षेत्र में वस्त्र मिलों/इकाइयों के उच्च लागत ऋण के पुनर्गठन के लिए एक पैकेज की घोषणा की है। यह पैकेज 2 करोड़ रुपए के न्यूनतम ऋण एक्सपोजर के साथ संभावित रूप से अर्थक्षम वस्त्र इकाइयों/मिलों के लिए लागू होगा। यह पैकेज रुग्ण इकाइयों के लिए लागू नहीं है।

विवरण

औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) के पास पंजीकृत वस्त्र मिलों के मामलों की राज्य-वार सूची

क्र.सं.	राज्य	वस्त्र मिलों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	45
2.	असम	4
3.	बिहार	3
4.	चंडीगढ़	2
5.	दादरा और नगर हवेली	6
6.	दिल्ली	33
7.	गोवा	1
8.	गुजरात	99
9.	हरियाणा	25
10.	हिमाचल प्रदेश	1
11.	कर्नाटक	40
12.	केरल	10
13.	मध्य प्रदेश	26
14.	महाराष्ट्र	142
15.	उड़ीसा	6
16.	पांडिचेरी	1
	कुल	324

औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) के पास पंजीकृत पटसन मिलों के मामलों की राज्य-वार सूची

क्र.सं.	राज्य	पटसन मिलों की संख्या
1.	पश्चिम बंगाल	26
2.	आंध्र प्रदेश	1
3.	उत्तर प्रदेश	1
4.	बिहार	1
5.	उड़ीसा	1
	कुल	30

बलात्कार कानून की समीक्षा

796. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 18 अक्तूबर, 2003 के 'द हिन्दुस्तान टाइम्स' में ''द डेफिनिशन आफ रेप इज पार्ट आफ

द प्राब्लम'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार भारतीय दंड संहिता की धारा 375 और 376 के अंतर्गत शामिल किये गये बलात्कार कानूनों की समीक्षा करने का है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस कानून की खामियों को दूर करने और सभी प्रकार के यौन शोषण को कानून में शामिल करने के उद्देश्य से बलात्कार की परिभाषा में विस्तार करने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.सी. थामस): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विधि आयोग ने ''बलात्संग विधियों का पुनर्विलोकन'' पर अपनी 172वीं रिपोर्ट में धारा 375 के अंतर्गत आने वाले अपराध की परिधि को व्यापक बनाने और इसे लिंगों के संबंध में तटस्थ बनाने के लिए परिवर्तनों की सिफारिश की है। भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और धारा 376क से धारा 376घ में विभिन्न अन्य परिवर्तनों और अविधिपूर्ण यौन संपर्क से संबंधित नई धारा 376ङ के अंत:स्थापन, धारा 377 को हटाने और धारा 509 में उल्लिखित दंड को बढ़ाने की सिफारिश की है।

चूंकि दंड विधि और दंड प्रक्रिया भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची में हैं, अत:, राज्य सरकारों से भारत के विधि आयोग की सिफारिशों पर अपनी राय देने का अनुरोध किया गया है।

कंपनियों के निदेशक

797. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बहुत-सी बड़ी सरकारी लिमिटेड कंपनियों के बोर्डों में 85 वर्ष की उम्र से भी अधिक उम्र वाले निदेशक हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने का है कि सरकारी लिमिटेड कंपनी का कोई भी निदेशक 75 वर्ष की उम्र से अधिक का न हो;

(घ) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की स्थिति क्या है; और

(ङ) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये हैं कि कंपनी के निदेशक मंडल में केवल मानसिक और शारीरिक रूप से चुस्त-दुरूस्त व्यक्तियों की नियुक्ति की जाए?

वित्त मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) कंपनी कानून के अनुसार ऐसी किसी सूचना का रखरखाव नहीं किया जाता है।

(ग) से (ङ) राज्य सभा में दिनांक 07.05.2003 को पुर: स्थापित कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2003 में एक प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति पचहत्तर साल की उम्र प्राप्त करने पर, किसी कंपनी का प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक या अन्य निदेशक या प्रबंधक बनने का पात्र नहीं होगा।

भारत-थाईलैंड व्यापार का विस्तार

798. श्री परसुराम माझी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव भारत-थाईलैंड व्यापार के विस्तार का है;

(ख) क्या इस संबंध में दोनों देशों ने किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) भारत और थाईलैंड के बीच व्यापार के विस्तार के लिए सरकार के विचाराधीन कौन-कौन से प्रस्ताव हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) और (ख) द्विपक्षीय व्यापार तथा आर्थिक संबंधों को सुदृढ़ करने हेतु, भारत तथा थाईलैंड ने मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना करने के लिए 9 अक्तूबर, 2003 को एक ढांचागत करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ग) और (घ) ढांचागत करार के मुख्य तत्वों में वस्तुओं, सेवाओं तथा निवेश संबंधी एफ टी ए और आर्थिक सहयोग के क्षेत्र शामिल हैं। ढांचागत करार में एक शीघ्र फलदायी योजना (ई एच एस) का भी प्रावधान है जिसके तहत फास्ट ट्रैक आधार पर सामान्य मदों पर से टैरिफ समाप्त करने के संबंध में सहमति हुई है। ढांचागत करार के विभिन्न संघटक निम्नलिखित हैं:-

(1) वस्तु संबंधी एफ टी ए

(2) सेवा एवं निवेश संबंधी एफ टी ए

(3) आर्थिक सहयोग के क्षेत्र

(4) शीघ्र फलदायी योजना (ई एच एस)

ओवरसीज कमर्शियल बैंकों द्वारा निवेश

799. श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने इक्विटी बाजार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, म्युचुअल फंड योजनाओं, यू.टी.आई. की यूनिटों, जमीन-जायदाद, कंपनी सावधि जमा और ऋण पत्रों में ओवरसीज कमर्शियल बैंकों (ओ.बी.सी.) द्वारा निवेश पर हाल ही में प्रतिबन्ध लगाया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसा प्रतिबन्ध लगाने के मुख्य उद्देश्य क्या हैं; और

(ग) इससे अनिवासी भारतीयों का निवेश कितना रूकेगा अथवा कम होगा तथा इससे अनिवासी भारतीय कितनी धनराशि जुटा पायेंगे?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) जी, हां।

(ख) विदेशी निगमित निकायों (ओबीसी) की मान्यता समाप्त करने का निर्णय प्रतिभूति बाजार घोटाला संबंधी संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारत में विदेशी निगमित निकायों के निवेश क्रियाकलापों की समीक्षा की परिणाम है।

(ग) इस कदम से अनिवासी भारतीय निवेशों पर कोई प्रतिबंध या रोक नहीं लगेगी क्योंकि अनिवासी भारतीय को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए स्वत: अनुमोदित मार्ग सहित किसी अन्य विदेशी निवेशक के लिए उपलब्ध सभी सुविधाएं प्राप्त होती रहेंगी।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उपाय

800. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का कोई प्रस्ताव अनुसंधान और विकास में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने हेतु नीति उपाय लागू करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनके कब तक प्रभावी होने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) से (ग) सरकार ने एक उदार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति लागू की है तथा एक लघु नकारात्मक सूची को छोड़कर अधिकांश क्षेत्र स्वचालित मार्ग के अंतर्गत रखे गए है। विदेशी प्रत्यक्ष नीति की सतत् आधार पर समीक्षा की जाती है। समीक्षा करने वाले प्राधिकारी इक्विटी कैप, प्रवेश मार्ग तथा क्षेत्रीय मार्गनिर्देश सहित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के विभिन्न पहलुओं पर विचार करते हैं।

स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड

801. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी:
डा. एन. वेंकटस्वामी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने सभी बैंकों से स्वरोजगार व्यक्तियों जैसे मछुआरों और रिक्शा चलाने वाले लोगों के लिए स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड आरंभ करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य विशेषताएं क्या है;

(ग) वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान ऐसे क्रेडिट कार्डों को जारी करने के लिए राज्य-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) यह योजना किसान क्रेडिट कार्ड योजना से किस प्रकार भिन्न है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) जी, हां।

(ख) स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

- इस योजना के तहत छोटे कारीगरों, हस्तकरघा बुनकरों, सेवा क्षेत्र, मछुआरों, स्वरोजगारियों, रिक्शा मालिकों एवं अन्य सूक्ष्म उद्यमियों को लचीले ढंग से झंझट-मुक्त एवं लागत प्रभावी ढंग से कार्यशील पूंजी/अथवा थोक पूंजी अथवा दोनों ही प्रकार के ऋण को प्रदान करने का प्रावधान है।
- इस सुविधा में उपभोग आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त संघटक को भी शामिल किया जा सकता है।
- स्व-रोजगार क्रेडिट कार्ड 5 वर्षों तक मान्य है और वार्षिक आधार पर इसका नवीकरण खाता के संतोषप्रद परिचालन के अध्यधीन होगा।

* इस योजना के अंतर्गत ऋण की निर्धारित सीमा 25000/- रुपए है किन्तु पात्र मामलों में बैंक उच्चतम सीमा पर विचार कर सकते हैं।

* इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी स्वयं ही सामूहिक बीमा योजना के अंतर्गत कवर होंगे तथा इसका प्रीमियम बैंक एवं लाभार्थी समान रूप से देंगे।

(ग) वर्ष 2003-04 के दौरान इस योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना निम्नांकित रूप से किसान क्रेडिट कार्ड से भिन्न है:

* किसान क्रेडिट कार्ड केवल किसानों को ऋण प्रदान करता है जबकि स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना में कृषितर क्षेत्र के लघु उधारकर्त्ताओं के सभी समूह शामिल है तथा लघु कारीगरों, हस्तकरघा बुनकरों, सेवा क्षेत्र, मछुआरों, स्वरोजगारियों, रिक्शा मालिकों, अन्य उद्यमियों को बैंकों से ऋण प्राप्त होता है।

* स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड उपभोग आवश्यकताओं के लिए संघटक प्रदान करता है जबकि किसान क्रेडिट कार्ड यह प्रदान नहीं करता है।

* स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना 5 वर्षों के लिए मान्य है जबकि किसान क्रेडिट कार्ड 3 वर्षों के लिए मान्य है।

* स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत अधिकतम ऋण की राशि 25000/- रुपए है किन्तु पात्र मामलों में बैंक उच्चतम सीमा पर विचार कर सकते हैं जबकि किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत ऋण की राशि जोत/फसल पद्धति इत्यादि पर निर्भर करती है।

विवरण

वर्ष 2003-04 के दौरान स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड जारी करने का राज्य-वार लक्ष्य दर्शाने वाला ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	लक्ष्य
1	2	3
1.	त्रिपुरा	1,000
2.	गुजरात	10,000
3.	मिजोरम	1,000
4.	कर्नाटक	25,000
5.	मध्य प्रदेश	10,000
6.	उड़ीसा	20,000
7.	पंजाब	10,000
8.	हरियाणा	10,000
9.	तमिलनाडु	35,500
10.	उत्तरांचल	2,000
11.	नागालैंड	1,000
12.	सिक्किम	1,000
13.	असम	3,000
14.	आंध्र प्रदेश	50,000
15.	मणिपुर	1,000
16.	अरुणाचल प्रदेश	1,000
17.	राजस्थान	10,000
18.	जम्मू एवं कश्मीर	2,000
19.	प. बंगाल	10,000
20.	उत्तर प्रदेश	20,000
21.	बिहार	10,000
22.	महाराष्ट्र	30,000
23.	गोवा	500
24.	छत्तीसगढ़	2,000
25.	झारखण्ड	2,000
26.	मेघालय	1,000
27.	हिमाचल प्रदेश	2,000
28.	केरल	15,000
29.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप	300
	कुल	2,86,300

प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष

802. श्री वाई.वी. राव: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिनांक 31 मार्च, 2007 तक तीन वर्षों तक वस्त्र इकाइयों के आधुनिकीकरण के लिए आसान ऋण देने वाली प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना (टी.यू.एफ.एस.) का विस्तार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त कोष के अंतर्गत वस्त्र क्षेत्र को प्रस्तावित रियायत का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): (क) जी, हां।

(ख) उपर्युक्त योजना के तहत वस्त्र क्षेत्र को उपलब्ध मुख्य रिआयतें निम्नलिखित हैं-

* इस योजना में प्रौद्योगिकी उन्नयन की परियोजना पर योजना के अनुरूप ऋणदात्री एजेंसी द्वारा लगाए गए ब्याज पर 5% बिंदु की दर से ब्याज की प्रतिपूर्ति का प्रावधान है।
* 1 जनवरी, 2002 से लघु वस्त्र और पटसन उद्योगों को टीयूएफएस के तहत या तो 12% ऋण संबद्ध पूंजीगत सब्सिडी (सीएलसीएस) अथवा मौजूदा 5% ब्याज प्रतिपूर्ति का लाभ उठाने के लिए एक विकल्प भी प्रदान किया गया है।
* विद्युतकरघा क्षेत्र के लिए 6.11.2003 से, विद्युतकरघा और बुनाई संबंधी प्रारंभिक मशीनरी के लिए अपफ्रंट 20% पूंजीगत सब्सिडी की भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त सभी सहकारी बैंकों और अन्य वास्तविक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को शामिल करने के लिए ऋण नेटवर्क और आगे बढ़ाते हुए अनुमति दी गई है।

चीन और अमेरिका के साथ व्यापार समझौते

803. श्री प्रबोध पण्डा: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान चीन, अमरीका के साथ कौन-कौन से व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाने के परिणामस्वरूप भारत ने कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की है;

(ग) क्या इन देशों के साथ कुछ अन्य समझौतों पर हस्ताक्षर किया जाना सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) और (ख) 22-27 जून 2003 के दौरान प्रधानमंत्री की चीन यात्रा के दौरान व्यापार से संबंधित निम्नलिखित करारों पर हस्ताक्षर किए गए थे:-

(1) सीमा व्यापार बढ़ाने हेतु एक ज्ञापन

(2) भारत से चीन को आमों का निर्यात करने के लिए पादप स्वच्छता की अपेक्षाओं से संबंधित एक प्रोटोकाल

(3) संबंधों एवं व्यापक सहयोग के सिद्धांतों से संबंधित एक घोषणा पत्र जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ व्यापार से संबंधित निम्नलिखित तत्व शामिल हैं:-

- संयुक्त आर्थिक दल (जे ई जी) की मंत्रिस्तरीय बैठक की महत्ता
- व्यापार एवं आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए दोनों देशों के बीच संपूरकताओं की संभावना की जांच करने के लिए एक कम्पैक्ट संयुक्त अध्ययन दल (जे एस जी) का गठन करना जिसमें अधिकारी एवं अर्थशास्त्री शामिल होंगे।

भारत सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान यू एस ए के साथ किसी व्यापार करार पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

इन करारों पर हस्ताक्षर के परिणामस्वरूप भारत द्वारा अर्जित की गई विदेशी-मुद्रा की राशि की मात्रा का आकलन करना संभव नहीं है।

(ग) और (घ) वर्तमान में कोई विशिष्ट करार विचाराधीन नहीं है। तथापि तीन तथा यू एस ए के साथ भारत का व्यापार बढ़ाने के लिए सरकार विभिन्न उपायों जैसे करारों पर हस्ताक्षर करने, संयुक्त आर्थिक दल, व्यापार संबंधी कार्यदल की बैठकें आयोजित करने, क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित करने और व्यापार मेलों में भागीदारी करने के माध्यम से लगातार प्रयास कर रही है।

उड़ीसा के लिए धनराशि

804. श्री भर्तृहरि महताब: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्य सरकारों विशेषकर उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा अपनी विभिन्न चालू योजनाओं के लिए केन्द्र सरकार से मांगी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ख) गत दो वर्षों अर्थात् 2001-2002 और 2002-2003 के दौरान राज्यों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा वास्तविक रूप से कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) राज्य सरकारें केन्द्र सरकार से समय-समय पर वित्तीय सहायता की मांग करती रहती हैं। उड़ीसा सरकार ने अर्थोपाय अग्रिम प्रदान करने और केन्द्रीय करों, सामान्य केन्द्रीय सहायता और लघु बचतों में से अग्रिम तौर पर शेयर जारी करने के लिए वर्ष के दौरान दस बार अनुरोध किया है।

(ख) भारत सरकार ने राज्य वार्षिक योजनाओं के वित्तपोषण हेतु वर्ष 2001-02 और वर्ष 2002-03 के दौरान क्रमशः 39482.00 करोड़ रुपए और 45361.08 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता आबंटित की थी।

छठा वेतन आयोग

805. **श्री चन्द्रनाथ सिंह:**
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:
श्री राम मोहन गाड्डे:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार दस वर्ष की प्रत्येक अवधि के पश्चात् केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग गठित करती है;

(ख) यदि हां, तो क्या छठे वेतन आयोग के गठन किए जाने का समय हो गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने छठे वेतन आयोग के गठन के लिए अभ्यावेदन दिए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार महंगाई भत्ते के एक भाग का विलय मूल वेतन में करने का भी है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए यथाशीघ्र छठा वेतन आयोग गठित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) जे.सी.एम. में कर्मचारी पक्ष द्वारा छठे वेतन आयोग के गठन की मांग की गई थी।

(ङ) जी, नहीं।

(च) वित्तीय एवं अन्य निहितार्थों को देखते हुए इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

(छ) ऐसे कोई कदम नहीं उठाए गए हैं।

पुनर्गठन पैकेज समिति

806. **श्री वी. वेत्रिसेलवन:** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वस्त्र उद्योग के लिए हाल ही में घोषित ऋण पुनर्गठन पैकेज के सुचारू कार्यान्वयन के लिए एक दस-सदस्यीय कार्यान्वयन समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के लिए विचारार्थ विषय क्या हैं;

(ग) यह समिति ऋण पुनर्गठन पैकेज कार्यान्वयन की प्रगति की कितनी निगरानी करेगी और समय-समय पर इसके समक्ष लाये गये मुद्दों का भी कितना अध्ययन करेगी; और

(घ) समिति द्वारा कब तक अपनी सिफारिशें प्रस्तुत किये जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): (क) से (घ) वस्त्र पुनर्गठन-पैकेज का सुचारू रूप से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने और पात्र उद्योगों को बैंकों/वित्तीय संस्थानों तक पहुंच बनाने को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सचिव (वस्त्र) की अध्यक्षता में एक कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है, जिसके सदस्य निम्नलिखित हैं:-

1. संयुक्त सचिव, बैंकिंग विभाग,
2. वस्त्र आयुक्त,
3. महासचिव, भारतीय सूती मिल्स परिसंघ (आईसीएमएफ),

4. आईसीएमएफ से एक उद्योग प्रतिनिधि,

5. दक्षिण भारत मिल्स परिसंघ (एसआईएमए) के एक प्रतिनिधि,

6. भारतीय कताई संघ से एक प्रतिनिधि,

7. अध्यक्ष, आईसीआईसीआई अथवा उनका नामित व्यक्ति,

8. अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति,

9. संयुक्त सचिव, वस्त्र मंत्रालय-सदस्य, संयोजक।

उपर्युक्त समिति से कोई सिफारिश प्रस्तुत करने की आशा नहीं की गई है। यह समिति पैकेज की प्रगति की मानीटरिंग और नियमित रूप से विभिन्न विषयों की जांच करेगी।

घटिया गुणवत्ता वाले बल्ब

807. **श्री रामजीवन सिंह:**
श्री दिनेश चन्द्र यादव:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उपभोक्ता शिक्षा और अनुसंधान सोसायटी (सी.ई.आर.एस.) द्वारा किए गए हाल के अध्ययन की जानकारी है जिसके अनुसार देश में निर्मित विभिन्न ब्रांडों वाले 60 वाट के अधिकांश बल्ब बी.आई.एस. के मानकों पर खरा नहीं उतरते;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मूल्यांकन मानक क्या हैं और गत तीन वर्षों के दौरान बी.आई.एस. मानकों का कितना अनुपालन हुआ है;

(ग) क्या देश में निर्माताओं द्वारा उत्पादित विभिन्न ब्रांडों के बल्बों की गुणवत्ता के परीक्षण के लिए कोई सरकारी तंत्र है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) और (ख) जी, हां। कंज्यूमर एजूकेशन एण्ड रिसर्च सोसाइटी (सी ई आर एस) द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार बिजली के बल्ब के 11 ब्राण्ड जी एल एस लैम्ब संबंधी संगत भारतीय मानक, आई एस 418 : 1978 के अनुरूप पाये गए थे, पांच ब्राण्ड उक्त भारतीय मानक के अनुरूप नहीं पाए गए थे। चार ब्राण्ड औसत जीवन में विफल पाए गए और एक ब्राण्ड आरंभिक रोशनी और वेटेज में विफल पाया गया। भारतीय मानक ब्यूरो ने अब तक आई एस आई चिह्न का प्रयोग करने के लिए विनिर्माताओं को 176 लाइसेंस जारी किए हैं। जनवरी, 1999 से भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा परीक्षित 53 नमूनों में से 20 विफल हुए हैं। भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम और उसके तहत बने नियमों/विनियमों के उपबंधों के अनुसार उन विनिर्माताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाती है जो संगत भारतीय मानक में निर्धारित विनिर्देशनों का अनुपालन नहीं करते हैं।

(ग) से (ङ) जी एल एस लैम्प भारतीय मानक ब्यूरो की अनिवार्य प्रमाणन के तहत आता है। भारतीय मानक ब्यूरो फैक्ट्री में जाकर और फैक्ट्री के साथ-साथ बाजार से लिए नमूने की जांच करके उन विनिर्माताओं के कार्य-निष्पादन की नियमित मानीटरिंग कर रहा है जिन्हें बल्ब बनाने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो के मानक चिह्न का प्रयोग करने की अनुमति प्रदान की गई है।

विदेशी मुद्रा भंडार

808. **श्रीमती रेणुका चौधरी:**
श्री जे.एस. बराड़:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिनांक 30 अगस्त, 2003 से विदेशी मुद्रा भंडार सप्ताह-दर-सप्ताह बदलता रहा है और तत्संबंधी विदेशी मुद्रा संपत्ति, स्वर्ण भंडार और एस.डी.आर. की मात्रा कितनी है;

(ख) दिनांक 30 अगस्त और 30 नवम्बर, 2003 की स्थिति के अनुसार देश में कुल कितना विदेशी ऋण है और प्रत्येक व्यक्ति ऋण कितना है;

(ग) क्या विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि का श्रेय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश बताया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) 29 अगस्त, 2003 के समाप्त सप्ताह से भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का ब्यौरा (मिलियन अमरीकी डालर में) संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) भारत अपना विदेशी ऋण का आंकड़ा एक तिमाही आधार पर अर्थात् मार्च अंत, जून अंत, सितम्बर अंत और दिसम्बर के अंत में तैयार करता है। भारत का विदेशी ऋण मार्च अंत 2003 में और जून अंत, 2003 में क्रमश: 104.55 बिलियन अमरीकी डालर और 109.58 बिलियन अमरीकी डालर रहा। भारत का प्रति

वर्ष विदेशी ऋण दिसम्बर अंत 2002 में 101.2 अमरीकी डालर रहा।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

भारत का साप्ताहिक विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडार
(मिलियन अमरीकी डालर में)

समाप्त सप्ताह	एसडीआर	स्वर्ण	एफसीए	कुल
29 अगस्त, 2003	3	3,628	82,624	86,255
5 सितम्बर, 2003	3	3,720	83,642	87,365
12 सितम्बर, 2003	4	3,720	84,132	87,856
19 सितम्बर, 2003	4	3,720	84,832	88,556
26 सितम्बर, 2003	4	3,720	85,603	89,327
3 अक्तूबर, 2003	4	3,919	83,815	87,738
10 अक्तूबर, 2003	4	3,919	86,430	90,353
17 अक्तूबर, 2003	4	3,919	87,392	91,315
24 अक्तूबर, 2003	4	3,919	87,969	91,892
7 नवम्बर, 2003	4	3,920	89,287	93,211
14 नवम्बर, 2003	3	3,920	89,740	93,663
21 नवम्बर, 2003	3	3,920	91,450	95,373

अन्य पिछड़े वर्ग को रोजगार का अवसर

809. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनेक विभागों, स्वायत्त कार्यालयों, आनुषंगिक और सम्बद्ध कार्यालयों में अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को रोजगार के पर्याप्त अवसर प्रदान किए हैं;

(ख) क्या अधिकांश मामलों में अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों की संख्या कुल कर्मचारियों की संख्या, विशेषकर समूह "क" और "ख" के मामले में उनकी अपेक्षित संख्या से बहुत कम है;

(ग) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं; तथा अन्य पिछड़े वर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व उपलब्ध कराने तथा रोजगार के अवसरों के संदर्भ में अन्य पिछड़े वर्ग को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए सरकार द्वारा कौन से सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने समूह क, ख, ग और घ में अन्य पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधित्व की वर्तमान स्थिति के संबंध में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनेक विभागों, स्वायत्त कार्यालयों, आनुषंगिक और सम्बद्ध कार्यालयों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

हथकरघा क्षेत्र के लिए योजनाएं

810. श्री ए. नरेन्द्र:
श्री प्रभुनाथ सिंह:
श्री गुथा सुकेन्द्र रेड्डी:
श्री अलकेश दास:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हथकरघा क्षेत्र/हथकरघा बुनकरों के विकास के लिए कार्यान्वित की गई प्रत्येक योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों से कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और वर्ष 2002-2003 तथा 2003-2004 के दौरान आज तक इसके अंतर्गत राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई और जारी की गई;

(ग) उक्त अवधि के दौरान ऐसी योजनाओं पर प्रत्येक राज्य सरकार ने कितनी धनराशि का उपयोग किया है;

(घ) आज तक कितने बुनकर लाभान्वित हुए और इन योजनाओं के अंतर्गत राज्य-वार कितनी हथकरघा इकाइयों का आधुनिकीकरण किया गया;

(ङ) राज्य सरकारों द्वारा इन योजनाओं में सुधार के लिए प्रस्तुत दृष्टिकोणों का ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) विद्युत करघा क्षेत्र से प्रतिस्पर्धा पर काबू पाने और अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का सामना करने के संबंध में इन योजनाओं का क्या प्रभाव पड़ा है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): (क) भारत सरकार देश में हथकरघा क्षेत्र/हथकरघा बुनकरों के संवर्धन एवं विकास के लिए निम्नलिखित योजनाएं/कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही है:-

1. दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना।
2. हथकरघा निर्यात योजना।
3. मिल गेट कीमत योजना।
4. डिजाइन विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम।
5. विपणन संवर्धन कार्यक्रम।
6. कार्यशाला-सह-आवास योजना।
7. बुनकर कल्याण योजना-स्वास्थ्य पैकेज, ग्रिफ्ट फंड, समूह बीमा एवं बीमा योजना सहित।
8. हथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तु आरक्षण) अधिनियम, 1985 का कार्यान्वयन।
9. हैंक यार्न पर सेनवेट की प्रतिपूर्ति संबंधी योजना।

(ख) योजना के तहत कोई राज्य-वार निधियां आबंटित नहीं की गई है। तथापि, वर्ष 2002-03 एवं 2003-04 के दौरान प्रत्येक योजनाओं के तहत विभिन्न राज्यों से प्राप्त व्यवहार्य प्रस्तावों के आधार पर जारी की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण I में दिया गया है।

(ग) राज्य सरकारों से जारी की गई निधियों के बारे में उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के बाद ही निधियां जारी की जाती हैं।

(घ) हथकरघा का आधुनिकीकरण नामक योजना को दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना में सम्मिलित कर दिया गया है। दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना के तहत अब तक लाभार्थी बुनकरों एवं आधुनिक हथकरघों की संख्या का ब्यौरा दोनों रूपों में संलग्न विवरण II में दिया गया है।

(ङ) योजनाओं में दिए गए निदेशों एवं उनके कार्यान्वयन पर विचार-विमर्श करने हेतु समय-समय पर राज्य सरकारों के साथ समीक्षा बैठक बुलाई जाती है। यह एक सतत प्रबोधन प्रयास है। व्यक्तिगत रूप से बुनकरों के लाभ के लिए उनकी उभरती आवश्यकताओं को देखते हुए योजनाओं में दिए गए निदेशों में बदलाव लाने के लिए सरकारों से पूछा जाता है। जब कभी जरूरत पड़ती है तो वर्तमान लक्ष्य के अनुसार निदेशों की समीक्षा की जाती है तथा बुनकरों की आवश्यकता के अनुसार निदेशों में बदलाव लाया जाता है।

(च) इन योजनाओं का विद्युतकरघा क्षेत्र से प्रतिस्पर्धा पर काबू पाने और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का सामना करने पर जो प्रभाव पड़ा है और उसे वर्ष 1997-98 में 1840.55 करोड़ रुपए से वर्ष 2002-03 में 2633.27 करोड़ रुपए तक की निर्यात में जो वृद्धि हुई है उसे तथ्य से देखा जा सकता है।

विवरण I

विभिन्न हथकरघा योजनाओं (31.7.2003 तक) 10वीं योजना के तहत 2002-2003 एवं 2003-04 के दौरान विभिन्न राज्यों को दी गई राशि का ब्यौरा

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	डीडीएचपीआई		विपणन संवर्धन कार्यक्रम		कार्यशाला-सह-आवास योजना		बुनकर कल्याण योजना							
								स्वास्थ्य पैकेज योजना		ग्रिफ्ट फंड योजना		समूह बीमा		नई बीमा	
		2002-03	2003-04	2002-03	2003-04	2002-03	2003-04	2002-03	2003-04	2002-03	2003-04	2002-03	2003-04	2002-03	2003-04
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	आंध्र प्रदेश	1238.85	0.00	61.88	8.37	0.00	92.81	0.00	0.00	0.00	0.00	2.27	0.00	0.00	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	19.33	0.00	19.59	3.38	28.00	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	837.87	436.71	112.55	52.00	117.95	0.00	63.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	42.92	7.58	29.19	3.75	0.00	0.00	11.42	0.35	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6.	दिल्ली	150.00	100.00	13.7	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	गुजरात	0.00	0.00	15.66	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00	16.02	0.00	0.59	2.21	1.32	3.48
9.	हरियाणा	0.00	0.00	11.52	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	हिमाचल प्रदेश	137.64	0.00	9.05	5	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	जम्मू एवं कश्मीर	31.89	0.00	53.42	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
12.	झारखण्ड	0.00	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	कर्नाटक	156.61	9.19	24.45	12.14	250.00	0.00	50.00	0.00	10.00	0.00	7.51	0.00	0.00	0.00
14.	केरल	1067.31	154.73	4.00	3.20	34.69	0.00	0.00	0.00	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	मध्य प्रदेश	62.20	6.66	41.87	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	2.48	0.00	0.00	0.48	0.77	0.00
16.	महाराष्ट्र	2.82	0.00	68.31	4.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	मणिपुर	481.32	0.00	0.00	4.00	127.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	मेघालय	0.00	0.00	3.98	1.00	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	मिजोरम	2.46	20.50	14.92	11.00	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	नागालैंड	117.81	20.50	14.00	25.00	24.45	155.21	0.89	73.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83	0.00
21.	उड़ीसा	22.34	0.00	18.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.12
22.	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	पंजाब	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	राजस्थान	9.77	0.00	59.08	51.52	0.00	0.00	5.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	3.96	0.00
25.	सिक्किम	0.00	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	तमिलनाडु	2376.71	1223.52	0.00	25.11	227.800	0.00	106.22	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	त्रिपुरा	7.72	0.00	19.07	7.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	0.00
28.	उत्तर प्रदेश	589.04	236.87	103.74	44.58	109.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29.	उत्तरांचल	27.25	0.00	31.67	6.00	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	पश्चिम बंगाल	347.88	10.20	11.86	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	2.87	0.00	0.00
	कुल	7729.56	2251.54	760.08	350.02	1050.00	281.52	237.08	74.58	275.03	0.00	10.45	5.56	7.44	10.73

विभिन्न हथकरघा योजनाओं (3.12.2003 तक) के तहत 2002-03 एवं 2003-04 के दौरान विभिन्न राज्यों को दी गई राशि का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	हथकरघा निर्यात योजना		हथकरगा (वस्तु आरक्षण) का कार्यान्वयन	
		2002-03	2003-04	2002-03	2003-04
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	17.94	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	6.25	0.00	0.00	0.00
5.	छतीसगढ़	6.10	0.00	0.00	0.00
6.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	गुजरात	0.00	0.00	18.66	39.25
9.	हरियाणा	0.00	9.85	6.05	0.00
10.	हिमाचल प्रदेश	32.33	20.45	0.00	0.00
11.	जम्मू एवं कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	झारखण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	कर्नाटक	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	केरल	20.25	4.50	0.00	0.00
15.	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	6.88	0.00
16.	महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	नागालैंड	5.90	18384.00	0.00	0.00
21.	उड़ीसा	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	पाण्डिचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	पंजाब	14.10	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6
24.	राजस्थान	0.00	0.00	8.72	0.00
25.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	तमिलनाडु	0.00	0.00	61.75	0.00
27.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	उत्तर प्रदेश	69.40	40.25	0.00	0.00
29.	उत्तरांचल	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	पश्चिम बंगाल	31.93	0.00	0.00	0.00
	कुल	186.26	18459.05	120.00	39.25

विवरण II

योजना के तहत अब तक लाभान्वित हुए बुनकरों की संख्या और आधुनिकृत करघों की संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	लाभान्वित बुनकरों की संख्या	आधुनिकृत करघों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	9735	9735
2.	छत्तीसगढ़	1864	1917
3.	दिल्ली	–	–
4.	हिमाचल प्रदेश	2500	2450
5.	जम्मू एवं कश्मीर	600	600
6.	कर्नाटक	406	–
7.	केरल	4275	4100
8.	मध्य प्रदेश	755	755
9.	उड़ीसा	–	–
10.	राजस्थान	150	150
11.	तमिलनाडु	24830	24830
12.	उत्तर प्रदेश	30776	30776
13.	उत्तरांचल	21335	1305
14.	पश्चिम बंगाल	5435	5435
15.	अरुणाचल प्रदेश	2900	2900
16.	असम	39400	39220
17.	मणिपुर	11540	11540
18.	मेघालय	100	100
19.	मिजोरम	–	–
20.	नागालैण्ड	11450	11450
21.	त्रिपुरा	1015	1015
	कुल	1,49,066	1,48,278

रेशम उत्पादन

811. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विश्व के रेशम उत्पादक देशों में भारत का कौन सा स्थान है;

(ख) सरकार ने विश्व के रेशम उत्पादक देशों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के रेशम का उत्पादन बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए हैं;

(ग) इस संबंध में कौन-कौन से प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं; और

(घ) इन प्रस्तावों के कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): (क) भारत का विश्व में रेशम के उत्पादन में दूसरा स्थान है।

(ख) से (घ) सरकार द्वारा रेशम उत्पादन में सुधार लाने और उसका विस्तार करने के लिए किए जा रहे प्रमुख कार्यक्रमों और योजनाओं में निम्नलिखित शामिल हैं:-

(1) खाद्य पादप और रेशमकीट की अपेक्षाकृत अधिक उत्पादक और तनाव सहने वाले प्रजनकों और शहतूत एवं गैर-शहतूत किस्मों की संकर नसलों को विकसित कर कीट और रोग प्रबंधन के लिए समन्वित पारि-अनुकूल दृष्टिकोण अपनाकर, रेशम में रीलिंग और प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों का उन्नयन कर गुणात्मक और मात्रा संबंधी कोये/कच्चे रेशम के उत्पादन में सुधार लाने के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड के अनुसंधान और प्रौद्योगिकीय प्रयास;

(2) केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा राज्य सरकारों, किसानों और रीलरों को मूल प्रजातियों का रख-रखाव कर और वाणिज्यिक बीज सहायता की मूल बीज आपूर्ति और रोगमुक्त उच्च उपज देने वाले तथा सूखा प्रतिरोधी बीजों के उत्पादन के लिए भंडारण सुविधाएं बढ़ाकर बीज सहायता तथा तकनीकी सहायता;

(3) राज्यों को केन्द्र द्वारा प्रायोजित व केन्द्रीय क्षेत्र योजनाओं के माध्यम से रेशम की सभी चार किस्मों में कृषि संबंधी आधारभूत संरचना मजबूत करने, रेशम उत्पादन के तहत क्षेत्र में वृद्धि करने, रीलिंग सुविधाओं का उन्नयन करने, फिनिशिंग प्रक्रियाओं में सुधार लाने, बीज आपूर्ति, कोया और रेशम परीक्षण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए केन्द्रीय सहायता;

(4) राज्यों की विस्तार मशीनरी के माध्यम से विकसित प्रौद्योगिकियों को लोकप्रिय बनाना तथा उसका क्षेत्र में स्थानांतरण, लाभार्थियों को प्रशिक्षण, विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करना आदि;

(5) ग्रामीण विकास मंत्रालय की स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के तहत केन्द्रीय रेशम बोर्ड की तकनीकी सहायता से रेशम की सभी किस्मों की रेशम उत्पादन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए विभिन्न राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है;

(6) कच्चा रेशम उत्पादकों और उद्योग के बीच सीधे संपर्क स्थापित करना; और

(7) रेशम कीट बीज, कोये, यार्न और फैब्रिक के लिए गुणवत्ता प्रमाणन प्रणालियां स्थापित करना।

चीनी रेशम वस्त्रों का आयात

812. **श्री उत्तमराव पाटील:**
श्रीमती श्यामा सिंह:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेशम उत्पादक राज्यों ने हाल में केन्द्र सरकार से सस्ते रेशमी चीनी वस्त्रों के आयात को रोकने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पाटन रोधी शुल्क लगाने के पश्चात् चीनी वस्त्रों के आयात में भारी वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो सस्ते रेशमी चीनी वस्त्रों के ऐसे आयात को रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) जी, हां। चीन से रेशम के फैब्रिकों का आयात वर्ष 2001-02 में 766 मी. टन से बढ़ कर वर्ष 2002-03 में 3290 मी. टन (अनंतिम) हो गया है जिसका तदनुरूपी मूल्य क्रमशः 84.29 करोड़ रुपये और 191.52 करोड़ रुपये है।

(ग) 1.4.2001 को मात्रा संबंधी प्रतिबंधों के समाप्त हो जाने के बाद चीनी रेशम के फैब्रिकों के आयात में वृद्धि हुई है। आयात के निश्चित आंकड़ों का मूल्यांकन अभी नहीं किया जा सकता है क्योंकि जुलाई, 2003 में अपरिष्कृत रेशम के आयात पर अंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाने से उनका विश्लेषण करना संभव होगा।

(घ) कर्नाटक बुनकर संघों द्वारा एक याचिका, नामित प्राधिकारी, पाटनरोधी और संबद्ध शुल्क महानिदेशालय के समक्ष दायर की गई है जिसमें अनुरोध किया गया है कि चीन जनवादी गणराज्य से रेशम के फैब्रिकों के आयात पर पाटनरोधी जांच शुरू की जाए। केंद्रीय रेशम बोर्ड के अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकीय प्रयासों से देश में ही उत्तम किस्म की रेशम की उपलब्धता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की रेशम का उत्पादन करने में सफलता प्राप्त कर ली गई है।

रेशमी वस्त्र का प्रमाणन

813. श्री वी. वेद्रिसेलवन: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आज कुछ सिंथेटिक फाइबर प्राकृतिक रेशम से इतना मिलते हैं कि आम उपभोक्ता के लिए गुणवत्ता का निर्णय करना कठिन हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेशम गुणवत्ता प्रमाणपत्र जारी करने की कोई मांग की गई है;

(ग) क्या सरकार सोना को जांचने-परखने हेतु प्रामाणिक चिह्न जारी करने की तर्ज पर ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): (क) से (घ) जी, हां। रेशम के लिए एक योजना स्कीम "गुणवत्ता प्रमाणन प्रणाली" दसवीं योजना-अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए मंजूर की गयी है। इस योजना में रेशम कीट बीज, कोया, कच्चा रेशम और रेशम के सामानों की गुणवत्ता के प्रमाणन के लिए प्रत्यायन प्रणालियां स्थापित करने का प्रावधान है। इस योजना में रेशम उत्पादों के लिए "रेशम मार्क लेबल" प्रारंभ करने की भी परिकल्पना है।

अन्य पिछड़े वर्गों के लिए रोजगार के अवसर

814. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या **जनजातीय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उनके मंत्रालय के विभिन्न विभागों, स्वायत्तशासी कार्यालयों, सहायक कंपनियों और संबद्ध कार्यालयों में अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) से संबंधित लोगों के लिए रोजगार के पर्याप्त अवसर प्रदान किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ओ.बी.सी. कर्मचारियों की संख्या विशेषकर समूह क और ख में कर्मचारियों की कुल संख्या की तुलना में जितनी होनी चाहिए, उससे बहुत कम है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा ओबीसी के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान करने और रोजगार के अवसरों के संबंध में ओबीसी से संबंधित लोगों के साथ सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार ने समूह क, ख, ग और घ में ओबीसी के प्रतिनिधित्व की वर्तमान स्थिति के संबंध में मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न विभागों, स्वायत्तशासी कार्यालयों, सहायक कंपनियों और सम्बद्ध कार्यालयों से कोई विस्तृत रिपोर्ट मांगी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क), (ख), (ङ) और (च) जी, हां। जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) नामक एक उपक्रम तथा भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लि. (ट्राइफेड) नामक एक शीर्ष स्तरीय सहकारी समिति है। इन सभी निकायों से एकत्र की गई सूचना के आधार पर स्थिति निम्नवत है:

क्र.सं.	संगठन	समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या	अन्य पिछड़ा वर्ग
1.	मंत्रालय	क	18	शून्य
		ख	26	1
		ग	26	3
		घ	15	1
		योग	85	5
2.	एनएसटीएफडीसी	क	18	1
		ख	6	1
		ग	10	2
		घ	11	शून्य
		योग	45	4
3.	ट्राइफेड	क	52	1
		ख	03	शून्य
		ग	188	12
		घ	38	4
		योग	281	17

(ग) जी, हां।

(घ) कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग, जो कि आरक्षण संबंधी मामलों के संबंध में केंद्रक अभिकरण है, ने स्पष्ट किया है कि चूंकि अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण 1993 में लागू हुआ था, अत: सेवाओं में इनका प्रतिनिधित्व अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। तथापि, यह सुनिश्चित करने के लिए अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रिक्तियों को केवल अन्य पिछड़े वर्गों से ही भरा जाए उनकी रिक्तियों को अनारक्षित बनाने पर प्रतिबंध है। उन्हें

ऊपरी आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट जैसी विभिन्न रियायतें भी प्रदान की जा रही हैं।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): महोदय, मैं श्री जसवंतसिंह यादव की ओर से प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 63 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(एक) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के लिए पद एवं गोपनीयता की शपथ) नियम, 2003, जो 23 सितम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 757(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्तें) नियम, 2003, जो 6 अक्तूबर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 784(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 8085/03]

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): महोदय, मैं श्री अरुण जेटली की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता: हूं:

(1) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 169 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) विधान सभा निर्वाचन संचालन (सिक्किम) संशोधन नियम, 2003, जो 9 अक्तूबर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1192(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) निर्वाचन संचालन (दूसरा संशोधन) नियम, 2003, जो 24 अक्तूबर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1232(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) निर्वाचन संचालन (तीसरा संशोधन) नियम, 2003, जो 10 नवम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1283(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) निर्वाचन संचालन (चौथा संशोधन) नियम, 2003, जो 11 नवम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1294(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) का.आ. 1047(अ) जो 12 सितम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 5 अगस्त, 2003 की अधिसूचना संख्या का.आ. 903(अ) का शुद्धि पत्र दिया हुआ है।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 28 की उपधारा (3) के अंतर्गत निर्वाचकों का रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम, 2003 जो 18 अगस्त, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 934(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उनका एक शुद्धि पत्र जो 21 अगस्त, 2003 की अधिसूचना संख्या का.आ. 956(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 8086/03]

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): महोदय, मैं श्रीमती जसकौर मीणा की ओर से राष्ट्रीय बाल चार्टर, 2003 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 8087/03]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 933(अ) जो 18 अगस्त, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 31 जुलाई, 2003 की अधिसूचना संख्या का.आ. 879(अ) का शुद्धि पत्र दिया हुआ है।

(दो) आयकर (पंद्रहवां संशोधन) नियम, 2003, जो 26 अगस्त, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 972(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) आयकर (सोलहवां संशोधन) नियम, 2003, जो 26 अगस्त, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 973(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) दि इलेक्ट्रानिक फाइलिंग आफ रिटर्न्स आफ टैक्स डिडक्टेड ऐट सोर्स स्कीम, 2003, जो 26 अगस्त, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 974(अ) में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) आयकर (सत्रहवां संशोधन) नियम, 2003, जो 1 सितम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1008(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) आयकर (अठारहवां संशोधन) नियम, 2003, जो 5 सितम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1026(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) आयकर (उन्नीसवां संशोधन) नियम, 2003, जो 12 सितम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1046(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) आयकर (बीसवां संशोधन) नियम, 2003, जो 25 सितम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1109(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) आयकर (इक्कीसवां संशोधन) नियम, 2003, जो 25 सितम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1110(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) आयकर (बाईसवां संशोधन) नियम, 2003, जो 30 सितम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1145(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) आयकर (तेईसवां संशोधन) नियम, 2003, जो 1 अक्तूबर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1162(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) आयकर (चौबीसवां संशोधन) नियम, 2003, जो 1 अक्तूबर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1163(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) आयकर (पच्चीसवां संशोधन) नियम, 2003, जो 17 अक्तूबर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1210(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) का.आ. 1269(अ) जो 4 नवम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आयकर अधिनियम 1962 की धारा 80-झग के अंतर्गत कटौती के प्रयोजनार्थ हिमाचल प्रदेश राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों और औद्योगिक एस्टेट्स को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 8088/03]

(2) सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 9क की उपधारा 7 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 647(अ) जो 8 अगस्त, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित विटामिन सी पर अभिहित प्राधिकारी द्वारा संस्तुत दरों पर अंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 659(अ) जो 13 अगस्त, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित गैर-पीतल धातु फ्लैशलाइटों पर अभिहित प्राधिकारी द्वारा संस्तुत दरों पर अंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 660(अ) जो 13 अगस्त, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 13 फरवरी, 2003 की अधिसूचना संख्या 25/2003-सी.शु. को रद्द करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 661(अ) जो 14 अगस्त, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा

जिनका आशय रूस, उक्रेन और कोरिया में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित इंडक्शन हार्डन्ड फोर्ज्ड स्टील रोल्स पर अभिहित प्राधिकारी द्वारा संस्तुत दरों पर अंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 662(अ) जो 14 अगस्त, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1 जनवरी, 2003 की अधिसूचना संख्या 1/2003-सी.शु. को रद्द करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 680(अ) जो 25 अगस्त, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 2 जनवरी, 2003 की अधिसूचना संख्या 1/2002-सी.शु. में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 684(अ) जो 26 अगस्त, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ताईवान और संयुक्त अरब अमीरात में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित और भारत में आयातित सन और/अथवा डस्ट कंट्रोल पालिएस्टर फिल्म्स पर अनंतिम प्रतिपाट शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 703(अ) जो 3 सितम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 10 जुलाई, 2003 की अधिसूचना संख्या 106/2003-सी.शु. में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 753(अ) जो 19 सितम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी के प्रारंभिक निष्कर्षों के आधार पर चीन जनवादी गणराज्य, हांगकांग, ताईवान, दक्षिण कोरिया और फिलीपीन्स से आयातित कापर क्लैड लेमिनेट्स के आयात पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि. 781(अ) जो 1 अक्तूबर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी द्वारा संस्तुत दरों पर ब्राजील, मलेशिया, रोमानिया, सिंगापुर और दक्षिण अफ्रीका में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित विनिर्दिष्ट एक्रेलिक अल्कोहल पर अंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि. 789(अ) जो 6 अक्तूबर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 26 मई, 2003 की अधिसूचना संख्या 77/2000-सी.शु. में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि. 790(अ) जो 6 अक्तूबर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी द्वारा संस्तुत दरों पर चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित विटामिन ई एसीटेट और विटामिन ई फीड ग्रेड पर अंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.नि. 791(अ) जो 6 अक्तूबर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी द्वारा संस्तुत दरों पर चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित पारा क्रिसोल पर अंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा.का.नि. 793(अ) जो 7 अक्तूबर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी द्वारा संस्तुत दरों पर चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित इस्पात एवं फाइबर ग्लास टेप्स और उनके हिस्से पुर्जों पर अंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पन्द्रह) सा.का.नि. 794(अ) जो 7 अक्तूबर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 4 अप्रैल, 2003 की अधिसूचना संख्या 65/2003-सी.शु. को रद्द करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा.का.नि. 805(अ) जो 14 अक्तूबर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी द्वारा संस्तुत दरों पर कोरिया गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित मेथिलिन क्लोराइड पर अंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा.का.नि. 826(अ) जो 20 अक्तूबर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 22/2002-सी.शु. में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) सा.का.नि. 827(अ) जो 20 अक्तूबर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी द्वारा संस्तुत दरों पर यूरोपीय संघ, दक्षिण अफ्रीका और सिंगापुर में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित मेथिलिन क्लोराइड पर अंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) सा.का.नि. 834(अ) जो 22 अक्तूबर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 22 जनवरी, 1999 की अधिसूचना संख्या 8/99-सी.शु. में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) सा.का.नि. 840(अ) जो 24 अक्तूबर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी द्वारा संस्तुत दरों पर चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित विटामिन सी पर प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) सा.का.नि. 712(अ) जो 5 सितम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी द्वारा संस्तुत दरों पर चीन जनवादी गणराज्य और ताईवान में उद्भूत या वहां से निर्यातित प्लास्टिक आफ्थाल्मिक लेंस पर अनन्तिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाईस) सा.का.नि. 759(अ) जो 23 सितम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी द्वारा संस्तुत दरों पर कोरिया गणराज्य और चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत या वहां से निर्यातित सोडियम हाइड्रोआक्साइड पर अंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेईस) सा.का.नि. 861(अ) जो 4 नवम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 18 जुलाई, 2003 की अधिसूचना संख्या 112/2003-सी.शु. को रद्द करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौबीस) सा.का.नि. 872(अ) जो 7 नवम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 5 सितम्बर, 2003 की अधिसूचना संख्या 139/2003-सी.शु. में संशोधन करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 8089/03]

(3) सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 969(अ) जो 26 अगस्त, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो आयात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को कतिपय विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तित करने के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) का.आ. 970(अ) जो 26 अगस्त, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को कतिपय विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तित करने के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) का.आ. 993(अ) जो 29 अगस्त, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय उसमें उल्लिखित कतिपय अधिसूचनाओं में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) का.आ. 1102(अ) जो 25 सितम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को कतिपय विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तित करने के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) का.आ. 1103(अ) जो 25 सितम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो

आयात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को कतिपय विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तित करने के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) का.आ. 1209(अ) जो 17 अक्तूबर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु. (एनटी) में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) का.आ. 1238(अ) जो 28 अक्तूबर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को कतिपय विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तित करने के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) का.आ. 1239(अ) जो 28 अक्तूबर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो निर्यात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को कतिपय विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तित करने के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) का.आ. 1241(अ) जो 29 अक्तूबर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु. (एनटी) में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि. 695(अ) जो 28 अगस्त, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी.शु. में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि. 704(अ) जो 3 सितम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 13 जुलाई, 2002 की अधिसूचना संख्या 146/94-सी.शु. में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि. 711(अ) जो 5 सितम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी.शु. में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.नि. 806(अ) जो 14 अक्तूबर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1 मार्च, 2000 की अधिसूचना संख्या 26/2000-सी.शु. में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा.का.नि. 824(अ) जो 20 अक्तूबर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी.शु. में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पन्द्रह) सा.का.नि. 825(अ) जो 20 अक्तूबर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी.शु. में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा.का.नि. 841(अ) जो 24 अक्तूबर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी.शु. में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा.का.नि. 860(अ) जो 4 नवम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी.शु. में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) कूरियर आयात और निर्यात (निकासी) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2003 जो 6 नवम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 866(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 8090/03]

(4) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सेनवेट क्रेडिट (सत्रहवां संशोधन) नियम, 2003 जो 9 सितम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 719(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 863(अ) जो 5 नवम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उनमें उल्लिखित अधिसूचनाओं में संसोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 638(अ) जो 6 अगस्त, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 6/2002-के.उ.शु. में संसोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 639(अ) जो 6 अगस्त, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उनमें उल्लिखित कतिपय अधिसूचनाओं में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 640(अ) जो 7 अगस्त, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ट्विस्टिड फिलामेंट यार्न (क्रेप यार्न सहित), जब उसका विनिर्माण किसी स्वतंत्र ट्विस्टर द्वारा किया गया हो, को उतने उत्पाद शुल्क से छूट देना हैं, जितना कि बाहर से खरीदे गये अथवा प्राप्त किए गए फिलामेंट यार्न जिससे ऐसा ट्विस्टिड फिलामेंट यार्न विनिर्मित किया गया है, पर प्रदत्त उत्पाद शुल्क और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क से अधिक है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छः) सा.का.नि. 652(अ) जो 11 अगस्त, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उनमें उल्लिखित दो अधिसूचनाओं में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 679(अ) जो 25 अगस्त, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय तम्बाकू उत्पादों का विनिर्माण कर रही पूर्वोत्तर में स्थित यूनिटों को कतिपय शर्तों के अध्यधीन केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से आंशिक छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 706(अ) जो 4 सितम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 7/2003-के.उ.शु. में संसोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 717(अ) जो 9 सितम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सिक्किम राज्य में औद्योगिक विकास केन्द्र, औद्योगिक अवसंरचना विकास केन्द्र अथवा निर्यात संवर्द्धन औद्योगिक पार्क अथवा औद्योगिक एस्टेट अथवा औद्योगिक क्षेत्र अथवा वाणिज्यिक एस्टेट अथवा योजना क्षेत्र में स्थित विनिर्दिष्ट उद्योगों द्वारा विनिर्मित उत्पाद शुल्क माल पर कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि. 718(अ) जो 9 सितम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 25 जून, 2003 की अधिसूचना संख्या 56/2003-के.उ.शु. में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि. 823(अ) जो 20 अक्तूबर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 6/2003-के.उ.शु. में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि. 842(अ) जो 27 अक्तूबर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1 मार्च, 2003 की अधिसूचना संख्या 7/2003-के.उ.शु. में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 8091/03]

(4) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 676(अ) जो 21 अगस्त, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय वाणिज्यिक उद्यम के अतिरिक्त, स्थापित और प्रतिस्थापित करने वाले अभिकरण द्वारा ग्राहक को उपलब्ध करायी गई स्थापित करने या प्रतिस्थापित करने से संबंधित करादेय सेवा को उस पर उद्ग्रहणीय सेवा कर से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 677(अ) जो 21 अगस्त, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कतिपय शर्तों के अध्यधीन स्थापित और प्रतिस्थापित करने वाले अभिकरण द्वारा ग्राहक को उपलब्ध करायी गई स्थापित करने या प्रतिस्थापित करने से संबंधित करादेय सेवा को उस पर उद्ग्रहणीय उतने सेवा कर से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 678(अ) जो 21 अगस्त, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय किसी व्यक्ति द्वारा ग्राहक को कंप्यूटर, कंप्यूटर तंत्र या कंप्यूटर पैरिफरल के अनुरक्षण या मरम्मत से संबंधित उपलब्ध करायी गई करादेय सेवा को छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8092/03]

(6) अधिसूचना संख्या का.आ. 1263(अ) जो 3 नवम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें संविधान के अनुच्छेद 280 के परंतुक के अंतर्गत 1 नवम्बर, 2002 की अधिसूचना संख्या 1161(अ) में बारहवें वित्त आयोग के विचारार्थ विषयों में नए पैरा 10क को शामिल किए जाने के निर्देश से संबंधित राष्ट्रपति का आदेश अंतर्विष्ट है।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 8093/03]

(7) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 15 की उपधारा (4) के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, मुम्बई के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8094/03]

(8) सिक्का निर्माण अधिनियम, 1906 की धारा 21 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सिक्का निर्माण मानक वजन और गुणवत्ता के अन्तर की सीमा से युक्त एक सौ रुपए (जिसमें 50% चांदी, 40% तांबा, 5% निकल और 5% जिंक सम्मिलित है) और दो रुपए (जिसमें 75% तांबा और 25% निकल सम्मिलित है) के स्मृति सिक्के जिन्हें "भारतीय रेल के 150 वर्ष" की स्मृति में निर्मित किया गया है, नियम 2003 जो 11 अगस्त, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 653(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सिक्का निर्माण मानक वजन और गुणवत्ता के अन्तर की सीमा से युक्त एक सौ रुपए (जिसमें 50% चांदी, 40% तांबा, 5% निकल और 5% जिंक सम्मिलित है) और दस रुपए (जिसमें 75% तांबा और 25% निकल सम्मिलित है) और एक रुपये का फैरिटिक स्टेनलैस स्टील सिक्का (जिसमें 82% लोहा और 18% क्रोमियम सम्मिलित है) के स्मृति सिक्के जिन्हें "वीर दुर्गादास" के सम्मान में निर्मित किया गया है, नियम 2003 जो 11 अगस्त, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 654(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) सिक्का निर्माण मानक वजन और गुणवत्ता के अन्तर की सीमा से युक्त पांच रुपए (जिसमें 75% तांबा और 25% निकल सम्मिलित है) के स्मृति सिक्के जिन्हें "दादाभाई नौरोजी" की स्मृति में निर्मित किया गया है, नियम 2003 जो 5 सितम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 709(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 8095/03]

(9) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 की धारा 19 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सिंडिकेट बैंक साधारण (संशोधन) विनियम, 2003 जो 30 अक्तूबर 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 01/2003/2914 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) यूनियन बैंक आफ इंडिया साधारण (संशोधन) विनियम, 2003 जो 14 नवम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एसएमआर/01 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) आंध्रा बैंक साधारण (संशोधन) विनियम, 2003 जो 14 नवम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 666/25/पी. 119/550 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) सेंट्रल बैंक आफ इंडिया साधारण (संशोधन) विनियम, 2003 जो 14 नवम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सीओ/लीगल/जीएस/2003-04/383ए में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 8096/03]

(10) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित को प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 2 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 1275(अ) जो 5 नवम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ ''एशियाई विकास बैंक'' को ''वित्तीय संस्था'' के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 8097/03]

(11) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 1282(अ) जो 10 नवम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 1 के खंड (ङ) के उपबंध (iv) और 2 के प्रयोजनार्थ राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 29क की उपधारा (5) के अंतर्गत पंजीकृत कतिपय आवास वित्त कंपनियों को वित्तीय संस्थाओं के रूप में माना जाना विनिर्दि% ट किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 8098/03]

(12) वर्ष 2003-2004 के लिए मध्य-वर्ष समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 8099/03]

अपराह्न 12.02 बजे

रेल संबंधी स्थायी समिति

की-गई-कार्यवाही संबंधी विवरण

[अनुवाद]

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम): महोदय, मैं रेल मंत्रालय की अनुदानों की मांगों-2001-02 के संबंध में रेल संबंधी स्थायी समिति के नौवें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में समिति (2002) के ग्यारहवें प्रतिवेदन के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.02$^{1}/_{2}$ बजे

गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति

103वां से 106वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री अनादि साहू (बरहामपुर, उड़ीसा): महोदय, मैं गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(एक) संघ राज्य क्षेत्र न्यायिक अधिकारी वेतन और भत्ता विधेयक, 2003 संबंधी 103वां प्रतिवेदन;

(दो) संविधान (सत्तानवेवां संशोधन) विधेयक, 2003 संबंधी 104वां प्रतिवेदन;

(तीन) संविधान (सौवां संशोधन) विधेयक, 2003 संबंधी 105वां प्रतिवेदन; और

(चार) संविधान (एक सौ दोवां संशोधन) विधेयक, 2003 तथा दिल्ली राज्य विधेयक, 2003 संबंधी 106वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.03 बजे

गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति

साक्ष्य

[अनुवाद]

श्री अनादि साहू (बरहामपुर, उड़ीसा): महोदय, मैं संघ राज्य क्षेत्र न्यायिक अधिकारी वेतन और भत्ता विधेयक, 2003 संबंधी समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.04 बजे

सभा का कार्य

[हिन्दी]

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं श्रीमती सुषमा स्वराज की ओर से यह सूचित करता हूं कि सोमवार, 8 दिसम्बर, 2003 से प्रारंभ होने वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा:-

1. आज की कार्यसूची से बकाया सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार।

2. निम्नलिखित अध्यादेशों का निरनुमोदन चाहने वाले सांविधिक संकल्पों पर चर्चा और इन अध्यादेशों का प्रतिस्थापन चाहने वाले विधेयकों पर विचार और पारित करना:-

(1) कराधान विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2003;

(2) आतंकवाद निवारण (संशोधन) अध्यादेश, 2003;

(3) परिसीमन (संशोधन) अध्यादेश, 2003;

(4) राष्ट्रीय कर अधिकरण अध्यादेश, 2003; और

(5) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश, 2003;

3. भारतीय तार (संशोधन) अध्यादेश, 2003 का निरनुमोदन चाहने वाले सांविधिक संकल्प पर चर्चा और भारतीय तार (संशोधन) विधेयक, 2003 पर विचार और पारित करना;

4. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 2003 का निरनुमोदन चाहने वाले सांविधिक संकल्प पर चर्चा और राज्य सभा द्वारा पारित किये जाने के पश्चात् भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2003 पर विचार और पारित करना;

5. राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में विदेशी (संशोधन) विधेयक, 2003 पर विचार और पारित करना;

6. संविधान (सतानवेवां संशोधन) विधेयक, 2003 पर विचार और पारित करना; और

7. राज्य सभा द्वारा पारित किये जाने के पश्चात् निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और पारित करना:

(1) अग्रिम संविदा (विनियमन) संशोधन विधेयक, 1998;

(2) विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2003; और

(3) ब्रिटिश कानून (निरसन) विधेयक, 2003।

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, अगले सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित मदें सम्मिलित की जाएं:-

(1) सरकार ने अप्रवासियों द्वारा वापसी किराए का भुगतान करने हेतु हाल ही में आदेश दिए हैं जिससे नौकरी की तलाश में खाड़ी देशों में जाने वाले लोगों को भारी असुविधा हुई है।

(2) रोजगार की तलाश में विदेश जाने वालों के अप्रवास के समय भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा उनके शैक्षिक प्रमाण-पत्रों का सत्यापन करने और नई दिल्ली स्थित संयुक्त अरब अमीरात के दूतावास द्वारा अपेक्षित दस्तावेजों को सत्यापित करने की प्रक्रिया के कारण गरीब बेरोजगारों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): अध्यक्ष महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्यवाही में निम्न विषयों को सम्मिलित कर कृतार्थ करें:-

1. देश के अंदर संचालित सभी लम्बी दूरी की गाड़ियों में आम जनता के लिए अनारक्षित सामान्य यात्री डिब्बों की संख्या बढ़ाए जाने की आवश्यकता।

2. अजमेर स्थित एच.एम.टी. इकाई में वहां उपलब्ध आधारभूत अवसंरचनाओं का पूर्ण उपयोग करने हेतु सैन्य सामग्री उत्पादन करने के आदेश दिए जाने की आवश्यकता।

[अनुवाद]

श्री सुनील खां (दुर्गापुर): महोदय, अगले सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित मदें सम्मिलित की जाएं:-

(1) तमिलनाडु राज्य सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल के संबंध में खंड-पीठ के निर्णय को ध्यान में रखते हुए सरकार को सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल का अधिकार देने हेतु अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई.एल.ओ.) कन्वेंशन संख्या 87, 98 और 151 का अनुमोदन करना चाहिए।

(2) उच्चतम न्यायालय के एच.पी.सी.एल. और बी.पी.सी.एल. के संसद की अनुमति के बिना विनिवेश करने की प्रक्रिया पर रोक लगाने और सभी मजदूर संघों द्वारा 16.12.2003 को हड़ताल की सूचना दिए जाने को ध्यान में रखते हुए सरकार को एच.पी.सी.एल, बी.पी.सी.एल. और आई.ओ.सी. की विनिवेश प्रक्रिया को रोक देना चाहिए।

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन (शिवगंगा): महदोय, अगले सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित मदों को सम्मिलित किया जाए:-

तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले के शिवगंगा नामक स्थान के नौ निर्दोष युवक मलेशिया के न्यायालय में फांसी की सजा के लिए डेन्जरस ड्रग्स एक्ट, 1952 के अंतर्गत मुकदमें का सामना कर रहे हैं और इसमें भारत सरकार द्वारा उन नौ निर्दोष युवकों के प्रत्यावर्तन हेतु वकील नियुक्त करने व कूटनीतिक चर्चा किए जाने की आवश्यकता है।

श्री बीर सिंह महतो (पुरूलिया): महोदय, अगले सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित मदों को सम्मिलित किया जाए:-

(1) दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 का कड़ाई से क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।

(2) भारतीय चिकित्सा पद्धति के समुचित विकास हेतु धनराशि के आबंटन में वृद्धि करना।

डा. वी. सरोजा (रासीपुरम): महोदय, अगले सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित मदों को सम्मिलित किया जाए:-

(1) महिलाओं के प्रति अपराध।

(2) इस शीतकालीन सत्र में महिला आरक्षण विधेयक को पारित करना।

[हिन्दी]

श्रीमती रेनु कुमारी (खगड़िया): अध्यक्ष महोदय, निम्नलिखित विषयों को आगामी सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाए:

1. मेरे संसदीय क्षेत्र खगड़िया (बिहार) के अंतर्गत नवगछिया अनुमंडल के खैरपुर दियारा का बहुत बड़ा भूभाग गंगा नदी के निरंतर कटाव के कारण विलुप्त होता जा रहा है। यदि कटाव रोधी कार्य नहीं किया गया, तो पूरा अनुमंडल गंगा नदी में विलीन हो जाएगा। कटाव का आकलन क्षेत्रीय टीम से करवाकर स्थायी रूप से कटाव की रोकथाम हेतु स्पर निर्माण की व्यवस्था की जाए।

2. बिहार राज्य से गुजरने वाली राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या-31 की हालत अत्यन्त ही खराब है। यह पथ बिहार से असम, पश्चिम बंगाल तथा कई पूर्वोत्तर राज्यों को जाने का मुख्य मार्ग है। इस पथ के मरम्मत कार्य हेतु अविलम्ब व्यवस्था की जाए ताकि यातायात अवरुद्ध न हो।

[अनुवाद]

प्रो. ए.के. प्रेमाजम (बडागरा): महोदय, मैं अनुरोध करती हूं कि कृपया निम्नलिखित मदों को अगले सप्ताह की कार्य-सूची में सम्मिलित किया जाए:-

(1) संसद और सभी राज्य विधानमण्डलों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत स्थान आरक्षित करने हेतु संविधान संशोधन विधेयक लाया जाए।

(2) मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र बडागरा के तेल्लीचेरी विधान सभा क्षेत्र के मेलूत में रेल ऊपरि पुल का निर्माण कार्य शीघ्रातिशीघ्र पूरा किया जाए।

अपराह्न 12.10 बजे

समिति के लिए निर्वाचन

लोक लेखा समिति

[अनुवाद]

श्री एम.ओ.एच. फारूक (पांडिचेरी): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह श्री सी.पी. तिरूनावुक्कारासु, जिनका राज्य सभा का कार्यकाल पूरा हो गया है, के स्थान पर समिति की शेष अवधि के लिए इस सभा की लोक लेखा समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्य सभा से एक सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो तथा राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करे।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह श्री सी.पी. तिरूनावुक्कारासु, जिनका राज्य सभा का कार्यकाल पूरा हो गया है, के स्थान पर समिति की शेष अवधि के लिए

इस सभा की लोक लेखा समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्य सभा से एक सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो तथा राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करे।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.11 बजे

कार्य मंत्रणा समिति के छप्पनवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

[हिन्दी]

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): अध्यक्ष महोदय, मैं श्रीमती सुषमा स्वराज की ओर से निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं-

''कि यह सभा 4 दिसम्बर, 2003 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 56वें प्रतिवेदन से सहमत है।''

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

''कि यह सभा 4 दिसम्बर, 2003 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 56वें प्रतिवेदन से सहमत है।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.12 बजे

सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

कराधान विधि (संशोधन) विधेयक*

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): महोदय, मैं श्री जसवंत सिंह की ओर से प्रस्ताव करता हूं:

''कि आयकर अधिनियम, 1961, धन कर अधिनियम, 1957 और व्यय कर अधिनियम, 1987 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।''

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

''कि आयकर अधिनियम, 1961, धन कर अधिनियम, 1957 और व्यय कर अधिनियम, 1987 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री श्रीपाद येसो नाईक: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

अपराह्न 12.12$^{1}/_{2}$ बजे

कराधान विधि (संशोधन) अध्यादेश के बारे में विवरण

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): महोदय, मैं श्री जसवंत सिंह की ओर से कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2003 (2003 का संख्यांक 2) द्वारा तत्काल विधान बनाए जाने के कारणों को दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): महोदय, क्या कोई सूचना दी गई थी?

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): वित्त मंत्री जी यहां हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी: मुझे वित्त मंत्री जी के वक्तव्य पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन क्या निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया था?

अध्यक्ष महोदय: हां, प्रक्रिया का पालन किया गया था। एक मौखिक सूचना दी गई थी।

वित्त मंत्री (श्री जसवंत सिंह): मैं, अपने वरिष्ठ मित्र के प्रति बड़ा आभारी हूं। वह बिल्कुल सही हैं कि उन्होंने यह जानना चाहा कि क्या निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया था। मैं बहुत प्रसन्न हूं। मैंने उसका पालन किया था *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: लेकिन आपका पूछना सही था।

...(व्यवधान)

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 5.12.2003 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

अपराह्न 12.13 बजे

राष्ट्रीय बाल आयोग विधेयक*

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्रीय बाल आयोग का गठन करने और उससे संबंधित या उसके आनुषांगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: जी हां, श्री राधाकृष्णन।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, मैं सिद्धान्त रूप में इसका विरोध नहीं करता। परन्तु प्रश्न यह है कि यह भी राज्य का विषय है।

बाल कल्याण का मामला पूरे देश से संबंधित मामला है। राज्य भी इसमें सम्मिलित हैं। केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों के उद्देश्यों पर विचार किए बिना इस बारे में विधान बनाना उचित नहीं होगा। यह चुनावों की दृष्टि से अच्छा होगा। मैं भी सहमत हूं। लेकिन विधायी उद्देश्य से यह बाल कल्याण के लिए उचित नहीं होगा क्योंकि यह पुन: राज्यों की शक्तियों में हस्तक्षेप या अतिक्रमण होगा।

संविधान के अनुच्छेद 39 में यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि राज्य बाल कल्याण हेतु विधान बनाने हेतु प्रयास करेंगे। अध्याय 3 में इस आयोग के कृत्य और शक्तियां लिखी हैं। मैं इसकी धारा 13, उप-खण्ड 1(घ) पढ़ रहा हूं:

> ''आयोग, निम्नलिखित सभी या किन्हीं कृत्यों का निर्वहन करेगा,-
>
> ''(घ) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा किसी अन्य प्राधिकारी के नियंत्रणाधीन बालकों के लिए आशायित किसी किशोर अभिरक्षागृह या किसी अन्य आवासिक स्थान या संस्था का निरीक्षण करना या निरीक्षण करवाना.....''

अत: राज्य सरकारें भी इन संस्थाओं को चला रही हैं। अब यह विधेयक उन संस्थाओं के निरीक्षण की शक्तियां प्रदान करता है जो राज्य सरकारों द्वारा शासित हो रहे हैं। अर्थात् केन्द्र सरकार प्रशासनिक कार्यों में हस्तक्षेप कर रही है जबकि सरकार द्वारा बाल कल्याण केन्द्र चलाए जा रहे हैं।

अत: शक्तियों का सीमांकन किए बिना यह उचित नहीं होगा। केवल केन्द्र से संबंधित विधान लाना बहुत अच्छा नहीं होगा। यदि उन्होंने एक केन्द्रीय बाल आयोग बनाने हेतु संविधान संशोधन करने के लिए एक कदम उठाया है तो मैं उनकी यह बात समझ सकता हूं। यह बिल्कुल ठीक है और अच्छा है। लेकिन राज्य आयोग का यहां कोई प्रावधान नहीं है। यह प्रावधान केवल केन्द्रीय आयोग के लिए है। मैं यह जानना चाहूंगा कि ऐसा क्यों है।

अध्यक्ष महोदय: आप अपनी बात कह चुके हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन: इस बिंदु पर, कि एक राज्य आयोग गठित करने का उपाय भी इस तस्वीर में क्यों नहीं है, मैं यह कहकर इसका विरोध करता हूं कि यह विधायी क्षमता से परे है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदय, हमने अवयस्कों और बच्चों की अनिवार्य शिक्षा हेतु एक महान संविधान संशोधन किया था। आज तक भी समुचित राशि संबंधित राज्यों को नहीं मिली है। जब श्री राधाकृष्णन की बात का उत्तर दें तो मैं माननीय मंत्री जी से इस बात का भी उत्तर चाहूंगा, कि क्या इस आयोग की अध्यक्षता आर.एस.एस. को सौंपी जाएगी या वे वास्तव में योग्यता के आधार पर किसी व्यक्ति का चयन करेंगे।

डा. मुरली मनोहर जोशी: महोदय, मेरे विचार से माननीय संसद सदस्य ने इस विधेयक का अध्ययन नहीं किया है। वे जानते हैं कि किस व्यक्ति को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया जा रहा था।

अध्यक्ष महोदय: वह बहुत गंभीर नहीं हैं।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मैं डा. जोशी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस पर विचार किया कि ये तीन राज्य यहां होने चाहिए और संसद का भविष्य ठीक होना चाहिए। *...(व्यवधान)*

डा. मुरली मनोहर जोशी: मुझे लगा कि वे सदन में थे न कि फुटबाल खेल के मैदान में। मुझे लगा कि वे गंभीर थे। लेकिन मुझे खेद है कि वे गंभीर नहीं थे।

महोदय, अब यह इस सरकार की प्रतिबद्धता है और राष्ट्रीय बाल आयोग बनाना अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता भी है। एक राष्ट्रीय बाल आयोग का गठन करने की मांग विभिन्न राज्यों और स्थायी समिति से भी होती रही है और विशेषकर यहां पर उपस्थित

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 5.12.2003 में प्रकाशित।

[डा. मुरली मनोहर जोशी]

माननीय संसद सदस्य श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा, हमेशा इसे सदन के सम्मुख रखती रहीं। वे जब दूसरे सदन में थीं तब भी ऐसा करती रहीं। एक राष्ट्रीय आयोग होने के नाते इस आयोग के पास शक्तियां तो हैं लेकिन यह दैनंदिन प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करने जा रहा है। यह ऐसा केवल तभी करेगा जब इसे कोई शिकायत मिलेगी या किसी कानून का उल्लंघन हो रहा होगा—क्योंकि बच्चों के संरक्षण हेतु बड़ी संख्या में केन्द्रीय कानून हैं—तभी वे इसका ध्यान ...*(व्यवधान)*। अत: यह संदेह व्यक्त करने का कोई कारण नहीं है कि ये दैनंदिन के प्रशासन में हस्तक्षेप करेगा। लेकिन अपने बच्चों का ध्यान रखा जाना आवश्यक है। यह पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा व्यक्त की गई प्रतिबद्धता है और अन्तर्राष्ट्रीय चार्टर का अनुमोदन है। हमारे संविधान में बच्चों के लिए कल्याणकारी उपायों की लंबी सूची है जिसका राज्य को ध्यान रखना पड़ेगा। इसी माननीय सभा द्वारा बड़ी संख्या में संवैधानिक और कानूनी उपायों का कार्यान्वयन किया गया है।

इसलिए, यह देखने के लिए कि इन सभी कानूनों और संवैधानिक प्रावधानों का समुचित रूप से क्रियान्वयन हो रहा है, इस विधेयक को इस प्रतिष्ठित सदन में रखा गया है और मैं इस सदन से इसे न केवल स्वीकार करने अपितु इसे शीघ्रता से पारित करने की भी अपील करता हूं जिससे कि बच्चों के कल्याण का कार्य गंभीरतापूर्वक किया जा सके।

अध्यक्ष महोदय: माननीय संसद सदस्यों मैं सदन को यह सूचना दे दूं कि यह एक सुस्थापित परंपरा है कि अध्यक्ष इस बात का निर्णय नहीं करते कि कोई विधेयक संवैधानिक रूप से सदन के विधायी क्षेत्राधिकार में आता है या नहीं आता। सदन भी किसी विधेयक के गुणदोष से संबंधित किसी प्रश्न विशेष पर निर्णय नहीं लेता है। अत: मैं मंत्री जी द्वारा रखे गए प्रस्ताव को सदन में मतदान हेतु रखता हूं।

प्रश्न यह है:

"कि राष्ट्रीय बाल आयोग का गठन करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री चन्द्र विजय सिंह, आप कुछ कहना चाहते थे।

श्री चन्द्र विजय सिंह (मुरादाबाद): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान मेरे निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित एक मामले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। परसों, दो व्यक्ति गोबिंदनगर नामक बिना चौकीदार वाले रेल फाटक पर कट कर मर गए, जो कि मुरादाबाद रेलवे स्टेशन से अगला फाटक है।

वर्ष 1998 से उसी बिना चौकीदार वाली रेल क्रासिंग पर 22 व्यक्ति अपने प्राण गंवा चुके हैं। मैंने संबंधित प्राधिकारियों का ध्यान वहां चौकीदार तैनात करने अथवा उस व्यस्त रेल लाइन पर एक ऊपरि पुल का निर्माण कराए जाने की ओर आकर्षित करने का प्रयास किया है। वहां से गुजरने वाली पूर्वोत्तर व उत्तरी क्षेत्र की रेलें परसों वहां चार घंटे तक रुकी रही थी। अत: मैं माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान वहां चौकीदार तैनात करने की ओर आकर्षित करना चाहता हूं क्योंकि वह मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की जान के लिए खतरा है।

अध्यक्ष महोदय: आज हमारे सम्मुख कोई 'शून्य काल' नहीं है।

अपराह्न 12.20 बजे

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

स्थगन प्रस्ताव के बारे में सूचनाएं

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, जैसा कि आप जानते हैं कि कल कुछ माननीय सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के माध्यम से एक पूर्व केन्द्रीय मंत्री के घूस लेने के मामले में कथित रूप से शामिल होने तथा सरकार के कुछ मंत्रियों द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का कथित दुरूपयोग किए जाने संबंधी मामले उठाए थे। मैंने इस विषय पर कुछ माननीय सदस्यों और माननीय संसदीय कार्य मंत्री को भी सुना था।

जहां तक एक पूर्व केन्द्रीय मंत्री के घूस लेने के मामले में कथित रूप से शामिल होने का संबंध है, मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहूंगा कि 3 दिसम्बर, 2003 को हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में अनेक माननीय सदस्यों ने इच्छा व्यक्त की

थी कि इस मामले पर प्रधानमंत्री सभा में वक्तव्य दें। माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है कि सभा, प्रधानमंत्री के वक्तव्य, जो वह अपनी विदेश यात्रा से वापसी के बाद दे सकते हैं, संबंधी इस मामले पर चर्चा कर सकती है।

इसलिए, मैंने इस मामले को, सरकार के कुछ मंत्रियों द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कथित दुरूपयोग संबंधी अन्य मामले से अलग कर दिया है।

जहां तक सरकार के कुछ मंत्रियों द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कथित दुरूपयोग के मुद्दे का संबंध है, मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि मैंने नियमों को पढ़ लिया है।

कौल और शकधर के अनुसार (पृष्ठ 503) किसी स्थगन प्रस्ताव की सूचना पर केवल इस आधार पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती कि वह समाचार-पत्रों में छपे किसी समाचार पर आधारित है, तथापि और अधिक तथ्य उपलब्ध होने के बाद ही अध्यक्ष द्वारा उस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाना चाहिए। जब तक सरकार समाचारों की सत्यता न कर ले उन्हें स्थगन प्रस्ताव के प्रयोजनों के लिए प्राधिकृत नहीं माना जा सकता। चूंकि प्राप्त सूचनाएं प्रेस रिपोर्टों पर आधारित थीं, इसलिए मैंने कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से एक तथ्यात्मक टिप्पणी मांगी थी।

यह टिप्पणी प्राप्त हो गयी है। सरकार ने बताया है कि "केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त (सीवीसी) 16 अक्तूबर, 2003 को माननीय प्रधानमंत्री से मिले थे। उस बैठक में, केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त ने विगत एक वर्ष के दौरान आयोग की विभिन्न पहलकदमियों के संबंध में संक्षेप में बताया और सरकारी क्षेत्र के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारियों के मन में सतर्कता के उस अनुचित भय को दूर करने की आवश्यकता पर भी विचार किया, जिसके कारण वे प्राय: अपने-आप निर्णय लेने में हिचकिचाते हैं। साथ ही केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त ने ऐसे विभिन्न उपाय भी सुझाए जो सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकरण में अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में किए जा सकते हैं। केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त ने कभी भी किसी के नाम का उल्लेख नहीं किया अथवा किसी भी केन्द्रीय मंत्री के बारे में कोई आरोप नहीं लगाया। मंत्रियों द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रमुखों से पैसे की मांग करने की कोई शिकायतें नहीं हैं।"

हालांकि, यह विषय सभा में चर्चा करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, फिर भी मैं इस प्रयोजन के लिए समस्त कार्य को स्थगित करना उचित नहीं समझता।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, मैं स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं को अस्वीकार करता हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आज शून्यकाल नहीं है। हम तुरन्त नियम 193 के अंतर्गत बहस शुरू करते हैं।

अपराह्न 12.23 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

रेलवे की भर्ती नीति के कारण असम और देश के कुछ अन्य भागों में हाल में हुई हिंसा की घटनाएं

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब हम आज की कार्यवाही के लिए सूचीबद्ध विषय को चर्चा के लिए ले रहे हैं जिसकी शुरूआत श्री बसुदेव आचार्य ने करनी है। चर्चा शुरू करने से पहले मैं कुछ टिप्पणियां करना चाहूंगा।

माननीय सदस्यों, रेलवे की भर्ती नीति के कारण असम और देश के अन्य भागों में हुई हाल ही घटनाएं, एक संवेदनशील मुद्दा है और इस पर एक उद्देश्य तथा बृहतर परिप्रेक्ष्य में बहस की जानी चाहिये। जब ऐसे मामलों पर वस्तुनिष्ठ तरीके से सभा में बहस होती है तो लोक प्रतिनिधियों के सामूहिक विचारों की अभिव्यक्ति के माध्यम से राष्ट्र में एक निश्चित संदेश जाता है।

अतएव, मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि क्षेत्रीयता और दलीय विचारों से ऊपर उठकर इस मामले पर सकारात्मक और रचनात्मक बहस की जानी चाहिए ताकि बहस के अंत में इस सभा से यह संदेश जाए कि न केवल यह सभा बल्कि सम्पूर्ण राष्ट्र इस व्यर्थ की हिंसा के खिलाफ एक है।

आज, मैं बड़े उत्तरदायित्व से यह वक्तव्य दे रहा हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि सभा में इस मामले पर शालीनता से बहस होनी चाहिए। पार्टी नेताओं की सभा में यह भी सुझाव दिया गया था कि चूंकि राष्ट्र की एकता किसी अन्य मामले से अधिक महत्वपूर्ण है अत: बहस के अंत में एक संकल्प लाया जाना चाहिए। जो कि पूरे राष्ट्र में यह संदेश प्रेषित करे कि ऐसे मुद्दों पर हम सब एक हैं।

अत:, मेरा उन सभी माननीय सदस्यों, जो कि इस विषय पर बोलने जा रहे हैं, से यह आग्रह है कि यह सारी बहस मर्यादित तरीके से होनी चाहिए और हमें देश में एक उचित संदेश प्रेषित करना चाहिए ताकि देश के किसी अन्य भाग में और हिंसा की घटनाएं न हों! मैं आशा करता हूं कि सदस्य इसमें सहयोग करेंगे और अपने संसदीय क्षेत्र के प्रतिनिधियों के रूप में ही नहीं बल्कि राष्ट्र के प्रतिनिधियों के रूप में कार्य करेंगे।

अब हम चर्चा शुरू करते हैं।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): अध्यक्ष जी, हम भी कुछ कहना चाहते हैं।

आपने जो कहा, हम आपके निर्देश का अक्षरश: पालन करेंगे। लेकिन जो विषय नियम 193 के अंतर्गत लाया गया है—"रेलवे की भर्ती नीति के कारण असम और देश के कुछ अन्य भागों में हाल में हुई हिंसा की घटनाओं के बारे में एक चर्चा उठाएंगे"- असम में रेलवे की परीक्षा के बाद घटनाक्रम शुरू हुआ। लेकिन बिहार के लोगों के साथ, हिन्दी भाषी लोगों के साथ देश के अन्य भागों में जो हो रहा है, दिल्ली के बारे में कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग आकर दिल्ली को गंदा करते हैं। अभी आंध्र प्रदेश में छात्रों की पिटाई की गई। बिहार के लोगों के साथ जो घटना घटी, हमने उसके संबंध में सवाल उठाया था। ये दोनों अलग-अलग चीजें हैं। इसलिए पहले जो सवाल था, उसे पीछे किया गया है। उस पर अलग से चर्चा करनी चाहिए। देश के पैमाने पर जो घटना घट रही है, लोग अपमानित हो रहे हैं, जिन्दा जलाए जा रहे हैं, उस सवाल को पीछे किया गया है। हमने भी नियम 193 के अंतर्गत नोटिस दिया था। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं आपकी बात समझता हूं, इसलिए जहां तक जरूरी है, इस चर्चा को माडीफाई किया जाएगा और इस विषय पर बोलने की इजाजत दी जाएगी।

श्री प्रभुनाथ सिंह: हमने स्पैसीफिकली नियम 193 के लिए नोटिस दिया था। हमने इस मामले को परसों उठाया था। लेकिन हमारा मैटर चेंज कर दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय: इसलिए उस रैजोलूशन को थोड़ा मोडीफाई करेंगे जिसके कारण यह विषय भी उसमें आ जाएगा।

श्री प्रभुनाथ सिंह: इस मैटर को डायवर्ट किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय: ऐसा कोई प्रश्न नहीं है। असम का विषय शुरूआत में ज्यादा महत्वपूर्ण था।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैंने सबको बोलने की इजाजत नहीं दी है। आप हर मिनट में नहीं बोल सकते। मैं आपके भाषण के लिए प्रायरिटी दे रहा हूं।

एक माननीय सदस्य: अध्यक्ष जी, क्या इस विषय पर आज ही पूरी चर्चा होगी?

अध्यक्ष महोदय: अगर आज कर सकेंगे तो करेंगे, नहीं तो अगले दिन करेंगे।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): अध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि हमें चर्चा में भाग लेते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि हम यहां जो बात कहेंगे, उसका लक्ष्य यह होगा कि प्रोविंशियल शावीनिज्म, जो आज से नहीं बल्कि कई सालों से चल रहा है, हम उसे कैसे खत्म कर सकेंगे। हम अपने देश की अखंडता और एकता की रक्षा कैसे कर सकेंगे। हमारा देश एक फैडरल स्ट्रक्चर है। हम इसे मजबूत करना चाहते हैं। जो घटना असम और उसके पूर्व बिहार में घटी है, हम उस घटना की निन्दा करते हैं। *...(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह: असम में भी घटना घटी है। *...(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: हमने पहले असम बोला है। प्रभुनाथ जी, हम ठीक बोल रहे हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: और देश के अन्य भागों में ऐसा भी कहा है।

श्री बसुदेव आचार्य: हमने पहले असम कहा, उसके बाद बिहार कहा। *...(व्यवधान)* ठीक है, हम अपनी बात में संशोधन करते हैं। हम सब लोगों को यह संकल्प लेना है कि हम भविष्य में कहीं भी ऐसी घटना नहीं घटने देंगे।

[अनुवाद]

महोदय, असम में जो हुआ वह एक निरन्तर बिहारी विरोधी उन्माद है; और हिंसा में वृद्धि ने असम को हिला दिया है। असम में कानून और व्यवस्था बदतर हो रही है। इसके परिणामस्वरूप 60 से अधिक बिहारी और हिन्दी भाषी लोग मारे जा चुके हैं।

मेरे जिले से हजारों की संख्या में बिहारी और अन्य हिन्दी भाषी लोग असम में पिछले 60 से 70 वर्षों से रह रहे हैं। 1956 से पहले, मेरा जिला बिहार का ही एक भाग था। छोटा नागपुर क्षेत्र से आदिवासियों को चाय की खेती के लिए असम ले जाया गया था। ये लोग अभी भी असम में हैं तथापि उन्हें असम में अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता नहीं दी गयी है। इन लोगों को अंग्रेजों द्वारा चाय बागानों में काम करने हेतु लाया गया था। इस प्रकार बिहारी और हिन्दी भाषी लोग वर्षों से असम में रह रहे हैं। वे असमी लोगों का एक हिस्सा बन गये हैं। वे अपने आपको असमी लोगों से अलग नहीं मानते। ये समाज के गरीब वर्ग से जैसे रिक्शा चलाने वाले, फेरी वाले और छोटे व्यापारी हैं। इन लोगों पर हमले हुए। उनमें से लगभग 10 हजार लोग अब

26 राहत शिविरों में रह रहे हैं। डिब्रुगढ़ और तिनसुकिया सबसे अधिक प्रभावित जिले हैं।

सबसे अधिक संख्या में बिहारी असम के ऊपरी क्षेत्र में तिनसुकिया जिले तथा असम के निचले क्षेत्र के नलबारी और बोंगईगांव में रहते हैं। लगभग 60 लोग मारे गये और हजारों घरों में आग लगा दी गयी। वहां कतिपय समूहों ने ऐसा घृणित अपराध किया है और इसे असम के लोगों का समर्थन नहीं मिला है। उल्फा, जो कि प्रसुप्त अवस्था में थी, ने इस स्थिति का फायदा उठाया और आह्वान किया कि 24 घंटे के भीतर सभी बिहारी असम को छोड़ दें। इसके उपरांत ए.ए.एस.यू. और असम जातीयतावादी युवा छात्र संघ ने भी बिहारियों के विरुद्ध प्रचार शुरू कर दिया।

ऐसा क्यों हुआ? क्या वह छुटपुट घटना थी या स्वत: स्फूर्त? इस घटना की शुरूआत कैसे हुई? रेलवे द्वारा एक विज्ञापन दिया गया था कि 20,000 गैंग मैनों, खलासियों और अन्य संरक्षा कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी और रेलवे भर्ती बोर्डों के माध्यम से ग्रुप 'घ' श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। 20,000 पदों के लिए 70 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। उत्तरी सीमान्त (एन.एफ.) रेलवे के 2750 पदों के लिए, 7 लाख लोगों ने आवेदन किया। इसमें से 40 प्रतिशत असम के थे और 60 प्रतिशत असम से बाहर के थे क्योंकि एन.एफ. रेलवे पूरे असम, पश्चिम बंगाल और बिहार भर में फैला है। बिहार में एन.एफ. रेलवे के अंतर्गत एक कटिहार डिवीजन है, अत: बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। जब 9 नवम्बर को बिहार और त्रिपुरा के लड़के गुवाहाटी में एन.एफ. रेलवे के मुख्यालय मालेगांव गए तो उन्हें साक्षात्कार देने से रोका गया। त्रिपुरा सरकार ने सुझाव दिया है कि भर्ती केन्द्र, अगरतला में भी होना चाहिए। उन्होंने इसके लिए जगह भी तलाश की है। सब कुछ हो चुका था लेकिन रेल मंत्रालय इससे सहमत नहीं हुआ। त्रिपुरा के लड़कों को भी साक्षात्कार देने के लिए गुवाहाटी आने को कहा गया। त्रिपुरा के लड़कों को भी साक्षात्कार देने से रोका गया। उनकी संख्या लगभग 10 हजार थी। ये लड़के साक्षात्कार नहीं दे पाये और यह खबर बिहार में फैल गयी। अगले दो दिन अर्थात् 11 और 12 नवम्बर को असम से आने वाली रेलगाड़ियों को बिहार के विभिन्न स्टेशनों पर रोका गया। कटिहार, जमालपुर और अन्य बहुत से रेलवे स्टेशनों पर उत्तर-पूर्वी राज्यों के यात्रियों विशेषकर असम के यात्रियों को रेलगाड़ियों के डिब्बों से उतारकर पीटा गया।

महोदय, यह एक बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट हो सकती है कि अरुणाचल प्रदेश या नागालैंड की एक लड़की का सामूहिक बलात्कार हुआ। कुछ दिन-दो या तीन दिनों तक ऐसी घटनाएं हुईं। ऐसे वक्त में रेलवे कर्मचारी क्या कर रहे थे, क्या वे सो रहे थे? रेलवे के पास रेलवे सुरक्षा बल के लगभग 80,000 कर्मी हैं। वे क्या कर रहे थे। मासूम यात्रियों को बचाने के लिए उन्हें क्यों नहीं लगाया गया। जब रेल मंत्रालय को ऐसी घटनाओं के बारे में पता लगा तो उन्होंने रेलवे सुरक्षा बल के कर्मियों को मासूम यात्रियों की सुरक्षा के लिए क्यों नहीं लगाया? ये यात्री असुरक्षित थे। उन पर हमला किया गया और उन्हें पीटा गया।

इसके बाद 17 नवम्बर को आल असम स्टूडेंट्स यूनियन (ए.ए.एस.यू.), असम जातीयतावादी युवा छात्र यूनियन और यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट आफ असम (यू.एल.एफ.ए.) द्वारा एक बंद का आह्वान किया गया। बंद का आह्वान करके उन्होंने बिहारियों पर हमला शुरू कर दिया। वे मासूम लोग थे और उन्होंने असम को छोड़ना शुरू कर दिया। उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी क्योंकि उन्होंने अपने गांव 50 या 60 वर्ष पहले छोड़ दिये थे। वे कहां रहेंगे? उन्हें पीटा गया, उन पर हमला हुआ और उन्हें मार दिया गया। इस प्रकार यह क्षेत्रीयतावाद शुरू हुआ। वास्तव में बिहार में ऐसी कोई क्षेत्रीयतावाद की समस्या नहीं है बिहारी लोग हर जगह हैं। असम में 20 लाख से अधिक बिहारी रहते हैं। बंगाल और कलकत्ता में भी बिहारी रहते हैं। लाखों बिहारी पश्चिम बंगाल में कार्य कर रहे हैं। बिहारियों और बंगालियों के बीच कोई दुर्भावना नहीं हैं। बंगाली लोग बिहार में भी रहते हैं। बिहार में क्षेत्रीयतावाद नहीं है। मैं इस संबंध में बिहार के पहले मुख्यमंत्री का कथन उद्धृत कर सकता हूं जब दामोदर वैली कारपोरेशन की स्थापना हुई तो विधान सभा के कुछ सदस्यों और कुछ अन्य लोगों द्वारा यह संदेह व्यक्त किया गया था। दिसम्बर 1947 में जब दामोदर वैली कारपोरेशन की स्थापना हुई, तब बिहार विधान सभा में एक रुचिकर बहस हुई थी। विधान सभा सदस्य इस तथ्य को सभा के समक्ष उठा रहे थे कि इसी परियोजना के अंतर्गत बिहार की काफी जमीन डूब जाएगी जबकि बाढ़ से सुरक्षा और सिंचाई का लाभ बंगाल को मिलेगा। तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री एस.के. सिन्हा ने जो कहा था, मैं उसे उद्धृत करता हूं:

> ''हमने कुछ ही महीने पहले 15 अगस्त, 1947 को स्वतन्त्रता प्राप्त की है और भारत अर्थात् एक भारत के प्रति सत्यनिष्ठा की शपथ ली है। कोई भी यह नहीं सोच सकता था कि उन्हें शीघ्र ही भुला दिया जाएगा। यदि बंगाल में बाढ़ संरक्षण कार्यों से लाखों लोग लाभान्वित होते हैं और उस कारणवश बिहार में कुछ गांव डूब जाते हैं तो जो लाखों लोग बचाए गए हैं वे भी उतने ही भारतीय हैं जितने कि बिहार में रहने वाले वे लोग हैं जिन्हें अपनी कुछ जमीन खोनी पड़ी।''

बिहार के पहले मुख्यमंत्री द्वारा विधान सभा में यह वक्तव्य दिया गया था।

[श्री बसुदेव आचार्य]

लेकिन आज यह क्यों हो रहा है? समस्या यह है कि माननीय प्रधान मंत्री द्वारा यह आश्वासन दिए जाने के बावजूद कि प्रति वर्ष बेरोजगार युवकों को एक करोड़ रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे, बेरोजगारी बढ़ रही है। आज असम में पंजीकृत बेरोजगार युवकों की संख्या 17 लाख है और बिहार में 20 लाख है। उद्योग बंद हो रहे हैं। बंटवारे के बाद बिहार के पास कुछ नहीं बचा है। सभी उद्योग—कोयला, अभ्रक, लौह अयस्क, तांबा, सब कुछ-झारखंड में है। वहां के अधिकांश उद्योग बंद हो चुके हैं। आज बरौनी उर्वरक इकाई बंद है। रेल डिब्बों का निर्माण करने वाली दो इकाइयां लगभग बंद हो चुकी हैं। माननीय रेल मंत्री श्री नीतीश कुमार यह जानते हैं। उनमें से एक मोकामा उनके निर्वाचन क्षेत्र में है और दूसरी इकाई मुजफ्फरपुर में है। वे लगभग बंद हो चुकी हैं। आज वहां एक भी डिब्बे का निर्माण नहीं हो रहा। गत छह माह से श्रमिकों को उनका वेतन नहीं मिला है। मैं जानता हूं कि गत छह माह से मुजफ्फरपुर की भारत वैगन यूनिट के श्रमिकों को उनका वेतन नहीं मिला है। वे भूखों मर रहे हैं।

ये सभी उद्योग बंद हो रहे हैं और बेरोजगारी बढ़ रही है। असम में भी यह स्थिति है। बिहार और पूर्वोत्तर में समूह 'ग' और समूह 'घ' के पदों का औसत कितना है? मैंने बहुत पहले 1987 में यह प्रश्न पूछा था कि पूर्वोत्तर में समूह 'ग' और समूह 'घ' के पदों का औसत केवल 26 प्रतिशत ही क्यों था और उत्तर यह था कि वहां कोई आधारभूत ढांचा नहीं है तथा इसके परिणामस्वरूप पूर्वोत्तर में उद्योग नहीं पनप रहे हैं। इस सरकार की गलत नीतियों के कारण हमारे देश के कुछ राज्यों के कुछ भाग पिछड़े ही बने रहेंगे और वहां उद्योग नहीं लगेंगे तथा बेरोजगारी बढ़ेगी। इसके परिणामस्वरूप यह मांग उठती है कि रोजगार धरती पुत्रों को दिए जाएं। ए.ए.एस.यू. यह मांग कर रहा है। असम जातीयतावादी युवा छात्र संघ यह मांग कर रहा है। लगभग सभी राजनैतिक दल वामपंथी और धर्मनिरपेक्ष दलों को छोड़कर यह कह रहे हैं। मैं दृढ़ विश्वास के साथ यह कर सकता हूं कि वामपंथी दलों को छोड़कर सभी दल इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि 100 प्रतिशत पद स्थानीय युवाओं के लिए आरक्षित होने चाहिये।

इसके परिणामस्वरूप यह प्रांतवाद, यह उग्र क्षेत्रवाद हमारे देश में बढ़ रहा है। हमें इसके बारे में गहराई से सोचना पड़ेगा।

महोदय, महाराष्ट्र में शिवसेना के प्रमुख, श्री बाल ठाकरे ने यह कहा है कि वे बिहारियों को महाराष्ट्र से बाहर फेंक देंगे, केवल स्थानीय लोगों को ही रोजगार मिलना चाहिए। शिव सेना के यह शुरू कर दिया है। उनकी राजनीति इस प्रांतवाद, इस उग्र क्षेत्रवाद पर पनपती है। उन्होंने साठ के दशक में मलयालियों को महाराष्ट्र से बाहर निकाल फेंकने का नारा दिया था।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य): अध्यक्ष महोदय, बाला साहेब ठाकरे ने ऐसी कभी नहीं कहा था। उन्होंने लोकल लोगों को प्रायरिटी देने की बात कही थी। उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा था। ...*(व्यवधान)* इसे रिकार्ड से निकाला जाए। यह गलत सूचना दे रहे हैं। ...*(व्यवधान)* गलत जानकारी दे रहे हैं। बाला साहेब ठाकरे ने ऐसा कभी नहीं कहा था। उन्होंने कहा था कि जो बंगाल में रहता है बंगाली, जो बिहार में रहता है बिहारी और जो महाराष्ट्र में रहता है मराठी। ...*(व्यवधान)* उन्होंने कहा कि लोकल लोगों को प्रायरिटी मिलनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं रिकार्ड की जांच करूंगा और देखूंगा कि क्या ऐसा हुआ है जिसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाले जाने की आवश्यकता है।

श्री बसुदेव आचार्य: साठ के दशक में उन्होंने यह नारा बुलंद किया था कि मलयालियों को महाराष्ट्र से निकाल बाहर कर दिया जाना चाहिए। आज यह नारा दिया जाता है कि बिहारियों को महाराष्ट्र से निकाल दिया जाना चाहिए और किसी 'भैइया' या बिहारी को वहां नहीं रहने देना चाहिए। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हम एक ही देश में रह रहे हैं, क्या हमारा एक संविधान है। महोदय, संविधान के अनुसार हमारे देश का कोई भी नागरिक, जम्मू और कश्मीर को छोड़कर, कहीं भी रह सकता है। जम्मू और कश्मीर के मामले में अनुच्छेद 370 लागू है। आज नागरिकों के मूल अधिकार को महाराष्ट्र में छीना जा रही है। बिहारी महाराष्ट्र नहीं जा सकते। वे महाराष्ट्र में रोजगार की तलाश नहीं कर सकते। वे असम नहीं जा सकते। असम के लोग बिहार नहीं जा सकते। यदि यह लगातार जारी रहा तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत अखंड रह पाएगा। हमें इसके बारे में गहराई से सोचना पड़ेगा।

महोदय, यह क्यों हो रहा है? रेल मंत्रालय अचानक यह सोचता है कि उसे 20,000 संरक्षा कर्मियों की भर्ती करनी होगी। चूंकि मैं सत्तर के दशक से रेल विभाग से जुड़ा रहा हूं, अत: मैं यह जानता हूं कि विगत में समूह 'घ' की भर्ती डी.आर.एम. और स्थानीय रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाती थी। यह व्यवस्था क्यों बदली गई? उस समय वह व्यवस्था अच्छी तरह चल रही थी। इस व्यवस्था के बारे में कोई शिकायत नहीं थी हालांकि बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की शिकायत थी। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या रेल मंत्री इस व्यवस्था को बदलकर भ्रष्टाचार को रोक पाए। मुझे इस पर संदेह है। भ्रष्टाचार रहेगा। यदि एक मंत्री कैमरे के सामने खानों का पट्टा देने हेतु धन ले सकता है, तो भ्रष्टाचार

रहेगा ही। आप इस व्यवस्था में भ्रष्टाचार को कैसे रोक सकते हैं? वह इस बारे में जानते हैं। मैंने मेरे नादरा खण्ड में 1100 लड़कों की भर्ती के बारे में शिकायत की थी। जांच भी हुई थी। मैंने विशेषकर दो अधिकारियों के बारे में शिकायत की थी परन्तु उन दो अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई जिन्होंने लाखों रुपये कमाये थे। वह भ्रष्टाचार कैसे रोक सकते हैं?

हम सभी एक त्रुटिरहित व्यवस्था चाहते हैं। ऐसी व्यवस्था कैसे रह सकती है? हमारा सुझाव यह है कि हमें पुरानी व्यवस्था को पुन: बहाल करना चाहिए और उम्मीदवारों के नाम स्थानीय रोजगार कार्यालयों द्वारा भेजे जाने चाहिएं। तब इस प्रकार की समस्या नहीं होगी बिहारियों को साक्षात्कार हेतु मुम्बई या गुवाहाटी जाना पड़े या असम के लड़कों को पटना आना पड़े और पटना या बिहार के लड़के उन्हें साक्षात्कार में भाग न लेने दें।

[हिन्दी]

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): अध्यक्ष महोदय, रेलवे रिक्रूटमैंट पालिसी के बारे में रिप्लाई होगा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उस समय हाउस में कुछ सदस्यों की उपस्थिति होगी या ऐसी ही होगा? मेरा कहना है कि उसके लिए प्रापर समय मिलना चाहिए। जब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के बारे में उत्तर देंगे, हाउस में अटेंडेंस होना चाहिये। इस का प्रौपर समय मिलना चाहिये। इस दौरान श्री बसुदेव आचार्य जी ने एक सवाल उठाया लेकिन हम एक-एक बात का तथ्य सदन के सामने रखना चाहते हैं। इसलिये ऐसा होना चाहिये कि जब हम अपनी बात कहें तो उसे सुनने वाला होना चाहिये।

श्री बसुदेव आचार्य: हम रहेंगे।

श्री नीतीश कुमार: आप अकेले रहेंगे लेकिन आपके अकेले रहने से काम नहीं चलेगा। हम अकेले में आपसे बता चुके हैं। अगर सदन में लोग रहेंगे, तब हम अपनी बात कहेंगे।

श्री बसुदेव आचार्य: हम जाने वाले नहीं हैं, जायेंगे नहीं। आपकी बात सुनकर जायेंगे।

श्री नीतीश कुमार: इसलिये हम कहना चाहेंगे कि एक प्रौपर समय निर्धारित किया जाये और खासकर जो रिक्रूटमेंट की बात है।

अध्यक्ष महोदय: मैं एक बात जरूर करूंगा कि कोरम रहेगा।

श्री नीतीश कुमार: अध्यक्ष जी, इसमें कोरम की बात नहीं है। अगर कोई कोरम की बात रेज ही नहीं करेगा तो कोरम रहेगा ही। इसलिये कहना चाहता हूं कि यह एक सैंसिटिव ईश्यू है। जब रेलवे रिक्रूटमेंट की बात हो रही है, रिक्रूटमेंट पालिसी के बारे में कहा जा रहा है। मैं सदन को बताना चाहूंगा लेकिन ऐसा नहीं हो कि 'जंगल में मोर नाचा किसने देखा' अगर सदन में लोग रहेंगे तो अच्छा रहेगा। इस का जो मतलब है, वह मैंने बताया है। दूसरे, अगर नीचे सदन में लोग नहीं रहते हैं तो ऊपर भी नहीं रहते।

श्री बसुदेव आचार्य: नीचे भी रहेंगे और ऊपर भी रहेंगे।

अध्यक्ष महोदय: क्या आप ऊपर वाले के लिये बोल रहे हैं?

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी): लेकिन यह कहां तक ठीक है कि मोर नाचा?

جناب جی۔ایم۔ بنات والا (پونانی): لیکن یہ کہاں تک ٹھیک ہے کہ مور ناچا؟

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी उन भावनाओं में सहभागी हूं जो आपने अपनी आरम्भिक टिप्पणियों में व्यक्त की थीं।

अध्यक्ष महोदय: श्री बसुदेव आचार्य, आप कितना समय लेंगे?

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, मैं 10-15 मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

महोदय, हमें इस स्थिति का लाभ नहीं उठाना चाहिए। हमने समाचार-पत्रों में उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास विभाग के प्रभारी मंत्री डा. सी.पी. ठाकुर का वक्तव्य पढ़ा है। इस समय वे यहां उपस्थित नहीं हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी: उन्हें यहां उपस्थित होना चाहिए था।

श्री बसुदेव आचार्य: हां, उन्हें यहां उपस्थित होना चाहिए था क्योंकि यहां असम और बिहार पर चर्चा चल रही है।

श्री सोमनाथ चटर्जी: उन्होंने वहां भी इस मुद्दे पर कोई वक्तव्य दिया है।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, वह बिहार से हैं और पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रभारी भी हैं। उनके इस दौरे में एक अन्य राज्य मंत्री श्री चिन्मयानन्द स्वामी भी उनके साथ थे। उन्होंने 22 और 23 नवम्बर को असम का दौरा किया था। वहां पर घटना 17 नवम्बर को हुई थी। इन्होंने इस घटना के घटित होने के इतने लंबे समय के बाद वहां का दौरा क्यों किया? शायद उस राज्य की स्थिति का पता लगाने हेतु उन्हें 22 नवम्बर को ही समय

[श्री बसुदेव आचार्य]

मिला होगा। मेरे विचार से वे चुनाव आदि के कार्यों से किसी अन्य स्थान पर व्यस्त होंगे।

इन केन्द्रीय मंत्रियों को इस प्रकार की घटनाओं में हमेशा विदेशी हाथ ही दिखाई देता है। इस मामले में भी उन्होंने यह वक्तव्य दिया कि इसमें बंगलादेशियों और पाकिस्तान की आई.एस.आई. का हाथ है। मैं नहीं जानता कि यह दोनों मंत्रियों का संयुक्त वक्तव्य है या डा. सी.पी. ठाकुर ने अकेले ही दिया है। राज्य में बिहारियों की हत्या में भी उन्हें पाकिस्तान की आई.एस.आई. और बंगलादेशियों का हाथ बताया गया।

श्री चिन्मयानन्द स्वामी जो कि गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं, यह कैसे जानते थे कि इस घटना में आई.एस.आई. और बंगलादेशियों का हाथ है? उन्हें यह कैसे पता लगा कि बिहारियों की इन हत्याओं के लिए वे जिम्मेदार हैं? यहां तक कि वहां के भा.ज.पा. नेतृत्व अर्थात् असम राज्य के अध्यक्ष, ने भी इसी प्रकार का वक्तव्य दिया था। वे एक ही तरह के नारे उछाल रहे हैं और असम में हत्याओं की इस घटना को आई.एस.आई. का खेल बता रहे हैं।

आर.एस.एस. के सरसंघचालक श्री सुदर्शन ने भी 24 नवम्बर को कुछ टिप्पणियां की। उन्होंने कहां कि असम में जो कुछ हो रहा है वह इस्लामीकरण की रणनीति का ही हिस्सा है। असम में इस घटना से इस्लामीकरण का क्या लेना-देना है? रेल मंत्री जो इस मुद्दे पर हमें जानकारी दें।

श्री हन्नान मोल्लाह (उलुबेरिया): क्या जब शिव सैनिकों ने महाराष्ट्र रेलवे भर्ती बोर्ड के कार्यालय में तोड़फोड़ की थी तो उन्हें पाकिस्तान ने यह करने की सलाह दी थी?

श्री बसुदेव आचार्य: महाराष्ट्र रेलवे भर्ती बोर्ड के कार्यालय में तोड़-फोड़ की गई और यहां तक कि आर.आर.बी. के अध्यक्ष से भी मारपीट की गई।

श्री हन्नान मोल्लाह: शिव सैनिकों ने रेलवे भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष को परेशान किया।

श्री बसुदेव आचार्य: मैंने रेल मंत्री द्वारा इस घटना की कोई निंदा नहीं सुनी।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले: मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि खाली विद्यार्थी से लेकर कार्यकर्त्ताओं को पीटा गया, न किसी को जख्म लगा, न पुलिस को जख्म लगा और न चेयरमैन को जख्म लगा। ...*(व्यवधान)*

श्री हन्नान मोल्लाह: क्या आपने पाकिस्तान की एडवाइज पर किया, इसमें आई.एस.आई. हैन्ड है।

श्री बसुदेव आचार्य: विद्यार्थियों को पीटा गया, चेयरमैन को कुछ नहीं हुआ, आफिस को रैनसेक नहीं किया, कुछ नहीं किया, अखबार में आया है।

[अनुवाद]

महोदय, इस संबंध में असम में केन्द्रीय मंत्री श्रीमती विजया चक्रवर्ती ने क्या कहा है? श्रीमती विजया चक्रवर्ती ने तो असम पुलिस में कुछ बिहारियों की भर्ती पर प्रश्न उठाया और ए.ए.एस.यू. नेताओं को मालेगांव स्थित एन.एफ. मुख्यालय पर हमला करने के लिए भड़काया। यह मीडिया की रिपोर्ट है और मैंने कई अखबारों में ऐसा पढ़ा है। उन्होंने इसका खंडन नहीं किया है; यहां तक कि रेलमंत्री ने भी इसकी निंदा नहीं की है। उन्होंने लोगों को मामलेगांव स्थित एन.एफ. रेलवे मुख्यालय पर हमला करने के लिए उकसाया और असम पुलिस में बिहारियों की भरती पर प्रश्न उठाया। क्या बंगाल पुलिस में कोई बिहारी नहीं है? बंगाल पुलिस में काफी संख्या में बिहारी हैं। मेरे जिले में काफी बड़ी संख्या में बिहारी बंगाल पुलिस में हैं। ऐसा गैर-जिम्मेदार वक्तव्य एक सदस्य नहीं बल्कि एक मंत्री द्वारा क्यों दिया गया?

मैं इस सभा में बिहार के उस सदस्य और उसके संसदीय क्षेत्र के बारे में नहीं बताऊंगा जहां रेलगाड़ी रोकी गयी। अखबारों में यह खबर प्रकाशित हुई थी कि उन्होंने भीड़ को इकट्ठा करके उसका नेतृत्व किया और लोगों को असमी लोगों पर हमला करने के लिए उकसाया। ...*(व्यवधान)*

श्री निखिल कुमार चौधरी (कटिहार): श्री बसुदेव आचार्य, यह सच नहीं है। महोदय, यह गलत है।

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य: आपका नाम अखबार में आया है। मैंने आपका नाम नहीं लिया, कटिहार का नाम भी नहीं लिया।

श्री निखिल कुमार चौधरी: आप जो कह रहे हैं वह मैं समझ रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: मैंने आपका नाम नहीं लिया, कटिहार का नाम भी नहीं लिया। लेकिन जमालपुर में तो हो सकता है। आप कटिहार के हैं, हमने कटिहार का नाम नहीं लिया, फिर आप क्यों खड़े हो जाते हैं, जरूर कुछ है। ...*(व्यवधान)*

श्री निखिल कुमार चौधरी: आचार्य जी, हम दो एम.पी. हैं, उधर पप्पू यादव हैं और इधर मैं हूं, हम दोनों ने इसे शांत करने की कोशिश की है। ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: मैंने किसी का नाम नहीं लिया। पप्पू यादव का नाम भी नहीं लिया, उनका नाम भी नहीं लिया, जबकि अखबारों में भड़काने वालों में नाम आया है। हमने उनका नाम भी नहीं लिया ...*(व्यवधान)* आपने जो बात बताई है, वही हम कह रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री निखिल कुमार चौधरी: भाजपा के किसी भी सदस्य ने कहीं भी लोगों को नहीं भड़काया है।

अध्यक्ष महोदय: श्री बसुदेव आचार्य, कृपया अब अपनी बात समाप्त करें।

श्री बसुदेव आचार्य: हम सबको समझदारी से व्यवहार करना चाहिए। हमें ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे हमारे देश में ऐसा क्षेत्रीयतावाद पनपे। यही हमारा संदेह है।

इसका अन्य महत्त्वपूर्ण पहलू यह है कि हमने इस संबंध में अपना संदेह व्यक्त किया हालांकि आप जोनों के पुनर्गठन पर बहस कराना चाहते थे जो कि नहीं हो पायी। अपने भाषण में मैंने कहा था कि भारतीय रेल हमारे देश की एकता और अखंडता का प्रतीक है और चेतावनी दी थी कि इन जोनों और डिवीजनों के पुनर्गठन के कारण यह एकता और अखंडता ध्वस्त हो जाएगी। नए जोनों के सृजन का क्या औचित्य है। क्या संचालन और आर्थिक दृष्टि से इनका कोई औचित्य है? नए जोनों के सृजन का औचित्य संचालन और आर्थिक दृष्टि से भी सिद्ध नहीं होता।

अपराह्न 1.00 बजे

नए जोनों के सृजन के कारण और जातीय महत्वाकांक्षाओं और क्षेत्रीयतावाद की वजह से भी यह मांग आने लगी है कि उस प्रत्येक राज्य में एक जोनल मुख्यालय बनाया जाना चाहिये जहां कि वर्तमान में यह नहीं है।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज): आपके दो जोन का हैडक्वार्टर है कोलकाता में।

श्री बसुदेव आचार्य: क्या रहा ईस्टर्न रेलवे का रघुनाथ जी? साउथ ईस्टर्न को क्या कर दिया नीतीश कुमार जी ने, हम जानते हैं।

अध्यक्ष महोदय: आचार्य जी, आप आसन को संबोधित कीजिए।

श्री नीतीश कुमार: एन.एफ. रेलवे का कोई री-आर्गनाइजेशन नहीं हुआ है। ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: हम एन एफ रेलवे का नहीं बोल रहे हैं। हम आल इंडिया का बोल रहे हैं।

[अनुवाद]

मुझे एन.एफ. रेलवे के बारे में पता है। मुझे पता है कि एन.एफ. रेलवे में किस तरह निवेश किया जा रहा है। वहां पर एक इंच रेलवे लाईन का भी विद्युतीकरण नहीं किया गया है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री आचार्य, अब आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, पुरानी व्यवस्था को बहाल करने के साथ-साथ मुझे एक अन्य सुझाव भी देना है।

रेलवे को दक्ष और प्रशिक्षित श्रमशक्ति की आवश्यकता है। यह खन्ना समिति की भी एक सिफारिश थी। यदि जमालपुर, बोंगईगांव, तिनसुकिया और अन्य स्थानों पर स्थित कार्यशालाओं में प्रशिक्षण प्राप्त लड़कों को वहीं समायोजित कर दिया जाता, जैसा कि पहले भी किया जाता रहा है यह समस्या ही नहीं उठती। यदि ऐसा किया जाता तो स्थानीय लड़कों को रोजगार के कुछ अवसर प्राप्त होते। आपने प्रशिक्षु अधिनियम की बात की। प्रशिक्षु अधिनियम के बावजूद वर्ष 2001 तक तो इन लड़कों की भरती होती रही थी। अचानक इसे रोक दिया गया। अत: इन लड़कों की भरती पर कोई रोक नहीं है। इससे आंशिक रूप से यह समस्या हल हो सकती है।

दलगत भावना या राज्य से प्रतिबद्धता की भावना से ऊपर उठकर हम सबको इस देश के लोगों के कल्याण पर विचार करते हुए देखना है कि किस तरह क्षेत्रीयतावाद की यह बुराई समाप्त हो। हमें देखना है कि देश की यह संघीय व्यवस्था कैसे सुदृढ़ हो। कुछ राज्यों को इस सरकार की असमान, असंतुलित निवेश और विकास की नीतियों के कारण समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमें सभी राज्यों में संतुलित विकास सुनिश्चित करना चाहिये। हमें पिछड़े राज्यों का विकास सुनिश्चित करना चाहिये विशेषकर उन राज्यों में जहां और अधिक निवेश करके अधिक रोजगारों का सृजन किया जा सकता है ताकि इन समस्याओं का समाधान किया जा सके।

अध्यक्ष महोदय: अगले वक्ता श्री कीर्ति आझाद हैं। उनके बोलने से पहले मैं सभा की सम्मति लेना चाहूंगा कि क्या हम आज का भोजनावकाश छोड़कर इस समय का उपयोग चर्चा के लिए करें। यदि सभा सहमत हो तो हम भोजनावकाश के दौरान भी चर्चा जारी रख सकते हैं।

अनेक माननीय सदस्य: महोदय, हम सहमत हैं।

अध्यक्ष महोदय: चर्चा जारी रहे।

[हिन्दी]

श्री कीर्ति झा आजाद (दरभंगा): अध्यक्ष महोदय, असम में जो घटना घटी, वह बहुत ही गंभीर है। अभी बसुदेव आचार्य जी की बात हम सुन रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि शायद वे रेलवे के रीआर्गेनाइजेशन या रेलवे बजट पर भाषण दे रहे हैं।

महोदय, जिस गंभीर मामले को लेकर हम सभी यहां पर बैठकर विचार कर रहे हैं, मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं कि जिन लोगों के बारे में भी उन्होंने यहां कहने का प्रयास किया, चाहे वे किसी सांसद की तरफ संकेत कर रहे थे या नहीं, यह आवश्यक है कि यहां पर जितने भी सदस्य बैठे हुए हैं, चाहे वे किसी भी राजनीतिक पार्टी के हों, चाहे केन्द्र में मंत्री रहे हों या राज्य सरकार में मंत्री रहे हों।

अध्यक्ष महोदय, यदि किसी ने भी किसी क्षेत्रवाद के ऊपर बोलने का प्रयास किया हो, चाहे वह असम के बारे में हो या बिहार के बारे में हो, मैं ऐसे लोगों की उस टिप्पणी की निन्दा करता हूं। हम सभी भारतीय हैं। जिन्होंने इस तरह की बातें कही हैं, ठीक नहीं हैं।

अपराह्न 1.05 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

महोदय, हम सभी जानते हैं कि रोजगार ढूंढ़ने के लिए लोग देश के विभिन्न भागों में जाते हैं, विशेषकर हिन्दी भाषाभाषी लोग, उत्तर भारत के लोग जिनमें अधिकतर बिहारी होते हैं। अभी माननीय सदस्य ने ही बताया था कि 60-70 साल पहले बिहार के बहुत लोग असम में बसाए गए, जिन्होंने चाय बागानों के लिए बहुत काम किया। भारत का कोई भी भाग हो, हिन्दी भाषाभाषी लोग, विशेषकर बिहारी लोग इन सभी जगहों पर जाते हैं और अपनी रोजी-रोटी कमाते हैं।

महोदय, मैं राजनीतिक मामला न बताते हुए, यह अवश्य कह सकता हूं कि जिस प्रकार से बिहार में लोगों के पास व्यवसाय नहीं है, काम करने के लिए कोई क्षेत्र नहीं खुला है, उसके कारण वहां से अधिकतर लोग पलायन कर के देश में अलग-अलग जगहों पर जाकर काम करते हैं। आज से लगभग 200-300 साल पहले बिहार के लोग सूरीनाम गए, मारीशस गए और वहां इतनी मेहनत और उन्नति की कि वहां के प्रधानमंत्री तक बने और आज भी महत्वपूर्ण पदों पर हैं। देश में ही नहीं बिहार के लोगों ने अलग-अलग देशों में जाकर नाम कमाया है, लेकिन यदि अपने देश में या किसी-किसी प्रदेश में इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, तो यह ठीक नहीं है। व्यक्तियों को मारना, हत्याएं करना, बलात्कार करना, यह निन्दनीय है।

अध्यक्ष महोदय, आप महाराष्ट्र से आते हैं। आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में कई बिहारी हैं। अभी इसी विषय पर बात हुई, चाहे घर में काम करने वाले हों, रिक्शा चलाने वाले हों, स्कूटर चलाने वाले हों, टैक्सी टालक हों, महाराष्ट्र में इन व्यवसायों में अधिकांश बिहारी लोग काम कर रहे हैं। न केवल महाराष्ट्र में बल्कि दिल्ली में भी लाखों की संख्या में बिहारी बसते हैं। बिहार के बहुत लोग पंजाब में मेहनत और मजदूरी करते हैं। वहां अगर खेतों में फसल लहलहाती है, तो उसमें अधिकतर बिहार के लोगों का हाथ होता है, लेकिन इस प्रकार की हिंसा होना अच्छी बात नहीं है। हमारे बीच में एक भावनात्मक एकता होनी चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वह क्षेत्रवाद के कारण टूटती चली जा रही है और यह क्षेत्रवाद एक ऐसा जहर है, जो हमारे देश को तोड़ रहा है। इसलिए इस प्रकार की घटनाएं जहां भी होती हैं, उन पर न केवल अंकुश लगाने अपितु उन्हें रोकने हेतु तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता है और विशेषरूप से सभी दलों के लोगों को यह प्रयास करना चाहिए। मैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं कह रहा हूं, मैं सभी के बारे में कह रहा हूं कि हम सभी को इन घटनाओं को रोकने के बारे में गंभीरता से विचार करना पड़ेगा।

महोदय, सिर्फ बिहार के लोग ही अलग-अलग जगहों पर जाकर बसते हों, ऐसी बात नहीं है। दिल्ली में मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, दक्षिण भारत, तमिलनाडु और न जाने किन-किन प्रदेशों से आकर लोग बसे हैं, लेकिन अगर उन्हें चुन-चुन कर मारा जाए, उनकी हत्या की जाए, उन्हें मारा-पीटा जाए, तो यह उचित नहीं है। एक बिहारी होने के नाते मुझे गर्व है कि मैं बिहारी हूं, लेकिन इस प्रकार की हिंसक घटनाओं को कैसे रोका जाए और भविष्य में नहीं होने देना चाहिए इस पर हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए।

महोदय, माननीय सांसद बसुदेव आचार्य जी ने रेलवे आर्गेनाइजेशन और बजट की बात कही, मैं भी कह सकता हूं कि असम में कांग्रेस की सरकार है, उसने ऐसा कराया होगा और

उसके कारण हिंसा हुई, लेकिन मेरा ऐसा कहना ठीक नहीं है। मैं इसे राजनीतिक रंग नहीं देना चाहता। दूसरे राज्यों की पालीटिकल पार्टीज को निशाना बनाकर इस प्रकार की बातें की जायें, तो यह उचित नहीं है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहता हूं। हम सभी चीजों को छोड़कर आज यहां बैठकर गंभीरता से कोई निर्णय ले सकें, तो बेहतर होगा। देश के विभिन्न भागों में लोग बसे हैं अधिकतर लोग बिहार से निकले हैं और वे मेहनत-मजदूरी करके कमाते हैं। उन्हें सुरक्षा किस प्रकार प्रदान की जाए, उन्हें किस प्रकार प्रोटैक्शन दिया जाए, इस पर अलग-अलग तरह से सोचें, यही हमारे लिए उपयुक्त होगा।

महोदय, मैं अधिक न कहते हुए, सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जिस प्रकार की घटनाएं असम में हुईं और उसके बाद बिहार में जो घटनाएं घटीं, वे नहीं होनी चाहिए। हम सभी यहां बैठकर यह विचार करें कि इस प्रकार की हत्याएं, बलात्कार और नरसंहार न हों और इस बारे में कोई निर्णय लेकर ही उठें।

श्री पवन सिंह घाटोवार (डिब्रूगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं इस हाउस में यह कहना चाहूंगा कि क्षेत्रवाद या अंचलवाद से परे होकर इस विषय में चर्चा करनी चाहिए। असम में जो घटना घटी है, उसकी हम घोर निन्दा करते हैं और जिन लोगों की सम्पत्ति एवं जानें गई हैं, उन्हें भी हम संवेदना देते हैं।

[अनुवाद]

महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि मुख्य घटना मेरे संसदीय क्षेत्र में घटी। इस मुद्दे पर आने से पहले मैं यह अवश्य कहना चाहूंगा कि पूरे भारत में असम का सामाजिक समीकरण अनोखा है। असमी लोग अन्य लोगों से अधिक भारतीय हैं। उन्होंने चीनी और पाकिस्तानी घुसपैठ देखी है और सच्चे भारतीयों की तरह वे राष्ट्र की अखंडता और सार्वभौमिकता के लिए लड़े। अत: लोगों को इस तरह नहीं सोचना चाहिए कि वे क्षेत्रीयतावादी हैं।

मैं गर्व से यह बात कह सकता हूं कि मेरे पूर्वज 160 वर्ष पहले असम आए थे। वे अंग्रेजों के पहले बंधुआ मजदूर थे जिन्हें असम ले जाया गया था और आज वे असम की जनसंख्या का एक-चौथाई भाग हैं। पांच केबिनेट मंत्री और असम विधान सभा के माननीय अध्यक्ष भी उसी मूल के हैं। अत: उनके विरुद्ध कुछ कहना ठीक नहीं होगा। शताब्दियों से विभिन्न स्थानों से लोग असम में आ रहे हैं। श्री हान्दिक के पूर्वज 100 वर्ष पहले असम आये थे। उसके बाद 200 या 300 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के केन्द्र स्थान कन्नौज से ब्राह्मण और कालिता असम गये। असम का समाज एक संगठित समाज है जहां हर व्यक्ति का ध्यान रखा जाता है।

यह हिंसा आठ करोड़ बिहारियों या ढाई करोड़ असमियों के विरुद्ध नहीं थी। हमें देखना चाहिये कि ये लोग कौन थे और कैसे ये घटनाएं घटीं। हमें कारण की जड़ में जाना चाहिए। यदि हम इन सब मूल चीजों को छोड़ देंगे तो हम सचमुच उन लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं जो कि हमारे देश में संवेदनशील भाग में राष्ट्रीय एकता और सामाजिक संरचना के लिए समस्या पैदा कर रहे हैं।

जब बिहार के कुछ लड़के और अन्य व्यक्ति वहां साक्षात्कार देने गये तो उनके साथ कुछ झगड़ा हुआ। इसकी प्रतिक्रियास्वरूप 11 नवम्बर को कुछ घटनाएं घटी। कुछ रेलयात्रियों को जो कि असम से आ रहे थे या वहां जा रहे थे, बिहार में तंग और प्रताड़ित किया गया। बलात्कार के कुछ मामलों की रिपोर्ट भी मिली है। इन चीजों को संभालना पड़ेगा मुझे यह स्वीकार करना होगा और कहना होगा कि ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, जो ट्रेन की घटना घटी है, उसमें मार-पीट की घटना जरूर घटी है, जिसकी सब ने निन्दा की है, लेकिन वहां कोई बलात्कार की घटना नहीं घटी है। इसलिए सदन से गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए कि ट्रेन में कहीं कोई बलात्कार की घटना घटी है। ...*(व्यवधान)*

श्री पवन सिंह घाटोवार: मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, जो नेशनल मीडिया और इलैक्ट्रोनिक मीडिया में आया है, उसे सब लोगों ने देखा है, सबका स्टेटमेंट आया है। जिनका मोलेस्टेड हुआ है, उन लेडिज का स्टेटमेंट आया है। मैं यह बताना चाहता हूं कि जिन लोगों ने यह काम किया है, वह बिहारी लोगों ने नहीं किया है।

[अनुवाद]

असामाजिक और अपराधिक तत्वों ने यह सब किया लेकिन उन्होंने इसके लिए बिहारियों को दोषी ठहराया। बिहारियों का चरित्र इस प्रकार का नहीं है। हमें इन असामाजिक और अपराधिक तत्वों को आम लोगों से अलग करना पड़ेगा। निश्चित रूप से दो-तीन दिन तक रेलवे में यात्रियों के साथ बहुत कुछ हुआ। मैं विनम्रतापूर्वक यह कहूंगा कि रेलवे सुरक्षा बल अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करने में असफल रहा है और वह निर्दोष व्यक्तियों की सुरक्षा नहीं कर सका। वहां न केवल असम के छात्र थे अपितु पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र के छात्र थे। अत: इन चीजों को गंभीरतापूर्वक लेना पड़ेगा। इलैक्ट्रानिक मीडिया और प्रिंट मीडिया ने इन बातों को हवा दी जिससे पूरे असम में खलबली पैदा हो गई। इसके परिणामस्वरूप कुछ असामाजिक और अपराधी लोगों ने अपने हाथों में हथियार उठा लिए। कुछ लोगों ने अपने प्रमाण गंवाए और कई

[श्री पवन सिंह घाटोवार]

घरों को जला दिया गया। ये घटनाएं 16 नवम्बर को आरम्भ हुईं और राज्य सरकार ने 19 नवम्बर को सेना बुलाई। इससे पहले उन्होंने इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अर्ध-सैनिक बलों को बुलाया था।

महोदय, ये घटनाएं मुख्यत: डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिलों में हुई थीं। आप इन जिलों की अत्यधिक संवेदनशील प्रकृति को जानते हैं। वे अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हैं। दूसरी ओर म्यांमार है। उस क्षेत्र में घुसपैठ की गतिविधियां बहुत होती हैं। बहुत से लोग अपने प्राण गंवा चुके हैं। सेना और प्रशासन ने यह वक्तव्य दिया है कि अतिवादी तत्वों ने ईंट-भट्टा श्रमिकों की हत्या की थी। वे आए और गोलियां चलानी शुरू कर दीं। एक घटना में उन्होंने आठ व्यक्तियों की हत्या कर दी। इस प्रकार की घटनाएं हुई थीं।

अपराह्न 1.17 बजे

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

राज्य सरकार ने बहुत कड़े कदम उठाए थे। 800 से अधिक व्यक्तियों को गिरफ्तार करके जेल में डाला गया था। सेना और अर्ध-सैनिक बलों को प्रभावित क्षेत्रों में भेजा गया था। वह क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास है। केन्द्र सरकार के वक्तव्य के अनुसार वहां अर्ध-सैनिक बलों की 180 कम्पनियों की आवश्यकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने केन्द्र सरकार को 14 से अधिक पत्र लिखे थे और उनमें यह अनुरोध किया था कि स्थिति को नियंत्रित करने हेतु इन-इन चीजों की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी कहा था कि वहां अर्ध-सैनिक बलों की अत्यधिक आवश्यकता है। उस घटना के बहुत समय बाद केन्द्र सरकार ने सुरक्षा बल भेजे थे। उन्होंने उतनी संख्या में अर्ध सैनिक बल नहीं भेजे जितनी की आवश्यकता थी और जितना गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने अनुमान लगाया था।

महोदय, कुछ घटनाएं सुकून देने वाली जरूर हैं। पहले दिन जब शिविर लगाए गए थे तो उनमें 12,000 से अधिक व्यक्ति थे। अब वहां 4000 से कम व्यक्ति हैं। पहले दिन से अंतिम दिन तक मैं वहां था। गांवों से लोग आ रहे थे और शिविरों में रहने वाले उन लोगों से अनुरोध कर रहे थे कि वे वापस चले और उनकी धान की फसल की कटाई करें। यह वास्तव में उस घटना का सकारात्मक पक्ष है। अपराधियों, जिन्होंने यह सब किया था, ने निर्दोष लोगों की हत्या की है। निचले असम में एन.डी.एफ.बी. ने कुछ लोगों की हत्या की है। उल्फा ने भी कुछ ट्रक चालकों की हत्या की थी। उस समय ये घटनाएं हुई थीं। अत: यह नहीं कहना चाहिए कि बिहारियों और असमियों में कोई विवाद है। मेरे विचार से हमें इस प्रकार से नहीं सोचना चाहिए क्योंकि इससे सामाजिक समरसता बिगड़ेगी। यांदाबू संधि के बाद, अंग्रेज हमारे लोगों को काम के लिए अन्य देशों में ले गए थे। उस समय बिहार नहीं बना था। सेन्ट्रल प्रोविन्स से कुछ लोगों को असम ले जाया गया था। कुछ लोगों को मारीशस ले जाया गया था और कुछ लोगों को उनके बागानों में काम करने हेतु सूरीनाम और फीजी तथा कुछ अन्य स्थानों को ले जाया गया था और वे उस समाज का अंग बन गए। अब वहां छात्र संघ और राजनैतिक दल हैं। मैं श्री बसुदेव आचार्य जी द्वारा कही गयी इस बात से सहमत नहीं हूं कि असमी संकीर्ण हैं। हां, वहां स्थानीय लोगों की मांग है। पहले चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी, खलासी और गैंगमैनों की भर्ती महाप्रबन्धक और मण्डल प्रबन्धक (डिवीजनल मैनेजर) के अंतर्गत होती थी। स्थानीय लोग लगन से उनकी सेवा करते थे क्योंकि वे रेल लाइन के पास ही रहते थे। वे काम करते हैं और अपने गांवों को लौट जाते हैं। मैं नहीं जानता कि क्या सरकार की गलत नीतियों के चलते यह बदल गया है।

कल, हम माननीय रेल मंत्री से मिले थे। मैं उनसे सहमत था कि वर्ष 1998 से पहले बहुत भर्तियां हुई थीं। पहले कभी इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई थी। इस बार ऐसा क्यों हुआ? वे कहते हैं कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय के कारण माननीय रेल मंत्री जी के हाथ बंध गए हैं। इस कारणवश उन्हें भर्ती के लिए सभी स्थानों से लोगों को बुलाने हेतु विज्ञापन देना पड़ता है। खलासियों और गैंगमैनों को आकर काम करना पड़ता है। केवल असम में ही पंजीकृत शिक्षित बेरोजगार युवकों की संख्या 16 लाख से अधिक है, लेकिन वहां कुल मिलाकर 20 लाख शिक्षित बेरोजगार हैं। अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में शिक्षा का औसत बहुत अधिक है। अत:, वहां पर बेरोजगारी की व्यापक समस्या है। शिक्षित युवकों ने स्वयं को पंजीकृत कराया है। मैं यह कह सकता हूं कि किसी भी छात्र संगठन या किसी अन्य संगठन ने बिहारियों के विरुद्ध कोई आंदोलन शुरू नहीं किया है। भगवान के लिए हमें इस मुद्दे पर ऐसी धारणा के साथ चर्चा नहीं करनी चाहिए।

200 वर्षों से बहुत से लोग वहां काम करके अपनी आजीविका कमा रहे हैं। ऊपरी असम में ऐसा एक भी गांव नहीं है जहां बिहार मूल के लोग नहीं हैं। अत: ऐसा नहीं है कि बिहार मूल के सभी लोगों को असम से बाहर किया जा रहा है। ऐसी छुटपुट घटनाएं हुई हैं जिनसे बहुत से लोग प्रभावित हुए हैं। सरकार इस संबंध में सभी संभव प्रयास कर रही है। वे पहले ही एक पुनर्वास पैकेज की घोषणा भी कर चुकी हैं। जब माननीय मंत्री जी ने तिनसुकिया व डिब्रूगढ़ का दौरा किया था, तो मैं उनसे मिला था। मैंने स्वामी चिन्मयानन्द के प्रैस सम्मेलन में भी भाग लिया था। उन्होंने सभी समुदायों के बीच दलीय राजनीति से ऊपर उठकर बेहतर समझदारी हेतु निवेदन किया था और असम में शांति बहाली को पहली वरीयता दिए जाने का अनुरोध किया था।

अब वहां की स्थिति एकदम सामान्य है। हमने नगरपालिका और कस्बों की समिति के चुनाव कराए हैं। अगले दो या तीन दिन में ही सर्वाधिक प्रभावित कस्बों में भी चुनाव होंगे। कुछ समस्या उठी थी। अत: सभी को इन लोगों की निंदा करनी पड़ेगी जो बिहार के यात्रियों के साथ ऐसे कार्य कर रहे हैं। जो लोग यह सब कर रहे हैं वे सभी असामाजिक, अपराधी लोग हैं। उनके विरुद्ध मामले दर्ज होने चाहिएं और उनसे कानून के अनुसार निपटना चाहिए। हमारी सरकार कदम उठा रही है। हमें इस बारे में अन्य धारणा के साथ चर्चा नहीं करनी चाहिए। महाराष्ट्र सहित प्रत्येक स्थान पर यह मांग उठ रही है कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों में उसी राज्य विशेष के लोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

पूरे भारत में यही हो रहा है। यहां तक की पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में भी यही हो रहा है। केवल असम में ही यह नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि केवल असम के लड़के या असम के छात्र ही ऐसा कर रहे हैं। अत:, मेरा इस सरकार से यह अनुरोध है कि यदि यह कानून लोगों को उनकी आकांक्षाएं पूरी करने से रोक रहा है तो उसे इसके लिए सुधारात्मक कदम उठाने चाहिएं जिससे कि उस राज्य विशेष के लोगों से समूह 'ग' और समूह 'घ' की श्रेणियों में अधिकाधिक अवसर प्राप्त हों। सरकार को सकारात्मक कदम उठाना पड़ेगा। माननीय उच्चतम न्यायालय के 1998 के निर्णय से यह समस्या खड़ी हुई है। मेरे विचार से सरकार को इसे सुधारना पड़ेगा। मेरा यही अनुरोध है। प्रत्येक कस्बे में सभी समुदायों के छात्र और युवाओं ने शांति यात्राएं निकाली। यहां तक कि उन्होंने गांवों में भी शांति यात्राएं निकाली। गांवों के स्वयंसेवी बल बिहार मूल के लोगों को बचाने बाहर निकले। अत: इस सदन से कोई विघटनकारी संकेत नहीं जाना चाहिए। इस सदन को इन चीजों की भी सराहना करनी चाहिए। इसी के साथ-साथ हम असामाजिक तत्वों की असामाजिक गतिविधियों और इन हत्याओं की कड़ी निंदा करते हैं। मेरा रेल मंत्री जी से यही विनम्र अनुरोध है।

माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि प्रति वर्ष एक करोड़ रोजगार सृजित किए जाएंगे। लेकिन पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों को कोई रोजगार नहीं मिला। ऐसा इसलिए है क्योंकि पूर्वोत्तर क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र का कोई उपक्रम स्थापित नहीं किया जा रहा है। नई आर्थिक नीति के बावजूद भी वहां कोई उद्योग नहीं लगा। बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है। रोजगारों का सृजन नहीं किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी अपने 1 करोड़ रोजगारों के सृजन के वायदे को पूरा करते हुए पूर्वोत्तर क्षेत्र को प्राथमिकता दें।

पूर्वोत्तर क्षेत्र की भांति देश का अन्य कोई भाग अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा नहीं हुआ है। पूर्वोत्तर क्षेत्र का 95 प्रतिशत अन्य देशों से घिरा हुआ है। भारत का कोई भाग ऐसा नहीं है। अत: इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए। यदि मुझे अपने संसदीय क्षेत्र में जाना होता है तो मुझे विदेश के ऊपर से उड़कर जाना पड़ता है। अत: भौगोलिक पृथक्करण, आर्थिक समस्याएं, बेरोजगारी की समस्या और आधी शताब्दी से चल रही विदेशी घुसपैठ की समस्या पर विचार करते हुए पूर्वोत्तर क्षेत्र के युवाओं की तरफ विशिष्ट ध्यान दिया जाना चाहिए।

रेलवे राष्ट्रीय अखंडता का एक हार है। यदि कोई हार पहनता है तो वह उसमें अपने बाग के भी कुछ फूल देखना चाहता है। यदि आप पूर्वोत्तर क्षेत्र में रोजगार का अनुपात देखें तो पाएंगे कि पूर्वोत्तर के लोगों का प्रतिनिधित्व काफी कम है। मैं समझता हूं कि इस संबंध में केन्द्र सरकार को कुछ विशेष कदम उठाने चाहिए। रेलवे राष्ट्रीय अखंडता का स्रोत है। अतएव छोटे समुदायों सहित सभी समुदाय रेलवे के रोजगार में अपना प्रतिनिधित्व चाहते हैं। मुझे यह स्वीकार करना होगा कि अज्ञात कारणों से रेल सेवा में पूर्वोत्तर क्षेत्र के युवाओं का प्रतिनिधित्व काफी कम है।

अत: मेरा माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह है कि वह इस समस्या की ओर ध्यान दें। मैं फिर से अपने संसदीय क्षेत्र में जा रहा हूं। मुझे वहीं रहना है और मैं उसी पुराने समुदाय से आता हूं। मैं यह पहले ही कह चुका हूं कि वहां की विधानसभा के अध्यक्ष और पांच केबिनेट मंत्री उसी मूल के हैं। वे 160 या 170 वर्ष पहले वहां जाकर बस गये थे। उनके पूर्वज वहां जाकर बस गये थे। वे असमी समाज का एक अभिन्न हिस्सा बन गये हैं। वे असमी बोलते हैं, असमी समझते हैं और वैसे ही सपने देखते हैं। उनमें कोई अन्तर नहीं है।

मुझे यहां एक बात बतानी है। माननीय गृह मंत्री यहां उपस्थित हैं। कुछ संगठनों पर प्रतिबंध लगाया गया है। प्रतिबंधित संगठनों के वक्तव्य प्रमुखता से अखबारों में प्रकाशित होते हैं। वे अखबारों के मुख्य पृष्ठ और इलैक्ट्रानिक मीडिया पर दिखाये जाते हैं। उनके वक्तव्य भड़काऊ और उकसाने वाले होते हैं। मैं समझता हूं कि केन्द्र सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। जब इन संगठनों पर प्रतिबंध लगाया गया है तो उनके कमांडर-इन-चीफ, सभापति और डिप्टी कमांडर-इन-चीफ के वक्तव्य किस प्रकार अखबारों में मुख्य पृष्ठ पर छपते हैं? ये इलैक्ट्रानिक मीडिया में भी काफी प्रसारित होते है। भारत सरकार को इस बात पर अवश्य ध्यान देना चाहिये क्योंकि ये लोग अन्य देशों में आश्रय लेते हैं और यहां समस्याएं पैदा करते हैं। मैं समझता हूं कि यह केन्द्र सरकार की प्रमुख जिम्मेदारी है और उसे पूर्वोत्तर क्षेत्र पर और अधिक ध्यान देना चाहिए। हां, कश्मीर हमारी प्राथमिकता है, लेकिन इन सब मामलों में पूर्वोत्तर क्षेत्र की भी प्राथमिकता नहीं है।

[श्री पवन सिंह घाटोवार]

अत: मेरा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों से यह आग्रह है कि वे इन सब बातों पर भी इस तरीके से ध्यान दें। असामाजिक तत्वों पर अपराधियों द्वारा हिंसा की कुछ घटनाओं को एक समुदाय के द्वारा दूसरे समुदाय के विरुद्ध हिंसा की घटना नहीं मानना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: अब मैं राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को बुलाता हूं। उन्होंने मुझसे इसके लिए आग्रह किया है क्योंकि उन्हें किसी आवश्यक कार्य से जाना है। अब आप बोल सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया): अध्यक्ष महोदय, बेमिसाल और तहजीब और संस्कृति से हमारे हिन्दुस्तान की पहचान है। अनोखा लोकतंत्र, अनोखी भाषाएं और हमारी अनोखी प्रकृति के बीच दुनिया में हमारे हिन्दुस्तान की पहचान है। जिन घटनाओं और सवाल पर आज बहस हो रही है, यह सिर्फ रेलवे बोर्ड के रिक्रूटमेंट का सवाल नहीं है, यह सिर्फ रेलवे पर केन्द्रित होने का सवाल नहीं है। हमें इसके अन्त:करण में जाना चाहिए कि यह सवाल क्यों उठ रहा है? आज क्षेत्रवाद क्यों दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है? कुछ दिनों के बाद भाषा और संस्कृति पर भी हम बढ़ते चले जाएंगे। इस देश में उग्रवाद और चरमपंथी आज आगे बढ़ रहे हैं तो उसके क्या कारण हैं? देश की राजनैतिक पार्टीज को इन मूल चीजों पर सोचना चाहिए कि क्या मौलिक कारण हैं। एक तरफ हिन्दुस्तान में महल पर महल बने जा रहे हैं और दूसरी तरफ हम झोंपड़ी से भी नीचे जा रहे हैं। सामाजिक संतुलन नहीं होने के कारण सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक दर्शन हमारा बिल्कुल असंतुलित हो चुका है। एक तरफ हम मौलिक आवश्यकताओं की गारंटी की बात करते हैं। भोजन, वस्त्र, कपड़ा और चिकित्सा की बात करते हैं। कितने प्रतिशत लोगों को आजादी के 56 साल बाद हमने बेसिक सुविधाओं से सुसिज्जत किया है? आज आजादी के 56 सालों के बाद भी लोग भूख से मर रहे हैं। सारी अव्यवस्था इसी हिन्दुस्तान में आज आजादी के 56 वर्षों के बाद भी कभी उड़ीसा, कभी बिहार तो कभी आंध्र प्रदेश में स्थित है। किस कारण से ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं? इस पर हमारी सरकार को मूलत: सोचना चाहिए। इन बातों पर विचार किए बिना हम किसी भी सवाल का हल नहीं कर सकते। मैं मानता हूं कि आज हिन्दीभाषी क्षेत्र या बिहार पर खास तौर से इसे केन्द्रित किया गया है। क्या कारण है कि हिन्दुस्तान की आजादी के वक्त बिहार दूसरे स्थान पर था और आज हम आजादी के 56 सालों के बाद 32वें स्थान पर हैं। पूरी दुनिया को हम दिशा देते थे, ज्ञान देते थे और आज हम ही ज्ञान के लिए भटक रहे हैं। साल में 67 प्रतिशत छात्र बिहार से बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं और पहले बाहर के लोग बिहार आया करते थे और आज बिहार के लोग बाहर जाते हैं। आज रायल्टी भी बिहार को नहीं मिलती और कर्नाटक, पुणे और महाराष्ट्र को मिलती है। बिहार के विद्यार्थी बिहार में ही पढ़ते होते तो रायल्टी भी बिहार में होती। एक से दो लाख मजदूर हर साल बिहार से पलायन करते हैं। दुनिया के बेहतरीन खेत बिहार में हैं। सैंकड़ों नदियां बिहार में हैं। हरियाणा में मात्र तीन नदियां हैं, लेकिन आज वह देश का बेहतरीन राज्य कहलाता है। बिहार में जहां सैंकड़ों नदियां हैं, किसान खाली हो, भूखा हो और पलायन करे, मैं मानता हूं कि इस व्यवस्था में हमारा भी दोष है। हमारी इच्छाशक्ति घट गई है। राजनीति करने वाले लोगों की इच्छाशक्ति घट गई है। वहां पांच हजार से ज्यादा फैक्ट्रीज बंद हो गई हैं। मैं मानता हूं कि बिहार के बंटवारे के बाद हमारे पास अब कोई संसाधन नहीं है। जो रोजगार दिया करते थे, वे सारे संसाधन दूसरे राज्य में चले गए हैं। इसका मतलब है कि देश का संविधान हमें इस बात की इजाजत नहीं देता कि हम मणिपुर में, असम में, महाराष्ट्र में या अन्य कहीं पर न जाएं। मैं मानता हूं कि एक व्यक्ति के कारण बिहार के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग, हिन्दी भाषी लोग पूरे देश में मार खाते जा रहे हैं। यह तो वही बात हुई की गलती कोई करे और मार हजारों खाएं। यह असम का सवाल नहीं है। दो साल पहले भी महाराष्ट्र में यह सवाल उठा था कि वहां सिर्फ लोकल विद्यार्थियों को दाखिला दो और लोकल लोगों को नौकरी दो। सब लोगों की इच्छा होती है कि वे अपने राज्य में रहें और उसके विकास में भागीदार बनें। बिहार में यदि हमने इस इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया होता, व्यवस्था को मजबूत किया होता, तो महाराष्ट्र के लोग बिहार में जाते नौकरी के लिए और पढ़ाई के लिए भी विद्यार्थी आते। आज भी असम के दो-तीन हजार विद्यार्थी बिहार में, खासकर मेरे संसदीय क्षेत्र पूर्णिया, कटिहार में इंजीनियरिंग और मेडिकल कालेजेज में पढ़ते हैं। लेकिन किसी बिहारी ने उनके ऊपर आजादी के बाद से आज तक अंगुली नहीं उठाई।

दो साल पहले महाराष्ट्र में यह घटना घटी थी। आंध्र प्रदेश में नौ महीने पहले घटी थी। हरियाणा में भी एक बार हंगामा हुआ था, जिसमें बिहारियों को अपमानित किया गया था। झारखंड राज्य इसी असंतुलित व्यवस्था के कारण, रिपर्कशन के चलते अलग राज्य बना। जब वह बिहार राज्य का हिस्सा था, तब ट्राइबल लोगों को सम्मान नहीं दिया गया, उनके आगे बढ़ने की प्रदेश सरकार व्यवस्था नहीं कर पाई। किसी के पास दो महल हैं तो झोंपड़ी में रहने वाले लोगों के लिए हम एक महल की व्यवस्था नहीं कर पाए, सामाजिक व्यवस्था सही नहीं कर पाए। लेकिन क्या कारण है कि झारखंड में तीन बिहारी औरतों के पैर उस समय काट दिए गए, जब वे वहां टीचर्स के पद पर नियुक्ति की बहाली के लिए

गई थीं। उस समय हमारी सरकार ने केन्द्र सरकार से कोई बात नहीं की, कारण समझ में नहीं आता। महाराष्ट्र में जब घटना घटी थी, उस समय यदि प्रदेश सरकार सचेत हो गई होती, कोई रास्ता निकालती तो फिर ऐसा नहीं होता। लेकिन उस समय बिहार की सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। रेल मंत्री जी के द्वारा भी कोई व्यवस्था की जाती या केन्द्र सरकार द्वारा कोई हस्तक्षेप किया गया होता, तो फिर ऐसी घटना नहीं होती। लेकिन किसी के द्वारा भी इस घटना पर कोई चिंता का ध्यान नहीं दिया गया।

इस देश की अजीब विडम्बना है कि जब भूख से लोग मरते हैं, तब मरने के बाद हम उसकी चर्चा करते हैं। जब तक यहां कोई व्यवस्था गड़बड़ा नहीं जाती, तब तक सदन में वह बहस का हिस्सा नहीं बनती। आंध्र प्रदेश में जब गड़बड़ हुई, तो क्यों नहीं उनसे बात की गई। बिहार के विद्यार्थी अगर बाहर जाते हैं, तो प्रदेश सरकार को उनकी सुरक्षा या उनके प्रोटेक्शन के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। जब असम के लोग कटिहार आते हैं, तो पूरे प्रोटेक्शन से आते हैं। हम भी बाहर के लोगों के साथ ऐसा कर सकते हैं। यह सवाल नौकरी का ही नहीं है। आंध्र प्रदेश में 11 बच्चों को स्कूल में नंगा करके दागा गया। उसकी फोटो मेरे पास है। वहां नौकरी का भी सवाल नहीं था। जब रिपर्कशन हुआ तो यह कहा गया कि बिहारियों को हम यहां नहीं पढ़ने देंगे। यह वह राज्य है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, यहां चंद्रबाबू का राज है. यहां इन्सान रहते हैं, यह वह राज्य नहीं जिसको गाली दी जाती है। जब वे बच्चे पटना आए तो उन्होंने अपनी तस्वीर दिखाई और कहा कि हम नवोदय विद्यालय में पढ़ें या नहीं, लेकिन लौटकर आंध्र प्रदेश नहीं जाएंगे। वहां सवाल रिक्रूटमेंट का नहीं था। हरियाणा में रिक्रूटमेंट बोर्ड का सवाल नहीं था। झारखंड में, असम में बरसों से रिपर्कशन था। जब झारखंड अलग राज्य बना, वहां आदिवासी लोगों को लगा कि अब हमारा राज्य हो गया है। हमारे लड़कों-लड़कियों को रोजगार मिलना चाहिए। रोजगार न मिलने के कारण, रोजी-रोटी न मिलने के कारण रिपर्कशन बढ़ रहा है। जो घटना घटी उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि माननीय निखिल कुमार जी यहां बैठे हैं। चार घंटे के बाद मैं कटिहार पहुंचता हूं। वहां किसी असमी पर हमला नहीं हुआ। जब मैं वहां पर पहुंचा तो वहां पर कटिहार के लोगों और पुलिस के बीच झंझट हो रही थी। ...*(व्यवधान)* जमालपुर अलग चीज है। पहले दिन के रिपर्कशन में कटिहार में किसी भी बाहरी आदमी पर हमला नहीं हुआ। कटिहार में हमला उन्हीं लोगों ने किया जो बाहर से आये हुए पुलिस के लोग थे। उन्हीं लोगों ने गोली चलवाई। पुलिस वर्सेज पब्लिक में रिपरकशन हुआ। बाहर के लोगों पर हमला नहीं हुआ। हमने रातभर जगकर, जिन लोगों को गोली लगी थी, उनको बचाने का काम किया। तब तक राज्य सरकार चिंतित नहीं थी। पिछले पांच सालों से घटनाएं घट रही हैं। बंगाल में 17 गरीब मजदूर बिहारियों को जला दिया गया। सिलीगुड़ी में जो रिपरकशन हुआ, उसमें मरने वाले सभी छपरा के थे। लेकिन कोई सरकार चिंतित नहीं हुई कि बिहार के 17 मजदूरों को परिवार सहित जिंदा जला दिया गया। उलफा का रिपरकशन हिंदी-भाषियों के खिलाफ आज का नहीं है। वे बहुत दिनों से यह बात कहते आ रहे हैं कि हिंदी-भाषियों को बाहर भगाओ। अभी मणिपुर में कह दिया गया कि हिंदी-भाषियों को वहां नौकरी नहीं करने देंगे। जमालपुर में जो घटना घटी, उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं और बिहार के लोगों की ओर से माफी मांगता हूं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि और जगहों पर जब घटनाएं घटीं, उस समय हिंदुस्तान के किसी भी नेता ने खेद प्रकट क्यों नहीं किया। जब जी-टीवी पर एक औरत को यह कहते हुए दिखाया गया कि थूक चाटो और लात-जूतों से मारकर भगाया गया, उस समय क्या उसकी निंदा नहीं की जा सकती थी। झारखंड में लोगों को जलाया गया, उस समय उस घटना की निंदा क्यों नहीं की गयी।

असम में कृत्यानंद मिश्र की दो लड़कियों के साथ घटना घटी, उस समय उसकी निंदा क्यों नहीं की गयी। जमालपुर में क्या हुआ, मैं नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि मैंने उस समय भी कहा था कि डीएनए टैस्ट कराइये, लेकिन उस समय कोई तैयार नहीं हुआ। मैं दावे के साथ कहता हूं कि घटना गांव के बाहर स्टेशन पर घटी और वह गांव किससे संबंधित है, वह मैं बताना नहीं चाहता हूं। यदि नाम और पेपर* दे दूं कि वे पदाधिकारी किसके लोग थे जो गिरफ्तार हुए, लेकिन मैं बताना नहीं चाहता हूं। मैं मानता हूं कि सामान लूटा गया, लेकिन बलात्कार की घटना यह नहीं थी। जिनके घर से लूट का सामान मिला वे कौन लोग थे, इस बात के तथ्यों का पता लगाया जाए। पप्पू यादव के बारे में किसी पेपर ने नहीं दिया। पप्पू यादव के बारे में लिखा है कि पप्पू यादव के आने के बाद सभी लोगों को वे पटना के अस्पताल ले गये। दो दिन के बाद बिहार के मुखिया जी, जिनको राजा कहा जाता है, वे शिवसेना और भाजपा का इसमें नाम लेते रहे। लेकिन दो दिन के बाद सभी जगह पप्पू यादव, पप्पू यादव का नाम लिया जाता रहा। मैं चैलेंज करता हूं और मांग करता हूं कि इसकी न्यायिक जांच कराई जाए, सीबीआई से जांच कराई जाए। इसकी जांच होनी चाहिए कि यह घटना क्यों घटी और किसकी अव्यवस्था के कारण घटी।

बिहार के लोग बाहर नौकरी करने क्यों जाते हैं? जब हमारे पास बिहार में सब कुछ है तो वहां रोजगार पैदा क्यों नहीं कर पाते हैं? वहां रोजगार को हम समाप्त करते जा रहे हैं, चीनी-मिलें बंद होती जा रही हैं, डालमिया नगर की सारी फैक्टरियां बंद

*अध्यक्ष महोदय ने आवश्यक अनुमति प्रदान नहीं की, अतः पत्र को सभा पटल पर रखा गया नहीं माना गया।

[श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव]

होती जा रही हैं। गया में सारी फैक्ट्रियां बन्द, भागलपुर में फैक्ट्रियां बन्द, सहरसा में दाल-चीनी और पेपर मिल बन्द। सीवान में सारी चीजें बन्द। इस अव्यवस्था के कारण ही इस तरह की घटना घटी है।

महोदय, सदन में गृह मंत्री जी उपस्थित हैं। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि मेघालय में 90 प्रतिशत नौकरी ट्राइबल लोगों के लिए हैं, जबकि वहां पर 20 प्रतिशत नान-ट्राइबल लोग रहते हैं। क्या कारण है कि वहां एक प्रतिशत व्यवस्था नान-ट्राइबल लोगों के लिए नहीं हुई। क्या इस असंतुलित व्यवस्था का दोष आपका नहीं है, जबकि वहां पर 20 प्रतिशत लोग नान-ट्राइबल हैं? इसके साथ ही इन 20 प्रतिशत नान-ट्राइबल लोगों को जमीन खरीदने की इजाजत नहीं दी जाती है। एक तरफ हम कश्मीर में आन्दोलन करते हैं और कहते हैं कि जमीन खरीदने का अधिकार वहां मिलना चाहिए। वहां हमें जमीन का हक मिलना चाहिए। यही स्थिति मेघालय में है और मणिपुर में है। इन राज्यों में 60 प्रतिशत में से 55 प्रतिशत ट्राइबल लोगों को चुनाव लड़ने का अधिकार है और पांच प्रतिशत नान-ट्राइबल लोगों को चुनाव लड़ने का अधिकार है। गृह मंत्री जी सदन में उपस्थित हैं, मैं आपके माध्यम से उनसे जानना चाहता हूं कि यह व्यवस्था वहां क्यों नहीं की गई? जब आपने पूरे देश में नान-ट्राइबल, ट्राइबल, दलित और आदिवासी लोगों को सुरक्षा प्रदान की है, तब जहां नान-ट्राइबल की संख्या ज्यादा है, वहां संवैधानिक रूप से यह अधिकार क्यों नहीं दिया है? अगर यह व्यवस्था होगी, तो फिर इस तरह की स्थिति पैदा नहीं होगी। स्थिति यह है कि बिना परमिट के लोग प्रवेश नहीं कर सकते हैं और यह असंतुलन चल रहा है। सौ प्रतिशत में सौ प्रतिशत नौकरियां इन्हीं ट्राइबल लोगों की हैं और 20 प्रतिशत नान-ट्राइबल लोगों की नहीं है। लेकिन इस विषय पर आज तक बहस नहीं हुई है। जो व्यक्ति काम करना चाहता है, उसको परमीशन नहीं मिलती है। इस बारे में सरकार को विचार करना चाहिए।

जहां तक रिक्रूटमेंट बोर्ड का सवाल है, मैं रेल मंत्री जी से एक बात कहना चाहता हूं। जब इस तरह की व्यवस्था है, तो रेल मंत्री, श्री नीतीश कुमार जी को कटिहार जोन को हाजीपुर जोन में शामिल करना चाहिए था। इस बात का ध्यान आपको रखना पड़ेगा, जब देश में इस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इन लोगों के लिए एक एग्जामिनेशन सैन्टर की व्यवस्था करें। पहले यह व्यवस्था नहीं थी और ग्रुप-डी और फोर्थ क्लास के लिए आप जीएम के द्वारा काम करते थे, लेकिन अब यह क्यों केन्द्रित हो गया है? जब केन्द्रित हो गया है, तो अलग-अलग राज्य में और अलग-अलग जिले में पर्चे आप क्यों लेते हैं। वहां क्यों पर्चा भरा जाता है? यह सारी व्यवस्था आप दिल्ली से करवायें। जब दो तरह की बातें होंगी, तो लोगों के बीच में कहीं-न-कहीं यह अव्यवस्था होगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप बिहार को व्यवस्थित नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम बिहार के जो लड़के बाहर जाते हैं, उनको सुरक्षित करिए और उनको सुरक्षा दीजिए। एक एग्जामिनेशन सैन्टर की व्यवस्था करिए, ताकि बिहार के लोग वहां एग्जामिनेशन दे सकें। व्यवस्था असंतुलित होने का कारण यह कि रोजगार डवेलप नहीं हुआ है। एक तरफ हम हाइटेक की बात कह रहे हैं, दूसरी तरफ व्यवस्था रोजरोन्मुखी नहीं हो रही है। इस मामले को व्यवस्थित करना होगा और कृषि पर आधारित उद्योग स्थापित करने होंगे। इसके साथ ही बड़े उद्योग लगाने होंगे और स्माल स्केल कुटीर उद्योग तथा लघु-उद्योग को रिफार्म करना होगा। वहां सीपी ठाकुर जी हैं, वे सरकार से वार्ता करें।

अध्यक्ष महोदय: अब आप अपनी बात समाप्त करिए।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव: महोदय, मैं समाप्त करता हूं। व्यवस्था की वास्तविकता को जानते हुए, जो मौलिक चीज है, उस पर बहस होनी चाहिए। जिससे उग्रवाद और क्षेत्रवाद न बढ़े। मैं आपके आसन से इस बारे में निर्देश चाहता हूं। यहां मंत्री महोदय बैठे हैं। जो घटना घटी चाहे वह महाराष्ट्र में हो, आंध्र प्रदेश में हो, झारखंड में हो, दिल्ली में टैक्स बढ़ने से हो, उसकी निन्दा करनी चाहिए। बिहारी लोगों का दूसरी जगहों में अपमान करना ठीक नहीं है। आप इसके लिए हर स्टेट से वार्ता करें जिससे आगे इसकी पुनरावृत्ति न हो। अभी बिहार के पास कोई रोजगार नहीं है। वहां रोजगार के और अवसर पैदा करने होंगे। मैं कोई असंतुलित बात नहीं करूंगा। आप यदि बिहार को बचाना चाहते हैं और वहां के नौजवानों को बचाना चाहते हैं तो वहां का विकास करना होगा। निश्चित रूप से बाहर यह धारणा है कि बिहारी लोग गंदा पानी और कीचड़ उठाने का काम करते हैं। हम आपको क्या बताएं कि ये बिहार के राजा हैं। यदि उन्हें असम से भगा दिया जाएगा तो बोरे कौन उठाएगा? वे बोरे उठाने का काम कर रहे हैं। यह उनका अपमान नहीं तो क्या है? मैं इस घटना की कठोर निन्दा करता हूं। बाद में बिहार में जो कुछ हुआ, मैं उसके लिए माफी चाहता हूं। बिहार के नौजवानों के साथ बिहार में जो कुछ हो रहा था, देश के नेताओं को उस समय उसकी निन्दा करनी चाहिए थी और इस पर रोक लगानी चाहिए थी। इसके लिए बिहार सरकार दोषी है जो नए रोजगार पैदा नहीं कर सकी और सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकी। मैं नीतीश जी से खास तौर पर एग्जामिनेशन के बारे में विनती करूंगा कि वह एक सैंटर की व्यवस्था करें और कटिहार को हाजीपुर जोन में करें। बिहार के छात्र रेल द्वारा कहीं भी जाएं तो उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करें।

अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने हमारी परेशानी समझते हुए इस पर बहस करने का मौका दिया। आगे इस घटना की पुनरावृत्ति न हो, आप इस बात को देखें। हम अपने अधिकार की बात को नहीं छोड़ेंगे। जब गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में

रोका गया था तो भारत के नौजवानों में स्वाभिमान जगा था। यदि पाकिस्तान में कोई घटना घटित होती है तो स्वाभिमान भारत में वहां के लोगों को भाई कह कर छोड़ दिया जाता है। स्वामी विवेकानन्द के साथ जो कुछ हुआ तो भारत का स्वाभिमान जग गया। मोहल्ले में यदि कोई लड़का बहन के साथ बलात्कार करता है तो क्या उसे भाई कह कर छोड़ दिया जाए? हिन्दुस्तान में यदि देश की अखंडता को तोड़ने के लिए कोई व्यक्ति कार्रवाई करता है और संविधान के तहत किसी की आजादी को छीनता है तो उसके अधिकार की लड़ाई लड़नी चाहिए और हम लोगों को बोलना चाहिए। देश की जनता की रक्षा के लिए हमें आगे आना चाहिए। भविष्य में यह घटना न घटे इसके लिए केन्द्र को आगे बढ़ कर काम करना चाहिए अन्यथा इसके लिए केन्द्र भी दोषी होगा। हम केन्द्र सरकार से कहना चाहते हैं कि वह भी इस घटना के लिए दोषी है। जो कुछ बिहार के लोगों के साथ हुआ वह ठीक नहीं हुआ। आप वहां के लोगों को सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकें। बिहार में एक व्यक्ति मार दिया गया लेकिन देश के दूसरे हिस्से में हमारे कई लोगों को मार दिया गया। हमें इससे बचाइए। मैं रघुवंश बाबू से कुछ नहीं कहना चाहता। वह यहां बैठे हैं। वह मेरे बड़े भाई हैं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: (वैशाली): कोई प्रतिनिधि यह नहीं चाहेगा कि बिहारी लोगों को इस तरह से मारा जाए। ...*(व्यवधान)* हमें कुछ कहने वाला हिन्दुस्तान में कोई पैदा नहीं हुआ। ...*(व्यवधान)*

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव: मैं ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वह आपको बड़ा भाई मानते हैं।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव: वह हमारे गार्जियन के रूप में हैं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: हम बड़ा भाई कबूल नहीं करते।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव: मैं रघुवंश बाबू से कहूंगा कि वह अभी इस बारे में लालू जी से बात करें और केन्द्र से वार्ता करके कोई योजना बना कर बिहार को बचाएं।

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य): अध्यक्ष महोदय, आचार्य जी ने यह बहस शुरू की। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि शिव सेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे जी ने कहा कि बिहारियों को बाहर फेंकना चाहिए। उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा। पेपर्स में कुछ भी आ सकता है। बाला साहब ठाकरे जी का यह नारा नया नहीं है। हम इस बात को कई सालों से कह रहे हैं। मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि असम में होगा तो असमी, बिहार में होगा तो बिहारी, बंगाल में होगा तो बंगाली, गुजरात में होगा तो गुजराती, तमिलनाडु में होगा तो तमिल, केरल में मलयाली, महाराष्ट्र में मराठी लोगों को नौकरी में प्रायरिटी मिलनी चाहिये और यही शिवसेना की मांग है।

अध्यक्ष महोदय: यह मांग यहां कहने की क्या जरूरत है?

श्री मोहन रावले: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन से कहना चाहता हूं कि बाला साहेब ठाकरे ने कांग्रेस सरकार के समय घोषणा की थी कि 80 प्रतिशत स्थान स्थानीय लोगों को मिलने चाहिये और उस समय के मुख्यमंत्री श्री वसंत राव नाईक ने इसे स्वीकार करते हुये 90 प्रतिशत तक मान लिया था। उसके बावजूद केन्द्रीय स्तर पर प्रायरिटी नहीं मिल रही थी। बालासाहेब ठाकरे ने आर.बी.आई., बैंक आफ इंडिया, इंडियन एयरलाइन्स, एयर इंडिया, देना बैंक, आर.सी.एफ. में मराठी लोगों को लिये जाने के लिये खुद ही मोर्चे का नेतृत्व किया। इसलिये मैं सदन को बताना चाहता हूं कि जहां 30-35 प्रतिशत से ज्यादा स्थानीय लोगों को प्रायरिटी नहीं मिलती थी, वहां 80 प्रतिशत से 88 प्रतिशत तक शिव सेना की वजह से मिल रही है। कहीं किसी की मारपीट नहीं की गई। शिव सेना ने उत्तर भारत, बंगाली या किसी भी धर्म के लोगों के साथ मारपीट नहीं की। यहां तक कि मुस्लिम भी इसी बात को लेकर महाराष्ट्र छोड़कर नहीं गये, यही मैं इस सदन को बताना चाहता हूं।

अध्यक्ष जी, अभी आचार्य जी ने कहा कि विद्यार्थी सेना के लड़कों ने तोड़-फोड़ की। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि जब भारतीय विद्यार्थी सेना का शिष्टमंडल रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के चेयरमैन श्री अनिल मित्तल से मिलने के लिये गये तो कार्यकर्त्ता साथ थे। ऐसे में कुछ लोग अंदर आना चाहते थे लेकिन बाद में पता चला कि पुलिस ने पीटना शुरू कर दिया और बुरी तरह से मारपीट की। यहां तक कि मां-बहन की गालियां दीं। मोर्चे के लोगों ने कहा था कि स्थानीय लोगों को प्रायरिटी मिलनी चाहिये। जो भी वहां खून बहाया गया, वह स्थानीय लोगों का था। उसके बाद शिव सेना के श्री राज ठाकरे पुलिस स्टेशन चले गये और उनके कार्यकर्त्ता ही घायल थे जिनका सरकारी अस्पताल में एडमिशन किया गया। आज शिवसेना पर यह इलजाम लगाया जा रहा है। जब हमारी रोजी-रोटी का सवाल होता है, मराठी कह-कह कर मारपीट की जाती है लेकिन उसमें कितनी सहनशीलता रहेगी, यह सोचना चाहिये। यह एक प्रकार से रिएक्शन है। यह क्यों है? मैं खुद श्री अनिल मित्तल से मिलने के लिये चला गया। केवल बैंडेज लगा हुआ था, जख्म नहीं था लेकिन पुलिस ने एक शिकायत तक दर्ज नहीं की। हमारे कार्यकर्त्ताओं को बुरी तरह से पीटा गया। एक भी पुलिस जख्मी नहीं हुआ।

[श्री मोहन रावले]

अध्यक्ष जी, हमारी मांग के संबंध में शिव सेना नेता श्री राज ठाकरे का एक इंटरव्यु सदन में पढ़कर सुनाना चाहता हूं:

[अनुवाद]

''आपके अनुसार कौन मराठी होने के योग्य है?

वे जो मराठी बोल सकते हैं और दो पीढ़ियों से महाराष्ट्र में रहते हैं, मराठी हैं।''

इस परिभाषा में उत्तर भारतीय ईसाई, पारसी, मुस्लिम, सिख और अन्य भाषायी व अन्य धर्मों को मानने वाले सम्मिलित हैं।

[हिन्दी]

आदरणीय शिव सेना नेता श्री उद्धव ठाकरे जी ने कहा कि 1995 के पहले जितने लोग यहां आये, उन्हें प्रायरिटी मिलनी चाहिये। यहां तक कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की खुद की पालिसी है। उनकी पालिसी के पेज 194 पर लिखा हुआ है : रेलवे मैन्युअल में लिखा है,

[अनुवाद]

''रोजगार कार्यालय में रिक्तियों की अधिसूचना को रिक्ति संबंधी अनिवार्य अधिसूचना अधिनियम, 1959 के प्रावधानों और उसके अधीन बनाये गए नियमों द्वारा निश्चित किया जाना चाहिए।''

अपराह्न 2.00 बजे

''ऐसी सूचना भर्ती एकक के अंतर्गत रोजगार कार्यालयों को जारी कर दी जानी चाहिए।''

[हिन्दी]

इसके ऊपर मैं और बोलूंगा। लेकिन इससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि नेशनल कमीशन आन लेबर, जिसमें कामरेड डांगे, जे.आर.डी. टाटा जैसे 21 मैम्बर्स थे उन्होंने रिपोर्ट दी है।

[अनुवाद]

इसके प्रतिवेदन में सिफारिश थी कि जहां योग्य स्थानीय व्यक्ति उपलब्ध हों वहां उन्हें रोजगारों का प्रमुख हिस्सा दिया जाना चाहिये। इस संबंध में पैरा 7.39 में दिया गया शीर्षक (भूमिपुत्र) 'सन्स आफ सोइल'' प्रासंगिक है।

[हिन्दी]

उन्होंने रिकमेंड किया है। प्रेसीडेन्ट आफ इंडिया ने होम मिनिस्ट्री का नोटिफिकेशन निकाला था।

[अनुवाद]

इसी प्रकार 27 अप्रैल, 1960 को गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 2/8/60-01 के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति जी ने एक आदेश निकाला था—मैं इसमें गलत हो सकता हूं और यह 1960 या 1964 हो सकता है। पैरा 7(ख) में निर्देश दिया गया है कि क्षेत्रीय आधार को ध्यान में रखकर भर्ती के तरीके को संशोधित किया जाना चाहिये। रेल मंत्रालय ने अभी तक इस तरीके को संशोधित नहीं किया है।

[हिन्दी]

मैं बताना चाहता हूं कि 1959 का जो एक्ट है ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): अब से हम सभी लोग संस आफ इंडिया बोलेंगे, संस आफ साइल से बहुत उल्टा-सीधा हो जाता है।

श्री मोहन रावले: हम लोग कहां जायेंगे। भाषा और प्रांत किसलिए बने। जो 19 कलम है, इशका मतलब यह है कि आप कहीं भी जा सकते हैं। 95 की कलम के मुताबिक अगर किसी की स्वतंत्रता पर आप बाधा डालते हैं तो गलत हैं, ऐसा कांस्टीट्यूशन में लिखा गया है। मैं बताना चाहता हूं कि नोटिफिकेशन एक्ट, 1959 कहता है।

[अनुवाद]

''उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अधिनियम के अंतर्गत आने वाले संस्थानों के लिए 'ग' और 'घ' श्रेणी की रिक्तियों को स्थानीय रोजगार कार्यालय में अधिसूचित किया जाना आवश्यक है। आगे, भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा 21 मार्च, 1961 को जारी ओ.एम. संख्या 14/11/64 के अधीन निदेशों के अनुसार सरकार द्वारा स्थापित संवैधानिक संगठनों के लिए यह अनिवार्य है कि रिक्तियों को रोजगार कार्यालयों द्वारा प्रायोजित अभ्यर्थियों में से भरा जाए।''

[हिन्दी]

अभी तक जो गैंगमैन और खलासी की वैकेन्सीज थी, वे फोर्थ ग्रेड की वैकेन्सीज हैं।

इसमें सीधे बताया गया है, 1959 का एक्ट मेरे पास है। महाराष्ट्र गवर्नमैन्ट का मराठी में निकाला हुआ एक्ट मेरे पास है, उसमें लिखा गया है कि जो पब्लिक और प्राइवेट उद्योग तथा आफिसेज हैं, वहां कितने लोग काम करते हैं, कितने रिक्त पद हैं, इसकी जानकारी उन्हें सेवानियोजन विभाग को देनी आवश्यक

है। इम्पलायमैन्ट एक्सचेंज नोटिफिकेशन एक्ट, 1959 जो मंजूर किया गया है, उसका इम्पलीमैन्टेसन 1960 में हुआ, उसमें बताया गया है कि केन्द्र शासन और राज्य शासन के सब कार्यालय, जिला परिषद, महानगरपालिका, नगरपालिका और केन्द्र तथा राज्य सरकार के जो स्थानीय उद्योग होंगे, उन पर यह कानून लागू है। राष्ट्रीयकृत बैंक, महामंडल, सेमी-गवर्नमैन्ट और जो प्राइवेट विभाग होंगे और जहां 25 से ऊपर लोग अगर काम करते होंगे तो उन्हें इम्पलायमैन्ट एक्सचेंज को सूचित करना आवश्यक है। यह उन पर बंधनकारी है। यह कानून कहां गया। इतने सालों से यह कानून चलता आया था, लेकिन अचानक यह कानून कैसे चेंज हो गया। मैं कहना चाहता हूं कि यहां कोर्ट में केस किया गया था, उसमें एक मामला दर्ज किया गया था। राष्ट्रपति जी द्वारा उसमें नोटिफिकेशन निकला है और श्री गुलजारी लाल नंदा, जो उस समय 1959 में मजदूर मंत्री थे, वह इस प्रस्ताव को लाये थे, उसके मुताबिक यह कानून बनाया गया है। इंडिया गवर्नमैन्ट वर्सेज हरिगोपाल, 1977 के दावे में होम मिनिस्ट्री के 1964 के नोटिफिकेशन के मुताबिक कहा गया था, इसके 14 और 16 कालम है, वे बाध्यकारी नहीं हैं। ऐसा न्यायमूर्ति द्वारा कहा गया था। आज जो हालत है, यह क्यों हुई है, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। मेरे ख्याल से 1996 में एक वर्डिक्ट आया।

अध्यक्ष महोदय: मोहन जी, आपका समय पूरा हो गया है।

श्री मोहन रावले: सर, मैं दो-तीन मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको दो-तीन मिनट दे रहा हूं, आप इसमें पूरा कीजिए।

श्री मोहन रावले: दो-तीन मिनट में मैं समाप्त कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: दो-तीन मिनट में आप अपनी बात पूरी कीजिए।

श्री मोहन रावले: मैं पांच मिनट में अपनी बात खत्म करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: फिर तो दो-तीन मिनट भी नहीं दूंगा, एक मिनट दूंगा।

श्री मोहन रावले: मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो नया कानून ये लाए हैं, मुझे नहीं मालूम। आपने इसको रिलीजियसली मान लिया, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। लेकिन असम और बिहार की घटना होने के बाद उन्होंने ऐसा किया है। आप लोकल इंप्लायमैंट एक्सचेन्ज द्वारा क्यों नहीं लेते? इसके पहले भी जब महाराष्ट्र में मुम्बई में भर्ती हुई थी तो इन्होंने जहां इंप्लायमेंट एक्सचेन्ज एक्जिस्टिंग नहीं थे, वहां रेलवे ने काल भेजी। जो शिफ्ट हुआ था मुम्बई में। अध्यक्ष महोदय, आप मुम्बई के हैं, आप जानते हैं। दूसरी जगह इंप्लायमेंट एक्सचेन्ज जहां शिफ्ट हुए थे, वहां रेलवे ने रिक्वीजीशन मांगी कि एप्लीकेशन दो। वह मामला भी मैंने उठाया था। उस वक्त नीतीश जी मंत्री नहीं थे, ममता बनर्जी थीं। उसके बाद मैं नीतीश जी से मिला था कि स्थानीय लोगों को वरीयता मिलनी चाहिए। जो वाइडर स्कोप आप लाए हैं, जो दूसरी कोर्ट में विश्वेश्वर राव द्वारा लाया गया है, उसमें भी लिखा है और उसके बाद जो नोटिफिकेशन डीओपीटी ने निकाला कि अगर रिक्रूटमेंट होगी तो नोटिस बोर्ड पर आपको जानकारी देनी चाहिए। जो आप कर रहे हैं, वह प्रैक्टिकल नहीं है।

[अनुवाद]

इससे तो यह लगता है कि 'बृहत्तर कार्यक्षेत्र' की अवधारणा को लागू करना व्यवहार्य नहीं है। यह अप्रभावी है तथा उन लोगों को अधिकारों से वंचित करना है जिन्हें रोजगार की अत्यधिक आवश्यकता है जिन्होंने अपने नाम स्थानीय रोजगार कार्यालय में दर्ज करा रखे हैं। यह देखा गया है कि एक तरफ तो वित्तीय और प्रशासनिक समस्याओं को ध्यान में न रखते हुए स्वतंत्र तरीके से विज्ञापन जारी किये जा रहे हैं, दूसरी तरफ स्थानीय रोजगार कार्यालयों से नाम लेने की अनिवार्य शर्त को भी पूरा नहीं किया गया।

[हिन्दी]

इसके आधार पर वाइडर स्कोप की संकल्पना है जिसकी वजह से असम में हत्याएं हुईं।

श्री नीतीश कुमार: यह क्या पढ़ रहे हैं?

श्री मोहन रावले: यह गवर्नमैंट आफ इंडिया का डाक्यूमैंट है।

श्री नीतीश कुमार: कब का है?

श्री मोहन रावले: इसकी जानकारी मैं आपको कल दे सकता हूं, अभी मेरे पास इतनी जानकारी नहीं है। मेरे पास जो पेपर्स हैं, वे सब मैं आपको दे दूंगा।

श्री नीतीश कुमार: जब चर्चा हो रही है तो जो भी जानकारी है, उसको सदन के सामने सबको जानना चाहिए।

श्री मोहन रावले: आप चाहते हैं तो मैं सदन में रख सकता हूं।

श्री नीतीश कुमार: हम सिर्फ यह जानना चाहते हैं कि आप क्या पढ़ रहे हैं?

श्री मोहन रावले: मैं सभा पटल पर रख सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय: मैं इजाजत दूंगा तभी आप रख सकते हैं, नहीं तो नहीं रख सकते हैं।

श्री मोहन रावले: जी हां, आपकी इजाजत लेकर ही मैं रख सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय, बिहार के बारे में जब चर्चा हुई थी तो लालू प्रसाद जी शिवसेना पर बरस रहे हैं। जो असम में हत्याएं हुईं, वहां कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस का समर्थन बिहार में लालू प्रसाद यादव जी को है। 58 लोग मारने के बाद भी लालू यादव जी उसके खिलाफ नहीं चिल्लाए। मुम्बई में जो हमारा हक है यह कहकर लड़कर गए और पुलिस ने भी स्टेटमेंट दिया। आप जो बोलेंगे उसका जवाब मैं पहले देता हूं कि मीडिया के लिए भी बताया गया है। गलत तरीके से बताया गया है, ऐसा पुलिस ने कहा है।

मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि आप बिहार का विकास करिये। हम सी और डी ग्रेड के लिए बोल रहे हैं। हमारे यहां यूपीएससी की परीक्षाएं ए और बी ग्रेड के पदों के लिए ली जाती हैं लेकिन सी और डी ग्रेड की परीक्षाएं लोकल इंप्लायमैंट एक्सचेन्ज से लेंगे तो राष्ट्रीय एकात्मता रह सकती है नहीं तो झगड़े हो सकते हैं। जैसे माननीय सदस्य ने कहा कि गांव-गांव में झगड़े हो जाएंगे। ब्यूरोक्रेसी ऐसा नहीं होने देना चाहती है। दो लाख वैकेन्सीज के लिए हमने देखा रेलवे प्लेटफार्म पर 2000 वैकेन्सीज के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग कैसे आते हैं। ब्यूरोक्रैट्स चाहते हैं कि इनमें आपस में झगड़ा हो जाए और रेल में कैसे रहते हैं? रेल पर कोई रहता है तो पुलिस उसको धक्का मारकर बाहर निकालती है। लेकिन वे यह बताएं कि कितने स्थानीय रोजगार कार्यालयों, कितने स्थानीय न्यूजपेपर्स और किन-किन स्थानीय प्रचार-प्रसार माध्यमों को यह सूचना दी गई थी कि ''सी'' और ''डी'' ग्रेड के पदों की भर्ती हेतु एग्जाम है, क्या आपने स्थानीय स्तर पर इस संबंध में कोई सूचना दी थी ताकि भूमिपुत्रों को रोजगार मिल सके? जो 2000 कैंडीडेट पास हुए जिनके बारे में स्थानीय प्रचार-प्रसार माध्यमों ने बताया और उन्हीं माध्यमों ने यह भी बताया कि किस प्रकार वे लोग प्लेटफार्मों पर सोए थे। यह सब ब्यूरोक्रेट्स ने किया है। इतने सालों से ब्यूरोक्रेट्स वहां रह रहे हैं, उन्हीं के कारण स्थानीय लोगों को वरीयता नहीं मिलती है।

महोदय, राष्ट्रीय एकात्मकता की भावना पैदा करने के लिए स्थानीय लोगों को रोजगार देने में प्राथमिकता देनी चाहिए, तभी इस प्रकार की घटनाओं पर अंकुश लग सकता है। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, रेलवे की भर्ती नीति के चलते, देश के विभिन्न प्रान्तों, असम, बिहार, महाराष्ट्र और दूसरी जगहों पर जो घटनाएं हुई हैं, उन पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं।

अपराह्न 2.12 बजे

[**श्री बसुदेव आचार्य** *पीठासीन हुए*]

सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि इस चर्चा का व्यावहारिक मतलब है और विभिन्न प्रान्तों में जो घटनाएं हुई हैं कि इनकी भविष्य में पुनरावृत्ति न हो और लोक सभा से यह संदेश जाए कि क्षेत्रवाद के नाम पर खून-खराबा नहीं होना चाहिए, देश एक रहना चाहिए। हिन्दुस्तान की समस्त पार्टियों के लोग, जो यहां संसद में नुमाइन्दगी करते हैं, उनकी तरफ से यह पैगाम, यह संदेश जाना चाहिए जिससे हालात सामान्य बनें, स्थिति तनाव पूर्ण न बने, यह विनम्र प्रयास इस संसद से होना चाहिए।

महोदय, इस देश में असली और बुनियादी सवाल है, जिसके चलते यह सब हो रहा है, वह बेरोजगारी की समस्या है। बेरोजगारी की समस्या की वजह से देश में जो तनाव है, उसका फलितार्थ इन घटनाओं के रूप में हमें देखने को मिल रहा है। आप हमें माफ करेंगे, इस संसद में एक बार नहीं अनेकों बार हमने चिन्ता व्यक्त की है कि यदि इस गम्भीर समस्या के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, तो निश्चित रूप से इस देश में तनाव पैदा होगा।

सभापति महोदय, जब आप यहां थे, तब आपने श्री सी.पी. ठाकुर और स्वामी चिन्मयानन्द जी के नामों का जिक्र किया। मेरी उनसे विनम्र प्रार्थना है कि बजाय लोगों पर दोषारोपण करने के, हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि इस देश में तनाव कैसे और क्यों पैदा हो रहा है। जब तक हम उसका कोई व्यावहारिक हल नहीं निकालेंगे, नौकरियों को बढ़ाने का काम नहीं करेंगे, नौकरियों के माध्यम से लोगों को हमारा काम दिखाई नहीं देगा, तब तक हमारा दूसरों पर दोषारोपण करना ठीक नहीं है।

मैं समझता हूं कि जिन-जिन जगहों पर भर्ती होती है, वहां के लोग यह चाहते हैं कि हमारी भर्ती ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है और वहां बाहर के लोग आ जाते हैं। इससे उन्हें लगता है कि वे हमारा हक मार रहे हैं। इसीलिए तनाव पैदा होता है। श्री मोहन रावले साहब अपना भाषण करके चले गए। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि बालासाहेब ठाकरे ने इस बारे में क्या

कहा और सिर्फ कहा ही नहीं बल्कि डे-आफटर पत्रिका में उनका यह बयान छपा है, जिसे मैं यहां पढ़कर सुनाना चाहता हूं-

[अनुवाद]

''हम बिहारियों को बाहर निकाल देंगे। महाराष्ट्र में केवल स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिये। किसी भैया या बिहारी को इसकी अनुमति नहीं होनी चाहिए। - शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे।''

[हिन्दी]

महोदय, मैं समझता हूं कि उनकी यह भाषा किसी भी कीमत पर न्यायसंगत नहीं है। इसलिए इस प्रकार की भाषा पर विराम लगना चाहिए और इसी की वजह से तनाव पैदा होता है। इसी की वजह से तनाव पैदा होता है। जहां तक रेलवे भर्ती बोर्डों का सवाल है, मैंने अभी नीतीश कुमार जी की प्रैस कांफ्रेंस में देखा था और मैं समझता हूं कि उसमें सुधार करने की बात शायद हो रही है। रेलवे भर्ती बोर्डों को डिवीजनों से जोड़ा जायेगा, जिसमें समूह डी और सी का अगले चरण की भर्तियों के लिए संबंधित भर्ती डिवीजन में होगा। सवाल सिर्फ रेलवे भर्ती बोर्ड का नहीं है, जैसा मैंने पहले कहा कि इस बेरोजगारी के कारण जगह-जगह तनाव है। अभी एक प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक डा. एम.एस. स्वामीनाथन ने कहा है कि असम और बिहार में जो कुछ हो रहा है, अगर गरीब और भूमिहीन लोगों को रोजगार नहीं मिला तो यह तनाव और बढ़ेगा। इसलिए असल समस्या यह है, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि हम हिन्दुस्तान में एक वर्ष में एक करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। बेरोजगारी की समस्या का अन्त करेंगे। अगर बेरोजगारी की समस्या पर हम सही मायनों में गम्भीर हैं तो सरकार को कुछ सार्थक प्रयास करने चाहिए और वे प्रयास लोगों को दिखाई देने चाहिए।

बिहार और उत्तर प्रदेश की स्थिति में फर्क है और यहां गरीबी और बेरोजगारी और प्रान्तों की तुलना में ज्यादा है। गुजरात बहुत छोटा प्रदेश है और गुजरात की आबादी सिर्फ पांच करोड़ है। उत्तर प्रदेश की आबादी लगभग 14 करोड़ है, लेकिन फिर भी गुजरात की आय बनिस्बत उत्तर प्रदेश के ज्यादा है। बिहार की स्थिति तो और ज्यादा खराब है। जैसा मैंने पहले आपसे निवेदन किया कि इस प्रदेश की क्या हालत है। अभी नीतीश कुमार जी को मालूम है कि अभी आपने यूनियन केबिनेट से 70 हजार सेफ्टी रेलवे के जाब्स को क्लियर कराया, खास तौर से बी ग्रेड के लिए इनकी व्यवस्था की गई थी। उसमें क्या हुआ कि 20 हजार वेकेंसीज के लिए जो प्रार्थना पत्र मांगे गये, वे प्रार्थना पत्र 75 लाख थे और 75 लाख प्रार्थना पत्रों की छानबीन करने के बाद उनमें से 55 लाख प्रार्थना पत्र दुरुस्त पाये गये। रोना तो वही है कि नौकरी नहीं है, रोजगार किसी को मिल नहीं रहा है और झगड़ा हो रहा है।

मुम्बई में महाराष्ट्र सैण्टर में 250 टिकट कलैक्टरों की भर्ती होनी थी। 250 टिकट कलैक्टरों के लिए 5.67 लाख लोगों ने आवेदन-पत्र दिये, जिनमें से 40 फीसदी बिहार के लोग थे। नौकरी नहीं है और झगड़ा हो रहा है, यह स्थिति है। मैं आपके मार्फत यह और निवेदन करना चाहूंगा, जैसा मैंने पहले कहा कि बिहार की स्थिति और उत्तर प्रदेश की स्थिति अन्य प्रान्तों से फर्क है। हम अगर यहां दिल्ली में झुग्गी-झोंपड़ी की बात करें तो मैं समझता हूं कि 44 परसेंट बिहार के लोग उनमें हैं और 30 परसेंट उत्तर प्रदेश के लोग हैं।

जहां तक बिहार का सवाल है, कौन उसके लिए जिम्मेदार है, मैं वह कहना नहीं चाहता। अभी हाल ही में बिहार में जो सर्वे हुआ है, उसके हिसाब से 54 फीसदी उद्योग तो रुग्ण हो गये और 26 फीसदी रुग्ण होने के कगार पर खड़े हैं। मुझे ज्यादा और निवेदन नहीं करना, मैं सिर्फ आपसे एक ही प्रार्थना करना चाहूंगा कि आज स्थिति बड़ी खराब है। कहां हमसे गलती हुई है, उसमें सुधार हो सकता है, नीति में सुधार हो सकता है, लेकिन असल और बुनियादी सवाल यह है कि बेरोजगारी जैसी गम्भीर समस्या पर हम लोग ध्यान नहीं देंगे तो तालीम हासिल करने के बाद, पढ़ने-लिखने के बाद या जिन लोगों के पास कोई काम नहीं है, उनको जब काम नहीं मिलता तो खाली दिमाग कुछ भी करने के लिए मजबूर हो जाता है। हमारी प्रार्थना है कि रेलवे की भर्ती का जो तौर-तरीका है, उसमें मुझे विश्वास है कि नीतीश कुमार जी परिवर्तन लाएंगे। मेरी सरकार से पुरजोर मांग है कि सरकार बेरोजगारी की समस्या पर गम्भीरता के साथ ध्यान दे।

पूरा देश एक है, इस देश के भूभाग में जो लोग रहते हैं, वे भारत की सन्तान हैं और मैं समझता हूं कि जाति, धर्म या क्षेत्रवाद के नाम पर निश्चित रूप से अगर कोई तनाव होता है तो किसी भी कीमत पर यह उचित नहीं है।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): सभापति महोदय, ऐसा लगता है कि सदन ने बिहार और असम की घटना को बहुत गंभीरता से नहीं लिया है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि इतनी महत्वपूर्ण घटना पर चर्चा हो रही है और यह संवेदनशील सवाल है। आज यहां प्रधानमंत्री जी और उप प्रधानमंत्री जी को भी रहना चाहिए। मैं कांग्रेस की तरफ पूरे बैंच ही खाली देख रहा हूं। इस सवाल की गंभीरता को देखते हुए यहां सब लोगों को मौजूद रहना चाहिए था। ...*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया): प्रधानमंत्री जी बाहर गए हुए हैं, जिन्होंने इसका जवाब देना है, वे यहां बैठे हुए हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री रतन लाल कटारिया: रघुवंश जी, आप अपने दोस्तों को बुलाइए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप बैठ जाइए। आप बीच में इस तरह क्यों बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं।

श्री रतन लाल कटारिया: यहां एक भी व्यक्ति कांग्रेस से नहीं है, जिनके राज्य में यह घटना घटी।

सभापति महोदय: वे आ गए हैं।

श्री रतन लाल कटारिया: ये हार का शोक मना रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कटारिया जी, आप बैठिए, प्रभुनाथ सिंह जी को बोलने दीजिए।

श्री प्रभुनाथ सिंह: सभापति महोदय, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले आपके माध्यम से आपसे और मीडिया के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं। आपके आदेश से तीन तारीख को सदन में यह चर्चा उठाई गई थी और जिस तरह मीडिया में उस समाचार को दिया गया तो मुझे लगा कि एक तो असम में पिटाई हुई तथा मीडिया वालों ने भी उस दिन हम लोगों को कस कर पीटा। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मीडिया में जो समाचार आए, उसमें यह कहा जा रहा था कि जूदेव और सीवीसी कांड विपक्ष उठाना चाहता था, इसलिए सत्ता पक्ष के कुछ सांसदों ने जानबूझ कर असम और बिहार की घटना उठाई, जिससे यह मामला दब जाए। हम समझते हैं कि देश में मीडिया के लिए इस तरह का मैसेज देना कहीं से उचित नहीं था, क्योंकि यह घपला सरकार में रहने वाले जो लोग थे, वे कर सकते थे। हम लोग किस घपले में हैं, हम लोगों ने अपनी भावना, देश की एकता और अखंडता के सवाल को देश के सामने रखने का काम किया। इसलिए हम आपके माध्यम से मीडिया के लोगों से भी निवेदन करेंगे कि ऐसी संवेदनशील घटनाओं को वे लोग व्यावसायिक नजर से न देखें और न ही ऐसा मैसेज देश में दें।

सभापति महोदय, इस भाषण का रंग ही बदल चुका है। आप जब आसन से नीचे थे तो आपने इस भाषण की शुरूआत की और आपने रेल के विकास, भ्रष्टाचार और उसके सुधार के बारे में कहा। सवाल यह नहीं है, तीन तारीख को जो सवाल उठा था वह यह था कि असम में बिहारियों की हत्या एवं नरसंहार हो रहा है, उन्हें जिन्दा जलाया जा रहा है तथा उनकी सम्पत्ति का नुकसान किया जा रहा है। यहां रेल को इसलिए नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि वहां पहली बार घटना नहीं घट रही है, इसके पहले भी वहां हिन्दी भाषियों और बिहारियों को मारा गया। उनकी हत्या की गई, नरसंहार किया गया, उनकी सम्पत्ति लूटी गई और उन्हें भगाने का प्रयास किया गया। यह कोई पहली घटना नहीं है। सिर्फ असम में ही नहीं, बल्कि देश के दूसरे हिस्सों में भी उन्हें अपमानित किया गया।

सभापति महोदय, हम आपके माध्यम से केन्द्र सरकार का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहते हैं और देश की जनता को बताना चाहते हैं। यह ठीक है कि रेल विभाग की परीक्षा कारण बन चुकी है लेकिन इसके पीछे सिर्फ रेल विभाग की परीक्षा नहीं है बल्कि एक सोची-समझी राजनीति है और इस राजनीति के तहत ऐसा हो रहा है। देश के रक्षा मंत्री, श्री जार्ज फर्नान्डीज असम गए हुए हैं, लेकिन यह नहीं हैं कि घटनाएं थमी हुई हैं। वे जिस रास्ते से गुजर रहे थे, वहां सात घरों को आज भी जलाया गया। इस घटना में असम के मुख्यमंत्री कहते हैं कि केन्द्र हमें उचित सहायता नहीं दे रहा है।

केन्द्र यहां से कहता है कि विधि व्यवस्था ठीक करना राज्य सरकार का काम है। केन्द्र और राज्य की बयानबाजी से वहां जो लोग मर रहे हैं, उनकी सुरक्षा नहीं हो पाई। हम यह कहना चाहते हैं कि घटना किस तरह की घटी, वहां मरने वाले कौन से लोग हैं? वे ऐसे लोग हैं जो 100 बरस से ज्यादा समय से असम में रह रहे हैं। कुछ पूंजी वाले लोग भी असम में गये जिन्होंने चिमनी खोलने का काम किया। जो बिना पूंजी के थे, उन्होंने इस चिमनी पर जाकर ईंट पाथने का काम किया। उसके साथ-साथ उन्होंने चाय बागान में मजदूर का भी काम किया। उसमें ऐसे भी परिवार हैं जो भूल चुके हैं कि बिहार में उसका घर किधर है। वे अपने को असम का ही निवासी मानते हैं। असम के लोगों ने भी उन्हें वहां के निवासी के रूप में कबूल किया है लेकिन समय-समय पर वहां जो दर्दनाक घटनाएं घटती हैं, उससे बड़ा दुख होता है।

सभापति महोदय, मैं आपको कुछ अखबार की हैडिंग्स पढ़कर सुनाना चाहता हूं। ''असम में बिहारियों पर हमले, राज्य छोड़ने की चेतावनी।'' यह कैसा संदेश है? ''बिहारियों पर हमले, आडवाणी, बीच-बचाव में आये।'' ''असम में व्यापारी की हत्या, कारों के शीशे तोड़े, झोंपड़े फूंके गए, मार-पीट में पार्षद सहित 25 घायल।'' ''हिंदीभाषियों पर फिर हमले, आगजनी।'' ''जोरहाट में पुलिस फायरिंग।'' ''असम में चार ट्रक चालकों समेत पांच और बिहारियों की हत्या।'' ''टी.वी. पर मैच देखते हुए उल्फा ने बनाया निशाना, दर्जनों घायल, दुकान मकान भी फूंके, परीक्षा स्थगित।'' ''असम से बिहारियों का पलायन, अब तक 34 मारे गये।'' ''असम में 17 बिहारी मजदूरों की हत्या।'' ''असम में हालत बेकाबू, 25 बिहारी और मारे गये, सेना ने संभावना मोर्चा।'' ''असम में नहीं थमी हिंसा, 16 और मारे गये।'' ''अटल गंभीर, लालू ने गगोई से बात की।'' ''हिंसा रोकने की अटल की हिदायत, रिपोर्ट तलब।'' ''असम में दो लोगों को जिंदा फूंका गया।''

सभापति महोदय, ये जो अखबार की हैडिंग्स मैं बता रहा हूं वह क्या बता रही हैं? घटना एक दिन में नहीं हुई। इस घटना को लगभग एक महीना पूरा हो चुका है। इस एक महीने के बाद आज भी बिहारी सुरक्षित नहीं हैं। दूरभाष पर असम के लोगों से बात हो रही है। आज भी उनके घरों पर हमले किये जा रहे हैं, आगजनी की जा रही है। जिंदा लोगों की देह पर तेल छिड़क कर उनको जलाया जा रहा है और हम इस मामले को रेल की भर्ती से जोड़ रहे हैं। बिहार प्रांत और बिहार के लोग मेहनतकश हैं। आज जो चर्चा चल रही है कि बिहार में रोजगार की संभावनाएं नहीं हैं, इसलिए लोग असम में जा रहे हैं, 100 बरस पहले से लोग असम में गये हुए हैं। सिर्फ देश के इस हिस्से में ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में जाकर बिहार के लोगों ने अपनी भुजा के बल पर वहां नव-निर्माण किया। आज देश के बहुत से हिस्सों में आप देखें, आपके बंगाल में भारी संख्या में बिहार के लोग हैं। उत्तर प्रदेश में भारी संख्या में बिहार के लोग हैं, हिन्दी भाषी लोग हैं। आप गुजरात में देखें तो वहां भी वे भारी संख्या में हैं। दिल्ली में भारी संख्या में हैं, महाराष्ट्र में हैं। लेकिन क्षेत्रीयता की भावना उठाकर जिस ढंग से राष्ट्रीय एकता पर हमला बोला जा रहा है, यह साजिश के सिवा और कुछ नहीं हो सकता।

मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं हालांकि असम में परीक्षा के बाद जो घटना बिहार में घटी, उसकी बिहार के सब लोगों ने निंदा की। किसी ने भी उस घटना की प्रशंसा नहीं की। लेकिन असम में जब घटना की शुरूआत हुई तब किसी ने भी उसकी निंदा नहीं की। आज सारे लोग बेचैन हैं। रघुवंश बाबू के नेता लालू जी हैं। उन्होंने असम में जाकर एक प्रैस कांफ्रेंस की जिसमें उन्होंने केन्द्र सरकार को कोसा लेकिन केन्द्र सरकार के कोसने से वहां राज्य की भूमिका क्या है, उसको उन्होंने क्यों नहीं स्पष्ट किया? रघुवंश बाबू, यह मिलीभगत नहीं चलेगी। यह मिलीभगत चल रही है। हमको विश्वास है कि आज हम जो बोल रहे हैं, उसका आप समर्थन करेंगे। हम आपसे आज समर्थन चाहते हैं। ...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: आपको कसम है कि आप वाजिब बात बोलिये। ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 2.30 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

श्री प्रभुनाथ सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, जो घटनाएं घट रही हैं, हम नहीं चाहते कि हम कोई ऐसे शब्द बोलें जिससे देश की एकता पर बुरा असर पड़े। लेकिन क्रिया के बाद प्रतिक्रिया होती है और प्रतिक्रिया रुकती नहीं है। हमारे साथी श्री घाटोवार जी बोल रहे थे कि हम लोग हवाई जहाज से आते-जाते हैं। लेकिन असम जाने वाले जो कमजोर तबके, मध्यम वर्ग के लोग हैं, उन्हें बिहार होकर आना है। अगर इस तरह क्रिया-प्रतिक्रिया होती रही तो यह न असम के हित में होगा और न बिहार के हित में होगा।

मैं बताना चाहता हूं कि शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे जी का जो बयान आया है, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन उनके उस बयान ने हमारे जैसे लोगों को चोट पहुंचाई है। इसलिए चोट पहुंचाई है कि बिहार में आम लोगों के बीच एक तरह की चर्चा चल रही है कि जहां-जहां बिहारियों को अपमानित किया जाता है, हम वहां के समान बिहार में नहीं करेंगे। बिहार में एक बाजार है। बिहार की 8 करोड़ की आबादी है। अगर बिहार के लोग यह तय कर लें तो निजी कम्पनियों का, बड़े-बड़े उद्योगपतियों का कोई भी ऐसा निजी कार्यालय नहीं है जो महाराष्ट्र में नहीं है। वहां का जो पैसा सरकार को टैक्स के रूप में मिलता है, वह महाराष्ट्र सरकार को जाता है और व्यवसाय बिहार में होता है। अगर बिहार इस तरह का निर्णय कर ले तो बिहार तो वैसे भी भूखा मर रहा है लेकिन महाराष्ट्र जैसे लोग भी भूखों मरने के कगार में आ जाएंगे। इसलिए क्षेत्रीयता की भावना को उबारना नहीं चाहिए। देश की एकजुटता को कायम रखने के लिए संयम बरतना चाहिए और बड़े नेताओं को संयम के साथ अपनी भाषा भी निकालनी चाहिए ताकि एक जगह का असर दूसरी जगह नहीं पड़ने पाए।

उपाध्यक्ष महोदय, हालांकि अगर घटना के कारणों के पीछे जाया जाए तो मैं मानता हूं कि देश में बढ़ती हुई आबादी और रोजगार की कमी एक कारण है और बिहार के साथ यह अनोखी बात नहीं है। लेकिन हम कहते हैं कि आज असम के लोग समझ रहे हैं कि दिल्ली में रोजगार पैदा हुआ है, गुजरात में रोजगार पैदा हुआ है, उड़ीसा के लोग समझते हैं कि असम में रोजगार मिल रहा है, बंगाल में रोजगार मिल रहा है। बिहार के लोग पहले से ही जानते हैं कि बिहार में रोजगार नहीं मिल रहा है, दूसरी जगह ही रोजगार की संभावना है। इसलिए बिहार को इसमें परेशानी नहीं है। आज जिस ढंग से परीक्षा की व्यवस्था है, स्कूल की व्यवस्था है, भारत सरकार ने केन्द्रीय विद्यालय भी बिहार और अन्य प्रान्तों में खोले हैं, निजी स्कूल खोल रही है। बिहार के लोगों की यह एक मानसिकता बनी हुई है कि जब बिहार में रोजगार नहीं है तो अच्छी पढ़ाई करनी चाहिए और प्रतियोगिता में शामिल होकर उत्तीर्ण होना चाहिए। देश में जहां भी आईएएस, आईपीएस की परीक्षाएं, इंजीनियरिंग, मेडिकल की परीक्षाएं हो रही हैं, सभी परीक्षाओं में बिहार के छात्र अच्छा कर रहे हैं और उनका प्रतिशत ज्यादा जा रहा है।

नागपुर में एक केस हुआ है। वहां के हाई कोर्ट ने वहां का पैनल रोक रखा है। वहां रेल मंत्रालय के पदाधिकारियों और रेल मंत्री को पार्टी बनाया गया है। यह आरोप लगाया गया है कि रेल

[श्री प्रभुनाथ सिंह]

मंत्री बिहार के हैं, इसलिए बिहारियों की ज्यादा बहाली हो रही है। हम पूछना चाहते हैं कि आईएएस में बिहार के जो लड़के आ रहे हैं, क्या वे नीतीश कुमार जी की वजह से आ रहे हैं? आईपीएस में जो बिहार के लड़के आ रहे हैं, क्या वे नीतीश कुमार जी की वजह से आ रहे हैं? इस तरह का गलत आरोप और गलत बयान देकर बिहार में क्षेत्रीयता की भावना को उभारना कहीं से मुनासिब नहीं हो सकता। लड़के जब अच्छी पढ़ाई करेंगे तो प्रतियोगिता में शामिल होंगे और उत्तीर्ण भी होंगे। हम बताना चाहते थे कि रोजगार की कमी हुई है। आबादी बढ़ी है। हम केन्द्र सरकार के प्रधान मंत्री जी के बयान का उल्लेख करना चाहते हैं। उन्होंने कहा था कि प्रति वर्ष एक करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। कहां गया वह रोजगार? क्या वह रोजगार फाइल में दबा हुआ है? योजना आयोग अपने कागज का हिसाब जोड़ता है कि हमने एक करोड़ रोजगार दिए। वह रोजगार नहीं है। आप कहते हैं कि एनएच में इतना रुपया दे दिया, उसमें इतना रोजगार पैदा हो रहा है। ऐसे भी खेती में मजदूर मजदूरी कर रहे हैं। इस देश में रोजगार पैदा करना होगा और इसमें केन्द्र सरकार की भूमिका है। केन्द्र सरकार भी अपनी भूमिका का निर्वाह नहीं कर रही है जिसके कारण क्षेत्रीय भावना उबर रही है और देश की एकता, अखंडता पर खतरा पैदा हो रहा है। इसलिए हम आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि अगर इन क्षेत्रीय भावनाओं पर अकुंश लगाना है तो रोजगार पैदा करना होगा, बेरोजगारी को दूर करना होगा।

जहां तक रेल बहाली की चर्चा की बात है, हम इन सवालों पर बोलना नहीं चाहते थे। श्री रामजीलाल सुमन चले गए, बसुदेव आचार्य जी बैठे हुए हैं। इस देश के रेल मंत्री को बधाई देनी चाहिए। उनको इसलिए बधाई देनी चाहिए कि कल तक हम रेल की बहाली के बारे में सुनते थे कि डी ग्रेड की बहाली हो रही है, 50,000 रुपया मिलने से ऐप्वाइंटमैंट लैटर हाथ में मिल जाएगा। सुन रहे थे कि एएसएम की बहाली हुई है। डेढ़ लाख रुपया, दो लाख रुपया लेते थे और कहते थे कि अपाइंटमैंट लेटर किन्हीं होटलों में बिकता था। आज नीतीश कुमार जी ने व्यवस्था में परिवर्तन करके यह साबित कर दिया है कि जिसका मैरिट होगा, वह रेल में नौकरी पाएगा लेकिन डी-ग्रेड की परीक्षा में लिखित परीक्षा, शारीरिक परीक्षा, ओरल परीक्षा होगी, यह कोई आई.ए.एस., आई.पी.एस. की परीक्षा नहीं है। लेकिन मैरिट का आधार तय किया हुआ है और रेल में घूसखोरी और भ्रष्टाचार जो चलता था, उस पर अंकुश लगाया गया है। लेकिन इधर लगता है कि आप भी क्षेत्रीय दबाव में झुक रहे हैं। मैं सीधा कहता हूं, आप मेरे मित्र भी हैं और इस देश के रेल मंत्री भी हैं। अभी अखबार में पढ़ता हूं कि अहमदाबाद में जो परीक्षा होने जा रही है, वह गुजराती और महाराष्ट्रियन भाषा में होने जा रही है। कल को बिहार के लोग कहेंगे कि मैथिली और भोजपुरी भाषा में परीक्षा कराइए। इस देश में यह क्या हो रहा है? देश की राष्ट्रीय भाषा हिन्दी है। अगर परीक्षा कराएंगे तो पूरे देश में हिन्दी में कराइए और नहीं तो क्षेत्रीय स्तर पर उसकी बहाली कराइए। राष्ट्रीय स्तर पर कार्यालय खोलकर उसका बहाली कराइए लेकिन यह कौन सी बात है कि जिस प्रांत में परीक्षा होगी, क्षेत्रीय भाषा में होगी। रेल इस देश का प्रमुख अंग है और चारों दिशाओं को जोड़ता है। हर भाषा के लोगों को उसमें लाभ और हानि का सवाल होता है और उस रेल की परीक्षाओं को टुकड़ों-टुकड़ों में क्षेत्रीय भाषाओं के आधार पर कराएंगे तो मैं मानता हूं कि यह उचित नहीं है। अगर इसमें कठिनाई हो तो पहले जिस तरह की डीआरएम और जीएम स्तर पर परीक्षा होती थी, वैसी कराइए।

बिहार के साथ जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि कटिहार को किसी तरह आप हाजीपुर जोन में शामिल कराइए। इसी तरह बनारस डिवीजन में हमारे निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा पड़ता है। इस तरह क्षेत्रीयता की भावना उभर रही है तो बिहार के लोगों को ही इसकी कठिनाई झेलनी पड़ेगी। इसलिए वह हिस्सा बिहार के हिस्से में कराइए। अगर नहीं कराएंगे तो क्षेत्रीयता की भावना जिस तरह से उभर रही है, बिहार के लोग जिस तरह से बेइज्जत और अपमानित किये जाते हैं, उनके साथ जिस तरह से मारपीट की घटनाएं घट रही हैं, दिल्ली जैसे प्रांत में कहा जाता है कि बिहारी कटोरा लेकर भीख मांगने आते हैं। अभी आंध्र में छात्रों की पिटाई की गई। वह किस रेल परीक्षा के कारण है? यह एक परम्परा सी बन गई है कि बिहार के लोगों को अपमानित किया जा रहा है और हर जगह उनकी पिटाई की जा रही है। मैं कोई ज्यादा लम्बा भाषण नहीं देना चाहता लेकिन एक-दो सुझाव देना चाहता हूं कि जो असम में घटनाएं घट रही थीं, अखबारों में चर्चा आ रही थी कि पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। पुलिस के मूक दर्शक बनने का सीधा मतलब यह होता है कि कहीं न कहीं से उसमें राज्य सरकार की सहभागिता इस घटना में है। अगर राज्य सरकार की सहभागिता है तो स्वामी जी असम में गये हुए थे, अब वह गृह राज्य मंत्री हैं, पता नहीं वह यहां कह पाएंगे या नहीं कह पाएंगे क्योंकि सरकार की जुबान कागज और कलम में बंधी होती है लेकिन वह एक संत भी हैं और वह संत वाणी बोलेंगे तो सही वक्त पर सही बात सामने आ जाएगी। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि जो भी घटना घटी है, उस घटना की सीबीआई से सरकार जांच कराए। सब कुछ सामने आ जाएगा। हमें लगता है कि सीबीआई से जांच कराएंगे तो कौन-कौन से राजनेता इस घटना में शामिल हैं, वह भी सामने आ जाएगा और देश के सामने सही चित्र सामने आ जाएगा।

दूसरे, हम यह भी कहना चाहते हैं कि वहां जो भी घटना घटी है, उसकी सीबीआई से जांच कराते हुए एक विशेष अदालत बनाकर 6 महीने के अंदर दोषियों को सजा दिलाने की व्यवस्था कराइए और तीसरे, मृतक के परिवार वालों को कम से कम पांच लाख रुपये मुआवजा देने की व्यवस्था की जाए। हमें विश्वास है कि जब स्वामी जी इस पर बोलेंगे तो जरूर इस सवाल पर प्राथमिकता के आधार पर बोलेंगे और पांच लाख रुपया जरूर मुआवजे के तौर पर बोल देंगे, ऐसा हमें विश्वास है।

इसी के साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि केन्द्र के पास संवैधानिक शक्ति है। स्वामी जी, यह संवैधानिक शक्ति अचार डालने के लिए नहीं मिली हुई है और उसको अचार बनाकर न आप खा सकते हैं और न कोई और खा सकता है। संवैधानिक शक्ति इसीलिए मिली हुई है कि जब समय आए तो उसका उपयोग किया जाए। असम में जो घटनाएं घट रही हैं, अब उस संवैधानिक शक्ति का इस्तेमाल करने का समय और जरूरत आ पड़ी है। हम चाहेंगे कि केन्द्र सरकार संवैधानिक शक्ति का इस्तेमाल करते हुए असम में राष्ट्रपति शासन लागू करे और वहां सीबीआई से जांच कराकर सभी दोषियों को गिरफ्तार करे। साथ ही मैं यह कहना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार की तरफ से कोई ऐसी व्यवस्था हो कि आने वाले दिनों में बिहार या असम में ही नहीं, शेष भारत में भी इस तरह की घटना न घट सके। यह कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री विजय हान्दिक (जोरहाट): आपको रिकार्ड दुरूस्त कर लेने चाहिएं। एक महीने पहले असम सरकार ने सी.बी.आई. जांच के लिए कहा था। आप भारत सरकार से स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री बालकृष्ण चौहान (घोसी): उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में असम और अन्य हिस्सों में हुई हिंसाजनक घटनाओं पर बहस हो रही है। जिसमें खासतौर से बिहार के जो मूल निवासी हैं, जो पचासों वर्षों से वहां बसे हुए हैं, उनकी हत्याएं की गई हैं। इसमें उत्तर प्रदेश के लोग भी आते हैं। देश के भिन्न प्रान्तों में उत्तर प्रदेश के लोगों को सामान्यत: बिहारी के रूप में जाना जाता है। चाहे दिल्ली हो, चाहे असम हो, उत्तर प्रदेश के 23 जिले, जो पूर्वी क्षेत्र में आते हैं, जिनमें आजमगढ़, बलिया, देवरिया, मऊ, गोरखपुर आदि हैं इनके निवासी मूल घरों को छोड़ कर काफी अर्से से वहां बसे हुए हैं। उनमें से कई लोगों की हत्याएं हुई हैं। जिसके कारण कई लोग वहां से पलायन कर चुके हैं। केन्द्र सरकार की भी जिम्मेदारी है कि असम की सरकार को और जहां भी वे लौटकर आए हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, उनकी सरकारों को निर्देश जारी किया जाए कि इनके पुनर्वास की व्यवस्था हो। इसके अलावा जो लोग वहां पर हैं, उनकी सुरक्षा की भी व्यवस्था होनी चाहिए। इन लोगों के जो धन और सामान की क्षति हुई है, उसको यहां से अनुदान देकर व्यवस्थित किया जाए।

मुख्य रूप से ये घटनाएं जो देश में आए दिन हो रही हैं, इसके लिए माननीय सांसदों ने इस बात को यहां रेखांकित किया कि मूल रूप से ये घटनाएं बेरोजगारी से जुड़ी हुई हैं। कुछ आंचलिक या क्षेत्रीयता का नाम इन्हें दिया जाता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि रोजगार की निश्चितता के अभाव की वजह से जो क्षेत्रीय शिक्षित नौजवान हैं, वे ऐसा सोच बैठते हैं। इसका उदाहरण पहले भी तमाम नौकरियों के आरक्षण में आ चुका है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट के समय भी देश में सवर्णों ने कई जगह पर आत्मदाह किया था। उनको भ्रम हुआ था कि हमें नौकरियों का अवसर कम हो रहा है। यह संज्ञान सरकार को लेने की आवश्यकता है। संविधान के भाग चार में डायरेक्टिव प्रिंसिपल में स्पष्ट है कि राज्य की जिम्मेदारी है कि देश के लोगों के जीवनयपान का साधन मुहैया कराने का प्रयास करे। उन साधनों में असमानता न बढ़े, इसका भी प्रयास होना चाहिए। आज की वर्तमान सरकार ने अपनी शुरुआती दौर में यह बात कही थी। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमारी सरकार हर वर्ष एक करोड़ लोगों को नौकरी देगी। लेकिन उस बात को खत्म ही नहीं किया, बल्कि उसके विपरीत, नकारात्मक रूप में नौकरियों को कम किया गया। लोगों को वी.आर.एस. देकर छंटनी की गई और फैक्ट्रीज को बंद किया गया, संस्थानों को बेचा गया। यह सब डब्ल्यू.टी.ओ. और विश्व बैंक के प्रभाव में आकर किया जा रहा है। नौकरियां कम की जा रही हैं, एक तरह से हमारे देश के नौजवान बेरोजगार हो रहे हैं, उनमें कुंठा व्याप्त हो रही है। 20,000 पदों पर नौकरी के लिए 20 लाख आवेदन आते हैं। जब नौजवान कालेज से पढ़कर निकलता है तो अपने को योग्य समझता है लेकिन भर्ती के नाम पर जब हम 20 लाख नौजवानों में से 19 लाख 80 हजार नौजवानों को अयोग्य बनाकर छोड़ देते हैं तब उन नौजवानों के मन में कुंठा का भाव आता है और वे अपने को हीन समझने लगते हैं। संविधान के नीति-निर्देशक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए यह राज्य की जिम्मेदारी है कि वह देश के नागरिकों के हितों के लिए कानून बनाए, न कि डब्ल्यू.टी.ओ. के निर्देश पर कानून बनाए। हमें देखना चाहिए कि किस तरह से हम अपने नौजवानों को नौकरी दे सकते हैं। लेकिन आज तो निजीकरण हो रहा है और साथ ही साथ आरक्षित वर्ग के दायरे में भी बढ़ोत्तरी की जा रही है। एससीएसटी की संख्या की बढ़ोत्तरी, बैकवर्ड की संख्या की बढ़ोत्तरी। इस तरह का दोहरा विचार सरकार को त्यागना चाहिए।

[श्री बालकृष्ण चौहान]

आज क्षेत्रवाद और भाषावाद के नाम पर जो हिंसा हो रही है, उसके लिए सरकार को कोई नीतिगत निर्णय करना चाहिए। डा. भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान बनाते समय अपने लोगों को कहा था कि मैं आपको राजनैतिक अधिकार तो देकर जा रहा हूं लेकिन जीवन के प्रत्येक पहलू में, सामाजिक-आर्थिक गैर-बराबरी बनी रहेगी और उसके लिए संघर्ष करने की जरूरत है तथा जिसकी रूपरेखा नीति-निर्देशक तत्वों में समाहित की गयी है। मैं चाहूंगा कि सरकार बेकारी और गरीबी को दूर करने के लिए कोई ठोस नीति तय करे। केवल कुछ नौकरियां कंप्यूटर सैक्टर में देकर हम इस समस्या को दूर नहीं कर सकते हैं और देश आगे नहीं बढ़ सकता है। हम रोज अखबारों में पढ़ते हैं कि फलां जगह भूख से मृत्यु हो रही हैं। बिहार का जो मसला है वह गरीबी से जुड़ा हुआ मसला है और भूमि सुधार कानून के अभाव का मसला है। वहां पर अधिकांश आबादी के रहने के लिए घर नहीं है, घर बनाने के लिए जमीन नहीं है। बिहार के लोग मजदूरी करने के लिए पंजाब, हरियाणा और दिल्ली आते हैं। ट्रेनों को छतों के ऊपर चढ़कर आते हैं और कुछ तो ट्रेनों से गिरकर मर भी जाते हैं। इस समस्या पर भी हमें ध्यान देना होगा। आज 10-20 लोगों की मौत पर सदन में चर्चा हो रही है, लेकिन ऐसी घटनाओं का भी हमें संज्ञान लेना चाहिए। वहां की सरकार को भूमि-सुधार करके खेतिहर मजदूरों की दशा में सुधार करने की ओर भी कदम बढ़ाना चाहिए जिससे वे दूसरे प्रदेशों में मजदूर बनकर जाने का काम न करें। वे अपने प्रदेश में रहकर, गांव में खेती करके अपना जीवन-यापन करें।

श्री राजेन गोहेन (नौगांव): उपाध्यक्ष जी, असम और बिहार में जो घटनाएं घटी हैं वो क्यों हुई और उनके लिए कौन जिम्मेदार है तथा उनके पीछे कौन सी शक्तियां हैं, उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। सभी लोगों को मालूम है कि असम में उल्फा ने हिंदी भाषियों के ऊपर कई दफा आक्रमण किये हैं और कई हिंदी-भाषियों की गोली मारकर हत्या की है। मैं अपनी पार्टी की तरफ से संसदीय समिति में आसाम गया था। उल्फा का अस्तित्व कहां है? उसके लोग बंगला देश में रहते हैं। उस समय शायद बिहार के कारण यह प्रक्रिया नहीं हुई थी, क्योंकि बिहार के लोगों को मालूम था कि असम के लोगों ने यह हत्या नहीं की है। हत्या एक्स्ट्रीमिस्ट ने की है।

जहां तक अभी हाल की घटना का सवाल है, यह घटना रेलवे में विभिन्न पदों-असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, गार्ड, ड्राइवर और जूनियर इंजीनियर-पर बिहार के लोगों के भरने के कारण हुई। इन पदों पर असम के लोगों ने भी भरा था, लेकिन जब रिजल्ट आया, तो केवल बिहार के लोगों को ही एपाइंटमेंट मिला और असम के लोगों को एपाइंटमेंट नहीं मिला। शायद एक-दो पदों में असम के लोग नजर आये। इसलिए आल-असम-स्टूडेंट-यूनियन ने कहा कि असम के लोगों को ये पद मिलने चाहिए। असम में रहते हुए, असम के लोगों को, स्थानीय लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए। इस हिसाब से जब काम नहीं हुआ, तो उन्होंने धीरे-धीरे नाराजगी दिखाई। यह सवाल केवल "सी" और "डी" कैटेगरी का नहीं है, अन्य पदों का भी है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए, आल-असम-स्टूडेंट-यूनियन के नेतृत्व में बिहार के लोगों को बाधा देने की कोशिश की। जो इन्टरव्यू होना था, उसमें बाधा उत्पन्न की। इसी बात को बिहार के दैनिक जागरण में दिखाया कि असम के लोगों ने बिहार के लोगों को मारपीट करके भगा दिया। यह बात सच नहीं है। इन लोगों ने केवल एग्जाम में बैठने में बाधा पहुंचाया, उससे ज्यादा कुछ नहीं किया था। वास्तविकता यह है कि इस स्थिति का फायदा उठाने के लिए एक शक्ति वहां बैठी हुई थी, जो यह सोच रही थी कि कैसे इससे फायदा उठाया जाए। इस घटना को किस तरह से साम्प्रदायिक रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, इसके लिए षडयन्त्र रचा जा रहा था। यह घटना जब अखबारों में आई, तो बिहार के लोग 10 तारीख को ट्रेन से असम से आ रहे थे, जो 11 तारीख को बिहार पहुंचे। लेकिन दो-तीन किलोमीटर पहले ही उनको जमालपुर में रोक दिया गया और ट्रेन को तीन-चार घन्टे डिटेन करके रखा गया। हजारों लोग जमालपुर में इकट्ठे हो गए, लेकिन वहां चार घन्टे तक उनकी मदद करने के लिए या रैस्क्यु देने के लिए नहीं आया। जब ट्रेन जमालपुर पहुंची, तो वहां प्रशासन के लोग, पुलिस, मजिस्ट्रेट आदि सभी लोग वहां खड़े थे। इसका सीधा मतलब यह है कि घटना के बाद जब लोग आयेंगे, तो उन लोगों की सहायता करने के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन वहां उनको रेस्क्यु देने के लिए कोई नहीं गया। मेरे विचार से ऐसी गई घटनायें हैं, जिनके बारे में मैं सदन का बताऊंगा। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि बिहार में लालू प्रसाद जी की सरकार में कांग्रेस शामिल है। पोलिटिकल बैनिफिट लेने के लिए कांग्रेस भी उसमें शामिल हो गई। मैं चाहता हूं कि इसकी जांच सरकार द्वारा करनी चाहिए। स्थिति यह है कि 11 तारीख से लेकर 14 तारीख तक, यानि तीन दिन तक कोई प्रोटैक्शन पुलिस विभाग ने नहीं दी और सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की गई। 14 तारीख को असम में इसकी प्रतिक्रिया शुरू हुई तो इसको कंट्रोल किया। जब असम में इसका असर दिखायी दिया तो कांग्रेस सरकार जो वहां है, उसने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे बिहारियों की सुरक्षा की व्यवस्था हो सके। 17 नवम्बर को आल असम स्टूडैंट्स यूनियन ने बंद का आह्वान किया। तब हमने महसूस किया कि इस बंद से हिंसा की घटना शुरू होगी। मैं और मेरे कोलिग विजय चक्रवर्ती, इन्द्रमणि बोरा जी तीनों सांसद आसू के आफिस में पहुंच गये और उनसे कहा कि आप ठीक मांग कर

रहे हैं, यह मांग कीजिए और डैमोक्रेसी के अंतर्गत जो काम करना है, कीजिए लेकिन हिंसा का आश्रय मत लीजिए। हमने उनको समझाया लेकिन फिर भी घटना घटी। हम जैसे लोगों को मालूम था कि इसके बाद कोई घटना होगी लेकिन क्या वहां की सरकार को मालूम नहीं था कि इसके बाद कुछ होने वाला है। उसने इस बंद का सपोर्ट किया था। खुले आम बिहारी लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ। 17 तारीख को बंद के दौरान के.वी. देव काम्पलैक्स के सामने चीफ मिनिस्टर के घर से 230 मीटर दूर बिहारी झोंपड़ी को जला दिया। उन्हें कोई प्रोटैक्शन नहीं मिला। धीरे-धीरे ये हिंसा की घटनाएं बढ़नी शुरू हो गयी। जब 17 नवम्बर को बंद का आह्वान किया था तो सरकार ने किसी प्रकार की पैरा मिलिट्री फोर्सिज, पुलिस फोर्सिज को रास्ते में पैट्रोलिंग में नहीं लगाया। मैदान खुला रखा। यदि कोई कुछ करना चाहता है तो आराम से करो, कोई बाधा नहीं है। इससे साफ दिखायी देता है कि बिहारी लोगों पर हमला करो, उसे होने दो जिससे बिहारी लोग यहां से भाग जाएं। इस प्रकार सारे असम में घटनाएं होनी शुरू हो गईं। 17 नवम्बर को आसू ने बंद का आह्वान किया तो उल्फा ने अखबार में एक स्टेटमैंट दिया था कि बिहारी को बिहारी कहा जाएगा और इसका क्या परिणाम होता है, हम यह अब दिखाएंगे, इनके परिणाम बिहारी के लिए भयंकर होंगे। पहले भी ऐसी घटनाएं घटी थीं लेकिन इस बार उल्फा इसके साथ जुड़ गया जो बात देखने की है। 17 नवम्बर को उल्फा ने कहा कि हम बिहारी को नहीं छोड़ेंगे। उसी दिन धुबरी में 11 और 12 बिहारियों की गोली से हत्या कर दी, अपर असम में हत्या कर दी। ये घटनाएं चारों तरफ होने लगीं। बिहार में घटना होने के बाद असम में उसका जो असर हुआ, वह भी गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के सामने गांव में हुआ जिसे गाड़ी गांव कहते हैं। उन्होंने उसके आसपास जो लोग रहते हैं उनके ऊपर हमला किया। इससे लगता है कि सरकार सिर्फ दर्शक बन कर रह गई। सरकार को जो कदम उठाने चाहिए थे, वे उसने नहीं उठाए। इस कारण इतनी बड़ी घटनाएं हो गईं।

आचार्य जी ने कहा कि यदि कोई घटना होती है तो आईएसआई को खींच कर क्यों लाते हैं? इसके पीछे आईएसआई है। आप जानते हैं कि आज असम में क्या स्थिति है? असम में असमी कम्युनिटी का अस्तित्व क्या है? वहां उनका अस्तित्व नहीं है। सारे असम को बंगलादेशियों ने घेर लिया। पिछले 30 साल का इतिहास देखें तो असम में 1972 में एक भाषा आन्दोलन हुआ था। उसमें कहा गया था कि असम में असमी चलेगी लेकिन किन ने किस तरह का इशू खड़ा कर दिया उसके ऊपर एक आन्दोलन शुरू हो गया। उस आन्दोलन में बंगलादेश से आए मुसलमानों ने कहा कि असम में असमी लोगों को कहेंगे यह हमारी मदर लैंग्वेज है। उस समय असमी और बंगलादेशी मुसलमान एक साथ हो गए और उस समय असमी को सपोर्ट किया था।

अपराह्न 3.00 बजे

उस समय असमी बांगलादेशी मुसलमानों के साथ हो गये, असम को सपोर्ट किया था और बंगाली हिन्दुओं पर आक्रमण हुआ और वे लोग मारे गये। उसके बाद 1979 में आन्दोलन शुरू हुआ-'विदेशी हटाओ असम से।' उस समय असम में कांग्रेस की सरकार थी। 1983 में जब आन्दोलन फिर शुरू हुआ, उस समय भी कांग्रेस की सरकार थी। आन्दोलन के चलते काफी हंगामा हुआ। बंगाली मुसलमानों ने हिन्दुओं पर हमला किया। असम के कई गांव ऐसे हैं जहां हिन्दू लोग माइनौरटीज में हैं और मुसलमानों की मेजारिटी है। इसी आधार पर कुछ लोगों ने रिएक्शनरी फोर्सेज ने हिन्दू गांवों पर आतंक पैदा कर दिया। इस कारण हिन्दू अपने गांव में वापस जाने से डरता है। इसी डर से जगह खाली कर देते हैं और घर छोड़ कर चले जाते हैं। उस समय भी कांग्रेस की सरकार थी। 1993 में घटना हुई, 6 दिसम्बर को बाबरी मस्जिद डिमौलिश हुई, उस समय असम में भी कम्युनल रायट्स हुए। मुसलमान लोगों ने हिन्दुओं पर काफी अत्याचार किया। मेरे इलाके नौगांव के दबका गांव में मैजारिटी मुसलमानों ने माइनौरटीज हिन्दुओं को जिन्दा जला दिया। मैं जिस क्षेत्र में रहता हूं वहां के इंचार्ज ने गुंडावाहिनी भेजकर कहा कि तुम लोग जाओ, हम पीछे आ रहे हैं लेकिन बगल के जितने घर थे, वहां तोड़ा-फोड़ी की और हमारे लड़के मारे। उस समय कांग्रेस की सरकार थी और आज 2003 में भी यह घटना हुई है, तब भी कांग्रेस सरकार में है। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि इसमें असमी ग्रुप इनवाल्व नहीं है। असमियों ने कभी बिहारी लोगों के साथ ऐसा नहीं किया कि वहां बिहारी इलैक्शन में खड़े होते हैं तो असमिया लोग उन्हें वोट देते हैं। उनके साथ बिहारियों के अच्छे संबंध हैं। उलफा ने बिहारियों को टारगैट करके मारा है, उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। अब रेलवे रिक्रूटमेंट को लेकर रिएक्शन हुई है। इसके पीछे इनका बहुत बड़ा हाथ है। बिहारी लेबर की जो जगहें खाली हुई हैं, वे बांगलादेशी मुसलमानों द्वारा फिलअप कर दी गई हैं। यह आन्दोलन 1972 में शुरू हुआ था और असम के लोगों को डरा धमका कर यह जगह खाली करवा कर उन लोगों को दखल करना है।

उपाध्यक्ष जी, मेरे असम में 126 विधान सभा क्षेत्र हैं। जहां पहले नहीं लेकिन आज 40 क्षेत्रों में बांगलादेशी कम्युनिटी के लोग हैं। धीरे-धीरे ये लोग बढ़ते जा रहे हैं और असम के लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है और कांग्रेस सरकार के समय में इन लोगों का जबरदस्ती दखल देना शुरू कर दिया है। हमें दिखाई दे रहा है कि कुछ दिनों में आसाम, आसाम नहीं रहेगा, यह सैकिंड कश्मीर हो जायेगा। यह कोई साधारण घटना नहीं है, यह बहुत सालों से चल रहा है। इसके पीछे एक बड़ा षडयंत्र है। बिहार के लोगों को वहां से हटाकर विशेष कम्युनिटी

[श्री राजेन गोहेन]

के लोगों के लिए लाभ लेने की व्यवस्था वहां चल रही है और इसमें हर समय कांग्रेस मदद करती है और आगे भी करती रहेगी। आज असम में ला एंड आर्डर की सिचुएशन ठीक नहीं है। एक तारीख को वहां म्युनिसिपैलिटी के इलैक्शन हुए हैं। मेरे सामने मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पुलिस खड़ी थी, वहां लोग रिगिंग कर रहे थे, मैंने कहा कि इन्हें हटाइये। वहां पूरी पुलिस फोर्स थी। कांग्रेस के करीब सौ-डेढ़ सौ लोगों ने मेरे ऊपर हमला किया और पुलिस ने उन्हें हटाने की कोशिश नहीं की। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पवन सिंह घाटोवार: उपाध्यक्ष महोदय, वे सदन को गुमराह कर रहे हैं। विधान सभा चुनावों में भा.ज.पा. बहुत बुरी तरह हारी थी। वे चुनाव हार गए हैं और अब वे कह रहे हैं कि चुनावों में गड़बड़ी हुई है। यह उनकी हताशा को दर्शाता है ...*(व्यवधान)* यदि उन्हें कोई शिकायत है तो वे अपनी शिकायत उचित फोरम में दर्ज करा सकते हैं परन्तु उन्हें सभा को इस प्रकार गुमराह नहीं करना चाहिए ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री राजेन गोहेन, कृपया अब अपनी बात समाप्त करें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजेन गोहेन: असम में ला एंड आर्डर की क्या स्थिति है, यह मैं बताने जा रहा हूं। वहां मुझे अटैक किया, पूरी पुलिस फोर्स थी, लेकिन किसी ने उन्हें मना नहीं किया कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो।

[अनुवाद]

श्री पवन सिंह घाटोवार: महोदय, वे चुनाव हार चुके हैं। भा.ज.पा. विधान सभा चुनावों में पूरी तरह साफ हो गई थी लेकिन अब वे कह रहे हैं कि चुनावों में गड़बड़ी हुई थी ...*(व्यवधान)* यह उनकी हताशा को दर्शाता है।

उपाध्यक्ष महोदय: अभी तक यह चर्चा सही चल रही थी और सौहार्दपूर्ण ढंग से चल रही थी। लेकिन अब आप उन मुद्दों के बारे में बात कर रहे हैं जो चर्चा के अंतर्गत विषय से संबंधित नहीं है।

[हिन्दी]

श्री राजेन गोहेन: आज असम के अंदर कांग्रेस का जो शासन चल रहा है, उसमें और कितनी घटनाएं होंगी, आप देखते रहिये। ...*(व्यवधान)* उपाध्यक्ष महोदय, कुछ दिन पहले अखबारों में बयान आया था ...*(व्यवधान)* आसाम में बहुत कुछ होने वाला है।

उपाध्यक्ष महोदय: मि. गोहेन, आप सब्जैक्ट पर बोलिये, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं।

श्री राजेन गोहेन: असम में बहुत घटनाएं होने वाली हैं। कांग्रेस शासन में कारबी आंगलोंग में कुछ दिन पहले कितनी सांप्रदायिक घटनाएं हुई है और ये होती रहेंगी, वहां मुसलमान ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पवन सिंह घाटोवार: महोदय, असम में शुरू से ही मुसलमान आबादी रही है। पूर्व में भारत के एक राष्ट्रपति असम से थे और वे मुसलमान थे। ...*(व्यवधान)* वे जो कह रहे हैं वह सही नहीं है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजेन गोहेन: उपाध्यक्ष महोदय, आज बिहारियों के ऊपर हमला हुआ है, कुछ दिन बाद बंगालियों के ऊपर हमला होगा। जब तक वहां कांग्रेस रहेगी, आसाम कभी शांत नहीं रहेगा और कांग्रेस के शासन में आसाम सैकिंड कश्मीर बन जायेगा या बंग्लादेश बन जायेगा। वहां कांग्रेस शासन में कोई सुरक्षित नहीं रह सकता, इसलिए आसाम में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, यही मेरी मांग है। ...*(व्यवधान)* आप हिस्ट्री देखिये, रिकार्ड देखिये।

श्री प्रभुनाथ सिंह: घाटोवार जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं कि यदि उनकी बात गलत है तो आसाम में समता पार्टी के कार्यालय पर हमला होने का क्या कारण था। यदि वहां राजनीतिक षड्यंत्र नहीं था तो समता पार्टी के कार्यालय पर हमला क्यों किया गया।

श्री पवन सिंह घाटोवार: कांग्रेस पार्टी ने हमला नहीं किया है, यह मैं अथारिटी के साथ बोलता हूं।

श्री प्रभुनाथ सिंह: समता पार्टी के कार्यालय पर हमला किया गया और वहां सुनियोजित षड्यंत्र हुआ है।

श्री पवन सिंह घाटोवार: नहीं, नहीं, वहां कोई सुनियोजित षड्यंत्र नहीं है। वहां इलैक्शन हुआ, लोगों ने बी.जे.पी. के विरुद्ध वोट दिये। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: आप इस चर्चा को खराब कर रहे हैं। कृपया अपने स्थान पर बैठें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा (कनारा): बिहार में किसने हमला किया *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: इतना हारमोनियसली डिस्कशन हो रहा था।

[अनुवाद]

श्री माधव राजवंशी (मंगलदोई): उपाध्यक्ष महोदय, मैं नवम्बर माह में असम में पैदा हुई स्थिति के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि रेल भर्ती बोर्ड ने 9 नवम्बर को गुवाहाटी में समूह 'घ' की 2,720 रिक्तियों को भरने हेतु एक परीक्षा का आयोजन किया था। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर चार उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र किन्हीं अन्य उम्मीदवारों ने छीन लिए। यह 9 नवम्बर को गुवाहाटी में आयोजित होने वाली परीक्षा में भाग लेने जा रहे उम्मीदवारों के बीच पहला टकराव था। मैं नहीं जानता कि उन्होंने बिहार में इसकी क्या कहानी बनाई। लेकिन 11 और 12 नवम्बर को असमी यात्रियों, जो दिल्ली व अन्य स्थानों से असम जा रहे थे और असम से अन्यत्र जा रहे थे, को कुछ गुंडों व बदमाशों ने कटिहार के निकट के स्टेशनों और जमालपुर रेलवे स्टेशन पर लूटा, छीना-झपटी की, छेड़खानी की और निर्दयता से हत्या कर दी। टेलीविजन और समाचार पत्रों में इसे बड़े पैमाने पर दिखाया गया कि असमी यात्रियों पर हमला हुआ और उन्हें लूटा गया। महिला यात्रियों के साथ छेड़खानी की गई। समाचार पत्रों में यह बड़े पैमाने पर प्रकाशित हुआ और टेलीविजन के समाचारों में भी इसे दिखाया गया। असम में असमी लोगों में आक्रोष पनपने लगा। लेकिन 9 नवम्बर को होने वाली परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से हो गई। उसमें व्यवधान नहीं डाला गया। साक्षात्कार में भी किसी को परेशान नहीं किया गया। अगले रविवार, 16 नवम्बर को एक और परीक्षा गुवाहाटी में होनी थी। वह भी शांतिपूर्वक हो गई। किसी को परेशान नहीं किया गया। किसी को भी साक्षात्कार में भाग लेने से नहीं रोका गया।

17 नवम्बर को आल-असम स्टूडेंट्स यूनियन ने 24 घंटे के बंद का आह्वान किया। यह सुबह 5.00 बजे से 24 घंटे के लिए शुरू हुआ था। उसी रात कुछ बदमाशों ने असमी-भाषी बिहारियों पर हमला कर दिया। उन पर हमला कहां हुआ था? यह बात महत्त्वपूर्ण है कि उन पर दरांग, बोंगाईगांव और तिनसुकिया जिलों में हमला हुआ था। ये तीन जिले सीमावर्ती क्षेत्रों में हैं। दरांग जिला भूटान से लगा हुआ है। तिनसुकिया और बोंगाईगांव जिले भी सीमावर्ती क्षेत्रों में हैं।

मैं माननीय सभा का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि वर्ष 2000 में उल्फा ने 105 बिहारियों की हत्या की थी। उस समय से ही उन पर हमला हो रहा है और वे हिंदी-भाषी लोगों के विरुद्ध दुष्प्रचार कर रहे हैं। अब असम में भी उल्फा ने हिन्दी फिल्मों के प्रदर्शन में व्यवधान डाला है। जिस रात बंद का आह्वान किया गया था, उसी रात असम के कुछ क्षेत्रों में बिहारियों पर हमले हुए थे। सरकार ने तत्काल कार्यवाही की है। सुरक्षा को कड़ा किया गया था। सभी बिहारी व्यक्ति एक साथ एकत्रित हो गए थे। सी.आर.पी.एफ. और सेना के जवानों को प्रत्येक स्थान पर भेजा गया था। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक घर जलाया गया था। जिला प्रशासन ने स्थानीय लोगों की सहायता से मेरे सामने 12 घंटे के अंदर-अंदर उस घर का निर्माण कर दिया था। मैं वहीं था। उल्फा और एन.डी.एफ.बी. लोगों की भावनाओं को भड़काकर उसका लाभ उठा रहे हैं। कोई भी इससे इन्कार नहीं कर सकता। लेकिन यह झगड़ा असमियों और बिहारियों के बीच नहीं है, यह मुसलमानों और असमियों के बीच का संघर्ष नहीं है। यह सब झूठ है। वे असम का इतिहास नहीं जानते।

वहां के एक सरकारी महाविद्यालय में स्वर्गीय श्री कामाख्या प्रकाश त्रिपाठी जी प्रधानाचार्य थे। वे एक बिहारी थे। उन्होंने वर्ष 1920 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में, असम में, सर्वाधिक अंक प्राप्त किए थे *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजेन गोहेन: उपाध्यक्ष महोदय, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि असमी और बिहारी में तालमेल नहीं है। मैं हमेशा से कहता आ रहा हूं कि बिहारी और असमी में बहुत तालमेल है *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री माधव राजवंशी: स्वर्गीय श्री कामाख्या प्रकाश त्रिपाठी संसद सदस्य थे और वे असम सरकार में 20 वर्ष तक मंत्री रहे थे। मुझे हाई स्कूल में एक बिहारी-भाषी अध्यापक ने पढ़ाया था। श्री फखरुद्दीन अली अहमद भी एक हिन्दी भाषी व्यक्ति थे। वे भारत के राष्ट्रपति थे और वे पहले असम से ही एक संसद सदस्य के रूप में चुने गए थे। श्री मतंग सिंह असम से ही चुने गए थे। वे भी एक हिन्दी भाषी व्यक्ति ही थे।

[हिन्दी]

श्री राजेन गोहेन: उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य मेरी बात को गलत ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं। मैंने ऐसा नहीं कहा। ...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन: आप उन्हें बोलने दीजिए। क्या आप किसी को बोलने भी नहीं देंगे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री गोहेन, कृपया अब व्यवधान न डालें।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: जो श्री राजवंशी बोलेंगे उसके अलावा और कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री माधव राजवंशी: महोदय, श्री गोहेन ने बंगलादेश के बारे में बात की है। बंगलादेश का जन्म 24 मार्च, 1971 को हुआ था। वे बंगलादेश के बारे में क्यों बोल रहे हैं? ...*(व्यवधान)* मैं इनके और इनके साथियों के बारे में बोलूंगा। इनके साथियों ने ए.ए.एस.यू. के कार्यालय में जो कहा है मैं उसके बारे में बोलूंगा।

महोदय, यह उम्मीदवारों के बीच झड़प के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। असमी यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार और लूटपाट क्यों हुई? उनका अपराध क्या था? उनका क्या दोष था? किसने उन लोगों को भड़काकर यह स्थिति पैदा की? किसने उन्हें इन लोगों पर आक्रमण करने के लिए उकसाया? मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता परन्तु मैं इस सदन के सभी माननीय संसद सदस्यों से यह अनुरोध करता हूं कि वे किसी को न भड़काएं, न ही किसी एक समाज को किसी दूसरे के विरुद्ध भड़काएं फिर चाहे वे असमी हों या बिहारी। महोदय, आज असम में 20 लाख बिहारी हैं। हमने बिहारियों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए हैं। हमने बिहारी अध्यापकों को अपने विद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों के रूप में नियुक्त किया है।

उन्होंने डिब्रूगढ़ जिले के बारे में बात की है। डिब्रूगढ़ जिले के जिलाधीश और पुलिस अधीक्षक बिहारी हैं। तिनसुकिया के पुलिस अधीक्षक ...*(व्यवधान)* मैं श्री गोहेन से यह जानना चाहूंगा कि क्या डिब्रूगढ़ जिले के जिलाधीश और पुलिस अधीक्षक बिहारी नहीं हैं? वे यह नहीं जानते। वे असम में नगरपालिका के सभी स्थानों पर हार चुके हैं। वे हताशा में बोल रहे हैं।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री राजेन गोहेन: उपाध्यक्ष महोदय, यदि ऐसा है, तो माननीय सदस्य को बोल देना चाहिए कि यह सब का सब हमारा है। इसमें कोई लड़ाई की जरूरत नहीं है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री माधव राजवंशी: महोदय, असम सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सुरक्षा बल प्राप्त करने के लिए असम के मुख्यमंत्री ने भारत के माननीय उप प्रधानमंत्री को 14 पत्र लिखे। उन्होंने इस मामले पर माननीय प्रधानमंत्री तथा माननीय उप प्रधानमंत्री से फोन पर भी बात की थी। विलम्ब किये बिना केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल सहित सभी सुरक्षा बल पूरे जनपद में तैनात किये गये। यहां तक कि ईंट-भट्ठे में काम करने वाले मजदूरों की भी रक्षा की गयी।

असम के मुख्यमंत्री ने सभी संभव सुरक्षोपाय किये थे। एक सप्ताह के अंदर कुल 885 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और 713 व्यक्तियों के विरुद्ध मामले दर्ज किये गये। 72 घंटे के भीतर स्थिति पर नियंत्रण पा लिया गया। ...*(व्यवधान)* असम में यह भड़काऊ स्थिति किसने पैदा की यह स्थिति क्या मैंने या असम के मुख्यमंत्री ने पैदा की अथवा भाजपा के शीर्ष नेताओं ने पैदा की जो आसू के दफ्तर में गये। मैं उन भाजपा नेताओं का नाम नहीं लेना चाहता जिन्होंने आसू छात्रों से असमी भाषा में बातें की। उन्होंने उनसे असमी में जो कहा उसका तात्पर्य यह है: "तुरन्त जाओ और रेलवे कार्यालय को तहस-नहस कर दो।" ...*(व्यवधान)*

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा: महोदय, वे लोग इन्हें बोलने नहीं दे रहे हैं ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री राजेन गोहेन, कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइये। कृपया उनके बोलने में बाधा न पहुंचाये।

श्री माधव राजवंशी: महोदय 16 नवम्बर, 2003 के दैनिक असमी समाचार पत्र 'खबर' में यह बात छपी थी। और 19 नवम्बर उसी नेता ने यह बात कही। उसने क्या कहा? उसने असमी भाषा में जो कहा उसका हिन्दी अनुवाद इस प्रकार है

[हिन्दी]

अभी तक असम में बिहारी लोग है, वहां बिहारी लोग क्यों हैं। मैंने और चीफ मिनिस्टर ने नहीं बोलना, यह बीजेपी के एक टापमोस्ट लीडर ने बोला था, वह असम का है।

[अनुवाद]

अब आप ही बतायें यह स्थिति किसने पैदा की। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: राजवंशी, कृपया अब अपनी बात समाप्त करें।

श्री माधव राजवंशी: महोदय, मैं थोड़ा सा और बोलूंगा।

महोदय, मैं माननीय रेलमंत्री जी जो हमारे पुराने साथी हैं का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि रंगपाड़ा लाइन, उदालगुड़ी तथा रोउता स्टेशनों के बीच रोंगिया से रंगपाड़ा तक की सड़क चौबीसों घंटे खुली रहती है। वहां पर न तो कोई चौकीदार था और न ही कोई गैंगमैन, वहां पर कोई नहीं था। वहां पर 1 दिसम्बर को हुई एक दुर्घटना में एक मालगाड़ी सहित सात लोग घायल हो गये। उनमें तीन लोगों को गुवाहाटी मेडिकल कालेज के सघन चिकित्सा कक्ष में भर्ती कराया गया और उनमें से चार व्यक्तियों को मंगलदोई सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। उस स्थान पर कोई चौकीदार, कोई गैंगमैन नहीं था। यदि हम असम में किसी बिहारी को गैंगमैन, खलासी के रूप में नियुक्त कर दें और यदि हम असमी लोगों को चेन्नई में खलासी या चौकीदार के रूप में नियुक्त कर दें या किसी चतुर्थ श्रेणी में नियुक्त कर दे तों क्या उस राज्य के बेरोजगार छात्र हमें ऐसा करने देंगे।

महोदय, असम में 18 लाख से भी अधिक लोगों ने रोजगार के लिए अपना पंजीकरण कराया है। श्री पी.के. महंत के नेतृत्व वाली पिछली सरकार द्वारा केन्द्र सरकार के साथ हुए एक समझौता ज्ञापन के कारण असम में एक भी व्यक्ति की नियुक्ति नहीं की गयी। एक भी व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया गया। इसके कारण यहां अब बेरोजगारों की संख्या 18 लाख से अधिक हो गयी है। हमें रेल विभाग में न तो खलासी की नौकरी मिलती है और न ही गैंगमैन की। इतना ही नहीं, रेलवे क्रासिंग पर किसी को तैनात नहीं किया जाता।

वास्तव में, यह रेल विभाग की विवादित भर्ती नीति के कारण हुआ है। 1971 में रेल मंत्री श्री सफी कुरैशी ने इस सभा को यह सूचित किया था कि रु. 500/- तक की मूलवेतन वाली नौकरियों में स्थानीय रोजगार केन्द्र के माध्यम से स्थानीय युवकों की भर्ती की जायेगी। आपने इस भर्ती नीति को बदल दिया है। अब ये नौकरियां हर किसी के लिए खुल गयी है। यह मद्रासी, असमी, बिहारी, पंजाबी तथा उत्तर प्रदेश में रहने वाले सभी व्यक्तियों के लिये खुली हैं। लेकिन असम में अब एक भी असमी लड़के की नियुक्ति वहां के किसी रेलवे फाटक पर नहीं होती।

महोदय, मैं आप से अनुरोध करना चाहूंगा कि यहां हमें बंगलादेशियों के बारे में बातें नहीं करनी चाहिए। असम की कुल जनसंख्या में 70 लाख लोग मुसलमान है। भाजपा और एजीपी दोनों ने ही कहा है कि असम में 70 लाख विदेशी हैं। इसका मतलब यह हुआ कि फखरुद्दीन अली अहमद सहित सभी मुसलमान असम के लिए बाहरी व्यक्ति है। असम के लिए वह भी बाहरी व्यक्ति है। ऐसा नहीं होना चाहिए।

महोदय, अब्दुल मलिक यहां के एक अच्छे लेखक हैं। वह राज्य सभा सदस्य थे। उन्होंने साहित्य अकादमी से पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। इसलिए इन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हम असम में शांति चाहते हैं। हम किसी के विरुद्ध कोई दोषारोपण नहीं कर रहे है। असम में प्रत्येक समुदाय और जाति के लोग शांतिपूर्वक रहना चाहते हैं।

इसलिए, आपके माध्यम से मैं माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि वह तुरन्त रेल विभाग की भर्ती नीति में परिवर्तन करें। चाहे असम हो, बिहार हो, राजस्थान हो या कोई दूसरा राज्य हो सब स्थानीय लोगों को भर्ती किया जाना चाहिए। रेलवे भर्ती बोर्ड को यह नीति अपनानी चाहिए।

अंत में, जैसा कि मेरे वरिष्ठ सहयोगियों ने अपने भाषण में कहा है कि किसी भी उग्रवादी, अलगाववादी या अपराधी के भाषण को किसी भी अखबार के पहले पृष्ठ पर नहीं छापा जाना चाहिए। केन्द्र सरकार को इस पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। ये लोग टी.वी. अथवा दूसरे माध्यमों से जनता को भड़काते हैं। प्रतिबंधित संगठनों के वक्तव्यों को खुलेआम समाचार पत्रों, दूरदर्शन और दूसरे माध्यमों से प्रचारित किया जाता है। केन्द्र सरकार को इस पर तुरन्त रोक लगा देनी चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में इस गम्भीर और संवेदनशील विषय पर चर्चा हो रही है। खास करके इस चर्चा में जिन माननीय सदस्यों ने भाग लिया है, उन्होंने दलों की सीमाओं से ऊपर उठकर चर्चा करने की कोशिश की है और क्षेत्रीयता से ऊपर उठकर एक मर्यादा में, शालीनता के साथ चर्चा करने की कोशिश की है, जैसा आसन से भी कहा गया था।

यह विषय इतना गम्भीर है कि समस्या और घटनाक्रम पर काफी लम्बी चर्चा हुई है कि क्या घटनाक्रम है, किस तरह की घटना है, हिंसात्मक वारदातें किस आड़ में हुई हैं। रेलवे भर्ती नीति का नाम देकर जिस तरह से नफरत और क्षेत्रवाद फैलाया गया है, उसकी हम निन्दा करते हैं। राष्ट्रीय एकता और अखंडता को

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव]

अक्षुण्ण रखने की ओथ राज्य सरकारें भी लेती हैं और केन्द्र सरकार भी लेती है। आज यह जो समस्या उत्पन्न हुई है, उसमें प्रारम्भिक दौर में इस पर रोक लगाने की क्या-क्या कार्रवाई की गई, चाहे संबंधित राज्य सरकार असम की हो, चाहे जमालपुर में या कटिहार में जो कुछ घटनाएं घटीं और इसके बाद महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश तक यह क्षेत्रीयता का जहर फैल गया। इसमें भाषा का भी सवाल है। रेलवे भर्ती के लिए ग्रुप डी की परीक्षा गोवाहाटी केन्द्र पर देने के लिए जब अधिकतर हिन्दी भाषी बिहार के बेरोजगार युवक असम जा रहे थे तो इस घटना की शुरूआत वहीं से हुई। उस समय परिक्षार्थियों को यूनाइटिड लिब्रेशन फ्रण्ट आफ असम के उन्मादी कार्यकर्ताओं ने रास्ते में रोका। उनके साथ दुर्व्यवहार किया और उन्हें परीक्षा में बैठने नहीं दिया गया। इस घटना की प्रतिक्रिया स्वरूप दो दिन बाद बिहार में जमालपुर रेलवे स्टेशन पर कुछ उन्मादी लोगों ने, कुछ असामाजिक तत्वों ने, कुछ गुंडे लोगों ने जान-बूझकर हमारी भावनात्मक एकता को बिगाड़ने की कोशिश की। जमालपुर रेलवे स्टेशन पर असम जाने वाले छात्रों के साथ जो लूटपाट या आतंक फैलाने की घटना घटी, वह निश्चित रूप से निंदनीय है, भर्त्सना के योग्य है। उस घटना की जितनी भर्त्सना की जाये, निंदा की जाये, वह कम है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि असम में जो घटना घटी, जिस तरह से असम में क्षेत्रीय उन्माद फैलाया गया चाहे वह उल्फा संगठन हो या प्रतिबंधित संगठन हो, जिसके बारे में अभी पवन सिंह घाटोवार जी बता रहे थे मुझे जानकारी है कि वहां हिन्दी भाषा-भाषी मजदूरों की 700 से अधिक झोंपड़ियां जला दी गयी, 500 से ज्यादा छोटी-छोटी दुकानें लूटी गयीं और लगभग 60 से ऊपर हिन्दी भाषा-भाषी मजदूरों की निर्मम हत्या की गयी। यह बहुत निंदनीय है। वहां उन बेगुनाह लोगों की नृशंस हत्या की गयी जिनका कोई गुनाह नहीं था। हमारा कहना है कि इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।

इसके साथ-साथ यह भी कहा गया कि वहां की राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से पैरामिलिट्री फोर्सेज की मांग की। यहां पर गृह राज्य मंत्री श्री स्वामी जी बैठे हुए हैं। उन्होंने स्वयं इस घटना का निरीक्षण किया। उन्होंने असम का दौरा करके तथ्यों को इकट्ठा भी किया होगा। मैं कहना चाहता हूं कि समाचार पत्रों में आये दिन आता रहा कि असम सरकार द्वारा पैरामिलिट्री फोर्सेज की जितनी मांग की गयी, उतनी पैरामिलिट्री फोर्सेज नहीं दी गयी, यह कह कर राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकती। केन्द्र सरकार अपने दायित्व का भी निर्वहन कर ले तो अच्छा होगा। हम कहना चाहते हैं कि बासडीह में रहने वाले जो गरीब लोग हैं, भूमिहीन लोग हैं, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बिहारी मजदूर हैं, उनकी जमीन पर कब्जा किया गया, उनके घरों को जलाया गया। इसके साथ-साथ 60 से अधिक लोगों को जान से मारा गया तथा काफी लोग घायल हुए। वहां मजदूरों में भय और आक्रांत का वातावरण व्याप्त है। अभी श्री पवन सिंह घाटोवार जी ने ठीक कहा कि वहां पहले कभी इस तरह का वातावरण नहीं था।

उपाध्यक्ष महोदय, इस घटना का जहर इतना फैला कि महाराष्ट्र में भी ऐसी ही घटना घटी। महाराष्ट्र में रेलवे भर्ती की परीक्षा में जाने वाले जो छात्र थे, आवेदक थे, उनको भी स्टेशन पर रोककर पीटा गया। आज भले ही शिव सेना के माननीय सदस्य इस बात से मुकर जायें लेकिन शिव सेना के प्रमुख श्री बालासाहब ठाकरे जी ने एक बार बिहारियों को खदेड़ने संबंधी जिस भाषा का प्रयोग किया, मैं बहुत संयमित होकर कहना चाहता हूं कि उन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया, उसे भड़काऊ भाषा कहा जा सकता है। इसमें निश्चित रूप से कोई दो राय नहीं है कि हिन्दुस्तान की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने की शपथ राज्य सरकार भी लेती है और केन्द्र सरकार भी लेती है। इसलिए श्री बालासाहब ठाकरे जी का नाम वोटर लिस्ट से इलैक्शन कमीशन ने हटा दिया था। वे चाहे इसका कितना भी खंडन करें, इससे लगता है कि श्री बालासाहब ठाकरे जी का पहले से कोई हिस्टोरिकल करैक्टर है। क्या इस तरह से वे क्षेत्रवाद फैलायेंगे? आप नीतीश कुमार जी से मांग करें कि रेलवे की भर्ती में आप स्थानीय लोगों को तरजीह दें, तो इसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इस तरह से क्षेत्रीयता की भावना को उभारना ठीक नहीं है। छात्रों की रेलवे स्टेशन पर पिटाई करना ठीक बात नहीं है। उल्फा आतंकवादी क्षेत्रवाद फैलाते हैं। उल्फा आतंकवादी असम में कहते हैं कि बिहारी असम छोड़ें और दूसरी तरफ वे ऐसा कहें तो दोनों की भाषा मिलती जुलती है। यह बहुत खतरनाक कोशिश है। कोई व्यक्ति बदमाशी करे तो यह बात समझ में आ सकती है लेकिन कोई संस्था का प्रमुख ऐसा कहे तो यह ठीक नहीं है। लेकिन संविधान द्वारा गठित राज्य सरकार या केन्द्र सरकार इसमें ढिलाई बरती जाये, लापरवाही की जाये या उदासीनता बरती जाये तो वह कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। एक व्यक्ति से गलती हो सकती है। हम कहना चाहते हैं कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता में भाषा के आधार पर या हिन्दी भाषा-भाषियों को जिस तरह से आघात करके लोगों को, नौजवानों को भड़काया गया, उसमें कुछ अलगाववादी संगठनों का हाथ है। मैं कहना चाहता हूं कि समस्या पर काफी चर्चा हुई है। इसका निदान क्या है? इसका निदान यह है कि हिंसक घटनाओं पर नियंत्रण का दायित्व केन्द्र और राज्य सरकार दोनों का है। लोगों की जान-माल की रक्षा करना, एकता, अखंडता को अक्षुण्ण रखने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार पर भी है और केन्द्र सरकार पर भी है। एक-दूसरे को दोषी ठहराकर इससे बाहर नहीं निकल सकते। हमारे कुछ मित्र इस बहस को दूसरी दिशा में ले गए यानी बंगलादेश ले गए। कभी-कभी सच्चाई

को स्वीकार करना चाहिए। केन्द्र और संबंधित राज्य सरकार से जो चूक हुई है, उसे स्वीकार करना चाहिए तभी बहस किसी नतीजे पर पहुंच सकती है। हम आत्म-चिंतन करके इसके नतीजे तक पहुंच सकते हैं। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अब आप कनक्लूड कीजिए।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: मैं कनक्लूड कर रहा हूं।

क्षेत्रीयता, अलगाववादी या उन्मादी प्रवृत्ति फैलाकर, जिस तरह की घटना घटी है, केन्द्र सरकार उसके मूकदर्शक नहीं बन सकती। इसलिए इसके नियंत्रण के लिए कुछ उपाय हैं जिनकी ओर खासकर हमारे साथी प्रभुनाथ जी ने इशारा किया था कि तिनसुकिया और डिब्रूगढ़ जिले में जो बिहारी या मजदूर लोग पुनर्वासित हो चुके हैं, उनको फिर से बसाया जाए। यह कंस्ट्रक्टिव विचार होना चाहिए और मैं समझता हूं कि यह राज्य सरकार की सोच है। इन्होंने मारे गए लोगों के परिवारों के लिए पांच लाख रुपये की बात कही है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि पांच लाख रुपये की क्या बात है। जिन लोगों की मौत हुई है, उन मजदूरों की मौत हुई है जिनकी बदौलत असम, महाराष्ट्र और दिल्ली की आर्थिक स्थिति में बदलाव हुआ है, जिन मजदूरों के पसीने से, मेहनत की बदौलत वहां चमक है, रोशनी है। जो भी सफाई का काम है, जितना मेहनत का काम है, जितनी कारीगरी है, उनके हुनर की बदौलत उस राज्य को चमक मिली है। जब उस पसीना बहाने वाले मजदूर की मौत होती है तो क्या उसकी कीमत आप पांच लाख रुपये आंकेंगे? जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से उन राज्यों की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया है, उनके लिए कम से कम 10 लाख रुपये मुआवजा होना चाहिए। मृतकों के परिवार के आश्रितों, प्रभुनाथ जी ने ठीक कहा कि स्पैशल कोर्ट हो नहीं तो जल्द से जल्द ऐसे विषयों को राष्ट्रद्रोही की संज्ञा दी जानी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। इसलिए दोषियों को तुरंत सजा निर्धारित करने के लिए तीन महीने के अंदर केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि उनको रेखांकित करके निश्चित रूप से सजा देनी चाहिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव, कृपया बात समाप्त करें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: हमारा रेल मंत्री जी से निवेदन है, देख लिया जाए कि बहाली का क्या प्रोसैस है। डी ग्रेड गैंगमैन, खलासी आदि की नियुक्ति के लिए क्या यह जरूरी है कि इस तरह की परीक्षा का आयोजन किया जाए। यदि पहले से कोई ट्रैडीशन है तो आप उसमें बदलाव कर सकते हैं। ऐग्जीक्यूटिव आर्डर से उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा गैर-सरकारी संगठनों के कार्य पर विचार करेगी- गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों को पुर: स्थापित किया जायेगा। श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव, क्या आप अब अपनी बात समाप्त करेंगे?

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: रेलवे राष्ट्रीय एकता का एक प्रतीक है, रेल भारत के इतिहास में आम लोगों के लिए एक जीवन रेखा है। हम समझते हैं कि डी ग्रेड की परीक्षा जो डीआरएम लैवल पर ही हो जाती थी, यदि उसी स्तर पर हो सकती है तो उसकी संभावना का पता लगाया जाए, उस पर विचार किया जाए ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार करेगी। गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों को पुर: स्थापित किया जायेगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: हमने देश की एकता और अखंडता की जो शपथ ली है, देश का बंटवारा भावनात्मक आधार पर नहीं होना चाहिए। हम एक हैं, हम भारतवासी हैं, हमारा देश मजबूत है, इसे कमजोर करने के लिए किसी भी फिरकापरस्त ताकत को, किसी भी कट्टरपंथी को, क्षेत्रवाद फैलाने वाली ताकत को, उग्रवादी ताकत को यह मौका नहीं मिलना चाहिए। इसलिए इस पर सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार करेगी। हमने गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए नियत समय में से पहले ही दस मिनट ले लिए हैं। इसलिए हमें सायं 6 बजे के बाद भी बैठना पड़ सकता है।

[उपाध्यक्ष महोदय]

अब, विधेयक पुर:स्थापित किये जायेंगे-श्री एच.जी. रामुलू-उपस्थित नहीं

डा. एस. जगतरक्षकन - उपस्थित नहीं

श्री विजय संकेश्वर - उपस्थित नहीं

श्री माधव राजवंशी: महोदय, क्या माननीय मंत्री जी आज इस विषय पर उत्तर देंगे? ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: चर्चा अगले हफ्ते भी जारी रहेगी।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा: महोदय, मुझे तो बोलने का मौका ही नहीं मिला? ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: महोदया, आपको अगले हफ्ते बोलने का मौका दिया जायेगा।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 3.40 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक

(एक) सरकारी सेवक (आस्तियों की घोषणा और अन्वेषण) विधेयक*-पुर:स्थापित

[अनुवाद]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कतिपय विभागों में नियोजित सरकारी सेवकों द्वारा धारित आस्तियों की घोषणा और अन्वेषण करने तथा उससे संसक्त विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि कतिपय विभागों में नियोजित सरकारी सेवकों द्वारा धारित आस्तियों की घोषणा और अन्वेषण करने तथा उससे संसक्त विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 5.12.2003 में प्रकाशित।

अपराह्न 3.41 बजे

(दो) संविधान (संशोधन) विधेयक-वापस लिया गया-*जारी*
(अनुच्छेद 39 का संशोधन)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम मद संख्या 25 लेंगे-विधेयक पर आगे और विचार करेंगे तथा उसे पारित करेंगे। श्री रामदास आठवले बोल रहे थे अभी वह यहां उपस्थित नहीं है। वह विधेयक पहले ही प्रस्तुत कर चुके हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं श्री अनादि साहू को बोलने के लिए बुला रहा हूं।

श्री अनादि साहू (बरहामपुर, उड़ीसा): महोदय, मैं?

उपाध्यक्ष महोदय: क्या आप ही अनादि साहू हैं?

श्री अनादि साहू: महोदय, मेरे विचार से!

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सोचा था कि श्री रामदास आठवले आएंगे और इस विधेयक पर आगे अपनी बात रखेंगे। फिर भी, यद्यपि वह यहां पर उपस्थित नहीं है, मैं उन्हें उन कतिपय मुद्दों पर प्रकाश डालने पर बधाई देता हूं जो पिछले 50 अथवा 53 वर्षों से इस देश के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। यद्यपि हमने संविधान बनाया है और यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से राज्य के नीति निदेशात्मक सिद्धांत तय किए है कि राज्य को भारत की जनता के लिए कतिपय उद्देश्यों और उपलब्धियों के लिए प्रयास करना चाहिए लेकिन यह विधेयक अपने आप में ही एक दु:ख:द अनुस्मारक है कि है अभी तक उन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाए हैं जिनकी हमने आकांक्षा की थी।

विधेयक में बताया गया है कि रोजगार सृजन और स्वरोजगार के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने पर बल देने की दृष्टि से भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 की पुनर्गठित किया जाए। श्री आठवले द्वारा प्रस्तुत विधेयक की मुख्य बात यही है। जब हम रोजगार सृजन और स्वरोजगार के बारे में विचार करते हैं तो मैं संवैधानिक उपबंधों पर विस्तारपूर्वक चर्चा करना चाहूंगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 की मुख्य चार बातें हैं। पहली, जीविका अर्जन के पर्याप्त साधन का अधिकार। यह बात हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा बनाए गए संविधान में सबसे महत्वपूर्ण बात है। दूसरी, एक वर्ग विशेष के पास अपार सम्पत्ति न हो और समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए और बच्चों का शोषण न हो तथा स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य आवश्यक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

ये चार मुख्य मुद्दे हैं जिनका उल्लेख अनुच्छेद 39 में किया गया है। यद्यपि इसमें पांच या छह उप खण्ड है लेकिन यह मूल तत्व है और श्री आठवले ने यह बताकर कि जनता को समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए तथा रोजगार के अवसर पैदा किए जाने चाहिए, इन सभी बातों का संक्षेप में उल्लेख कर दिया है।

मैं यह बता दूं कि मानव विकास मोटे रूप से तीन महत्त्वपूर्ण आयामों पर आधारित है। मानव विकास के लिए तीन महत्त्वपूर्ण आयाम दीर्घ आयु, शिक्षा, सभ्य जीवन जीने की क्षमता पर निर्भर करता है। मैं शालीन जीवन स्तर को जीने की सामर्थ्य पर चर्चा करूंगा। जब हम शालीन जीवन स्तर के बारे में विचार करते हैं तो हमें प्रति व्यक्ति आय के बारे में भी विचार करना चाहिए जिसे इस देश की जनता के बेहतर जीवन के लिए सृजित किया जाना चाहिए न कि मात्र जीवन निर्वाह के लिए।

यह सच है कि इस समय लगभग 26 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं। मेरे राज्य उड़ीसा में, लगभग 47.10 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं। जब हम शालीन जीवन स्तर के बारे में विचार करते हैं, तो हमें गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों तथा उनकी दशा सुधारने के बारे में भी सोचना चाहिए ताकि उनके लिए अच्छा जीवन सुनिश्चित हो सके।

हमारे देश में खाद्यान्नों का अच्छा उत्पादन होता है और हम उन लोगों को अनाज और अन्य चीजे पैदा करते हैं-उन्हें राजसहायता प्रदान कर रहे हैं। क्या यह वास्तव में उन लोगों तक पहुंचती है। क्या यह गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों को पर्याप्त भोजन देती है? मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि उन लोगों की क्रय शक्ति पर्याप्त नहीं है। हमें इस आधार पर राष्ट्र का आकलन करना होता है कि गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों से किस तरह का व्यवहार किया जाता है और इस बात का पता लगाकर भी राष्ट्र का आकलन करना होता है कि क्या हमने यह सुनिश्चित करने हेतु स्थितियां पैदा की हं कि उनके पास पर्याप्त क्रय शक्ति है।

महोदय, जहां तक लोगों की दशा सुधारने का संबंध है, यहां पांच अनुश्रवण योग्य समूह है। भारत सरकार ने अपने विवेकानुसार इन पहलुओं पर विचार शुरू कर दिया है। उन्होंने इसे उचित समझा दसवीं पंचवर्षीय योजना से पहले तैयार दस्तावेज में यह अनुमान लगाया गया था कि वर्ष 2007 तक गरीबी अनुपात में 15 प्रतिशत तक कमी आनी चाहिए। इस गरीबी अनुपात को कम करने के लिए वर्ष 2011 तक जनसंख्या में 16.2 प्रतिशत की कमी आनी चाहिए। पेयजल और सार्थक रोजगार भी होना चाहिए। ये सभी सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण बातें है।

सार्थक रोजगार के संबंध में इस संवैधानिक उपबंध जो हमारे सामने गैर-सरकारी सदस्य के विधेयक के रूप में उगाया है। में यह बताया गया है कि हम लोगों को सार्थक रोजगार किस तरह दिला सकते हैं? भारत सरकार ने एक कार्य बल का गठन किया है जिसे मोंटेक अहलुवालिया समिति कार्यबल कहा जाता है। मोंटेक अहलुवालिया समिति कार्यबल ने लोगों के लिए रोजगार के अवसरों के पहलुओं की जांच की थी। उसने इसके उद्देश्यों के बारे में बताया है। मैं आपकी अनुमति से मोंटेक अहलुवालिया समिति के उद्देश्यों, जिनका उल्लेख अध्याय 11 में किया गया है, के बारे में बताना चाहता हूं। मैं केवल कुछ मिनट का समय लूंगा क्योंकि यहां इसका उल्लेख करना बहुत महत्वपूर्ण है।

रोजगार सृजन के लिए उचित रणनीति बनाने वाले नीति के जो पांच व्यापक क्षेत्र है वह हैं:- पहला, सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर में तेजी लाना-मैं विस्तार में चर्चा नहीं करूंगा। दूसरा, निजी क्षेत्रों जो विशेषरूप से रोजगार सृजन के लिए महत्त्वपूर्ण हैं, में उचित क्षेत्रीय नीतियां बनाना। तीसरा, सामान्य विकास संवर्धन नीतियों द्वारा पार्याप्त रूप से लाभान्वित न हो सके कमजोर वर्गों की सहायता के उद्देश्य से मौजूदा क्रियाकलापों से आय सृजन बढ़ाने की दृष्टि से अतिरिक्त रोजगार सृजन के लिए ऐसे विशेष कार्यक्रम क्रियान्वित करना जिन पर विशेष-बल दिया गया है। चौथा, शिक्षा और कौशल विकास के लिए उचित नीतियां अपनाना। पांचवां, यह सुनिश्चित करना कि नीति तथा श्रम बाजार को शासित करने वाला कानूनी माहौल श्रमिकों को रोजगार देने को प्रोत्साहित करे विशेषरूप से संगठित क्षेत्र में।

उपरोक्त उल्लिखित चौथे मुद्दे का जहां तक संबंध है, आपको पता होगा कि शिक्षित क्षेत्रों में बेरोजगारी काफी बढ़ी है। शिक्षित लोगों में बेरोजगारी के कारण प्रतिवर्ष बेरोजगार लोगों में आठ प्रतिशत वृद्धि हो रही है। जब कि ग्रामीण-कृषि क्षेत्र में प्रतिवर्ष यह वृद्धि 0.2 प्रतिशत है। अर्द्ध शिक्षित लोगों की श्रेणी में बेरोजगार लोगों का प्रतिशत लगभग 4.4 है। हम किस तरह इन कठिनाइयों से उबर सकते हैं? भारत सरकार ने इन पहलुओं की गहराई से जांच की और उसने वृहत आर्थिक कारक प्रस्तुत किए हैं।

महोदय, यह सुनिश्चित करना होगा कि सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि लगभग 8 से 9 प्रतिशत होनी चाहिए ताकि अच्छा रोजगार सृजन सुनिश्चित हो सके। हम आशा करते हैं कि दसवीं योजनावधि में सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि 7 प्रतिशत हो जाएगी लेकिन विशेषरूप से शिक्षित और शहरी लोगों को अधिक रोजगार देने हेतु इसमें काफी वृद्धि होनी चाहिए। असंगठित क्षेत्र में ही ग्रामीण लोगों में मुश्किल से दो प्रतिशत लोगों को रोजगार प्राप्त है। प्रतिवर्ष इसमें दो प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब ऐसा हो गया है कि प्रतिवर्ष कार्य बल में 2 प्रतिशत वृद्धि हो रही है जबकि प्रतिवर्ष रोजगार संभावना मात्र 0.98 प्रतिशत है। जब हम लोगों को रोजगार प्रदान

[श्री अनादि साहू]

करने के बारे में सोचते हैं तो यह एक नाजुक पक्ष है, जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। कार्यबल 2 प्रतिशत बढ़ रहा है। हम शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों, दोनों में लोगों के लिए रोजगार के अवसरों में किस तरह बढ़ोत्तरी करेंगे। यह एक महत्त्वपूर्ण बात है। इसमें काफी चिंतन और कार्य किए जाने की आवश्यकता है।

अब इसके लिए हमें, कैसे क्या करना है? इस बात पर भी ध्यान दिए जाना चाहिए और कार्य बल ने भी इस बात पर ध्यान दिया है। मेरे विचार से, यह माननीय सदस्यों की सामान्य जानकारी के लिए है, कार्य बल ने इन समस्याओं के समाधान के लिए सोचा है। कार्यबल ने बताया है कि सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि 9 प्रतिशत तक जानी चाहिए और अपेक्षाकृत उच्च निवेश दर होनी चाहिए। निवेश उस सीमा तक नहीं बढ़ा है जितना कि हम सोच रहे थे। अब हम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के बारे में भी सोच रहे हैं। देश अथवा विदेश से निवेश होने दीजिए। तथ्य चाहे जो भी हो। निवेश बढ़ना चाहिए।

इसके बाद, तीसरी बात कार्यकुशलता में सुधार की है। श्रम बल, चाहे वह शिक्षित हो अथवा कुशल अथवा अकुशल, में कार्यकुशलता पर्याप्त नहीं है। अत:, कार्यकुशलता बढ़नी चाहिए। हम जब कभी लोगों को रोजगार देने के बारे में सोचते हैं तो वहां बुनियादी ढांचे में भी सुधार आवश्यक है। पिछले 10 से 20 वर्षों में बुनियादी ढांचे विकास में उतनी वृद्धि नहीं हुई जैसाकि हम सोचते रहे हैं।

अगला मुद्दा कुशल बैंकिंग प्रणाली है। पिछले दो वर्षों के भीतर भारत सरकार ने बैंकिंग क्षेत्र के लिए उदार प्रणाली बनाई है। नकद आरक्षित अनुपात कम हुआ है; बैंक ब्याज दरों में कमी आई है। आवासीय ऋण दरों को सरल बनाया गया है तथा कुशल बैंकिंग प्रणाली प्रचलन में रहे इस हेतु अन्य पहलुओं पर ध्यान दिया गया है ताकि जहां तक बैंकिंग प्रणाली का संबंध है, सबसे महत्त्वपूर्ण बात अनौपचारिक क्षेत्र विशेषरूप से सहकारी क्षेत्र के लिए ऋण उपलब्ध कराना है। अनौपचारिक क्षेत्र को काफी सहायता की आवश्यकता है ताकि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की सहायता के लिए गैर-बैंकिंग प्रणालियों, संस्थानों को उचित सहायता मिल सके।

कृषि क्षेत्र में सरकारी निवेश की आवश्यकता है क्योंकि यह सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। भारत में लगभग 60 प्रतिशत लोग मुख्यत: कृषि पर निर्भर है और उनके पास इसके अलावा करने को कुछ नहीं है। अत:, कृषि में उचित निवेश इस क्षेत्र में सार्थक रोजगार प्राप्त करने में सहायता करेगा। जब हम कृषि क्षेत्र पर विचार कर रहे हैं तो भूमि सुधारों पर ध्यान देना होगा। भूमि सुधारों में हमारी स्थिति निराशाजनक है। हम इस संबंध में पिछड़ गए है। मैं पश्चिम बंगाल द्वारा किए गए कार्य की सराहना करूंगा जहां खेतिहर मजदूर प्रतिदिन औसतन 161 रुपये पा रहे हैं जबकि मेरे राज्य में यह केवल 42.50 रुपये है। उन्होंने भूमि सुधारों पर व्यवस्थित रूप से कार्य शुरू किया है और अच्छा काम किया है। हमें इसकी भी सराहना करनी चाहिए।

सरकारी क्षेत्र के सरकारी कार्यालयों में रोजगार प्राप्त करना संभव नहीं है। इसलिए आवश्यक है कि यहां स्वरोजगार होना चाहिए। जो भी आवश्यक प्रोत्साहन दिया जाना है, वह दिया जाना चाहिए और भारत सरकार अनेक प्रकार से प्रोत्साहन दे रही है।

महोदय, आपको जानकारी होगी कि सूचना प्रौद्योगिकी, होटल उद्योग जैसे सेवा क्षेत्र और अनेक अन्य क्षेत्रों में अत्यधिक विकास हुआ है। जहां तक सेवा क्षेत्र का संबंध है, केवल राज्य सरकारों और केन्द्र द्वारा ही नहीं अपितु निजी कम्पनियों और उद्यमियों द्वारा भी इन्हें प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को भी प्रोत्साहन देना चाहिए। हमें प्रसन्नता है कि आंध्र प्रदेश और कर्नाटक ने सेवा क्षेत्र, मुख्यत: सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में शेष देश को रास्ता दिखाया है। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उन्नति हुई है। इसमें उन्नति होनी चाहिए। जहां तक सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र का संबंध है, भारत शीर्ष पर है।

हमें लोगों को सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में और अधिक निवेश की अनुमति क्यों नहीं देनी चाहिए, ऐसी अनुमति देना सेवा क्षेत्र के अन्य पहलुओं का भी तेजी से विकास हो सकता है और हम विश्व के सर्वोत्तम विकसित क्षेत्रों से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। जब हम अपने देश की आवश्यकताओं पर विचार करते हैं तो इनमें से अधिकांश मुद्दे महत्त्वपूर्ण हो जाते है। मैं समझता हूं कि इस विधेयक को प्रस्तुत करते समय श्री आठवले जी के मन में यह बात रही होगी।

अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं इसके कुछ परिणामों के बारे में बताना चाहूंगा इसमें सबसे महत्त्वपूर्ण बात देश के लिए एक रोजगार नीति बनाना है। यद्यपि बेरोजगारी बढ़ रही है फिर भी जैसा कि अहलुवालिया समिति के प्रतिवेदन में कहा गया है, यदि रोजगार नीति बनाई जाए और केन्द्र और राज्य सरकारें इस पर चलें तो यह सम्भव होगा कि देश के लोगों के लिए अधिक रोजगार के अवसर सृजित हों। आने वाले दस वर्षों में हम 0.98 प्रतिशत के बजाय 1.75 प्रतिशत की दर पर पहुंच सकते हैं। हम दो प्रतिशत अर्थात् प्रत्येक वर्ष जितनी श्रमशक्ति की वृद्धि होती है उस स्तर तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन हम 1.75 प्रतिशत से 1.78 प्रतिशत तक जा सकते है।

एक गैर-सरकारी सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक लाये जाने के समय मैं यह बात क्यों कह रहा हूं, ऐसा इसलिए

कह रहा हूं कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि लोगों को अपने तरीके से रोजगार प्राप्त हो। हम सबका सहमत होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए हमारे पास सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना और स्वर्णजयंती रोजगार योजना हैं। ऐसी बहुत सी योजनाएं अब हैं। इसमें एक मात्र बात यह है कि लोग एकजुट हो और स्व-सहायता समूह गठित करें। सरकार द्वारा इनका सृजन किया गया है और इनके माध्यम से काफी लोग एकत्रित हुए भी है। सब लोग एकजुट हों और सुनिश्चित करें कि रोजगार सृजन करना केवल सरकारी या निजी क्षेत्र का ही कर्त्तव्य नहीं है बल्कि उन सभी गैर-सरकारी संगठनों, राजनीतिक दलों व दूसरे अन्य लोग जो सामाजिक कार्यों में लगे हैं उनका भी कर्त्तव्य है।

अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि मात्र इस विधेयक से हमारी कोई मदद नहीं होगी। यह इस विधेयक को लाने की मंशा और इसके उद्देश्य पर निर्भर होगा। हमें श्री आठवले द्वारा बताये गए उद्देश्य और सिद्धान्त का ध्यान रखना चाहिए। यह विधेयक को पारित किये जाने से अधिक महत्वपूर्ण है। इसका संविधान संशोधन से कोई संबंध नहीं है। यह एक व्यर्थ की और उबाऊ प्रक्रिया है जिसका अनुसरण करना होगा।

अपराह्न 3.58 बजे

[**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** *पीठासीन हुए*]

इसमें महत्त्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने सामने आने वाली कठिनाइयों की जानकारी हो और हमें यह सुनिश्चित करने की कोशिश करनी चाहिये कि हमारे युवा, शिक्षित अर्ध-शिक्षित, कुशल और अकुशल लोगों को रोजगार के अच्छे अवसर प्राप्त हों।

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर): माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य, श्री रामदास आठवले जी ने संविधान संशोधन विधेयक, 2000 सदन में प्रस्तुत किया है, मैं उस विधेयक की भावनाओं से अपनी सहमति व्यक्त करते हुए कहना चाहता हूं कि इस विषय में संविधान में पहले ही पर्याप्त प्रावधान हैं और संविधान के अनुच्छेद 39 में यह व्यवस्था की गई है और कानून भी बनाए गए हैं तथा उन पर अमल करने की कोशिश जारी है। उन्होंने इस संशोधन के माध्यम से चाहा है कि संविधान के अनुच्छेद 39 के खण्ड (1) में निम्नलिखित खण्ड और जोड़ दिया जाए:-

> "(2) राज्य खण्ड (1) के उपखण्ड (ख) और (ग) में उल्लिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से रोजगार का सृजन कराने और स्वरोजगार हेतु आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा।"

मुझे इस संबंध में कहना है कि राज्यों और केन्द्र सरकार द्वारा इस प्रकार की पर्याप्त व्यवस्था की गई है और आवश्यकता इस बात की है कि उस पर ठीक से अमल कर लिया जाए। उन्होंने जो चिन्ता व्यक्त की है, उस चिन्ता का अनुच्छेद 39 में पहले से ही प्रावधान है।

अपराह्न 4.00 बजे

स्त्री और पुरुष सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराने का प्रावधान है। समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बंटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेन्द्रण न हो। पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो। पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो। ऐसी भिन्न-भिन्न प्रकार की विभिन्न सुविधाएं संविधान के अनुच्छेद 39 के अंतर्गत मिलें। हम देखते हैं कि संविधान में जो लिखा है उस पर ठीक से अमल नहीं हो रहा है। इसका दुष्परिणाम यह दिखायी देता है कि देश में अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब और गरीब होता जा रहा है।

अनादि साहब ने बहुत से बिन्दुओं का उल्लेख किया। मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता हूं लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आज देश में लगभग 33-36 परसैंट लोग नौकरियों के लिए इधर-उधर भटकते रहते हैं और उन्हें दैनिक मजदूरी भी नहीं मिलती है। 50 और 100 रुपए तो ठीक हैं लेकिन रोज के 20-25 रुपए की मजदूरी के लिए भी वे इधर-उधर भटकते रहते हैं। एक तरफ 10-15 परसैंट ऐसा वर्ग है जो 100-200-400-500 करोड़ रुपए रोज का नेट मुनाफा कमाता है। आप और हम मार्च के बाद अखबारों में कई उद्योगों की बैलेंस-शीट देखते हैं तो पाते हैं कि उन्हें काफी मुनाफा होता है। उसे 365 दिनों से भाग करते हैं तो देखने को मिलता है कि वह डेढ़ हजार करोड़ रुपए रोज कमाते हैं। दूसरी तरफ एक ऐसा वर्ग है जिस की स्थिति बहुत दयनीय है। इस अनुपात को कम करने की आवश्यकता है। इसे कम करने की दृष्टि से जो कदम उठाने चाहिए उन्हें शक्ति से उठा कर उस पर अमल करने का काम जरूर करना चाहिए। इसमें यह अपेक्षा की गई है कि सभी को रोजगार मिले। आज देश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की संख्या 26 परसैंट है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों का मापदंड भी है। सार भर में मुश्किल से 12 हजार रुपए जिस की आय हो वह गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला हो गया। न्यूनतन वेतन का अगर तुलनात्मक अध्ययन करें तो कहीं कुछ नहीं होता है। यह परिभाषा व्यावहारिक नहीं है। ऐसी स्थिति हमारे देश में

[श्री थावरचन्द गेहलोत]

है। मैं कह सकता हूं कि संविधान में प्रावधान होने के बाद भी उस पर अमल करने के लिए जो प्रक्रिया तय है, उस पर ठीक से अमल न होने के कारण यह स्थिति पैदा हुई है। इस स्थिति को ठीक करने की दृष्टि से बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। यदि संविधान में ये शब्द जुड़ जाएं तो इससे निदान होने वाला नहीं है।

देश की आजादी के बाद जो संविधान बना था और उसमें जो प्रावधान किए गए, उस पर अमल करने की जो स्थिति रही है, वह बहुत भयावह है। इसे देख कर संविधान पर फिर से विचार करने की दृष्टि से संविधान समीक्षा आयोग बना। उसने सरकार को अपना प्रतिवेदन दे दिया। मेरी जानकारी के अनुसार आयोग ने सभी बिन्दुओं पर गम्भीरता से विचार करके सुझाव दिए। उन सुझावों का संविधान में प्रावधान करने की दृष्टि से संविधान समीक्षा आयोग की रिपोर्ट पर जल्दी से जल्दी चर्चा की जानी चाहिए। इसके बाद कहीं न कहीं किसी प्रकार से जो आवश्यकता है, उसे मद्देनजर रखते हुए कोई उपाय खोजा जा सकता है।

भाई आठवले जी ने जो सुझाव दिए हैं या संशोधन चाहा है, उससे किसी प्रकार की कोई बात बनने वाली नहीं है। रहा सवाल दैनिक मजदूरी का, दैनिक मजदूरी तय है। महिला और पुरुष को समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, यह कानून बना है लेकिन अमल नहीं हो रहा है। इतना ही नहीं पुरुष भी जो दैनिक मजदूरी चाहते हैं, उसे प्राप्त करने में वे कठिनाई महसूस करते हैं। बहुत सारे काम ठेकेदारी प्रथा के अंतर्गत चलाए जाते हैं। यह सरकार चलाती है, विभाग के माध्यम से काम होता है। एक टास्क फोर्स बना दी जाती है जो रेट्स तय करती है कि दिनभर में कितना काम कराना है, उसे उतना पैसा दे दिया जाये और अगर कम काम है तो पैसा कम मिलेगा। मैं मानता हूं कि कामचोरी नहीं है कि उन्हें दिनभर में काम का लक्ष्य दिया जाता है ताकि उन्हें अच्छा पारिश्रमिक मिल सके और दिनभर काम के बाद अच्छा पैसा कमा ले। लेकिन सरकारी क्षमता ठीक नहीं क्योंकि जो रेट तय किया उसका एक चौथाई भी उन लोगों को नहीं मिलता है। वह आदमी अपना परिवार पालने की स्थिति में नहीं रहता। ऐसा सारे देश में देख रहे हैं कि कहीं आतकंवाद बढ़ रहा है, कहीं असंतोष बढ़ रहा है और उस कारण आन्दोलन की स्थिति निर्मित हो रही है। फिर इससे कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती है। उस स्थिति को ठीक करने के लिये प्रशासनिक अमला बढ़ाया जाता है। फिर सरकार पुलिस लगाती है। इससे सरकार पर अनावश्यक खर्चा बढ़ता है। इन सब को ठीक करने की दृष्टि से सरकार इस पर गंभीरता से विचार करे। संविधान के अनुच्छेद 39 में जो लिखा गया है या जिसका प्रावधान संविधान में किया गया है, उन प्रावधानों को ठीक से लागू करने की कार्यवाही करेंगे तो निश्चित रूप से हमें कोई सफलता मिल सकती है अन्यथा संविधान में कुछ भी लिख दो, कानून ठीक ढंग से व्यवस्थित करके लिख दो, उसकी कोई कीमत नहीं है। अगर सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है तो उस पर अमल करने का काम ठीक ढंग से नहीं हो सकता। अगर वह लिखा हुआ है, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है।

सभापति जी, माननीय मंत्री जी यहां बैठे हुये हैं। मैं उनकी कार्य शैली की प्रशंसा करता हूं। उन्होंने कृषि क्षेत्र में काम करने वाले दैनिक मजदूरों के लिये जो काम किया है और फिर हमाली करने वाले अपने सिर और पीठ पर बोझा ढोकर काम करने वाले मजदूर हैं, उनके हितों का संरक्षण प्रदान किया है। इस संबंध में माननीय मंत्री जी एक विधेयक लाने वाले हैं। संविधान के अनुच्छेद 39 में इस भावना को व्यक्त किया गया है और माननीय सदस्य की इस भावना को ध्यान में रखकर श्रम कानून में ऐसा प्रावधान करेंगे या कम्पनी एक्ट के अंतर्गत प्रावधान करेंगे, तो ठीक होगा। नाना प्रकार के ऐसे कानून बने हुये हैं जिसके कारण सभी को, अगर उद्योग चलाने की स्थिति में हैं, तो उद्योग चलाने का लाइसेंस उसे मिल जाये, फिर जमीन मिल जाए और स्थापित करने की दृष्टि से बैंक से ऋण की सुविधा मिल जाये, इधर-उधर उसे भटकना न पड़े। हम देखते हैं कि एक आदमी डाक्टरी पास कर लेता हैं, इंजीनियरिंग पास कर लेता है या कोई अच्छी सी डिग्री प्राप्त कर भी लेता है लेकिन उसे नौकरी नहीं मिलती। वह रोजगार के लिये रजिस्ट्रेशन कराये और इसके लिये नाना प्रकार की संस्थायें हैं जहां उसे रोजगार पाने के लिये भटकना पड़ता है। यदि योग-संयोग से वह विदेश चला जाये तो उसे वहां एक लाख, दो लाख, चार लाख या पांच लाख रुपये तक वेतन मिल जाता है लेकिन वहां 2-2 हजार की नौकरी के लिये भटकता रहता है। क्या ऐसी स्थिति यहां नहीं हो सकती? यहां भी हो सकती है। हमारे भारतवर्ष में खनिज सम्पदा है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। यदि रा-मैटिरियल प्राप्त करके उसका उपयोग हो जाये, रोजगार सृजन के कुछ साधन उपलब्ध हो सकें तो उन साधनों का बराबर-बराबर जहां उसकी आवश्यकता हो, वहां पहुंच जाये, वह उन्हें मिल जाये या इस प्रकार की व्यवस्था हो जाए तो ठीक है अन्यथा हम देखते हैं कि एक आई.ए.एस. या आई.पी.एस. या एक उद्योगपति का बेटा वही बनेगा परन्तु एक खेतिहर मजदूर का बेटा खेतिहर मजदूर ही बना रहता है। हम देख रहे हैं कि देशभर में किसानों के परिवार बढ़ते जा रहे हैं। जिस किसान के पास खेत की मात्रा 50 या 100 एकड़ है। वह आगे उसके बच्चों में बंटती जा रही है और वह खेत लम्बाई-चौड़ाई में कम होता जा रहा है। इससे उनके जीवन-यापन की जितनी आय होनी चाहिये, उसमें भारी कमी होती जाती है। जिस तरह अमीरी-गरीबी के बीच में खाई बढ़ती जा रही है, यह अंतर और बढ़ता रहेगा। मैं समझता हूं कि देश में शान्ति बनाये रखना संभव नहीं है। यह अमीरी और गरीबी

की खाई का अनुपात निश्चित रूप से कम होना चाहिए और इसे कम करने की दृष्टि से कुछ उपाय खोजे जाने चाहिए। यदि यह संभव नहीं हुआ, अगर सरकार यह नहीं कर पाई तो बाकी सब काम कितने भी अच्छे करो, संतुष्टि होने वाली नहीं है।

सभापति महोदय, अटल जी की सरकार ने पिछले साल घोषणा की थी कि हम एक करोड़ रोजगार लोगों को उपलब्ध करायेंगे। उन्होंने इसका प्रयास किया, उन्होंने यहां आंकड़े भी दिये। परंतु यदि देखा जाए तो भारत में 26 प्रतिशत से अधिक लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले हैं और उन्हें साल भर में सौ दिन भी काम नहीं मिलता है। कायदे से कार्य क्षमता रखने वाले आदमी को साल में 365 दिन का काम मिलना चाहिए। साप्ताहिक अवकाशों को छोड़कर अगर हम देखें तो कम से कम तीन सौ दिन उसे काम मिलना चाहिए। अगर उसे तीन सौ दिन काम नहीं मिलता है और आप उसे सौ दिन काम देते हैं और जोड़ देते हैं कि हमने इतने लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया है तो यह पर्याप्त नहीं है। सौ दिन का मतलब सवा तीन महीने होता है। यदि कोई आदमी सवा तीन महीने काम करे और बारह महीने खाये तो इससे उसके परिवार का लालन-पालन नहीं हो सकता है और वह अपना जीवन-स्तर भी ऊंचा नहीं उठा सकता है। यदि फिर गरीबी की परिभाषा में इस देश को विश्व के देश देखते रहें तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। हम उसे सौ दिन काम दें और वह साल भर उसमें जीवनयपान करे, यह भी पर्याप्त नहीं है। इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए कि जो कार्य क्षमता रखने वाले लोग हैं, उन्हें साल भर काम मिले। जो उद्योग चलाने की स्थिति में है, वे उद्योग चलायें। कितने लोग पढ़े-लिखे हैं, इस बात का सर्वे कराया जाए कि कौन लोग क्या काम कर सकते हैं। उनकी रुचि भी उनसे पूछी जाए और उसके हिसाब से कोई वार्षिक योजना बनाई जाए और उस पर अमल किया जाए, तो मैं समझता हूं कि संविधान में संशोधन लाने की जो मंशा है, इसकी आवश्यकता नहीं रहेगी। संविधान में बहुत बातें लिखी हैं और उन पर अमल करने के लिए कानून और कायदे भी बने हैं, अगर नीयत और नीति दोनों ठीक होंगी तो सब कुछ होगा। इसलिए मैं इस अवसर पर सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह इस दिशा में कारगर कदम उठाये। आठवले जी, यहां नहीं हैं, परंतु मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। जो उनकी मंशा है, उसका पर्याप्त प्रावधान संविधान में है। इसलिए वह इस संविधान संशोधन को वापिस ले लें, यही अनुरोध करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर): महोदय, मैं आपसे इस विधेयक पर बोलने की अनुमति चाहता हूं क्योंकि यह विधेयक, जिसे इस सभा में पारित किये जाने की कोशिश की जा रही है या जो पारित न हो और जिसे वापिस ले लिया जा सकता है काफी महत्त्वपूर्ण विधेयक है।

महोदय, गैर-सरकारी सदस्यों द्वारा विधेयकों को केवल यह देखने के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाता कि वे पारित हों बल्कि कुछ महत्त्वपूर्ण मुद्दों को सामने लाने के लिए भी प्रस्तुत किया जाता है। यह विधेयक वास्तव में एक महत्त्वपूर्ण मुद्दे को सामने लाने के लिए प्रस्तुत किया गया है। दुर्भाग्य से जब इस सभा में महत्त्वपूर्ण मुद्दे विचार-विमर्श के लिए लाये जाते हैं तो उपस्थिति काफी कम होती है। जब गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक बहस के लिए आते हैं तो उपस्थिति बहुत कम होती है। जब कोई मसालेदार मुद्दा सभा में बहस के लिए आता है तो सदस्यों की उपस्थिति काफी अधिक होती है। लेकिन इससे कुछ सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिलता है और मैं इस महत्त्वपूर्ण मुद्दे पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए इस अवसर का उपयोग करना चाहता हूं।

मैं नहीं समझता कि विधेयक को जिस रूप में सभा में प्रस्तुत किया गया है उसी रूप में स्वीकार करके संविधान में सम्मिलित किया जा सकता है। जिस सदस्य ने इस विधेयक को प्रस्तुत किया है अंततः इसे वापिस ले ही लेगा। यदि इसे सभा में मतदान के लिए भी रखा जाता है तो भी यह पारित नहीं होगा लेकिन इसमें जिस मंशा से सदस्य ने इस विधेयक को प्रस्तुत किया है वह वास्तव में अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। उनकी क्या मंशा है? पहली मंशा तो यह है कि अनुच्छेद 39(ख) और (ग) को कार्यान्वित किया जाए। वह संविधान में निहित मंशा को पूरा करने के लिए सकारात्मक निर्देश देने का प्रयास कर रहे हैं। अनुच्छेद 39(ग) में कहा गया है कि आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन-साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी सकेंद्रण न हो। इसमें नकारात्मक शब्दों का प्रयोग किया गया है लेकिन इस विधेयक में इसे सकारात्मक रूप देने का प्रयास किया गया है। इस विधेयक में यह कहने का प्रयास किया गया है कि खंड (1) के उपखंड (ख) और (ग) में दिए गए उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य को रोजगार सृजित करने तथा स्वरोजगार के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयास करने चाहिए। इसमें रोजगार सृजित करने और रोजगार सृजन के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु सकारात्मक रुख अपनाने पर बल दिया गया है। पुनः बेरोजगारों को किसी माध्यम द्वारा रोजगार उपलब्ध कराया जाना है और यदि यह संभव न हो तो ऐसे अवसर सृजित करने चाहिये ताकि बेरोजगार नागरिक निजी उत्पादक गतिविधियों में शामिल होकर अपनी सहायता स्वयं कर सकें। यही दो मंशाएं हैं।

[श्री शिवराज वि. पाटील]

हम आजकल श्रम कानूनों की बात कर रहे हैं। सौभाग्य से इस विधेयक पर बहस का उत्तर देने के लिए श्रम मंत्री यहां उपस्थित हैं। समय बदल गया है। यदि आवश्यक हो तो हमें श्रम कानूनों में फेरबदल कर देना चाहिए और हमें देखना चाहिये कि श्रम कानूनों में कुछ ऐसे प्रावधान सम्मिलित किये जाएं जो कि उत्पादन बढ़ाने हेतु समाज में अच्छा वातावरण तैयार करें। लेकिन ऐसा करते हुए यह भी देखा जाना चाहिए कि श्रम कानूनों के नाम पर कामगारों के अधिकार न छीने जाएं। यदि ऐसा किया जाता है तो देश में उत्पादन बढ़ाने के लिए आवश्यक तत्वों में से एक अनुपलब्ध रहेगा। कामगारों को असंतुष्ट और प्रेरणाविहीन रखकर आप देश में उत्पादन नहीं बढ़ा सकते। अत: श्रम सुधार इस तरीके से किया जाने चाहिए कि कामगार उत्पादन बढ़ाने के लिए काम करने को प्रेरित हो सके। यदि ऐसा नहीं किया गया तो श्रम कानूनों के होने का महत्व ही खत्म हो जाएगा। श्रम कानूनों में सुधार लाने के लिए ऐसा तरीका अपनाया जाना चाहिए कि जो सुविधाएं आज कामगारों को दी जा रही है वे श्रम कानूनों के नाम पर वापिस न ले ली जाएं यदि ऐसा किया गया तो उत्पादन बढ़ाने का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। आदमी मशीन से अधिक महत्त्वपूर्ण है। मशीनें केवल आदमी की सहायता से ही चल सकती है। यदि मशीन पर काम करने वाला लोग व्यक्ति असंतुष्ट है तो कुछ नहीं हो सकता, यह बात विचारणीय है।

यह विधेयक अटपटा दिखाई देता है। इस विधेयक के माध्यम से जो दूसरी सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण बात उठायी गई है, वह हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या है। आज, हम अपने देश के कुछ भागों में हिंसा की गतिविधियां देखते हैं उसका कारण भी युवाओं में बेरोजगारी की समस्या है, जिनमें काम करने की क्षमता तो है पर उन्हें काम के अवसर नहीं मिलते। मेरे कहने का यह अर्थ नहीं है कि केवल इसी कारण से भारत में आतंकवाद पनपा है। मेरे कहने का आशय है कि देश के कुछ भागों में हिंसात्मक गतिविधियों में एक सीमा तक इसका योगदान है, चाहे वह कश्मीर हो, आंध्र प्रदेश हो या पूर्वोत्तर राज्य हों। बेरोजगारी की समस्या काफी गम्भीर है, यदि हम इस समस्या को हल नहीं कर पाये तो उन युवाओं को शान्ति के रास्ते पर लाना और यह समझाना कि वे अपना क्रोध, आतंकवादी गतिविधियों या हिंसात्मक गतिविधियों को छोड़ दें, कठिन होगा , अत: बेरोजगारी की समस्या का का हल किया जाना चाहिये। सरकार ने वायदा किया था कि देश में बेरोजगारों को एक करोड़ रोजगार के अवसर दिये जाएंगे। लेकिन मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि सरकार के कुछ सदस्यों को यह भी नहीं पता कि सरकार ने अपने चुनाव घोषणापत्र के माध्यम से यह वायदा किया था। उनकी समझ में यह बात है कि एक करोड़ रोजगार के अवसर पांच वर्षों की अवधि में उपलब्ध कराने हैं न कि एक वर्ष में। यह एक बड़ी गलती है। वे इस तथ्य से अनभिज्ञ हैं। मैं किसी मंत्री का नाम नहीं ले रहा हूं जिन्होंने जानबूझकर यह वक्तव्य दिया है क्योंकि मेरा यह आशय नहीं है कि वे अनभिज्ञ हैं या उन्होंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। मेरा आशय तो यह बताना है कि अधिकतर मंत्रियों को देश में बेरोजगारी की समस्या की गहनता की जानकारी नहीं है और वे समझते हैं कि पांच वर्षों की अवधि में एक करोड़ रोजगार के अवसर सृजित करने हैं न कि प्रत्येक वर्ष। अब यह तथ्य बदल गया है। हमें देखना है कि रोजगार के अवसर सृजित किये जाएं। रोजगार के अवसर सरकारी सेवाओं निजी क्षेत्र या स्वरोजगार परियोजनाओं के माध्यम से उत्पन्न किये जा सकते हैं, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन रोजगार के अवसर सृजित होने चाहियें। यदि रोजगार के अवसर सृजित नहीं होते और शिक्षित बेरोजगार व सक्षम व्यक्ति जो कि काम करके, मेहनत करके विकास में योगदान करने के इच्छुक हैं उन्हें अवसर नहीं मिलता है और वे क्रोध में आ जाते हैं तो ऐसे में हमें स्वयं को दोष देना चाहिए न कि उन्हें, यह बात समझी जानी चाहिये।

एक बात जो हमारे संविधान में स्पष्ट तौर से नहीं है वह है काम करने का अधिकार संविधान के निदेशक सिद्धान्तों में कहां गया है कि ऐसा कुछ किया जाएगा जिससे सुनिश्चित हो सके कि देश के नागरिकों को रोजगार या काम के अधिकार जैसा कोई अधिकार दिया जाएगा। संविधान बनाते समय मूल अधिकारों के अध्याय में काम के अधिकार को सम्मिलित नहीं किया गया था, उस समय यह समझा गया था कि काम के अधिकार का कार्यान्वयन नहीं किया जा सकता, इसी वजह से काम के अधिकार को मूल अधिकारों के अध्याय के बजाय राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्तों के अध्याय में सम्मिलित किया गया। अब स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद कृषि, उद्योग और अन्य क्षेत्रों में आर्थिक विकास लाने के बाद क्या अब उचित समय नहीं आ गया है कि यह संभव हो कि भारत सरकार हमारे देश में बेरोजगारों को रोजगार का अधिकार प्रदान करे।

यदि कोई व्यक्ति रोजगार मांग रहा है तो वह मांग क्या रहा है, हमें यह समझना चाहिए। यदि हमने वह नहीं दिया तो इसके लिए क्या हम जिम्मेदार होंगे अथवा नहीं? कोई व्यक्ति रोजगार मांगते हुए कहता है ''मैं शारीरिक और मानसिक दृष्टि से सक्षम हूं, मैं किसी का शोषण करना, और चोरी करना नहीं चाहता, मैं काम करके अपनी जीविका कमाना चाहता हूं।'' लेकिन समाज और सरकार कहती है कि ठीक है, आप ये चाहते तो है परन्तु हम इस मामले में आपकी सहायता करने की स्थिति में नहीं है। तब वह व्यक्ति क्या करे? अपना अस्तित्व बनाये रखने के लिए या तो वह चोरी करे या आत्महत्या कर ले। लेकिन यह हमारे और समाज द्वारा कैसे स्वीकार किया जा सकता है। मैं समझता हूं कि उत्पादन बढ़ाने के लिए हम लोगों को सहायता दे रहे हैं जो कि

दी जानी चाहिए। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। यह किया ही जाना चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर क्या यह सरकार और समाज का उत्तरदायित्व नहीं है कि जो लोग काम करना चाहते हैं, उन्हें काम दिया जाए अन्यथा इसका दोष किसे दिया जाएगा? जो लोग यहां सत्तापक्ष में बैठे हैं, उन्हें दोष दिया जाएगा। जब हम यहां सत्तापक्ष में थे तो आप हमें दोष दे सकते थे। लेकिन अब आप यहां हैं तो आपको इसका दोष दिया जाएगा। जरूरतमंद लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार लोगों को यह दोष लेना होगा।

अब हम काम के अधिकार के मुद्दे पर आते हैं। यह काम का अधिकार क्या है? लोग इस बात से आशंकित है कि काम का अधिकार कार्यान्वित नहीं किया जा सकता। बहुत से बुद्धिजीवी, विद्वान और प्रोफेसर जो यहां उपस्थित है, वे कहते हैं कि यह एक काल्पनिक आदर्श स्थिति है जिसका कार्यान्वयन नहीं किया जा सकता। शिक्षा के अधिकार के लिए भी यही बात कही जाती थी। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि सरकार ने शिक्षा के अधिकार, को समाज में बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार बना दिया है। शिक्षा के संबंध में भी यह कहा जा रहा था कि शिक्षा का अधिकार नहीं दिया जा सकता। यह बात काम के अधिकार के लिए भी कही जा रही है। मैं कह रहा हूं कि काम के अधिकार का कार्यान्वयन किया जा सकता है यह अधिकार दिया जा सकता है।

यह काम का अधिकार वास्तव में है क्या? पहले हम इसे स्पष्ट रूप में समझें? यदि हम इसे स्पष्ट रूप से नहीं समझेंगे तो कुछ संदेह उत्पन्न होंगे। लेकिन यदि 'काम के अधिकार' का अर्थ स्पष्ट रूप से समझ लिया जाए तो कोई सन्देह नहीं रह जाएगा। काम के अधिकार का मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति को वही रोजगार मिले जो कि वह मांग रहा है और जिसके योग्य वह है। मान लीजिए कोई व्यक्ति पी.एच.डी. करके सरकार से कहता है कि मैंने पी.एच.डी. की है, मुझे प्रोफेसर बना दीजिए। तब सरकार के लिए यह सम्भव नहीं भी हो सकता कि उसे प्रोफेसर बना दें। लेकिन यदि वह व्यक्ति सरकार से कहता है कि ''मैंने पी.एच.डी की है, मैं जीना चाहता हूं, मैं कोई भी कार्य करने को तैयार हूं, मुझे कोई कार्य दिया जाए क्या तब उसे सरकार कोई रोजगार नहीं दे सकती जो कि उसके अस्तित्व को बनाये रखने के लिए जरूरी है? क्या उसे ऐसा कोई रोजगार नहीं दिया जा सकता जो 30,000 रुपये प्रतिमाह के स्थान पर 300 रुपये प्रतिमाह तो दे ही दे? क्या ऐसा नहीं किया जा सकता? 'काम के अधिकार' का मतलब उस अधिकार से है जो किसी व्यक्ति को आत्महत्या करने, चोरी करने के लिए मजबूर न करे बल्कि उसके अस्तित्व के लिए जीविकोपार्जन का अधिकार देता है।

अब, यदि 'काम के अधिकार' की यह व्याख्या की जाती है, तो कृपया यह बतायें कि ऐसा काम का अधिकार कार्यान्वित किया जा सकता है या नहीं? सौभाग्य से हमारे यहां राज्यों में रोजगार गारंटी योजना चलायी जा रही है। रोजगार गारंटी योजना पहले महाराष्ट्र में शुरू की गयी थी। महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य के रूप में मुझे रोजगार गारंटी योजना का मसौदा तैयार करने वाली समिति का सदस्य होने का सौभाग्य मिला। जब इसे तैयार किया जा रहा था, तो आलोचना की गयी थी कि यह कार्यान्वित नहीं की जा सकती, यह धन और श्रम की बर्बादी है, अत: इस पर कार्य नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र में काम की गारंटी का अधिकार अभी भी है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि इसी कारण से महाराष्ट्र में अन्य राज्यों की तुलना में कानून और व्यवस्था की स्थिति उन अन्य राज्यों की तुलना में, जहां कि ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया गया है, बेहतर है।

सौभाग्य से हमारे यहां राष्ट्रीय स्तर पर भी ऐसी अवधारणा को स्वीकार किया गया है और योजनाओं के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा लोगों को रोजगार देने की अवधारणा भी है। लेकिन इस मामले से सरकार द्वारा किये गए कार्यों का विस्तार करना होगा। यदि ऐसा किया जाता है, तो इसका श्रेय इस सरकार को मिलेगा। यदि यह सरकार ऐसा नहीं करेगी तो कोई और यह कार्य करेगा। निश्चित रूप से कोई और यह कार्य करेगा तो इसका श्रेय उसे मिलेगा। यह श्रेय लेने मात्र का प्रश्न नहीं है। यह लोगों में समानता लाने और उनके साथ न्याय किये जाने का प्रश्न है। लोगों में समानता लाने और उनसे न्याय करने का कार्य होना चाहिये, विशेषकर उन लोगों के संदर्भ में जो कि इस विषय में सरकार और समाज से सहायता प्राप्त करने की अपेक्षा रखते है।

लोग कहते हैं कि यह साम्यवादी या समाजवादी अवधारणा है। हमें इसके साम्यवादी या समाजवादी अवधारणा के होने की चिन्ता नहीं करनी चाहिए क्योंकि हम प्रत्येक व्यक्ति को न्याय देना चाहते हैं। इस संबंध में अमरीका का उदाहरण लिया जा सकता है। वहां संविधान में काम का अधिकार नहीं दिया गया है परन्तु भत्ता दिया जाता है। हम इस बात की उपेक्षा नहीं कर सकते कि यद्यपि अमरीका में काम का अधिकार नहीं दिया गया है परन्तु हर बेरोजगार व्यक्ति को भत्ता दिया जाता है। यह भत्ता काम के अधिकार से पृथक चीज है। यहां यह उस व्यक्ति को समाज के लिए कुछ करने के प्रतिफल के रूप में दिया जा रहा है। लेकिन भत्ता ऐसी बात नहीं है। किसी भी बेरोजगार व्यक्ति का यह अधिकार है कि वह सरकार या समाज से भत्ता प्राप्त कर सके। यूरोप में भी ऐसे किया जा रहा है। हम यह नहीं कहते कि जो लोग कार्य नहीं कर रहे उन्हें भत्ता दिया जाए। बीमार और कार्य करने में असक्षम लोगों को ही भत्ता दिया जाना चाहिए। लेकिन जो लोग बीमार नहीं है, काम करने में सक्षम है पर काम करने

[श्री शिवराज वि. पाटील]

के लिए तैयार नहीं है, उन्हें भत्ता नहीं दिया जाना चाहिए। हम उन लोगों को रोजगार देने के लिए कह रहे है, ऐसा क्यों नहीं किया जाना चाहिए? ऐसा करने में गलत क्या है?

मेरे विचार से सही है कि कुछ समाजवादी देशों में ऐसी व्यवस्था है। यदि हम उन साम्यवादी और समाजवादी देशों के संविधान का अध्ययन करें जहां यह अधिकार दिया गया है तो एक बात जानकर आश्चर्य होगा। उन संविधानों के अध्ययन से एक दिलचस्प तथ्य सामने आता है। हमें भी इसे अपनाना चाहिए। ऐसा तथाकथित साम्यवादी देशों द्वारा किया गया है। आज कोई भी देश साम्यवादी देश कहलाना नहीं चाहता। तथाकथित समाजवादी, गैर-समाजवादी और पूंजीवादी देशों के संविधानों में भी इस तरह का प्रावधान है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जहां काम का अधिकार दिया गया है वहीं काम का कर्त्तव्य भी सुनिश्चित किया गया है। विश्व भर में ऐसा कोई संविधान नहीं है जिसमें काम का अधिकार तो दिया गया है परन्तु काम करने का कर्त्तव्य सुनिश्चित न किया गया हो। मान लीजिए यहां भी ऐसा किया जाता है और काम के अधिकार के साथ काम करने का कर्त्तव्य भी सुनिश्चित किया जाता है, तो इसका परिणाम बेहतर होगा। लोगों को रोजगार का अधिकार देने के साथ-साथ काम करने का कर्त्तव्य सुनिश्चित करने से देश में और अधिक सम्पत्ति का सृजन होगा जो कि कृषि, उद्योग, व्यापार, आर्थिक विकास शिक्षा और अन्य दूसरे क्षेत्रों में हमारी गतिविधियां बढ़ाने में सहायक होगा। अत: अधिकार और कर्त्तव्यों का साथ-साथ प्रावधान होना चाहिये। बिना कर्त्तव्य के कोई अधिकार नहीं दिया जा सकता। ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। इसीलिए यदि आप संविधान में अधिकार और कर्त्तव्य दोनों का प्रावधान करते हैं तो यह और अधिक कार्यान्वयन के योग्य हो जाएगा। सरकार को केवल यही संदेह है कि यह कार्यान्वित हो भी पाएगा या नहीं। इस संदेह का कोई औचित्य नहीं है। यदि आप नागरिकों को अधिकार और कर्त्तव्य दोनों प्रदान करते हैं तो आप कह सकते हैं कि "आप ने पी.एच.डी की है, आप हमसे रोजगार मांग रहे हैं। हम आपको प्रोफेसर या किसी संस्थान के प्रमुख का पद देने की स्थिति में तो नहीं हैं लेकिन हम आपको लिपिक का पद दे सकते हैं जिससे आप 1000 रुपये प्रतिमाह कमा पायेंगे। यदि आप काम नहीं करते है तो आपका रोजगार का कोई अधिकार भी नहीं होगा; तब आप काम के अधिकार की बात नहीं कर सकते।" अत:, अधिकार और कर्त्तव्य साथ-साथ ही चल सकते हैं। तब यह अधिकार और अधिक कार्यान्वयन के योग्य बन पाएगा। हमें ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। हम ऐसी स्थिति की कल्पना करके कोई तरीका, परियोजना, विचारधारा, प्रणाली या तंत्र विकसित क्यों नहीं करते जिससे हमारी इस रोज की समस्या का हल हो सके। हमें ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए?

आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जापान के संविधान में भी काम के अधिकार और कर्त्तव्य का प्रावधान है। जापान एक पूंजीवादी देश है। यह एक ऐसा देश है जिसने कोई हस्तक्षेप नहीं के सिद्धांत को स्वीकार किया है। यह जानकर आश्चर्य होगा कि जापान के संविधान में एक विशिष्ट प्रावधान किया गया है। कुछ संविधानों में अधिकार एक अध्याय में दिया गया है और कर्त्तव्य किसी अन्य अध्याय में। कुछ संविधानों में अधिकार और कर्त्तव्य विभिन्न अनुच्छेदों में दिये गए हैं। लेकिन जापान के संविधान में एक ही अनुच्छेद में अधिकार और कर्त्तव्य दोनों का प्रावधान है। इसमें कहा गया है कि "नागरिकों को काम का अधिकार और कर्त्तव्य होगा"। नागरिकों को काम का अधिकार और कर्त्तव्य होगा, यह बात एक ही वाक्य में कही गयी है। क्या हमारे लिए ऐसा प्रावधान करना सम्भव नहीं है। यदि हम कोई नयी व्यवस्था नहीं कर सकते, तो उस पुराने संविधान से क्यों चिपके हुए हैं और उसे महत्त्व क्यों दिया जा रहा है? देश में अपनी समझ से नयी स्थिति का सृजन क्यों नहीं किया जा रहा जिससे कि देश की नयी पीढ़ी के मन में खलबली मचा रही इस समस्या को वास्तव में हल किया जा सके। ऐसा क्यों नहीं किया जाना चाहिए?

श्री रामदास आठवले ने अपने विधेयक में ये सब बातें नहीं कहीं हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उनका आशय सभी नागरिकों को रोजगार प्रदान करने का है। यदि इस तरीके से रोजगार देना चाहे तो दिया जा सकता है। स्वरोजगार दिया जाना चाहिये। उन्होंने कतिपय सुझाव दिये हैं और मैं ये सुझाव दे रहा हूं। यदि आप ऐसा करेंगे तो हमारे लिए रोजगारों का सृजन करना संभव हो पायेगा। भारत सरकार और राज्य सरकारों के खजाने से देश के नागरिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए लगभग 10,000 से 15,000 करोड़ रुपये खर्च किये जा रहे हैं। यदि 10,000 करोड़ रुपये और खर्च करें तो ऐसा किया जा सकेगा, तब आप सब लोगों को रोजगार का अधिकार देने की स्थिति में होंगे।

तब देश में कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिए इस निधि की आवश्यकता नहीं होगी। इस निधि का उपयोग उचित तरीके से ही पायेगा। इसके लिए दृढ़ निश्चय, दूरदृष्टि और कुछ नया करने की जिजीविषा का होना आवश्यक होगा। तभी मैं कह रहा हूं कि सरकार यह कर सकती है।

अब, स्वरोजगार के लिए क्या किया जा रहा है? मैं एक तथ्य के बारे में आशांकित हूं। भारत सरकार ने निजी क्षेत्र के माध्यम से विद्युत का उत्पादन, पारेषण और वितरण करने का निर्णय लिया है। कांग्रेस पार्टी ने इस विधेयक का विरोध नहीं किया। कांग्रेस पार्टी के समर्थन से यह विधेयक पारित हुआ। मैं चाहता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि इस कानून को पारित करने में जो आपकी मंशा रही वह पूरी हो। लेकिन बिजली का उत्पादन निजी क्षेत्र द्वारा

किये जा रहे निवेश से नहीं हो रहा है। राजस्थान में निजी क्षेत्र द्वारा किये गए निवेश से विद्युत उत्पादन करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने 15 वर्ष तक प्रतीक्षा की परन्तु कोई भी निजी कम्पनी विद्युत उत्पादन हेतु निवेश करने के लिए आगे नहीं आई। अन्ततः सरकार को सरकारी क्षेत्र के माध्यम से विद्युत उत्पादन का कार्य करना पड़ा और राजस्थान उन राज्यों में से एक है जहां विद्युत की कमी नहीं है जबकि अन्य राज्यों में है।

क्या होने जा रहा है? मैं आपको बताऊंगा कि क्या होने जा रहा है। यह मेरा दृष्टिकोण है। आगे आने वाले 10 से 15 सालों में निजी क्षेत्र विद्युत उत्पादन में धनराशि का निवेश नहीं करने जा रहा है। क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें विद्युत उत्पादन में बहुत बड़ी धनराशि का निवेश करना पड़ेगा।

डा. नीतिश सेनगुप्ता (कोन्टाई): यदि आप उत्पादन के साथ-साथ इन्हें वितरण का अधिकार भी दे दें तो वे आगे आएंगे।

श्री शिवराज वि. पाटील: हमने कानूनन उन्हें विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण का अधिकार दिया है। वे विद्युत पारेषित करने के लिए तैयार हैं लेकिन वे उत्पादन और वितरण के लिए तैयार नहीं हैं। विद्युत उत्पादन के लिए आपको बहुत अधिक धनराशि की आवश्यकता है। यदि आप एक मेगावाट विद्युत का उत्पादन करना चाहते हैं तो आपको 5 करोड़ रुपये की आवश्यकता पड़ेगी। यदि आप 1000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करना चाहते हैं तो आपको 5000 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी और आपको उससे लाभ अर्जित करने हेतु कम से कम 15 वर्षों तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, जिसके लिए वे तैयार नहीं हैं। अतः निजी क्षेत्र के लोग विद्युत उत्पादन में निवेश करने नहीं जा रहे। यदि वे निवेश करने नहीं जा रहे हैं और यदि सरकार भी निवेश करने नहीं जा रही है तो विद्युत कहां से उत्पादित होगी? इसी कारणवश सरकार ने स्वयं ही नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत विद्युत उत्पादन का लक्ष्य 48,000 मेगावाट से घटाकर 28,000 मेगावाट निर्धारित कर दिया है। इसके बाद आपने इसे 28,000 मेगावाट से घटाकर 20,000 मेगावाट कर दिया और आप 20,000 मेगावाट विद्युत का भी उत्पादन नहीं कर सके और अन्ततः नौवीं योजना के अंतर्गत केवल 18,000 मेगावाट बिजली का ही उत्पादन हो पाया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि आपकी मंशा बुरी थी या आप अपनी आलोचना करवाना चाहते थे, अपितु ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपकी नीति गलत थी। आपको आशा थी कि निजी क्षेत्र विद्युत उत्पादन में निवेश करेगा। निजी क्षेत्र निवेश करने का इच्छुक नहीं है इसीलिए आप विद्युत उत्पादन नहीं कर पाए। यदि आप विद्युत का उत्पादन नहीं कर रहे हैं तो आप एक ऐसा वातावरण किस प्रकार निर्मित करेंगे जो कि औद्योगिक विकास में सहायक होगा? आपको इसे ध्यान में रखना होगा। मैं इस बिंदु पर मंत्री जी से उत्तर नहीं मांग रहा हूं लेकिन इस बिंदु पर उन्हें एक नीतिगत मामले की भांति विचार करना पड़ेगा।

आपका दूसरा नीतिगत निर्णय यह है कि आपने आई.डी.बी.आई. को एक बैंक के रूप में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है और वह विधेयक हमारे पास है। हम इसका विरोध नहीं करने जा रहे हैं। हम इसे पारित करने में आपकी सहायता करने जा रहे हैं। हम केवल इसलिए आपकी आलोचना नहीं कर रहे हैं कि हम यहां बैठे हैं बल्कि हमारी कुछ वास्तविक आशंकाएं हैं। आप निजी क्षेत्र से विद्युत उत्पादन में निवेश करने को कह रहे हैं। यदि निजी क्षेत्र निवेश नहीं कर रहा है तो आप करें। विद्युत उत्पादन में निवेश किए बिना आप इस देश में प्रौद्योगिकी विकास का वातावरण नहीं बना सकते। यदि आप एक उचित नीति बनाकर विद्युत उत्पादन में धनराशि का निवेश नहीं करते तो आप जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। हम किन्हीं व्यक्तियों की किन्हीं परियोजनाओं व गलत कार्यों के लिए आलोचना नहीं कर रहे हैं। हम आपकी नीतियों की आलोचना कर रहे हैं। यदि आप विद्युत उत्पादन के लिए निवेश नहीं करेंगे तो हम आपकी आलोचना करेंगे।

अब आई.डी.बी.आई. को क्या हो रहा है? यहां बैठे वरिष्ठ लोग यह जानते हैं कि आई.डी.बी.आई. का गठन क्यों किया गया था। आई.डी.बी.आई. का गठन निजी उद्योगों के विकास हेतु वित्त और निधियां उपलब्ध कराने के लिए किया गया था। आई.सी.आई.सी.आई. एक वित्तीय संस्था थी। आई.एफ.सी.आई. एक वित्तीय संस्था थी। इन वित्तीय संस्थाओं से यह आशा की जाती थी कि वे उद्यमियों को निजी क्षेत्र में अपने उद्योगों का विकास करने हेतु धनराशि उपलब्ध कराऐंगी। ये निधियां दीर्घकालिक आधार पर दी जानी थी। ये निधियां उन्हें स्वीकार्य ब्याज दर पर 15 या 20 वर्ष की अवधि के लिए दी गई थी; अब आपने आई.सी.आई.सी.आई. को एक बैंक में परिवर्तित कर दिया है। एक बैंक के रूप में आई.सी.आई.सी.आई. गृह-निर्माण या ऐसी ही किन्हीं छोटी-मोटी चीजों या कार खरीदने हेतु ऋण देकर अच्छा कार्य कर रहा है। लेकिन यह उद्योगों के विकास हेतु धनराशि नहीं दे रहा है। यदि आई.सी.आई.सी.आई. धनराशि नहीं दे रहा है और यदि आप आई.डी.बी.आई. के साथ भी वही करने जा रहे हैं, जो कि एकमात्र ऐसी वित्तीय संस्था है जो आपके पास विद्यमान है, तो क्या होने जा रहा है? ...*(व्यवधान)*

डा. नीतिश सेनगुप्ता: आज उनकी सहायता करने हेतु सभी बैंक उपस्थित हैं।

श्री शिवराज वि. पाटील: नहीं, वे ऐसा नहीं करते हैं। आप योजना आयोग में रहे हैं। मुझे आपके मुंह से यह सुनकर खेद हुआ है। ये बैंक छोटी धनराशि 5 से 10 वर्ष के लिए देते हैं। वे 1000 करोड़ रुपये या ऐसी बड़ी राशि नहीं देते हैं.

डा. नीतिश सेनगुप्ता: दीर्घावधि ऋण और लघु-अवधि ऋण के बीच का अंतर मिटा दिया गया है।

श्री शिवराज वि. पाटील: 'मिटा दिया' क्या अर्थ है? *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आपको अपने समय पर बोलना चाहिए। मैं आपको अवसर दे रहा हूं।

श्री शिवराज वि. पाटील: नहीं, नहीं यही सही समय है। कृपया उन्हें कहने दें। मैं उनकी बात का उत्तर देना चाहूंगा। वह भारत सरकार के एक बहुत जिम्मेदार अधिकारी रह चुके हैं। मैं उनके विचारों का आदर करूंगा।

डा. नीतिश सेनगुप्ता: वर्ष 1969 में एक व्यवस्था बनाई गई थी।

श्री शिवराज वि. पाटील: 'बनाई गई थी' से क्या तात्पर्य है?

डा. नीतिश सेनगुप्ता: 'राष्ट्रीयकरण' के पश्चात।

श्री शिवराज वि. पाटील: क्या किसी उद्योग के विकास हेतु दीर्घकालिक ऋण की आवश्यकता नहीं है?

डा. नीतिश सेनगुप्ता: आपको इसकी बहुत आवश्यकता होती है।

श्री शिवराज वि. पाटील: इसे कौन देने जा रहा है? *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

डा. नीतिश सेनगुप्ता: आई.डी.बी.आई. और आई.सी.आई.सी.आई. को ऐसा करना था।

श्री शिवराज वि. पाटील: मुझे खेद है कि ये संसद सदस्य किसी दल के सदस्य की भांति बोल रहे हैं। वह भारत के एक नागरिक की भांति नहीं बोल रहे। मैं उनसे आशा करूंगा कि वह भारत के एक नागरिक की भांति बोलें न कि किसी दल के सदस्य की भांति। मैं व्यक्तिगत रूप से उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूं। मैं नीति की आलोचना कर रहा हूं। यदि आई.डी.बी.आई. एक बैंक बन जाता है तो वह उद्योगों को दीर्घावधि ऋण प्रदान करने की स्थिति में नहीं रहेगा जिससे की उद्योग प्रभावित होंगे। आप इस प्रश्न का उत्तर देने यहां नहीं रहेंगे। आप यह कहेंगे कि मैं ऐसा करना चाहता था और यदि वैसा नहीं हुआ तो हम क्या कर सकते हैं? समय निकल चुका होगा। अभी सरकार सर्वाधिक जिम्मेदार है। आपको उन नीतियों के निहितार्थों को समझना चाहिए जिन्हें आप स्वयं बना रहे हैं। जब आप आई.डी.बी.आई. को लाभार्जन हेतु एक बैंक के रूप में परिवर्तित कर देते हैं तो वह आपको कार आदि के लिए धनराशि देगा। जिस मूल्य पर एक फ्लैट या घर खरीदने के लिए वह आपको 35 लाख, 40 लाख या 2 करोड़ रुपये देगा। लेकिन वे आपको किसी उद्योग का विकास करने हेतु 2000 करोड़ या 4000 करोड़ रुपये नहीं देंगे। यदि उद्योगों का विकास करने हेतु आपके पास वित्तीय संस्थाएं नहीं हैं तो यह पैसा उस उद्योग को दिया जाएगा जो कि मुम्बई, कोलकाता या बंगलौर में होगा। वह पूर्वोत्तर राज्यों में नहीं होगा। वह कश्मीर में नहीं होगा। वह विकासशील क्षेत्रों में नहीं होगा। वे क्षेत्र धन के अभाव से प्रभावित रहेंगे। बैंक उन्हें यह धन नहीं देंगे। यह कार्य वित्तीय संस्थाओं को करना पड़ेगा। इसीलिए इन संस्थाओं को बनाया गया था। बैंक विद्यमान थे। हम अधिक बैंक गठित कर सकते थे। हमने अधिक बैंक गठित नहीं किए क्योंकि बैंक, अपने कार्य की प्रकृति के कारण छोटी धनराशि कम अवधि के लिए उन व्यक्तियों को उधार देते हैं जो उस धन को लौटा भी सकें। वित्तीय संस्थाओं का गठन उद्योगों का विकास करने हेतु उन्हें लम्बी अवधि के लिए ऋण प्रदान करने हेतु किया गया था। अब आप एक निर्णय ले रहे हैं। मैंने अपने विचार वित्त मंत्री जी के सम्मुख रखे थे, जो कि बहुत समझदार हैं। उन्होंने भी मुझसे यही कहा था कि वे यह देखने हेतु कुछ करेंगे कि दीर्घावधि ऋण उपलब्ध हो सके। वे उस बात को मान रहे हैं परन्तु आप नहीं मान रहे। आप राजा से भी अधिक वफादार हैं। यह सही नहीं है। मैं आपसे इसकी अपेक्षा नहीं रखता। मैं थोड़ा सा आलोचक लग रहा हूं। मुझे यह कहते हुए खेद होता है। लेकिन कृपया ऐसी नीति का समर्थन न करें जिस पर आपको भविष्य में खेद हो। मंत्री जी कुछ नहीं कहेंगे। हम उनसे यहां कुछ कहने की अपेक्षा नहीं रखते। लेकिन हम उनसे इस बात को समझने की अपेक्षा रखते हैं कि यदि उन्हें हमारे कथन में विश्वास है तो वे इस मुद्दे को मंत्रिपरिषद में उठाऐंगे। यह उनके हित में होगा। यह उनके दल के हित में होगा, यह उनकी सरकार के हित में होगा और यह निश्चित रूप से समग्र रूप से इस देश के हित में होगा। यदि उन्हें विश्वास नहीं है तो वे इसे कूड़ेदान में फेंक दें, हमें उस पर आपत्ति नहीं होगी। लेकिन अनावश्क रूप से, बिना समझे यहां रखे गए किसी ऐसे प्रस्ताव का समर्थन न करें जो हमारे लिए समस्याएं पैदा करने जा रहा है।

मैं यह कह रहा हूं कि विद्युत उपलब्ध नहीं होगी और यदि आप आई.डी.बी.आई. को एक बैंक के रूप में परिवर्तित कर देंगे तो धन भी उपलब्ध नहीं होगा। यदि यहां विद्युत उपलब्ध नहीं है, यदि यहां धन उपलब्ध नहीं है तो उद्योगों का विकास कैसे होगा? कृषि का विकास कैसे होने जा रहा है? आप एक ऐसी प्रौद्योगिकी

का विकास कैसे करेंगे जिसे लाभार्जन करने हेतु लंबी अवधि और धन की आवश्यकता होगी और यह धन बैंकों से नहीं मिलेगा?

अब उनकी इच्छा स्व-रोजगार उपलब्ध कराने की है। आप इसे कैसे सृजित करने जा रहे हैं? ऐसा केवल 'हां' या 'नहीं' करने से नहीं होने जा रहा है? आप देश में स्व-रोजगार पैदा करने जा रहे हैं। आप देश में, एक ऐसी नीति बनाकर ही स्वरोजगार उत्पन्न कर सकते हैं जो वास्तव में आपकी सहायता करेगी।

इसीलिए मैं यह कह रहा हूं कि एक ओर आपके पास काम का अधिकार और कर्त्तव्य है और दूसरी ओर आप आवश्यक अवसंरचना का निर्माण करते हैं। यदि आप स्वर्णिम चतुर्भुज का निर्माण कर रहे हैं तो हम आपका विरोध नहीं कर रहे हैं, यदि आप नदियों को जोड़ रहे हैं तो हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन यदि आप एक ऐसे स्रोत को बंद करते हैं जिससे उद्योगों के विकास हेतु दीर्घावधि ऋण उपलब्ध हो सकेगा तो हम निश्चित रूप से उसकी आलोचना करेंगे। लेकिन कृपया इसे व्यक्तिगत आलोचना के रूप में न लें, इसे इस प्रकार से न लें कि जो कुछ भी घटित हो रहा है उसका समर्थन करना आपका कर्त्तव्य है। यहां बैठे हुए हम लोग न केवल दल अपितु इस देश के प्रति भी जिम्मेदार हैं. अत: इसके निहितार्थों को समझे और फिर आप जो महसूस करते हैं वह कहें। आपकी जो भी सुविचारित राय होगी, हम उसका आदर करेंगे। यदि हम यह महसूस करेंगे कि यह सुविचारित राय न होकर दलीय आग्रहों के कारणवश है तो हम ऐसा न करने के अपने अधिकार को सुरक्षित रखते हैं।

महोदय, तीसरा बात शिक्षा के बारे में है। अब, शिक्षा क्या है? शिक्षा महंगी कैसे हो गई है? एक ओर आपने निम्न स्तर अर्थात् प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का अधिकार देने का निर्णय लिया है। माध्यमिक स्तर पर यह अधिकार उपलब्ध नहीं है, और तीसरे स्तर पर तो यह निश्चित रूप से नहीं है। क्योंकि यह हमारी नीति है कि तीसरे स्तर की शिक्षा नीति क्षेत्र में होनी चाहिए अत: इस स्तर पर यह महंगी हो गई है। यदि इंजीनियरिंग कालेज या मेडीकल कालेज में दाखिला लेने हेतु एक बच्चे को 50 लाख रुपये व्यय करने पड़ें तो एक आदमी इतना पैसा कहां से लाएगा? हम उनसे अप्रत्यक्ष रूप से यह पैसा कमाने को कह रहे हैं। आप ईमानदारी से यह पैसा नहीं कमा सकते अत: बेईमानी से यह पैसा अर्जित कीजिए। इतना पैसा कानूनी या गैर-कानूनी तरीके से कमाइये और फिर उसे किसी कालेज को, अपने बच्चे को शिक्षित करने के लिए दे दीजिए। क्या यह सहायक होने जा रहा है। मैं निजी संस्थानों के विरुद्ध नहीं हूं। अब बहुत निजी संस्थान हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वे अपना काम शुरू करें, कुछ ज्यादा शुल्क वसूल करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। संस्थान चलाने के लिए उन्हें जितने भी धन की आवश्यकता है, उन्हें लेने दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु संस्थान ऐसे नहीं होने चाहिए जो पैसा बनाने में लग जाये या जहां धन लूटा जाता है और फिर उसका इस्तेमाल किया जाता है। यह सब इस राष्ट्र में हो रहा है या नहीं?

इसके लिए मात्र केन्द्र सरकार ही जिम्मेदार नहीं है बल्कि राज्य सरकारें भी जिम्मेवार है। क्या यह हो रहा है या नहीं? यदि यह हो रहा है तो हम लोग जो यहां बैठे हैं क्या उनकी इसके प्रति कोई कर्त्तव्य है या नहीं? यदि हमारा कोई दायित्व है तो क्या हमें ऐसी नीति नहीं बनानी चाहिए जिसके द्वारा हमारे देश में बच्चों को शिक्षित करने के लिए आवश्यक खर्च को वास्तव में कम किया जा सकता है या नहीं? यदि हम ऐसा नहीं करते है तो ऐसा कैसे होगा कि सम्पत्ति कुछ हाथों में ही एकत्रित नहीं हो? वह एकत्रित होगी। अमीर व्यक्ति भुगतान करेंगे, अमीर व्यक्ति कमायेंगे और अमीर व्यक्तियों के पास गरीब व्यक्ति, आम व्यक्ति की बजाय ज्यादा सम्पत्ति होगी। कोई समानता नहीं होगी। अब, उन्होंने अपनी मंशा व्यक्त कर दी है जो कि बिल्कुल सही मंशा है। वह यह नहीं कह रहे है कि आप यह विधेयक स्वीकार करें और इसे पारित करें। परन्तु वह निश्चित ही असमानता को रेखांकित करना चाहते है, जो असमानता हमारे राष्ट्र में मौजूद है और वह यहां यह कह रहे है कि यदि हम उपचारात्मक कदम नहीं उठायेंगे, तो हमीं जिम्मेवार होंगे। इतिहास हमारे विरुद्ध निर्णय पारित करेगा-चाहे हम इस तरफ बैठे है या उस तरफ। वे इस मंच के विरुद्ध निर्णय पारित करेंगे, चूंकि हम विचार व्यक्त नहीं कर रहे है और वे हम लोगों के विरुद्ध निर्णय पारित करेंगे जिन्होंने इस संदर्भ में निर्णय लिये हैं।

यह किया जाना है। यहां आकर एक दूसरे पर आरोप लगाने और यह कहने से कोई मदद नहीं मिलेगी कि इसने यह कार्य किया है और उसने वह कार्य किया है। अब हमें उन नीतियों का अत्यंत गंभीरता से जांच करनी होगी जो हम बना रहे है और उन नीतियों के निहितार्थ को समझना है।

हम निजीकरण का विरोध नहीं कर रहे है। हमें इसे समझना है। भारत में उत्पादक क्षमता का 80 प्रतिशत निजी हाथों में है और वह इस तथ्य के बावजूद की कुछ लोग हमारी आलोचना करते हैं यहां बैठी हुई कांग्रेस पार्टी द्वारा किया गया है। परन्तु यदि निजीकरण का प्रयोग शोषण के लिए किया जाता है और इससे समस्याएं उत्पन्न होती है तो क्या हम इस प्रकार की नीतियां नहीं बनानी चाहिए कि शोषण को रोका जा सके, रोजगार प्रदान किया जा सके, उद्योग विकसित हो, शिक्षा प्रदान की जाए और प्रौद्योगिकी का विकास हो? यदि हम यह सब नहीं कह रहे है, तब यह सब क्या है जो हम कर रहे है? हम सरकारी सदस्यों और संसद सदस्यों के तौर पर मिलने वाली परिलब्धियां और सुविधाओं का आनन्द प्राप्त कर रहे है और उससे अधिक कुछ नहीं हैं। अब इस प्रकार की चीजों को रोकना होगा।

[श्री शिवराज वि. पाटील]

मेरे विचार से यहां बोलने के समय के लिए कोई नहीं कह रहा है और मेरे पास बोलने के लिए समय है। कम से कम यह सब रिकार्ड में रहेगा कि यहां एक सदस्य था जिसने यह सब कहा था। कृपया इसे ठीक उसी संदर्भ में समझा जाए जिस संदर्भ में मैंने बोला है और जो स्वीकार करने योग्य है उसे स्वीकार किया जाए। 'हां' या 'नहीं' नहीं कहें। हम किसी भी मंत्री या किसी से भी इसे तत्काल नहीं चाहते है परन्तु नीतियां बनाते समय इसका ध्यान रखा जाये।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, श्री रामदास आठवले द्वारा प्रस्तुत विधेयक का सामान्य: मैं समर्थन करता हूं परन्तु इसकी कुछ सीमाएं है।

श्री शिवराज वि. पाटिल द्वारा व्यक्त तथ्यों से सहमत होते हुए एक अन्य पहलू भी है जिसे हमें विश्वसनीयता प्रदान करनी होगी। अब भारत में क्या स्थिति है? हमने सुधार नीतियां प्रारम्भ की है। उन्हें अभी कार्यान्वित किया जा रहा है। भूमण्डलीकरण, निजीकरण और उदारीकरण आज प्रचलन में है। लेकिन निबल परिणाम क्या है? अभी, प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि सुधार निर्धन व्यक्ति तक नहीं पहुंचे हैं। यद्यपि सरकार ने इन सभी सुधारों को लागू किया है लेकिन इनका निबल परिणाम यह है कि गरीब व्यक्ति और अधिक गरीब हो रहा है और अमीर व्यक्ति और अधिक अमीर हो रहा है। यह स्थिति है। यह लाभ आम आदमी तक नहीं पहुंच रहे है। यह उनके द्वारा भी स्वीकार किया गया है।

अब स्थिति यह है कि निजीकरण के कारण कुछ उद्योग, जो कि पहले फल-फूल रहे थे वे भी बेचे जा रहे है। श्रमिकों को सेवा की सुरक्षा नहीं मिली हुई है। उन्हें बाहर निकाला जा रहा है। यहां तक की श्रम कानूनों को भी लागू नहीं किया जा रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उद्योग तो लाभ में चल रहे थे। उन उद्योगों में से भी हजारों और हजारों मजदूरों को निकाल दिया गया है। अब हम 'कार्य के अधिकार' की कल्पना नहीं कर सकते हैं। अब उन श्रमिकों की क्या नियति होगी जो कि प्रत्येक वर्ष इन सार्वजनिक उपक्रमों से निकाले जा रहे है?

हम देश के प्रत्येक भाग में भारी संख्या में हो रही आत्म-हत्याओं के बारे में सुन रहे हैं। किसान आत्म-हत्या कर रहे है और मजदूर आत्म-हत्या कर रहे है। मेरे विचार से मेरे मित्र इससे सहमत होंगे कि यदि आप मुम्बई जाए तो देखेंगे की लगभग सभी कपड़ा मिलें बंद हो चुकी है। एक ऐसा समय था जब वहां पड़ोसी राज्यों और दूर-दराज के राज्यों के लोग भी कार्य करते थे। वे उन बड़े शहरों में थे। परन्तु वे सुनसान और उपेक्षित हो गयी हैं। वहां कोई रोने वाला भी नहीं है। यह देश की स्थिति है।

जब, संविधान बनाया गया था, तो उसमें दो प्रकार के मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया था। एक है न्यायालय के विचार योग्य अधिकार और दूसरा ऐसे मूल अधिकार जो न्यायालय में विचारणीय नहीं हैं।

वाक् स्वतंत्रता और संगम बनाने की स्वतंत्रता न्यायालय के विचार योग्य मूल अधिकारों में शामिल किये गये है जिन्हें लागू किया जा सकता है। परन्तु जो अधिकार अनुच्छेद 39 में उल्लिखित किये गये है या वर्णित है वे भी प्रकृति में मौलिक है। हम उस तथ्य से इंकार नहीं कर सकते है परन्तु वे प्रवर्तन योग्य नहीं है। इसका क्या परिणाम निकला है? अब हम उस स्थिति में पहुंच गये हैं जहां हमें अत्यंत गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा है। हम उस स्थिति में आ गये हैं कि हम अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति से भी अत्यंत दूर हैं।

अभी हाल ही में उच्चतम न्यायालय का आदेश आया है कि श्रमिकों को सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार नहीं हैं। यह मूल अधिकार है। कार्य से हड़ताल पर जाने का कोई भी प्रयास गैर-कानूनी, अनैतिक है और साथ ही वह न्यायसंगत भी नहीं हो सकता है। यह निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा लिया गया है। इसने अभी हाल ही के निर्णय को दृष्टांतकारी निर्णय बना दिया है। सरकार न्यायालय में गयी नहीं। उन्होंने इस स्थिति से निपटने का कोई ईमानदार प्रयास नहीं किया। सभी श्रमिक विद्रोह कर रहे हैं। इसको ध्यान में रखा जाए कि इस सभा ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1948 नामक एक संकल्प या कानून पारित किया है जिसमें हमने यह प्रावधान किया है कि उन्हें कार्य से हड़ताल पर जाने का भी अधिकार है जिसके लिए उन्हें 24 घन्टों की सूचना देनी होगी। 24 घन्टे की सूचना के उपरान्त वे हड़ताल कर सकते है। परन्तु दुर्भाग्य से हमारी देश की उच्चतम न्यायिक संस्था ने इसे अनैतिक और अवैध माना है। उसमें इस तथ्य को नकार दिया गया है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम में प्रावधान है जिसके अंतर्गत श्रमिकों को सामूहिक करार का अधिकार प्रदान किया गया है। उच्चतम न्यायालय उससे सहमत नहीं है।

अब शुद्ध परिणाम क्या है? भारत सरकार का दायित्व और कर्त्तव्य है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, भारत सरकार एक पक्ष है। वे इस अंतर्राष्ट्रीय कंवेंशन के सह-प्रायोजकों में से एक है जिसमें कार्य के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया है और कार्य से हड़ताल पर जाने को भी मौलिक अधिकार माना गया है। भारत इस कंवेंशन का हस्ताक्षरकर्ता है। उच्चतम न्यायालय का निर्णय उस अन्तर्राष्ट्रीय पक्ष या कंवेंशन के विरुद्ध है। भारत को भी अन्तर्राष्ट्रीय कंवेंशन और विनियमों का पालन करना होगा। भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य है। हमें विश्व व्यापार संगठन का निर्णय मानना होगा। क्या उच्चतम न्यायालय यह कह सकता है कि यह भारत

के हित के विरुद्ध है और इसलिए हमें इस बात की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। और यही बात श्रमिक वर्ग के मामले में भी सच है, और इसे उच्चतम न्यायालय ने कर दिखाया है कि श्रमिकों को हड़ताल करने का कोई अधिकार नहीं है। निश्चित रूप से, यह अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक आंदोलन के लिए एक आघात या एक काला धब्बा है।

यहां माननीय मंत्री जी उपस्थित हैं। उन्हें इस स्थिति का हल निकालना चाहिए। उन्हें इस निर्णय की पुनरीक्षा करनी चाहिए। यह कोई निर्णय नहीं है। यह एक दृष्टांत मात्र है। इसे संशोधित किया जा सकता है। मेरी समझ से उच्चतम न्यायालय भी इसमें संशोधन करने पर विचार कर रहा है, लेकिन यह बात सच है या नहीं, मुझे यह नहीं मालूम है। लेकिन सरकार को चाहिए कि वह इस दृष्टांत में संशोधन के लिए तुरन्त प्रयास करे ताकि भारत में श्रमिक वर्ग को उसके साधारण अधिकार प्राप्त हो सकें। आप समझते हैं कि आप द्वारा भविष्य में उन्हें नौकरियां देने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते। आप कम से कम उन्हें वह रोजगार सुरक्षा तो दें जिसे वो पा रहे थे। राज्य में रोजगार की कोई सुरक्षा नहीं रह गयी है। यहां तक की राज्यों में भर्ती नियमों तक का अनुपालन नहीं किया जाता। श्रमिकों को जो लाभ दिये गये थे, किसी न किसी आधार पर उन्हें उन लाभों से भी वंचित रखा जाता है। यहां तक कि उन्हें बोनस भी नहीं दिया जाता। छुट्टियों के नकदीकरण के लाभ पूरे भारत में नहीं दिये जा रहे हैं। लेकिन इन सब समस्याओं का कोई हल नहीं है। इस समय हम श्री रामदास आठवले द्वारा प्रस्तुत उस विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं जिसे बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पेश किया गया है, लेकिन मैं इस विधेयक में उनके द्वारा सुझाये गये समाधानों से सहमत नहीं हूं।

अपराह्न 5.00 बजे

उन्होंने ठीक ही कहा है:

''.....विगत कुछ वर्षों में देश की आर्थिक नीतियों के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप धन का संकेन्द्रण कथित छोटे अथवा बड़े ''औद्योगिक घरानों'' और परिवारों के समूहों और उनके सगे-संबंधियों के बीच हो गया है। इसके परिणामस्वरूप अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और अधिसंख्य लोग धन उत्पादन के साधनों से वंचित रह जाते हैं और उनकी जीवन स्तर अपेक्षाकृत निम्न रहता है।''

इसके लिए जो समाधान सुझाये गये हैं वे इस प्रकार हैं:

''अत: यह वांछनीय है कि सरकार रचनात्मक रोजगार सृजन योजनाएं शुरू करे और स्वरोजगार हेतु आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराये। सरकार को चाहिए कि वह ऐसे व्यक्तियों और उनके परिवार के सदस्यों को जिन्हें ऐसी परियोजनाओं का लाभ नहीं मिला है, औद्योगिक लाइसेंस, आयात-निर्यात लाइसेंस, दूरभाष सेवाएं चलाने के लिए दूरभाष पेट्रोल स्टेशनों, रसोई गैस एजेंसियों.....''

उन्होंने ये समाधान सुझाये हैं लेकिन ये कोई वास्तविक समाधान नहीं हैं। जैसाकि श्री शिवराज वि. पाटील ने सुझाव दिया है, कि नीति में परिवर्तन होना ही इस समस्या की जड़ है। हमें आर्थिक सुधारों की सम्पूर्ण प्रक्रिया पर पुनर्विचार करना होगा। हम इसी स्थिति में आ पहुंचे हैं। देश संकट का सामना कर रहा है। इस संकट को दूर करने का एक ही तरीका है कि हम इन सभी बातों पर पुनर्विचार करें।

जहां तक उच्च शिक्षा का मामला है, चिकित्सा विद्यालय में प्रवेश के इच्छुक छात्र को 15 लाख से 25 लाख रुपये की आवश्यकता होती है। राज्यों में वर्तमान स्थिति यही है। यह मामला उच्चतम न्यायालय में पहुंचा है और उच्चतम न्यायालय इस बारे में एक निर्णय पर भी पहुंचा है। इस बारे में एक समिति गठित की गयी है जो यह निर्धारित करेगी चिकित्सा विद्यालय में प्रवेश के लिए कितने लाख रुपये दिये जाने चाहिए। प्रत्येक राज्य में सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया जाएगा ये समितियां यह तय करेंगी कि कितनी धनराशि अदा की जानी चाहिए। ये धनराशि एक लाख रुपये से कम नहीं होगी। वास्तव में यह राशि एक लाख रुपये से अधिक ही होगी। अब आप ही बतायें कि किसी गरीब का बच्चा किसी इंजीनियरिंग कालेज, मेडिकल कालेज या दूसरे पेशेवर कालेजों में प्रवेश कैसे पा सकेगा?

हम निजीकरण के खिलाफ नहीं हैं। निजी एजेंसियों ने कई अच्छे काम किये हैं लेकिन अब उनका यह धंधा बन गया है। शिक्षा कमोवेश अब व्यापार बनती जा रही है। अब सेवा कार्य नहीं रह गयी है और अब प्रबन्धन ऐसी नीतियां अपना रहा है जिससे अधिक से अधिक लाभ हो। इसी बात को ध्यान में रखकर लोग तरह-तरह के धंधे कर रहे हैं। केरल जैसे राज्य में कई बातें चोरी-छिपे हो रही हैं।

यदि आप संयुक्त अरब अमीरात के दूतावास में जायें तो आप पायेंगे कि वहां लाखों लोग सत्यापन के लिए आ रहे हैं। हम इन्हें नौकरियां नहीं दे पाते। इसलिए ये लोग संयुक्त अरब अमीरात जाते हैं और वहां नौकरी करते हैं। राजदूतावास के सामने प्रत्येक दिन भीड़ इकट्ठी रहती है क्योंकि वहां प्रत्येक दिन बड़ी संख्या में लोग आते हैं। इनमें से अधिकतर दक्षिण के मलयाली लोग हैं जो खाड़ी देशों में जाने के इच्छुक होते हैं। ये सभी शिक्षित बेरोजगार

[श्री वरकला राधाकृष्णन]

युवा हैं। राज्य इन्हें कोई रोजगार नहीं दे सकता क्योंकि वहां रोजगार के अवसर ही नहीं हैं, और न ही केन्द्रीय सरकार उन्हें कोई रोजगार प्रदान कर सकती है। ये रोजगार के लिए खाड़ी देशों में जाते हैं। ये रोजगार के लिए दुबई, अबूधाबी और शरजाह जाते हैं।

संयुक्त अरब अमीरात के प्राधिकारियों ने रोजगार की तलाश में जाने वाले इन लोगों पर अब यह एक नया प्रतिबंध लगा दिया है कि ये लोग अपने प्रमाण-पत्रों के सत्यापन के लिए नयी दिल्ली आयें। इसके लिए राजदूतावास में प्रतिदिन हजारों लोग आते हैं। दूतावास सुबह 9.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक ही कार्य करता है। इसलिए अधिक से अधिक 250 लोगों के ही प्रमाणपत्र सत्यापित हो पाते हैं। शेष लोग यहां लम्बे समय तक रूके रहते हैं। हम इस विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं, तो मैं आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारे देश की स्थिति ऐसी है।

यदि सरकार उन्हें रोजगार प्रदान नहीं कर सकती, तो इन युवाओं के पास चोरी करने, लूटमार करने अथवा दूसरे जघन्य अपराध करने या आत्महत्या करने के अलावा कोई चारा न रहेगा। इनके लिए दूसरा कोई रास्ता ही नहीं बचा है। हमारे देश की स्थिति यह है। यदि इस सभा का कोई माननीय सदस्य किसी खाड़ी देश के राजदूतावास में गया होता तो उसे पता चलता कि किस तरह सैकड़ों शिक्षित बेरोजगार युवा आकर वहां जुटते हैं।

साथ ही, केन्द्रीय सरकार के समक्ष इन लोगों को रोजगार प्रदान करने में एक और समस्या है। प्रत्येक मंत्रालय इनके प्रमाणपत्रों का सत्यापन स्वयं करे या आप एक काम और कर सकते हैं; आप उन्हें एक कतार में खड़ा कर उन्हें एक-एक कर गोली मार दें। इसका एक मात्र समाधान यही है। इन लोगों को बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है।

इन सब मुसीबतों के अलावा एक और मुसीबत गले डाल दी गयी है। आप जानना चाहेंगे कि यह मुसीबत क्या है? जो लोग खाड़ी देशों में रोजगार के इच्छुक हों उन्हें अपना वापसी किराया अग्रिम रूप से भरना होगा। क्या मानवीय संवेदनाओं वाली कोई सरकार ऐसा करेगी? लेकिन हमारा विदेश मंत्रालय इस बात पर दृढ़ था कि सभी लोगों को अपना वापसी किराया भी अग्रिम रूप से भरना चाहिए। हम यहां इस बात पर चर्चा नहीं कर रहे हैं कि रोजगार के अवसर को मौलिक अधिकार कैसे बनाया जाये। कार्य करने का अधिकार मौलिक अधिकार है। लेकिन अभी तक हम लोगों को यह अधिकार नहीं प्रदान कर सके हैं और न ही आपने इस दिशा में कार्य करने की कोई आवश्यकता समझी है। तो कम से कम आप इन्हें विश्व के किसी भाग में रहने की अनुमति तो दे ही सकते हैं। यदि आप इन्हें सुरक्षित ढंग से जाने दें तो ये बेरोजगार लोग मेरे राज्य तथा पड़ोसी राज्य के ये युवा लोग विश्व में कहीं भी जाने को तैयार हैं। लेकिन आप इन पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। अब ये लोग विदेश जाते हैं, वहां कार्य करते है और ढेर सारी विदेशी मुद्राएं लाते हैं। लेकिन यह सरकार इस तथ्य पर भी विचार नहीं कर रही है। मैं ये सभी बातें बड़े दुखी मन से कह रहा हूं क्योंकि आज यही स्थिति व्याप्त है। ये सभी लोग न केवल केरल से हैं अपितु मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से हैं।

जब मेरे सम्मुख इस तरह की स्थिति हो तो मेरे लिए इस प्रस्ताव पर कुछ बोल पाना बहुत मुश्किल है। इस मामले में भारत सरकार को आगे आकर कुछ न कुछ करना चाहिए। अब भारत में भी आप एक-एक करके सारे सरकारी उपक्रम बेचते जा रहे हैं। कई सरकारी उपक्रम सस्ते दामों पर बेच दिये गये हैं। लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं। वे बेघरबार हो रहे हैं। यदि वे कहीं और रोजगार तलाशें तो क्या हर्ज है, क्योंकि आप तो रोजगार देंगे नहीं। तो आप ही बतायें कि इसका समाधान क्या है? इसका कोई न कोई रास्ता तो निकलना चाहिए। आज देश में यह बहुत ही शोचनीय स्थिति व्याप्त हैं।

मैं समझता हूं कि माननीय श्रम मंत्री इस स्थिति से भिज्ञ होंगे। केरल सरकार ने और दूसरे राज्यों की सरकारों ने इस बारे में आप से सम्पर्क किया है कि इस प्रक्रिया को आसान बनाया जाये। आप कृपया कुछ करें ताकि इन लोगों को सामूहिक रूप से आत्महत्या करने से रोका जा सके। आप यहां उन्हें रोजगार नहीं देंगे और दूसरी जगह कार्य करने की अनुमति नहीं देंगे। तो फिर इन लोगों के समक्ष और क्या रास्ता बचता है।

महोदय, देश में इस समय सारे श्रम कानूनों को एक तरफ कर दिया गया है, उन्हें कूड़ेदान में फेंक दिया गया है इस सभा ने जिन श्रम कानूनों को बहुत पहले पारित किया था आज कोई भी नियोक्ता उन कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने का इच्छुक नहीं है। परिणामस्वरूप, लोग काफी आंदोलन कर रहे हैं। श्रम कानून के किसी भी उपबंध को लागू नहीं किया जा रहा है और यहां तक कि श्रमिकों को सांविधिक लाभों से भी वंचित किया जा रहा है। वास्तव में इन सभी मामलों का कोई हल नहीं हैं। यहां तक कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी उनके कई भत्तों से वंचित रखा जा रहा है। उनको पेंशन संबंधी लाभ नहीं दिये जा रहे हैं। इसलिए, हम इस विधेयक पर चर्चा करते समय यह जान ले कि इस बारे में वस्तुस्थिति क्या है। मैं इस विधेयक में दिये गये सुझावों से सहमत नहीं हूं पर इस विधेयक का इरादा नेक है।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): सभापति महोदय, मैं माननीय संसद सदस्य श्री रामदास आठवले को इस सदन के विचारार्थ यह विधेयक लाने पर धन्यवाद देता हूं। इसमें संदेह नहीं है कि इसके पीछे इनकी सदिच्छा है और इससे हमें उन कुछ मामलों पर विचार-विमर्श करने का अवसर मिला है जिन पर न केवल इस सदन में ही अपितु इसके बाहर भी चर्चा चल रही है। इस विधेयक का संबंध आर्थिक नीति, श्रम नीति, देश की वित्तीय स्थिति और उस सपने से है जो कि हमारे पूर्वजों ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान देखा था। गत छह दशकों, अर्थात् 1947 से आज तक हमारे देश को स्वतंत्र हुए यह छठा दशक है-राजनैतिक नारा आज कोलाहर बन गया है। इन बीते 56 या 57 वर्षों में विभिन्न राजनैतिक मंचों से यह बात कही जाती रही है कि देश की आर्थिक नीति इस तरह से परिवर्तित होती रही है कि केवल कुछ औद्योगिक घरानों में ही पैसा एकत्रित होता रहा है। यह विभिन्न राजनैतिक समूहों और दलों द्वारा कहा जा चुका है। गत 12 वर्षों के दौरान बनाई गई नीतियों, अर्थात् 1991 से, यह बढ़ा है और दिन-प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है।

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ने वर्ष 1938 में पहली बार इस देश के नियोजित विकास का विचार किया था और भारत द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात हमने नौ पंचवर्षीय योजनाएं देखी हैं जिनके अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों-चाहे वह उद्योग हों, कृषि हो, आवास हो या अवसंरचना का विकास करना हो-में करोड़ों रुपयों का निवेश किया गया है। लेकिन सम्पूर्ण विकास पूरे देश को ध्यान में रखकर नहीं किया गया है। कुछ राज्यों का विकास हुआ, वे आगे बढ़े; कुछ अन्य राज्य पिछड़ गए। इसे स्पष्ट करने का सबसे सरल तरीका यह कर देने का है कि चूंकि अल्पविकसित राज्यों ने स्वयं को आगे लाने हेतु अधिक प्रयास नहीं किया अत: वे ऐसी स्थिति में हैं। लेकिन वास्तव में ऐसी बहुत सी नीतियां रही हैं जिनसे ये राज्य दलदल में फंसते चले गए हैं। मैं इसके परिणामों के बारे में अच्छी तरह जानते हुए भी एक सुझाव दूंगा।

दिल्ली एक अलग प्रकार का राज्य है। यह हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश अथवा राजस्थान का हिस्सा नहीं है। यह अपनी तरह का एक अलग राज्य है। आप पश्चिम बंगाल से कलकत्ता को बाहर निकाल दें, आप मुम्बई को महाराष्ट्र से अलग कर दें या चेन्नई को तमिलनाडु से अलग कर दें, तब, मेरे विचार से ये महानगर और इनके पड़ोसी राज्य कहीं अधिक अच्छी तरह से विकसित होंगे। लेकिन इन चार महानगरों का विकास बंगाल या उत्तर प्रदेश या पंजाब या महाराष्ट्र के कारण नहीं हुआ है, न ही चेन्नई का विकास तमिलनाडु के कारण हुआ है। यहां दो महानगर और हैं-हैदराबाद और बंगलौर-जो कि बहुत बाद में उभरे हैं। इन महानगरों का विकास उन अन्य विभिन्न कारणों से हुआ है जिनका इन महानगरों के विकास और प्रगति में गहन योगदान रहा है और उनकी आय ने राष्ट्र व उनके पड़ोसी राज्यों की प्रगति और आय में योगदान दिया है। लेकिन उन्हें किन्हीं राज्यों से जोड़ देने के कारण बनाई गई योजना व प्रावधानों के कारण स्वत: ही वे राज्य अधिक सम्पन्न हो गए हैं। आज के औद्योगिक वातावारण को ही लें। मैं बता दूं कि पहले दशक में यह लगभग शून्य थी। लगातार तीन पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान अवसंरचना की प्रगति हेतु किए गए भारी निवेश से देश के राजकोष में भारी योगदान हुआ था।

लेकिन आज मैं सदन का ध्यान एक निर्णायक मोड़ की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। जब पूरे विश्व के 1970 के दशक के प्रारंभ में एक निश्चित राह चुनी तो भारत ने एक अलग राह चुनते हुए समाजवादी मोड़ लिया। उसी अवधि के दौरान चीन ने माओ-त्से-तुंग और चाओ-एन-लार्ड के नेतृत्व में सीमित रूप से मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था को अपनाया था। आज वे आर्थिक प्रगति के मामले में हमसे कहीं आगे हैं।

चूंकि, वर्ष 1991 से 2003 तक 11 वर्ष गुजर चुके हैं यह इस वर्ष का अंतिम माह है। अत: अब जब हमने मुक्त बाजार व्यवस्था को अपना लिया है, यह आवश्यक है कि यह सदन इस मुद्दे पर विचार-विमर्श करे। हमने इस मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था से क्या प्राप्त किया है? क्या कमियां रही हैं और हम कहां असफल हुए हैं? हम उन नीतियों को प्रतिफलित क्यों नहीं कर पाए जो कि हमारे देश का अधिक विकास करने हेतु बनाई गई थीं? वर्ष 1990 के दशक में सोच-विचार कर यह निर्णय लिया गया था कि निवेश किया जाना चाहिए। निश्चित रूप से यह कोलाहल तो है कि हमें और अधिक विदेशी निवेश आमंत्रित करना चाहिए परन्तु कोई हमारे देश जैसे देश में निवेश क्यों करेगा? इसका केवल एक ही कारण, लाभार्जन हो सकता है। एक निवेशक लाभ कमाने के लिए ही निवेश करता है और वह लाभ भी शीघ्रता से होना चाहिए। एक निर्णय लिया गया था कि-अब भी मुझे नहीं लगता कि उसे सुधारा गया है-हमें एस मुद्दे पर मध्य मार्ग अपनाना चाहिए। हमारा विदेशी निवेश अति महत्त्वपूर्ण क्षेत्र में होगा। विपक्ष के एक विद्वान संसद सदस्य, श्री पाटिल ने एक बात कही थी और वह थी विद्युत क्षेत्र में निवेश।

वर्ष 1990 के दशक की शुरूआत में उड़ीसा, निवेश को आकर्षित कैसे किया जाए और कैसी नीतियां होनी चाहिएं, इन सब की एक प्रयोगशाला बना था। अन्तत: उड़ीया लोगों या उड़ीसा में रहने वाले लोगों को यह पीड़ा झेलनी पड़ी। इसमें बहुत सी चीजें सम्मिलित हैं और तदनुसार अन्य राज्यों को इससे सबक मिला कि वहां किस प्रकार का निवेश होना चाहिए और इस क्षेत्र में किस प्रकार के कानून बनाए जाने चाहिए, आदि। मैं इस सदन को यह बताना चाहूंगा कि हमारे देश की जनसंख्या लगभग 102 करोड़ है।

[श्री भर्तृहरि महताब]

आज इसका लगभग 25 प्रतिशत हिस्सा 30 वर्ष से कम आयु वर्ग का है। यह कहा गया है कि आगामी 15 वर्षों में वह आयु वर्ग हमारी जनसंख्या का 40 प्रतिशत हो जाएगा।

हमने रोजगार के बारे में चर्चा की है और हमें लाभदायक रोजगार के बारे में चर्चा करनी चाहिए न कि शोषण के बारे में, जैसा कि इस सदन ने हमारे माननीय संसद सदस्य श्री अनादि साहू कह चुके हैं।

हम लाभदायक रोजगार की अवधारणा से क्या समझते हैं? इसका अर्थ यह है कि एक व्यक्ति जो रोजगार में है वह उत्पादक कार्य के लिए काम कर रहा होना चाहिए न कि उसका उसकी स्थिति, जहां वह रहता है उस स्थान या अधिक महत्त्वपूर्ण बात जहां वह कार्यरत है, के आधार पर शोषण किया जाना चाहिए। स्व-रोजगार के लिए उसे पर्याप्त समर्थन दिया जाना चाहिए।

मेरे विचार से, दो वर्ष पूर्व एक विख्यात स्तंभकार श्री गुरचरन दास ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका शीर्षक था 'द ग्रेट डिवाइड' और उस पुस्तक में उन्होंने दो मुद्दों पर प्रकाश डाला था। पहला मुद्दा यह था कि उन्होंने भारत के मानचित्र को ध्यान में रखते हुए, दिल्ली से नागपुर से हैदराबाद से चेन्नई तक एक रेखा खींची थी। उन्होंने स्पष्ट रूप से यह कहा था कि पश्चिमी ओर का हिस्सा वर्ष 2015 तक एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाएगा जो कि विकसित संसार के बहुत निकट होगी या विकसित राष्ट्रों के स्तर के बहुत निकट होगी। उस स्थिति, वर्ष 2015 की स्थिति, तक पहुंचने के लिए पूर्वी हिस्से को और 25 वर्ष का समय लगेगा। पूर्वी हिस्से उस स्थिति तक वर्ष 2040 तक पहुंचेगा जिस तक इस देश का पश्चिमी हिस्सा 2015 तक पहुंच चुका होगा।

इससे क्या प्रदर्शित होता है? इससे यह प्रदर्शित होता कि पूरे देश का विकास समान रूप से नहीं हो रहा है। इसमें बहुत बड़ा अंतर है, राज्यों में ही बहुत असमानता और विषमता है। एक ओर से दूसरी ओर धन का पलायन हो रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि लगभग डेढ़ दशक पूर्व तत्कालीन प्रधान मंत्री, स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने कहा था कि: ''कलकत्ता एक मृत शहर है।'' उसके पश्चात् बहुत कोलाहल हुआ था। उसे दोहराने से कोई लाभ नहीं है। तथापि मैं केवल इस बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि इस देश का पूर्वी भाग, न केवल पूर्वी तट या पूर्वोत्तर का क्षेत्र, पिछड़ रहा है क्योंकि वहां विकास और अवसंरचना के लिए निवेश की कमी है, वहां उद्योगों में निवेश की कमी है और यही वह मुख्य कारण है जिससे इस देश का पूर्वी भाग, इस देश के पश्चिमी भाग के समांतर विकास करने में अक्षम रहा है।

जब हम बेरोजगारी के बारे में बात करते हैं तो मैंने संयुक्त राज्य अमरीका, सर्वाधिक विकसित देश पर इसके प्रभाव को समझने का प्रयास किया है। मैं यह बता दूं कि संयुक्त राज्य अमरीका में लगभग 44 मिलियन लोग उनकी स्वास्थ्य नीति के अंतर्गत नहीं आते हैं। उन्हें स्वास्थ्य सुरक्षा कार्ड नहीं मिलता, ऐसा ही रोजगार के मामले में है। उस देश में बहुत से लोग इस बात को अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में उनकी कोई बड़ी सहायता नहीं की है। अवसर कम हैं; चयन का आधार प्रतियोगिता है और इसी पर मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था टिकी है।

एक घनी जनसंख्या वाला देश होने के कारण सभी वर्गों के हितों को देखना पड़ता है। समाज परिवर्तित हो रहा है। 1950 के दशक का भारतीय समाज इस इक्कीसवीं सदी में बहुत हद तक बदल चुका है। समय भी बदल रहा है। जीविका के अपर्याप्त साधन उपलब्ध कराने हेतु इस सरकार ने गत पांच वर्षों में बहुत से कदम उठाए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक निवेश हो रहा है। कभी भी बजटीय प्रावधान का 6 प्रतिशत से अधिक हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए नहीं रखा गया। मुझे उन योजनाओं, चाहे वह प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, पी.एम.जी.एस.वाई. हो, एस.जे.आर.वाई. हो या कोई भी अन्य योजना हो, का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। ग्रामीण युवाओं में रोजगार देने हेतु यहां बहुत से कार्यक्रम हैं।

मैं अन्य तीन पहलुओं पर आता हूं। पहला है आज 'संसाधन' कौन-कौन से हैं? आज 'सम्पत्ति' कौन सी है? आज की सम्पत्ति ज्ञान है। यही वह प्रौद्योगिकी है, जो सम्पत्ति है।

कोयला या लौह अयस्क जिसे 19वीं शताब्दी में सम्पत्ति कहा जा रहा था, यदि वह वास्तविक सम्पत्ति होती तो अफ्रीकी महाद्वीप इस विश्व का सर्वाधिक घनी महाद्वीप होता। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज ज्ञान ही सम्पत्ति है। आज जिस व्यक्ति के पास ज्ञान है, वही घनी है और वह आदेश देता है। विकास का मुख्य कारण यही है। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात् एक नई विश्व व्यवस्था भी बनाई जा रही है। यह विश्व व्यवस्था है कौन ज्ञान को नियंत्रित करता है; उदाहरण के लिए कम्प्यूटर और प्रौद्योगिकी का उपयोग रक्षा में अथवा खगोल शास्त्र में हो। वह ज्ञान वास्तव में शक्ति नियंत्रित करने का मार्गनिदेशक कारक है।

मैं अन्य तीन पहलुओं पर संक्षेप में चर्चा करूंगा। पहला, श्रमिक और दूसरा शिक्षा है। श्रम, बाल श्रम जिसके बारे में विधेयक के अंतिम दो पैराओं तथा (ङ) और (च) में संक्षेप में उल्लेख किया गया है, अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों में चर्चा का मुद्दा बन गया है। नि:संदेह इसमें बजटीय उपबंध हैं। तथापि, बाल श्रम के उन्मूलन हेतु पर्याप्त उपाय किए जाने चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में बाल श्रम का विषय एक मुद्दा बन गया है जिस पर विचार-

विमर्श किया जाना है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों में बाल श्रम पर शोर बच्चों की चिंता के कारण नहीं है अपितु इसका उद्देश्य वास्तव में बाजार से हमारे उत्पाद हटाना है ताकि वे प्रतिस्पर्धा से बच सके। अंतर्राष्ट्रीय निकायों तथा विकसित राष्ट्रों द्वारा यह इस स्थिति का एक अन्य प्रकार का शोषण है।

आज मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सर्व शिक्षा अभियान चलाया है। प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए काफी धनराशि खर्च की जा रही है। इस देश में सोच-समझ कर निर्णय लिया है कि उच्च शिक्षा निजी उद्यम पर छोड़ दी जानी चाहिए। यह हमारे विचार को भी सीमित करती है। मैं सभा का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि हमें हमारे निवेश को प्राथमिकता देनी होगी। वित्तीय सहायता इतनी नहीं है कि आप उसे सभी संभाव्य क्षेत्रों तक पहुंचा सके। हमारी पहली प्राथमिकता, प्राथमिक शिक्षा होनी चाहिए। हमारी सरकार ने प्राथमिक शिक्षा के विकास पर ठीक ही बल दिया है।

अंत में, मैं यह कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि नि:संदेह हमारे देश की आर्थिक नीति से हमारे देश का कतिपय स्तर तक विकास हुआ है। लेकिन इससे देश का सर्वांगीण विकास नहीं हुआ है। इसीलिए, यद्यपि मैं इस विधेयक के उद्देश्य का समर्थन करता हूं लेकिन मैं विधेयक पारित करने का समर्थन नहीं कर सकता हूं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: माननीय सदस्यगण, मुझे आवश्यक कार्य से बाहर जाना है। इस समय सदन में पैनल आफ चेयरमैन का कोई भी माननीय सदस्य उपस्थित नहीं है। इसलिए मैं सदन की अनुमति चाहता हूं कि माननीय सदस्य श्री अनादि साहू को आसन ग्रहण करने की अनुमति दी जाए।

कई माननीय सदस्य: हां।

सभापति महोदय: सदन की अनुमति है।

मैं सदन की अनुमति से माननीय श्री अनादि साहू जी को आसन ग्रहण करने हेतु आमंत्रित करता हूं।

अपराह्न 5.28 बजे

[श्री अनादि साहू *पीठासीन* **हुए]**

श्री बालकृष्ण चौहान (घोसी): माननीय सभापति जी, श्री रामदास आठवले जी द्वारा प्रस्तुत संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित सवाल पर यहां चर्चा हो रही है जिसके अंतर्गत संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 39 को संशोधित करने की प्रार्थना की गई है और जिसके अंतर्गत खासतौर पर रोजगार का सृजन कराने और स्वयं रोजगार हेतु आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किए जाने की बात कही गई है।

महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि अनुच्छेद 39 में जो 39-क है उसके अनुसार इस देश में स्त्री और पुरुष, सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका कमाने का अधिकार प्राप्त है। इसमें यह निर्देश भी दिया गया है कि राज्य ऐसी नीति का संचालन करेंगे जिससे इस दिशा में सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। इस प्रकार से इसमें इसका उद्देश्य समाहित हो जाता है। रोजगार का सृजन कराना और रोजगार हेतु आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना दोनों बातें आ जाती हैं, लेकिन इन्होंने अनुच्छेद 39 में जो खंड के रूप में उपखंड "ख" और "ग" को उद्धृत किया है, उसके कारण मेरी समझ से इसका विषय-वस्तु और उद्देश्य से मेल नहीं खाता है।

महोदय, उद्देश्य को 39क ही पूरा कर रहा है, ख और ग का जो उद्देश्य नीति-निदेशक तत्वों में है कि भौतिक संसाधनों का स्वामित्व नहीं संकेन्द्रित न हो, ख और ग दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस तरह से राज्य करे, जो सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो और उसको दूसरे रूप में कह सकते हैं कि धन और उत्पादन-साधनों का अहितकारी संकेन्द्रण न हो। इसलिए इन्होंने वर्णन किया कि इस देश में जो नयी आर्थिक नीतियां आई हैं, उनके कार्यान्वयन के फलस्वरूप तमाम छोटे-बड़े औद्योगिक घरानों और परिवार के समूहों में धन और संसाधनों का संकेन्द्रण हो गया है। अमीरी-गरीबी की खाई बढ़ती जा रही है, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, यह बात सही है। हमें इस पर बोलने का एक अवसर मिला है, अगर भौतिक संसाधन या धन को मान लिया जाए कि सौ रुपया है तो सौ रुपए में 99 रुपए केवल इस देश के एक व्यक्ति के पास है, वह अमीर है और 99 व्यक्तियों के जिम्मे केवल एक रुपए का हिस्सा पड़ रहा है। इसलिए जो साधारण, सर्वसाधारण एवं आम जनता है उसका जीवन-निर्वाह मुश्किल हो गया है। वह भुखमरी और कुपोषण की शिकार हो रही है। गरीब, बेरोजगार लोग आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। इसलिए नीति-निदेशक तत्वों की जो अवधारणा है कि भौतिक संसाधनों का संकेन्द्रण न हो, इसके विपरीत उल्टा काम आर्थिक नीतियों के जरिए इस सरकार ने किया है, इसके कारण अमीर और अमीर होते जा रहे हैं।

महोदय, 20-22 साल पहले गरीबी हटाओ का नारा देकर पूरे देश में एक राजनैतिक माहौल खड़ा किया गया था। गरीबी की रेखा का निर्धारण सरकार ने किया, लेकिन अभी तक अमीरी की

[श्री बालकृष्ण चौहान]

रेखा का निर्धारण सरकार ने नहीं किया। भौतिक संसाधनों की एक सीमा है और उसी में से वितरण होना है। अगर गरीबी हटाएंगे तो गरीबों को कहां से चीजें लाकर देंगे। जो भौतिक संसाधन है, जिसके हाथ में हैं, उन्हें कहीं न कहीं से उनके हाथ से लेकर गरीबों को देने पड़ेंगे तब उनकी गरीबी दूर होगी। इसलिए वास्तव में गरीबी हटाओ की अवधारणा नेगेटिव थी, इसकी पोजिटिव अवधारणा होनी चाहिए, अमीरी हटाओ। अमीरों के पास जो देश की धन-दौलत, संसाधन भ्रष्टाचार की वजह से कालेधन के रूप में एकत्र हैं, उसे निकाल कर रोजगार के अवसर प्रदान करने में, बेरोजगारों को रोजगार देने में, गरीबों की गरीबी हटाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। आप छोटे-छोटे उदाहरण देखें, प्रधानमंत्री सड़क योजना को 50,000 करोड़ रुपए की पूरे देश की जरूरत है, लेकिन महाराष्ट्र में तेलगी प्रकरण में एक व्यक्ति 85,000 करोड़ रुपए लेकर बैठा है। इस तरह देश में पूरी सामान्तर व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, कालेधन की काम कर रही है। जो मूल सोच है, संविधान की जो मूल आत्मा है, संविधान निर्माताओं ने जो सोचा है कि धन का संकेन्द्रण न होने पाए, उसकी ओर सरकार को कार्य करना चाहिए, लेकिन जो निजीकरण और वैश्वीकरण आया हुआ है, नयी आर्थिक नीतियां आई हैं उनके दबाव में जो विश्व बैंक और बहुराष्ट्रीय कम्पनियां हैं, डब्ल्यूटीओ के दबाव में हमारी नीतियां संविधान के अनुरूप सरकार नहीं बना पा रही है। हमारी नीतियां संविधान के अनुरूप यह सरकार नहीं बना पा रही है, इसलिए मैं चाहूंगा, सरकार के माननीय श्रम मंत्री जी बैठे हैं, हमारे संविधान निर्माताओं की जो मंशा थी कि आम जनता के लिए, जनसाधारण के लिए उनकी जो सोच थी कि सब को रोजी-रोटी का साधन मिले, उसके अनुरूप पालिसी इनको तय करनी चाहिए और धन और उत्पादन के साधनों का जो संकेन्द्रण अमीरी के आधार पर हो रहा है, उसके लिए अवधारणा विकसित करें, अमरीकी हटाओ की अवधारणा पर काम करके, इस पर बहस करके निष्कर्ष निकालकर कार्य करना चाहिए।

मैं आठवले जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस प्रकरण को उठाया, जो रोजी-रोटी के, जीविका के साधन से जुड़ा हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से पुनः अनुरोध करूंगा कि इस पर पर्याप्त और उचित विधान लाकर भौतिक संसाधनों का संकेन्द्रण को रोकें ताकि आम जनता का भला हो।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): माननीय सभापति महोदय, स्वाधीनता के 56 वर्षों के पश्चात भी आज हिन्दुस्तान के अन्दर एक नारा सुनाई पड़ता है कि रोटी, कपड़ा और मकान, मांग रहा है हिन्दुस्तान। मैं आठवले जी द्वारा प्रस्तुत जो संविधान संशोधन लाया गया है, उसकी भावना का मैं आदर करता हूं और संविधान के निर्देशक तत्वों के अन्दर इस बात की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है कि राज्य का दायित्व होगा और वह ध्यान रखेगा कि पुरुष और स्त्री, सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए।

इसके साथ-साथ ख और ग, जिसकी तरफ इन्होंने ध्यान आकर्षित किया है, इस समस्या के जो भौतिक पदार्थ संसाधन हैं, उनका स्वामित्व, नियंत्रण इस प्रकार बंटा हुआ होना चाहिए, सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो और आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले, जिससे धन और उत्पादन और साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकर संकेन्द्रण न हो। मुझे हिन्दी का एक दोहा याद आ रहा है:

माया से माया मिले, कर कर लम्बे हाथ,
तुलसी हाय गरीब की, पूछे न कोई बात।

आजादी के बाद कभी हमने पंचवर्षीय योजना के माध्यम से, कभी बड़ी-बड़ी योजनाओं के माध्यम से, बड़े-बड़े उद्योग-धन्धों की स्थापना के माध्यम से, समाजवादी समाज की स्थापना के माध्यम से, गरीबी हटाओ के नारे के नाम पर और उसके पश्चात अब उदारीकरण और वैश्वीकरण के नाम पर आर्थिक विषमता को मिटाने का प्रयास तो बहुत किया, लेकिन उसका परिणाम जो निकलने चाहिए, मैं समझता हूं कि वे नहीं निकल पाये और एक प्रकार से यदि मैं कहूं कि जैसे रामचरित मानस के अन्दर प्रसंग आता है कि जब हनुमान जी सीता जी का पता लगाने के लिए श्रीलंका जा रहे थे, यह पौराणिक कथा है, तो उस समय सुरसा उनकी परीक्षा लेने के लिए उपस्थित हुई। तुलसीदास जी लिखते हैं:

जस-जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासू दूनि कपि रूप दिखावा।

जैसे-जैसे सुरसा ने हनुमान जी को खाने के लिए अपना मुंह फैलाया, हनुमान जी उससे दूने होते चले गये और जब मुंह 32 योजन का हो गया तो हनुमान जी सूक्ष्म रूप में होकर वापस बाहर आये। खैर, वह तो एक कथा थी, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि जैसे-जैसे हमने प्रयास किये, ज्यों-ज्यों दवा की, मर्ज बढ़ता चला गया। बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। देश की बढ़ती हुई आबादी सबसे बड़ी समस्या है, जिसकी ओर किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा है। अगर आर्थिक विषमता हम मिटाना चाहते हैं, तो सारी योजनाओं के साथ-साथ सारे देश के समस्त राजनैतिक दलों को अपनी सोच से ऊपर उठकर राष्ट्र के हित को सर्वोपरि मानक बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयास करना पड़ेगा, तब जाकर हम आर्थिक लक्ष्यों को भी प्राप्त कर सकेंगे। सामाजिक विषमता के साथ-साथ आर्थिक विषमता को भी मिटाने में समर्थ हो सकेंगे। अन्यथा हमारे प्रयास रेत के अन्दर तेल निकालने के समान या खरगोश के ऊपर सींग ढूंढने के समान या आकाश के ऊपर चित्र बनाने के समान ही सिद्ध होंगे।

वास्तव में हमारे संविधान के अन्दर हम हमेशा बात करते रहे हैं कि रोजगार का अधिकार भी प्राप्त होना चाहिए, लेकिन अभी तक रोजगार का अधिकार प्रदान नहीं किया गया है।

सभापति महोदय: एक मिनट रुकिये। इस बिल के लिए दो घण्टे का समय निर्धारित किया गया था। अब दो घण्टे का समय खत्म हो गया है। अभी आप बोलेंगे, मंत्री जी बोलेंगे और आठवले जी बोलेंगे, इसलिए यदि इजाजत हो तो 6 बजे तक इस बिल का समय बढ़ा दिया जाये।

कुछ माननीय सदस्य: ठीक है।

सभापति महोदय: ठीक है, समय बढ़ाया जाता है। आप बोलना जारी रखिये।

प्रो. रासा सिंह रावत: माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जो सरकार आई है, इस सरकार ने नारा दिया, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी। मैं समझता हूं कि जो हमारी योजनाएं वर्तमान समय में बन रही हैं, वे सारे गांव के सर्वांगीण विकास के लिए हैं, चाहे स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना हो या सम्पूर्ण ग्राम विकास योजना हो। चाहे पी.एम.आर.वाई. के अंतर्गत या प्रधान मंत्री ग्राम सम्पर्क योजना के अंतर्गत रोजगार देने की बातें कही गयी हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि इस बात के ऊपर अत्यधिक जोर दिया जाये कि हर हाथ को काम मिले, हर खेत को पानी मिले ताकि देश के अंदर बेरोजगारी दूर हो सके।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जब हमारे देश में परम्परागत ढंग से कुटीर उद्योग थे, लघु उद्योग थे, ग्राम उद्योग थे जिससे ग्राम वासी गांव के अंदर स्वावलम्बन का जीवन जिया करते थे और गांवों की आबादी शहरों की तरफ नहीं आती थी। लेकिन जब से वे लघु उद्योग नष्ट हो गये, कुटीर उद्योग नष्ट हो गये, परम्परागत उद्योग नष्ट हो गये, कृषि पर आधारित उद्योग नष्ट हो गये तो परिणामस्वरूप गांवों के अंदर बेरोजगारी हो गयी। इस कारण भी गांवों की बहुत बड़ी आबादी रोजगार प्राप्ति के लिए शहरों की तरफ आ रही है। शहरों में उन्हें झुग्गी-झोंपड़ियों में रहने के लिए विवश होना पड़ता है। जैसे एक कवि ने कहा है कि एक तरफ अमीरों की गगनचुंबी अट्टालिकाएं आसमान को छूने वाली, सीमेंट के कंक्रीट के जंगल खड़े हो रहे हैं, दूसरी तरफ गरीब लोग झुग्गी झोंपड़ियों में रहे हैं। ''श्वानों को मिलता दूध, भूखे बालक कुलबुलाते हैं, मां की छाती से चिपक सिसक-सिसक रह जाते हैं।'' यह कितनी बड़ी विषमता है कि एक तरफ मकानों को बनाने वाले लोगों का जीवन नारकीय होता है और दूसरी तरफ उन मकानों में रहने वाले अमीर लोग होते हैं।

मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करना चाहूंगा कि इस बिल के अंदर जो भावना व्यक्त की गयी है, संविधान भले ही न हो लेकिन भारतीय संविधान के अंदर जो बात की गयी है, उसकी क्रियान्वित का दायित्व एक प्रकार से सरकार का भी है। कुछ ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे आतंकवाद मिटाने के लिए, क्षेत्रीयता मिटाने के लिए, असम जैसी समस्या का निराकरण करने के लिए, शहरों की तरफ बढ़ती हुई आबादी को रोकने के लिए, रोजगार के साधन स्थानीय स्तर पर मुहैया हो सके और इसके साथ-साथ बढ़ती हुई जनसंख्या के ऊपर अंकुश लग सके। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं।

श्रम मंत्री (डा. साहिब सिंह वर्मा): आदरणीय सभापति महोदय, संविधान संशोधन के माध्यम से एक बहुत बड़ी समस्या जो देश के सामने है, उसके बारे में अनेक माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं और यह चिंता जताई है कि देश में 56 साल की आजादी के बाद अभी भी बेरोजगारी बड़ी तादाद में है खासकर गरीबों के अंदर, पिछड़े क्षेत्रों में, गांवों में। यह भी बताया गया कि किस प्रकार से धन कुछ हाथों में जाता जा रहा है और किस तरह से गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। इसके बारे में भी यहां चर्चा की गयी है।

हमारी सरकार जब से आई है तब से उसने दो-तीन बातों पर चिंता व्यक्त की है। सबसे पहले उसने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि हम किस प्रकार से जाब्स और ज्यादा क्रिएट कर सकें, जनरेट कर सकें। यह भी चिंता थी कि आज देश के अंदर जो लेबर लाज हैं, किस प्रकार से उनके अंदर रिफार्म किया जाये। यह भी चिंता प्रकट की गयी कि असंगठित क्षेत्र में जो करोड़ों लोग काम करते हैं, किस तरह से हम उन लोगों को सामाजिक सुरक्षा दें। ये सभी बातें बहुत ही महत्त्वपूर्ण थीं। इस कारण से कमीशन बैठाया गया तथा जाब्स किस तरह से जनरेट की जायें, उसके लिए एक कमेटी भी बनाई गयी। उसके बाद दूसरी कमेटी बनाई गयी। इस तरह से इसकी रिपोर्ट आयी। उसके बाद प्रधान मंत्री जी ने कहा कि हम 1 करोड़ जाब्स हर साल क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने का अर्थ यह है कि वे जाब्स हम देंगे या उनको किसी न किसी प्रकार का अपना धंधा देंगे, सैल्फ इम्प्लायमैंट होगा। इस प्रकार का प्रयत्न अमेंडमैंट में किया गया है। हम किसी भी प्रकार से कोशिश करके उनको नौकरी देने का इंतजाम कर सकें या उनको इस प्रकार की सुविधा दें जैसा पाटिल जी ने कहा, दूसरे लोगों ने भी कहा कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स हैं, वे उनकी मदद करें, कम पैसे पर दें या सबसिडी दें। प्रधान मंत्री जी ने इन सब बातों की तरफ चिंता व्यक्त की। जब कमीशन की रिपोर्ट आई, कमेटी की रिपोर्ट आई, उसके तहत एक टास्क फोर्स मिनिस्ट्री की तरफ से बनाया गया। टास्क फोर्स सिर्फ यह देखता

[श्री साहिब सिंह वर्मा]

है कि बड़े-बड़े प्रौजेक्ट्स हैं जैसे सड़क बनाने का काम चल रहा है, उसमें टास्क फोर्स यह भी देख रहा है कि वहां पर मशीन से कितना काम हो रहा है, हाथ से कितना काम हो रहा है और कौन सा काम मशीन से करना बहुत जरूरी है या कौन सा ऐसा काम है जो मशीन की बजाय हाथ से हो सकता है या ज्यादा लोगों को जाब सकता है। इस काम को भी वह देख रहा है। इस तरह से बड़े पैमाने पर मंत्रालय ने इस पर काम शुरू किया है। अनआर्गनाईज्ड सैक्टर में जो लोग काम करते हैं, माननीय सदस्यों ने यह बात कही कि उन लोगों को किसी तरह की सामाजिक सुरक्षा हो नहीं है। कई राज्यों में तो आज भी दिखाने के लिए नेशनल फ्लोर लैवल पर 55 रुपये मिनिमम वेजेस है लेकिन उनको 20-25 रुपये ही वेतन दिया जाता है। यह दुर्दशा तो है ही।

अभी एक व्यवस्था बनाई जा रही है, संसद के सामने ऐसा कानून बनाने के लिए एक बिल आने वाला है जिसमें देश के जो 90 प्रतिशत श्रमिक लोग हैं, जिनको सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती और जो असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं या जो सैल्फ इम्प्लायड लोग हैं, उनको सोशल सिक्युरिटी, मैडीकल फैसीलिटी दिलवाएं, इश्योरैंस कवर दिलावें, डैथ होने पर कम से कम फैमिली पैंशन करवाएं, 60 साल की उम्र के बाद पैंशन दिलवाएं। 56 सालों में अभी तक इस प्रकार का कोई प्रयास नहीं हुआ और न ही असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा की कोई व्यवस्था की गई। यह सरकार इस बारे में बहुत चिंतित है और काम कर रही है। अनेक योजनाएं जैसे आपको भी मालूम है, स्वर्ण जयन्ती ग्राम योजना है, ग्राम समृद्धि योजना है, इम्प्लायमैन्ट ऐश्योरैंस स्कीम है, कई तरीके की योजनाएं चलाई गईं जो गरीबी उन्मूलन के लिए काम कर रही हैं और लोगों को काम भी दे रही हैं। सरकार की तरफ से उनको कई तरह की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। जन शिक्षण संस्थान के माध्यम से छोटे-छोटे कोर्सेज देश के काफी डिस्ट्रिक्ट्स में चलाए जा रहे हैं। बाल श्रम को खत्म करने के लिए सौ से ढाई सौ डिस्ट्रिक्ट्स में भी हमने काम शुरू किया है। सदस्यों ने जो चिन्ता प्रकट की है, इस सरकार ने उनमें इनीशिएटिव लेकर काम प्रारंभ किया है। मैं माननीय सदस्यों और आठवले जी को विश्वास दिलाता हूं कि जो भावना उन्होंने प्रकट की है, हम विभिन्न योजनाओं में लोगों को रोजगार देने, सैल्फ इम्प्लायमैंट देने का काम पहले से ही कर रहे हैं। वह और अधिक सघन तरीके से हो, इस बारे में भी सरकार चिन्ता कर रही है, विभाग चिन्ता कर रहा है। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करना चाहूंगा कि इस विषय पर सरकार बहुत गंभीरता से विचार कर रही है, काम कर रही है और बहुत काम किए हैं। इसलिए माननीय सदस्यों के और भी जो सुझाव आए हैं, हम कोशिश करेंगे कि इस समय हमारे जो काम चल रहे हैं, उनकी इफैक्टिवनैस को किस प्रकार से और बढ़ाया जा सकता है, उसकी तरफ भी हम ध्यान देंगे।

इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा कि वे अपने विधेयक को वापिस ले लें। इसके पीछे जो भावना है, मैं उसकी कद्र करता हूं। इसलिए मैंने इस विषय में सारी बातें बताई हैं।

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा): मैं माननीय मंत्री से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। कुछ शिकायत आई है कि केन्द्र सरकार की नौकरियों में भर्ती पर पूर्ण प्रतिबंध है। क्या यह सही है अथवा नहीं?

[हिन्दी]

डा. साहिब सिंह वर्मा: रिक्रूटमैंट पर पूरी तरह से बैन कहीं पर नहीं है। राधाकृष्णन जी ने एक बात उठाई थी। जब डब्ल्यूटीओ पर साइन हुए तो यह बात कही गई कि जहां चीजें सस्ती पैदा होती हैं, वहां दूसरे देशों में भेजने के लिए फ्री मूवमैंट होनी चाहिए। यह कहा गया कि इसके डैवलपिंग कंट्रीज की इकोनामी स्ट्रैथन होगी। लेकिन जब मैं जुलाई में वहां गया था तो मैंने आईएलओ में यह विषय उठाया था और उन्होंने इस बात की सराहना भी की। मैंने कहा यह बात सही है कि आप गुड्स की बात करते हैं लेकिन गुड्स किसके लिए हैं- आदमियों के लिए हैं। मान लें एक गरीब देश या डैवलपिंग कंट्री में करोड़ों लोग बेकार बैठे हैं। उनके हाथ को काम चाहिए और वे थोड़े पैसे में काम कर सकते हैं। एक दूसरा देश है जहां काम करने वाले नहीं हैं और वहां बहुत महंगे में काम होता है। जहां गुड्स सस्ते पैदा हो सकते हैं, उन्हें दूसरे देश में भेजने की इजाजत है तो जहां सस्ती लेबर मिलती है, उसकी दुनियाभर के अंदर फ्री मूवमैंट क्यों नहीं होनी चाहिए। यह बात उठाने की बहुत आवश्यकता है। हमने इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाया है कि इसकी इजाजत मिलनी चाहिए तभी डैवलपिंग और डैवलप्ड कंट्रीज का अंतर खत्म होगा। यह बात हमने वहां सब स्तर पर उठाई है।

[अनुवाद]

डा. वी. सरोजा (रासीपुरम): माननीय सभापति महोदय, मैं कुछ बातों के बारे में माननीय मंत्री से जानना चाहती हूं।

भारत कृषि प्रधान देश है। लगभग 85 प्रतिशत लोग कृषक समुदाय के हैं। क्या सरकार कृषि आधारित लघु उद्योग, शीतागारों वाले खाद्य प्रसंस्करण उद्योग तथा अन्य बुनियादी ढांचे संबंधी सुविधाएं इस तरह से बनाएगी कि स्थानीय लोगों के पलायन को कम किया जा सके?

दूसरा, महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण तमिलनाडु की जनता के लिए सही समाधान सिद्ध हुआ है। क्या सरकार तमिलनाडु सरकार का अनुसरण करेगी और उनकी नीतियों और मार्गनिर्देशों को अपनाएगी?

तीसरा, हमें चीन से सबक लेना होगा। चीन के लघु उद्योगों का लगभग 17 प्रतिशत श्रमोन्मुखी है। क्या सरकार बिना किसी अहम के इन मुद्दों को नोट करेगी, विचारों का आदान-प्रदान करेगी और हमारे अपने राज्यों से सबक लेगी?

[हिन्दी]

डा. साहिब सिंह वर्मा: यह बात माननीय सदस्य ने बिल्कुल ठीक कही है कि इस देश में हमें कुटीर उद्योग के ऊपर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। महात्मा गांधी जी ने प्रारम्भ में ही कहा था कि हमें देश में अगर लोगों को रोजगार देना है और उनकी क्रय शक्ति बढ़ानी है तो उसके लिए गांव-गांव में इस तरह के काम करने होंगे। माननीय सदस्यों को यह जानकर खुशी होगी कि सरकार ने जो एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, जो छोटे-छोटे उद्योग हैं, इस प्रकार के बहुत सारे कार्यक्रम हैं जिनमें हम सब्सिडी दे रहे हैं और काम चलाने के लिए प्रशिक्षण दे रहे हैं तथा अनेकों क्षेत्रों में इस प्रकार की सुविधा दी गई है, महिलाओं को भी सुविधा दी गई है तथा गांवों और शहरों में भी इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसकी किताब भी सरकार द्वारा प्रकाशित की गई है और वह भी माननीय सदस्यों के पास पहुंची है। इस तरह की सारी योजनाओं को अगर अपने क्षेत्र में लोगों को आप बताएंगे तो निश्चित रूप से उसका बहुत बड़ा लाभ होगा।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): सभापति जी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 में जो उपबंध है कि राज्य अपनी नीति का संचालन इस तरह से सुनिश्चित करें कि उसका फायदा सर्व साधारण लोगों को होना चाहिए। जो केन्द्र का बजट है, राज्य का बजट है और जो हमारा उत्पादन है, उसका फायदा उस गरीब आदमी को होना चाहिए। उस गरीब आदमी को अमीर बनने की कोशिश करनी चाहिए और बहुत बड़े जो अमीर लोग हैं, उनको गरीब होने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत बार बैंक का पैसा बड़े-बड़े लोगों को ही मिलता है और हमारे देश के संविधान में इकोनामिक ईक्वैलिटी की बात स्वीकार की गई है कि जो 26 जनवरी 1950 को डा. बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान अपने देश को दिया, उसको हम लोगों ने स्वीकारा है और सोशल एंड इकोनामिक ईक्वैलिटी का स्वरूप संविधान के माध्यम से हम लोगों ने स्वीकार किया है मगर उसका इम्प्लीमेंटेशन जिस तरह से होना चाहिए, वह नहीं हो रहा है। यह बिल लाने का कारण यही है कि अमीर और ज्यादा अमीर न हो और गरीबी और ज्यादा गरीब न हो, यह भारत के संविधान के खिलाफ है। अगर हम सब भारतीय नागरिक हैं तो फिर भारत के हरेक क्षेत्र में व्यक्ति को, समूह को उतना ही फायदा मिलना चाहिए जितना हमें मिल रहा है। इसी तरह की नीति सरकार को अपनानी चाहिए और इसीलिए 53 साल में हमारे देश के उत्पादन का नियोजन जिस तरह से होना चाहिए था, वह ठीक ढंग से नहीं हुआ। इसीलिए गरीब आदमी गरीब होता जा रहा है और अपने देश में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कम से कम 26 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे है। अपने देश में बेरोजगार लोगों की संख्या 20 करोड़ है।

साहिब सिंह वर्मा जी लेबर के संबंध में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वे उनको न्याय देना चाहते हैं, लेकिन नीतियां ऐसी हैं कि वे यह सही तरीके से उठा नहीं पा रहे हैं। हमारे देश की जनसंख्या 102 करोड़ है, जिसमें से करीब 20 प्रतिशत यानी 20 करोड़ लोग आज भी बेरोजगार हैं। कृषि क्षेत्र में 57 प्रतिशत लोगों को रोजगार मिला है। स्माल स्केल इंडस्ट्रीज ठीक तरह से चल नहीं पा रही हैं। मार्च 1974 तक हमारे देश में स्माल स्केल इंडस्ट्रीज में काम करने वाले एम्प्लायज की संख्या 3.9 मिलियन थी, जो मार्च 2000 में 17.89 मिलियन हो गई। लेकिन आज की जो स्थिति है, उसमें हम देख रहे हैं कि स्माल स्केल इंडस्ट्रीज बंद होती जा रही हैं। जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन होता जा रहा है, उसका सामना करने में हम सक्षम तो हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम पिछड़ रहे हैं। हमने लुधियाना में देखा कि वहां 60 से 70 प्रतिशत स्माल स्केल इंडस्ट्रीज बंद हो गई हैं। इसी तरह से अहमदाबाद में भी करीब 70 प्रतिशत लघु उद्योग बंद हो गए हैं। मुम्बई और दिल्ली में भी यही स्थिति है। अगर हमें यह प्राब्लम साल्व करनी है तो मेरा सुझाव है कि लघु उद्योगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा देनी होगी। हम जब मनोहर जोशी जी के साथ चीन गए थे तो हमने बीजिंग और शंघाई में देखा कि वहां लघु उद्योगों को किस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है, उन्हें किस तरह से ताकतवर बनाया जा रहा है। अपने यहां बिजली की दर बहुत ज्यादा है। इसी तरह से पानी की और जमीन की कीमत भी बहुत ज्यादा है। प्रशासन ऐसा है कि जिस अधिकारी के पास जाओ, वह पैसा मांगता है। इसलिए इस पर गम्भीरता से सोचने की आवश्यकता है। अगर हमें अपने देश में आर्थिक समानता लानी है तो हमारे देश में जो आठ लाख करोड़ रुपया ब्लैक मनी के रूप में जमा है, जो कि बढ़ता जा रहा है, उसको कम करने की आवश्यकता है। देश में उत्पादन और इनकम बढ़ाने की आवश्यकता है। फिर हमें अपने देश के विकास के लिए पैसा खर्च करने में मदद मिलेगी।

प्रधान मंत्री रोजगार योजना शुरू की गई है, लेकिन उससे कितने लोगों को फायदा हुआ है, यह सब जानते हैं। दस लाख लोग एप्लीकेशन देते हैं, लेकिन मुश्किल से 50,000 लोगों को ही

[श्री रामदास आठवले]

लोन मिलता है। रेलवे में भर्ती शुरू हुई तो वहां पर 74 लाख लोगों ने एप्लीकेशन दी। असम में, मुम्बई में और दिल्ली में लोग नौकरी के लिए चक्कर लगा रहे हैं। रेलवे को चाहिए था कि हर राज्य में लोगों को साक्षात्कार के लिए बुलाने की व्यवस्था करती। 16,000 जगहों के लिए रेलवे को 74 लाख एप्लीकेशंस आईं। इससे आप सोच सकते हैं कि कैसे सब लोगों को नौकरी मिलेगी। इसलिए सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है कि हरेक नौजवान को रोजगार दे। लेकिन इस जिम्मेदारी को वह निभा नहीं रही है। जब चुनाव आता है तो हम लोगों के सामने जाते हैं। यह ठीक है कि अभी आपको तीन राज्यों में सफलता मिली है। प्रधान मंत्री जी ने हर साल एक करोड़ लोगों को रोजगार देने का आश्वासन दिया था। आपकी सरकार सत्ता में है, आप बताएं कि पांच सालों में कितने लोगों को रोजगार मिला। उसके बावजूद भी आपको अभी चुनावों में सफलता मिली है। मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता।

यह विषय काफी विस्तृत है कि गरीबी हटनी चाहिए, लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। पांच करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही गई है, लेकिन रोजगार देने के संबंध में जो प्रयत्न किए गए हैं, उनमें ज्यादा सफलता नहीं मिल रही है।

सायं 6.00 बजे

रिलाइन्स की प्रापर्टी 70 हजार करोड़ रुपये है। मफतलाल की, टाटा की, बिरला की, बजाज की बहुत प्रापर्टी है। अगर हमें आर्टिकल 39 को न्याय देना है तो इनकी प्रापर्टी कम करनी चाहिए। इन लोगों को लगता है कि वे लेबर रखकर लोगों को एम्प्लाएमेंट देते हैं। मेरा कहना यह है कि इतनी ज्यादा प्रापर्टी पर बेन होना चाहिए। एक फैमली के पास कितनी जमीन, मकान, दुकान और प्रापर्टी होनी चाहिए, यह भी तय किया जाना चाहिए। ज्यादा प्रापर्टी पर बेन लगना चाहिए और ऐसा एक कानून बनाने की आवश्यकता है जिससे अगले 25 सालों में हम अपने टार्गेट तक पहुंच सकें। इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। अगर हमें गरीब आदमी को, नीचे के आदमी को ऊपर उठाना है तो उनको आर्थिक रूप से ताकत देने की आवश्यकता है। लेकिन आज ऊपर वाला आदमी और ऊपर जा रहा है और गरीब तथा अमीर आदमी में अंतर बढ़ता जा रहा है। समानता अगर हमें लानी है तो नीचे वाले आदमी को ऊपर उठाना होगा और ऊपर वाले आदमी को नीचे लाना होगा। नीचे वाले आदमी को 10 फीट ऊपर और ऊपर वाले को 10 फीट नीचे लाना होगा।

सभापति महोदय: आठवले जी, अब समाप्त कीजिए।

श्री रामदास आठवले: समाप्त तो करूंगा लेकिन पहले नीचे वाले आदमी को ऊपर तो लाने दीजिए।

सभापति महोदय: सरकार भी यही चाहती है। अब आप समाप्त कीजिए।

श्री रामदास आठवले: सरकार में बैठे लोगों को भी थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा। ऊपर वाले लोगों को भी संरक्षण देने की आवश्यकता है। इस प्रकार की एक प्रैक्टिकल पालिसी बननी चाहिए जिससे बैंकों का पैसा गरीब आदमी को कम ब्याज पर मिले और केवल गरीब आदमी को ही पेट्रोल पंप मिलने चाहिए। लेकिन होता यह है कि जिनके पास पहले से ही तीन-चार पेट्रोल-पंप हैं उन्हीं को पेट्रोल पंप मिलता है गरीब आदमी को नहीं मिलता है। हमें पेट्रोल पंप नहीं मिलता है। मैं भी जब बेरोजगार था तो मैंने भी पेट्रोल-पंप के लिए एप्लाई किया था लेकिन मुझे नहीं मिला। गरीब लोगों को अगर ऊपर उठाना है तो इसी प्रकार के प्रयत्न करने की आवश्यकता है। मैं मानता हूं कि हमारे मंत्री महोदय बहुत एक्टिव हैं लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए इनका नाम नहीं आया बल्कि माननीय मदल लाल जो खुराना का आया। हमारा कहना इतना ही है कि लेबर एक्ट-16 को समाप्त करने की आवश्यकता है। ऐसे ही दूसरी एजन्सियां जो हैं जैसे म्युनिसिपिलिटी है और दूसरी सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं उनमें अस्थाई लेबर रखने की परम्परा है। ऐसे अस्थाई कर्मचारियों को तीन साल के बाद स्थाई करने की आवश्यकता है। जो लोग बेरोजगार हैं अगर उनका नाम तीन साल तक रोजगार कार्यालय में रहता है और उनको नौकरी नहीं मिलती है तो उन्हें तीन हजार रुपये बेकारी भत्ता मिलना चाहिए। अगर तीन हजार रुपया मिलेगा, तो बहुत सारे लोगों को फायदा मिलेगा।

सभापति महोदय: आठवले जी, थोड़ा समय का ख्याल कीजिए।

श्री रामदास आठवले: महोदय, माननीय श्रम मंत्री जी ने जवाब तो दे दिया है, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर को जवाब देना चाहिए था, क्योंकि बात इकोनोमिक इक्वैलिटी की है। आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास रोजगार नहीं है। जब आपके पास पैसा नहीं है, तो आप पैसा कहां से देंगे, इसलिए वित्त मंत्री, श्री जसवंत सिंह जी को जवाब देना चाहिए। आपने रिक्वैस्ट की है कि बिल वापिस ले लिया जाए, क्योंकि यह प्राइवेट मैम्बर बिल है। हम कहेंगे कि हम बिल वापिस नहीं लेते हैं, लेकिन बाद में बिल वापिस ले लिया जाता है। यह व्यवस्था चल रही है। बिल सरकार के माध्यम से आना चाहिए, यदि आप ऐसा एश्योरैंस सदन को देते हैं, तो मैं यह बिल वापिस ले सकता हूं। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार को इकोनोमिक इक्वैलिटी की बात को ध्यान में रखकर कदम उठाने चाहिए। जिन लोगों के पास जमीन नहीं है, उनको जमीन मिलनी चाहिए, ताकि अपने देश से गरीबी हट सके और इकोनोमिक इक्वैलिटी स्थापित हो सके। मैं इतनी ही

उम्मीद करता हूं कि फाइनेंस मिनिस्टर से बात करके एससी के लिए 18 परसेंट और एसटी के लिए 10 परसेंट बजट का प्रावधान करेंगे। अगली बार जब मेरा बिल आएगा और वित्त मंत्री जवाब देंगे, इस आशा के साथ मैं यह बिल वापिस लेता हूं।

[अनुवाद]

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रामदास आठवले: महोदय, मैं विधेयक वापस लेता हूं।

सायं 6.08 बजे

(तीन) केरल उच्च न्यायालय (तिरूवनंतपुरम में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक – *विचाराधीन*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब सभा मद संख्या 26 पर चर्चा करेगी। श्री कोडीकुनील सुरेश।

श्री कोडीकुनील सुरेश (अडूर): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि तिरूवनंतपुरम में केरल उच्च न्यायालय की एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदय, मैं अत्यधिक आभारी हूं कि इस सम्माननीय सभा ने मुझे तिरूवनंतपुरम में केरल उच्च न्यायालय की स्थायी न्यायपीठ की स्थापना के लिए गैर-सरकारी सदस्यों का विधेयक प्रस्तुत करन का अवसर प्रदान किया है। यह केरल की जनता, विशेषरूप से दक्षिणी जिलों के निवासियों, के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है क्योंकि वे काफी समय से तिरूवनंतपुरम में केरल उच्च न्यायालय की स्थायी न्यायपीठ की स्थापना की मांग कर रहे थे।

सभापति महोदय: श्री कोडीकुनील सुरेश, आप यहीं अपनी बात समाप्त कर सकते हैं और अगली बार अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

अब सभा सोमवार, 8 दिसम्बर, 2003 को पूर्वाह्न ग्यारह बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.09 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 8 दिसम्बर, 2003/ 17 अग्रहायण, 1925 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पी.एल.एस.–48.37.4/2003 (एन०)
280

© 2003 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको आर्ट इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।